

DUE DATE SLIP

GOVT. COLLEGE, LIBRARY
KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा

(Labour Policy & Social Security)



प्रो सौ एम चौधरी

महायन
प्रकाश जैन



दिसंबर पठिलकेशन द्य
त्रिपोलिया, जयपुर-2

© PUBLISHERS

All Rights Reserved with the Publishers

Published by Research Publications, Tripolia Bazar, Jaipur-2

Printed at Hema Printers, Jaipur



प्रकाशकीय

'मजदूरी नीति एव सामाजिक सुरक्षा' का यह नवीन संस्करण नए परिवेश में आपके समझ प्रस्तुत है। नवीनतम औवहो और अनेक स्थितों पर नई सामग्री का समावेश कर पुस्तक को प्रधिक मृद्ग और उपयोगी बनाने का पूरा प्रयास किया गया है। पुस्तक 10 भाषाओं में विभाजित है जिनमें मजदूरी नीति और सामाजिक सुरक्षा के संदर्भित तथा व्यावहारिक पहलुओं पर विवेचन किया गया है। विषय-सामग्री भारत, क्रिटेन और अमेरिका के सन्दर्भ में है। विषय-सामग्री के संयाजन की दृष्टि से पुस्तक की उपादेयता निरसित है। इसमें अम वाजार, अम की मौग एव पूति, मजदूरी के गिरावरों, अम के शोषण, मजदूरी तथा उपादान, राष्ट्रीय भाष-वितरण में अम का योगदान, मजदूरी-मुद्दानां की वढ़तियों और रीतियों, मजदूरी के राजकीय नियमन, अमिको के जीवन-स्तर, मजदूरी नीति, रोजगार तथा आधिक विकास, रोजगार सेवा संगठन, अमिक भर्ती मानव शक्ति नियोजन, सामाजिक सुरक्षा के संगठन और वित्तीयन, वारशनाना प्रधिनियम, अमिको के भावास, अम-बल्याण योजनाओं आदि विभिन्न विषयों पर प्रकाश ढाला गया है। पुस्तक में भन्त में, दुष्य प्रध्ययन योग्य परिशिष्ट जोड़े गए हैं जिनमें देश के अम भन्यालय, अन्तर्राष्ट्रीय अम संगठन तथा वर्तमान अम कानूना भें संशोधन पर प्रकाश ढाला गया है। भारत सरकार के विभिन्न योनों से प्रचुर सहायता नी गई है जिसमें पुरतर की उपयोगिता विशेष रूप से बढ़ गई है।

"सुधार हेतु सुमाख सहयं प्राप्तिकर है।" जिस प्राप्तिकर अंतों, ऐसहायता, ली गई है उनके लिए प्रकाशक हृदय से माझारी है।

—प्रकाशक

अनुच्छमणिका

१ थम बाजार की विशेषताएँ, थम की मौग एवं पूर्ति (Characteristics of Labour Market, Labour Demand and Supply)

थम का अर्थ और महत्व (2) थम की विशेषताएँ (4) थम का वर्गीकरण (7) थम की कार्यक्षमता और उसको प्रभावित करने वाले तत्त्व (8) थम की मौग एवं पूर्ति (12) थम बाजार (15) थम बाजार की विशेषताएँ (15) भारतीय थम बाजार (16) थम बाजार का मजदूर पक्ष (17) प्रबन्ध और थम बाजार (17) भारत में थमिकों का विभाजन कार्यशील जनसंख्या (18)

२ मजदूरी के सिद्धान्त, सीमान्त उत्पादकता, स्थानात्मक और सौदेकारी सिद्धान्त, थम का शोषण, मजदूरी में अन्तर के फारण

21

(Wage Theories, Marginal Productivity, Institutional and Bargaining Theories, Exploitation of Labour, Causes of Wage Differentials)

मजदूरी का अर्थ (21) भौद्विक मजदूरी एवं वास्तविक मजदूरी (22) वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करने वाले तत्त्व (23) मजदूरी का महत्व (24) मजदूरी निर्धारण के सिद्धान्त (24) मजदूरी का जीवन-निर्वाह सिद्धान्त अथवा लोह सिद्धान्त (25) मजदूरी का जीवन-स्तर सिद्धान्त (26) मजदूरी कोष सिद्धान्त (27) मजदूरी का अवशेष अधिकारी सिद्धान्त (28) मजदूरी का सीमान्त उत्पादकता का सिद्धान्त (29) मजदूरी का बट्टायुक्त सीमान्त उत्पादकता का सिद्धान्त (31) मजदूरी का आपुनिक सिद्धान्त अथवा मजदूरी का मौग व पूर्ति का सिद्धान्त (32) मजदूरी का सौदाकारी सिद्धान्त (33) थमिक शोषण की विचारधारा (36) आधुनिक विचारधारा (38) मजदूरी में अन्तर के बारग (39) मजदूरी में अन्तरों के प्रकार (41)

३ मजदूरी और उत्पादकता, ऊर्जी मजदूरी की नियन्त्रितायता, राष्ट्रिय धार्य वितरण में थम का भाग, प्रेरणात्मक मजदूरी भुगतान की पद्धतियाँ, भारत में मजदूरी भुगतान की पद्धतियाँ . . .

42

(Wage and Productivity Economy of High Wages, Labour Share in National Income, Distribution Methods of Incentive Wage Payment Systems of Wage Payment in India)

॥ अनुद्वमणिका

मजदूरी और उत्पादवता (42) थम को उत्पादवता को प्रभावित
करने वाले तत्त्व (44) थम उत्पादवता को आलोचना (46)
उत्पादवता सम्बन्धी विचारों के प्रबार (46) भारत में थम
उत्पादवता एवं उत्पादवता आन्दोलन (47) भारत में उत्पादवता
आन्दोलन (47) ऊँची मजदूरी की मितव्ययिता (50) मजदूरी
भुगतान वो रीतियाँ (52) समयानुसार मजदूरी (52) वार्षानुसार
पढ़ति (54) वार्षानुसार पढ़ति के कुछ ह्य (56) प्रेरणात्मक
मजदूरी भुगतान वो रीतियाँ (57) एक अच्छी प्रेरणात्मक मजदूरी
की विशेषताएँ (61) प्रेरणात्मक मजदूरी योजना की दुराइयों के
सम्बन्ध में सावधानियाँ (62) लाभांश-भागिता (63) लाभांश-
भागिता की वांछनीयता (63) लाभांश भागिता योजना की सीमाएँ
(64) भारत में लाभांश (बोनस) योजना इनिहास और टांचा (64)
युद्ध बोनस (65) मजदूरों का अधिकार (65) वस्त्रई उच्च
न्यायालय का फैसला (66) बोनस विवाद समिति (66)
विचारार्थ विषय (66) समिति के निष्पर्य (66) अहमदाबाद
की समस्या (67) स्वच्छता भुगतान (67) अभिक अधिकार
(67) 'अनजाने सागर' की यात्रा (68) अभिक अपीलीय ट्रिव्यूनल
फार्मूला (68) बोनस आयोग (70) 1969 में बोनस अधिनियम
में सशोधन (72) राष्ट्रीय थम आयोग को सिपारियों (73)
बोनस पुनरीसाए समिति का गठन (73) 1972-73 व 1973-
बोनस अध्यादेश 1975 का जारी होना (76) बोनस अन्तिम पंसता -
अगस्त 1977) 1980 से 1985 तक की स्थिति (77)
(अगस्त 1977) 1985 के अनुसार 1985-86 में मजदूरी नीति और
थम मन्त्रालय के अनुसार 1985-86 में मजदूरी नीति और
उत्पादवता (79) मजदूरी का प्रमाणीकरण (80)

4 डिटेन, अमेरिका और भारत में मजदूरी का राजकीय नियमन;
भारत में प्रौद्योगिक एवं कृषि मजदूरों को मजदूरी; भारत में
अभिकों का जीवन स्तर

(State Regulations of Wages in U. K., U. S. A. and
India; Wages of Industrial and Agricultural Workers
in India; Standard of Living of Workers in India)

मजदूरी का राजकीय नियमन (81) मजदूरी निर्धारण करने के
सिद्धान्तों की आवश्यकता (83) राजकीय हस्तक्षेप की रीतियाँ
(84) मजदूरी नियमन के मिर्दान (85) मजदूरी की विचार-

भारा (86) न्यूनतम उचित एव पर्याप्ति भजदूरी की विचार-
पाराएँ (87) न्यूनतम भजदूरी (87) 'न्यूनतम भजदूरी का भहस्य
(88) न्यूनतम भजदूरी के उद्देश्य (89) न्यूनतम भजदूरी के
क्रियान्वयन में बठिनाइया (90) पर्याप्ति भजदूरी (93) उचित
भजदूरी का नियर्दिश (95) बठिनाइया (95) भजदूरी का नियमन
(95) न्यूनतम भजदूरी अधिनियम (96) भारत में भजदूरी का
राजकीय नियमन (97) अमरीकी प्रवरार अधिनियम (98)
पासेकर न्यायाधिकरण (98) टेक्स मजदूरी (99) स्त्री तथा
पुरुष अभिनवों के लिए समान पारिश्रमिक (99) (क) न्यूनतम
भजदूरी अधिनियम 1948, अधिविषय का उद्गम (100)
अधिनियम की गृहिणी, उसको मुख्य व्यवस्थाएँ (102)
(क) अधिवरण के अतर्गत भजदूरी नियमन (105) (ए) येतन
मण्डलों के अतर्गत भजदूरी नियमन (105) येतन मण्डलों की
सीमाएँ (107) (घ) भजदूरी मुग्धतान अधिनियम 1936 (109)
आलोचना (110) अधिनियम में सक्षोपन (112) (इ) बाल
अभिव (नियेष व नियमन) वियेषक 1986 (112) समीक्षा
(114) कृषि उद्योग में न्यूनतम भजदूरी (115) नए बोस मुक्ती
कार्यक्रम के अतर्गत बार्यान्वयन (116) प्रामील अभिव की
रिप्रति (117) इपि अभिवा की प्रम मजदूरी का कारण (118)
कृषि अभिनवों के निम्न जोखन स्तर का कारण (120) इपि
अभिनवों की दशा गुप्तारने के निए गुफ्काय (120) सेतिहर मजदूरा
पर सरकारी कार्यनीति और बार्यान्वयन की एक समीक्षा (122)
बन्धुआ मजदूर मुक्ति की चुनीतियाँ (127) बारूद वा विवाह
(128) बन्धुआ मजदूरी क्या है? (129) सोन की बार्य प्रणाली
का अभाव (131) मुक्ति की बार्य विधि (132) जल्लरत है
नई दृष्टि की (132) समर्पण की भावना आवश्यक (133)
स्वतन्त्र लिए गए व्यतियों का पुनर्वानि (133) पुनर्वानि का
स्वहरण (134) बार्यान्वयन कारणार हा (134) अभियाँ (136)
साम्भ (139) बापुषा भजदूरों की संख्या (140) इक्केंड म गजदूरी
का नियमन (142) अमेरिका म भजदूरी का नियमन (143)
न्यूनतम भजदूरी, अधिकतम बार्य के पासे और अभिव (144)
भारत मे ओटोगिक अभिनवों की भजदूरी (147) भारत म भजदूरी
की संख्या (147) प्रतिहातिक सिहात्वोक्त (149)
भारतीय कारणानों म अभिनवों की भजदूरी (150) भजदूरी की
नवीनतम रिप्रति (1985-86) पर गामूहिक दृष्टि (151)
जीवन का अवधारणा (157) जीवन रक्त का अर्थ (157)

जीवन-स्तर के निर्धारक तत्व (158) जीवन-स्तर का माप (160) भारतीय श्रमिकोंका जीवन-स्तर (162) भारतीय श्रमिकोंमें निम्न जीवन स्तर के कारण (163) जीवन-स्तर ऊचार करने के उपाय (165)"

- 5 मजदूरी नीति, रोजगार एवं आर्थिक विकास (Wage Policy, Employment and Economic Development) मजदूरी नीति (168) भारतीय श्रमिक सम्बन्धी नीति के आधार-भूत तत्व (169) मजदूरी नीति के निर्माण में समस्याएँ (170) मजदूरी और आर्थिक विकास (172) विकासशील अर्थ-व्यवस्था में मजदूरी नीति (173) पचवर्षीय योजनाओं में मजदूरी नीति (175) समीक्षा (179) सातवीं योजना में हमारी श्रम नीति: वितनी सार्थक (187) मजदूरी नीति और राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट (1969) श्रम और मजदूरी नीति को प्रभावित करने वाले सम्मेलन तथा अन्य महत्वपूर्ण मामले (1985-86) (191) अन्तर्राष्ट्रीय बैठकें और सम्मेलन (192) राष्ट्रीय सम्मेलन (197) रोजगार (205) पूर्ण रोजगार की जरूरतें (206) देशरोजगारी के प्रकार (207) भारत में रोजगार की स्थिति का एक चिन्ह (209) रोजगार की अभिनव योजना (212) व्यावसायिक संस्थान की स्थापना की आवश्यकता क्यों? (213) व्यावसायिक संस्थान का प्रारूप (214) योजना पर अनुमति व्यवस्था (215) योजना से सम्बन्धित महत्वपूर्ण विन्दु (215)

- 5 इंटरें और संयुक्त राज्य अमेरिका में रोजगार-सेवा संगठन संगठन, कार्य एवं उपलब्धियाँ; भारत में अमिक भर्ती की पद्धतियाँ; भारत में रोजगार सेवा-संगठन (Organisation, Functions & Achievements of Employment-Service Organisation in the U. K. and U. S. A. in General; Methods of Labour Recruitment in India; Employment Service Organisation in India)

रोजगार पा नियोजन सेवा संगठन (217) रोजगार कार्यालयों के उद्देश्य (218) रोजगार दफ्तरों के कार्य (219) रोजगार दफ्तरों का महत्व (220) डगलैण्ड में रोजगार सेवा संगठन (221) अमेरिका में रोजगार सेवा संगठन (222) भारत में श्रम भर्ती के तरीके (223) मध्यस्थो द्वारा भर्ती (223) मध्यस्थो द्वारा भर्ती वे गुण-दोष (224) मध्यस्थो द्वारा भर्ती की वर्तमान स्थिति श्रीर भविष्य (225) (ग) ठेकेदारों द्वारा भर्ती (226) (ग) प्रत्यक्ष भर्ती (227) (घ) बदली प्रका (227) (इ) श्रम अधिकारियों

झारा भर्ती (227) थम सगठनों व रोजगार के दफतरों झारा भर्ती (228) विभिन्न कारबानों में भर्ती (228) भारत में रोजगार सेवा सगठन (230) रोजगार वार्षिकीयों की गिया राव समिति वा प्रतिवेदन (231) भारत में रोजगार व प्रशिक्षण महानिदेशालय वा सगठन (232) क्षेत्र धार्यालय दर्शति हुए सगठनात्मक गरवना का विवरण (233) राष्ट्रीय रोजगार सेवा की कार्य प्रणाली (235) रोजगार वार्षिक (रितियों की अनिवार्य प्रधिगूचना) प्रधिनियम 1959 (239) नेत्रीय रोजगार वार्षिक दिनी (240) फालतू छोटनी पोषित किए गए नेत्रीय शरवार के बमंचारियों की नियुक्ति बरना (241) रोजगार बाजार सूचना (241) रोजगार वार्षिक (रितियों की अनिवार्य प्रधिगूचना) प्रधिनियम 1959 (246) रोजगार वार्षिकयों का आलोचनात्मक पूल्यौद्धरण (247) गुमाव (247)

7 मानव शक्ति नियोजन. अवधारणा और तड़नीक, भारत में प्राकृति-शक्ति नियोजन

248

(Man-power Planning : Concepts and Techniques; Man-power Planning in India)

मानव शक्ति नियोजन (249) भारत में मानव शक्ति नियोजन (253) भारत में शिक्षण प्रशिक्षण (258) थम मन्त्रालय की धार्यिक रिपोर्ट 1985-86 वे प्रनुसार शमिकों की शिक्षा और उनके प्रशिक्षण की मुद्द प्रमुख योजनाएँ और कार्यव्रम (261) जितपकार प्रशिक्षण योजना (262) ग्रीष्मोगिक बमंचारिये के लिए अशवानिक वदारों (264) भूतपूर्व संनिवेदों का प्रशिक्षण (264) शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (265) अवधारण परीक्षा (267) स्नातक तथा स्नातकीयन शिक्षा (268) शिल्प भवनुदेशन प्रशिक्षण (269) उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण (270) इस्टेट्ड्यूगिस्ट एप्ट्र प्रोसेस इस्ट्रॉमेटेशन सम्बन्धी उच्च प्रशिक्षण कार्यव्रम (271) औरमैन प्रशिक्षण सहस्यान वगलोर और जमशेदपुर (272) व्यावसायिक प्रशिक्षण वे दोनों में प्रनुसारण, बमंचारी प्रशिक्षण और प्रशिक्षण यामप्री का विकास (273) राष्ट्रीय थम गरवान (274)

8 सामाजिक गुरुस्ता का संगठन और वित्तीयन; विदेश, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में सामाजिक गुरुस्ता का सामाजिक विवरण; भारत में सामाजिक गुरुस्ता की स्थिति (Organisation and Financing of Social Security in U. K., U. S. A. and U. S. S. R. General Position of Social Security in India)

277 ।

अनुव्र मणिका

सामाजिक सुरक्षा का अर्थ (277) सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य (279) सामाजिक सुरक्षा का क्षेत्र (279) सामाजिक सुरक्षा का उद्गम और विकास (280) इंग्लैण्ड में सामाजिक सुरक्षा (281) प्राचीन व्यवस्था (281) बैबरिज योजना से पूर्व सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था (283) बैबरिज योजना और इन्हीं व्यवस्थाएँ (285) योजना क्षेत्र (285) योजना के अतिरिक्त अवश्यान (286) योजना के लाभ (286) इंग्लैण्ड में नामाजिक सुरक्षा की वर्तमान स्थिति (288) अतिप्रथम नए सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी लाभ (290) अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा (290) इस में सामाजिक सुरक्षा (294) इस में सामाजिक दोनों की विशेषताएँ (295) भारत में सामाजिक सुरक्षा (297) भारत में सामाजिक सुरक्षा की वर्तमान अवस्था (298) (1) अमिक्स क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 (301) लान एवं व्यवस्था (302) दोप (303) (2) मातृत्व लाभ या प्रसूति अधिनियम 1961 (304) (3) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 और उसके अधीन बनाई गई योजना (305) (4) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार योग्यता अधिनियम 1952 और तदाधीन बनाई गई योजनाएँ (308) (5) कर्मचारी जमा सम्बद्ध (लिव्ड) बीमा योजना 1976 (313) (6) उपदान युगतान अधिनियम 1972 (314) सामाजिक सुरक्षा की एकीकृत योजना (315)

भारत में वर्तमान वारखाना अधिनियम

(Salient Features of Present Factory Legislation in India)

वारखाना अधिनियम 1881 (318) वारखाना अधिनियम 1891 (319) वारखाना अधिनियम 1911 (319) वारखाना अधिनियम 1922 (319) वारखाना अधिनियम 1934 (320) समोधित वारखाना अधिनियम 1946 (320) वारखाना अधिनियम 1948 (321) भारतीय वारखाना अधिनियम 1948 के दोप (324)

भारत में अधिकों का आवास; नियोजक व अम-संघों तथा सरकार द्वारा दी गई अम क्षमाण सुविधाएँ

(Housing of Labour in India; Labour Welfare Facilities Provided by Employers, Trade Unions and Government) भारत में अधिकों का आवास (326) खराद आवास व्यवस्था के दोप (328) आवास वित्तवा उत्तरदायित्व (329) गन्दी वर्मियों की व्यवस्था (320) भारत में अधिकों तथा अन्य वर्गों के

आवास पर भारत सरकार का विवरण 1985-86 (331)
 आवास आवश्यकताएँ (332) पचवर्षीय योजनाप्रो वे भ्रतगत
 आवास योजनाएँ (332) सामाजिक आवास योजनाएँ (333)
 आवास स्थल तथा निर्माण सहायता योजना (334) आवास वित्त
 (335) शहरी विकास (335) अम मन्त्रालय वार्षिक रिपोर्ट
 1985-86 का विवरण (336) आवास समस्या के हल के लिए
 निर्माण एजेंसियाँ और सरकारी योजनाएँ (337) निर्माण
 एजेंसियाँ (337) ओदिशिक आवास से सम्बन्धित विषयान
 (339) आवास योजनाओं की धीमी प्रगति के बारण (339)
 सहायता प्राप्त ओदिशिक आवास की सफलता हेतु उपाय (340)
 अम बल्याण वी परिभाषा और दोष (341) अम-बल्याण के
 मिदान्त (342) अम-बल्याण वार्ष वा वर्षविरण (344)
 अम-बल्याण वार्ष वे उद्देश्य (345) भारत म बल्याण वार्ष की
 आवश्यकता (345) भारत म बल्याण वार्ष (346) । बेंद्रीय
 सरकार द्वारा आयोजित बल्याण वार्ष (347) काम की शर्तों
 और बल्याण (348) वार्षिक रिपोर्ट 1985-86 का विवरण
 (350) चिकित्सा एव देखरेग (351) राज्य सरकारों द्वारा किए
 गए अम बल्याण वार्ष (355) नियोजको या मालिको द्वारा
 बल्याण वार्ष (356) अम संघों द्वारा बल्याण वार्ष (357)
 समाज-सेवी संस्थाओं द्वारा बल्याण वार्ष (358) नगरपालिकाओं
 द्वारा अम-बल्याण वार्ष (359) अम-बल्याण वार्ष वे विभिन्न
 पहलू (359)

Appendix :

1 अम मन्त्रालय का छाँचा घोर कार्य	363
2 अन्तर्राष्ट्रीय अम संगठन	“	366
3 वर्तमान अम कानूनों में सहोषन	370
4 Select Bibliography	372

अम-बाजार की विशेषताएँ, अम की माँग एवं पूर्ति

(Characteristics of Labour Market,
Labour Demand and Supply)

'अम' उत्पादन का एक सक्रिय (Active) और गहृतव्यपूर्ण साधन है। एक देश में विभिन्न प्रकार के प्रचुर प्राकृतिक साधन बेचार होते हैं यदि अम द्वारा उनका समुचित प्रयोग न किया जाए। वर्तनकास के शब्दों में, 'यदि भूमि अथवा पूँजी का उचित प्रयोग नहीं होता तो केवल इस साधनों के स्वामियों को योड़ी आप की हानि होगी, किन्तु यदि अम का उचित प्रयोग नहीं होता (अर्थात् वह वरामगार रहता है परंतु उससे व्यवधिक दार्य सेवन उत्पादन किया जाता है) तो इसमें न केवल पुरुषों और महिलों में हीनता तथा निर्धनता का प्रतार होता है वरन् सामाजिक जीवन के स्वरूप में ही गिरावट आती है।' अम के बहुते हुए महत्व ने ही 'अम अर्थशास्त्र' (Labour Economics) का विचार किया है और आज अर्थशास्त्र के एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में इसका माध्यमन किया जाता है। अम अर्थशास्त्र के महत्वगत अम सम्बन्धी समस्याएँ, सिद्धांत और भौतिकी विशिष्टित हैं। आखिर और सामाजिक प्रतियोगियों में अम के बागदान में वृद्धि बरता रिसी भी सरकार का मुख्य दायित्व है। उपमुख मात्रा में नियुक्त अम जल्द देश को विभिन्न दोषों में उत्तराति के शिखर पर पहुँचाने की कुंजी है। एक देश की सम्पदता बहुत कुछ इसी बात पर निर्भर है कि वहाँ के अम का किस तरह गृजनात्मक रूपों में परिकल्पना उपयोग किया जाता है।

प्राचीन समय में अम के सम्बन्ध में दो दृष्टिकोणों की प्रयोगता थी। प्रथम, वर्तनु ईटिकोण (Commodity Approach)—जिसके महत्वगत अम को वर्तनु की भौतिक संरीक्षा और वेता जा सकता है। अमिक को वर्तनु पारिथमिक देवर उनकी सहायता से प्रयोग करना अभीपरियों का उद्देश्य रहा। द्वितीय,

2 मजदूरी नीति एव सामाजिक सुरक्षा

उदारतावादी दृष्टिकोण (Philanthropic Welfare Approach) — जिसके अन्तर्गत श्रमिकों को एक नियन्त्रित वर्ग और आर्थिक दृष्टि से दुर्बल माना जाता है और इसीलिए उनकी भद्रता धनिक वर्ग अपना कर्तव्य समझता है। आज के युग में मानवीय सम्बन्ध दृष्टिकोण (Human Relation Approach) प्रधाराता पाता जा रहा है, परम्परागत विचारधारा (Traditional Approach) का महत्व समाप्त हो रहा है। भारत में पचवर्षीय योजनाओं में जो अम-नीति अपनाई गई है वह भ्रमानवीय सम्बन्ध दृष्टिकोण पर प्राधारित है। देश की पाँचवीं योजना में व्यूह-रचना इस प्रकार की गई है कि सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था में अम-जनित उत्पादकता बढ़ाने के निश्चित प्रयासों का निरन्तर बल मिले। “इस सम्बन्ध में योजना में अच्छे योजन, प्रयोग तथा स्वास्थ्य के स्तर, शिक्षा तथा प्रशिक्षण के उच्च स्तर, अनुग्रासन तथा नीतिक आचरण में सुधार और अधिक उत्पादनशील तकनीकी तथा प्रबन्धात्मक कार्यों की परिकल्पना बीमारी गई है।”¹

अम का अर्थ और महत्व (Meaning and Importance of Labour)

अम-वाजार और अम की मौग एव पूति के विवेचन पर आगे ने यह अम के अर्थ, महत्व और उसकी विशेषताओं पर दृष्टिपात रख लेना प्रारम्भिक होगा। अर्थशास्त्र में अम का अभिप्राय उत्तर शारीरिक और मानसिक प्रभाव से है जो आर्थिक उद्देश्य में किया जाए। कोई भी कार्य चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, जिसके बदले से मौद्रिक पारिश्रमिक मिले, अम कहलाता है। इस दृष्टि से मजदूर, प्रबन्धक, वकील, अध्यापक, डॉक्टर, नीकर आदि सभी के प्रयत्न अम के अन्तर्गत आ जाते हैं। मार्शल की परिभाषा के अनुसार “अम से हमारा अर्थ मनुष्य के उस मानसिक और शारीरिक प्रयत्न से है जो अशत या पूर्णतया, कार्य से प्रत्यक्ष प्राप्त होने वाले आनन्द के प्रतिरक्ति, विसी लाभ की दृष्टि से किया जाए।”² इस प्रकार अम के लिए दो बातों का होना आवश्यक है—(क) मानवीय अम में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के प्रयत्न सम्मिलित हैं, एव (ख) वे बल वे ही प्रयत्न सम्मिलित हैं जिनके उद्देश्य आर्थिक हैं।

अम का महत्व आज के युग में स्वयं स्पष्ट है। समाचार-पत्रों का उठा लीजिए, अम सम्बन्धी सूचनाओं की प्रमुखता पाई जाती है। अम के बढ़ते हुए महत्व पर ग्रो गैलवरेथ ने कहा था—“आजकल हमें अपने आर्थिक विकास का अधिकांश, अधिक दूरी विनियोग से नहीं बल्कि मानवीय प्रसाधन में उन्नति करन से उपलब्ध

1 पाँचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण (1974-79), भारत सरकार योजना आयान (जनवरी, 1973), पृष्ठ 54

2 Galbraith 'Productivity' Spring Number 1968, p. 510

3 Marshall . Principles of Economics, p. 54

होता है। इस प्रयापन मे हमें विनियोग की स्थिति कही गयी है।¹¹³ पर्याप्त और सुगम थम का गाध्यम से गाध्यनो का ग्रधिकातम उपयोग करके धर्थ-ध्यवस्था को सम्पन्न और सफल बायाया जा सकता है। अगरों की सहायता गे देश की विभिन्न योजनाएँ पूरी की जाती हैं। थम के आधिक महत्त्व को इन विद्युतों मे रखा जा सकता है।—

1. ग्रधिक उत्पादन की मौग (Demand for Increased Production)—
आधुनिक युग मे उत्पादन मे तेजी से वृद्धि करने की मौग जोर पड़ रही है। श्रीयोगिक विरास हेतु उत्पादन मे वृद्धि होना आवश्यक है। श्रीयोगिक उत्पादकता को प्रभावित करने याने तर्फ से थम की वायंतुशनता का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत मे राष्ट्रीय उत्पादन मे वृद्धि श्रान्दोन याने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् (National Productivity Council) की भी स्थापना की गई है।

2. तीव्र श्रीयोगीकरण (Rapid Industrialisation)—वर्तमान युग श्रीयोगीकरण का युग है। विश्व मे तीव्र श्रीयोगीकरण की होड यी सर्व गई है। यूनि-प्रधान देशों, जैसे—चीन, भारत, पाकिस्तान आदि ने भी धमनी-धपनी धर्थ-ध्यवस्थाओं का तीव्र श्रीयोगीकरण करने की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन का मार्ग धपनाया है। तीव्र श्रीयोगीकरण द्वारा देशवानियों के जीवन-गतर की उप्रत यनाया जा सकता है। उत्पादन के गाध्यनो मे थम और पूर्जी महत्वपूर्ण है, लेकिन थम राबो महत्वपूर्ण उत्पादन का गाधन है। इसके सत्रिय सहयोग के बिंदु उत्पादन की बोई भी त्रिया गुचाए रूप से नहीं चलाई जा सकती।

3. प्रायुनिकीकरण (Modernisation)—वर्तमान युग मे गतान्नाट प्रतिस्पर्द्ध (Cut-throat Competition) का बोलगाया है। इस प्रतिस्पर्द्ध मे यहीं देश सप्त हो सकता है जिसके तीव्र श्रीयोगीकरण के गाध-साध उत्पादन के गाध्यनो का प्रायुनिकतम उत्पादन, विधियों के गाध उपयोग किया है। प्रायुनिकतम उत्पादन के तरीकों से यस्तु वा उत्पादन यहे प्रमाने पर निम्न जागत पर रिया जा सकता है और वस्तु की रिस्त भी सच्छी होती है। इसके लिए थम विभाजन, विगतीकरण, नवीनीकरण, विकासीकरण और प्रमारीकरण का सहारा सेना नितान्त मार्गशया है। विधिकीकरण का प्रायुनिकीकरण से थम प्रभावित होता है। परिणामस्वरूप थम गमित जागस्त हो गया है।

4. प्रबन्ध मे धमिहों की भाषोदारी (Participation of Labour In Management)—प्राचीन रामय मे श्रीयोगिक लाभ तपा उत्पाद-पर्यों के प्रबन्ध का गाध दूजीपनियों के प्रबन्धकों के हाथ मे था। उम रामय 'झेंट्रे रू नियम' (Rule of Thumb) का बोलदाता था। वर्तमान रामय मे इन विचारपारा मे परिवर्तन किया गया है। अब श्रीयोगिक प्रजातन्त्र (Industrial Democracy) का विचार श्रीयोगिक देश मे प्रमाने लगा है। इसके अन्तर्गत थम को बेरप थार

4 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा

उत्पादन का एक साधन ही नहीं समझा जाता वहिं उसको श्रीदोगिक प्रजातन्त्र के अन्तर्गत प्रबन्ध के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भागीदार समझा जाने लगा है। भारत सरकार ने भी अपनी थम नीति में एक नया यथाय थमिको को श्रीदोगिक क्षेत्र में प्रबन्धको के साथ भागीदारी देकर जोड़ दिया है। थमिको को 'प्रबन्ध में भागीदारी' न केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में ही दी है बल्कि निजी क्षेत्र के उद्योगों में भी यह भूमिका प्रदान की गई है।

5. श्रीदोगिक शान्ति की आवश्यकता (Need for Industrial Peace) — तीव्र श्रीदोगिकरण के माध्यम से देश का तीव्र आर्थिक विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में श्रीदोगिक वातावरण कैसा है। श्रीदोगिक उत्पादन में वृद्धि उत्पादन के साधनों के सक्रिय सहयोग पर निर्भर है। उत्पादन में साधनों में श्रम और पूँजी महत्वपूर्ण भूमिका ग्रदा करते हैं। इन दोनों साधनों में यदि सक्रिय सहयोग नहीं होगा तो उत्पादन में वाधा पड़ेगी। मालिक और मजदूरों में अच्छे सम्बन्ध न होने पर आए दिन हड्डताले तालाबन्दी, घेराव, धीमी गति से कार्य करना आदि श्रीदोगिक उत्पादन में वाधाएँ डालते हैं। इस प्राप्ती मन्मेद को दूर कर, स्वच्छ एवं मधुर श्रीदोगिक सम्बन्ध स्थापित करने सम्बन्धी चुनौती वा सामना प्रत्येक राष्ट्रीय सरकार के सामने है।

6. थम कानूनों की बाढ़ (Plethora of Labour Laws) — थमिको के कार्य वी दशाओं एवं उनके जीवन-स्तर को उपलब्ध करने की ओर धूर्णीष्टीय थम संगठन (International Labour Organisation) एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। प्रत्येक देश में इस संगठन द्वारा निर्धारित प्रस्तावों को लागू न करने के लिए सरकार को थम कानूनों में सशोधन करने तथा नए कानून बनाने पड़ते हैं। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी कुछ वयों में सशोधन हुए हैं ताकि थमिक व उसके आयितों को भविष्य की ग्रनिश्चितता का सामना न करना पડे।

7. थमिकों की राजनीति में इच्छा (Interest of Labour in Politics) — किसी भी देश में थमिकों का बहुल्य होना स्वाभाविक है। वे अपने भाताधिकार द्वारा देश वी राजनीति को प्रभावित करते हैं। इसलिए वे थमिकों वी सरकार बनी है। हमारे देश में भी थमिक लेता विभिन्न दलों की ओर से चुनाव जीत कर सहद तथा विधान-सभाओं में थमिकों का हित देखते हैं।

थम की विशेषताएँ (Characteristics of Labour)

थम उत्पादन का एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक साधन है। यह अन्य साधनों की तुलना में भिन्न है। इसकी अपनी कुछ विशेषताएँ होती हैं, जो कि अन्य साधनों में नहीं पाई जाती हैं। इन विशेषताओं के कारण ही थम सम्बन्धी विभिन्न समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। थम की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. थम उत्पादन का सक्रिय साधन (Active Factor) — उत्पादन के अन्य साधन जैसे भूमि व पूँजी निपत्रिय (Passive) साधन हैं। वे अपने आप उत्पादन

नहीं कर सकत, लेकिन यम बिना अन्य साधनों की सहायता से भी उत्पादन कर सकता है।

2 धम को अधिक से पृथक् नहीं किया जा सकता (Labour Is inseparable from the Labourer)—उत्पादन के प्रमुख साधनों का उनक स्वामियों से पृथक् किया जा सकता है जैसे शूलि का शूलि गामी तथा पूँजी का पूँजीपति से पृथक् किया जा सकता है लेकिन धम को अधिक से पृथक् नहीं किया जा सकता। यदि एक अधिक आना धम बेचना पाहता है तो उम स्वयं को आजार कार्य करना पड़ेगा।

3. अमिक धम बेचता है लेकिन इव्य का मालिक नहोता है (Labourer sells his labour but he himself is his master)—अमिक आज धम करता है। वह प्रपन को नहीं बेचता तथा जो भी गुण य कृदाता उम हात है, उक्त वह मालिक होता है। धम पर किया गया विनियोग (विनियोग य इत्या) इस हिट से महस्त्वपूर्ण होता है।

4. धम गाँधान है (Labour Is perishable)—धम की एक ऐसा गाँधन है जिसका गमय नहीं किया जा सकता। यदि एक अमिक एक दिन कार्य नहीं करता है तो उमका उम दिन का धम गई है तिथा जाता है। उक्ती कारण अमिक धमना धम बेचते हैं तिथा तेपार रहता है।

5. अमिक की सौदाकारी गति दुर्बा (Labour has got weak bargaining power)—अमिक धमना धम बेचता है तथा धम के बेता पूँजीपति हात है। मालिकों की तुलना में अमिकों की सौदा करने की क्षमता कमज़ोर होती है क्योंकि धम की प्रकृति नाशकात है, वह ग्रतीका नहीं कर सकता। वह प्राविष्ट हिट से दुर्बन होता है, वह अमाती, घटियित य अनुभवहीन होता है। धम गाँधन दुर्बन होते हैं, वेरोजगारी पाई जाती है। इसी बातों के कारण अमिकों का निम्न मज़बूती देहर पूँजीपति उक्ता शोषण करते हैं।

6. धम की पूति में तुरात वसी बरता सम्भव नहीं (Supply of labour cannot be curtailed immediately)—मज़बूती में हितनी ही कमी बर्ती न करती जात धम की पूति तुरात पटायी नहीं जा सकती। धम की पूति में तीन बाग म पसी की जा सकती है—जनसंख्या को धम करना, कार्यशक्ति में पसी करना तथा अमिकों को एक व्यवसाय से छोगरे व्यवसाय म व्यापारित बनापरनु इसम लगव लगता।

7. धम पूँजी से कम उत्पादक (Labour is less productive than capital)—धम की समिक्षा उत्पादक हातु पूँजी का महात्या सेवा पड़ता है। पूँजी की तुलना में धम कम उत्पादक होता है। मज़बूत से समिक्षा उत्पादक सम्भव होता है।

8. धम पूँजी से कम गतिशील (Labour is less mobile than capital)—धम मात्रीय गाँधन होने के कारण कम गतिशील होता है। यह बालाकरण, वंगत, आदत, रघि, पर्स, जाता पाति तर्फों से प्रभावित होता है जबकि पूँजी नहीं।

6 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा

9 थम उत्पादन का साधन ही नहीं बल्कि साध्य भी (Labour is not only a factor of production but is also an end of production)—थम न केवल उत्पादन म एक साधन के रूप म योग देना है बल्कि यह अन्तिम उत्पादित वस्तुओं का उपभोग भी बरता है तथा उत्पादन सम्बन्धी समस्याओं का भी इससे घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। थम की निर्धनता, आवास समस्या, बेकारी की समस्या आदि भी उसे प्रभावित बरती हैं।

10 थम मानवीय साधन (Labour is human factor)—थम एक सजीव उत्पादन का साधन होने के कारण यह न केवल आर्थिक पहलू से प्रभावित होता है बल्कि नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए थम समस्याओं के अध्ययन मे इन सभी का समुचित समावेश करना हागा।

11 थम मे पूँजी का विनियोग (Capital investment in labour)—आन्य उत्पादन के साधनों के समान थम की कार्यक्षमता मे वृद्धि करनी पड़ती है। थम की कार्यक्षमता ही उसक जीवन स्तर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। परम्परागत नियोजक (Traditional Employers) थम की कार्यक्षमता मे वृद्धि पर किए गए व्यय को अपव्यय (Wastage) समझते हैं, लेकिन आधुनिक नियोजक (Modern Employers) थम की कार्यक्षमता मे वृद्धि करने के लिए कई बल्याणकारी कार्य (Welfare activities) और शिक्षा तथा प्रशिक्षण पर व्यय करते हैं। इससे थमिकों की कार्यक्षमता मे वृद्धि होती है और परिणामस्वरूप न केवल थमिकों को ही लाभ होता है बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन मे वृद्धि होती है तथा नियोजकों (Employers) को लाभ प्राप्त होता है। इस तरह के व्यय को 'मानवीय पूँजी' (Human Capital) अवास मानवीय साधनों पर विनियोग (Investment on Human Factors) कहा जाता है। इसके अन्तर्गत कार्य की दशाओं म सुधार, आवास व्यवस्था मे सुधार शिक्षा एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं मे वृद्धि आदि सम्मिलित हैं। यही कारण है कि भारत सरकार ने भी थमिकों की शिक्षा हेतु एक केन्द्रीय बोर्ड (Central Board for Workers' Education) की स्थापना 1958 मे की थी।

निष्पर्यंत., थम के साथ एक वस्तु के समान व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि वस्तु की विशेषताएँ थम की विशेषताओं से मिलन होती हैं। यही कारण है कि वर्तमान समय मे कल्याणकारी तथ्य (Welfare State) की स्थापना मे थम के सम्बन्ध मे परम्परागत विचाराधारा (Traditional Approach) जो कि वस्तुगत इटिकोल (Commodity Approach) बहलाता था उसका महत्व प्रब समाप्त हा गया है। इसके साथ ही आधुनिकनम इटिकोल, जिसे कि मानवीय सम्बन्ध इटिकोल (Human Relation Approach) कहा जाता है, का मार्ग धीरे धीरे प्रशस्त हो रहा है। भारत मे विभिन्न पञ्चवर्षीय योजनाओं म थम नीति मे नए-नए अध्याय जोड़कर इसी विचारधारा की पुष्टि की जा रही है।

थम का वर्गीकरण (Classification of Labour)

थम के मुख्य प्रकार निम्नलिखित बनाए जाते हैं—

(1) उत्पादक तथा अनुपादक थम—उम सम्बन्ध मध्यसामिकीयों में मनमेद रहा है। विणारावा अव्यासित्या का मत या कि वही थम उत्पादक है जो नियन्त्रिक वस्तुप्रा का उत्पादन करता है। निर्वाचारादी अव्यासित्या न प्राप्तिक उत्पाद (उपि) में लग थम का ही उत्पादक माना है। बाद में प्रतिष्ठित अव्यासित्यों ने भौतिक वस्तुप्रा (मज़ वर्तन, मज़ीन आदि) के उत्पादन में उग थम को उत्पादक बताया तथा अभीनिक वस्तुप्रा (डाक्टर, बच्चीन आदि की सेवा) में लगे थम को अनुपादक माना। मार्गेन न उत्पादक थम का और प्रधिक विस्तृत दृष्टिकोण लिया और यह मन रहा। इसी प्रकार उपरोक्तिवा का गृहन बतता है और अपनी उद्देश्य-गति में सफल होता है उम 'उत्पादक थम बढ़ना चाहिए, इसकी विपरीत दशाओं में थम को अनुपादक बतना चाहिए।

प्राप्तिक अव्यासित्यों न, मार्गेन की मान्यता, उत्पादक थम का प्रयोग प्रधिक विस्तृत दृष्टिकोण से ही किया है। प्राप्तिक मन के अनुसार वह कोई भी प्रयत्न जो उपरोक्तिवा का मृजन करे उत्पादक थम है और जो उपरोक्तिवा का मृजन न करे वह अनुउत्पादक थम है। यही उपरोक्तिवा का प्रावधान है 'आवश्यक वस्तुप्राप्ति की गति' (Want satisfying power)। प्रो॰ टॉमस न 'उपरोक्तिवा मृजन' के स्थान पर 'मूल्य गृहन' (Production of Value) का प्रयोग प्रधिक उपयोग माना है। उनका मत है कि प्रत्येक वस्तुप्रा में उपरोक्तिवा ता बहुत प्रधिक हो सकती है पर मूल्य का अभाव हो सकता है, पर उत सभी थमों को जो मूल्य-गृहन करें (न इस उपरोक्तिवा मृजन करें), उत्पादक थम कहा जाता चाहिए। कभी-कभी थम उत्पादक और अनुउत्पादक नहीं होता। उदाहरण के लिए यदि एक चोर चोरी करता है तो वह अपने उद्देश्य में तो सफल हो जाता है पर इस थम को उत्पादक नहीं कहा जाएगा क्योंकि यह काम समाज विरोधी है। प्रो॰ टाजिय ने ऐसे थम को समाज-विरोधी थम की मता दी है।

(2) कुशल एवं अकुशल थम—प्राप्तिक एवं पारीकृत थम की पूरा करने में यदि किशा, प्रनिधान, निपुणता प्राप्ति की पावर्यता है तो यह कुशल थम है, जैसे अप्पापर, डॉक्टर, मज़ीन लाइन आदि का थम। दूसरी ओर प्रकुशल थम वह है किसे करने के लिए किसी इच्छा प्रतिक्षण, ज्ञान घयवा नियुक्ति की पावर्यता नहीं होती, जैसे घोलू, नोबरी, तुनी, चपरासी प्राप्ति का थम। अकुशल थम की लागत कम होने के कारण ही उसकी मज़हूरी इस होती है।

(3) मानसिक तथा सारीकृत थम—जिस थम में शरीर की अपेक्षा मस्तिष्क प्रयवा कुटि की प्रयानता हो उसे मानसिक थम कहा जाएगा जैसे बड़ीन, डॉक्टर, जज आदि का थम। दूसरी ओर यिस थम में मस्तिष्क प्रयवा कुटि की अपेक्षा शरीर का प्रधिक प्रयोग होता हो उसे सारीकृत थम कहा जाएगा, जैसे उच्चोग में काम करने वाले मज़हूर, कुनी, घोलू, नोबर आदि का थम। यह बात

८ मजदूरी नीति एव सामाजिक सुरक्षा

ध्यान रखने को है कि बोई भी थम पूरी तरह मानसिक अथवा ज्ञानीरिक नहीं हो सकता। प्रत्येक थम म दातो ही प्रकार के थम का प्रयोग होता है—प्रन्तर के बन मात्रा अथवा थेणी का है अर्थात् बोई थम बुद्धि प्रधान हो सकता है तो कोई शरीर-प्रधान।

थम की कार्यक्षमता और उसको प्रभावित करने वाले तत्त्व (Efficiency of Labour and Factors Influencing It)

थम की कार्यक्षमता का प्रभिग्राम है थमिक उत्पादन शक्ति अथवा थम की उत्पादन शक्ति अथवा थम की उत्तमता तथा उत्पादकता। एक थमिक, दो गई परिस्थितियों और समय के अन्तर्गत, यदि दूसरे थमिक की अपेक्षा अधिक अच्छी किसी की वस्तु का अधिक उत्पादन करता है तो उस थमिक को दूसरे की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल कहा जाएगा।

थम की कार्यक्षमता को प्राय मुद्रा मे मापा जाता है जिसमे उत्पादन की मात्रा और विधि की तुलना थम लागत के साथ करनी होती है। विभिन्न उद्योगों के थमिकों की कार्यक्षमता को औसत और सीमान्त उत्पादकता द्वारा मापा जा सकता है। यदि एक उद्योग का औसत उत्पादन 20 इकाई है और दूसरे उद्योग का औसत उत्पादन केवल 10 इकाई है और इकाइयों का मूल्य समान है तो दूसरे उद्योग का अधिक कार्यक्षमता या कुशल कहे जाएं। इसी तरह एक उद्योग म थम की कार्यकुशलता को लागत के आधार पर मापा जाता है। उदाहरण के लिए यदि उत्पादन के सभी साधनों को पारिस्थिमिक दने के उपरान्त मजदूरी के दरावर ही बचत है तो थम की अकुशल माना जाता है पर यदि मजदूरी देने के बाद भी कुछ शेष रहता है तो थम को कार्यकुशल कहा जाता है।

थम को कार्यक्षमता को प्रभावित करने वाले तत्त्व

थमिकों की कार्यक्षमता अनेक तत्त्व से प्रभावित होती है जिन्ह पौँच मुख्य शीर्षकों के अन्तर्गत विभाजित किया जा सकता है—

(1) थमिकों के व्यक्तिगत गुण, (2) देश की परिस्थितियाँ, (3) कार्य बरने की दशाएँ, (4) प्रबन्ध की योग्यता एव (5) विविध कार्य।

(1) थमिकों के व्यक्तिगत गुण—व्यक्तिगत गुण किसी भी थमिक की कार्यक्षमता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। प्रमुख गुण इस प्रकार हैं—

(1) पैतृक एव जातीय गुण—पैतृक गुणों से थमिक की कार्यक्षमता पर प्रभाव पड़ता है। सामान्यत अच्छे कृपक का पुत्र अच्छा कृपक होता है। इसी तरह स्वस्थ, योग्य और शिक्षित माना पिता की सन्नात मी प्राय स्वस्थ, योग्य और शिक्षित होती है। पुत्रश्व, व्यक्ति जन्म से ही प्राय जातीय गुणों को ग्रहण कर लता है। वैश्य जाति के लोग प्राय व्यापार मे दक्ष हान हैं तो लविय जाति के व्यक्ति अच्छे सेनिक सिद्ध होत हैं। हमारे देश मे बहुमुख्यक थमिकों के माता पिता स्वस्थ और शिक्षित नहीं हैं और भारतीय थमिकों की मकुशलता का यह एक बड़ा कारण है।

(ii) स्वाधेय एवं जीवन स्तर-यहि धर्मिक स्वस्य और उसका जीवन स्तर ऊंचा है तो स्वाभाविक है कि उसकी बायकमता विरक्षित होगी। भारतीय धर्मिकों काय इमता उस होने के मूल में एक बाल कारण यही है कि उह कम वेतन मिलता है अतः उन्होंने वौटिक भोजन और स्वच्छ निवास स्थान का ही उपभोग कर पाने हैं और न ही अपनी कायकमता के विकास के लिए समुचित प्रशिक्षण प्राप्त का ही नाशित रखते हैं।

(iii) शिक्षा एवं प्रशिक्षण लिखित और प्रशिक्षित व्यक्ति प्राप्ति की भी काय का शीघ्रतापूर्वक समझ जाते हैं तथा अपने वृद्धि और नियुक्ति का प्रयोग करके उस काय का उसम डग से भी सम्पन्न रखते हैं। शिक्षा प्राप्ति रूप से और प्रशिक्षण प्रत्यक्ष रूप से धर्मिक की कायकमता को बढ़ाने में सहायता है।

(iv) नतिक गुण—नतिकता किसी भी सामन का अनुकूल रूप में प्रभावित वरता की क्षमता रखती है। सञ्चाल ईमानदार और आगे विश्वासपूर्ण धर्मिक अपने काय का लिना हिचकिचाहट से तथा कुशलतापूर्वक सम्पन्न करना का क्षमता रखता है विनियोग उसके जो कामधोर और प्राप्ति विश्वास की कमी से बीड़ित हो।

(2) देश की परिस्थितियाँ—यदि देश की प्राहृतिक राजनीतिक सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं तो थम दी कायकमता भी वृद्धि होती है। ये परिस्थितियाँ धर्मिकों की कायकमता को निभानुसार प्रभावित करती हैं—

(i) गम जलवायु—गम जलवायु बाने देशों के धर्मिक प्राप्ति गुण, यानि भी और ग्रमजार होते हैं। सम शीतोष्ण जलवायु में रहने वाले धर्मिक प्राप्ति स्वस्य और बनवान होते हैं। ऐसा जलवायु शक्तिवदक होता है जिसका कायकमता धर्मिक है। ठाढ़ देश के योग शरीर के प्रदूर्ति बनाए रखने के लिए धर्मिक काय वरन् को प्रतिक होते हैं और उनकी धर्मिक प्राप्तियाँ भी धर्मिक थम की माँग बरती हैं। गम देशों के काय स्वाता वा बानानिक साधों से तापमात्र धर्मिकों के अनुकूल बनाए रखा जा सकता है।

(ii) सामाजिक एवं धार्मिक वातावरण—सामाजिक रीति रिवाज धार्मिक प्रदृष्टियाँ धार्दि देश के नानिकों की कायकमता को प्रभावित करती हैं। काय का चुनाव पर प्राप्ति भी काय की दृष्टि पर नियन्त्रण धार्दि का कायकमता पर विनियोग प्रभाव पर संरक्षता है। उदाहरण के लिए भारत में जाति प्रथा और धार्मिक सभीणता धर्मिकों की गतिशीलता में वापर है और उन्हें मध्यादर्शार्थिता की प्रवृत्ति जगावर उनकी कायकमता तथा प्रगति की धारणाओं पर विपरीत प्रभाव दाती है।

(iii) राजनीतिक परिस्थितियाँ—जिस देश में जानि और गुणवत्त्वा का वानावरण होता है वही धर्मिक अपने इतन्हीं का दीर्घ डग से पानने कर पान है और उहे कायकमता विवरित करने के पर्याप्त प्रक्षसर मिलते हैं। दूसरी प्राप्ति

10 मजदूरी नीति एव सामाजिक सुरक्षा

प्रशान्ति, योजना आदि के बातावरण म थमिका की कार्यक्षमता का हास होता है।

(3) कार्य करने की दशाएँ—कार्य करने की दशाएँ थमिकों की कार्यक्षमता को अनुकूल या प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती हैं—

(i) रुचि के अनुकूल कार्य—थमिक को ग्रामी इच्छा और रुचि के अनुकूल कार्य मिलता रह तो उसकी कार्यक्षमता विकसित होती है। अखिलगंग कार्यों से थमिकों की कार्यक्षमता बा हास होता है।

(ii) उचित पारिश्रमिक—थमिक के अनुकूल उचित पारिश्रमिक मिलन पर थमिकों में कार्य के प्रति लगते और उत्साह बना रहता है। आय अधिक होने से मुख्य सुविधाओं के कारण उनके स्वास्थ्य पर उचित प्रभाव पड़ता है जिससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है। योजना, सामाजिक सुरक्षा मामाजिक वीमा आदि की दशाएँ थमिकों को अधिक कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करती हैं।

(iii) कार्य स्थान—थमिक जिस स्थान पर कार्य करता है यदि वही का बातावरण गम्भीर और प्रस्वास्थपकर है तो निश्चिन रूप से उसकी कार्यक्षमता नहीं होगी। पर यदि स्थान स्वच्छ है हवादार और स्वास्थपकर है तो थमिका की कार्यक्षमता बढ़ेगी। वे प्रसन्नचित होकर काम करेंगे जिसने दायादत भी अधिक होगा।

(iv) अच्छी मशीनों, अच्छे औजारों आदि की प्राप्ति—यदि थमिकों ने पास काम करने के लिए अच्छी मशीनें, अच्छे औजार आदि उपलब्ध होंग उनकी कार्यक्षमता उन मजदूरों की कार्यक्षमता से अधिक होगी जिनके पाउ काम करने के लिए पुरानी मशीनें हैं और जिनके औजार अच्छे नहीं हैं। अधिकांश भारतीय कारखानों का अध्युनिकीकरण न होन से और कार्य करने की समुचित सुविधाओं का अभाव होने से थमिकों की कार्यक्षमता नीची है।

(v) कार्य की अवधि—थमिकों को यदि उचित नमय से अधिक कार्य करना पड़े और विश्राम तथा अवकाश की नियमितता न हो तो उनकी कार्यक्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

(vi) भावी उन्नति की दशा—थमिकों के लिए भावी उन्नति की आवश्यक प्रेरक शक्ति होनी है। यदि कार्य करते रहने पर भी भविष्य में उन्नति की आवश्यकता न हो तो थमिक की कार्य के प्रति उनमें खुलासा या उदासीनता के भाव जाग्रत नहीं होंगे। कार्य करने की इच्छा बनाए रखने के लिए यह भी उचित है कि थमिकों को समुचित स्वतन्त्रता दी जाए।

(vii) कार्य परिवर्तन एव स्वतन्त्रता—यदि थमिकों के कार्य म घोटा बहुत परिवर्तन किया जाता रहे तो कार्य के प्रति उनमें खुलासा या उदासीनता के भाव जाग्रत नहीं होंगे। कार्य करने की इच्छा बनाए रखने के लिए यह भी उचित है कि थमिकों को समुचित स्वतन्त्रता दी जाए।

(4) प्रबन्ध की योग्यता—थमिकों की कार्य-कुशलता समर्थनकर्ता अपना प्रबन्धकर्ता की योग्यता पर भी नियंत्र करती है। यदि प्रबन्धक योग्य और अनुभवी

श्रम-वाजार की विशेषताएँ, श्रम की मांग एवं पूति 11

हैं तो वह थमिकों के बीच उनकी शक्ति प्रीत योग्यता के प्रत्युत्तर वायं वा वितरण वरेगा। एट निपुण प्रबन्धकर्ता उत्पादन के भव्य साधना वे साय श्रम को अनुदूनतम् अनुप्राप्ति मे निनाने दी चेष्टा वरमा और थमिकों को उचित मुखियाँ देने की व्यवस्था करेगा। इन सर वाता वे फतहस्वरूप थमिकों की वायं-प्रृगलता विकसित होगी। यदि प्रबन्धक अपोग्य प्रीत मकुण्ड है तब न तो वह थमिकों का उचित समठन प्रीत समन्वय ही वर पाएगा प्रीत न ही ऐसी दशाएँ उत्पन्न वर संषगा जो थमिकों की वायंसमता को बढ़ाती हैं।

(5) विविध कारण—बुद्ध और भी तत्व हैं जो थमिकों की वायंसमता को प्रभावित करते हैं। ये निम्न हैं—

(I) थमिक सघो का प्रभाव—विषटनरारी थमिक सघ थमिकों की वायंसमता का ठास बढ़ेगे जबकि व्यवस्थित प्रीत शक्तिशाली थमिक सघ थमिकों की सौदेशजी की शक्ति को बढ़ा सकेंगे उनके लिए स्वस्य वायं दशाएँ उत्पन्न करा सकेंगे, प्रीत इस प्रबार थमिकों की वायंसमता पा। विकसित वरन मे सहायता होग।

(II) थमिकों तथा मालिकों मे सम्बन्ध—यदि थमिकों और मालिकों के बीच सहयोगपूर्ण सम्बन्ध हैं तो थमिकों की वायंसमता घण्टिक होगी और उत्पादा पञ्चांग और घण्टिक हो सकेगा। इसके विपरीत इन दोनों वे सम्बन्ध तनावपूर्ण हैं तो हड़तालों घसहयोग आदि के द्वार खसेंगे जिससे वे बेवत उत्पादन घटेगा वल्ल थमिकों की वायंसमता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

(III) सरकारी नोति—सरकार उपयोगी श्रम संधिनियम पारित वर थमिकों की वायंसमता न बृद्धि वर गती है। सामाजिक सुरक्षा वादाम के विनाश, थमिकों को शोषण से मुक्त करने सम्भवी बानूनों के त्रिमाला आदि द्वारा सरकार थमिकों की वायंप्रृश्नता भ उत्तेजनीय बृद्धि ला गती है। पर यदि निपियप है तो थमिकों के शोषण इस जान न द्वार संदेह द्युले रहेंगे।

(IV) थमिकों का प्रवासी होना—यदि थमिक दिनी व्यवसाय मे जमवर वायं वरन की प्रवेशा लुप्तत लोट है प्रीत जहाँ ही जल्दी व्यवसाय तथा स्थान परिवर्तन वरन है तो वह हिती भी भास म निपुण नहीं हो सकेंगे।

(V) भारत मे थमिकों की कायंसमता—भारत मे थमिकों की वायंसमता विकसित राष्ट्रों के थमिकों की वायंप्रृश्नता वी तु नाम बहुत बम है। सम्भिकों प्रीतों से पता चरता है यि सोट इसपात उदाग म घरेतिकी थमिकों की वायंसमता भव्य देशो के थमिकों से लगभग 10 गुनी घण्टिक है। वहुत बृद्धि इसी प्रवास की स्थिति अनेक दूसरे उदागों म है। भारतीय थमिकों म अगिला, प्रगिलाए की वर्दी स्वस्य वायं दशापो की वर्दी, कम वेतन आदि विभिन्न वारलों मे निराशा वा वायावरण प्रवन है। उनकी वायंसमता म बृद्धि के लिए राजनीतिक और आपिक परिवर्तिया, वायों की दशापो, गणठन की योग्यता आदि विभिन्न तरयों मे प्रभावी परिवर्तन वरने होंगे।

12 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा

थ्रम की माँग एवं पूर्ति

(Demand and Supply of Labour)

थ्रम की माँग (Demand of Labour)

थ्रम की माँग किसी वस्तु या सेवा के उत्पादकों द्वारा की जाती है वयोंकि थ्रम की सहायता से उत्पादन-कार्य सम्भव होता है। दूसरे शब्दों में थ्रम की माँग उनकी उपयोगिता के कारण नहीं की जाती है बल्कि थ्रम की उत्पादकता पर ही उसकी माँग निर्भर करती है अधिक थ्रम की माँग एक व्युत्पन्न माँग (Derived Demand) है। जिस वानुका उत्पादन थ्रम की सहायता से किया जाता है उन वस्तु की माँग पर थ्रम की माँग निर्भर करती है। यदि वस्तु की माँग अधिक है तो थ्रम की माँग भी अधिक होगी अन्यथा नहीं। (एक फर्म थ्रम की उन सभी तक माँग करती रहती है जब तक कि थ्रम को दी जान वाली मजदूरी उसकी सीमान्त आगम उत्पादकता (Marginal Revenue Productivity) से कम रहती है। एक दी हर्दि मजदूरी दर पर विभिन्न उत्पादकों द्वारा जितनी सामान्य थ्रम की माँग की जाती है उसके योग को थ्रम की कुल माँग (Total Demand for Labour) रहती है।) दूसरे शब्दों में, एक उदाहरण की विभिन्न फर्मों के माँग वक्रों को मिलाकर मध्यम उदाहरण का जो माँग वक्र बनेगा वही थ्रम की माँग को बनाएगा। थ्रम की माँग से प्राप्ति करने वाले तत्त्व निम्नलिखित हैं—

1. अन्य की उत्पादकता और उसको दिया जाने वाला पारिवर्तन — थ्रम की मजदूरी से यदि उसकी सीमान्त उत्पादकता वा मूल्य (Value of Marginal Productivity or VMP) अधिक होता है तो थ्रम की माँग अधिक होगी।

2. उत्पादन की मात्रा—यदि इसी वस्तु का अधिक उत्पादन किया जाता है और उसमें अभिक अधिक लगाए जाते हैं तो थ्रम की अधिक माँग की जाएगी।

3. उत्पादन विधियाँ (Production Techniques)—जिस वक्र का उत्पादन पूँजीगत उत्पादन विधि द्वारा होता है, उसमें मशीनें अधिक उगाई जाती हैं तथा थ्रम की माँग कम की जाती है।

4. अर्थात् विकास का स्तर—ऊँची दर से आर्थिक विकास चलने हेतु थ्रम की अधिक माँग की जाती है तथा धीमी दर से विकास चलन पर थ्रम की माँग कम होती है।

5. उत्पादन के अन्य साधनों का पुरस्कार (Remuneration) तथा थ्रम के प्रतिस्थापन की सम्भावना—यदि उत्पादन के अन्य साधन महँगे हैं तथा थ्रम से उनकी जगह लगाकर उत्पादन सम्भव होता है तो थ्रम की माँग अधिक होगी। इसके विपरीत अन्य साधन सम्भव तथा थ्रम के स्थानापन सम्भव न होने पर थ्रम की माँग कम ही होगी।

एक उद्योग में थ्रम की माँग विभिन्न कर्मों के माँग वक्र का योग होती है। उद्योग में थ्रम का माँग वक्र (Demand Curve of Labour) बाईं से नीचे दाईं

श्रोत गिरना है जो मजदूरी तथा थम की मौग के लिए विभिन्न सम्बन्ध को प्रदर्शित करता है प्रबंधन और भूमि मजदूरी पर वह थम की मौग को जानती है तदा नीची मजदूरी पर अधिक थम की मौग होगी। थम की मौग अपवाह म वेतावदार होती है जबकि दीपकाल म यह लोकदार होती है।

थम की पूर्ति (Supply of Labour)

इसका अर्थ विभिन्न मजदूरी दश पर इसी देश की काष्ठशोल जनसंख्या (Working Population) का कार्य कुल घण्टा (Total working hours) पर काय बरने के लिए तैयार होता है। इसी भी देश म थम की पूर्ति अनेक तत्त्व पर निर्भर करती है, जैसे मजदूरी का स्तर, देश की कार्यशोल जनसंख्या अधिक वो कार्यकृतता कार्य बरन के घण्टों की संख्या और देश की जनसंख्या म वृद्धि की दर आदि। देश की जनसंख्या म वृद्धि होने पर तदा कार्यशोल जनसंख्या का भाग अधिक होने पर थम की पूर्ति म वृद्धि होती तथा कार्यकृतता म वृद्धि होने पर भी थम की पूर्ति के गुणात्मक पहलू (Qualitative Aspects) पर भी प्रभाव पड़ता। थम के कार्य प्रारम्भ अनुपात (Work Leisure Ratio) जैसा थम गठो (Trade Unions) का भी थम की पूर्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

थम की पूर्ति के निर्धारक तत्त्व—किसी भी देश में थम की पूर्ति के निर्धारक तत्त्व या उसे प्रभावित करने वाले तत्त्व (घटक) चार हैं—

- 1 जनसंख्या
- 2 कार्य एवं प्रारम्भ अनुपात,
- 3 अधिकों की कार्यकृतता, एवं
- 4 वास्तविक मजदूरी की दर।

1 जनसंख्या तथा थम-पूर्ति—जनसंख्या और थम की पूर्ति म परिष्ठ सम्बन्ध है—

(i) शाय यातो के समान रहते हुए जनसंख्या का धारार जिनका अधिक होगा थम की पूर्ति भी उतनी ही अधिक होगी। उदाहरणार्थे भारत और चीन की जनसंख्या विश्व म सबसे अधिक है और इन देशों म थम की पूर्ति भी सर्वाधिक है।

(ii) जनसंख्या बढ़न की गति जिनकी साथ होती है उतनी ही थम जीति म भी तेजी से बढ़ती होती। उदाहरणार्थे भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर आमत 2.5 प्रतिशत है और यह की पूर्ति म भी तेजी से वृद्धि हो रही है।

(iii) थम की पूर्ति सोर उत्पन्नता वृद्धि म सम्बन्धित (Time Lag) होता है। आज तो बढ़ता नहीं सेता है वह समय 15 वर्ष बाद ही थम की पूर्ति म गहाया होता है। प्रदृष्टिका इसी प्रयत्न पर अपनी ग्रामीण जीवों के बच्चे स्फूर्त मार्दि रहीं जाते थन वे जाती से ही थम में प्रवत बर जत है। दूसरी प्रोत उत्प्रा और विवित राष्ट्रों में बच्चों अपि जकि य दैर में प्रवेश करते हैं।

14 मजदूरी नीति एवं सामाजिक नुस्खा

(ii) यदि कार्यशील जनसंख्या में सूत्रदार कम और जनसंघर अधिक है और साथ ही वच्चों की सूत्रदार में भी इसी है तो धम वी पूर्ण तीव्र केने ने बहुती है। पिछड़ी अर्थ-व्यवस्थाओं में वच्चों की सूत्रदार प्राय बहुत अधिक होनी है और नए वच्चों ने लगभग 50 प्रतिशत ही धम करने की आयु तक जीवन रहते हैं।

(v) जनसंख्या की आयु-वय नरचना (Age Composition) भी धम की पूर्ति को ही प्रभावित करती है। अधिक हाइट से प्राय 15-60 आयु-वर्ग की जनसंख्या उत्पादक मात्री जाती है और जिस देश में इन आयु-वर्ग का प्रतिशत जितना अधिक होगा वहाँ धम वी पूर्ति भी उन्हीं ही अधिक होगी। एक अध्ययन के प्रत्युत्तर विकास अर्थ-व्यवस्थाओं की लगभग 62 से 65 प्रतिशत जनसंख्या इन आयु-वर्ग ने आती है जबकि पिछड़े देशों में यह प्रत्युत्तर 55 प्रतिशत के आनपास ही पाया जाता है। साथ ही जहाँ विकास राष्ट्रों में इन आयु-वर्ग ने जाम न करने वाले लोगों वा प्रतिशत बहुत कम होता है वहाँ पिछड़े देशों में यह प्रतिशत बासी अधिक पाया जाता है।

(vi) जीवन व्यावर का भी धम वी पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है। यदि देश में औसत आयु कम है तो कार्यशील जनसंख्या में यह धम बहुत कम नवय तक रह पाएगा और यदि जीवन-व्यावर अधिक है तो वह धम कार्यशील जनसंख्या में अधिक समय तक टिक सकेगा और धम वी पूर्ति अपेक्षाकृत अधिक होगी। अद्यनिकालित देशों ने औसत आयु प्राय नीची पाई जाती है। भारत में 1951 में औसत आयु 32 वर्ष की थी जो 1971 में बढ़कर 52 वर्ष हो गई।

(vii) लोगों की प्रहृति और धम वी पूर्ति में भी सम्बन्ध है। यदि कार्यशील आयु वर्ग के व्यक्ति आलसी, कामबोर और कार्य करने के अनिच्छुक हैं तो धम की पूर्ति उसी सीमा तक कम हो जाएगी। बात्ता में लोगों ने काम करने की इच्छा और प्रबल इच्छा से धम शक्ति ने वृद्धि होनी है।

(viii) देश की जनसंख्या का विदेशी ने प्रबल होने से धम वी पूर्ति इस होनी है। जबकि देश में विदेशी से जनसंख्या का आप्रवास होने पर धम वी पूर्ति बढ़ती है।

(ix) जनसंख्या की मनोवैज्ञानिक स्थिति भी धम वी पूर्ति को प्रभावित करती है। यदि जनसंख्या का मानसिक स्तर ऊँचा है और जीवन आदर्शाद्वारा और अभिलाषाद्वारा से पूर्ण है तो धम-इन्हिं वा विवाह होगा और यदि जनसंख्या मनोवैज्ञानिक निराशा से पीड़ित है तो धम वी पूर्ति कम होगी।

2 कार्य एवं आराम प्रत्युत्तर—जिन प्रबार जनसंख्या धम वी मानसिक पूर्ति को प्रभावित करनी है उसी प्रबार काम के घण्टों और शान्तिपूर्ति में भी सम्बन्ध है। यदि धमिक वर्ग आराम और अधिक वायं बहुता है तो धम वी पूर्ति बढ़ेगी और यदि अधिक आराम व कम वायं बहुता है तो धम वी पूर्ति घटेगी। मजदूरी बढ़ने पर धमिक अधिक आराम भी कर मर्हता है या अधिक वायं कर सकता है। यह मजदूरी बढ़ने का प्रतिस्थापन प्रभाव (Substitute Effect of

Unincreased Wage Rate) बहलाना है। इस मिति मे मजदूरी मे वृद्धि होने पर थम का पूति वक्र दाएँ ऊपर की ओर उठाना क्योंकि थमिक मजदूरी बढ़ने के कारण ग्रधिक बाय करेगा। दूसरी ओर मजदूरी बढ़ने पर थमिक ग्रधिक आरामनलब भी हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप थम-पूति वक्र ऊपर उठने की वजाय वाई ओर भुग्गा हुग्गा (Backward Bending) होगा और यह मजदूरी वृद्धि का बाय प्रभाव (Income Effect) कहा जाएगा।

3. थम की कार्यकुशलता—कार्यकुशलता ग्रधिक होने पर उत्पादन पर वैसा ही प्रभाव होगा जैसे कि थम की पूति बढ़ने पर ग्रधिक उत्पादन सम्भव होगा। इसके विपरीत कार्यकुशलता कम होने पर ग्रधिक थमिक लगाने के बाबजूद भी उत्पादन ग्रधिक प्राप्त नहीं किया जा सकेगा।

4. वास्तविक मजदूरी की दर मे वृद्धि थम की कुन पूति को बढ़ाती है। प्राय होता यह है कि प्रारम्भ मे वास्तविक मजदूरी की दर बढ़ने के साथ साथ थम की पूति भी बढ़ती है ग्रथात् थमिक प्रतिदिन ग्रधिक घटे बाय बरते हैं। लेकिन एक सीमा के बाद मजदूरी की दर म वृद्धि होने के फलस्वरूप थम की पूति मे वभी आरम्भ हो जाती है क्योंकि पहले की ग्रेग्ग वम समय तक बाम करने पर ही, पहले जितनी आय प्राप्त होने लगती है अब थमिकों मे कम समय बाम करने, ग्रधिक ग्रवदाश सन और विश्राम करन की प्रवृत्ति बढ़ती है। इस प्रवार आरम्भ मे जही थम की पूति का बक आगे की ओर ऊपर उठना हुग्गा होता है, वही बाद मे पीछे की ओर मुहना हुग्गा होता है ग्रथात् एक सीमा के बाद थम की पूति तया मजदूरी की दर मे ग्राहामक सम्बन्ध हो जाता है—

- (i) जनसद्या के प्रावार मे वृद्धि होती है, और
- (ii) थम की कार्यकुशलता मे वृद्धि से थम की पूति बढ़ जाती है।

थम बाजार (Labour Market)

थम बाजार वह बाजार है जही पर थम का ग्रधिक विद्या जाता है ग्रथात् थम को बेचने वाले (थमिक) व थम को खरीदने वाले (मालिक निशेह) थम का सोदा बरते हैं। थम के प्रेता और विप्रेता के सम्बन्ध एवं वस्तु के केनावियता की भौति ग्रथायी नहीं होता है। केनाविकेता जो रि थम का सोदा बरते हैं, अक्षिगत तत्त्वों से कापी प्रभावित होते हैं।

थम बाजार की विशेषताएँ (Characteristics of Labour Market)

थम बाजार, जिमेथम की मांग और पूति वाले पत्तों का सम्बन्ध विद्या जाता है, वे स्थानीय होते हैं प्रोर इस बाजार की ग्राहितिवित विनेताएँ हमें देते हैं मिलती हैं—

१ अम मे गतिशीलता वा अमार यापा जाता है। अमिक एक न्यान से दूसरे स्थान, एक उद्योग से दूसरे उद्योग को गतिशील नहीं हो पाता है। परिस्थानस्थान भजदूरी मे भिन्नताएँ पाई जाती हैं तथा मालिक भी उसको कम मजदूरी देकर उसका प्राधिक शोषण बरने मे सफल हो जाता है। गतिशीलता ने कभी अम की घटिला, अनभिज्ञता, भाषा, धर्म, रीति-रिवाज आदि जारी का परिणाम होती है।

२. अम बाजार ने अम नघो वे सुदृढ होन वाले स्थानो दो द्वोड्डवर बेनाधिकारी (Monopsony) को स्थिति देखने को मिलती है। जहां अम सम सुदृढ होते हैं, वे अपनी पूर्ति पर नियन्त्रण बरके अधिक भजदूरी लेन म सफल हो सकते हैं और इस तरह एकाधिकारी (Monopoly) की स्थिति उत्तराह दर सबके हैं। लेनिन अमावहारिक जीवन मे हमें यह स्थिति अपवाद के रूप म निल सकती है। अधिकांशतः अम बाजार मे बेनाधिकारी (Monopsony) की स्थिति देखने का मिलती। इसमे प्रबन्धक मालिक समठित होकर कम का ज्य बरने हैं तथा उसको कम मजदूरी पर खरीदते हैं।

३. अम बाजार एक अपूर्ण बाजार होता है जिसमे नामान्य भजदूरी (Normal Wages) देखने को नहीं मिलती है। भजदूरी की विनियताएँ देखने को मिलती हैं।

भारतीय अम बाजार (Indian Labour Market)

भारत एक विकासशील और जनाधिक बाला (Overpopulated) राष्ट्र है जहां पर भारी बेरोजगारी भी है। इस विशेषता का प्रभाव यहां के अम बाजार पर भी पड़ता है। भारतीय अम बाजार की नियन्त्रिति दिगोपचार्य हन देखने का मिलती है—

१. भारतीय अर्थव्यवस्था मे विनियम क्षेत्रो मे घर्द्द-बेरोजगारी (Under-employment) देखने को मिलती है। हृषि क्षेत्र मे देश की 80% जनस्थान लोगो हुई है लेकिन ये नक्से के धनुमार घर्द्द-विविति या विकासशील देशो मे 15 ते 20% नक हृषि क्षेत्र मे छिपे हुई बेरोजगारी (Disguised-unemployment) देखने को मिलती है। यहां तक कि अम की सीमान्य उत्पादकता (Marginal Productivity) शून्य (Zero) है। घर्द्द-विविति क्षेत्रो मे भी बेरोजगारी विद्यमान है।

२. भारतीय अम बाजार की दूसरी विशेषता यह है कि अम की पूर्ति सभी नोकरियों की स्थाया से अधिक होते हुए भी कुछ नोकरियों के लिए अम का प्रभाव है, जैसे तकनीकी व सुपरबाइजरी पदों के लिए अधिक अविक नहीं मिल पाते हैं।

३. अस्थिर अम शक्ति (Unstable Labour Force) भी भारतीय अम बाजार की एक विशेषता है जिसमे अविक औद्योगिक कार्य हेतु चेष्टार नहीं होते

योकि वे अधिकांशत ग्रामीण क्षेत्रों में बार्य बरना व रहना परम्परा करते हैं। यह श्रमिकों को ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर आकर्षित बरना तथा एक स्थायी ग्रीष्माविक थम बचत तैयार करना भी एक समस्या बन गई है।

4 भारतीय थम जनसंख्या (Labour Population) में अधिकांश श्रमिक युवत हैं। इस प्रकार वे श्रमिकों के लिए सामाजिक विनियोग (Social Investment) शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा मुद्रिताएं आदि वे रूप पर्याप्त बरना पड़ेगा।

थम बाजार का मजदूर पक्ष

(The Employee Side of the Labour Market)

थम बाजार भी ग्रन्थ बाजारों की भाँति है, लेकिन जब भी हम थम का अध्ययन दरत है तब हम पहले ध्यान रखा होगा कि हम बार्य बरने वाले मानवों व पर्याप्त वार्य अध्ययन कर रहे हैं। इसमें थम की मांग और पूर्ति दोनों पक्षों को ध्यान में रखत हुए अध्ययन करना पड़ेगा। थम बाजार के मजदूर पक्ष में हम थम की पूर्ति पक्ष (Supply side of Labour Employee) का अध्ययन करते हैं।

थम शक्ति के रूप में सक्रिय भाग लेने की प्रवृत्ति जिसे थम शक्ति प्रवृत्ति (Labour force propensity) भी कहा जाता है न केवल जनसंख्या की दृढ़ि भी दर द्वारा ही प्रभावित होती है, बल्कि जनसंख्या दृढ़ि के द्वारा तथा इसके आयु एवं लिंग वितरण (Age and Sex distribution) द्वारा भी प्रभावित होती है।

सामाजिक रीटि रिवाज भी जनसंख्या के बार्य करने वाले अनुपात को प्रभावित करते हैं। विवित देशों में विद्या के अधिक प्रसार के पारण थम शक्ति के रूप में जनसंख्या का भाग कम होने लगता है जबकि एक विकासशील देश (जैस, भारत) में जहाँ जनसंख्या का अधिकांश भाग अशिक्षित होता है थम शक्ति भी जनसंख्या का अनुपात बार्य के रूप में लगेगा।

व्यावसायिक परिवर्तन (Occupational shifts) माध्यनों का व्यावरण (Allocation of resources) तकनीकी परिवर्तन (Technological changes) आदि भी थम शक्ति में जनसंख्या का संग्राह जान वाले भाग को प्रभावित करते हैं। उदाहरणत एक विकासशील देश में जहाँ थम प्रधान उत्पादन के तरीके (Labour intensive techniques of production) घटताएं जाते हैं, वहाँ थम की प्रवृत्ति मांग होती।

थम की व्यावसायिक गतिशीलता तथा ग्रीष्माविक गतिशीलता (Occupational and Geographical mobilities of labour) में दृढ़ि मजदूरी बढ़ाने से की जा सकती है, लेकिन मजदूरी में दृढ़ि के अतिरिक्त जो अधिक प्रभावशील हैं वे हैं—सामाजिक रीटि रियर्ज, परिवार व स्थल में स्थायी, धर्म भाषा, रहन सहन, सामाजिक। प्रबल प्रायुनिशता एवं विद्या व प्रशार व सावधानीपूर्ण गतिशीलता में दृढ़ि हो रही है।

प्रबन्ध और थम बाजार

(Management & Labour Market)

प्रबन्ध या नियोजन थम की मांग करता है। थम की सहायता से मानिस

18 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा

उत्पादन करता है। एक गविशील अर्थव्यवस्था में नियोजक थम की माँग करने में पूर्व यह अनुमान लगाएगा कि कितना उत्पादन उसे करना है। साथ ही उस वस्तु की माँग, उत्पादन लागत, उस वस्तु का बाजार, ताभ आदि सभी विषयों पर नियंत्रण वरके थम की एक निश्चित सख्ती को रोजगार प्रदान करेगा।

प्रबन्धक व्यवसाय से संगठन के विषय में भी नियंत्रण नेता वि सगठन का आधार तथा प्रकार क्या होगा? सगठन Staff या Line या Staff & Line आदि विधितमय समृद्धि (Functional Organisation) में से कोई भी प्रपत्ताया जा सकता है।

संदेशवाहन (Communication) काय करने वाली टीम नियोजकों का सगठन या सघ (Association of Employers), नियोजकों की श्रमिकों की भर्ती (Recruitment), चयन (Selection) प्रशिक्षण कार्यक्रम (Training Programme) कामिक व्यवहार (Personnel Practice) आदि के सम्बन्ध में भी एक निश्चित नीति का निर्धारण करना पड़ेगा। इन सबका प्रभाव न केवल व्यवसाय के सगठन पर ही पड़ता है वल्कि ये दोनों पक्षों—मालिक व मजदूर यक्ष को भी प्रभावित करते हैं। इन सभी अनुकूल रूपकरणों पर सम्मूर्ख व्यवसाय या उद्योग सफल होगा जिससे न केवल दोनों पक्ष वल्कि उभयोक्ता विभाजन व गट्टा भी लाभान्वित होंगे।

इस प्रकार थम की विशेषताएँ, थम बाजार की विशेषताएँ मालिक और मजदूर विष्टिकोग व व्यवहार तथा व्यवसाय का सगठन व ढाँचा एक-दूसरे पर पूर्ण स्पष्ट से आधित हैं। ये एक दूसरे को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। प्रति दी हुई स्थिति या दशाओं में उचित नीतियों व कार्यक्रमों की सहायता से वि भी भी उद्योग वा सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है।

भारत में श्रमिकों का विभाजन : कार्यशील जनसंख्या (Distribution of Working Population in India)

देश के सविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों पर ही भारत की थम नीति मूल रूप से आधारित है। नीति-निर्देशक तत्त्व समान कार्य के लिए समान वेतन, काम की समुचित और मानवीय स्थिति और सभी मजदूरों के लिए एक आजीविका मजदूरी का आदेश देते हैं। सरकार देश में मजदूरों के समिति धोको के कर्तव्याणि को महत्व देती है, विशेष तौर पर स्वतन्त्रता के बाद से। यह इस तथ्य से भी प्रकाशित होता है कि 1947 के बाद सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा एवं व्यापार आदि के क्षेत्र में एक बड़ी सख्ती में अधिनियम पारित हुए हैं जबकि औद्योगिकरण के प्रारम्भिक वर्षों में थम नीति मुख्यतः थम धोको के सगठित धोको के साथ जुड़ी हुई थी। सगठित धोको के श्रमिकों की वात्सविक आवश्यकता वा कार्य स्थिति के सुधार को ध्यान में रखते हुए, आज इन असमिति धोको के श्रमिकों के हितों की ओर ध्यान दिया जा रहा है। अग्रगठित धोको के लिए भी कुछ अधिनियम और नियम तैयार किए गए हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 को इस क्षेत्र के बहुत से श्रमिक वर्गों पर लागू निया गया है।

तथापि भारत की अर्द्ध-प्रस्त्या के विश्वस्त आँकड़े बेजन संगठित क्षेत्र के बारे में उपराख्य हैं। अभिको के कल्याण के लिए सरकार द्वारा पास किए गए अधिकारीय कानून इसी क्षेत्र में अभिको की भगाई के लिए हैं। इन अदिका के लिए अनेक सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी चल रही हैं। इनमें फैसड़ी एवं मजदूरी अधिनियम और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, जैसे—इमंचारी राज्य बीमा योजना कम्पनी भवित्य निधि योजना अभिका और उनके परिवारों के लिए मृत्यु राहत और परिवार पर शन सम्मिलित हैं। कुछ नियम असंगठित क्षेत्र के लिए भी बनाए गए हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 इस क्षेत्र के बहुत से अभिक बगों पर भी लागू होता है।

थम एक गमवर्ती विषय है। थम कानून का एवं सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा बनाए जाते हैं और सचालित हात हैं। सामाज्यन थम कानूनों का अधियानित करना राज्य सरकारों की जिम्मदारी होनी है। तथा यह कुछ कन्द्रीय क्षेत्रों में बास करने वाले अभिक जैसे रेलवे, बन्दरगाह जैसे, नैकिंग और बीमा कम्पनियों सीधे केन्द्रीय सरकार के प्रधिकार क्षेत्र में आते हैं।

भारत में अभिको की मृत्या 1981 में संग्रह 24 46 करोड़ या देश की कुल जनसंख्या का 36.77 प्रतिशत थी। भारतीय अर्द्ध-प्रस्त्या के संगठित क्षेत्र में सर्वाधिक अभिक पंक्टरियों में काम करते हैं। 1981 में, कालू पंक्टरियों में, जिनके आँकड़े उपलब्ध हैं, प्रतिदिन का अनुमानित औसत राजगार 72.71 थाली था।

महाराष्ट्र में पंक्टरी वमचारिया की संख्या सबसे अधिक थी (12 53 755)। इसके पश्चात् पश्चिम घण्टा (9 25 053) तमिलनाडु (7 19 611) गुजरात (6,68,059) तथा ग्राम्य प्रदेश (5 62,390) थाते हैं। 1978 में सभी जातों में बास करने वाले अभिको की प्रतिदिन औमत मृत्या 7,41,777 थी (3 10 170 जातों के अन्दर 2 06 121 जाते थे सबह पर तथा 2,25 486 जातों के बाहर) अप्रिम सारणी में अभिका की स्थिति (लिंग और कार्यधार) दिखाई गई है—

1 पंक्टरी अधिनियम 1948 के अनुसार पंक्टरी की परिमाणा इस प्रकार ही गई है—बोर्ड भी एक रूपाने प्रयोग करते, जहाँ पर 10 या 10 से अधिक अभिक काय नहीं रहे हैं। या विद्युत 2 महीनों में रियो द्वारा काय करते रहे हैं, और उनके रियो द्वारा नियमित रूप से विद्युत का उपयोग रियो द्वारा रहा हो। जट्टी रियो का उपयोग द्वारा जाता हो वहाँ अभिको की संख्या 20 या उससे पर्याप्त होनी पाहिए।

अधिनियम में अभिक उस शर्त से बहा रखा है कि इसका नियोग आँखों में या हिस्सी मरीजों या उत्तर द्वारे सबका स्थान की रक्काई में उत्तीर्ण हिस्सा जाता हो, या हिस्सी अन्य प्रकार के काम में, जिनका सम्बन्ध नियमित प्रतियोगी के विषय से सम्बन्धित हो और अभिको की जाते थे। इनको के द्वारा कियुँकि की जाती हो, या है उसे कर्मदूषी की जानी हो या नहीं।

20 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा

धर्मिक तथा गैर-धर्मिक संस्थाएँ का चंद्रघारा (1981 की जनगणना)

(लाख में)

शेषी	संस्था	महिलाएँ			योग
		पुरुष	कुल पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत	संस्था का प्रतिशत	
धर्मिक जनसंख्या					36.77
कुल (क + ल)	1,810	52.65	636	19.77	2,446
(क) कुल मूल्य धर्मिक	1,775	51.62	450	13.99	2,225
(i) कृपक	776	22.56	149	4.65	925
(ii) कृपक मजदूर	347	10.10	208	6.46	555
(iii) घरेलू उद्योग	56	1.64	21	0.64	77
(iv) धर्म धर्मिक	596	17.32	72	2.24	668
(v) सीमात्त धर्मिक	35	1.03	186	5.77	221
(vi) कुल गैर-धर्मिक जनसंख्या	1,629	47.35	2,578	80.23	4,207
(vii) कुल जनगणना (क + ल + ग)	3,439	100.00	3,214	100.00	6,653
(viii) कुल जनसंख्या का प्रतिशत					100.00

मजदूरी के सिद्धान्त, सीमान्त उत्पादकता, संस्थात्मक श्रौंर सौदेकारी सिद्धान्त, अम का शोषण, मजदूरी में अन्तर के कारण

(Wage Theories, Marginal Productivity,
Institutional and Bargaining Theories,
Exploitation of Labour, Causes of
Wage Differentials)

धर्म-उत्पादन में इदि तभी स्वाभाविक है जब अधिकों को गमुचित पार्य के
लिए समुचित मजदूरी दी जाए। पर्याप्त मजदूरी के आवाद में अमरीकियों गे
सामान्यतः यह प्राप्त नहीं की जा सकती कि वे लगान से बाहर बरेंग। अपरिवृत्त
मजदूरी का उनकी वार्षिकमता पर निपटीत प्रभाव पड़ता है। इसमें उम्मीद अमन्तोंग
जाग्रत होता है और मालिकों द्वारा नियोजितों तथा अधिकों के सम्बन्धों में दूरियाँ
उत्पन्न होती हैं। बस्तुतः मजदूरी (Wages) वह गुरी है जिसके चारों ओर धर्म-
समस्याएँ चक्रवर्त लगती हैं। धर्म-धर्मस्था चाहे विकासित हो चाहे विकासशील,
मजदूरी पर नियंत्र रहने वाले लोगों की मध्या प्राप्त अधिक होती है और इस प्रकार
समाज के आविर्द्ध की में इन लोगों का प्रमुख स्थान होता है। नियंत्रित देशों में
मजदूरी पर नियंत्र लोगों की मध्या विकासशील देशों की तुलना में प्राप्त इमीनिंग
अधिक होती है कि विकासशील देशों में जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृपि पर नियंत्र
करता है। 'मजदूरी' पर्याप्तियों के लिए एक दिवाली बमरा रही है और इसके
विभिन्न सिद्धान्तों का प्रतिकाढ़न दिया गया है। मजदूरी के सिद्धान्त के विवेक पर
धारन में पूर्ण पृष्ठभूमि के साथ प्राप्त गया है कि हम 'मजदूरी' के पर्याप्त प्रत महत्व
का अध्येतरह समझ सकें।

मजदूरी का धर्म (Meaning of Wages)

'धर्म' उत्पादन का एक महत्वपूर्ण सापेक्ष है। कुछ उत्पादन में तो धर्म
को जो भाग प्रदाय प्रतिविहित किया जाता है उसे सापारण। या 'मजदूरी' कहते
हैं। दूसरे शब्दों में, उत्पादन-प्रक्रियाओं के प्रत्यांत धर्मिक जारा दी गई सेवाओं का

22 मजदूरी नीति एवं मामाजिक सुरक्षा

जो मूल्य है वही मजदूरी है। प्रोफेसर (Prof. Phelps) के अनुसार व्यक्तित्व सेवाप्रा ऐ निए दिया जाने वाला मूल्य ही मजदूरी है। प्रा के एन बैंड के अनुसार एक थमिक वो किसी वाय की मात्रा करने पर मुद्रा के रूप में पारिथमिक दिया जाता है।¹

प्रोफेसनो के अनुसार मजदूरी एक प्रसविदा वाय (Contract Income) है जो कि मानिक व मजदूर दानों के बीच निश्चित की जाती है जिसके अन्तर्गत थमिक मुद्रा या वस्तु के बदल अपना थम बैचता है। मजदूरी की एक विस्तृत परिभाषा में वे सभी पारिथमिक जिह मद्रा में व्यक्त किया जा सकता है और जो कि रोजगार के प्रसविदे के अनुसार एक थमिक का देय होता है।² इस प्रकार मजदूरी में यात्रा भत्ता प्राविड़ट फण्ड में दिया गया योगदान किसी मकान तुलिधा या कल्याणकारी सेवाओं हेतु दिया जाने वाला द्रव्य का भाग शामिल नहा दिया जाता है। अर्थशास्त्र में मजदूरी दावद व्यापक है तथा इसके मन्तर्गत न कबल विभिन्न प्रकार के थमिकों को दिया जाने वाला पारिथमिक ही सम्मिलित किया जाता है वह कि कमों तथा फविड्या के मनजर उच्च थमिकारी सरकारी घफसरा वो दिया जाने वाला वतन व्यावसायिक लायो (Professional People) जैसे वकील अध्यापक, डाक्टर आदि को दिया जाने वाला पुरस्कार (Remuneration), बोनस (Bonus) रायल्टी (Royalty) तथा कमीशन (Commission) आदि का शामिल किया जाता है।

मीट्रिक मजदूरी एवं वास्तविक मजदूरी (Money Wages and Real Wages)

नकद या मीट्रिक मजदूरी वह मजदूरी है जो थमिक को उसके थम के बदल में मुद्रा के रूप में प्रदान की जाती है उस 3 रुपये प्रति घण्टा 10 रुपये प्रति दिन 300 रुपये प्रति माह मानि। लेकिन नकद मजदूरी में हम थमिक की वास्तविक आर्थिक स्थिति का पता नहीं लगता और इसलिए उसका मीट्रिक मजदूरा के साथ साथ उसकी वास्तविक मजदूरी के विषय में भी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है।

वास्तविक मजदूरी (Real Wages) वह मजदूरी है जिसके मन्तर्गत थमिक को उसकी सेवाप्रा के बदल कितनी वस्तु तथा सेवाएं प्राप्त होती हैं अर्थात् थमिक की मीट्रिक मजदूरी के द्वारा थमिक कितनी वस्तुएं तथा सेवाएं खरीद सकता है। उदाहरणाय यदि एक थमिक को अपनी नवन मजदूरी से अधिक वस्तुएं तथा सेवाएं प्राप्त होती हैं और वह अपनी यूनतम आवश्यकताओं का आसानी से पूरा कर सकता है तो हम निरूप निवाल सकते हैं कि उसकी वास्तविक मजदूरी ऊँची है। उसके विपरीत यदि अधिक नकद मजदूरी के बादजूँ नो वह अपनी यूनतम आवश्यकताओं

¹ Vaid K N State and Labour in Ind p 59

² Saxena R C Labour Problems and Social Welfare p 512

मजदूरी का महत्व (Importance of Wages)

मजदूरी सम्बन्धी प्रश्न न केवल श्रमिकों की जीवन-स्तर तथा उनकी प्रति व्यक्ति आय में बृद्धि करने के हैं में ही महत्वपूर्ण है, बल्कि यह उत्पादन में बृद्धि के लिए भी आवश्यक है। श्रमिक का जीवन-स्तर, उसकी वायंकुशलता उभी मजदूरों पर निर्भर करती है। मजदूरी श्रमिकों को उनकी सेवाओं के लिए किया जाने वाला भुगतान है और वह उनकी आय है। दूसरी ओर नियोजक श्रमिकों की सहायता से उत्पादन विधायिकों का सम्पादन होते हैं और उनके लिए यह उत्पादन लागत का एक भग माना जाता है। श्रमिक समाज का एक महत्वपूर्ण भग है। यब प्राचीन इटिकोण—वस्तु इटिकोण (Commodity Approach) बिल्कुल समाप्त-सा हो गया है। यब श्रमिक अपने कर्तव्यों तथा पधिकारों के प्रति सजग हो गया है तथा नियोजकों से सोदा करने में पीछे नहीं है। यब श्रमिक को उद्योग में एक सामेदार के रूप म माना जाने लगा है। मजदूरी में न देवत शादिक पत्नौ ही माते हैं बल्कि यह गैर-शारिक पहलुओं को भी प्रभावित होते वाला प्रश्न है जिसका अध्ययन श्रमिक अपनी आय के इटिकोण से होता है। मजदूर शायिक मजदूरी तथा नियोजक शायिक लाभ चाहने वाले उद्देश्यों में फँसे हुए हैं। इन दोनों पक्षों के उद्देश्य एक-दूसरे के विपरीत हैं। प्रो. चीन मार्केट के अनुसार, 'श्रमिक यह चाहते हैं कि मजदूरी को एक वस्तु का मूल्य नहीं माना जाना चाहिए बल्कि एक आय मानी जानी चाहिए, ताकि वे उचितों के माध्यम से अपनी सेवाएँ देने एक पूर्व-निर्धारित जीवन व्यतीत कर सकें।'¹

प्रो. पन्न के अनुसार मजदूरी का उपभोग, रोजगार एवं कीनतों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।² घर. इसी भी देश में श्रमिकों के लिए एक प्रभावपूर्ण एवं प्रगतिशील मजदूरी नीति निधारण के लिए मजदूरी की समस्या का पूर्ण अध्ययन आवश्यक है।

मजदूरों निधारण के सिद्धान्त

(Theories of Wage Determination)

मजदूरी की समस्याओं को दो भागों में बांटा जा सकता है, पर्याद् सामान्य मजदूरी की समस्या (Problem of general wages) और तूलनात्मक मजदूरी की समस्या (Problem of relative wages)। सामान्य मजदूरी की समस्या वा सम्बन्ध इस बात से है कि राष्ट्रीय आय में से उत्पादन वे साधन के हैं में श्रम को दिन आधार पर हिस्सा दिया जाए। दूसरी ओर तूलनात्मक या सारेक मजदूरी की समस्या इस बात का अध्ययन करती है कि विभिन्न स्थानों, समय तथा श्रमिकों की

¹ Jean Marchal, Wage Theory and Social Groups in Duolop, J. T. (Ed.), The Theory of Wage Determination, p. 149

² Part S. C., Indian Labour Problems, p. 166-67.

मजदूरी किम आधार पर निर्धारित की जाए।। मानोय मन्त्रूरा निर्धारण किन आधारों पर हो रहा अध्ययन मन्त्रूरा के मिदाना (Theories of wages) के अंतर्गत इसी विशेषज्ञता में उन सभी मजदूरी के सिद्धान्तों के प्रधान विषयों पर प्रतिपादित किए गए हैं।

मजदूरी का जीवन निर्वाहि सिद्धान्त अथवा लोह सिद्धान्त

(Subsistence Theory of Wages or the Iron Law of Wages)

सबप्रथम "म मिदान का प्रतिकान" प्राचीन के प्रहृतिकारों अथवाइतिया (Physiocrats) ने किया था। उन प्राचीन म उत्तम समय अधिक के जीवन निवारण की सिफारिश का ध्यान म रखते हुए इस मिदान का निर्माण किया। यह मिदान 19वीं शताब्दी म सभी जीवन द्वारा माना गया। प्रसिद्ध अथवाइतियों रिकार्डों ने भी आगे चलकर माल्यम के उत्तमत्वा के सिद्धान्त के अधार पर इस मिदान का समर्पण किया। समाजवादी अथवाइतियों ने भी इसी मिदान के अधार पर पूजीवरों के अध्ययनस्थाया की कठीन प्राप्तीचक्षण की ओर वान मार्क्स ने इस प्रगति गोपण के सिद्धान्त (Theory of Exploitation) पर आवारित किया। जमन अथवाइतियों समाल (Lassalle) ने इस लोह सिद्धान्त (Iron Law of Wages) का नाम दिया।

इस मिदान के अनुसार मजदूरी का नियारण अधिक व उमड़े परिवार के जावन निवाहि के निए यूनतम साधनों के आधार पर जाता है। मजदूरी "तभी हाना चाहिए जिसस अधिक वो निर्वाहि हेतु यूनतम राणि प्राप्त हो जावे जाविन रहन के लिए आवश्यक राणि के बराबर मजदूरी दी जाना चाहिए" यहि मन्त्रूरा म यूनतम जीवन निर्वाहि अथवा अधिक दी जानी है तो अधिका का ज्ञानी दरन वा प्राप्तान मिलगा और उनके परिवारा म तथा अधिक सम्पत्ति म बूढ़ि होगी और दम्भ विरणामस्वरूप मजदूरी विरवर जीवन निर्वाहि के बराबर हो जाती। विपरीत यहि मजदूरी य तम जीवन मिदान स कम दी जाता है तो या त्यों प्राप्त ज म जित होता जाती है गोर कम पापाणा ग मृदु व बड़ी और कनस्वरूप अधिकी की प्रति म विरावर प्राप्त स मादूरी म बूढ़ि होगी और पुन मन्त्रूरी जीवन निर्वाहि के बराबर हो जाएगा।

शास्त्रोचना (Criticism)— यह मिदान बड़ा हा निराशावादी है आदि स्वरूपत मा वस के जनस्वरूप मिदान पर आधारित है। यह आधार हा गति है कि मजदूरी म बूढ़ि क साथ साथ जनस्वरूप म भी बूढ़ि होगी। शूरोपीय देश का उदाहरण हमार सामन है कि वहाँ मजदूरी और प्राप्त वडन के साथ-नात जनस्वरूप म बूढ़ि होन के स्थान पर जीवन स्तर उन्नत होता है और जनस्वरूप म बूढ़ि हुई।

1. यह मिदान अधिक से पूर्ति प। पर प्राप्तारित है। इसम अधि क मार्ग पर की उपेक्षा की गई है। इसी भी वस्तु क मूल्य निपारण म इस प्रकार पूर्ति और मार्ग जानी का हाना आवश्यक है उसी प्रकार मजदूरी निर्धारण म भी दारों पक्षो का होना जरूरी है। अत मजदूरी निर्माण का यह मिदान एक-व्याप्त (One sided theory of wage determination) है।

2 यह सिद्धान्त विभिन्न व्यवसायों में पाई जाने वाली मजदूरी की विभिन्नताओं (Wage differentials) के कारणों की व्याख्या बरने में पूर्ण हप से प्रसक्त रहा है।

3 यह सिद्धान्त मजदूरी में वृद्धि से अभिवृत्ति नीति व्यापकता न वृद्धि प्रीत उत्पादन में वृद्धि के सम्बन्ध की उपेक्षा करता है। जब अभिवृत्ति की मजदूरी बढ़ेगी तो इससे उनका जीवन-स्तर उन्नत होगा तथा परिणामस्वरूप अभिवृत्ति की व्यापकता में वृद्धि के माध्यम से राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ेगा।

4 जीवन निर्वाह से अधिक मजदूरी देन से अभिवृत्ति की जनसत्त्वा में वृद्धि होगी और मजदूरी वापिस गिरकर जीवन निर्वाह व्यय के बराबर हो जाएगी—यह वास्तविकता से परे की वात है। आज हमार सम्मुख विभिन्न विकसित देशों का उदाहरण है कि वही मजदूरी में वृद्धि करने से जीवन-स्तर में वृद्धि हुई है त कि जनसत्त्वा में वृद्धि।

5 यह सिद्धान्त उत्पादन के तरीकों में सुधार, अभिक सघो तथा आविष्टारों आदि के कारण मजदूरी में वृद्धि होने के कारणों की व्याख्या बरने में अमर्य है। आधुनिक समय में अभिक सघो, उत्पादन रीतियों में सुधारतथा निर्मित आविष्टारों के कारण भी समय-समय पर मजदूरी दरों में परिवर्तन करने पड़ते हैं।

6 जीवन निर्वाह के स्तर को भी जान करना कठिन है व इसके विभिन्न अभिवृत्ति व उनके परिवारों का जीवन निर्वाह-स्तर उनकी आवश्यकायां पर, महस्य मज्जा आदि के कारण भिन्न-भिन्न होता है।

मजदूरी का जीवन-स्तर सिद्धान्त

(The Standard of Living Theory of Wages)

यह सिद्धान्त जीवन निर्वाह सिद्धान्त का एक सुधारा हुआ हप है। 19वीं शताब्दी के अन्त में 'जीवन-निर्वाह' के स्थान पर 'जीवन-स्तर' का प्रयोग करना अधिक उपयुक्त माना जाने लगा। इस सिद्धान्त के प्रनुभार मजदूरी अभिवृत्ति के जीवन निर्वाह के आधार पर निर्धारित न करने उसके जीवन-स्तर के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए। जिस प्रकार के जीवन-स्तर व्यतीत करने के अभिक अन्यस्त हो गए हैं उसके प्रनुभार ही उनको मजदूरी दी जानी चाहिए। अभिक उनके जीवन स्तर से नीची मजदूरी स्वीकार नहीं करें। ऊँचा जीवन-स्तर अभिक की व्यापकता में वृद्धि करता है, अत मजदूरी अधिक होनी चाहिए। मजदूरी के जीवन-स्तर के बराबर होने से एक और अभिवृत्ति की व्यापकता में वृद्धि होने में उत्पादन में वृद्धि होगी तथा अभिवृत्ति की मीदा करने की शक्ति (Bargaining Power) में भी वृद्धि होगी क्योंकि अभिवृत्ति की कार्यकारिता में वृद्धि और उच्च जीवन-स्तर से जनसत्त्वा पर नियन्त्रण रखा जा सकेगा।

आलोचना—। इस सिद्धान्त में अम की माँग पक्ष की उपेक्षा की गई है। अम की पूति को ध्यान में रखकर ही मजदूरी नियन्त्रण करना एक-पक्षीय है।

2 जीवन-स्तर के अनुपार मजदूरी दी जाए अथवा मजदूरी के आधार पर जीवन-स्तर निर्धारित रिया। जाप-यह निवाय करना कठिन है। नाम्बिक जीवन व अमिको के जीवन-स्तर में वृद्धि करने के लिए मजदूरी में वृद्धि करना आवश्यक है।

3 जैसा जीवन-स्तर हो इसी के आधार पर मजदूरी दी निर्धारण किया जाए-यह भी गलत है यद्योऽकि देवत उच्चा जीवन-स्तर ही नहीं बल्कि अमिको की सीमान्त उत्पादन के वृद्धि होने पर मजदूरी में वृद्धि सम्भव हो सकती है।

4 जीवन-स्तर स्वयं एक परिवर्तनशील तत्व है। इसमें समय-समय पर विवर्तन होने के कारण मजदूरी में परिवर्तन करना पड़ेगा तेहिन इस विषय में इस मिदान में कुछ भी नहीं कहा गया है।

मजदूरी कोष सिद्धान्त

(The Wage Fund Theory)

इस मिदान के सम्बन्ध में प्रारम्भ में वई प्रतिष्ठित सर्वजाहिको (Classical Economists) का हाथ रहा, सेहिन अन्तिम रूप देने वाले प्रो. जे. एम. मिल (J S Mill) ही माने जाते हैं। प्रो. मिल के अनुपार मजदूरी जनसम्या तथा पूँजी के अनुपार पर निर्भर करती है। यहाँ जनसम्या का सम्बन्ध अमिको की मस्त्या से है, जो कि सार्थक करने के लिए तैयार है। पूँजी का एक भाग अमिको का मजदूरी का मुगलान करने हेतु रखा जाता है। मजदूरी में वृद्धि तभी सम्भव होती है जबकि मजदूरी कोष में वृद्धि की जाए अथवा अमिको की मस्त्या में कमी हो। सिद्धान्त में मजदूरी कोष का निश्चित माना है। इसमें वृद्धि या कमी सम्भव नहीं है। मजदूरी 'मजदूरी कोष' (Wage Fund) में से दी जाती है जो इस पूँजीपति द्वारा निश्चित किया जाता है सेथा जिसे स्थिर माना गया है। दूसरी पोर अमिको की मस्त्या प्राकृतिक कारणों पर निर्भर है। अतः मजदूरी की सामान्य दर (The general wage rate) मजदूरी कोष में अमिको की सम्या का भाग लगान से ज्ञात की जा सकती है—

$$\text{मजदूरी कोष} = \frac{\text{अमिको की मस्त्या}}{\text{उदाहरणत यदि मजदूरी काप } 1000 \text{ रु. है तथा अमिको की सुस्त्या } 200 \text{ है तो मजदूरी दर } 5 \text{ रु. होगी।}$$

इस मिदान के अनुपार मजदूरी में वृद्धि तब तब सम्भव नहीं जब तब इस जनसम्या नियन्त्रण द्वारा अमिक यपनी सम्या पर नियन्त्रण नहीं करते। यदि इसी उदाहरण विज्ञेय में मजदूरी की दर में वृद्धि हो जाती है तो दूसरे उद्योगों में मजदूरी की दर मजदूरी विकल्पों यद्योऽकि मजदूरी रोप हित या निश्चित है।

प्रात्येकना—1. यह मिदान अनुपार मजदूरी कोष को दिया हुआ मानता है। मजदूरी कोष यहसे ही निर्धारित नहीं होता है। इसमें परिवर्तन होता रहता है।

2. मजदूरी में वृद्धि अनुपार मजदूरी का तथा मजदूरी की सम्या के आधार पर सम्भव न होता अमिक की कायेकुण्डला में वृद्धि के परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होने से होती है।

3 यह मान्यता कि यदि मजदूरी अधिक दी जाएगी तो दून्जीपतियों का लाभ कम हो जाएगा, गच्छ है। वस्तुस्थिति यह है कि मजदूरी बढ़ने से अमिक्र की कार्य-कुशलता में वृद्धि होती है, उत्पादन बढ़ना है और परिणामस्वरूप न केवल अमिक्र वी मजदूरों ही बढ़ती है बल्कि पूँजीपतियों का लाभ भी बढ़ता है।

4 यह मान्यता भी कि मनदूरी में वृद्धि होने से अमिक्र की वस्तु में वृद्धि होगी, लाभ है। मजदूरी में वृद्धि होने से नीबन स्वर जैसा होगा और फृत्सवरूप जनसह्या में अधिक वृद्धि नहीं होगी।

5 यह सिद्धान्त अमिक्रों की कार्य-कुशलता में निवारण के कारण मनदूरों पाए जाने वाले अन्तरा (Differences) की व्याख्या करने में असमर्थ रहा है।

6 इस निदाने ने सुख्त अमिक्र सघों (Strong Trade Unions) द्वारा सामूहिक सोडाकारों (Collective Bargaining) से मजदूरी में वृद्धि करा लेने की परिस्थितियों की पूर्ण उपेक्षा की है। जिन उद्योगों में मजबूत अमिक्र संघ हैं वे मजदूरों बड़ाने में लकड़ हो गए हैं।

मजदूरों का अवशेष अधिकारी सिद्धान्त (The Residual Claimant Theory of Wages)

इस सिद्धान्त का प्रतिपादन अमेरिकी अर्थशास्त्री वाकर (Walker) ने किया। वाकर के अनुसार अमिक्र उद्योग के अवशिष्ट उत्पादन (Residual Product) का अधिकारी होता है। उद्योग के उत्पादन में से उत्पादन के अन्य साधनों को नगान, व्याज तथा लाभ का भुगतान बरने के प्रचार ने अवशिष्ट नाम बचता है वह मजदूरों की मजदूरी के रूप में वितरित कर दिया जाता है। नगान, व्याज तथा लाभ का निर्धारण कुछ विशिष्ट नियमों द्वारा होता है परन्तु मजदूरी निर्धारण में कोई नियिक निदान नाम में नहीं दिया जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार यदि अमिक्रों की कार्य-कुशलता में वृद्धि होने से राष्ट्रीय भाव में वृद्धि होती है, तो अमिक्रों की मजदूरी भी बढ़ती है—

मजदूरी=कुल उत्पादन—नगान+व्याज+लाभ

आलोचना— 1 यह सिद्धान्त अमिक्रों की भाँय-पक्ष का प्रधान करता है न कि पूर्ति पक्ष (Supply side) का। मजदूरी निर्धारण में दोनों पक्षों का होना आवश्यक है। प्रत यह सिद्धान्त एक-पक्षीय (One-side Theory) है।

2 इस सिद्धान्त के अनुसार सबसे बाद में भुगतान मजदूर को मजदूरी के रूप में किया जाता है पर यह गलत है। वास्तविक लीबन में सबसे पहले भुगतान अमिक्र को किया जाता है तथा अन्त में अवशिष्ट का अधिकारी (Residual Claimant) साहसी अवधा उद्योगी होता है।

3 यह सिद्धान्त अमिक्र सघों की मजदूरी के बड़ाने के प्रयासों की उपेक्षा करता है।

4. जब लगान, व्याज तथा लाभ के लिए विशिष्ट सिद्धान्त वाल में लाए जाते हैं तो किर मजदूरी निर्धारण हेतु क्यों नहीं इन्हीं निदानों का उपयोग किया जाता है, यह बातें में सिद्धान्त असमर्थ हैं।

मजदूरी का सीमान्त उत्पादकता का नियान्त्रण (The Marginal Productivity Theory of Wages)

यह नियान्त्रण उत्पादन के मर्गी मापन के मूल्य-विवरण के काम में लाभ आता है। इब विवरण के अन्तर्गत इस नियान्त्रण द्वारा नीचे उत्पादन के मापनों का मूल्य निर्धारित किया जाता है तब इन विवरण का सीमान्त नियान्त्रण (General Theory of Distribution) कहा जाता है। अधिक का वारिश्वरित नियान्त्रण करने से इसे मजदूरी का सीमान्त उत्पादकता नियान्त्रण कहा जाता है। इस नियान्त्रण के अनुसार अनिक को दिया जाने वाला वारिश्वरित (Remuneration) उसके सीमान्त उत्पादकता (Marginal Productivity) के बराबर होता चाहिए। यदि सीमान्त उत्पादकता अधिक है तो वारिश्वरित भी अधिक होगा पौर यदि सीमान्त उत्पादकता कम है तो वारिश्वरित भी कम होगा। सीमान्त उत्पादकता किसी उद्योग में एक अतिरिक्त अधिक को लगाने से कुल उत्पादन (Total Production) में यह वृद्धि होगी, लहू सीमान्त उत्पादकता होगी। उदाहरणात् 100 वर्षों द्वारा ग्रन्थी वस्तु की 4000 इकाईयों का उत्पादन किया जाता है तथा 101 वर्षों द्वारा उत्पादन में लगाने पर उत्पादन बढ़ कर 4050 इकाईयों हो जाता है तो ये 50 इकाईयों सीमान्त उत्पादन होगा।

मजदूर की मजदूरी उसके सीमान्त उत्पादन के मूल्य (Value of Marginal Productivity i.e V.M.P.) के बराबर होनी चाहिए। यदि अन्य को मजदूरी उसके सीमान्त उत्पादकता के मूल्य से कम ($W < V.M.P.$) ही रहती है तो अधिक का मोपण होता है तथा इससे अधिक ($W > V.M.P.$) होने पर साहंती की हाति उठानी पड़ती। या दीपंशु के मजदूरी (Wages) अधिक क सीमान्त उत्पादकता के मूल्य के बराबर ($W = V.M.P.$) होती।

मजदूरी का सीमान्त उत्पादकता नियान्त्रण के माध्यम से प्राप्ति है—

1. यदि की मर्गी इकाईयों समर्पण (Homogeneous) होती है। नभी इकाईयों काम कुशलता के समान होती है। इसमें अन्यर नहीं होता है।

2. यदि नियान्त्रण पूर्ण प्रतियोगिता (Perfect Competition) की दरवारा पर आधारित है। मापनों का पूर्ण विनियोग, बाजार इकाईयों का दूर्ज जान उदायम में प्रवेश के द्वारा जीवन्तता आदि इसके उत्तराधिक प्राप्त है।

3. मापन की इकाईयों में पूर्ण स्थानान्तर (Perfect Substitution) की स्थिति विद्यमान होती है।

4. ग्राहक की मापन में दूसरे मापन के माध्यम से वृद्धि यथाकामी उत्तरा समझ है। एक ग्राहक की मापन अधिक यथाकाम की जी मर्गी है।

5. यह नियान्त्रण पूर्ण रोपणात् (Full Employment) की दरवारा पर आधारित है। सभी मापनों को रोपणात् मिला हुआ होता है।

6. यह सिद्धान्त उत्पत्ति हास नियम (Law of Diminishing Returns) पर आधारित है। इसका मर्यादा यह है कि विसी साधन की मात्रा गेर-मानुप्रतिक रूप में बढ़ाने से दून उत्पादन में घटती हुई दर से बढ़ि दोती है।

7. उत्पादन के साधन के रूप में अम पूरण गतिशील (Perfectly Mobile) होता है। जहाँ अधिक मजदूरी है वहाँ अधिक कम मजदूरी वाले उद्योग को छोड़कर आ जाएंगे।

8. शीर्षकाल में ही मजदूरी अम के सीमान्त उत्पादकता के मूल्य ($W=V M P$) के बराबर होगी। अल्पवाल में इनमें असमूल्यन (Disequilibrium) हो सकता है।

9. विसी भी उत्पादन के साधन की सीमान्त उत्पादकता उसकी अतिरिक्त इकाई लगाने से ज्ञात की जा सकती है।

आतोचना—इस सिद्धान्त की प्राय ये आतोचनाएँ की जाती हैं—

1. यह मानना कि अम की सभी इकाइयाँ समरूप होती हैं, गलत है। वास्तविक जीवन में हम यह देखते हैं कि वार्षिक उत्पादकता के आधार पर अम के तीन भेद दिए गए हैं—कुशल (Skilled), अदंकुशल (Semi-skilled) और अकुशल (Un-skilled)।

2. सिद्धान्त द्वारा पूर्ण प्रतियोगिता का मान्यता को लेकर चलना भी अव्यावहारिक है क्योंकि व्यवहार में हमें अपूर्ण प्रतियोगिता ही देखने को मिलती है। बाजार की असमानताएँ (Market Imperfections) जैसे बाजार की दशाओं ता पूर्ण ज्ञान न होना, कृत्रिम बाधाएँ आदि हमें इनके निरुद्धी हैं।

3. कोई भी साधन पूर्ण स्थानापन्न (Perfect Substitute) नहीं है। एक साधन की विभिन्न इकाइयों में असमानताएँ पाई जाती हैं तथा विभिन्न साधनों में भी स्थानापन्न एक सीमा तक ही सम्भव है।

4. यह मानना कि एक साधन की मात्रा में बढ़ि अवयव कमों दूसरे साधन के साथ सम्भव है, गलत है क्योंकि एक सीमा के पश्चात् साधन की मात्रा में बढ़ि या वर्षी से विभिन्न साधनों के बीच असमूल्यन उत्पन्न करके उत्पादन को मुचारू रूप से चलाने में बाधा उत्पन्न हो जाती है।

5. पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित यह सिद्धान्त व्यावहारिकता से दूर है क्योंकि धनी से धनी अपवा विवित से विवित देश में भी 5 से 7 प्रतिशत बेरोजगारी पाई जाती है। वास्तव में पूर्ण रोजगार से कम (Less than full employment) की स्थिति हमें देखने को मिलती है।

6. इन सिद्धान्त द्वारा यह मानना कि हमेशा उत्पत्ति हास नियम (Law of Diminishing Returns) लागू रहता है, प्रसत्य प्रतीत होता है क्योंकि उत्पत्ति बढ़ि नियम (Law of Increasing Returns) भी उत्पत्ति के प्रारम्भिक ज्ञात में लागू होता है। इसके पश्चात् उत्पत्ति समता नियम (Law of Constant Returns) लागू होता है तथा अन्तिम स्थिति में उत्पत्ति हास नियम लागू होता है।

7 पूछ गतिशीलता की मान्यता नहीं नहीं है। वयोःवि श्रमिक न रेवर उत्पादन का साधन ही है बचिक वह एक मानव भी है। यत मजदूरी म बुद्धि कानून से ही मजदूर कम मजदूरी से अधिक मजदूरी वारे स्थान की ओर गतिशील नहीं होता है बल्कि वह अन्य तत्त्व जैसे भाषा, स्थान, वातावरण घर्म जान-पहचान, वशभूषा, रीनि-रिवाज आदि में भी प्रभावित होता है, यत उसम गतिशीलता नहीं पाई जाती है।

8 यह सिद्धान्त मजदूरी वा निर्धारण देवल दीर्घकाल में नी बरता है। अन्यकालीन मजदूरी निर्धारण इसमे शम्भव है। जैसा कि प्रा कोन्स न बता है कि "हमारी अधिकारी आविक समस्याएं अल्पकालीन हैं। दीर्घकाल म हम सब मर जाते हैं और कोई समस्या नहीं रहती है।"

9 बृद्ध उत्पादन के साधन की सीमान्त उत्पादकता मापना सम्भव नहीं है। साहसी या प्रशंसक उत्पादन के साधन के रूप में एक-एक ही होते हैं। किसी भी उद्योग मे दूसरा प्रशंसक या साहसी लगाया नहीं जा सकता है। अत साहसी या मगठनकर्त्ता की सीमान्त उत्पादकता मापने म यह सिद्धा त असम्भव रहा है।

10 सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त मजदूरी निर्धारण म श्रमिकों की मात्र पोध्यान म रखता है। सेक्षिन मजदूरी को प्रभावित करने म अधिक की पूँजि भी महत्व रखती है। अत यह सिद्धान्त मजदूरी निर्धारण का एक-पक्षीय मिदान (One sided Theory) है।

मजदूरी का बट्टायुक्त सीमान्त उत्पादकता का सिद्धान्त

(The Discounted Marginal Productivity Theory of Wages)

इस सिद्धान्त का प्रतिपादन अमेरिकी अर्थशास्त्री प्रो टाउसिग (Prof Taussig) ने दिया। प्रो टाउसिग ने मजदूरी के सीमान्त उत्पादकता मिदान की आलोचना करते हुए अपना मजदूरी का सिद्धान्त दिया जिसके प्रत्यंगे श्रमिक को मजदूरी उसके सीमान्त उत्पादकता के मूल्य से कम दी जाती है वयोःवि मजदूरी का मुगलान उत्पादित वस्तु की दिशी के पूर्व ही उद्योगति को बरता पड़ा है। उद्योगति प्रतिम रूप म मुगलान करते समय वर्तमान व्याज दर पर बट्टा काट हर मजदूर को मजदूरी उसके सीमान्त उत्पादकता के मूल्य से कम देना है। इसिग इसे बट्टायुक्त सीमान्त उत्पादकता का सिद्धान्त बहा जाता है। इस मिदान के प्रनुसार मजदूरी निम्न प्रकार दी जाएगी—

मजदूरी की सामान्य दर = सीमान्त उत्पादकता—वर्तमान व्याज दर से बट्टा

इस प्रकार पूँजीपति जब भी मजदूरी का मुगलान करता है तब वह वर्तमान व्याज की दर हे प्राधार पर सीमान्त उत्पादकता मे से बट्टा काट कर ही श्रमिक का मजदूरी चुकाता है वयोःवि वर्तमान म धम द्वारा उत्पादित वस्तु की दिशी करने मे समय लगता है वयोःवि मजदूरी का मुगलान पहले ही करता पड़ता है।

आलोचना—इस मिदान की निम्नादि आलोचना की गई है—

यह सिद्धान्त 'पुँपवा एव प्रमूल' (Dim and Abstract Theory)

यहा जाना है क्योंकि व्यावहारिक जीवन में मजदूरी निर्धारण में इस सिद्धान्त की बोई उपयोगिता नहीं है।

2 उत्पादन के मध्य साधनों जैसे पूँजी, भूमि तथा साहस्री वौ अमर व्याज, लगान तथा लान प्रदर्श हानि के रूप में विए जान दाते भूगतान ने से बहुत यो नहीं काटा जाता है? मजदूरी का भूगतान करते तमय ही बहुत यो काटा जाता है? इन प्रश्न के उत्तर हमें इस सिद्धान्त में नहीं मिलते हैं।

3 इस सिद्धान्त न थम वौ पूति (Supply of Labour) को निश्चित या दिया हृषा मानकर मजदूरी वा निर्धारण दिया जाता है जो कि एक-क्षीय सिद्धान्त वा एक नमूना है। दोनों पक्षों के बिना मजदूरी वा निर्धारण सही तौर पर सम्भव नहीं हो पाता है।

4 इसके अतिरिक्त इस सिद्धान्त पर सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त वौ गभी प्राप्तोचनाएँ लागू होती हैं।

मजदूरी का आधुनिक सिद्धान्त अथवा मजदूरी का मांग व पूति का सिद्धान्त

यद्यपि मजदूर एक मानवीय उत्पादन का साधन (Human Factor of Production) है न कि एक चस्तु, फिर इसका मूल्य निर्धारित करते समय हमे अम वौ मांग और धम की पूति दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रो० नार्सेल के घनुनार मजदूरी का निर्धारण अम की मांग और पूति वौ शक्ति पर प्राधारित होगा वौ कि भिन्न-भिन्न पाई जाती है।

निचो भी उद्योग में मजदूरी का निर्धारण उस बिंदु पर होगा जहाँ पर धम वौ मांग इसके पूर्ण वक्त को काटती है।

धमिक वौ मांग (Demand for Labour)—धमिक वौ मांग नियोदक या उद्योगपति द्वारा उत्पादन करते हेतु वौ जाती है। उत्पादक अम वौ मांग करते समय उसके सीमान्त उत्पादकता के मूल्य (Value of Marginal Productivity or V.M.P.) को ध्यान में रखता है। प्रत्येक उत्पादक अम वौ उस समय तक मांग करता रहेगा जहाँ तक कि धम वौ दिया जाने वाला पारिधमिक उसमे सीमान्त उत्पादकता के 50 के बराबर ($W = V.M.P.$) होता है। बोई भी उत्पादक धमिक को उसके सीमान्त उत्पादकता के मूल्य से घंटिर पारिधमिक देने वौ तंगर नहीं होगा क्योंकि इससे उसदो हानि डाली पड़ेगी।

धम की मांग एक व्युत्पन्न मांग (Derived Demand) है। पर जिस दन्तु वौ मांग प्रधिक है तो धमिक की भी प्रधिक मांग वौ जाएगी। इसके विपरीत धमिक वौ मांग वम होगी।

धम की मांग अन्य उत्पादन के साधनों को बीमतो द्वारा प्रभावित होती है। यदि अन्य साधनों वौ दीमते प्रधिक हैं तो धमिक की मांग प्रधिक होगी अपयो वम।

वायं बरते हैं। इसके प्रत्यंगत मातिक पुल में न्यूनतम मजदूरी देना चाहेगा जबकि अभिक्ष अधिकतम मजदूरी का प्रस्ताव रखेंगे। इसके प्रत्यंगत वास्तविक मजदूरी दर का निधारण अभिको और नियोजको को सौदाकारी शक्ति तथा उनकी दृष्टि पर आधारित होता है। जो पक्ष जितना अधिक सुवर्गित तथा सुहृद (Well-organised and strong) होगा उसनी ही सफलता उसे अधिक मिलेगी। एक विकासशील देश (जैसे भारत) में सुमर्गित तथा सुहृद अभिक तथों का अभाव होने से वहाँ के अभिकों को सौदाकारी शक्ति दुर्बल होने पर उनका जोपरा होता है तथा मजदूरी दर नियोजको या मातिकों के अधिक अनुकूल है। तामूहिक सौदाकारी के प्रत्यंगत निर्धारित वास्तविक मजदूरों किसी भी उद्योग या व्यवसाय में वहाँ के अभिकों द्वी सीमान्त उत्पादकता में मूल्य के बराबर हो सकती है तथा नहीं भी हो सकती है।

एभी-अभी नियोजन तथा अधिक सामूहिक सौदाकारी द्वारा मजदूरी-निर्धारण में असफल हो जाते हैं तब मजदूरों का निधारण एचिद्र दुलह अधवा पचकंसले (Arbitration) के आधार पर होता है। यह निधारण दोनों की सहमति तथा समझौते पर आधारित होने के कारण दोनों पक्षों को सौदेकारी शक्ति तथा कुशलता को प्रदर्शित बरता है। पचकंसले के प्रत्यंगत जो भी पक्ष नियुक्त होता है वह मजदूरी निर्धारित बरते समय न देवन दोनों पक्षों की सौदेकारी शक्ति व कार्य-कुशलता को ही ध्यान में रखता है वल्कि वह उद्योग या नियोजक की मुगवान क्षमता, अभिकों की ओवन-निर्वाह ज्ञायत, अभिकों की उत्पादकता, चर्तमान में पाई जाने वाली मजदूरी दरें और राष्ट्रीय हित आदि बातों को भी ध्यान में रखता है।

इनके अतिरिक्त मजदूरी-निर्धारण वा वायं किसी वैधानिक मण्डल द्वारा भी किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, हमारे देश में विभिन्न उद्योगों के लिए समय-समय पर वेवन मण्डल (Wage Boards) नियुक्त विए गए हैं तथा उनकी सिफारियों के आधार पर सरकार ने मजदूरों नियिकत की है। ये मण्डल मजदूरी निर्धारित बरते समय देश के श्रीयोगिक स्तर, धार्यक, सामाजिक एव राजनीतिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मजदूरों नियोरित बरते हैं।

मजदूरी का सौदाकारी सिद्धान्त सर्वप्रथम प्रसिद्ध धर्यशास्त्री वेब्स ने प्रतिपादित किया था। इसके बाद से ही यह सिद्धान्त अभिक सभों का मूलभूत सिद्धान्त बन गया। प्रो.मिल्स एव मोन्टगोमरी (Prof. Millis & Montgomery) ने मनुसार मजदूरी, वायं के पछ्ये और वायं की दशा में दोनों पक्षों की सापेक्षिक सौदेकारी शक्ति का मामला है। सुवर्गित प्रशासनों के माध्यम से मजदूरी, वायं के पछ्यों तथा धर्य महत्वपूर्ण अम प्रशासनों और उनके प्रशासन में महत्वपूर्ण सुधार विया जा सकता है।¹

हाल ही के वर्षों में, वित्तीय रूप से तीसा की महात् मात्री के परवान से ही सौदेकारी सिद्धान्त ने नगदूरी दरों तथा भवतातीन मजदूरी विनियोगों वे निधारण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

1. Millis H A & Montgomery R A, Organised Labour, p. 36.

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार अभिव्यक्ति में मजदूरी बढ़वाने में असमर्थ थे, लेकिन प्रावृत्तिक समय में समाजवादी विचारधारा और मुसलिम तथा मुद्द अभिव्यक्ति में यह मिथ्क कर दिया है कि नियोजक (Employer) अपनी इच्छानुसार वायं की दशाएँ, काम के घट्टे, मजदूरी, सगठन का प्रशासन आदि निर्धारित नहीं कर सकता। अब अभिव्यक्ति एक वस्तु की तरह क्य नहीं किया जा सकता। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री पूर्ण प्रतियोगिता की दशाप्रमो वो मानवर चलते थे जो कि व्यवहार में नहीं पाई जाती हैं।

निष्कर्ष स्पष्ट में हम कह सकते हैं कि इस सिद्धान्त के अनुसार अभिव्यक्ति वो सुसंगठित तथा मुद्द होना चाहिए और मजदूरी में कमी करने के किसी भी दबाव का डटकर मुकाबला करना चाहिए। सामूहिक सौदे द्वारा ही अभिव्यक्ति मजदूरी, कायं के घट्टे, कायं की दशाप्रमो आदि में महत्वपूर्ण सुधार करवाने में सफल हो सकते हैं। यह सिद्धान्त 'सगठन ही शक्ति है' (Union is Strength) पर आधारित है।

प्रो कीन्स की 1936 में 'सामान्य सिद्धान्त' नामक पुस्तक के प्रकाशित हने से प्रो बेब्स के सौदेकारी सिद्धान्त को एक महत्वपूर्ण संदानिक सहारा मिला।

आलोचना—मजदूरी के सौदेकारी सिद्धान्त को भी उसी प्रकार से आलोचना दी गई है जिस प्रकार से मजदूरी के सीमान्त उत्पादन की—

1. यह प्रश्न किया गया है कि क्या मजदूरी निर्धारण करने में सौदेकारी सिद्धान्त उत्पन्न एवं वायिनीय प्रभाव ढालता है? मजदूरी निर्धारित करने समय उद्योग की नुगानान-अपता, विभिन्न उद्योगों में पाई जाने वाली मजदूरी दर, महारारी नीति आदि तत्त्व भी महत्वपूर्ण प्रभाव ढालते हैं।

2. नियोजक (Employers) इस सिद्धान्त की आलोचना करते हैं क्योंकि साधन-बाजार (Factor Market) में प्रतियोगिता के प्रभाव की मान्यता पर यह सिद्धान्त आधारित है। हम देखते हैं कि इजीनियरिंग, वैज्ञानिक और प्रम्य तरनीकी पदों के लिए बंदेकारी प्राप्त नहीं मिल पाते हैं।

3. सामूहिक सौदेकारी द्वारा मजदूरी में इतनी सीध छुटि नहीं हो पाती है जितनी कि व्यक्तिगत सौदेकारी में—यह मान्यता भी गलत है क्योंकि व्यवहार में हम देखते हैं कि व्यक्तिगत सौदेकारी व प्रत्येक अभिव्यक्ति वो उग्रकी सीमान्त उत्पादकता के मूल्य से कम मजदूरी मिलती है जबकि सामूहिक सौदेकारी वे प्रत्येक यदि मुद्द एवं मुसलिम (Strong and well organised) अभिव्यक्ति हैं तो मजदूरी कभी भी सीमान्त उत्पादकता के मूल्य से कम नहीं हो सकती है।

4. सामूहिक सौदेकारी के आधार पर हुए मजदूरी निर्धारित समनीयों की भी ग्रालोकता की गई है क्योंकि सामूहिक सौदेकारी सिद्धान्त द्वारा निर्धारित मजदूरी जहरी नहीं है कि सीमान्त उत्पादकता के मूल्य के बराबर हो प्रथमा उद्योग की नुगान अपता, राष्ट्रीय नीति आदि के प्रत्युत्त हो। इस सिद्धान्त द्वारा हुए समझौते का मही नहीं मान रखते। उद्योग इसे साधनों के नुकसान आवण्टन, मूल्य स्थिरता प्रथमा गमान वायं हेतु समान मजदूरी वो घ्यान में रखकर प्रध्ययन किया जाए।

5. सामूहिक सौदेकारी सिद्धान्त के अन्तर्गत हुए मजदूरी समझौतों की सामाजिक तथा आर्थिक लागतें (Social and economic costs of wage dispute settlements) भी होती हैं जो कि राष्ट्रीय प्रगति में दबावक होती है—जैसे हड्डालें, ताना-बन्दियाँ, मध्यस्थता, पचकंसना आदि। इनको भी ध्यान में रखकर इस सिद्धान्त की उपयुक्तता का अध्ययन करना होगा।

6. सौदेकारी सिद्धान्त की सबसे प्रभावपूर्ण दुर्बलता इसका ग्रवतरता वे गुण (Opportunistic Character) है। यह अपने आप में मजदूरी निर्धारण का एक पूर्ण सिद्धान्त (Complete Theory) नहीं है क्योंकि यह दीर्घकालीन रूप रेखाएँ प्रस्तुत ही नहीं हैं। जब दोनों पक्ष समझित हो और मजदूरी का निर्धारण सौदेकारी सिद्धान्त के धाधार पर हो जाए तो फिर आगे क्या कार्यक्रम होगा—इसे बताने में यह सिद्धान्त असफल रहा है।

प्रो कीन्स के अनुसार मजदूरी न केवल सौदेकारी शक्ति द्वारा ही निर्धारित की जाए, बल्कि इसके अतिरिक्त इसमें निम्नलिखित बातें भी ध्यान में रखनी होगी—

- 1 एक राष्ट्रीय मजदूरी नीति (A National Wage Policy),
- 2 एक स्थिर नकदी मजदूरी स्तर (A Stable Money Wage Level),
- 3 दीर्घकाल में बढ़ना हुआ नकदी मजदूरी स्तर (A Rising Money Wage Level in the Long Run)।

श्रमिक शोषण की विचारधारा

(Concept of 'Exploitation of Labour')

श्रमिक शोषण की विचारधारा समाजवादी पर्यावरणियों को देन है। कार्ल मार्क्स (Karl Marx) ने अपनी प्रमिङ्ग पुस्तक 'Das Capital' में पूँजीवादी अर्थव्यवस्था को श्रमिक शोषण के लिए उत्तरदायी बताया है। उन्होंने इसी विचारधारा के धाधार पर मूल्य का बचत सिद्धान्त (Surplus Theory of Value) प्रतिपादित किया है। इसके अन्तर्गत श्रमिक को पूँजीपति उसकी सीमान्त उत्पादकता के मूल्य से कम मजदूरी देकर उसका शोषण करते हैं। साथ ही पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में जो लाभ है वह श्रमिकों के शोषण का परिणाम माना है।

श्रमिकों का शोषण श्रमिकों व मालिकों वी समान सौदेकारी शक्ति के कारण होता है क्योंकि श्रमिक प्राय विकासशील देशों में सुट्ट तरह सुमण्ठित न होने के कारण उनको मोनमाल करने की शक्ति (Bargaining Power) कमजोर होती है और उनको जो मजदूरी दी जाती है वह उनके कुन उत्पादन में दिए गए योगदान (Contribution to total production) के मूल्य से कम होती है और इस तरह उनका शोषण होता रहता है।

प्रनिषिद्ध अर्थशास्त्री (Classical Economists) वस्तु बाजार (Commodity Market) तथा साधन बाजार (Factor Market) में पूर्ण प्रतियोगिता की माध्यता को मान कर चत देते। अत उस समय हिन्दी भी साधन के शोषण होने का प्रयत्न नहीं उठाता होता था, लेकिन हवा वातनिक शीर्षन व देवन हैं कि न तो वस्तु

बाजार ग्रीट न ही साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता नहीं जाती है। अवधार में पूर्ण प्रतियोगिता के बारण साधन के शोरण की हिति उत्पन्न होती है।

साधारण व्यक्ति की रूपी में जब लाभ अधिक हो ग्रीट मजदूरी की कम, थम का शोरण माना जाता है। अर्थशास्त्रियों ने थमिह का शोरण विभिन्न रूपों में परिभाषित किया है। प्रो. पीयू के प्रनुसार, जब थमिह को उसके सीमान्त भौतिक उत्पादन के मूल्य (Value of Marginal Physical Product) में कम मजदूरी दी जाती है तो थमिक शोरण होगा जबकि थीमनी जॉन रोबिन्सन (Mrs Joan Robinson) ने थमिह के शोरण को सीमान्त विशुद्ध उत्पादकता (Marginal Net Productivity) के रूप में परिभाषित किया है। इसमें सीमान्त विशुद्ध उत्पादकता से अर्थ है—सीमान्त भौतिक उत्पादकता की फर्म के सीमान्त आगम (Marginal Revenue or M.R.) से गुणा किया जाता। थीमनी रोबिन्सन के प्रनुसार, थमिह का शोरण थम बाजार की प्रयुक्तियों के बारण होता है जबकि प्रो. पीयू की थम शोरण सम्बन्धी विवारणारा अपेक्षा है। उसके प्रनुसार थमिह का शोरण म केवल थम बाजार की प्रयुक्तियों का परिणाम है, बल्कि इस शोरण से वस्तु बाजार वी प्रयुक्तियों वा भी हाथ है। वस्तु बाजार में जब प्रयुक्ति प्रतियोगिता होती है तो सीमान्त आगम कीमत से कम (Marginal Revenue is less than Price or MR < P) होता है।

पूर्ण प्रतियोगिता के प्रत्यंत थमिक शोरण के प्रधान हेतु हमें सीमान्त आगम उत्पादन (Marginal Revenue Productivity) वो ध्यान में रखा चाहिए। राजाविक व्यवहार में हमें पूर्ण प्रतियोगिता न केवल साधन बाजार (Factor Market) में बल्कि वस्तु बाजार (Commodity Market) में भी देखने तो नहीं मिलती है। यदि नियोक्ता तभी उत्पादन के साधनों को उनके सीमान्त उत्पादन के मूल्य (Value of Marginal Product) के बराबर गुणान्त हर देता है तो इसका शोरण होगा। थमिह के शोरण के बारणों वा प्रधान प्रतिलिपि विन्दुओं के अन्तर्गत कर सकते हैं—

1. पूर्ण वस्तु बाजार (Perfect Commodity Market) के बारण थमिह का शोरण होता है क्योंकि प्रथम उत्पादन के गावर का सीमान्त आगम उत्पादन इसमें सीमान्त उत्पादन के मूल्य से कम ($MRP < VMP$ or Marginal Revenue Product is less than Value of Marginal Product) होता है। इस ब्राह्मण वा शोरण सभी साधनों का होता है। जहाँ तक युद्ध गीता तर एकाधिकारी तत्व की हिति देन को मिलती, थमिहों का शोरण भी होता होगा। इस हिति से मजदूरी बढ़ाने से शोरण सनातन नहीं हित वा सकारात्मक होकर ऐसा करने से ऐकाधिकारी उत्पादन का वा उत्पादन करना होता जाता है। इन दोनों वी मध्यात्म करने के लिए एकाधिकारी द्वारा उत्पादन करना होता जो हि उनी घोरत साधन तथा शीमन दोनों को बराबर (Average Cost=Price) रखता

हो। यदि मजदूरी नीची है तो हम यह नहीं कह सकते विश्वित शोषण होता है। यह तभी कहा जा सकता है जबकि श्रमिक की उत्पादकता वा स्थान में रखा जाए। उत्पादकता बम होने पर मजदूरी भी बम होगी और इसे हम श्रमिक के शोषण के नाम से नहीं पुकार सकते।

2. थम बाजार (Labour Market) के शोषण होने की स्थिति में भी थम वा शोषण होता है क्योंकि इसके प्रत्यंत नियोता मिलकर थम वे तय हेतु समझौता कर लेते हैं। यह शोषण उस स्थिति में भी सम्भव है जहाँ पर थम की पूर्ति पूर्ण लोचदार से कम होती है। थम की पूर्ति पूर्ण लोचदार से कम उस स्थिति में हो सकती है—जब श्रमिक एक स्थान से दूसरे स्थान, एक उद्योग से दूसरे उद्योग में गतिशील न हो और चालू मजदूरी दरों पर बाय करने को तत्पर न हो।

जहाँ श्रेताधिकार (Monopsony) की स्थिति थम बाजार में विवरान होती है वहाँ श्रमिक का शोषण होता है। श्रमिक-न्यंथ श्रेताधिकारियों पर मजदूरी बढ़ाने हेतु दबाव ढाल सकते हैं लेकिन उनको अधिक सफलता नहीं मिल सकती क्योंकि अधिक दबाव ढालने पर श्रमिकों के रोजगार पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

3 श्रमिकों की भिन्नता (Heterogeneity of Labour) के कारण भी श्रमिकों वा शोषण सम्भव होता है क्योंकि श्रमिकों को अलग अलग बगों में विभाजित किया जा सकता है—जैसे कुशल, अद्वे कुशल एवं अकुशल। कार्य-कुशलता के द्वाधार पर विभिन्न बगों वाले श्रमिकों को अलग अलग पारिश्रमिक दिया जाता है। एक ही बगं जैसे कुशल में भी वितने ही श्रमिक होते हैं। सबसे घटिया दक्षता वाले श्रमिक को जितनी मजदूरी दी जाती है और उतनी ही उससे अधिक दक्षता रखने वाले श्रमिक को दी जाती है तो यह भी श्रमिक शोषण को उत्पन्न करता है।

आधुनिक विचारधारा

उपरोक्त मजदूरी निर्धारण के विभिन्न सिद्धान्तों का अध्ययन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोई भी मजदूरी-निर्धारण का सिद्धान्त अपने माप में पूर्ण एवं व्यावहारिक नहीं है। इस तरह किसी भी राष्ट्र में मजदूरी-निर्धारण सम्बन्धी कार्य एक जटिल विषय है। प्राचीन समय में मजदूर को एक वस्तु की भाँति समझकर नजदूरी वा निर्धारण कर दिया जाता था लेकिन अब समाजवादी विचारधाराओं तथा कल्याणकारी राज्य की भूमिका ने मजदूरी-निर्धारण सम्बन्धी विचार को पूर्ण रूप से बदल दिया है। अब श्रमिक के वस्तु इटिकोए के स्थान पर मानवतावादी हिटिकोए अपनाया जाता है। अब श्रमिक वा सम्बन्ध नियोता के साथ मालिक मजदूर का न रहकर सहभागिता (Partnership) का सम्बन्ध हो गया है। श्रोद्योगिक प्रजातन्त्र (Industrial Democracy) के विचास से श्रमिक उद्योग के प्रशासन में भी हाथ बेंटाते हैं। अधिकारी देशों में मजदूरी-निर्धारण में बड़ी महत्वपूर्ण तत्त्व प्रभाव ढालते हैं—जैसे थम की उत्पादकता श्रमिकों की नियोजिताओं की मोदेवारी शक्ति, सरकारी विधान एवं हस्तक्षेप, प्राधिक विकास वा

स्तर, राष्ट्रीय प्राय जीवन निवाह लाभ, उद्योग की गुणतात्त्व समस्या, सामाजिक सामने नियोक्ता का उपभोग पौर विनियोग एवं उसस्वी एकाधिकार तत्व की हिति पादि। मजदूरी नियोक्ति करते समय इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा।

मजदूरी में अन्तर के कारण (Causes of Wage Differentials)

मजदूरी से सम्बन्धित समस्या सापेक्षिक मजदूरी (Relative Wages) है। इसके अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायों, विभिन्न रोजगारों, विभिन्न स्थानों में मजदूरी में अन्तर होने के कारणों का अध्ययन किया जाता है। भिन्न-भिन्न व्यवसायों में मजदूरी की दर समान नहीं होती है। एक ही व्यवसाय पौर विभिन्न व्यवसायों में मजदूरी में नाएँ जाने वाले कारणों का अध्ययन करना उचित होगा। वे तत्त्व जिनके कारण विभिन्न व्यवसायों, विभिन्न रोजगारों तथा स्थानों में मजदूरी में अन्तर पाया जाता है, निम्नांकित हैं—

1 व्यावर्तुशताता में अन्तर (Differences in Efficiency)— एक ही व्यवसाय तथा विभिन्न व्यवसायों में मजदूरी में भिन्नता का कारण व्यक्ति की व्यावर्तुशताता में अन्तर का पाया जाना है। अमिक्स शुश्राव (Skilled), सर्वांकुशल (Semi-skilled) एवं अकुश्राव (Unskilled) होने हैं। यह व्यावर्तुशताता का अन्तर जन्मजात गुणों (Inborn qualities), शिक्षा, प्रशिक्षण एवं वायं की दबावों पादि के कारण से होता है। यह जब व्यावर्तुशताता अलग-अलग होनी तो मजदूरी में अन्तर होता भी स्वाभाविक है।

2 बाजार की प्रवृत्तियों (Market Imperfections)— यह वा. पूर्ण गतिशील न होना, एकाधिकारी तत्व तथा सरकारी हस्तेषु प्रादि बाजार की व्यावर्तुशतात्रों की उत्पत्ति करते हैं। इन्हीं प्रवृत्तियों के कारण मजदूरी में अन्तर पाए जाने हैं। इसी व्यवसाय में गुरुत्व अम-सम्पद का होना, सरकार द्वारा गून्हास मजदूरी व्यवसियम, व्यक्तिकों में भीतोंसिक गतिशीलता का प्रभाव एवं यह की गतिशीलता में सामाजिक तथा साम्यान्तर वापक तत्व पादि के कारण वाजार की प्रवृत्तियों का अन्तर देते हो गिरते हैं।

3 विही व्यवसाय को सौलगे की साधन अपयोगिताएँ के कारण विही व्यवसाय किशेष में व्यक्तिकों की पूर्ण उनकी मीठी की तुलना में बहुत होती है। विही व्यवसाय उनकी मजदूरी अन्य बगों से अधिक होती पौर मजदूरी में अन्तर पाए जाते हैं। उदाहरणत टॉक्टर व हमीनियर को एक साधारण लागत से परिवर्तन मिलता है।

4 वायं की प्रकृति (Nature of Work)— कुद वायं व्यावो होने हेतु वायं वृद्ध सामिक्षा (Seasonal) होते हैं। इयावी वायों में तो व्यक्तिकों की मजदूरी दर बहुत होती है जबकि साम्यावी प्रवृत्ति वासे वायों में तो व्यक्तिकों को प्राप्त परिवर्तन मजदूरी दी जाती है। ये सभी कारण मजदूरी में अन्तर को जान देते हैं।

5 भावी उन्नति में अन्तर (Differences in Future Prospects) के बारण मजदूरी में अन्तर पाए जाते हैं। जिस व्यवसाय या उद्योग में श्रमिकों को भविष्य में उन्नति के ग्रधिक अवसर होते हैं, उसमें श्रमिक प्रारम्भ में कम मजदूरी पर भी कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। इसके विपरीत जिन व्यवसायों में भावी उन्नति के आसार कम ग्रधिक नहीं होते हैं, उनमें प्रारम्भ में श्रमिकों को ऊँची मजदूरी का सुआन किया जाता है। इत इस विभिन्नता के कारण अलग-अलग व्यवसायों में मजदूरी में अन्तर देखने को मिलेंगे।

6 रोजगार का समाज में स्थान (Social Esteem of Employment)——निम्न कार्य के लिए ग्रधिक मजदूरी देकर श्रमिकों को आकर्षित करना पड़ता है वयोंकि समाज में ऐसे कार्य करने वाले को हेय लिटि से देखा जाता है जबकि समाज में घरेलू निमाह से देखे जाने वाले रोजगार के लिए कम मजदूरी देने पर भी श्रमिक कार्य करने हेतु तैयार हो जाएंगे।

7. शृंखलाय की जोखिम (Risk of Occupation)—जिन व्यवसायों में कार्य ग्रधिक खतरनाक ग्रधिक जोखिमपूर्ण होते हैं, उनमें कार्य करने वालों को ग्रधिक पारिश्रमिक दिया जाता है जबकि मजदूरी और आसान कार्य परने वालों को कम मजदूरी दी जाती है। श्रमिक य संतिक दोनों की मजदूरी में अन्तर मुख्यत इसी कारण पाया जाता है।

8. निर्वाह लागत (Cost of Living)—जिन स्थानों या शहरों में जीवन-निर्वाह लागत ग्रधिक होती है वहां पर कार्य करने वालों को ऊँचा बेतन दिया जाता है जबकि दूसरी ओर सस्ते जीवन-निर्वाह लागत वाले शहरों में मजदूरी कम दी जाती है। इस प्रकार जीवन निर्वाह लागत मजदूरी में अन्तर उ पन्न करती है।

मजदूरी में विभिन्नता एवं पूँजीवादी ग्रथंव्यवस्था को महत्वपूर्ण देन है। इस ग्रथंव्यवस्था का ग्रथंतन्त्र ही ऐसा है जो कि मजदूरी में अन्तर तथा आर्थिक असमानता को जन्म देने में सहायक होता है। किर भी विभिन्न श्रमिकों की कार्य-कुशलता की विभिन्नताओं के कारण मजदूरी में अन्तर होना परमावश्यक (Inevitable) है। एक अमेरिका जैसी स्वतन्त्र ग्रथंव्यवस्था में मजदूरी का निर्धारण बाजार दशाओं के प्राधार पर होने के कारण मजदूरी की विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। एक समाजवादी ग्रथंव्यवस्था में भी मजदूरी में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को अभी समाप्त नहीं किया जा सका है, यद्यपि इन देशों में उत्पादन के सभी साधन सरकारी स्वामित्व में हैं तथा निजी सम्पत्ति के ग्रधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है।

मजदूरी में अन्तर श्रमिकों के शारीरिक और मानसिक गुणों के अलग-अलग होने का परिणाम है। श्रमिकों में मौलिक तथा प्राप्त गुणों के अन्तर के कारण उनकी दक्षता भी अलग-अलग होती है और स्वाभाविक है कि उनको मजदूरी भी उत्पादन-क्षमता भी इससे अलग-अलग होगी।

मजदूरी-अन्तरों के प्रकार (Types of Wage Differentials)

मजदूरी में अन्तरों को निम्नावित बारों में विभाजित किया जा सकता है।—

1. रोजगार बाजार की अपूरणताओं (Imperfections of the Employment Market) के कारण भी मजदूरी में अन्तर उत्पन्न होते हैं। असिक्को को कार्य की जानकारी का न होना, असिक्को भी भोगेलिक एवं ध्यावकायिक गतिशीलता का अभाव आदि मजदूरी में अन्तर का बोतलाहन देते हैं।

2. तिया आयु आदि के कारण भी मजदूरी में अन्तर पाया जाता है। स्त्री को पुरुष से कम मजदूरी दी जाती है और बालक को बयस्क से कम मजदूरी दी जाती है।

3. ध्यावकायिक मजदूरी में अन्तर (Occupational Wage Differentials)—ध्यावकायों को भी मानसिक तथा शारीरिक कार्य करने वालों के बाधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। रोजगार बाजार में वितनी ही पूरणताएँ वर्गों न हो किर भी ध्यावकायिक मजदूरी में अन्तर मिलेंगे। विसी एक उदाहरण में प्रबन्धक को बेतन समय इसी सम्यान के विभिन्न निभागों के विभागाध्यक्षों को मिलने वाला बेतन अलग-अलग होता है। शारीरिक कार्य करने वाले असिक्को भी मजदूरी भी मानसिक कार्य करने वाले असिक्को से भलग होगी।

3

मजदूरी और उत्पादकता, ऊँची मजदूरी की मितव्ययिता, राष्ट्रीय आय वितरण में अम का भाग, प्रेरणात्मक मजदूरी भुगतान की पद्धतियाँ, भारत में मजदूरी भुगतान की पद्धतियाँ

(Wages and Productivity, Economy of High Wages, Labour Share in National Income Distribution, Methods of Incentive Wage Payment, Systems of Wage Payment in India)

मजदूरी और उत्पादकता

(Wages and Productivity)

मजदूरी को प्रभावित करने से उत्पादकता का महत्वपूर्ण स्थान है) जब भी मजदूरी में वृद्धि की जाती है तो यह सोचा जाता है कि उत्पादकता में भी वृद्धि होगी अर्थात् नहीं। यद्यपि उत्पादकता के प्राप्तार पर ही मजदूरी में वृद्धि करना बांधनीय होगा, लेकिन स्वयं उत्पादकता को मापना बड़ा कठिन है। (इसी वस्तु के उत्पादन में, उत्पादन के विभिन्न साधनों का सहयोग होता है। एक साधन द्वारा एक वस्तु के उत्पादन में वितना योगदान रहा है, वह उस साधन की उत्पादकता होती है। थम की एक इकाई द्वारा कितना उत्पादन किया जाता है वही उसकी उत्पादकता है। रोजगार की दी हुई मात्रा के साथ राष्ट्रीय आय की मात्रा थम की उत्पादकता पर निर्भर करती है।) उत्पादन को अधिकतम करने हेतु हम मानवीय शक्ति को रोजगार देकर उससे अधिकतम उत्पादन करना होगा (अधिक रोजगार होने के बावजूद भी उत्पादन अधिकतम सम्भव नहीं हो पाता यदि श्रमिकों की उत्पादकता कम है।

उ पादन के यन्त्रो उत्पादन के तरीका, प्रबन्ध कुशलता, ग्रन्थ साधनों की पूर्ति आदि को दिया हुया मानकर चलें तो हम कह सकते हैं कि अभिक उत्पादकता उसकी कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। कार्यकुशलता तथा उत्पादकता में सीधा सम्बन्ध है। यदि कार्यकुशलता ग्रन्थी है तो उत्पादकता में हृदि होगी ग्रन्था नहीं। उत्पादकता की परिभाषा

(Definition of Productivity)

उत्पादकता इसी वस्तु के उत्पादन की मात्रा और एक या अधिक उत्पादन के साधनों का अनुपात बताती है जो कि मात्रा म ही मापी जाती है।¹ इस विचार ने अनुसार उत्पादकता विभिन्न प्रकार की होती है जैसे—अभ म उत्पादकता, पूँजी उत्पादकता शक्ति उत्पादकता एवं इच्छे माल की उत्पादकता आदि।

[प्रो गांगुली (Prof H C Ganguli) ने अनुसार, उत्पादकता का अप सामान्यतया किसी सृजन करने की शक्ति या शक्ति से होता है (Productivity usually means possession or rise of the power to create); उत्पादकता वो निर्माणित सूत्र से जात किया जा सकता है—

$$\text{अभ उत्पादकता} = \frac{\text{यन का उत्पादन (Output of Wealth)}}{\text{अभ साधन (Input of Labour)}}]$$

उपयोग और महत्व

(Uses and Significance)

अभ उत्पादकता वे उपयोग व महत्व को निम्न रूपा में देता जा सकता है—

1. किसी भी देश म विकास और प्रगति की दर एक लम्बे समय तक विस तरह परिवर्तित रही है। उत्पादकता को किसी भी समाज की उन्नति का बरामीटर कहा जा सकता है। अधिक उत्पादकता है तो इससे उत्पादन में हृदि होगी और राष्ट्रीय आर्थिक विकास की दर म दृढ़ि होगी।

2. उत्पादकता सूचकांकों की सहायता से विभिन्न संस्कारी, ध्यावसादिर एवं अभ सध नीतियों जिनका सम्बन्ध उत्पादन, मजदूरी मूल्य रोजगार, काय व पण्टो प्रोर जीवन निवाह से होता है निर्धारित आसानी से दिया जा सकता है।

3. मजदूरी दरों के सम्बन्ध म सोडा करने की सुविधा उत्पादकता के कारण ही सम्भव होती है क्योंकि उत्पादकता म हृदि होते ही अभिर मजदूरी म हृदि करने की सीमा बढ़ सकते हैं।

4. उत्पादकता की सहायता से हम विभिन्न उद्योगों की उत्पादकता वा तुलनात्मक अध्ययन बढ़ सकते हैं तथा यह पना लगा सकते हैं कि माहमी निम्न उत्पादकता उद्योग से अधिक उत्पादकता उद्योग में द्वयों पूँजी निवेश बढ़ता है अपवा नहीं।

¹ Bell, G C Measurements of Production & Productivity in Indian Industry, p 90

² Ganguli, H C Industrial Productivity and Motivation, p 1

5. उत्पादकता से हमें यह भी पता चलता है कि किसी धौदोगिक इकाई में प्रतीय, प्रबन्धकीय एवं प्रशासकीय एकीकृत नीति का उचित परिवर्तन पर वया प्रभाव पड़ता है।

6. उत्पादकता सूचकांकों के सहारे किसी भी धौदोगिक इकाई में विवेची-करण (Rationalisation) तथा वैज्ञानिक प्रबन्ध (Scientific Management) की योजनाओं के लागू करने से निकले परिणाम ज्ञात किए जा सकते हैं।

7. कारखाना प्रबन्धक उत्पादकता के माध्यम से नवीन मजदूरी भुगतान तथा प्रेरणात्मक मजदूरी भुगतानों की सफलता के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकता है।

श्रम की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले तत्त्व

(Factors affecting the Productivity of Labour)

अब हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि श्रम उत्पादकता किन-किन तत्त्वों से प्रभावित होती है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation) के अनुसार श्रम की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले तत्त्वों को तीन बगों में बांटा जा सकता है¹—

1. सामान्य तत्त्व (General Factors)—श्रम उत्पादकता को प्रभावित करने में सामान्य तत्त्व महत्वपूर्ण हैं। सामान्य तत्त्वों के अन्तर्गत जलवायु, कच्चे माल का भोगोलिक वितरण आदि आते हैं। जहाँ गर्म जलवायु होती है वहाँ के अभियक्ष लम्बे समय तक कार्य नहीं कर पाते हैं तथा उनकी कार्य क्षमता कम होने से उत्पादकता भी कम होती है। भारतीय अभियक्ष यूरोपीय अभियक्ष की तुलना में कम उत्पादकता देता है क्योंकि हमारे देश की जलवायु गर्म है। जहाँ कच्चा माल आसानी से और शीघ्र सुलग होता है वहाँ अभियक्ष उत्पादकता अधिक होगी और इसके विपरीत कम उत्पादकता होगी।

2. संगठन एवं तकनीकी तत्त्व (Organisation & Technical Factors)—श्रम की उत्पादकता उद्योग के संगठन तथा उनमें वाम लाई गई तकनीकी द्वारा भी प्रभावित होती है। इसके अन्तर्गत कच्चे माल की गुणवत्ता (Quality of Raw Material), प्लान्ट की तिप्पति एवं सरचना, मशीनों एवं प्रौजारों की विसावट आदि आते हैं।

3. मानवीय तत्त्व (Human Factors)—मानवीय तत्त्वों से भी श्रम की उत्पादकता प्रभावित होती है। मानवीय तत्त्वों के प्रन्तर्गत श्रम-प्रबन्ध सम्बन्ध, कार्य की सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएँ, श्रम संघ अधिकार आदि आते हैं। जिस संस्थान में थ्रय-प्रबन्ध सम्बन्ध अच्छे एवं मधुर होने हैं वहाँ हड्डानां, ताना बनियाँ, धोमे वार्ष की प्रवृत्तियाँ आदि न होने से श्रम की उत्पादकता में वृद्धि होती है। इसके

¹ *Beri, G C Measurements of Production & Productivity in Indian Industry, p. 9*

विपरीत दाते होने पर थम की उत्पादकता पटती है। वार्ष दी दशाएँ सब्दी होने पर तथा थम समस्याओं को मानवीय रूटिकोए से देखने पर थमिकों दी मनोड़ता और समाज पर घच्छा प्रभाव पड़ने से थमिक उत्पादकता में बढ़ि होती है। थमिक सधों का व्यवहार भी घच्छा होने पर उत्पादकता पर धनुष्ठल प्रभाव पड़ेगा।

थम उत्पादकता की माप (Measurement of Labour Productivity) — थम उत्पादकता को कई तरीकों से मापा जा सकता है। इसी उद्योग में एक ही उत्पादन (Single Product) होने पर थम उत्पादकता ज्ञात करना सामान है। उत्पादकता मापने हेतु निम्नलिखित समीकरण काम में लाया जाएगा—

$$P = \frac{q}{m}$$

P का अर्थ है उत्पादकता, q उत्पादन की मात्रा या इकाइयों तथा m मानव यष्टों की सहा को प्रदर्शित करता है। शेष समयों (Two Periods) में उत्पादकता में हुए परिवर्तनों को इस प्रकार लिख सकते हैं— $\frac{q_1}{q_0} / \frac{m_1}{m_0}$ । इनमें q_0 और q_1 धापार वर्ष एवं चालू वर्ष को प्रदर्शित करते हैं।

सेविन उपरोक्त समीकरण द्वारा मापी गई उत्पादकता वास्तविक जीवन में मापी जाने वाली उत्पादकता से मापान है। वास्तविक जीवन में उत्पादकता मापान मापान नहीं है क्योंकि एक ही उद्योग द्वारा एक से थमिक वस्तुओं का उत्पादन हिया जाता है। विभिन्न वस्तुओं की भौतिक मात्रा तथा मात्राएँ-प्रकार धनुष्ठ-धनुष होने हैं। इस समस्या को दो विधियों द्वारा हल दिया जा सकता है—

1. उत्पादन के साथ-साथ रोजगार के सूचकांक माधार तथा चालू वर्षों के लिए तंयार किए जा सकते हैं और इनके धापार पर चालू वर्ष में मापार वर्ष के धापार पर हुए उत्पादकता के परिवर्तन को मापा जा सकता है। चालू वर्ष में हुए उत्पादकता के परिवर्तन को निम्न प्रकार ज्ञात किया जाएगा—

$$\frac{P_1/P_0}{E_1 E_0}$$

इस सूत्र में P तथा E उत्पादक सूचकांक तथा रोजगार सूचकांक को प्रदर्शित करते हैं।

2. थम उत्पादकता मापने की दूसरी विधि के अन्तर्गत प्रति मानव घण्टा उत्पादन (Output per man hour) वा विपरीत (Reciprocal) उत्पादन वर्के उत्पादकता मालूम की जा सकती है। इस प्रकार उत्पादन की प्रति इकाई पर हिया गया मानव घण्टों का व्यय ज्ञात हिया जाता है घण्टाद्वारा एक वस्तु की एक इकाई के उत्पादन में कितने मानव घण्टों (Man hours) का व्यय हुआ। इसे हम 'इकाई थम जरूरत' (Unit Labour Requirement) के नाम से भी पुसारते हैं।

थम उत्पादकता की आलोचना (Criticism of Labour Productivity)

१. यदि हम थमउत्पादकता का अध्ययन करते हैं तो इससे थम को ही उत्पादन बढ़ाने के लिए अनावश्यक महत्व दिशा जाना है यद्यपि उत्पादन में वृद्धि हेतु न केवल थम की उत्पादकता में वृद्धि करना आवश्यक है, बल्कि उत्पादन के अन्य साधनों के महत्व का भी स्वीकार करना है।

२. किसी भी स्थान, फर्म अथवा उद्योग से प्राप्त कुल उत्पादन को थम के रूप में घ्यक्त नहीं कर सकते हैं। उद्योग अथवा फर्म की कार्यकुशलता भी भौतिक उत्पादन और थम प्रयासों के अनुपात के रूप में नापना दठिन है।

३. ३. प्रति व्यक्ति घण्टे को उत्पादकता का सूचकांक मानकर चलना भी उचित नहीं है क्योंकि यह अन्तर साधन एव उत्पादन कुशलता में परिवर्तन को भी बताते हैं।

४. ४ अविकसित देशों में अपनी थम उत्पादकता जानने, इसे मापन आदि के सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी का अभाव है। अत वहाँ इस विचारधारा का सही एव उचित उपयोग सम्भव नहीं हो सकता।

५ थम उत्पादकता के सूचकांकों की सहायता से सरकारी नीतियों का निर्धारण केवल एक अनुमान मात्र है। जिस आधार पर सूचकांक तयार किए जाते हैं, वे अपने आप में सही नहीं हैं।

उत्पादकता सम्बन्धी विचारों के प्रकार (Types of Productivity Concepts)

उत्पादकता सम्बन्धी विचार विभिन्न सदमों तथा अद्यों में बात याने हैं—

१ भौतिक उत्पादकता (Physical Productivity)—जब किसी उत्पादन के साधन का उत्पादन में कितना योगदान है, उसे भौतिक रूप में घ्यक्त करने हैं तो वह भौतिक उत्पादकता कहलाती है, जैसे प्रति मानव घण्टा हीन मीटर वपड़ा आदि।

२. मूल्य उत्पादकता (Value Productivity)—उत्पादकता सम्बन्ध (Homogeneous) नहीं होन पर तथा विभिन्न प्रबार की वस्तुओं के उत्पादन से तुलना सम्भव नहीं होने पर उन वस्तुओं की भौतिक मात्रा को बाजार मूल्यों पर मुला करके मूल्य में घ्यक्त करते हैं तो यह मूल्य उत्पादकता बहुताएंगी, उदाहरणात 3 मीटर वपड़ा, 4 विलो सूत आदि का मूल्य ज्ञात करके उत्पादकता के रूप में घ्यक्त करना।

३. औसत उत्पादकता (Average Productivity)—जब कुल उत्पादकता (Total Productivity) में थम की लगाई गई इकाईयों का जाग लगाया जाएगा तो हमें औसत उत्पादकता प्राप्त होगी। उदाहरणात्, कुल उत्पादकता 500 इकाईयाँ हैं तथा थम के सर्वा 100 हैं तो औसत उत्पादकता 5 इकाईयाँ होगी।

४ सीमान्त उत्पादकता (Marginal Productivity)—विसी वस्तु के उत्पादन में थम की एक भौतिक इकाई के लगाने पर कुल उत्पादकता में जो वृद्धि

होती है, वही सीमान्त उत्पादकता होगी, जैसे 100 अधिकों की तुलना में उत्पादकता 500 इकाइयाँ हैं तथा 101 अधिकों की 510 इकाइयाँ तो सीमान्त उत्पादकता 10 इकाइयाँ होगी।

भारत में श्रम उत्पादकता एवं उत्पादकता आन्दोलन

(Labour Productivity and Productivity Movement in India)

भारत एक विकासशील देश है जो पचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सुनियोजित रूप में घरने तीव्र विकास के लिए प्रयत्नशील है। यह पचवर्षीय योजनाएँ पूरी करने और साथी पचवर्षीय योजना में प्रवेश करने के उपरान्त भी हमारी औद्योगिक उत्पादकता व्यापत बढ़त कम है और उत्पादन लागत बढ़त प्रधिक है। हमारे उद्योगों की उत्पादकता अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक शेत्र की उत्पादन की तुलना में काफी कम है। यह भारत में उत्पादकता वृद्धि संघर्ष उत्पादकता आन्दोलन का अपना विशेष महत्व है। उत्पादकता आज समृद्धि का प्रतीक है और भारत के लिए हमें यह जीवन-मरण का प्रश्न है। हमें उत्पादन की विशिष्ट और आपुनिषद्वत्तम पद्धतियों, नवीनतम मशीनों और उपकरणों, थेट्ट मानवीय सम्बन्धों एवं प्रबन्ध-गतिविधियों द्वारा औद्योगिक उत्पादकता को तेजी से बढ़ावा होगा, ताकि जन-सामाज्य का जीवन-स्तर विभिन्न स्तरों पर बढ़ावा हो सके।

स्वर्णीय प० नेहरू के ये शब्द आज भी हमारे लिए मार्गदर्शन हैं कि "यद्यपि हमारे देश में पर्याप्त गाँड़ा में सही थ्रम-शक्ति उपलब्ध है, किंतु भी हम अन्य देशों से उत्पादन-क्षमता व लागत आदि में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, यहीं तक कि हम देश के व्यास्तरिक गुरुदेश बाजार में भी प्रधिक दिनों तक नहीं टिक पाते। इस वास्तविकता का उत्तर देखत एक ही बात में निहित है कि हम प्रश्न सीमित साधनों का सार्वोपयुक्त ढग से उपयोग करें और उत्पादकता की विवित तरनीक एवं प्रकृष्ट की थेट्टतम प्रणालियों को माध्यना प्रदान करें।" स्वर्णीय नारा यहां दुर्लभ स्थिति ने भी उत्पादकता के महत्व को इतिहास तक टूटे बहा कर दिया है। "हमें सोंगों का जीवन-स्तर उच्चतर बनाना है। उत्पादकता बढ़ान से उत्पादन की लागत कम होती है जिससे बस्तुएँ कम कीमत पर बेची जा सकती है और बाजार का विशार होता है तथा विश्व के बाजारों में हमारी बस्तुएँ महत्वगूण ढग से प्रतियोगिता कर सकती हैं।" इ०० जाकिर हुसैन न भी यहा या "यह एक विरोधाभास लगता है कि यद्यपि उम्मीदियां सिनेमा राष्ट्रों की तुलना में हमारे पह्ले मन्दूरी का स्वर नीचा है लेकिन जो बस्तुएँ हम तैयार करते हैं, वे गहरी नहीं हैं अतिरिक्त प्रधिक लागत की है जिससे उम्मीदें विकल्पों में बिठाई रहती है। इसका एक ही उत्तर है कि हम प्रश्नी जन-सामाजिक गवर्नमेंट साधनों का प्रभावशाली ढग से उपयोग करें ताकि उत्पादकता में वृद्धि हो सके।"

भारत में उत्पादकता आन्दोलन

हमारे देश में उत्पादकता सम्बन्धीय विकार नहीं है। एक मरमारी गंग-गरवाई संस्थाएँ एवं गंगड़ों ने उत्पादकता को विश्वासित करते हैं लिए विभिन्न

श्रीदीगिक देशो मे विभिन्न प्रकार के कार्यशमो का आयोजन समय-समय पर हिया है। किर उत्पादकता के सम्बन्ध म उद्योगो मे उस समय अधिक ध्यान दिया गया जब 1952 और 1954 में, अन्तर्राष्ट्रीय थम मण्ठन (I. L. O.) की टीमे हमारे देश मे आईं। इन टीमो ने 'अहमदाबाद और बम्बई' की सूती वस्त्र मिलो तथा कलकत्ता के कुछ इजीनियरिंग संस्थानो वो अपना कार्य-क्षेत्र चना। विभिन्न प्रबन्धको तथा थम-संघ नेताओ को यह बताया गया कि घोडे से परिवर्तनो के माध्यम से उत्पादन के तरीको से उत्पादकता मे बढ़ि की जा सकती है। थम सम्बन्धो तथा कच्चे माल के उपयोग के सम्बन्ध मे भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले गए। अन्तर्राष्ट्रीय थम संगठन के इस मिशन के कार्य तथा सिफारिशो को ध्यान मे रखते हुए भारत सरकार के थम मन्त्रालय ने बम्बई मे 1955 म उत्पादकता बेन्द्र (Productivity Centre) की स्थापना की। इस बेन्द्र हारा कार्य-प्रध्ययन पाठ्यक्रम, उच्च प्रबन्धकीय सेमीनार एव कार्यक्रम, सयुक्त थम प्रबन्ध कार्य अध्ययन विभिन्न उद्योगो मे रखे जाते हैं।

हमारे देश मे उत्पादकता सम्बन्धी सही आँकड़ो का अभाव है। हमारी उत्पादकता का सूचकांक अधिकार्ण विकसित देशो के उद्योगो के सूचकांको से बहुत है। इस दिशा मे हमें सूचकांक तंयार करने चाहिए जिससे हम न केवल अन्य देशो के उद्योगो के सूचकांको से तुलना कर सकें बल्कि विश्व-बाजार मे सफलता प्राप्त कर सकें। हमारे देश मे विभिन्न उद्योगो मे वहे पैमाने पर उत्पादकता आनंदोलन को प्रोत्साहित करने हेतु 1956 मे भारत सरकार के ध्यापार एव उद्योग मन्त्रालय ने डॉ. विक्रम साराभाई की अध्यक्षता मे एक टीम 6 सप्ताह के अध्ययन हेतु जापान भेजी। अध्ययन दल की सिफारिशो के विचार के लिए सरकार ने 1957 मे एक सेमीनार आयोजित किया जिसमे आनंदोलन की प्रगति के आधारभूत सिद्धान्त निश्चिन किए, गए, जो सक्षेप मे इस प्रकार हैं—

1. उत्पादकता आनंदोलन को बल देने हेतु राष्ट्रीय उत्पादकता परियद की स्थापना की जाए।

2. सुधरी हुई तकनीक का प्रयोग करके उत्पादन की मात्रा और गुण मे सुधार किया जाए।

3. रोजगार सम्भावनाओ मे बढ़ि उत्पादकता बढ़ि पर ही निर्भर है।

4. उत्पादकता बढ़ि के सम्पूर्ण लाभ सभी वर्गो-न्याम, पूँजी तथा उपभोक्ता-मे समान रूप से वितरित किए जाएं।

5. उत्पादकता बढ़ि के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करने के लिए श्रीदीगिक सम्बन्ध मधुर बनाए जाएं।

6. उत्पादकता आनंदोलन का क्षेत्र विस्तृत बनाया जाए अर्थात् लघु एव बृहत् तथा सार्वजनिक श्रीर निजी क्षेत्र के सभी उद्योगो मे इस आनंदोलन को एक साथ लागू किया जाए।

टीम वी सिकारियों ने अमेरिका पर 1958 में भारतीय उत्पादन की परिषद (National Productivity Council or N.P.C.) की स्थापना की गई। इसका गठन एक स्वायत्त लागड़न के रूप में हुआ। जिसकी सदस्य नाम अधिकारतम् 60 है। इन सदस्यों में नियाजीमो, अमिता, मरार और मन्न नामों के प्रतिनिधि होते हैं। बम्बई, बंगलोर, बांगलूरु, और काशीनगर जैसे महत्वपूर्ण प्रोड्यूसिंग केन्द्रों पर राष्ट्रीय उत्पादन परिषद् के प्रमुखं प्रादित्या निदेशालय (Regional Directorates) स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय उत्पादन परिषद् के तहत देश में विभिन्न उद्योगों में उत्पादन का सिविल गठित की गई है तथा 1966 में भारत उत्पादन वर्ष (India Productivity Year 1966) मनाया गया।

109802

भारत सरकार ने उत्पादनता की प्रेरणा बनाए रखने की रणित से ही 1956 से 'अमबोर' नामक राष्ट्रीय पुस्तकार की भी व्यवस्था दी है। ऐसे के प्रोड्यूसिंग उत्पादन आनंदोलन में राष्ट्रीय उत्पादन परिषद् के प्रतिरक्षण पर सम्मानों के योगदान भी बल्लेखनीय है—(1) भारतीय सांस्कृतिक सम्मान, कलाकृति में विदेशी विशेषज्ञों की धार्मनित वर साहित्यकोष मुला-चिय-चल के प्रशिक्षण का प्रवर्ण हिया है। (2) प्रदमदागाद टंकाडाहा इण्डस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन ने वक्त्र उद्योग में मुला नियन्त्रण बना दा विभार हिया है। (3) राष्ट्रीय विकास परिषदों वे अन्तर्गत प्लाण्ट प्रार्टेट वमेटी एवं योजना की प्रोड्यूसिंग प्रवर्धन यन्त्रान्वयन इकाई तथा धन्य अनुसन्धान संस्थाओं द्वारा उत्पादनता बृद्धि में सम्बन्धित तकनीक ग यानी वे प्रयत्न किए जाते हैं। (4) धन्तराष्ट्रीय धन योगान ने भारत को विशेषज्ञों वी गोवाएं उत्पादन वर इस प्रान्तीलन को प्रोत्साहित किया है। (5) समरिया वे तकनीकी गहराग मिशन ते भी विशेषज्ञों की सेवायों तथा पुस्तकों के द्वारा में राष्ट्रीय उत्पादन परिषद् को महोरा दिया है।

नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादन परिषद द्वारा मार्च, 1972 ए उत्पादनता पर विषयीय सेमीनार धार्योजित किया गया। इस गोवीन्दर में उत्पादनता बृद्धि के प्रयासों में भी और तेजी लाने तथा उत्पादनता बृद्धि में धन एवं प्रबन्ध के योगदा पर विचार किया गया।

भारत की वर्तमान स्थिति इस देशते दृष्टि हमारे देश की गरीबी दूर करने हेतु विभिन्न दोषों में उत्पादन को दृढ़ाना होगा। धाव हम दम से बम तागह वर अधिकतम् उत्पादन प्रबल करने वाली योजनामा हो प्राप्तिराहारी देनी लीगी।

धन प्रश्न यह बढ़ता है कि उत्पादनता योजनोंने वे परिणामस्वरूप देन ग उत्पादन में जब बृद्धि होती है तो इस उपर्युक्त उत्पादन के लाभ दा द्वितीय वितरण से प्राप्त किया जाए। यदि न वी बढ़े दृष्टि उत्पादन के लाभ को अमितों में वितरित पर दिया जाता है तो इससे विभिन्न उद्योगों में मानवी भवितव्यां

उत्पन्न हो जाएँगी। इस तरह मेरे हिस्से का वितरण धर्मिकों, मालिकों और उपभोक्ताओं मेरे सन्तुलित स्वर से हिंदू जाना चाहिए। यदि इसके लाभों का वितरण धर्मिकों व मालिकों पर छोड़ दिया जाता है तो वे अपने पक्ष समाज के अन्य वर्गों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते। इसलिए एक उचित नीति यह है कि इसका वितरण तीनों पक्षों—धर्मिकों की सत्राई, म वृद्धि, मालिकों वे प्रतिकल मेरे वृद्धि और समाज को अच्छी किस्म व वर्तमान पर बस्तुओं की उपलब्धि दे रूप मेरिया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिपद द्वारा नियुक्त विषयीय समिति न उत्पादकता के लाभों के वितरण के लिए निम्न मार्गदर्शक तत्व सुनिवार है—

1. इस योजना के अन्तर्गत वेवन प्रबन्धकों और धर्मिकों के बीच मेरी ही लाभ को सहभागिता का वितरण नहीं होना चाहिए बल्कि इसका हिस्सा उपभोक्ताओं और समाज को भी मिलना चाहिए।

2. इसके अन्तर्गत निरन्तर आधिक विकास की उन्नति वा समझौता नहीं होना चाहिए।

3. इस योजना की नियाशीलता मेरी किसी तरह का अतिगत प्रभाव नहीं होना चाहिए।

4. इस प्रकार की योजना के लागू करने से पूर्व इसका प्रकाशन करना आवश्यक है।

लाभों की सहभागिता के सम्बन्ध मेरिया रिजर्व बैंक ने मन् 1964 मेरे एक स्टीरिंग ग्रुप नियुक्त किया। इस ग्रुप ने मजदूरी, धाय और कीमत नीतियों के सम्बन्ध मेरी अध्ययन किया और एक धाय नीति के सम्बन्ध मेरी निम्न मार्गदर्शक तत्त्वों की सिफारिश की—

1. नकद मजदूरी मेरे परिवर्तन के नियमन हेतु अर्थव्यवस्था की पांच वर्षीय गतिशील धोरात उत्पादकता को ध्यान मेरखना होगा।

2. मजदूरी धाय समायोजन हेतु हमे अधिकतम सीमा उत्पादकता को प्रवृत्ति को ध्यान मेरखना होगा।

3. विभिन्न धोरात और उद्योगों मेरे मजदूरी और नकद धाय वा समायोजन अर्थव्यवस्था मेरी होने वाली उत्पादकता की दर के अनुसार होना चाहिए जिसमे उद्योग अधिकारी धेने मेरे उत्पादकता मेरे वृद्धि की दर के अनुसार ही समायोजन या नियमन सम्भव होगा।

4. उत्पादकता से जुड़ी हुई मजदूरी योजनाएँ मेरे इस बात वा ध्यान रखना होगा वि उत्पादकता मेरे हुई वृद्धि का लाभ समाज को भी अच्छी किस्म तथा निम्न कीमत वाली वस्तुओं के रूप मेरपाल हो।

ऊंची मजदूरी की मित्रव्यविता

(Economy of High Wages)

साधारणतः यह समझा जाता है कि नीची मजदूरी सरकी होती है जिन्हें यह

पारणा हमेंगा सही नहीं होती। इसका यह है कि नीचो मजदूरी पाने वाले थमितो की कार्य कुशलता कम होती है। जिसका उत्पादन कम होता है और परिणामस्वरूप उत्पादन नाशत ऊँची रहती है। इस तरह नीचो मजदूरी वास्तव में ऊँची मजदूरी होती है।

इसके विपरीत ऊँची मजदूरी की दशा में थमितो की बाध शमना बढ़ती है उत्पादन बढ़ता है और परिणामस्वरूप उत्पादन नाशत कम पड़ती है। इस प्रकार ऊँची मजदूरी वास्तव में सस्ती मजदूरी होती है।

विसी भी वस्तु वा उत्पादन मजदूरी पर ध्यय (Outlay on Wages) तथा उत्पादन के सम्बन्ध को इटिंग में रखता है। इस विचार वा आधुनिक धर्म शास्त्री मजदूरी की नाशत (Wage Costs) बहते हैं। ऊँची नक्की मजदूरी (High Money Wages) के कारण यदि थमित अधिक उत्पादन करते हैं तो उत्पादन को वास्तव में मजदूरी की नाशत नीची पड़ती है। इसके विपरीत यदि नीची नक्की मजदूरी देने पर थमित कम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन कम होता है और यह नीची नक्की मजदूरी ऊँचा मजदूरी में परिवर्तित हो जाती है क्योंकि उत्पादन नाशत बढ़ जाती है। अब उत्पादन नीची द्राई या मजदूरी के स्थान पर नीची मजदूरी नाशत (Low Wage Costs) पर ध्यान रखता है। यह यह बहा जाता है कि यदि ऊँची नक्की मजदूरी से मजदूरी नाशत नीची भाती है तो यह उत्पादक को प्राप्त होने वाली नियन्त्रित होगी। इस ही ऊँची मजदूरी की मित्रायिता (Economy of High Wages) बहा जाता है। ऊँची मजदूरी निम्न कारणों से मित्रायितापूरण होती है—

1 ऊँची मजदूरी से थमितो का जीवन दार उत्ता है उनकी बाध शमना बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है और परिणामस्वरूप उत्पादन नाशत कम ग्राती है। दूसरे शब्द में नीची मजदूरी नाशत (Low Wage Costs) याती है।

2 ऊँची मजदूरी देने से मानिक वा पच्चास थमित बाहार से याप्त होते हैं। परिणामस्वरूप उत्पादन अधिक होता है और उत्पादन नाशत कम होने गे नीची उत्पादन नाशत पट्टी है।

3 ऊँची मजदूरी होन से थमितो पौर मालिकों के दोष मपुर मस्त्र पों का प्रोत्तमाहन मिलता है। हड्डालें तानार भी धीमे बार्व की प्रवृत्ति भादि को बार्दी स्थान नहीं मिलता है। थमित रवि लगाहर उत्पादन करते हैं पौर इनका परिणामस्वरूप उत्पादन नियमित प्रोत्तमाहन होता है जिसका नीची मजदूरी नाशत पड़ती है।

यह ऊँची मजदूरी देने से उत्पादन अधिक होता है तथा नीची मजदूरी नाशत (Low Wage Costs) याती है पौर इनी से परम्परा दर्शने या मित्रायिता प्राप्त होती है।

मजदूरी भुगतान की रीतियाँ (Methods of Wage Payment)

मजदूरी थम को उत्पादन के सापेक्ष हप म दिया जाने वाला पारिश्रमिक है। मजदूरी भुगतान का तरीका अभिको वी आमदनी को प्रभागित करता है। अलग-अलग देशों मे मजदूरी भुगतान इसने की भिन्न नियम रीतियाँ हैं। एक आदर्श मजदूरी भुगतान प्रणाली ऐसी हो जो चाहिए कि वह दोनों पक्षों अभिको व मालिको के अनुकूल हो। इसके साथ ही उत्पादन मे चूँड़ि करने हेतु अभिकों को प्रेरणात्मक भुगतान देने का भी प्रावधान हा। इसमे ग्राम्योगिक भगडो को दूर करने तथा उच्चीम की सफलता हेतु दोनों पक्षों मे मधुर सम्बन्ध उत्पन्न करने का गुण भी होका जहरी है।

मजदूरी के भुगतान की विभिन्न रीतियाँ पाई जाती हैं फिर भी मजदूरी के नुगतान की रीतियों का मौट तौर पर दो भागों के विभाजित किया जा सकता है—
(1) समय के अनुसार मजदूरी, और (2) कार्य के अनुसार मजदूरी।

1. समयानुसार मजदूरी

(Time Wage System)

यह मजदूरी भुगतान वा समय प्राचीन तरीका है। इसके अन्तर्गत मजदूर को मजदूरी का भुगतान समय के अनुसार, जैसे—प्रति घण्टा, प्रति दिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह के हिसाब से किया जाता है। प्रत्येक अभिको जो यह विश्वास रहता है कि उसे एक निश्चित समय पश्चात् निश्चित मजदूरी प्राप्त हो जाएगी। इसके अन्तर्गत कार्य की मात्रा तथा किस्म (Quality) के सम्बन्ध मे कोई शर्त नहीं रखी जाती है। मालिक द्वारा इस तरीके के अन्तर्गत भुगतान उस स्थिति मे किया जाना है जबकि कार्य को न तो मात्रा जा सकता है परी न ही उसका निरीक्षण सम्भव होता है तथा कार्य की माप के स्थान पर कार्य की किस्म को अधिक महत्व दिया जाता है।

समयानुसार मजदूरी पद्धति के लाभ (Advantages of Time Wage System)—इस पद्धति के अनुसार भुगतान करने के निम्न लाभ हैं—

1. सरल प्रणाली—यह पद्धति प्रथम सरल होने से अभिको व नियोजको को आसानी रहती है। भारतीय अभिको अधिकारियों अधिक्षित होने के कारण यह प्रणाली विशेष रूप मे उपयोगी है।

2. लोकप्रिय प्रणाली—यह प्रणाली अभिको के प्रत्येक वर्ग तथा उनके समठनों द्वारा पसन्द की जाती है। इसके अन्तर्गत सभी अभिको वर्गों मे एकता की भावाएँ दो प्रोत्साहन मिलती है।

3. निश्चितता एव नियमितता—इस पद्धति के अन्तर्गत मजदूरी के भुगतान मे निश्चितता तथा नियमितता पाई जाती है। प्रत्येक अभिको को निश्चित वेतन नियमित रूप से मिलने का विश्वास रहता है। आय की निश्चितता तथा नियमितता

व बारण प्रायक अभिव्यक्ति अपन आदतया व्यवस म समायोजन द्वारा एवं निश्चिन जोवन स्तर बदल रखन का प्रयास करता है।

4 उत्पादन क साधना वा उचित उपयोग—इस पद्धति भ काय मुकाबले हृषि स एवं तहसील स हाने वे बारण यात्र योजार बच्चन मन प्राप्ति साधनो वा उपयोग दृष्टि म होता है।

5 प्रशासनिक व्यवहार कम एवं आसानी से पूण—इस पद्धति म निरीणन करने वो अधिक आवायरता नही होती है तथा उस पर व्यवहार अधिक न करने वा प्राप्ति व्यवहार भी कम होता है तथा आसानी स प्राप्ति दिया जा सकता है।

6 गिरिण एवं बाते प्राप्ति उपयोग होन पर भा यह पद्धति वाभूषण व प्रदृष्टि वर तो उस विषय प्राप्ति के बारण वाय म रक्षावट आत पर वाय होता है। इस निश्चित म यह पद्धति उपयोग होनी है।

समयानुसार मजदूरी पद्धति क दृष्टि (Demerits of Time Wage System)—समयानुसार मजदूरी पद्धति क अनेकत हृषि निम्न दोष देखने का मिलता है—

1 कुशल अभिव्यक्ति को कोई प्ररणा नही—स पद्धति क प्रत्युमार अभिव्यक्ति उपायकर तथा ईमानदारी स बाम नही बर सकते वयोःकि उ ह यह मालूम रहता है कि एक निश्चित मजदूरी नियन्ति हृषि मि १ जाए वे वम बाम करे अथवा अधिक।

2 कुशल अकुशल गव बराबर—इस पद्धति के प्रत्युमार चाह कुशल अधिक हो अथवा अकुशल सभी वा गमान मजदूरी मिलती है। परिलामस्वरूप कुशल अभिव्यक्ति भी कम एवं रख बर काय बरन लगता है और उनकी वाय क्षमता पर जाती है।

3 अकुशलता को प्राप्ताहन—कुशल अधिक व अकुशल अभिव्यक्ति दोनों का गमान मजदूरी मिलन का घर है कि अकुशल अभिव्यक्ति का पुरावृत्ति किया जाता है और कुशल अभिव्यक्ति का दण्डित किया जाता है। इसमे अकुशलता को प्रोत्साहन मिलता है।

4 काम घारी—एवं निश्चित मजदूरी नियन्ति हृषि मि १ जाए वो अभिव्यक्ति एवं उप दृष्टि बाम वो एवं नम्बे घर्म क बाय समाज परता है। यह काम से जी चुराता है।

5 घम पूरी समय—इस पद्धति क अकुशल मूलता करने से प्रदृष्टि व दान दानो ग्राहक हे अभिव्यक्ति को गमान मजदूरी दी जाती है जिससे कुशल अधिक हृषाकर घम बाम की प्रवृत्ति वा सहारा सत है।

निष्पत्ति—समयानुसार मजदूरी व युत दायों दो देखने स हृषि इस निष्पत्ति पर पहुंचता है कि जित वायो वा नही जा सहता—जम विवरारी वा वाय घम्यापन ए डॉक्टर वा वाय प्राप्ति उनम यह पद्धति उपयुक्त है।

2 कार्यनुसार पद्धति

(Piece of Wage System)

कार्यनुसार मजदूरी का पर्यं उस मजदूरी से है जहाँ अमिक घपने किए हुए कार्य के अनुरूप वेतन पाता है। इस पद्धति के अन्तर्गत मुगतान को इर किए हुए कार्य के अनुरूप होती है और इसमें समय की व्यवस्था का मापन नहीं होता। इसमें अमिको को मजदूरी कार्य के अनुसार घटनों बहतों रहतो है। जहाँ व मचारी कुआन न होगे घपवा आनसों होने दा कार्य न बरने पर भी वेतन भोगी होगे गहाँ इस पद्धति में उन्हें हानि उठानी पड़ेगी।

कार्यनुसार मजदूरी भुगतान के लाभ—कार्यनुसार दी जान वाची मजदूरी पद्धति के निम्नलिखित लाभ हैं—

इस पद्धति के अन्तर्गत मजदूर को उसके कार्यनुसार मजदूरी दी जाती है चाह उसमें दितना हो समय बढ़ो नहीं लगे। जब मालिक कम लागत पर अधिक उत्पादन की मात्रा चाहता है, तब यह पद्धति घपनाई जाती है। कार्य की मात्रा ही मजदूरी के मुगतान का आधार होता है। जो अमिक अधिक कार्य बरता है उसे अधिक नजदूरी दी जाती है तथा जो कम कार्य करता है उसको कम मजदूरी मिलती है।

1. योग्यतानुसार भुगतान—अधिक कार्य करने वाले योग्य अमिक को अधिक मजदूरी का मुगतान तथा कम कार्य करने वाले अप्रोग्य मजदूर को कम मजदूरी का मुगतान दिया जाता है।

2. प्रेरणात्मक पद्धति—अधिक कार्य बरने वाले को अधिक मजदूरी देकर प्रोत्साहन दिया जाता है। इससे कार्यदुश्ल अमिकों को अधिक कार्य बरने की प्रेरणा मिलती है।

3. अधिक उत्पादन—अमिकों को कार्यनुसार मजदूरी मिलते से वे अधिक समय तक कार्य करते हैं जिससे उत्पादन में अधिक वृद्धि होती है।

4. उत्पादन अवय इम—इन पद्धति के अन्तर्गत उत्पादन अधिक बरने के द्वारण प्रति इदाई उत्पादन लागत कम आती है और परिणामस्वरूप अमिकों व समाज के सदम्यों को कम कीमत पर बस्तु सुलभ हो जाती है।

5. समय का सदृश्योग—इस पद्धति के अन्तर्गत अमिक अपने क्वाली समय में इधर उधर घूमने की बजाय घपने आप को कार्य म लगाए रखता है जिससे उसके समय का मदुपयोग भी होता है और उसे अधिक मजदूरी भी प्राप्त हो जाती है।

6. अमिक-मालिकों से मधुर सम्बन्ध—कार्य की मात्रा के अनुमार अमिकों को मुगतान प्राप्त होता है इसलिए वे धीमे कार्य बरने की प्रवृत्ति तथा हृद्वान आदि करने का प्रयास नहीं करते। दोनों पक्षों में शाय मधुर सम्बन्ध बन रहते हैं।

7. अमिकों की गतिशीलता में वृद्धि—कार्यनुसार मजदूरी मिलन के कारण जहाँ भी अधिक मजदूरी मिलेगी अमिक वहाँ जाकर कार्य बरना अधिक प्रमद बरेगा। समयनुसार मजदूरी को तुलना में कार्यनुसार मजदूरी पद्धति के अन्तर्गत अमिकों में अधिक गतिशीलता पाई जाती है।

8. अधिकों के जीवन हतर मे सुधार—कार्यानुसार मजदूरी मिलने से हारण अधिक मजदूरी प्रधिक काय करन वान न्यतियों को मिलती है। उनका जीवनस्तर उच्चा उठता है और काय धमता पड़ती है।

9. निरीक्षण धय मे एसी—इसक गत्तात निरिक्षण काय की मात्रा त विस्म फि इतन होन से काय निरीक्षण प्रादि करने की जरूरत नहीं होने से निरीक्षण धय कम होता है।

10. उपभोक्ता यग को लाभ—उत्पादन प्रयित्व होता है। उत्पादन सामत वस प्राप्ती है। परिणामस्वरूप वस्तुओं की कीमत भी कम होती है। इसमें उपभोक्ता यग को लाभ होता है।

कार्यानुसार मजदूरी पद्धति के दोष (Demerits of Piece Wage System)—इस पद्धति के निम्नलिखित दोष हैं—

1. मजदूरी से बढ़ती—बभी ईभी यह देयने मे मात्रा है कि जर अधिक अधिक काय उरने प्रयित्व पारियमित प्राप्त करने लगता है तो नियाता मजदूरी दर मे बढ़ती करने पारियमित मे स बढ़ती कर जेते हैं।

2. इसाध्य पर बुरा प्रभाव—प्रधिक काय प्रधिक मजदूरी के लोभ मे अधिक प्रयित्व कायं करने लगते हैं। वे यपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। बाद मे इसका परिणाम यह होता है कि अधिक बीमार रहने लग जाता है। उसकी कायधमता पटने उपकी है।

3. उत्पादन की किस्म—अधिक प्रधिक मजदूरी प्राप्त करने से लोभ मे अधिक काय तेजी से बरता है। इसमे उत्पादन की मात्रा मे ता दुष्क होती है क्षेत्रिन उत्पादन की किस्म उड़िया के स्थान पर पटिया आने लगती है।

4. मजदूरी की अनियमिता सया अधिकतता—अधिक की मजदूरी विक्षिप्त तथा नियमित नहीं होती है। बीमार होने पर प्रयवा कारणाना यद्य होने पर अमिर वो बुरा भी मजदूरी नहीं मिलती है।

5. क्षात्रपद तथा बारीकी बाते कायों मे अनुपयुक्त—यह पद्धति क्षात्रपद बायों जैसे वितरणी गुणाई तथा घे य बारीकी वान कायों मे उपयुक्त नहीं है।

6. अधिक सर्वों पर विपरीत प्रभाव—कार्यानुसार मजदूरी होने से हारण अधिक प्रयित्व कायं प्रयित्व मजदूरी से लोभ न पड़ रहत है। वे यपने गगडन के लिए समय न ती फिल जान। इसका परिणाम गुण एवं गुणवित अधिक सर्वों का प्रभाव होता है।

7. अधिकों मे पारस्परिक एकता का प्रभाव—कार्यानुसार मजदूरी के घे रांग र बह रुग्न पद्धुग्न एवं एकुग्न बायों मे बेट जात है। वे प्राय एक-दूसरे के नजदीक नहीं आते हैं। उनमे प्रयित्व प्रसमानता उत्तम हो जाते से प्राय परस्पर स्नेह तथा एकता नहीं हो पाती है।

जब कम सागत पर प्रयित्व उत्पादन करना होता है तथा दोप्यानुसार येता दिया जाना हो वही पर कार्यानुसार मजदूरी मुग्नता पद्धति उद्दित है।

कार्यनुसार पद्धति के कुछ रूप

प्रीमियम बोनस पद्धति—इस पद्धति के कारण कार्यनुसार मजदूरी के दोषों की समाप्ति हो जाती है और मजदूरी दर एक वार्गी ऊँचाई के साथ प्रारम्भ की जाती है। फिर आगे घटती दर से बढ़ती है। इसे प्रेरणात्मक प्रगतिशील प्रणाली, प्रीमियम बोनस १३८ति एवं प्रोत्साहन मजदूरी पद्धति के नाम से जाना जाता है। यह पद्धति प्रमाणी समय पर अधारित है। इसमें किसी कार्य को बरने के लिए एक निश्चित समय की अवधि निर्धारित कर दी जाती है। समय से पहले कार्य समाप्त करने पर उस व्यक्ति को अतिरिक्त मजदूरी प्राप्त हो जाती है। इसी अतिरिक्त मजदूरी को बोनस अथवा अधिलाभांश कहते हैं। इसकी विवेचना अनेक विद्वानों ने की है जिसमें श्री रोबन, हाल्टन, टेनर, मेरिक, गैंड आदि प्रमुख हैं। इनके विश्लेषण वा सधिष्ठत विवरण निम्नानुसार हैं—

रोबन पद्धति—सन् 1898 में थी डेविस रोबन ने इस पद्धति का विकास किया। इस पद्धति में विसी कार्य को निर्धारित अवधि में ही समाप्त दर देना पड़ता है। उसके लिए मजदूरी भी निर्धारित कर दी जाती है। यदि कोई मजदूर निर्धारित अवधि के पूर्व ही उस कार्य को पूर्ण कर लेता है तो वे हुए समय के प्रतिशत के दरावर ही उसको प्रतिशत लाभांश दिया जाता है—

बचा समय
अर्थात् निर्धारित अवधि × लिया हुआ समय × निर्धारित दर

इस सूत्र को इस प्रकार समझा जा सकता है—मान लिया इसी कार्य को 6 घण्टों में पूरा करना है परन्तु कोई अमिक उस कार्य को बेवल 4 घण्टे में ही पूरा कर लेता है, तब इसी बचे समय के लिए उसे अतिरिक्त मजदूरी मिलती है। इसी अतिरिक्त मजदूरी को रोबन पद्धति में मजदूरी-निर्धारण बहा जाता है। इसमें अमिकों की मजदूरी घटे हुए समय की दर के अनुसार बढ़ती है।

हाल्टे पद्धति—थी एक ए हाल्टे ने सन् 1890 में इस पद्धति को विकसित किया था। इसके अनुसार विसी कार्य को सम्पन्न करने के लिए एक समय निश्चिन कर दिया जाता है और यदि कार्य समय से पूर्व ही समाप्त कर दिया जाता है तो उस बचे समय में कार्य करने पर अतिरिक्त मजदूरी प्रदान की जाती है। इस पद्धति के अन्तर्गत प्रतिशत वा कोई भगड़ा नहीं रहता। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि उत्पादन वा प्रमाण तथा प्रमाणित समय पहले से ही निश्चिन रहते हैं। प्रत्येक अमिक के लिए एक अनुनतम मजदूरी भी निश्चिन रहती है।

टेसर पद्धति—इस पद्धति में मजदूरी दो प्रकार से दी जाती है—प्रथम, साधारण कार्यनुसार एवं द्वितीय, प्रमाणित कार्यनुसार। दोनों पद्धतियों की मजदूरी की दरों में बहुत अन्तर रहता है। करी कभी तो दून का धन्तवर भी पड़ जाता है। इस पद्धति में मजदूरी की दो दरें होती हैं—एक उचित पद्धति और दूसरी निश्चिन पद्धति। इसका निर्धारण कार्य के अनुसार होता है। दोनों दरों में निश्चिन समय से अधिक कार्य करने पर उचित दर से और कम कार्य करने पर नीची दर से

मुग्नान रिया जाता है। मृग्न मारीगरों के लिए यह पद्धति अधिक सहजपूर्ण है पर्योक्ति इस पद्धति में आपाव वायं करन वाले की पुरस्कार प्रथम वायं करन वालों को स्वत ही दण्ड मिलता है। टेलर ने इस गाइडलाइन की मुख्य बुटियों का गमाप्त करने के लिए गैरिक ने एक पद्धति विवरित की जिसे मैरिक पद्धति कहते हैं। इसम गीगावर्फ बठोरता हो वस करने का प्रवर्तन रिया गया है। इसम मजदूरी की दादरा के बजाय तीन दरे होती हैं। यह तीनों दरों तीत प्रकार के मजदूरों, जैसे नए मजदूर, और अब भी मजदूर एवं मृग्न मजदूर के लिए अलग अवगति दियी जाती है। मजदूरी दर का उद्देश्य असिया का उचित मजदूरी प्रदान करना है।

गैरिक पद्धति—गैरिक पद्धति के अनुसार यदि काई अभिक प्रादेशी के अनुसार उत्तरों काव्य को एक विवित गमय के अनुसार पूरा कर ले तो उसे देनिक दर के प्रतिरिक्त एक विवित बोकता भी प्रदान रिया जाता है और यदि उसके दिए हुए काव्य को गमयानुसार पूरा नहीं रिया तो उस मात्र उस दिन का वेतन ही दिया जाता है।

प्रेरणात्मक मजदूरी भुगतान की रीतियाँ

(Methods of Incentive Wage Payments)

मजदूरी भुगतान कार्यानुसार तथा गमयानुसार दो रूपों में रिया जाता है। लेकिन इन दोनों तरीकों द्वारा दी गई मजदूरी की आलोचना समय-गमय पर विभिन्न वेतनान्वयन प्रवाय विशेषज्ञों ने की है। इन दोनों ही रीतियों के अवलोकने में गमय-गमय का गमय तथा दोष है। इन दोनों ही रीतियों में भिन्नता एक प्रगतिशील मजदूरी पद्धति का प्रादुर्भव हुआ है जिसे प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति (Progressive Wage System) गमय मजदूरी भुगतान की प्रेरणात्मक रीति (Incentive System of Wage Payments) कहा जाता है।

इस विवित प्रालाली (कार्यानुसार मजदूरी तथा गमयानुसार मजदूरी) में अन्तर्गत अभिक दो निश्चित घूर्वात्मक मजदूरी के अनुरिक्त और भी भूलतान रिया जाता है जिसे अधिकार्मिक (Bonus) घूर्वा ग्रीमियम (Premium) कहते हैं। इसी घूर्वा उत्पाद (Standard Output) से लिए एक निश्चित मजदूरी दी जाती है। इसे अधिक काव्य करने वाले वर्ती दृढ़ दर से प्रतिरिक्त पारिथमिक दिया जाता है जिससे योग्यता को पुरस्कार मिल सके तथा काव्य की विस्त में विस्तरण भी प्राप्त है।

उदाहरणात् यदि एक काव्य 3 दिन ग करना है और मजदूरी 4 रुप प्रतिदिन दी जाती है तथा काव्य 2 दिन म पूरा कर रिया जाता है तो अभिक प्राप्त दिन की मजदूरी 8 रुप तथा एक दिन वर्षाने के लिए 2 रुप और अधिक । यह कुल मजदूरी 10 रु होती जो इस घूर्वा मजदूरी 4 रुप ग अधिक है। प्रालालीक मजदूरी भुगतान की रीतियों का विविरण मजदूरी प्रेरणात्मक पद्धति म ताज वाले महत्वपूर्ण तरीकों से आधार पर रिया गया है।¹ ये तीन अद्यादित हैं—

1. Filippo, E. B., Principles of Personnel Management, p. 302.

1 उत्पादन की इकाइयाँ (Units of Output),

2 प्रमाप समय (Standard Time),

3. कार्य में लगा समय (Time Worked),

4 बचाया गया समय (Time Saved)।

किसी भी प्रेरणात्मक मजदूरी भुगतान की पद्धति अपनात समय मजदूरी-निर्धारण में यह बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि उत्पादन की इकाइयाँ कितनी हैं, समय कितना दिया गया है, कितना समय लगा और कितना समय बचा, आदि।

प्रेरणात्मक मजदूरी भुगतान की विभिन्न रीतियाँ या पद्धतियाँ निम्नलिखित हैं—

1 टेलर पद्धति (Taylor Piece Work Plan)—इसका प्रतिपादन दैज़ानिक प्रबन्धक के जनक थी एक डॉक्यू टेलर ने किया। इसमें दो प्रकार की कार्यानुसार दरा दो सम्मिलित किया गया है—एक ओसत उत्पादन से अधिक तथा दूसरी ओसत उत्पादन तथा उससे बहुत उत्पादन करने पर दो जाने वाली मजदूरी। इन दरों में काफी अन्तर पाया जाता है।

उदाहरण के लिए 8 इकाई प्रतिदिन प्रमाप उत्पादन (Standard Output) तय किया गया है। इतना या इससे अधिक उत्पादन के लिए प्रति इकाई दर 1 रुपया हो सकती है, परन्तु 8 इकाई (प्रमाप इकाई) से बहुत उत्पादन होने पर प्रति इकाई दर 75 पैसे हो सकती है। अतः 8 इकाइया वा उत्पादन करने वाले को 8 रुपये, 10 इकाइयाँ उत्पादन करने वाले को 10 रु., लेकिन 7 इकाइयों का उत्पादन करने वाले को 75 पैसे प्रति इकाई के हिसाब से 5 रु. 25 पैस मिलेंगे।

इस प्रकार टेलर पद्धति बुशल थ्रमिकों के लिए विशेष रूप से प्रेरणात्मक है, क्योंकि ऊँची दर के द्वारा उनसा अपने परिधयम का पुरस्कार मिलता है, परन्तु अबुशल थ्रमिकों द्वारा यह पद्धति दण्डित करती है। यह आय में असमानता को बढ़ावा देनी है। वर्तमान समय में इस पद्धति वा एक ऐतिहासिक महरूव रह गया है क्योंकि आय की असमानता के स्थान पर 'आय की समानता' पर अधिक जोर दिया जाने लगा है।

2 हैल्से प्रीमियम पद्धति (Halsey Premium System)—इस पद्धति का प्रतिपादन प्रो एफ. ए. हैल्से द्वारा किया गया था। इस पद्धति में कार्यानुसार दोपा को घोड़ा दिया गया है। इसमें एक प्रमाप उत्पादन निश्चित समय में पूरा करना होता है। यदि कार्य श्रमिक दिए हुए कार्य का निश्चित प्रबन्ध से पूर्व हो जाए तो उसे बचाए हुए समय (Time Saved) के लिए अतिरिक्त समाप्त कर सेता है तो उसे बचाए हुए समय (Time Saved) के लिए दर का 50% भुगतान किया जाएगा। यदि 10 रु. प्रति घण्टा समय मजदूरी है तो प्रीमियम $1/2 \times 10 = 5$ रु. होगा तथा मजदूरी $8 \times 10 = 80$ रु. अर्थात् कुल भुगतान $80 + 5 = 85$ रु. किया जाएगा।

इस पद्धति के प्रत्यंगत बचाए गए समय के लिए निश्चित दर पर प्रीमियम दिया जाता है तथा मजदूरी को समयानुसार मजदूरी की भी गारण्टी रहती है जिसमें नियोक्तकों को भी अधिक मजदूरी वा मुश्तक नहीं बरना पड़ता है।

इस पद्धति की संभवे बड़ी कमज़ोरी पह है कि मालिक किसी बार्ये के बरते का प्रमाप (Standard) अधिक रख देता है जो कि पूरा करना सम्भव न हो। उम स्थिति में श्रमिकों को हानि उठानी पड़ती है इसलिए बार्ये का प्रमाप उचित एवं वैज्ञानिक प्रगत्यांकों द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए।

3. शत प्रतिशत समय प्रीमियम योजना (The 100 Percent Time Premium Plan)—जहाँ समय प्रथमा बार्ये अधिक्यत द्वारा समय प्रमाप (Time Standards) निर्धारित किए जा सकते हैं वहाँ श्रमिकों को उनके द्वारा बचाए गए समय (Time Saved) के लिए शत-प्रतिशत दर पर प्रीमियम दिया जाता है।

उदाहरण के लिए 10 घण्टे किसी बार्ये हेतु निश्चित किए जाते हैं तथा समय दर (Time Rate) 10 रु. प्रति घण्टा है। बार्ये 8 घण्टे में पूरा किया जाता है तथा समय 2 घण्टे बचता है तो उसको 8 घण्टा के 80 रु. मजदूरी तथा 2 घण्टे बचाने के कारण 20 रु. प्रीमियम के रूप में प्रदाति कुल मुश्तक 100 रु. किया जाएगा।

इस योजना में भी समयानुसार मजदूरी की गारण्टी दी जाती है तथा बचाए गए समय (Time Saved) हतु दर वही रखी जाती है। कुशलता को इसमें अधिक प्रेरणा मिलती है।

4. रोबन योजना (Rowan Plan)—इस पद्धति के प्रतिशत बार्ये श्री जेम्स रोबन को है। इसके प्रत्यंगत समय के प्राप्तार पर मजदूर को +यूननम मजदूरी की गारण्टी दी जाती है। एवं प्रमाप समय किसी बाय का पूरा बरने हेतु निश्चित कर दिया जाता है। यदि दिए हुए समय से पूर्व ही बार्ये कर लिया जाता है तो बचाए गए समय के लिए कुल समय के प्रत्युपात में मुश्तक दिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि बार्ये 10 घण्टों में पूरा बरना है प्रोट वह बार्ये 6 घण्टों में पूरा बर लिया जाता है, यसका हमा समय 4 घण्टे है और समय दर 10 रु. प्रति घण्टा है तो इसके प्रत्यंगत प्रीमियम होगा—

$$\frac{4}{10} \times 6 \times 10 = 24 \text{ रु.}$$

पह अदिक्ष 60 रु. (6×10) पादूरी तथा 24 रु. प्रीमियम पर्याप्त कुल 84 रु. प्राप्त होगे।

इस पद्धति के प्रत्यंगत हैसे पद्धति की कुलाना में अधिक प्रीमियम प्राप्त होता है, जेकिन महं तभी सम्भव होगा जब बचाए गया समय (Time Saved) दिए

हुए समय (Time Allowed) का 50% ने रम हो। यदि वचाया हुआ समय 50% है तो दोनों में समान तथा 50% से अधिक होने पर हैल्से पढ़नि के अन्तर्गत अधिक प्रीमियम प्राप्त होगा।

5 इमरसन योजना (Emerson Plan)—इसका प्रतिपादन प्रो इमरसन ने किया। यह पढ़ति रोकन पढ़ा के अनुसार काय-प्रमाण के सूचकांक तथा किए गए कार्य के समय के मूल्य पर आधारित है। इसमें गूचकांक प्रमाप समय (Standard Time) में लिए गए वास्तविक समय का भाग लगाकर जात करते हैं। उदाहरण के लिए 36 प्रमाण समय के घण्टों का कार्य 40 घण्टों में होता है तो कार्य धमता या रायकुण्डा 90 प्रतिशत होगी। विभिन्न काय-कृशलताओं के लिए विभिन्न प्रीमियम की दरें निर्धारित की जानी हैं। कम स कम 65% तक की कार्यकृशलताओं को प्रीमियम दिया जाता है। इस प्रकार की पढ़ति उन छोटे कर्मचारियों के लिए लागू की जाती है जिनकी कार्य-क्षमता बहुत कम होती है तबा जा शत-प्रतिशत प्रीमियम योजना के प्रमाप को प्राप्त नहीं कर सकते।

6 गैण्ट की दायेंभार एव बोनस पढ़ति (Gantt Task and Bonus System)—इस पढ़ति का प्रतिपादन थी हैनरी एल. गैण्ट ने किया था। इसके अन्तर्गत हैल्से योजना के समान धीरे-धीरे वाम करने वाल अभियों को प्रति घण्टे की दर से और तेज वाम करने वाले मजदूरों को इकाई दर से मजदूरी दी जाती है। साथ ही टेलर पढ़ति के समान यह प्रमाण (Standard) तक पहुँचने में समर्थ और असमर्थ मजदूरों में निश्चित रूप से भेद करती है। गैण्ट योजना सब योजना की प्रति घण्टे दर की गणरण्टी देता है। यदि दिए हुए समय में कार्य पूरा नहीं किया जाता है तो मजदूरी तो दी जाएगी लेकिन उसको बोनस प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा। यह बोनस 20 से 25% तक होता है जो कि दिन के अन्त में वाम में कार्य जाता है।

उदाहरण के लिए किसी वारखाने में एक अभियको 8 घण्टे कार्य करना होता है। मजदूरी 2 रु प्रति घण्टे है तथा काम भी 8 घण्टे में पूरा होने वाला होता है। यदि अभियक उस कार्य को 8 घण्टे में पूरा कर लेता है तो उसको 20% बोनस उसकी कुल मजदूरी का दिया जाएगा। 8 घण्टे की मजदूरी 2 रु प्रति घण्टे के हिसाब से 16 रु तथा 20% बोनस में 3 रु 20 पैसे अर्थात् कुल 19 रु 20 पैसे मिलेंगे। यदि 8 घण्टे में उस कार्य को पूरा नहीं करता है तो उसे बेवल 16 रु मजदूरी के दूर मिलेंगे लेकिन बोनस नहीं मिलेंग।

7. परिवर्तन यैमाना पढ़ति (Sliding Scale System)—इस पढ़ति के अन्तर्गत मजदूरी में परिवर्तन वस्तुओं की कीमतों तथा जीवन-निर्वाह लागत एव लाभों में परिवर्तन के नाय किए जाते हैं। यदि वस्तुओं की कीमतों, जीवन-निर्वाह लागत तथा लाभों में वृद्धि होती है तो उसी अनुपात में भी मजदूरी में वृद्धि की जानी है। यह पढ़ति नियोक्ताओं द्वारा, उन वस्तुओं में जिनकी कीमतों में अधिक परिवर्तन होते हैं, चाही जाती है। फिर भी इस पढ़ति का कई वारणी से विरोध

रिया जाता है। बीमतों के होने वाले परिवर्तन समोप्रद तरीके से मापना चाहिए है अर्थात् बीमतों पर परिवर्तन कई कारण होते हैं। साध ही कारण शक्तियों पर मजदूरी निष्ठारण हेतु अभिकों को नहीं छोड़ा जा सकता। इसके अतिरिक्त नियोक्ता तथा अधिक अपने-प्रपने कायदे के लिए बीमतों में परिवर्तन लाते वा प्रयास करेंगे।

मजदूरी मुगलान के तरीकों वा अभिकों की आवश्यकता उनकी दृष्टि, राष्ट्रीय लाभार्थी एवं आर्थिक कल्याण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ग्रीष्म के अनुसार यदि उत्पादन में हुई वृद्धि वा विवरण अभिकों में उनके योगदान के अनुसार विषय जाता है तो इससे उनके आपि कल्याण में वृद्धि होती है। यह उस स्थिति ग ही गम्भीर है जब मजदूरी वा मुगलान सामूहिक सोटीकारी वे नियन्त्रण में बार्यानुसार हिंसा जाए।

एक अच्छी प्रेरणात्मक मजदूरी की विशेषताएँ (Characteristics of Good Incentive Wage System)

किसी भी कर्म या उद्योग द्वारा एक प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति ताकू वरते समय उत्पादन, व्याया गति समय, निया यथा गति गति और प्रमाण समय आदि आधारभूत तरीकों को शामिल किया जाता है। इस प्रकार किसी भी योजना में निम्नांकित विशेषताएँ होनी चाहिए—

1. योई भी पद्धति सरल, समझने योग्य तथा अभिकों द्वारा गतिशील के योग्य होनी चाहिए।

2. उत्पादन तथा कार्यदृश्यता में वृद्धि के साथ-गति आमदनी में प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन होना चाहिए।

3. अभिकों को तुरन्त उनकी गति प्राप्त होनी चाहिए।

4. कार्य प्रमाणों (Work Standards) को मुख्यदस्तित घट्यवत वे परवात निश्चित करना चाहिए।

5. किसी भी परिवर्तन पर प्रेरणात्मक मजदूरी को गारंटी की जानी चाहिए।

6. अभिकों को आधार घट्यवत की गारंटी दी जानी चाहिए। यदि दिया हूप्रा प्रमाणी कार्य पूरा नहीं होता है तो अभिकों को पुन व्यापार देना चाहिए।

7. प्रेरणात्मक पद्धति उद्योग तथा सम्बन्ध के लिए मित्रघ्यो होनी चाहिए, जिसे न केवल उत्पादन में ही वृद्धि हो यहिं उत्पादकता में भी वृद्धि हो और प्रति इकाई सांकेति में कमी हो।

8. अभिकों के स्वास्थ्य तथा कल्याण पर विषरी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

9. सहीप्री परिवर्तनों या योजना में परिवर्तन सरने हेतु इस प्रकार की योजना सोचपूर्ण होनी चाहिए।

10 प्रेरणात्मक पद्धति से अमिको मे सहयोग, एवना एव आत्मकी भावना को बढ़ावा मिलना चाहिए।

किसी भी प्रेरणात्मक मजदूरी भुगतान की योजना को जल्दवाजी मे लागू नही करना चाहिए। इससे स्थान ध्यया उद्योग को लाभ हाने के स्थान पर हानि होने के ही अधिक भवसर होगे। यह इस प्रकार की योजना को लागू करने से पूर्व प्रमाप कार्य, प्रमाप समय, दधता आदि का सुध्यवस्थित ढग से अध्ययन करना चाहिए तथा इसे योजनावध तरीके से लागू करना चाहिए जिससे कि बांधनीय लाभ प्राप्त किए जा सके।

प्रेरणात्मक मजदूरी योजना की बुराईयो के सम्बन्ध मे सावधानियाँ (Precautions against Ill effects of Incentive Wage System)

सभी प्रेरणात्मक योजनाए लाभपूर्ण नही होती हैं। उनमे कुछ सामियाँ भी होती हैं जिनको लागू करते समय हवे ध्यान म रखना चाहिए। ये निम्नलिखित हैं-

1. अमिको की यह आदत बन जाती है कि प्रेरणात्मक योजना के अन्तर्गत वे उत्पादन की ओर ध्यान अधिक देते हैं जबकि उत्पादन की किसी भी ओर ध्यान नही देते। घटिया किसी की वस्तु उत्पादित करने से बाजार भ उसकी विक्री अधिक नही हो सकेती तथा जिस स्थान मे योजना लागू को गई है वह उसी के लिए धातक सिद्ध होगी। इस बुराई को दूर करने हेतु उत्पादन पर जांच तथा निरीकण लागू करना होगा।

2. इन्ही-कभी प्रेरणात्मक योजनाओ वो लागू करने से उनमे परिवर्तन-शीलता का अभाव पाया जाता है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन की रीतियों, मशीनों, प्राधुनिकोकरण तथा विवेकीकरण आदि के लाभ प्राप्त नही हो पाते। अत इन परिवर्तनो को लागू करने हेतु प्रेरणात्मक योजना म लोच का गुण पाया जाना चाहिए।

3. प्रेरणात्मक योजना के अन्तर्गत अमिक अधिक कार्य अधिक मजदूरी के लोभ से कार्य करते रहते हैं और प्राय सुरक्षा सम्बन्धी नियमों का ध्यान नही रखते। परिणामस्वरूप दुर्घटनाए अधिक होती हैं। दुर्घटनाओ वो कम करने हेतु भी अमिको पर निपरानी रखनी पड़ती है।

4. अधिक मजदूरी शाप्त करने के लोभ से अधिक कार्य करने मे अमिको के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और इससे उनकी कार्य-क्षमता पर विपरोत प्रभाव पड़ता है। इसके लिए प्रेरणात्मक आय को अधिकतम सीमा निश्चिन करनी चाहिए।

5. अधिक दक्ष अमिक वो अधिक तथा कम दक्ष अमिक को वह मजदूरी वा भुगतान किया जाता है। इससे आय की असमानता बढ़ती है। इस असमानता के कारण अधिक दक्ष तथा कम दक्ष अमिको मे प्राप्ति की भावना उत्पन्न हो जाती है और उनमे एकता का प्रभाव पत्ता है। आय सम्बन्धी अन्तर यदि वैज्ञानिक ढग से चलाई गई योजनाओ के परिणामस्वरूप होता है तो किर अमिको

को मापम मे किसी तरह की ईच्छा नही रपनी चाहिए। इसके लिए अभिक मध्ये का दायित्व है कि वे प्रयत्ने सभी सदस्यों के बीच मधुर सम्बन्ध एवं एकता की भावना पैदा करें।

6. मुक्तान के प्रेरणात्मक तरीकों को कभी भी अच्छे थम-प्रबन्ध सम्बन्धों का प्रतिस्थापन (Substitute) नही ममभना चाहिए। प्रते प्रच्छे थम-प्रबन्ध सम्बन्धों का होना भी आवश्यक है।

लाभांश-भागिता

(Profit Sharing)

प्राचीन धार्यिक विचारधारा के प्रनगत लाभ पर सम्बूँग अविकार पूँजीपति का याना जाता था। मार्क्स ने अनुमार 'लाभ खोरी को ही मन्दूरी है' तथा वर्तमान समय मे ममाजबादी विचारधारा तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो जात से किसी भी सम्बन्ध या उद्योग मे उत्पन्न लाभ पर न केवल साहसी का अधिकार माना जाना है बहिर यह समझा जाने लगा है कि विना अभिको के सहयोग के लाभ प्राप्त नही किया जा सकता। लाभ मे स अभिको को भी हिस्ता दिया जाना चाहिए।

लाभांश-भागिता की योजना संवेदन फ्रैंसीसी चित्रकार श्री एम. लेक्लेर (M Leclayer) ने 1820 मे घारम्भ की। इसके अनुसार यदि लाभ का कुछ हिस्ता अभिको को दे दिया जाए तो इसके प्रोत्तर भागिता लाभ एक व्यक्त होती है।

मत्त्वं (Meaning)—लाभांश-भागिता के प्रनगत नियोजन अभिको को उनकी मन्दूरी ने प्रतिरक्त लाभ मे से कुछ हिस्ता देता है। यह दोनों पक्षो के बीच समझौते पर आधारित होता है। किसी भी सम्बन्ध से ग्राहक लाभ श्रीदोगिक प्रणाली का अभिन्न भाग है प्रोत्तर अभिको के शोधण को समाप्त करने हेतु इस योजना के महत्व पर जोर दिया गया है।

लाभांश-भागिता की वैद्यनीयता

(Desirability of Profit-sharing)

लाभांश-भागिता की योजना से सामाजिक लाभ (Social Justice) प्रदान किया जा सकता है। किसी भी सम्बन्ध मे जो लाभ प्राप्त होता है वह अभिको के कारण से होता है। यदि हम इस लाभ मे से अभिको को कुछ भी नही दें तो वह उत्तरे प्रति सम्मान होगा।

यदि लाभ का हिस्ता अभिको को न देश और पूँजीपति या साहसी रख लेता है तो इसके अभिको व मालिक के सम्बन्ध मधुर नही रहते। इसके घाए दिन हड्डान, धीमी गति से बार्य करने की प्रवृत्ति मे श्रीदोगिक उत्पादन मे गिरावट घाटी है। अब अच्छे श्रीदोगिक सम्बन्ध बनाए रखने तथा उत्पादन मे वृद्धि करने हेतु साभांश-भागिता योजना का होना आवश्यक है।

लाभांश-भागिता मे अभिको को मन्दूरी के प्रतिरक्त लाभ मे से हिस्ता मिलता है जिसके अभिको की वार्यकृतता मे वृद्धि होती है प्रोत्तर इसके परिणाम-

64 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा

स्वरूप उत्पादकता में वृद्धि होगी। इससे अच्छी योग्यता वाले श्रमिक आवर्पित होते हैं।

लाभांश-भागिता योजना को सीमाएँ

(Limitations of Profit-sharing Scheme)

लाभांश-भागिता योजना की कुछ सीमाएँ हैं जो निम्नलिखित हैं—

1. थम सध नेताओं द्वारा इस योजना का विरोध किया जाता है क्योंकि श्रमिक नेताओं वा कहता है कि इस योजना से थम सधों को दुर्बल बनाया जाता है। इससे श्रमिक मालिक पर धार्यन होते हैं।

2. इस योजना के अन्तर्गत लाभ के लोभ में श्रमिक धर्यव कायं करते हैं। अत उनकी कार्यकुण्ठता घटती है और निम्न वास्तविक मजदूरी निलंबी है।

3. श्रमिकों का दिया जाने वाला हिस्सा आसानी से मातूम नहीं किया जा सकता है। लाभांश-भागिता की गणना एक उद्योग से दूसरे उद्योग, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग-अलग आधारों पर होती है। इससे श्रमिक में कम हिस्सा तथा धर्यक हिस्सा पान वाले दो वर्ग होते हैं। इससे धौदोगिक संघर्ष उत्पन्न होते हैं।

4. श्रमिकों को मिलने वाला हिस्सा धर्यक न होने के कारण वे मानिकों की ईमानदारी में धर्वश्वास करने लगते हैं और इम प्रकार की योजना में धर्यक रुचि नहीं लेते।

5. मालिक भी इसका विरोध करते हैं। उनका कहना है कि जब श्रमिकों वो उद्योग के लाभ में से हिस्सा दिया जाता है तो हानि होने पर श्रमिकों द्वारा हानि का भार भी बहन करना चाहिए। वे इस योजना को एक-क्षयीय योजना बताते हैं।

6. इस योजना के अन्तर्गत दोनों पक्ष अपना-अपना महत्व बताते हैं कि लाभ उनके प्रयासों वा परिणाम है और इससे उनमें धार्यप में झगड़ा उत्पन्न हो जाता है।

7. श्रमिकों को जब उद्योग के लाभ में हिस्सा दिया जाने सकता है तो वे सुरक्षी से कार्य करते हैं जिससे उत्पादन में गिरावट प्राप्ती है।

इस प्रकार की योजना पूर्ण रूप से कही भी सफल नहीं हुई है क्योंकि इसकी कई सीमाएँ हैं। फिर भी हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की योजना की सफलता के लिए एक ऐसे वातावरण की आवश्यकता है जिसमें दानों पक्ष (श्रमिक व भालिक) एक-दूसरे पर विश्वास करते हैं। यह कहना कि इसमें धौदोगिक विवाद नहीं होगे, बिलकुल सही नहीं है। यह जरूर है कि इस योजना के लागू वरन से कुछ सीमा तक विवादों को कम किया जा सकता है।

भारत में लाभांश (बोनस) योजना : इतिहास और ढाँचा¹

सही धर्यों में बोनस के मुगातन की प्रया का प्रादुर्भव प्रथम विश्व-युद्ध के अन्तिम दिनों में हुआ था। इस प्रश्न पर विचार-विमर्श वे दीरान ह्वाटसे धायोग ने ग्राहीत मत धर्त किया था—

1. भारत सरकार द्वारा प्रदायित समर्थ सामग्री से सामार।

"हमारे बहुने का मनव यह नहीं है कि अपनी जायेंकुशरता के मोजूदा स्तर के अनुसार, कामगर वो पहले किसी धोदोगिक प्रतिष्ठान के कारोबार में होने वाले लाभ में सदा ही उचित भाग मिला है या उसे अब मिलना है, सेक्षित जब तक उमका सयटन उतना दुर्बल रहेगा, जितना कि प्राज्ञ है, तब तक इसे दान का मदा खतरा बना रहेगा कि उसे उद्योग के कारोबार में (मुनाफे का) उचित भाग पाने म सफलता न मिले। समय समय पर इस दान के मुभाव इस गए है कि लाभ बैंडने की योजनाओं को आमतौर पर लागू करने से इस मुश्किल को आसान किया जा सकता है, लेकिन इस प्रान्तोंने ने भारत म जग भी प्रगति नहीं बीं पीर धोदोगिक विकास की मोजूदा स्थिति में ऐसी योजनाओं के लाभदायक या प्रभावी सिद्ध होने की सम्भावना नहीं है।"

युद्ध बोनस

सन् 1914-18 के युद्धकाल म बहुधो के दाम बढ़ गए थे। नीजा पह हुआ कि वास्तविक तनहुआ हो तो कम हो गई और दूसरी प्रीर व्यापार में लाभ बहुत बढ़ गए। उस समय मजदूरों ने प्रतिरिक्त पैसे वे निए प्रान्तोंने किया। कुछ तो इसलिए कि वे अपने बतन प्रीर वास्तविक तनहुआ हो क बीच पतर कम करना चाहते थे और कुछ इसलिए भी कि उद्योगों द्वारा उस दोर में बढ़ाए गए प्रतिरिक्त मुनाफों में भी हिस्सा बैंडन का उनका द्वारा था। इस स्थिति न कुछ धोदोगिक इकाइयों को अपने मजदूरों को 'युद्ध बोनस' देने पर मजबूर बत दिया।

उस समय दिया जाने वाला बोनस दो तरह का था—(1) यह मानिका द्वारा सद्भावना प्रदर्शन के रूप म बदन येड्युटी या प्रनुष्ट रामिक नाम पर दिया जाता था, (2) यह या तो महेंगाई भत्ते के बदले दिया जाना था या वापिक धरिन अववाह के स्थान पर मिलना था।

मजदूरों का अधिकार

दूसरे विश्व-युद्ध के दौरान युद्धालीन बोनस का मर्य ऐसा मुमताज समझा जाने लगा जो कि युद्ध के दौरान कमाए गए अनियिक मुनाफे में मजदूरों का दिया जाता था। इण्डियन लेन्ड बॉर्ड पैस (1943) मुगाफा बैंडन के बाद में बोनस पर विचार-विमर्श करते के बाद इस नियरे पर लूटी थी कि बोनस के प्रश्न पर महेंगाई भत्ते के सवाल से अलग विचार करना चाहिए और यह एक ऐसा सवाल है जिसे मालिकों को अपने कर्मचारियों से बाचीत करने तय करना है। उन्हें मालिकों ने स्वेच्छा से बोनस दिया, पर इस सवाल पर अनक विचार भी भारत रक्षा अधिनियम के दधीन प्रदानतों में उठाए गए। प्रश्नालीनों का बहुना या कि अग्र प्रीर गूंगी के सहयोग से ही मुनाफे हैं इनका मजदूरों को अधिकार है कि वे हिमों समय विभेद म अतिरिक्त लाभ म हिमा बैंडा भी मांग लें। अभी तक भी बोनस का दावा एक कानूनी अधिकार नहीं था। बतन उसे मजदूरों को गवृष्ट रखने ही उपर्युक्त से न्याय, तर्क प्रीर सद्भावना के मिलानों वे प्राप्ति पर स्वीकार दिया गया था।

बम्बई उच्च न्यायालय का फैसला

यह स्थिति तब तक चराती रही जब तक इस प्रधन पर बम्बई उच्च न्यायालय ने यह निर्णय नहीं दे दिया कि बोनस की माँग मजदूर का अधिकार है। उसने यहाँ—“बोनस एक ऐसा मुश्किल है जो किसी मानिक द्वारा बमंचारियों को एक स्पष्ट या निहित समझौते के प्रधीन इए गए नाम के लिए अनिवार्य परिस्थिति वे रूप में किया जाए।”

बोनस विवाद समिति

बम्बई के सूती कपड़ा मिल शामगरों को सन् 1920, 1921 व 1922 के लिए सन् 1921, 1922 व 1923 में भी बोनस दिया गया था। सन् 1923 के लिए बोनस न देने के विरोध में जनवरी 1924 के अन्त म एक आम हड्डताल हुई थी। इसके कल्पन्यवृण्ड बम्बई उच्च न्यायालय ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सर नामंन मेझ्लोड की अध्यक्षता में एक बोनस विवाद समिति स्थापित की गई थी।

विचारार्थी विषय

समिति को निम्नलिखित विषयों पर विचार करना पा—

(1) बम्बई की सूती कपड़ा मिलो द्वारा अपने बमंचारियों को सन् 1919 से दिए गए बोनस की प्रदूति के प्राधार पर विचार करना और इस बात की धोषणा करना कि क्या इस बारे में बमंचारियों का कोई पारम्परिक, कानून या माध्यता वा दावा बन गया है? और (2) सन् 1917 से आनोच्च अवधि तक हर वर्ष के लिए मिलो द्वारा कमाए गए मुनाफों की जांच करना ताकि उनकी तुलना सन् 1923 में हुए मुनाफों से वी जा सके और मिल मालिकों की इस मान्यता पर मत दिया जा सके कि विद्युते वर्षों की तरह सन् 1923 में बोनस देने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि सन् 1923 में सूती वस्त्र उद्योग ने कुन मिलाकर जो मुनाफा कमाया है उसके आधार पर बोनस नहीं दिया जा सकता।

समिति से कहा गया था कि वह इस बारे में कोई निर्णय या अमल के लिए सुझाव न दे वल्तिवेत्त तथ्य संघर्ष तक ही सीमित रहे।

समिति के निष्कर्ष

मिल मजदूरों की पांच वर्षों तक जो बोनस दिया गया था उसकी प्रदूति और आधार की जांच-परेक करने के बाद कमेटी ने यह घोषित किया कि मिल मजदूरों को वापिस बोनस के मुश्किल का कोई ऐसा पारम्परिक, कानूनी या तर्फनंगत दावा नहीं बनाया जिसे अदालत में सही ठहराया जा सके। सन् 1917 के बाद के वर्षों में हुए मुनाफों की जांच परेक बरन और सन् 1923 में हुए मुनाफों से उम्ही तुलना करने के बाद समिति ने कहा कि सन् 1923 के लिए सूती वस्त्र उद्योगों ने कारबाहर किया है। उससे मिल मालिकों की यह बात सही ठहरती है कि उसके आधार पर कोई बोनस नहीं दिया जा सकता।

वैसे समिति का विचार यह था कि मजदूरों ने अपने मालिकों के बिरुद जो दावा किया है, उसकी सही प्रवृत्ति को देखते हुए यह मालिकों और मजदूरों के बीच

सौदेबाजी का प्रश्न बन गया था, जिसमें तब्दील या व्याय व शोधित्य के सिद्धान्तों के अनुहंग भी सोच विचार किया जा सकता है। यह मवाल इस बात को निश्चिन बताने का नहीं है कि इन दोनों के बीच अनुदर्शन का स्वरूप बना है।

अहमदाबाद की समस्या

सन् 1921 में अहमदाबाद में भी उद्योग के सामने ऐसी ही समस्या उठ रही दृष्टि थी। बोनस की विस्तृत गतियों पर विवाद हो गया था और तब प्रमदन मोहन मालवीय की मध्यस्थिता से ही इस समस्या का हृत निर्णय था। मालवीय जो ने कहा था—

“मेरी स्पष्ट मान्यता यह है कि अगर किसी मिन को अच्छा साभ होता है, तो मजदूरों को आपनी ओर पर हर बर्द क घन में एक पाम के बेतन के बराबर बोनस दिया जाना चाहिए, व्योकि मजदूरों के निष्ठापूर्ण सहयोग में ही मिल एसा मुनाफा कमा पाती है। अगर कायदा बदूत ज्यादा हुआ हो तो मिन मालिरों को चाहिए कि मजदूरों को ज्यादा बोनस दें।”

स्वैच्छिक भुगतान

दूसरा विश्व-युद्ध ग्रिडने पर समस्त उद्योगों को श्रितियाँ संवार्द्ध (रा-रावा) प्रध्यादेश के तहन से आया था। प्रमामान्य मुद्रारामीन परिस्थितिया के बारण मुख्य कम्पनियों ने बहुत अधिक मुनाफे कमाए और शोधातिक प्रतिष्ठानों के मालिरों ने यद इस बात को अच्छा समझा कि मजदूरों को तुग व सनुष्ट रखा जाए।

सन् 1941 से 1945 तक बम्बई के मिल मालिक संघ की सदस्य मित्रों ने अच्छा रो बोनस घोषित किया। सन् 1941 में यह रदम बर्मनारियों की व्यापिक वेसिक आय का 1/8 वाँ भाग और सन् 1942 से 1945 तक 1/6 वाँ भाग थी।

बहुत से मामलों में बोनस घटायी बर दी गई पर साथ ही यह भी बहा गया कि बोनस देने की बात अधिक मुनाफा होन से सम्बन्धित है। कुछ मामलों में सो स्वयं मजदूरों य बर्मनारिया ने यह स्वीकार बर निया कि अगर कम्पनी दो कोई स्वास मुनाफा न हुआ हो तो वे लोग बोनस बे रद में उगड़ा हिस्सा पाएं तो अधिकारी नहीं होंगे। उस गम्भीर बोनस को ‘बर्लीज’ बे रद में समझा जाता था।

थ्रिमिक अधिकार

बोनस के बारे में पहले समझा जाता था कि यह मानिक डारा प्रवने बर्मनारियों को प्रपनी मनमर्जी से दी जाने वाली मुक्त व स्वैच्छिक में है, तो तिन यह त्रिचार पुराना पड़ गया। किसी ध्यावान्यिक प्रतिष्ठान में बराम बरने वाले तभी लोगों का सहगंगा ही शोधातिक प्रशंसकों के लिए व फुलक टूलक रतन के लिए जहरी भाना जाने लगा। अब उद्योगों ने बारे में बेतन ध्यावान्यिक हितिहोता में ही नहीं सोचा विचारा जाता था, इसरा मानवीय पांच भी विचारलीय हो गया था। उद्योग क्षेत्र में शान्ति बनाए रखने की बात पर यह किया जाने समय था। बम्बई के मुख्य व्यापारीय एम सी द्यानन्द ने इस पांच—(1) मजदूरों को हिसी मास विशेष में दूसरे ज्यादा मुनाफों में हिस्सा भागने का प्रधिकार है और (2) ग्राम

मुनाफे को बैटने वा प्रचला तरीका तनहुँ है चड़ाना नहीं बल्कि वापिक बोनस देना है। श्री द्वागता वी इस गत से महाराष्ट्र के ही नहीं अन्य राज्यों के न्यायालौशों ने भी सहमति प्रकट की, लेकिन बोनस की परिमाण निश्चित करने के लिए कोई कार्मूला तंत्यार करने की दिशा में कोशिश नहीं की गई।

'अनजाने सागर' की यात्रा

प्रप्रेल, 1948 में आयोजित इण्डियन लेबर बॉन्फेस न मुनाफा बैटन के विषय पर विचार-विमर्श करते हुए बहु था कि यह भाष्यला इस प्रकार का है कि इस पर विशेषज्ञों द्वारा विचार किया जाना चाहिए। भारत सरकार न मुनाफा बैटने के प्रबन्ध पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की। समिति से कहा गया कि वह सरकार द्वारा तिमाहिवित बातों के लिए तिमाहित तथा करने में अपनी माहादे—(अ) अधिक व्यों उचित तनख्बाहें (आ) उद्योगों में निवेशित पूँजी पर उचित लाभ, (इ) सम्यानों के रख-रखाव प्रोर विस्तार के लिए पर्याप्त निवित दोष की व्यवस्था और (ई) अधिशेष लाभ में मजदूरों के हिस्में का निर्धारण। इसे प्रामूख्य पर (आ) व (इ) में लिए गए उत्पादन प्रावधानों के अनुरूप तालमेत बैठाते हुए (कभी या ज्यादा) तथा विया जाना था।

समिति कोई ऐसी प्रक्रिया तथा नहीं कर सकी, जिसके आधार पर मुनाफे में वर्षंचारियों के हिस्से की बात को उत्पादन के साथ तालमेत बैठाकर कम या ज्यादा तथा विया जा सके। समिति का विचार था—“इसलिए बड़े पैमाने पर मुनाफे में बैटवारे का प्रयोग करना एक अनजान-प्रभवदेवे सागर की यात्रा पर निवलने जैसा होगा।”

समिति ने सुझाव दिया कि कुछ सुव्यवस्थित उद्योगों में मुनाफा बैटने की बात प्रायोगिक तौर पर लाभू की जा सकती है। ये उद्योग हैं—(1) सूनी वस्त्र, (2) जूट, (3) इस्पात (मुख्य उत्पाद), (4) सीनेन्ट, (5) टायर उत्पादन और (6) सिगरेट उत्पादन।

मुनाफा बैटने का प्रयोग करने का सुझाव देने वे पीछे ग्रीष्मोगिक शान्ति बनाए रखने की भावना ही काम कर रही थी। समिति का यह बहना था कि अधिशेष लाभ का अनुभान लगाने और उसे कानून के अनुसार बैठा जाए, इस द्वात को प्रशांति करने की पूरी जिम्मेदारी कम्पनियों वे वैध रीति से नियुक्त लेता परीक्षरों पर ढान दी जानी चाहिए।

केन्द्रीय परामर्शदात्री परिषद् ने उक्त समिति की रिपोर्ट पर विचार किया, लेकिन उस दिग्गज में कोई समझौता नहीं हो सका। अच्छाहार रूप में मुनाफे के बैटवारे की प्रक्रिया समय-समय पर ग्रीष्मोगिक भदानों व न्यायाधिकरण द्वारा बोनस ग्रदाएगी के निएंव देने के रूप में चलती रही। लेकिन उनके पंचांग में इसके लिए कोई समरूप या स्पष्ट आधार उभर कर सामने नहीं प्रा मका।

अधिक अपीली ट्रिव्यूनल फार्मूला

इस पृष्ठभूमि में, घोड़े समय तक चले अधिक अपीली ट्रिव्यूनल (एल ए टी) ने बोनस मुमतान के मिदान्त तथा लिए थे। सन् 1950 में सूनी बद्दा उद्योग

के विवाद पर ग्रन्ति प्रेसने एंगले में अमिक यांची नी ट्रिब्यूनल ने अमिकों को बोनस देने से समर्पित मुख्य सिद्धान्तों का प्रारूप सामने रखने दूँ कहा था—

“इसे (बोनस रो) अब अनुग्रह मुरातान नहीं माना जा सकता क्योंकि यह यात मानी जा चकी है कि ग्राहर बोनस के दारे का प्रतिरोध किया जाए तो उससे ऐसा श्रौद्योगिक विवाद उभरता है जिसका एंगला वैध रूप से गठित श्रौद्योगिक न्यायालय या ट्रिब्यूनल को करना होता है।”

सन् 1952 में एफ-टूमरे मामले में इसने बोनस का परिमाण निश्चित करने वाले ग्राहारों की व्याख्या करते हुए कहा था—

“इस ट्रिब्यूनल की लगातार यह नीति रही है कि अमिकों वे निए ऐसी बेतत दर या मात तय की जाए जो बोनरों की ग्राम दशा-दिशा के अनुरूप होने के साथ-साथ बम्पनी की मुगातान धमना वे अनुकूल भी हो ग्राहर सम्मत हो तो इने मृत्युकों के प्रधिशेष में मे बोनस देकर उसे प्रार्थिक साम पहुँचाया जाए। इन मामलों को किन्तु सिद्धान्तों के आधार पर निश्चित करना होगा न कि ग्राहारहीन वालों पर। क्योंकि ग्राहर हम गिरावत गे प्रत्यग हट जाते हैं तो अमिक नियंत्रण में एफ-टूमरता नहीं रहेगी और प्रतिश्वित ग्राहारों पर काले देना श्रौद्योगिक सम्बन्धों के नित बतरताव सिद्ध होगा।”

पहले मामले हे सन्दर्भ में निश्चित किया गया कार्मूले के अनुगार, जो हि 'पूर्ण पीठ कार्मूलो' (पुरुष वैत्र कार्मूला) के नाम से जाना गया मृत्यु लाभ से से नियन्त्रित लंबों की व्यवस्था करने वे बाद ही बैट्टवारे के लिए प्रधिशेष निश्चित किया जाएगा। वे हैं—

- (1) ट्रॉट कूटे के लिए प्रावधान,
- (2) पुरावास के लिए सन्ति बोय,
- (3) चुकता पूँजी पर 6% लाभ, और
- (4) वार्ष धूँजी पर चुकता पूँजी की तुलना में बम दर पर लाभ।

और इनके बाद वाली रहे उपलब्ध प्रधिशेष से अमिकों की साल के लिए बोनस के रूप मे उचित हिस्सा दिया जाए।

अमिक अपीली ट्रिब्यूनल द्वारा निश्चित पार्मूले को ग्राहार मानकर ही देग भर के श्रौद्योगिक ट्रिब्यूनलों ने दोनस प्रदाएगी के रूपमे दिए। हालांकि समय-समय पर इस कार्मूले को सज्जोधित करने की मांग लगातार उडाई जाती रही। संजोधन की मांग का प्रमुख ग्राहार अमिक अपीली ट्रिब्यूनल द्वारा पुनर्वास के प्रावधान को प्रतिमिर लंबे मानना था। सन् 1959 मे एमोगिलेट मीमेट कम्पनीज की अपील पर विचार के दोरान सज्जोधन न्यायालय के सामने यह मुद्दा थाया था। अमिक-अपील कार्मूले मे निहित मिद्दान्तों को उचित ठहराने हुए सज्जोधन न्यायालय ने समय वाली के माप यह कहा—

“ग्राहर विधान मण्डल को यह महसूस होता है कि अमिकों द्वारा निए जाने वाले सामाजिक व आर्थिक न्याय के दावों को अपेक्षाकृत परिष्कृत माधार पर

परिभासित किया जाना चाहिए, तो यह उस मामले में हस्तशेष कर सकता है और विधान बना सकता है। यह भी सम्भव है कि एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग द्वारा इस प्रश्न पर सर्वांग विचार कराया जाए और आयोग से वहाँ जाए कि वह इन समस्या के सब पक्षों पर समस्त उद्योगों व मजदूरों की सब सम्पादन से बात करके हर दृष्टि से विचार करें।"

बोनस आयोग

स्पाई थम समिति ने इस मुद्रे पर मन् 1960 में विचार किया और इसकी सिफारिशों के आधार पर 6 दिसंबर, 1961 को एक विषयकीय आयोग का गठन किया गया। इसे लोग आमतौर पर बोनस आयोग के नाम से जानते हैं। इसका काम या लाभ पर माधारित बानस की प्रदाएँगी के प्रश्न पर सर्वांग-सम्पूर्ण विचार करना। और सरकार को प्राप्ती सिफरिंग देना। अच्युत (श्री एम. पार मेहर) के अतिरिक्त आयोग में दो स्वतन्त्र सदस्य और दो-दो सदस्य कर्मचारियों व मालिकों के (सार्वजनिक क्षेत्र सहित) थे।

सार्वजनिक क्षेत्र को भी इस आयोग के विचार क्षेत्र में शामिल करन की मांग जोर-शोर से उठाई थी। लेकिन फिरना यह हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र के उन्हीं संस्थानों को आयाग के विचार क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना चाहिए, जो विभागीय तौर पर नहीं चलाए जाते हैं और जो निजी क्षेत्र के अन्ने जैसे प्रतिष्ठानों से प्रतिवृद्धिता करते हैं।

सरकार को बोनस आयोग की रिपोर्ट 21 जनवरी, 1964 को मिली। रिपोर्ट सर्वसम्मत नहीं थी और थी दाढ़ेकर (मानिकी के प्रतिनिधि) ने अनेक महत्वपूर्ण मामलों पर बहुमत की सिफारिशों का विरोध किया था। आयोग थी सिफारिशों पर सरकार ने निर्णय 2 सितम्बर, 1964 के एक प्रस्ताव द्वारा प्रोपिन किए गए थे। इसमें सरकार ने निम्नलिखित सशोधनों के माध्यम आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था—

1 इस समय जारी सारे प्रत्यक्ष करों को बोनस की दृष्टि से, उत्तरव्य अधिशेष का अनुमान लगाते समय प्रयम भार के रूप में काट दिया जाना चाहिए।

2 इसके अलावा आगे विकास करने की दृष्टि से साधन जुटाने के लिए उद्योगों को करों में जो घटें दी जाती हैं, उनका इस्तेमाल कर्मचारियों को अधिक बोनस देने में नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी ओर अगर बनेमान करना नून और विनियम पूरी तरह इस स्थिति को सुरक्षित नहीं बना पाते तो बानून द्वारा इन बात को सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए इसे ऐसी कर दूसरों में जो रकम जमा होती है वह सचमुच उन्हीं बासों में लगाई जाए जिनके लिए करों में घटें दी जाती हैं। इसके अलावा हिन्दुस्तान शियराई जैसी कुछ विशिष्ट कर्मनियों को सरकार द्वारा दी जाने वाली समिसड़ी को बोनस भूगतान के उद्देश्य से महत लाभ के हिसाब में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

3 बोनस के उद्देश्य से 'उपराष्ट्र अधिनेत' का हिसाब लगाने से पहले पूँजी पर साम बाने जाने में प्रयम भार के रूप में काटी जाने वाली राशि द्वा रहिसाब

इस तरह हागा—प्रधिमानी जेयर पूँजी पर उत्तीर्ण भरकर ८५ प्रतिशत (कर याप) प्रीति अभियानी पर लागू किया जाता चाहिए। इस व्यवस्था का देका के अतिरिक्त दूसरी महसूनी पर लागू किया जाता चाहिए। ये दो वास्तव में नुस्खाएँ हैं ये सेवी व्यक्ति—परिवेशी पर लागू किया जाता चाहिए। व्यापक व्यवस्था का देका के अतिरिक्त दूसरी महसूनी पर लागू किया जाता चाहिए। ये दो वास्तव में नुस्खाएँ हैं ये सेवी व्यक्ति—परिवेशी पर लागू किया जाता चाहिए।

4 बाद के नियमों में गतोपयित बोनस प्राप्ति की लिफारिशों के भौतिकी प्रभाव के नाम से यह उच्छ यन् 1962 के बिसी भी दिन समाप्त होने वाले लक्षण वपर से सम्बद्धित गवर्नरपैट बोनस सम्बद्धी मासिनों पर लागू जाता जाता चाहिए। ऐसे दो वही वास्तव इसके मृदूल रहने विनम्र इसके प्रति ही वपरभौत हो चुके हैं या नियम किया जा चुके हैं। 109802

प्राप्ति की रिपोर्ट पर गवर्नर के नियमों की घोषणा के बाद मन्त्रदूर गणठनों की आरग तथा सरकार की गवर्नरपैट प्रतिवेदन मित्र हिना काम्पून में कुछ मासों में यह हाल भी आगे आ रहा है कि अभियानी बोनस का परिमाण कम हो जाएगा। तत्कालीन के द्वितीय अम मासीन 18 मिनिस्टर 1964 को यमन में एक बहुत अच्छी बात द्वारा कहा गया कि प्राप्ति की रिपोर्ट के बारे में प्रत्यक्षित विषयक में इस बात को मरणीय बरतने के समुक्ति प्रावधान मिमिति हिंग जारी किया गया वास्तव में वास्तव तथा बरत में चाहू बनाने आधारों पर तिलक ही या नए फार्मूल के आधार पर अभियानी बोनस परिमाण बढ़ावे। वास्तव सम्बन्धी विधयक

गवर्नर द्वारा स्वीकृत बोनस प्राप्ति की मिलारिश को अधिकृति क्षम दिए ग्रस्तावित विषेषक के मामीड पर हायादी अम गमिति ने अपनी नियमित 1964 के मार्च 1965 को बैठकों में विचार दिया। गवर्नर ने जिम विषयक ३१ भर्तिम स्पष्ट किया उसमें विषय पर्याप्त डारा किया था गुभाको हां भी क्यों रखा गया था। २९ मई 1965 को बातों गुणतान अध्यादेश 1965 के नाम से जारी किया गया। २५ मिनिस्टर 1955 के बोनस भूगतान परिविषयमें वास्तव 1965 के इस अध्यादेश ने संक्षिप्त।

29 मई 1965 को बोनस प्राप्ति का नाम होने के तुरंत वार्ष ही विभिन्न उच्च व्यापारियों में इस विषयक के महत्वपूर्ण प्रावधानों की साविधानिक वधुता की गुणीयता देने हुए परीक्षे दायर की गई। बातों की साविधानिक वैधता का गवर्नर चुनीकी दो हुए सविधानों के अनुच्छेद ३२ के प्रधीन सर्वोच्च व्यायामय में दो किट प्रिटीजन और बम्बर्ड व प्रीतिप्रिय व्यायामय के नियम के बिट्ट तक दीदाती परीक्षे दायर की गई। गूर परिविषय की आनोन्तता भी गई। रातोंतर पर यारा १० नियम तहत लाभ न होने की विषय में भी गुणतान बोनस भूगतान का प्रावधान था यारा ३३ जिएका सम्बन्ध कुछ परिवर्तित विवाहों पर परिविषय को लागू बरत से या ग्रीट

धारा 34 (2) को, जिसका सम्बन्ध वोनस की मौजूदा ऊँची दरों को संरक्षण देने से था, चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने 5 प्रगति, 1966 को दिए गए अपने फैसले में धारा 10 की सांविधानिकता को उत्तित ठहराया था। अधिकतम वोनस या सेट ग्रॉन या अधिनियम के प्रावधानों को बरकरार रखा गया। लेकिन धारा 33 और 34 (2) और साथ ही धारा 37 को भी (जो अधिनियम के प्रावधानों की व्याप्ति करने में आने वाली बठिनाइयों को दूर करने का अधिकार मरकार को देती है), सांविधानिक इटि से अवैध घोषित कर गया दिया।

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से बनी स्थिति से निपटने की कठिनाई

फैसले के तुरन्त बाद मजदूरों ने प्रतिवेदन दिया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विरस्त पोषित प्रावधानों (विशेषकर उच्चतर वोनस की मौजूदा स्थिति को मरकरण देने वाले) को फिर से बहाल किया जाए। दूसरी ओर मानिकों का कहना था कि यथास्थिति बनाए रखी जाए।

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद दूसरी स्थिति पर स्थायी श्रम समिति और इसके बाद गठित द्विषट्टीय समिति द्वारा विचार किया गया। लेकिन फिर भी दोनों पक्षों के बीच विभिन्न प्रस्तावों पर कोई समझौता नहीं हो सका और विरोधी प्रस्ताव पेश किए गए।

1969 में बोनस अधिनियम में सशोधन

मेटल बॉक्स कम्पनी प्रीर इसके कर्मचारियों के बीच बोनस विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि धारा 6 (सी) के प्रधीन देय कर राशि का हिसाब लगाते समय बोनस अधिनियम के तहत दिए गए बोनस को सकल लाभ से घटाया नहीं जाएगा। इस फैसले के फैसलेव्य पहुँचा कि कर के नाम पर प्रटाई जाने वाली रकम बास्तविक दृष्टि से ज्यादा बैठ जाती थी और बोनस देने पर घायकर वे अधीन मालिक को मिलने वाली कर दृष्टि की पूरी रकम उमड़ी जेवं में जाती थी। यह बात सरकार की रीति रिवाज के विपरीत ठहरती थी। मजदूर तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 34 (2) को रद्द किए जाने में पहले ही दुबी थे। मेटल बॉक्स कम्पनी के मामले में दिए गए केसों से और अधिक उद्देश्य और वैर्णन हो गए वयोंकि इन दोनों नियंत्रणों से उन्हें मिलने वाली बोनस नाजि दर दुष्प्रभाव पड़ा था। इसनिए 10 जनवरी, 1969 को एक व्यव्यादेश जारी करके अधिनियम की धारा 5 में सशोधन कर दिया गया। इन नयों नव दर दृष्टीकोण दिया गया था कि किसी लेखा-वर्ष में मालिक को मिलने वाली नये दृष्टि राशि को बाद वाले लेखा-वर्ष के उपतत्व अधिक्षेप में जोड़ना होगा। इन प्राप्त दर दृष्टि की राशि अब (पर्याप्त लेखा वर्ष 1968 से आगे) मानिक प्रीर उनके लिए कर्मचारियों के बीच 40-60 वे प्रतुगत में बांटी जाएगी। बाद में एड संसदीय अधिनियम ने इस व्यव्यादेश का स्थान से लिया।

राष्ट्रीय थम आयोग की सिफारिशें

राष्ट्रीय थम आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें दी हैं—

बापिंह बोनस देने की प्रणा नी प्रस्तुतव में या गई है। उसने योना स्थान बना लिया है और भविष्य म भी मम्मवन जारी रहेगी। जहाँ तक बोनस के परिमाण को तय करने का प्रश्न है उस मामूलिक सोडेवाजी न जरिए तय किया जा सकता है। लेकिन ऐसा समझोना वो प्राप्तार बाने वाल कानूनी हीना होगा। 1965 के बोनस मुक्तान प्रधिनियम को प्रधिर समय तक धारमा कर देता चाहिए। मुख्य कम्पनियों ने जो बोनस प्रधिनियम पारित होन स पहल बोनस दिया रखती थी अब बोनस देना बन्द कर दिया है, बड़ोंगि यह प्रधिनियम उन पर लागू नहीं होना। इन कम्पनियों को बेवल इसी बात पर बोनस थी प्रदायनी बन्द रही करनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि ऐसी कम्पनियों न सदम्य म प्रधिनियम मे उचित संशोधा करने की सम्भावना पर विचार करे।

यह तय किया गया कि बोनस पुनरीगा समिति की रिपोर्ट मिलने क बाद इस मामले पर विचार किया जाए।

बोनस पुनरीक्षण समिति वा गठन

बोनस भुगतान प्रधिनियम म समोयन करने के लिए 9 अगस्त, 1966 को श्री वित्त बमुद्वारा राज्यसभा म बोनस भुगतान (ममोयन) विषयक 1965 के नाम से एक विधेयक प्रस्तुत किया गया। उनमुद्वारा प्रस्तावित समाधान मे मुख्य उद्देश्य थ—

- (1) प्रधिनियम थी धारा 10 क प्रधीन दद न्यूनतम बोनस को लेना वर्ष म अजित वेतन मजदूरी के 4% ए बड़ाबद बापिंह प्राप्तियो का 1/12 करना,
- (2) प्रधिनियम थी धारा 11 को हटाना जो प्रधिस्तम धानम दो लेना वर्ष के वेतन/मजदूरी के 20% तक सीधित रहती है प्रौर
- (3) धारा 32 द्वारा धमा किया गा सारजनिक धोत्र के प्रतिष्ठानों के धनावा उन सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों पर इस प्रधिनियम को लागू करना, जो कम्पनियो और नियमों की तरह धरात आते हैं।

मन्त्रालय से परामर्श दरक और मन्त्रिमण्डल क तिर्जुमार इम विधेयक का विरोध करने और यह पारिगातन देने का फैसला किया गया कि सरकार उचित यम पर स्वयं एक उचित विधेयक देगा करेगी ताकि 1965 के धानम भुगतान के प्रधिनियम को ऐसी धारारिक प्रतिष्ठिति न रहे या नी सारजनिक धोत्र की कम्पनियो पर सारू रिया जा सके, जो वतमान म प्रधिनियम थी धारा 20 के धारार इससे प्रदूनी रह गई है। उक विधेयक ने राज्यसभा ने 26 मार्च, 1971 का धात्वीकृत कर दिया। यहम के दोसान धम मांगी ने यह प्राप्तामान दिया कि सरकार धतोत के धनुग्रहों को देखते हुए धानूनी बोनस मुक्तान की पूरी धा-ना का पुनरीक्षण करेगी।

पिछले अनुच्छेद में उल्लिखित घाइत्राभन के अनुह्य 28 अप्रैल, 1978 को एक समिति स्थापित की गई जिस पर तन् 1965 के बोनस मुगतान मध्यनियम देव्यवहार के पुनरोक्षण की जिम्मेदारी पी। उसका अवृप्त व विचार क्षेत्र निम्ननिखित था—

1. स्ववृप्त—यद्यपि एवं सदस्य—(1) श्री एन. एन. भट्ट (2) श्री हरीश महिंद्रा, (3) श्री आर. पी. विलीमोरिया, (4) श्री जी. रामानुजन, (5) श्री सर्वीश लुम्बा, (6) श्री महेश देसाई, (7) डॉ एम. एन. पुनेकर।

2. विचार क्षेत्र—बोनस मुगतान अधिनियम, 1965 के नियन्त्रन की समीक्षा करना और उसमें प्रस्तावित योजना ने उचित नशोधन मुभाना और सासतोर पर निम्नलिखित पर मुभाव देना—

- (1) क्या जन संस्थानों (कारखानों के अनावा) पर जहाँ 20 से कम श्रमिक वाम बरते हैं उस अधिनियम को लागू करना चाहिए। और यदि ही, तो रोजगार की किस सीमा तक? क्या इन छोटे संस्थानों में बोनस मुगतान के लिए अलग फार्मूला होना चाहिए?
- (2) क्या न्यूनतम बोनस (4%) की सीमा को बढ़ाने का मामला बनना है? यदि ही तो किस स्तर तक बढ़िया की जाए?
- (3) क्या बोनस मुगतान की वर्तमान उच्च सीमा और सेट आॅफ या अद्वितीय गतान और सेट आॅफ या मुजरा प्रणाली में किसी फेरदाद की जरूरत है? यदि ही, तो इस परिवर्तन की दिशा क्या होगी?
- (4) क्या समूचे बोनस मुगतान को किसी न किसी रूप में संस्थान में उत्पादन में/उत्पादकता से संयुक्त कर दिया जाना चाहिए?
- (5) क्या वर्तमान 4% न्यूनतम बोनस जारी रहे और उत्पादन/उत्पादकता की समुक्ति योजना के अध्ययन से इसे और बढ़ाने का प्रावधान भी किया जाना चाहिए?
- (6) किसी भी सम्बन्धित/अनुपगमी मामले पर विचार करना और मुभाव देना।

समिति अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप देने से पहले राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर उनके सम्भावित प्रभाव का भी सावधानीपूर्वक अंकितन करेगी।

बोनस पुनरोक्षण समिति की अन्तिम रिपोर्ट

बोनस पुनरोक्षण समिति ने 13 मित्रवर, 1972 को न्यूनतम बोनस, इसके मुगतान के नीके, न्यूनतम बोनस में वृद्धि का उत्पादन-उत्पादकता से सम्भावित सम्बन्ध, प्रसार अर्दि प्रश्नों के बारे में अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। समिति के निष्पत्ति इस विषय पर प्रस्तुत दो प्रलय-प्रलग रिपोर्टों में सन्दर्भित है। एक रिपोर्ट अध्यक्ष, डॉ. एम. डी. पुनेकर, श्री एन. एम. भट्ट और श्री हरीश महिंद्रा की तरफ से पेश की गई थी और दूसरी रिपोर्ट पेश करने वाले थे श्री आर. डी. विलीमोरिया, श्री महेश देसाई, श्री जी. रामानुजन और श्री सर्वीश लुम्बा।

मिनि द्वारा प्रयुक्त जोरों दियाएँ पर मारथानीपूरवा विचार करने के बारे में समिति का अस्तित्व रहा।

(1) बानग मध्यनियम के तहत ग्रान वान थमिका का मिनन बान यूनिटम बानूना बोनग के 4% से बढ़ावर लगा वर 1971-72 के निए 84% कर दिया गया।

(2) बानग मुगतान मध्यनियम के तहत ग्रान वान मध्यन घटाया जा 84% तक पूरा मुगतान नहर किया जाए। जहाँ विधित नगा वय में ग्रान जान वान बोनग की रकम 84% में घटित हो और विधित लगा वय में किए जान वाले मुगतान प्रोर सन् 1970-71 नगा वय में दिए गए मुगतान के बाब अगर काइ मन्त्र (मन्त्रित अवात्र घन) हो। (यानी जहाँ यह मुगतान 84% में घटित हो) तो देश की मोरुना घटित स्थिति का दलत हुआ है मध्यनारिया के भविष्य निधि ग्रान में जमा करा दिया जाएगा।

उपर्युक्त (1) प्रोर (2) में निहित घटवस्थापा का गर घटियाएँ मावजनिक देश के प्रतिकारों पर भी जारूर दिया जाएगा।

यह घटिकारिक धारा जारी कर दिए जाएँ दि घटियम ये धोषचारिक मशोरत है नहर उत सावजनिक प्रतिकारों का भी (जिसे हर गमय बानग मुगतान मध्यनियम की धारा 20 की घटवस्था के बनते बानग नहर में घट दियी हुई है) उपर्युक्त प्रायार पर गन् 1971 के दियी भी दिए गुण तो बान लगा वय के निए मुगतान करना चाहिए और

गरवाह न मानिकाक व दीय मगरन म रहा दि व घटने मध्य गस्थाना का यह गताह रि उह सारितवार काम त क नाम ग प्रकरित काम त र स न मध्यनारिया का दिए गए घटिम घन की बमूनी करने पर जोर नहर नहर नहा जाहिए।

बान म एक समर्थीय घटियम न दूर घट्यार्जा का स्थान त दिया।

1972-73 के निए यूनिटम बानग

गन् 1965 के बानग मुगतान घटियम म गिरावर 1973 म दिए गमाधन दिया गया प्रोर यह घटवस्था पर भी गई दि गन् 1972 के दिया भी दिए गुण हान बाल सत्ता वर के लिए तत्त्वावाद पा मजदूरी है 84% का दर ग यूनिटम बानस का मुगतान दिया जाए तथा दृष्टि काम स मामता म बानग का एक घटा के क्षमतारिया के भविष्य निधि व त म जमा करा दिया जाए। सहित घटिया का फार से गोर प्रतिवर्तन ग्राह क हुए हैं दि उह ग्राह्य बानग की रक्ति नहर दा जानी पाइए प्रोर गरवाह न उत्तरी प्रायना स्वीकार करने का निश्चय दिया। तमुकार 14 दिसावर 1973 के घटियम पर गमोपन कर दिया गया।

1973-74 के निए यूनिटम बानग

15 दिसावर 1974 का हुई घासी घटर म राजनीतिक मामता की भवित्वमध्यीय समिति ने हमारे नोए पर विचार विमान दिया जो गन् 1973 के

रिसी भी दिन शुरू होने वाले लेखा वर्ष व वारे में न्यूनतम देय बोनस भुगतान से सम्बन्धित था। समिति ने फँसला किया वि कोई अध्यादेश जारी बरने के बजाय, यह कही थधिक अच्छा रहेगा कि मालिका के प्रमुख प्रतिनिधि सभो को अन्तीपचारिक रूप से सन् 1973-74 लेखा वर्ष के तिए 84% की दर से न्यूनतम बोनस का भुगतान करने की सलाह दी जाए। बैन्ड्रीय अम मन्त्री ने इस सम्बन्ध में 22 जुलाई 1974 को एक बैठक आयोजित की। राज्य सरकारों से भी वहा गया कि वे राज्यों के मार्निक सगठनों को सन् 1973-74 लेखा वर्ष के तिए 84% की दर से न्यूनतम बोनस भुगतान करने की सलाह दें। उन्हें यह भी कहा गया कि वे यही सलाह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को भी दें। बाद में बोनस भुगतान अधिनियम में 11 सितम्बर, 1974 को मशोधन बरके उम्मे मन् 1973 के किसी भी दिन शुरू होने वाले लेखा वर्ष के लिए न्यूनतम बोनस के भुगतान की व्यवस्थाएँ चोड़ दी गईं। बोनस पुनरीक्षण समिति द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करना

बोनस पुनरीक्षण समिति न 14 अक्टूबर, 1974 को नई दिल्ली में अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी।

बोनस भुगतान (सशोधन) अध्यादेश सन् 1975 का जारी होना

बोनस पुनरीक्षण समिति द्वारा अपनी अन्तिम रिपोर्ट में दी गई निकारियों के बारे में विभिन्न लरों पर काफी विस्तार से विचार-विमर्श किया जाए। यह सितम्बर के मध्य में सरकार द्वारा इन निकारियों पर निर्णय निए गए और उन निर्णयों के प्रनुल्प 25 सितम्बर, 1975 को बोनस भुगतान (सशोधन) अध्यादेश जारी कर दिया गया।

) “न्यूनतम बोनस की जो दर इस अधिनियम के तहत 4% है उसे सन् 1974 के किसी भी दिन शुरू होने वाले लेखा वर्ष के लिए भी बरकरार रखा गया है। लेकिन भल्प बेतन पाने वाले मजदूरों को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से कुल न्यूनतम बोनस भी राणि अम 40 रुपये और 25 रुपये से बढ़ावर 100 रुपये और 60 रुपये कर दी गई। बाद के वर्षों के तिए न्यूनतम बोनस का भुगतान 4 वर्ष के चक्र में उपलब्ध अधिक्षेप पर आधारित होगा। यद्यपि अधिक्षेप बहुत बहुत है तब भी न्यूनतम बोनस का भुगतान किया जाएगा। लेकिन यद्यपि कोई अधिक्षेप नहीं है तो कोई बोनस देय नहीं होगा।”

हर वर्ष त्योहारों के प्रवसर पर बोनस को सेवर बहुत प्रधिक ग्रोथोगिक विवाद खड़े हो जाते थे और परिस्थितियों के दबाव के सामने उस प्रवसर पर तदर्थं फैसले कर लिए जाते थे। इस कारण इस मामने पर स्थिरता लाने की तुरन्त आवश्यकता को देखते हुए, जैसा कि बोनस सायोग ने भी कहा था और इसी बजह से ही बोनस के बारे में कानून लागू करने की आवश्यकता महसूस की गई थी, अधिनियम की धारा 34 (3) की निकाल दिया गया। जिन मस्थानों पर बोनस कानून लागू होता था, उनमें आयकर अधिनियम के तहत बटोरियों की प्रनुभानि बेवल बोनस कानून के अधीन दिए गए बोनस पर ही प्रदान की गई थी।

धैर्य का बोनस की घेणी से प्रलग कर दिया गया। वैकां, जीवन थीमा निगम, भारतीय आम थीमा निगम, बन्दरगाह व डाक तथा अन्य गैर प्रतिमोरी सावजनिक महस्यानो म बोनस के बदल अनुग्रह मुग्धतान की अनुमति दी गई। इस मुग्धतान की अधिकतम दर 10% रखी गई।

प्रधिनियम म मोजूदा 20% की बतमान प्रधिकृतम सीमा बरकारार रखी गई। यह भी ध्यवस्था की गई कि ध्यधिनियम के तहत गगर हमेंचारी ध्यवत मानियो म लाभ पर प्राप्तिरित वापिस देय बोनस की प्रदायणी वे बारे मे कोई समझीता करते हैं, तो उस स्थिति म भी बोनस 20% स उपादा नहीं होगा।

प्रधिनियम से सरकार दा यह प्रधिकार भी मिला है कि वह इम से कम दो मठों का नाटिन दरकर एस किसी भी संस्थान का, जिसमे 10 से कम हमेंचारी काम नहीं करते ध्यवनी अधिमूलना मे उल्लिखित लेवा वर्षे के लिए प्रधिनियम के प्रावधाना को लागू कर सकता है। यह उल्लेखनीय है कि बनेमान कानून गैर-कारयाना इकाइयो क संदर्भ म उन्ही महस्याना पर लागू होता दा जहाँ कम स कम 20 श्यकि काम करत हो।

बोनस अन्तिम फैसला (ग्रगस्त, 1977)¹

18 ग्रगस्त का जनता पार्टी की कार्यवाहिणी की शिकायत पर बैद्धीय नियमण्डन ने यह फैसला किया कि सन् 1976 के बद का बोनस आपातकाल से पहले की तरह 8 33% से कम नहीं होगा। इन्दिरा ग्रस्तार न बोनस को विनियित ध्यदायणी स्वीकार करत हुए अनुत्तम बोनस दा प्रतिशत 8 33 नियित किया दा। सेतिन प्राप्तात्काल लागू हो पर महेंगी कृषि नीति को गम्भुतिन करने, मुद्रा प्रसार पर अनुग्रह लयाने थोर सर्वजनिक थेत्र का पाला कम करने के लिए अनुत्तम बोनस समाप्त कर दिया गया। जनता पार्टी ने चुनाव थोगलापन म पुरानी दर से बोनस का चादा किया दा।

1980 से 1985 तक दी स्थिति²

हमेंचारियो से सम्बन्धित लाभ मे बैटवारे का प्रधिकार बोनस मुग्धतान ध्यधिनियम 1965 म नियित किया गया है। बोनस मुग्धतान (द्वितीय गशोधन) ध्यधिनियम 1980 के अनुसार ध्यधिनियम मे कम से कम बोनस 8 33 प्रतिशत दा 100 श्यवय जो प्रधिक हो देने की ध्यवस्था है। याहे इसके लिए वित्तिहित बचत यो ध्यवधारा उपलब्ध हो दा नहीं। धारिक मजदूरी का प्रधिकृतम बोनस 20 प्रतिशत एक नियित कार्म्में के अनुगार ही मुग्धतान योग्य है। बोनस का मुग्धतान विनियित वचत के स्थान पर उत्पादन/उत्पादना से तुडे हुए एक धार कार्म्में के अनुगार नियोजक एव मजदूरो के धोच प्राप्ती समझीने के द्वारा किया जा गता है। यह मुग्धतान मे प्रपनाई जाने वाली काई भी अन्य पद्धति नियम के लिए हारी। यह

1 दिव्यांत, धरमा नियमर, 1977.

2 भारत 1985, दा 563

अधिनियम सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों पर लागू नहीं होता तिवार उनके जो नियंत्रित क्षेत्र के उपकरणों के साथ प्रतियोगिता कर रहे हों। यह अधिनियम लाभ के लिए काम न करने वाले संस्थानों जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम और विभागीय उपकरण आदि पर भी लागू नहीं होता। तथापि यह सभी बैंकों पर लागू होता है।

बोनस मुगतान अधिनियम, 1965 की धारा 32 (iv) के अनुसार केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों के किसी विभाग तथा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रबन्धित उद्योगों में लगे हए कर्मचारी इस मुगतान के अन्तर्गत नहीं आते। यद्यपि रेल, डाक-तार और कुछ रक्षा संस्थानों तथा इसी प्रकार के अन्य संस्थानों के कर्मचारियों को उत्पादन सम्बन्धी बोनस देने का फैसला किया गया है। रेल, डाक और तार विभाग के कर्मचारियों को इसका मुगतान दिया जा चुका है परन्तु अन्य विभागों के कर्मचारियों के लिए एक योजना विचाराधीन रही।

अपने बजट भाषण में दित मन्त्री द्वारा दिए गए आशवासन के सन्दर्भ में ससद के दोनों सदनों में बोनस मुगतान अधिनियम की धारा 12 को हटाने के लिए एक विधेयक पास किया गया। इस धारा को हटाने से वे कर्मचारी भी, जिनकी मासिक आय/मजदूरी 750 रुपये से अधिक 1600 रुपये से कम है, अपनी आय/मजदूरी के अनुसार बोनस के हकदार होंगे। विनियम समझनों से 1600 रुपये की ऊपरी सीमा बढ़ाने/हटाने के लिए आवेदन प्राप्त हुए। अब मन्त्री ने तसद को आशवासन दिया कि सीधे ही बोनस मुगतान अधिनियम, 1966 में विस्तृत सशोधन पेश किया जाएगा।

रिपोर्ट 1985-86¹

बोनस सदाय अधिनियम, 1965 में पात्र कर्मचारियों को 833 प्रतिशत वीद दर से न्यूनतम सांविधिक बोनस देने की व्यवस्था की गई है, परन्तु यदि प्राकृतीय अधिशेष उपलब्ध हो तो 20 प्रतिशत तक बोनस दिया जा सकता है।

वर्ष 1985-86 के दौरान, अधिनियम की धारा 12 का बोनस सदाय (सशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा लोप किया गया ताकि प्रतिमाह 750 रुपये से 1600 रुपये के बीच वैतन/मजदूरी पाने वाले कर्मचारी प्रत्यन बास्तविक देनन/मजदूरी के आधार पर बोनस प्राप्त कर सकें। तथापि 27-9-85 को एक अध्यादेश जारी करके उक्त सशोधन को वर्ष 1984 में किसी भी दिन प्रारम्भ होने वाले लेखा वर्ष से लागू किया गया था।

इसके बाद बोनस की पात्रता के लिए प्रतिमाह 1600 रुपये की परिमाणियों की अधिकतम सीमा को बढ़ाने हेतु अब मत्रालय को प्रतेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए। समय-समय पर मजदूरी दरों में सशोधन होने वे फैलखस्प बड़े रुप और यनि कुशल कर्मचारी, उत्पादकता में जिनका भारी योगदान था, बोनस के लिए पात्र नहीं थे और इस तरह वे उक्त अधिनियम ने सीमा धोर से बाहर चले गए थे। चूंकि इस

1 भारत सरकार की अब मकालव वार्षिक रिपोर्ट 1985-86, भाग-I, पृ० II.

मुहे से थमिन वां म अग्नानि फैन रही थी प्रीर धावक अग्नतोप दड़ रहा था, इतालिए थम मन्त्रालय ने महसूस किया कि बोनस की पायता के लिए अधिकतम सीमा में संगोष्ठन किया जाना अपेक्षित है प्रीर वह परिवर्तन थमिन वर्ष के उन लोगों पा सहयोग प्राप्त करने के लिए तुरस्त किया जाना चाहिए। तत्पश्चात् सरखार न, वित्तीय उलझनों की जांच करने के पश्चात् बानस की पायता के लिए मजदूरी की अधिकतम सीमा को 1600 रुपये प्रतिमाह से 2500 रुपये प्रतिमाह बढ़ाना चाहिए। तथापि प्रतिमाह 1600 रुपये और 2500 रुपये के बीच मजदूरी या बेतन प्राप्त करने का ले रम्भारियों के गम्भीर म बोनस की गणना इस तरह की जाएगी मात्र उनको बेतन या मजदूरी प्रतिमाह 1600 रु थी, इस नियंत्रण को लागू करने के लिए बोनस सदाय (द्वितीय सशोधन) अव्यादता, 1985 (1985 का 8) 7 नवम्बर, 1985 को प्रक्षयादित किया गया था।

उपरोक्त दो अव्यादशों को बदलने के उद्देश्य से, बोनस गदाय (द्वितीय सशोधन) विधेयक, 1985 मानसून सत्र के दौरान दोनों द्वारा पारित किया गया थी और सम्प्रॱति ने उसन विधेयक की अपनी मंजूरी 19-12-1985 को दी थी।

थम मन्त्रालय के अनुसार 1985-86 में मजदूरी नोति और उत्पादकता

द्वितीय न्यूनतम मजदूरी की आवश्यकता पर 25-26 नवम्बर को भारतीय थम अमेरिकन में चर्चा हुई। रामेलन म यह मत्तेवयता थी कि ऐसे गमद तक जब तक यह अवधार्य हो, द्वितीय न्यूनतम मजदूरी नियत करना बोक्सरीय होगा जिसक बारे मे देवदीय सरखार दिग्ना निर्देश निर्धारित करेगी। यह भी गम्भीर हुई कि न्यूनतम मजदूरी में नियमित अवधि मे गंगोधन किया जाना चाहिए प्रीर इन्हे जीवन-निर्धार लागत से सम्बद्ध करता चाहिए।

मजदूरी संलग्न सरखारी तथा निजी दोनों मे थी जो रही मजदूरी दरों तथा भत्तों के बारे मे प्रौढ़ हो प्रीर मजदूरी के बारे से सम्बन्धित जानकारी का। एकत्र बरने तथा उसे सम्बन्धित करना का एक करता रहा ताकि उससे न्यूनतम मजदूरी दरों के विवेद गदमें मे मजदूरी नीति संयार करने एक इसे कार्यवयन करने, मजदूरी के स्तर मे विद्यमान विद्यमानों को दूर करने, निर्वाह लागत मे बुद्धि प्रीर जीवित बाले नाये के लिए मुग्रावजा देन, प्रधिक उत्पादकता के लिए प्रोलोहन देन आदि मे मशद मिले। मजदूरी संलग्न मे थम अप्पों के लिए अवधि उपभोक्ता गुल्य गुरुदाता श्री यातायों का रिकाँ रगा प्रीर मजदूरी नीति से सम्बन्धित विभिन्न मामता मे प्रयोग के लिए 'मजदूरी समझौता बैठ' की घोषणा जारी रखी।

थम मन्त्रालय के सात उद्दोगों मे गठित विषमीय उत्पादकता बोडो मे सहयोगित किया गया।

मजदूरी संलग्न ने ऐसे मामलों मे बायेवाही की, जिनका प्रबन्ध अधिकरण परो, राष्ट्रीयपराल करने प्रीर एए गूनिटो को अच्छे गूनिटो के साथ मिला दिए जाने पर अमंथारियों के हित पर प्रभाव पहा हो।

मजदूरी का प्रमापीकरण (Standardisation of Wages)

हमारे देश के अधिकों की एक महत्वपूर्ण समस्या उनकी मजदूरी में प्रमापीकरण का अभाव है। एक ही उद्योग तथा एक ही शौद्योगिक केन्द्र पर एक ही प्रकार के व्यवसाय में विभिन्न मजदूरी की दरें पाई जाती हैं। इस प्रकार मजदूरी केवल एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में ही भिन्न नहीं होती है बल्कि एक उद्योग से दूसरे उद्योग, एक कारखाने से दूसरे कारखान तथा एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में भी मजदूरी की दरें भिन्न-भिन्न पाई जाती हैं। मजदूरी स्तर बम्बई, प बगाल, दिल्ली आदि स्थानों पर ढंचा है जबकि असम और उडीता में यह नीचा है। इस प्रकार अधिकों की मूल मजदूरी (Basic wages) म अन्तर नहीं पाया जाता है बल्कि उनके महंगाई भत्ते तथा जीवन निर्धारण लागत में भी नितना पाई जाती है।

मजदूरी म प्रमापीकरण का अभाव के कारण मजदूरी की य विभिन्न दरें कई दोषों को उत्पन्न करन वाली होती हैं—

1 एक उद्योग से दूसरे उद्योग, एक शौद्योगिक केन्द्र से दूसरे शौद्योगिक केन्द्र में मजदूरी में विभिन्नता के कारण अधिकों में प्रवासी प्रवृत्ति (Migratory tendency in workers) देखने को मिलती है। कभ मजदूरी वाले उद्योग को छोट्टार अधिक मजदूरी वाले उद्योग म चल जाते हैं। इसस स्थायी अमंशक्ति (Stable labour force) के मार्य में बाधा उत्पन्न होती है।

2 एक ही शौद्योगिक केन्द्र पर एक उद्योग में कम और दूसरे उद्योग म अधिक मजदूरी होने के कारण कम मजदूरी वाले अधिकों द्वारा दिमाग म असन्तोष घर कर जाता है जिससे हडताला, धीमे कार्य करन की आदत आदि द्वारा साहन मिलता है जो आगे शौद्योगिक भयडों को जन्म देते हैं।

3 मजदूरी में भिन्नताओं के कारण अलग-अलग वर्गों के लिए प्रशासन, प्रबन्ध एव सगठन का अलग-अलग टॉचा तैयार किया जाता है अलग-अलग प्रशासन, प्रबन्ध एव सगठन के द्वारण समय, धन एव अर्थ द्वा अपव्यय होता है।

इन दोषों को ध्यान में रखते हुए हमें मजदूरी की भिन्नताओं को समाप्त करना पड़ेगा। मजदूरों के प्रमापीकरण के अन्तर्गत हम यह देखते हैं कि एक ही उद्योग में समान कार्य करने वाले अधिकों को समान ही मजदूरी दी जाए। इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी अधिकों को समान मजदूरी दी जाए। इसका अर्थ है कि अधिकों को उचित और बांधनीय मजदूरी दी जाती चाहिए जिससे उनके समान रूप से क्रियान्वित किया जा सके।

मजदूरी वा प्रमापीकरण तभी सम्भव हो सकता है जब अधिकों और मालिकों के प्रतिनिधि सहयोग और सद्भावना द्वारा वरण म परस्पर मिलकर निश्चित प्रमापीकरण का स्तर तय करें। एक हृद तक मजदूरों के प्रमापीकरण की समस्या द्वारा दूर किया जा सकता है।

4

ब्रिटेन, अमेरिका और भारत में मजदूरी का राजकीय नियमन; भारत में आंदोलिक एवं कृषि मजदूरों की मजदूरी; भारत में अमिकों का जीवन-स्तर

(State Regulations of Wages in U.K.,
U.S.A. and India; Wages of Industrial
and Agricultural Workers in India;
Standard of Living of Workers in India)

मजदूरी का राजकीय नियमन (State Regulations of Wage)

अमिकों का प्रयत्न अमेरिकन द निए स्वयं को उपनिवेश बताना पड़ता है। पहले साहसी प्राचिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि अधिकी त्विति में हीन के बारण रोजगार की शर्तों प्राप्ति का नियंत्रण स्वयं परन्ता या और परिलासमस्वद्दण्ड अमिकों का बहुत अधिक मापदण्ड होता था। हमारे देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक-भिन्न होने से हस्तगिरी व शृणि अमिकों में वेराजगारी दंत गई। उम समय मजदूरी को नियंत्रित करने हनु रोड अमेरिका नी नहीं थे। इसी मजदूरी के नियम रखते जाने थे।¹ 19वीं शताब्दी के पश्च म दूरीपनियों न मजदूरी नियंत्रण में रखते जाने थे। इसी दृष्टि पर 'स्तु इन्टिक्रोफ' (Commodity Approach) को घोष दिया। इसके स्थान पर अमेरिका उत्पादन तथा सामूहिक गोदारारी दो धापार नहीं माना गया। वीक्षी गढ़ी म अमिकों को एक मार्कीय साधन माना गया और बल्याएवारी राजव की पारस्ता के विवार के माय मामाजिन न्याय की स्थापना हनु मजदूरी-नियंत्रण म विभिन्न गरणों ने हस्तक्षेप पारस्ता किया।²

¹ Giri, P. V. Labour Problems in Indian Industry, p. 220

² Vaid, K. N. State and Labour in India, p. 89

जैसा कि डॉ भगोलीबाल ने लिखा है—यह धारणा कि राज्य द्वारा हस्तक्षेप जरूरी है, दो मान्यताओं (Assumptions) पर आधारित है—

(i) अभिकों के लिए स्वास्थ्य और मर्यादा (Health and Decency) वे एक अच्छे स्तर पर रहना तथा मौद्योगिक प्रश्नानन न आनादी ने हिस्सा लेना सामाजिक इप्टि से ठीक है एवं

(ii) राज्य वो ग्रपने नागरिकों के प्रार्थन सम्बन्धों में वहाँ हस्तक्षेप बरना चाहिए जहाँ पूरे किए जाने नायक प्रादर्श नहीं होते।

वे महत्वपूर्ण बातें, जिनसे मजदूरियों वा राज्य द्वारा नियमन आवश्यक है, डॉ भगोलीबाल के अनुसार इस प्रकार हैं—

“(1) मजदूरी नियमन इसनिए जहरी होता है कि अम बाजार अपूर्ण (Imperfect) होते हैं तथा अभिकों का शोषण हो सकता है और होता है।

(2) अभिकों की सौदाबारी शक्ति सभी बाजारों में जहाँ उनकी पूर्ति ज्यादा होती है, उन होती है। अतः उनका हमेशा से ही शोषण हो सकता है और उनका शोषण (Swallowing) पाया भी जाता है।

(3) मजदूरियों के नियमन में राज्य का हस्तक्षेप आर्थिक स्थायित्व की इप्टि से भी जहरी होता है। खास तौर से पश्चिमी देशों में बस्तुओं एवं सेवाओं की मांग से भारी अमी थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में, जिनकी उपभोग प्रवृत्ति (Propensity to Consume) बहुमोर होती है, अर्थ-शक्ति के संचेन्द्रण (Concentration of Purchasing Power) का सीधा ननीजा है। मांग में स्थायित्व तब तक नहीं हो सकता जब तक कि अर्थ शक्ति उन व्यक्तियों के पास से, जिन्हें उसकी आवश्यकता नहीं है, उन लोगों के पास, जिन्हें कुछ बस्तुएँ खरीदने के लिए और ज्यादा अर्थ-शक्ति की जहरत है, नहीं पहुँच पानी। इस तरह मजदूरी का नियमन उन्हें ऊंची करने की इप्टि से भी जहरी हो सकता है। एक ऊंची मजदूरी वाली अर्थ-व्यवस्था की विशेषताएँ ज्यादा उत्पादकता, अच्छे मौद्योगिक सम्बन्ध मांग एवं बोमतों से ज्यादा स्थायित्व, ज्यादा साम, ज्यादा विनियोजन, राष्ट्रीय साधनों से ज्यादा अच्छे उपयोग तथा इस तरह के दूसरे लाभ हैं।

(4) राज्य द्वारा मजदूरियों के नियमन की जहरत एक ‘बल्याएकारी राज्य’ (Welfare State) के आदर्शों के बारए भी होती है जिसमें राज्य हर नागरिक को न्यूनतम सुविधाएँ (Minimum Amenities) देने की विमेदारी लेता है। पांचवें, मजदूरी नियमित करने के लिए राज्य का हस्तक्षेप स्वास्थ्य, उत्पादकता एवं आय के बोटारे म सुधारों द्वारा अभिकों की कुगलता बढ़ाने के लिए हो सकता है।

(5) राज्य द्वारा मजदूरियों का नियमन अभिकों की सीमान्त उत्पादकता तथा औसतन मजदूरियों के बास्तविक स्तर के बीच पाएँ जाने वाले घन्तर (Gap) के बारए जहरी भी ठीक हो सकता है। चूंकि न्यूनतम मजदूरियों का अभिकों की सीमान्त उत्पादकता के स्तर के करीब नियत किया जाना खास तौर से सीमान्त

उत्पादकता की अनिश्चित प्रकृति के कारण मुमर्जित नहीं मानूम होता, कानूनी कार्यवाही न्यूनतम मजदूरियों को ज्यादा से ज्यादा बाजार दर से, यदि वह धमियों के बीच प्रतिष्पदी के कारण बहुत ज्यादा शोषण को प्रतुत रखती है, कृष्ण ऊंचा उठा सकती है।¹

इन ही के बाद से मजदूरियों के दोनों से तरतारी हस्तशोष के पीछे एक नई प्रकृति का विचार हुआ है। "यब मजदूरी का राज्य द्वारा नियमन कुछ जगहों पर शोषण की दशाओं का दूर करन, धीयोगिक शानि बढ़ान प्रोर बहनी हुई कीमतों और रोकन के लिए ही नहीं किया जाता वरन् वह राष्ट्रीय शोषण के बैंगारे, आधिक विकास और वेकारी दूर करने के कार्यपालों से भी सम्बन्धित है। बहुत से देशों में इन व्यापक राष्ट्रीय नीतियों के मुताबिक मजदूरी नीतियाँ प्रपनार्द हैं।"

वास्तव में मजदूरी के तीन महत्वपूर्ण आधिक वायं हैं जो राज्य के हस्तशोष शब्दवा राज्य द्वारा मजदूरी नियमन की मींग करते हैं—

1. मजदूरी उद्योग के उत्पादन को शोषण के स्प में अमियों से रितित करती है। गमाज का अधिकारी दिस्मा अमियों का है।

2. मजदूरी वागन के स्प में अर्थ-अवस्था म मायतों को विभिन्न उत्पादन गोना में प्राप्ति करने की क्रिया का प्रभावित करती है।

3. मजदूरी कीमत स्तर एवं रोकगार (Price Level and Employment) को नियंत्रित करती है।

मजदूरी निर्धारण करने के मिदानों की आवश्यकता

(Need for Principles of Wage Fixation)

हमारे देश में मजदूरी-नियांरण हतु गरमारी हस्तशोष प्रावधन है बयोकि यही की परिस्थितियों विभिन्न विकलित देशों जैसे अमेरिका, इंडिया म भिन्न है।

1. हमार अमियों के अवधित और अविधित होने तथा प्रस्तावी अम जक्कि (Unstable labour force) आदि के कारण नियाताप्रो की तुलना में अमियों की सौदारारी शक्ति अमजोर (Weak bargaining power of workers) है।² इससे उनका शोषण किया जाता है। यह इस दुर्जन मार्गदर्शक सौदारारी की स्थिति में मजदूरी-नियांरण में गरमारी हस्तशोष प्रावधन है।

2. कुछ उपर्योगी शब्दवा स्थानों में अमियों को बहुत ही कम मजदूरी दी जाती है बयोकि अमियों की पूति उनकी मींग की तुलना म पर्याप्त होती है। इस गोपना का मापात्त करने हेतु मजदूरी का नियमन गरमार द्वारा नियांरण प्रावधन है।

1. दी. एन. बोनीवाल : अर्थ-पर्याप्ति एवं अधिकारी गुण, ग्रा 408-409

2. *Srinathra G. L.* : Collective Bargaining & Labour Management Relations in India, p. 315.

3. *Vaid K N.* State & Labour in India, p. 89

3. आर्थिक स्थिरता (Economic Stability) बनाए रखने हेतु भी मजदूरी का नियमन सरकार द्वारा प्रावश्यक है। विकसित देशों की समस्या प्रभावपूर्ण मांग का कम होना तथा भारत जैसे विकासशील देशों में प्रभावपूर्ण मांग की अधिकता (Excess of Effective Demand) का पाया जाना है। विकसित देशों में मजदूरी बढ़ाकर ग्रर्हात् अधिक इय शक्ति बाले लोगों से कम इय शक्ति बाले लोगों की ओर इय शक्ति का स्थानान्तरण करके आर्थिक स्थिरता रखी जा सकती है। अधिक ऊँची मजदूरी के कारण उत्पादकता में हृदि, अच्छे औद्योगिक सम्बन्ध, मांग और कीमतों की स्थिरता, अधिक लाभ, अधिक विनियोग, राष्ट्रीय साधनों का अत्यधिक उपयोग आदि रूपों में लाभ प्राप्त होता है।

4 सामाजिक न्याय (Social Justice) प्रदान करने हेतु भी सरकारी नियमन प्रावश्यक है। सभी अधिकारों को उनके उत्पादन में योगदान के अनुसार मजदूरी दी जानी चाहिए। समान वाय वे लिए समान मजदूरी दी जाए।

5 कल्याणकारी राज्य के आदर्श को पूरा करने के लिए प्रत्येक नागरिक को कुछ न्यूनतम प्रावश्यकताओं हेतु मजदूरी नियमन बरना चाहिए। आधुनिक राज्य का कार्य न केवल आन्तरिक शान्ति व्यवस्था करना एवं बाह्य भास्त्रमणों से देश की रक्षा बरना है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की न्यूनतम प्रावश्यकताओं को पूरा करने हेतु कानून बनाने पड़ते हैं जिससे कि न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी न दी जाए।

6 अधिकारों की कार्यकुशलता तथा उनको दी जाने वाली मजदूरी में प्रयत्नक सम्बन्ध है। अतः इस दक्षता में दृढ़ि करने के लिए मजदूरी का सरकारी नियमन प्रावश्यक है। वही हृदई मजदूरी से अधिक का स्वास्थ्य, उत्पादकता तथा प्राय का वितरण सुरक्षता है।

7 औद्योगिक शान्ति बनाए रखने हेतु मजदूरी का सहकारी नियमन प्रावश्यक है। अधिकांश औद्योगिक विवादों का बारण मजदूरी होना है। अतः मजदूरी का सरकारी नियमन विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत किया जाता है जिससे हटाल, ताजावन्दी आदि रूपों में औद्योगिक विवाद उत्पन्न न हो सके।

राजकीय हस्तक्षेप की रीतियाँ (Methods of State Intervention)

मजदूरी नियमन करने हेतु सरकारी हस्तक्षेप, ग्रंथ-व्यवस्था में कुछ दिए हुए उद्देश्यों को पूरा करने हेतु प्रावश्यक है। यह हस्तक्षेप किसी एक प्रदेश में स्थित उद्योगों अथवा किसी एक उद्योग अथवा सभी उद्योगों के विषय में हो सकता है। सामान्यनया मजदूरी नियमन की तीन रीतियाँ बाम में लाई जाती हैं। ये निम्नलिखित हैं—

1. सामूहिक सोदाकारी (Collective Bargaining)—यह मजदूरी नियमन का सबसे महत्वपूर्ण तरीका माना जाता है, लेकिन इसकी सफलता के लिए

¹ Srivastava, G. L : Collective Bargaining & Labour Management Relations in India, p 316

मुश्क, सुसंगठित थम समटन (Strong and Well organised Trade Union) का होना आवश्यक है। हमारे देश में गुड़, सुसंगठित थम सम्पादन का अपाव होने के कारण यह तरीका मजदूरी के नियमन में उपयुक्त नहीं होगा।

2 नियोक्ता प्रथा अमिक्षों द्वारा एक-पक्षीय मजदूरी नियमन (One-sided Regulation of Wages either by Employers or Employees) — इसे अन्तर्गत मजदूरी या तो नियोक्ता प्रो द्वारा निश्चित की जाती है या या अमिक्ता द्वारा। इस तरीके का उदाहरण प्रथम महायुद्ध के बादत् वर्ष 1926 मिल मार्टिक सम्प (Bombay Mill Owner's Association) द्वारा वर्ष 1926 हड्डताल जैव समिति, 1926-29 (Bombay Strike Enquiry Committee, 1926-29) के सम्मुख मजदूरी के प्रभावीकरण की योजना प्रस्तुत करना या जो कि स्वीकार नहीं की गई।

3 मजदूरी का सरकारी नियमन (State Regulation of Wages) — इस तरीके के प्रत्यंगत मजदूर स्वयं अधिकार विसी समिति के द्वारा विभिन्न उद्योगों न्यू मजदूरी निश्चित कर देती है जिसका प्रियावृत्त अधिनियम तहत दिया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (Minimum Wages Act of 1948) के प्रत्यंगत विभिन्न उद्योगों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी गई है। इससे कम मजदूरी सम्बन्धित उद्योग म नहीं दी जा सकती है।

उपरांत सरकारी हस्तक्षेप प्रथा मजदूरी नियमन के तरीकों को हम मोटे सौर पर दा भागों में विभाजित कर सकत हैं—

1 प्रत्यक्ष तरीका (Direct Method) — इसमें सरकार स्वयं अधिकार विसी समिति अधिकार वाई के योग्य से न्यूनतम मजदूरी विभिन्न उद्योगों में निर्धारित कर दती है जिसका प्रियावृत्त अधिनियम विसी अधिनियम के तहत दिया जाता है। उदाहरणार्थ, भारतीय अमिक्षों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत न्यूनतम मजदूरी देय होती है।

2, अप्रत्यक्ष तरीका (Indirect Method) — सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी जाती है और विभिन्न उद्योगों में मजदूरी से सम्बन्धित समझौते सम्पन्न कर लिए जाते हैं। इसका प्रभाव तिमी सार्वतिकों पर भी पड़ता लगता है और यहीं भी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की मीम की जाती है।

मजदूरी नियमन के सिद्धान्त (Principles of Wage Regulation)

मजदूरी से सम्बन्धित नियमों में सरकार सरकार ने सात तस्वीरों को दर्शाया ही है जो अप्रतिक्रिय हैं—

1 Bhagwati T N Economics of Labour & Social Welfare, p 291

2 Gadgil, D R Regulation of Wages and Other Problems of Industrial Labour in India, 1954 p 46

- 1 सामान्य आयिक दशाएँ (General Economic Conditions)
- 2 नियोक्ता की वित्तीय स्थिति (Financial Condition of the Employer)
- 3 निर्बाह लागत (Cost of Living)
- 4 जीवन स्तर (Standard of Living)
- 5 समान व्यवसाय (स्थानीय) में तुलनात्मक मजदूरी (Comparative wages in similar trades in similar localities)
- 6 श्रम की सेवाओं का मूल्य (Value of Services of Labour)
- 7 आयिक एवं सामाजिक बल्याणे के व्यापक सिद्धान्त (Broad Principles of Economic and Social Welfare)

भारत में उचित मजदूरी समिति की रिपोर्ट, 1949 (Report of the Fair Wages Committee, 1949) के प्रनुसार मजदूरी का निर्धारण निम्न तत्त्वों के आधार पर किया जाना चाहिए—

- 1 श्रम की उत्पादकता (Productivity)
- 2 समान स्थानीय व्यवसायों में पाइ जाने वाली मजदूरी दरें (Wage rates prevailing in similar occupations in the neighbouring localities)
3. राष्ट्रीय आय का स्तर एवं इसका वितरण (Level of the National Income and its Distribution)
- 4 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का स्थान (The Place of Industry in the National Economy)

मजदूरी की विचारधारा

(Concept of Wages)

मजदूरी से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन बरत पर हम मजदूरों की विभिन्न विचारधाराओं के विषय में ज्ञान प्राप्त होना है। हमारे देश में मजदूरों ने सम्बन्धित विभिन्न विचारधाराएँ पाइ जानी हैं—

1 वैधानिक न्यूनतम मजदूरी (Statutory Minimum Wages)—इसके अन्तर्गत सरकार अधिनियम पास करके न्यूनतम मजदूरी निश्चित करती है और उसके क्रियान्वयन हेतु विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। उदाहरणार्थ भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (Minimum Wages Act of 1948) के अन्तर्गत इस प्रकार को मजदूरी निर्धारित की जाती है।

2. प्राधारभूत या मूल न्यूनतम मजदूरी (Bare or Basic Minimum Wages)—इस विचारधारा का प्रादुर्भाव हमारे देश में मजदूरी निर्धारण में विभिन्न न्यायालयों द्वारा घोषित निर्णयों से हुआ है।

3. न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wage)
4. उचित मजदूरी (Fair Wage)
5. पर्याप्त मजदूरी (Living Wage)

इन तीनों विचारणाराओं का प्रादुर्भाव उचित मजदूरी समिति की रिपोर्ट (Report of the Committee on Fair Wages) से हुआ। इन विचारधाराओं की व्याख्या विभिन्न रूपों में दी गई है।

6 प्रावश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी (Need-based Minimum Wages)—इस विचारधारा का प्रादुर्भाव भारतीय श्रम सम्मेलन (Indian Labour Conference) की 15वीं बैठक, जो जुलाई 1975 में हुई थी, से हुआ था।

न्यूनतम उचित एवं पर्याप्त मजदूरी की विचारधाराएँ (The Concepts of Minimum Fair and Living Wages)

उचित मजदूरी समिति के अन्तर्गत विभिन्न मजदूरी के स्तरों को विभिन्न विचारधाराओं के नाम से सम्बोधित किया जाता है। समिति के अनुसार न्यूनतम मजदूरी उचित मजदूरी की निम्न सीमा है। न्यूनतम मजदूरी से अधिक उचित मजदूरी है तथा उचित मजदूरी की अधिकतम सीमा पर्याप्त मजदूरी है। मजदूरी के ऐसे विभिन्न स्तर स्थिर नहीं हैं वरन् आधिक विकास तथा मापांत्रिक आय के अनुगाम परिवर्तनीय हैं।

न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wages)

प्रथिकांश ग्रीटोरिंग के देशों में श्रमिकों को जो मजदूरी दी जाती है वह इतनी निम्न स्तर की होती है कि जीवन-निर्धारण भी नहीं हो पाता है। इसमें वर्ग-गण्य व्यक्ति है, श्रमिकों की कार्यकुशलता प्रतीती है और परिणामस्थल उत्पादन में कमी पाती है। ऐसी स्थिति में एक कल्याणकारी सरकार का यह कार्यतय हो जाता है कि वह प्रत्यक्ष श्रमिक की न्यूनतम प्रावश्यकताएँ—भोजन, वस्त्र आदि मकान-परी करे। इस उद्देश्य को पूरा करन हेतु ही इस विचारधारा को प्रोत्तोषित मिला है।

प्रथं (Meaning)—न्यूनतम मजदूरी की विचारधारा विभिन्न देशों में मजदूरी के विभिन्न स्तरों के विषय में बनाती है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त उचित मजदूरी समिति की रिपोर्ट के अनुगाम "हमारे देश में राष्ट्रीय आय का स्तर इतना निम्न है कि पर्याप्त मजदूरी की विचारधारा के अनुगाम न्यूनतम मजदूरी की विधान द्वारा निश्चित करना सम्भव नहीं है। न्यूनतम मजदूरी से न केवल जीवन-निर्धारण ही हो सके बल्कि इससे श्रमिकों की दक्षता को भी बनाए रखा जा सके। इसलिए न्यूनतम मजदूरी में जिता, विकिसा और अन्य सुविधाओं प्राप्ति के मिन्ने का प्रश्नपत्र होना चाहिए।"¹

यह मजदूरों को दिया जाना वाला न्यूनतम पारिवर्तन (Minimum Remuneration) है जिसमें इस मजदूरी न तो दी जानी है और न सी ही जानी है। एकत्र इस द्वारा यह न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर देती है जिसमें इस पर्याप्ती देता दण्डनीय होना है।

¹ Report of the Committee on Fair Wages, 1948, p. 8-9

न्यूनतम मजदूरी का महत्व (Importance of Minimum Wages) —
न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण एक महत्वपूर्ण कार्य है व्योगि इससे प्रौद्योगिक अभिको की कार्यकुशलता, स्वास्थ्य, जीवन-स्तर तथा निनिकता प्रभावित होती है। न्यूनतम मजदूरी का महत्व निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है—

1 सामाजिक न्याय (Social Justice) — अभिको को इतनी मजदूरी जरूर दी जानी चाहिए जो उनकी कार्यकुशलता को बनाए रखे। यह सखार का दायित्व है कि प्रत्येक नागरिक (जिसमें अभिक भी आते हैं) को न्यूनतम आवश्यकताओं हेतु न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। श्रमिकों का शोषण आधुनिक समय में सामाजिक अन्याय समझा जाता है।

2 समाज में स्थिरता (Stability in Society) — समाज में स्थिरता कभी रह सकती है जब सभी लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। जब अत्यधिक गरीबी (Extreme Poverty) और अत्यधिक सम्पदना होती है तो समाज में वर्ग-संघर्ष उत्पन्न होता है और सामाजिक आन्ति (Social Revolution) को बढ़ावा मिलता है जो इस सामाजिक स्थिरता में बाधक होती है। गरीबी ही समस्त सामाजिक दोषों की जननी है (Poverty is the mother of all social evils)। अत न्यूनतम मजदूरी देने से अभिकों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करके देश में सामाजिक आन्ति से होने वाले दुष्परिणामों को रोका जा सकता है।

3. श्रौद्योगिक शान्ति (Industrial Peace) — श्रौद्योगिक शान्ति बनाए रखने हेतु भी अभिकों को न्यूनतम मजदूरी दी जानी चाहिए। यदि अभिक विसी उद्योग में कार्य करता है और उने मजदूरी नियोक्ता की इच्छानुसार इतनी ही दी जानी है तिन उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं तो इससे उद्योग में नियोक्ता तथा अभिकों के बीच मध्येर सम्बन्ध नहीं रहते हैं। प्रारं दिन हटाने, घोरे कार्य करने की प्रवृत्ति आदि को प्रोत्त्वात्मन मिलता है जिससे श्रौद्योगिक शान्ति उत्पन्न होती है। तीव्र श्रौद्योगिकरण में श्रौद्योगिक अशान्ति विषय बाधक होती है।

4 उद्योग के लाभ में अभिकों का कानूनन हिस्सा (Rightful share in the prosperity of the Industry) — आधुनिक समय में अनिक का वस्तु एप्टिक्सोल (Commodity Approach) समाप्त हो गया है। अभिक अब न देवता उत्पादन का मानवीय साधन ही है बन्दि श्रौद्योगीकरण हेतु उत्पत्ति सहयोग होना भी जरूरी है। उद्योग की उत्पत्ति अभिक के सहयोग का परिणाम है। जो भी लाभ होता है उसमें उसे लाभ का हिस्सा मिलना चाहिए। उत्पत्ति संबंधी भारत में बोनस अदायगी अधिनियम, 1965 (Payment of Bonus Act, 1965) के प्रत्येक उद्योग के लाभ में से अभिक को मजदूरी का न्यूनतम 8.33% एवं प्रदिशनम 20% भाग बोनस के रूप में दिया जाता है। अत जिन उद्योगों ने अभिकों की सौदाकारी गति कमज़ोर है वहाँ बानून द्वारा अभिकों को लाभ में से हिस्सा दिया जाता चाहिए।

5 जीवन-स्तर एवं कार्यकुशलता में वृद्धि (Raising the standard of living and its efficiency) — यदि अभिक को उचित न्यूनतम मजदूरी दी जाती

है तो इससे उत्तरा जीवन भर उपर होता है कार्यकुशलता बढ़ती है पौर परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होती है। इसमें न केवल अधिकारी व नियाकारा का ही लाभ प्राप्त होता है बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि तथा समाज की पञ्ची किसी की वस्तुप्री की पूर्ति हानि में नाभ होता है।

भारत एवं विद्यमानीन देग है जहाँ अधिकों का जो मजदूरी मिलती है वह बहुत ही कम है। कम मजदूरी हानि व कारण अधिकों का जीवन-भर पौर उत्पादकता का स्तर निम्न है। उम्मीद बूनम म अवश्यकताएँ भी पूरी नहीं हो पाती अत जीवन स्तर एवं उपभोक्ता म वृद्धि दे निए भारतीय अधिकारी का यूनतम मजदूरी का मुगलान प्रावश्यक है। भारतीय अधिकों की नियोताप्रा की तुलना म सोडाकारी शक्ति दुर्घट है बल्कि भारतीय अप सब गुण एवं मुसारित नहीं हैं इसलिए भी सरकार द्वारा यूनतम मजदूरी का निर्धारण भावश्यक है। इसी प्रवार अधिकारी को उनक उत्पादन के प्रत्युत्तर मजदूरी नहीं दी जाती है पौर उनका गोपण होता है। उनकी सीमान्त उत्पादकता के मूल सब मजदूरी दी जाती है। अत अधिकों का उनकी उत्पादकता के मूल के प्रत्युत्तर मजदूरी दिलान व निए भी मजदूरी का नियारण आवश्यक है।

✓ यूनतम मजदूरी पे उद्देश्य (Objects of Minimum Wages)

यूनतम मजदूरी से एवं उनक अधिकारी का हा लाभ होता है बल्कि मजदूर राष्ट्र के हिन म यूनतम मजदूरी निर्धारित वरता प्रावश्यक है। यूनतम मजदूरी के निम्ननिखिल उद्देश्य हैं—

1 उद्योग म अपात कठिन भए पर प्रतिबंध (To Prevent Sneaking In Industry)—कुछ उद्योग एस पाए जाते हैं जहाँ पर अधिकारी का वरगति तथा दुबन सोडाकारी शक्ति दान होने के कारण अधिक घर जाप करा पड़ता है। जाप की दशाएँ भी गराव होती हैं पौर मजदूरी भी अत्यधिक इम भी जानी है पौर उनका गोपण किया जाता है। अत उद्योगी म अधिकों द्वारा प्राप्त न बरिन थम बरात जाने पर प्रतिव थ उगात हेतु यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाती है।

2 अधिकों के गोपण पर प्रतिबंध (To Prevent Exploitation of Worker)—अधिकों को उत्पादन म योगदान में इम मजदूरी दी जानी है जिसका उनका गोपण होता है। इस आरण पर प्रतिबंध लगान हेतु जाप र पर्ने निर्धारित किए जाते हैं पौर यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाती है।

3 शोषोधिक शांति को स्थापना (To Promote Industrial Peace)—अधिकारी की उद्दिष्ट मजदूरी न देकर प्रत्यधिक इम मजदूरी देन से व अधिक गारा तर जाप करान तथा तरार दशाएँ म बाय बरेवान से अधिकों में ग्राम्लोर उत्पन्न हो जाना है। इसी हृत्ताना तातार्दार्यो जाहि रूपा म शोषोधिक अगाजिन जानी है। अत शोषोधिक शांति बताए रखने के लिए अधिकों के बाय व घर्ने निश्चिन

90 मजदूरी नीति एव सामाजिक सुरक्षा

करना, कार्य की दशाप्रो मे सुधार करना तथा न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना आवश्यक है।

4 अभिको की कार्य क्षमता मे वृद्धि (To Increase the Efficiency of Workers)—अभिको का स्वास्थ्य तथा उनकी काय क्षमता मजदूरी पर निर्भर करती है। यदि अभिको का उचित मजदूरी दी जाती तो अभिको का जीवन स्तर उन्नत होता है, स्वास्थ्य ग्रस्ता रहता है और उनकी काय क्षमता म वृद्धि होती है। इसके विपरीत यदि अभिको का उचित मजदूरी स कम मजदूरी दी जाती है तो उनका जीवन स्तर निम्न रहता है और उनकी कायक्षमता कम हान से उत्पादन भी कम होता है। यह कायकुण्ठता म वृद्धि करने हनु न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना आवश्यक है।

5. कार्य की दशाप्रो मे सुधार (To Improve the Conditions of Work)—न्यूनतम मजदूरी द्वारा न केवल अभिको के शोषण को समाप्त करके न्यूनतम मजदूरी ही दिलाई जाती है बल्कि इसके साथ ही कार्य के घट्टे, विश्राम, साधाहिक छुट्टी तथा काय की दशाप्रो म भी सुधार किया जाता है। आधुनिकीकरण तथा विदेशी वरण की योजनाया से उद्योग के प्रबन्ध म सुधार सम्भव होता है।

6 अन्य उद्देश्य (Other Objects)—उपराक्त उद्देश्यो के अतिरिक्त न्यूनतम भजदूरी निर्धारित करने का उद्देश्य राष्ट्रीय आय म वृद्धि करना होता है। अम समठन सुदृढ एव सुसंगठित करने तथा दश मे शान्ति बनाए रखने के लिए भी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की आवश्यकता है।

न्यूनतम मजदूरी के क्रियाव्ययन मे कठिनाइयाँ ✓

(Difficulties in Enforcing Minimum Wages)

न्यूनतम मजदूरी से सम्बन्धित प्रश्न बड़ा जटिल है क्योंकि न्यूनतम मजदूरी निर्धारण करने पर कई कठिनाइयाँ आती हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान, एक उद्योग से दूसरे उद्योग एक अभिक से दूसरे अभिक तथा एक पुरुष अभिक मे एक स्त्री अभिक आदि म समय समय पर विभिन्न परिस्थितियाँ पाई जाती हैं।¹ अभिको के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते समय कई महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होते हैं। उदाहरणार्थ किम प्रकार के जीवन-स्तर की ध्यान म रखा जाए क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक अभिक वर्ग मे दूसरे अभिक वर्ग का जीवन स्तर भिन्न भिन्न पाया जाता है। न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते समय अभिक परिवार के आवार वा प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। अभिक के परिवार म उम्मी पत्नी व बच्चे ही शामिल किए जाएंगे अथवा अन्य उम्मे के सम्बन्धी भी? मजदूरी निर्धारित करने के लिए कोई समिति नियुक्त की जाएगी अथवा किमी अध्यादेश के आधार पर ही मजदूरी का निर्धारण हो जाएगा? यह मजदूरी निर्धारण मे जीवन स्तर, अभिक परिवार का आवार, समिति अथवा आयोग आदि के मम्बन्ध मे महत्वपूर्ण निर्णय लेन पड़ते हैं।

1 Bhagatnath, T N Economics of Labour and Social Welfare, p 293

उत्तर प्रदेश थम जीव समिति (U P Labour Enquiry Committee) के प्रमुखार जीवन-स्तर के बार प्रकार है—

1 गरीबी स्तर (Poverty Level)—इस स्तर के अन्तर्गत अभिन्न प्रथमी काव्यकुशलता बनाए रखने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं भी नहीं जटा सकता है। अभिन्न की प्राविदि स्थिति काफी दुर्दण्ह होते से उन्हीं न्यूनतम आवश्यकताएं—राटी, बपड़ा और मकान (Food Clothing & Shelter) भी पूरी नहीं हो पाती हैं। इसके परिणामस्वरूप उम्मीं काव्यकुशलता घट जाती है और उत्तरादन भी घटने लगता है।

2 न्यूनतम जीवन निर्धारित स्तर (Minimum Subsistence Level)—इसके अन्तर्गत अभिन्न प्रथमी काव्य से जारीरिक दर्शाता वा बनाए रख सकता है किन्तु अन्य विस्तीर्ण प्रकार के लिए उनकी काव्य इस वडती है।

3 जीवन-निर्धारित से अधिक स्तर (Subsistence Plus Level)—इस प्रकार जीवन स्तर के अन्तर्गत अभिन्न न बेबल अपनी जारीरिक दर्शाता को ही बनाए रखने में समर्थ होता है बल्कि वह अन्य मापांकित आवश्यकताएं भी पूरी तरह सकता है जस चिकित्सा तथा शिक्षा की न्यूनतम आवश्यकताएं, प्राप्ति।

4 सुविधाजनक स्तर (Comfort Level)—इस स्तर में अधिक मुरिपाजनक दण संभवना जीवन विता सकता है। प्रा थीवास्तव के प्रमुखार, इस प्रकार के जीवन-स्तर के अन्तर्गत पच्चे रहन तायक मकान, मनोरजन, बच्चों के लिए ऊँची शिक्षा, मट्टी दबाइया और अच्छे भोजन प्राप्ति के लिए पर्याप्त कोर हाना प्राक्षयक है। उत्तर प्रदेश थम जीव समिति ने न्यूनतम मजदूरी नियारण के लिए जीवन निर्धारित से अधिक (Subsistence plus level) वा स्तर निर्धारित किया है जो कि उचित ही प्रतीत होता है। इस स्तर की प्राप्ति मानवर यदि मादूरी नियन्त्रण कर दी जानी है तो इसस अभिन्न की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी ही रूप से गोपी और उनका स्वास्थ्य लथा दरकार भी बनी रह सकेगी।

जहाँ तक न्यूनतम मजदूरी-नियारण हेतु अभिन्न के परिवार के प्राप्ति का प्रश्न है उसम अभिन्न ही कठोर तीव्र घोटे बच्चों को नियमित बरता चाहिए। अभिन्न को ही नहीं किति उम्मीं परन्ती व बच्चा वो भी उचित जीवन स्तर हेतु मजदूरी दी जानी चाहिए जो कि एक गम्भीर समाज के लिए बाधीय है।

अभिन्न के परिवार के प्राप्ति तक जीवन स्तर को नियन्त्रण करने के प्रबास्—न्यूनतम मजदूरी के नियारण वा प्रश्न प्राप्ता है कि एक अभिन्न को इन्हीं न्यूनतम मजदूरी दी जाए ?

न्यूनतम मजदूरी नियारण हेतु मानवाधीय थम लॉ (I L O) के द्वारा आवश्यक द्वारा दो रीतियों को प्राप्ति माना गया है—

1 जारीरिक स्वास्थ्य प्राप्ति के लिये जो द्वारा नियारित प्राप्ति को ध्यान में रखकर अभिन्न की न्यूनतम मजदूरी नियारित की जानी चाहिए।

2 जनस्वया के विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न आय-स्तरों के लिए प्रमापित बजटों (Standard Budgets) रो आधार माना जाना चाहिए।

इन दोनों रीतियों को संयुक्त रूप से आधार मानकर न्यूनतम मजदूरी निर्धारण करना प्रथिक उपयुक्त होगा।

जहाँ तक न्यूनतम मजदूरी निर्धारण से सम्बन्धित मशीनरी का प्रश्न है, इस केंद्रीय सरकार निश्चिन न कर सकती है। राज्य सरकारें इन्हीं आधार मानकर न्यानीय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करके न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर सकती हैं।

न्यूनतम मजदूरी निर्धारण में निर्धारित लागत का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। इस समस्या को दूर करने के लिए लागत मूल्यांक (Cost of Living Indices) तंयार किए जा सकते हैं तथा कीमतों में होने वाले परिवर्तनों को इस आधार पर मालूम किया जा सकता है और उसी के अनुसार न्यूनतम मजदूरी में परिवर्तन किए जा सकते हैं।

प्रो. वे एन वैंड के अनुगाम 'पर्याप्त मजदूरी को प्राप्त करने प्रत्येक सम्य समाज का उद्देश्य है, जबकि सभी के लिए न्यूनतम मजदूरी देना सरकार की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी है।'¹

न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते समय विभिन्न तत्वों को सञ्चुलित रूप से काम में लेना होगा। उदाहरणार्थ, मानवीय आवश्यकताएँ, परिवार के कमाने वालों की स्वत्ता, निर्धारित लागत और समान कार्य हेतु दी जाने वाली मजदूरी दरें आदि को ध्यान में रखकर न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना उचित एवं बोल्डनीय होगा।

जुलाई 1957 में भारतीय श्रम सम्मेलन में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के आधार के बारे में शर्वप्रथम प्रस्ताव पाख दिया गया और यह बताया गया कि न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण मानवीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यकताओं पर आधारित न्यूनतम मजदूरी (Need based Minimum Wages) निर्धारित करनी चाहिए। इस सम्मेलन भी न्यूनतम मजदूरी समितियों (Minimum Wage Committees), वेतन मण्डलों (Wage Boards) और प्राधिकरणों (Adjudicators) आदि मजदूरी निर्धारण करने वाली मशीनरी हेतु न्यूनतम मजदूरी के लिए निम्न आधार स्वीकार किए गए²—

1. श्रमिक के परिवार में तीन उपभोग इकाइयों (Three Consumption Units) को प्राप्ति करना चाहिए। श्रमिक की पत्नी तथा उम्रके बच्चों द्वारा अंजित आय को ध्यान में नहीं रखना चाहिए।

2 डॉ आयकरोड द्वारा बताई गई कैलोरीज के आधार पर ही भोजन या खाद्य की आवश्यकता (Food requirements) के बारे में गणना करनी होगी।

3 बपडे की आवश्यकता (Clothing requirements) के प्रन्तर्गत प्रति इकाई उपरोक्त 18 गज होना चाहिए और मिनाहर 72 गज बपडा प्रति वर्ष दिया जाना चाहिए।

¹ Vald K N State and Labour in India, p 90

² Saxena R C Labour Problems and Social Welfare, p 550

4 मवान किसाया मरकारी प्रोटोगिक गुड योग्यता के अतिरिक्त दी जाने वाली मुविधा के प्राप्तार पर दिया जाना चाहिए।

5 दैनिक वित्ती तथा अध्ययन की मदा के लिए घूतनम मजदूरी का 20% रसा जाना चाहिए।

इसे गाय ही प्रस्ताव में यह बताया गया कि इस धारार पर निर्धारित घूतनम मजदूरी से यदि कहीं मजदूरी कम है तो इसके लिए यही वे गम्भीर अधिकारियों को इसके बारे में स्पष्टीकरण देना होगा। यही तक उचित मजदूरी का प्रश्न है उसके लिए बेता मण्डलों को उचित मजदूरी समिति की लिंगों का ध्यान में रख कर मजदूरी का निर्धारण करना होगा।

एक प्रमाण सबसे महत्वपूर्ण माना गया वर्षोंहि सर्वप्रथम घूतनम मजदूरी निर्धारण के लिए टोक्स प्रस्ताव पास कर स्वीकार हिए गए। मजदूरी मण्डल (Wage Boards) मजदूरी निर्धारित करते समय इन प्रहारों को ध्यान में रखते हैं।

पर्याप्त मजदूरी (Living Wages)

पर्याप्त मजदूरी, मजदूरी का यह स्तर है जो किसी अधिक की धनियाँ व धारामदायक प्रावश्यकतापूर्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। मजदूरी से अधिक प्रपनी तथा प्राप्त विविधार की सूचनाएँ धारामदायकतापूर्वों को पूरा करने में ममर्य होता है ताकि एक समय समाज के नागरिक वे रूप में धाराम संजीवन व्यक्ति कर सके।

इस प्रतार पर्याप्त मजदूरी वह मजदूरी है जो इस अधिक व उसके परिवार की ओजन करना य मकान सम्बन्धी धावश्यकतापूर्वों को ही पूरा नहीं करती है बल्कि इसके बच्चों की लिया धर्मास्थ त सुरक्षा गामतिवादीश्वरतापूर्वों की पूति प्रीर युक्तावस्था हेतु धीमा धारित लिए नी मुविधाले उपलब्ध हो जाती है।¹

क्वीन्सलैंड प्रौद्योगिक समझौता तथा पर्वतिशील अधिनियम (Queensland Industrial Conciliation and Arbitration Act) से प्रमुखार एक पुल्य अधिक वो वय से कम इतना पारित्यमित (Remuneration) प्रवर्त्य देना चाहिए जिससे कि वह स्वयं प्रपनी स्त्री तथा लीन बच्चों के परिवार को उचित धाराम के साथ रखने में ममर्य हो सके। यही यह माना गया है कि युक्त अधिक को ही प्रपने परिवार के खण्ड सदस्यों की धावश्यकतापूर्वों को गत्युक्त करना पड़ता है।

उत्तर प्रदेश अम जीव मिति 1946 (U P Labour Enquiry Committee 1946) के प्रमुखार पर्याप्त मजदूरी का स्तर है जिसे अन्तर्गत अधिक वा पारित्यमित उत्तरा पर्याप्त होना चाहिए कि वह जीवन निर्बाह पर अध्यय करने के उत्तराम इतना धन बच्चा से कि व्यक्त गामतिवादीश्वरतापूर्वों जैसे— धारा मोर्गन, दश, प्रथ धावहार धारि की संतुष्टि कर सक।

उचित मजदूरी समिति, 1948 (Fair Wage Committee, 1948) के प्रनुसार पर्याप्त मजदूरी के अन्वर्गत पृथ्वी श्रमिक व उनके परिवार की न्यूनतम आवश्यकताएँ, जैसे—भोजन, वस्त्र और मकान आदि ही पूरी नहीं, बल्कि यह इतनी होनी चाहिए कि इससे वच्चों की जिक्रा, बीमारी में रक्षा, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति और वृद्धावस्था सहित अन्य दुर्भाग्यपूर्ण आवश्यकों में बीमा आदि पूरे हो सकें। समिति ने यह भी सिफारिश की कि पर्याप्त मजदूरी निर्धारित करते समय राष्ट्रीय आय और उद्योग की मुगतान क्षमता को भी ध्यान में रखा जाए। इसके माध्य ही पर्याप्त मजदूरी के लक्ष्य का पूरा करना अन्तिम लक्ष्य (Ultimate Goal) होना चाहिए। उचित मजदूरी समिति न मजदूरी निर्धारण की अधिकतम या उच्च सीमा पर्याप्त मजदूरी तथा निम्नतम सीमा न के न्यूनतम मजदूरी निश्चित की।

उचित मजदूरी (Fair Wages)—उचित मजदूरी की नमस्या काफी मट्टव्यपूर्ण है जिसके बारे में विभिन्न दशों के अर्थशास्त्रियों ने विचार किया है। युद्धोत्तर कानून में श्रमिकों व मानिकों के बीच मधुर सम्बन्ध स्थापित करने हेतु कई प्रयास किए गए। इसके निए श्रमिकों एवं मानिकों के व्यवहार तथा व्यवितोरण में परिवर्तन ही आवश्यक नहीं है बल्कि श्रमिकों का भी कुछ पारिश्रमिक वे रूप में अधिक मिलना। चाहिए जिससे कि आनंदी सद्वावना व सद्याग का बातावरण तेवार किया जा सके। लाभ सहभागिता (Profit sharing) तथा उचित मजदूरी सम्बन्धी विचार इस दिशा में मट्टव्यपूर्ण हैं। सन् 1917 में ओद्योगिक सम्मेलन में एक ओद्योगिक जान्ति प्रस्ताव (Industrial Truce Resolution) पास किया गया था जिसमें श्रमिकों को उचित मजदूरी दिलाने की सिफारिश की गई। इस प्रस्ताव को रायरूप में परिणत करने के लिए भारत सरकार न उचित मजदूरी निधारण एवं क्रिया-बयन हेतु सन् 1948 में एक उचित मजदूरी समिति (Fair Wage Committee) नियुक्त की। इसकी रिपोर्ट सन् 1949 में प्रकाशित की गई। इस समिति ने सिफारिशों के आधार पर एवं विन तेवार किया गया और इसे सन् 1950 में सदृद में पेश किया गया, लेकिन यह पास नहीं किया जा सका।

उचित मजदूरी समिति ने अनुमार उचित मजदूरी की न्यूनतम सीमा न्यूनतम मजदूरी तथा उच्चतम सीमा पर्याप्त मजदूरों का माना जाना चाहिए। उच्चतम सीमा का निर्धारण उद्योग की मुगतान-क्षमता (Capacity of Industry to Pay) के आधार पर होना चाहिए। उद्योग की मुगतान क्षमता निम्न तरफे पर निर्भर करती है—

1. श्रम की उत्पादकता (Productivity of Labour),

2. उसी उद्योग धर्यवा पठोसी उद्योग में प्रचलित मजदूरी दर (Prevailing rates of wages in the same or neighbouring localities),

3. राष्ट्रीय आय का स्तर एवं इसका वितरण (Level of National income and its distribution), और

4. देश की अर्थ-व्यवस्था में उद्योग का स्थान (Place of the Industry in the economy of the country)।

उचित मजदूरी समिति के प्रधिकार सदस्यों का मत यह कि उचित मजदूरी का विधायक न्यूनतम मजदूरी तथा पर्याप्त मजदूरी के बीच म होना चाहिए। उचित मजदूरी को पर्याप्त मजदूरी प्राप्त करने का एक प्रगतिशील बदल माना गया है (Fair wage is a step towards progressive realisation of the living wage)।

प्रोफेसर एच.सी.पिगौ (Prof A. C. Pigou) ने अनुसार, 'जिस प्रश्न के ध्यतिदों के बीच जो एक-दूसरे के समान नहीं हैं उनी प्राप्त मजदूरी के न्यूनतम उचित सहमान प्राप्त यह है कि व्यावरणिक वाम तथा दातियों को ध्यान में रखते हुए, जो कुण्डला के प्रयोग से किसी एक व्यक्ति की कुण्डला का माप उन्हें बास्तविक उत्पादन में दिया जाए।'¹

उचित मजदूरी का निर्धारण (Determination of Fair Wages)

उचित मजदूरी समिति को निर्धारण के अनुसार उचित मजदूरी न्यूनतम व पर्याप्त मजदूरी की सीमाओं में निर्धारित की जानी और यह सीमा उद्योग की मुग्धता तथा परिवर्तन करती है तथा स्वयं उद्योग की मुग्धता-संताना अभियान की कायदामता उद्योग में प्रचलित मजदूरी दरों, राष्ट्रीय प्राप्त वा स्तर पर वितरण तथा घरें-घरवाला में उद्योग का स्वान प्राप्ति पर निमंत्रण करती है।

कठिनाई (Difficulties)—उचित मजदूरी निर्धारण करने के आधार उचित मजदूरी समिति ने इसे हृतेरित इस निर्धारण में कई कठिनाईयाँ पानी हैं जो निम्नलिखित हैं—

1. उद्योग की भुगतान-समता के निर्धारण से कठिनाई (Difficulty in determining the capacity to pay of the Industry)—उचित मजदूरी समिति के अनुसार उचित मजदूरी की अधिकतम सीमा उद्योग की देय समता (Capacity of Industry to pay) पर पालागित होनी चाहिए। गंदातित स्थान यह है कि उद्योग की देय समता के आधार पर ही उचित मजदूरी की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाए। नियोजना इस बान का विरोध करता है तथा कहते हैं कि उद्योग की देय समता बग होने से अधिक मजदूरी नहीं हो जा सकती। दूसरी ओर अभियान का कथन है कि अधिक मजदूरी देने से अधिकों की वार्षिक कुण्डला बढ़ती है उत्पादन बढ़ता है प्रति इकाई उत्पादन तात्पर करता है बस्तु की मात्र बढ़ती है। किन्तु उद्योग की देय समता का निर्धारण बरबार कठिन समस्या है। उचित मजदूरी समिति ने अनुसार "उद्योग की देय समता का निर्धारण इसे के लिए इसी विशिष्ट इकाई प्रयोग देता है गमत उद्योगों की समता की प्राप्ति मानना चुटियुला होगा। न्यायोचित साधारण से यह होगा कि निर्धारित दोनों

¹ Pigou, A. C. Economics of Welfare p. 151.

किसी विशिष्ट उद्योग की क्षमता को प्राधार माना जाए, तथा जहाँ तक सम्भव हो सके, उस क्षेत्र की समस्त सम्बन्धित औद्योगिक इकाइयों के लिए समान मजदूरी निर्धारित करनी चाहिए। स्पष्टत मजदूरों निर्धारण करने वाले बोर्ड के लिए प्रत्येक औद्योगिक इकाई की देय क्षमता का माप करना सम्भव न होगा।”

उद्योग की देय क्षमता को मापने के लिए उद्योग का साम-हानि, उद्योग का अध्य मूल्य, उत्पादन की मात्रा, बेरोजगारी आदि का ध्यान में रखना पड़ेगा, संदृग्दितक इटिट से यह सही है, लेकिन व्यवहार में इसे लागू करना कठिन है। उचित मजदूरी समिति के अनुसार उचित मजदूरी अपने आप में ही उचित होनी चाहिए। वर्तमान स्तर पर न केवल रोजगार का स्तर बना रहे बल्कि मजदूरी स्तरों से उत्पादन क्षमता भी बनाई रखी जा सके। इस महत्वपूर्ण विचार को ध्यान में रखकर ही वेतन मण्डलो (Wage Boards) को उद्योग की देय-क्षमता का अनुमान लगाना होगा। किसी एक विशिष्ट इकाई अथवा देश के सभी उद्योगों की मुक्तान देय-क्षमता को प्राधार मानना भी गलत होगा। किसी विशिष्ट प्रदेश में किसी विशिष्ट उद्योग की देय क्षमता एक अच्छी कसीटी ही सकती है और जहाँ तक सम्भव हो सके उस प्रदेश में उद्योग की समस्त इकाइयों में एक ही मजदूरी निर्धारित की जानी चाहिए।

2. औद्योगिक उत्पादकता के निर्धारण में कठिनाई—उचित मजदूरी समिति के कथनानुसार अथवा उत्पादकता तथा मजदूरी में धनिष्ठ सम्बन्ध है। किसी उद्योग की उत्पादकता न केवल अभिको की उत्पादकता पर ही निर्भर है बल्कि इसके अतिरिक्त अन्य तत्त्व जैसे—प्रबन्ध-कुशलता, वित्तीय व तकनीकी क्षमता आदि भी इसे प्रभावित करते हैं। अतः उत्पादकता का अध्ययन करते समय समस्त तत्त्वों को ध्यान में रखना होगा। वर्तमान मजदूरी का स्तर अभिको की कार्यकुशलता बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करके पर्याप्त मनदूरी की ओर बढ़ना होगा जिससे अभिको की कार्यक्षमता में वृद्धि हो सके और उत्पादन बढ़े।

3 उचित मजदूरी को लागू करने में कठिनाई—समयानुनार मजदूरी देते समय अभिको की कार्यक्षमता को ध्यान में रखकर ही मजदूरी का निर्धारण किया जाता है, लेकिन यह जहरी नहीं है कि प्रत्येक अभिको उम नियत कार्यक्षमता के अनुसार ही कार्य करे। इसके अनुसार अधिक कार्यकुशल वो अधिक और कम कार्यकुशल को कम मजदूरी मिलनी चाहिए लेकिन यह व्यवहार में नहीं पाया जाता है। जिन उद्योगों में कार्य की दशाएँ अच्छी हैं तथा जिनमें खराब दशाएँ हैं तो मजदूरी भी अनुग्रह-प्रसाद होनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है।

अतः उचित मजदूरी निर्धारित करते समय हमें राष्ट्रीय आय के स्तर और इसके बितरण को ध्यान में रखना होगा। प्रचलित मजदूरी दरें भी ध्यान में रखनी होगी। लेकिन प्रसंगठित अभिकों की प्रचलित मजदूरी बहुत ही नीची हो तो

इसे यद्यपि होगा। यह वृद्धि अभियों की बाध्यकालीनता को ध्यान में रखकर करनी होगी।

प्रो. बी. बी. मिह के अनुमान के अनुसार, 'किसी भी देश में वास्तविक मजदूरी स्वरूप उस देश के आधिक विवाह के स्वरूप पर नियंत्र करता है। यिर भी मजदूरी नियमन और मजदूरी विधारण मनीनी रो ऐसा मजदूरी हाँचा तंदार करना होगा जो उचित और दण वी आविष्ट शिया के स्वर के अनुमान हो।'

भारत में मजदूरी का राजकीय नियमन (State Regulation of Wages in India)

मजदूरों का नियमन

मजदूरी का मुगलान समय-ममता पर मगोधिया मजदूरी मुगलान प्रधिनियम, 1936 तथा ग्यूनतम मजदूरी प्रधिनियम, 1948 द्वारा नियन्त्रित होता है। मजदूरी मुगलान प्रधिनियम, 1936 तथा ग्यूनतम मजदूरी प्रधिनियम, 1948 नियन्त्रित के अनियन्त्रित मारे देश पर लागू होते हैं। मजदूरी मुगलान प्रधिनियम, 1936 फँस्टरी प्रधिनियम, 1948 में फँस्टरी पोषित सम्पादनों मनित हिमी भी फँस्टरी, रेत्वे एवं औद्योगिक सम्पादनों जैसे ट्राम-बैंग या मोटर परिवहन मेंवा, वायु परिवहन सेवा, बन्दरगाह, अन्तर्राजीय पान, यान, सदान या तेज थेट्र, वागान, बंदगाला (जहाँ बस्तुएं उत्पादित होती हैं) तथा भवनों, महकों, पुस्त्रों और नहरों आदि के नियंत्रण विकास तथा मनुष्याण कायं करने वाले सम्पादनों के नियुक्त व्यक्तियों पर लागू होता है।

यह प्रधिनियम बेवल रन पर लागू होता है जो प्रति माह औरतन 1600 रुपया से बड़ा मजदूरी प्राप्त करते हैं।

अभियों द्वारा क्यार्ड गई मजदूरी का मानित रोक नहीं राते, न ही वे घनघिरत है से कठोरियाँ कर सकत हैं। अभियों की मजदूरी का मुगलान नियन्त्रित दिवस के पूर्व वार देना चाहिए। बेवल उन्हीं हृतयों या प्रवर्हनायों के रिए जुमने किए जाते हैं जो बन्दरगाह सरकार द्वारा मान्य हैं। हुए जुमनी की राजि बाम की अवधि में दी जाते वाली मजदूरी के तीन प्रतितात से प्रधिर नहीं हो सकती। यदि मजदूरी की प्रदाएँ देर से को जाती हैं या गत बड़ी विधियों की जाती हैं तो मजदूर या उनके सभ घरपता दावा प्रस्तुत रह मर्हो हैं। नियांत्रित रोबरारों में समयोरपर मुगलान ग्यूनतम मजदूरी प्रधिनियम, 1948 के अनुमान दिया जाता है।

ग्यूनतम मजदूरी प्रधिनियम

ग्यूनतम मजदूरी प्रधिनियम, 1948 के अन्तर्गत सरकार रिगिस्टर एग्जेंसी द्वारा आयं कर रहे अधिकारियों की ग्यूनतम मजदूरी नियन्त्रित रह मर्हो है। इस

१९ मजदूरी नोति एव सामाजिक सुरक्षा

अधिनियम में उपयुक्त समयान्तरों के बाद जो ५ वर्ष में अधिक नहीं होना चाहिए, पूर्व निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा एव सशोधन का प्रावधान है। जुलाई, १९८० में हुए अम मन्त्रियों के मम्मेलन ने यह सिफारिश की थी वि अधिक से अधिक दो वर्ष के बचतरात पर, या उपभोक्ता मूल्य भूक्त्रांक के ५० अक्ष बटन पर दोनों में से जो भी पूर्व हो, न्यूनतम वेतन म सशोधन किया जाए।

अमजौबी पत्रकार अधिनियम

समाचारपत्रों के संगठनों में जाम कर रहे व्यक्तियों तथा अमजौबी पत्रकारों की सेवा शर्तों को नियमित बरने के लिए १९५५ में अमजौबी पत्रकार तथा अन्य कर्मचारी (सेवा-नृति वा नियमन) तथा अन्य सुविधाएँ अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम को एक विशिष्ट घारा द्वारा आयोगिक विवाद अधिनियम की घाराभाँ में कुछ सशोधनों को करके अमजौबी पत्रकारों पर लागू किया गया। २६ जुलाई, १९८१ को अध्यादेश द्वारा अधिनियम म सशोधन किया गया जिसका उद्देश्य 'अमजौबी पत्रकार' शब्द की परिभाषा में प्रबद्धन बरके अशक्तिक सवाददातामो को शामिल करना और समाचारपत्र संस्थानों द्वारा समाचारपत्र कर्मचारियों (अशक्तिक सवाददातामो सहित) को वर्षान्तरी (सेवामुक्ति) छेटनी की रोकथाम करना है।

१३ अगस्त, १९८० से अर्धात् इस दिन ट्रिव्यूनल ने अपनी विफारियों प्रस्तुत की, सशोधन को पूर्व व्याप्ति दी गई। अध्यादेश को तदनन्तर अधिनियम में परिवर्तित किया गया जिसे १८ सितम्बर, १९८१ को राष्ट्रपति की महमति प्राप्त हुई।

पत्रकारों तथा गैर पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों के लिए सरकार ने मजदूरी बोडं स्थापित करने वा निश्चय किया है। सत्रद में इस विषय पर २९ मार्च, १९८५ को एक बहुमत जारी किया गया। तबनुसार मजदूरी बोडों की स्थापना पर कार्य चल रहा है।

पालेकर न्यायाधिकरण

सरकार के अमजौबी पत्रकारों और समाचारपत्रों के संगठनों में काम कर रहे अन्य कर्मचारियों के वेतन वी दरों को निर्धारित बरने के लिए अमजौबी पत्रकार व अन्य कर्मचारी (सेवा वी शर्तों) तथा अन्य सुविधाएँ अधिनियम, १९५५ के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने अवक्त्र प्राप्त न्यायाधीश श्री डॉ. जी पालेकर वी प्रधानमंत्री में फरवरी, १९७९ में एक न्यायाधिकरण की स्थापना की थी। न्यायाधिकरण ने १३ अगस्त, १९८० को अपनी सिफारियों सरकार दो दी थीं।

सरकार न महेंगाई भत्ता सम्बन्धी सिफारिय दो दोड अन्य ननो विफारियों को मान सिया है। इसमें कुछ सशोधन बरके आदेश जारी बर दिए गए हैं जो प्रकाशित हो चुके हैं। न्यायाधिकरण द्वारा निर्दिष्ट फार्मूले के अनुसार सरकार ने महेंगाई भत्ते में सनो गम्बद्ध व्यक्तियों के विवार जानने वे पश्चात् सशोधन किया

है। समोधित मर्गीगाई भर्ते की दरा मध्य धी प्राप्त 20 जुलाई 1981 को प्रकाशित हा॒ पूवे है।

तिपारिशों वे लागू होने तथा नामूने करने से सम्बंधित गमस्थानों का दर्शन किए गत्रियों की कमटी नियुक्त की गई है। कमटी न कर्व बठक की तथा सम्बंधित गमस्थानों को प्राप्तव्यक्त निर्णय दिए। परं इता कमटी का स्थान एक विषाभीय बमेटी ने ले लिया है। राज्य स्तर पर एकी ही विषाभीय कमटों स्थानों करने पर तिपारिश राज्य सरकारों में प्रयुक्ते रिया गया है। अब तक मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश गिराव उडीगा गुजरात विश्वासी विहार गोप्या दम्पता व दीप ने राज्य स्तर पर विषाभीय कमटियों स्थापित की हैं।

ठारा मजदूरी

ठारा मजदूर (नियमनतया उ प्रूतन) प्रधिनियम 1970 जो प्रकाशी 1971 से गम्भीर भारत में लागू दिया गया था युद्ध मास्यानों मठारा मजदूर ध्येयस्था का नियमन प्रकाश है तथा युद्ध परिस्थितियों में उग्रा उ प्रूतन प्रकाश है। मन्त्रीयों की ध्येयव्यों न होने पर उपर्ये रिए मुख्य मानिक्ष को जिम्मेदार भी रखूराया जाता है।

स्त्री तथा पुरुष धर्मिका के निए समान पारिथित्विक

समान पारिथित्विक प्रधिनियम 1976 स्त्री तथा पुरुष धर्मिका के समान धाय या समान स्वल्पन के लाय के लिए गमान पारिथित्विक और रोजगार के सामूहिक विकास के साथ दिया प्रकार के भूभाव के विकास ध्येयस्था करता है। प्रधिनियम के उपर्ये य सभी प्रकार के रोजगारों पर लागू दिए गए हैं। प्रधिनियम में गलात्वार समितियों के गर्वन की ध्येयस्था है जो विविधों को रोजगार के प्रधित ध्येयगर तो पर सलाह देती है। ऐसी समितियों के नीचे प्रकाश के स्त्री तथा प्रधित ध्येयस्था राज्य सरकारे और को गमित प्रेसों में स्वातित करनी गई है।

स्त्री धर्मिकों से सम्बंधित महाद्वयाग मामला पर धर्म म धारक को गर्वहृदय

स्त्री धर्मिकों से सम्बंधित महाद्वयाग मामला पर धर्म म धारक को गर्वहृदय दत्त के लिए एक उच्च प्रधितार प्राप्त गविति दत्ता गर्व है जिसे स्त्री धर्मिक दत्त (दुर्ग धर्मी दत्ता वार) कहा जाता है। नीतियों प्रधितिरित धरन समय तथा इसी धर्मिका के लिए दातना पाकातिन धरा ममष गग जन छी गिरारिशा रा उत्तिन गहरत्व दिया गया गया है। स्त्री धर्मिकों से सम्बंधित परियाजनाया के लिए विस्तीर्ण सहायता भी दी जाती है।

य धुम्या मजदूर

यहमुद्रा मजदूरी प्रया उ प्रूतन वात्रात 1976 के द्वारा 25 दशमूर्त 1975 के द्वारे देने में यहमुद्रा मजदूरी की प्रया यमात्प दर नी गई। यह दशमूत्र लागू होने पर सभी यहमुद्रा मजदूरहर तरह को यहमुद्रा मजदूरी के दशित्व से मुक्त हो गए और उनके बजों का धार कर दिया गया। मुक्त धरणा या ए युद्ध मजदूरा का युनवर्गी थीं यहमुद्री वायदम का थय है।

इस कानून को सम्बद्ध राज्य सरकारे तागू बर रही हैं। वारह राज्यों में बन्धुप्रा मजदूरी को प्रधा के प्रचलन की मूचना मिली है। ये राज्य है—झान्घ्र प्रदेश, विहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उडीसा, राजस्थान, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश और हुग्गियाणा। फरवरी, 1985 तक 177,062 बन्धुप्रा मजदूरों का पता लगाकर उन्हें मुक्त करा दिया गया था। इनमें में 134,802 बन्धुप्रा मजदूरों का पुनर्वास कर दिया गया तथा 42,260 का पुनर्वास करना थाकी था। इन बन्धुप्रा मजदूरों को या ता बैन्ड द्वारा प्राप्तोंजित योनना या राज्य सरकारों की योजनाओं के अन्तर्गत किर से बमा दिया गया था।

अब भारतीय द्वारा बन्धुप्रा मजदूरों का पता लगान, उन्हें मुक्त कराने तथा उनके पुनर्वास के लिए चलाए जा रहे कार्यप्रभों का विद्यान्वयन लगानार सचालित और पुनरावलोकित करने का कार्य किया जा रहा है।

भारत में मजदूरी के नियमन और निर्धारण की प्रमुख वैधानिक व्यवस्थाएं जिनमा हम विस्तार से विवेचन करेंगे, ये हैं—

- (व) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (विभिन्न संघोंनो सहित)
- (ख) अधिकरण के अन्तर्गत मजदूरी नियमन
- (ग) वेतन मण्डलों के अन्तर्गत मजदूरी नियमन
- (घ) मजदूरी नुगतान अधिनियम, 1936 (संघोंनो सहित)
- (ङ) बान अभिक्र (निषेध व नियमन) विधेयक, 1986
- (क) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
(Minimum Wages Act, 1948)

अधिनियम का उद्गम (Evolution)

हमारे देश में एक भातावी से कार्य की दशाओं तथा वार्य के घट्टों पर सरकार का नियन्त्रण रहा है, लेकिन मजदूरों के नियमन वा प्रयास देश की आजादी का पश्चात ही किया गया। पन्तराष्ट्रीय अम सगठन (I. L. O.) की न्यूनतम मजदूरी सम्बन्धी कम्बेशन, 1928 को हमारे देश में लागू करने के लिए शाही श्रम आयोग (Royal Commission on Labour) ने पहले निम्नतम मजदूरी तथा असरगित श्रमिकों वाले उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए मशोनरी नियुक्त करने की सिफारिश की थी। सन् 1944 म रेजेन्टमेटी (Rege Committee or Labour Investigation Committee) वो नियुक्ति की गई जिसन 35 उद्योगों के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश की। इस समिति ने भी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की व्यवस्था तैयार की। अम स्पाल्डी समिति (Labour Standing Committee) की बड़ी बैठकों में इस विषय पर विचार विमर्श कर सन् 1946 में न्यूनतम मजदूरी सम्बन्धी विल पेश किया गया लेकिन विधान सम्बन्धी परिवर्तनों से इसमें देरी लग गई और इन में मार्च, 1948 में यह अधिनियम पास

किया गया। 6 फरवरी, 1948 को न्यूनाम वेन्न विवेदक, नए हुए में, बाबू जगजीवनराम द्वारा विवेदक संविधान नियोजनी परिषद् के सम्मुख प्रस्तुत हुए।

विल के विशेषज्ञ की प्रावश्यकता पर प्रकाश ढारते हुए बाबूजी न बहा—“जित नियोजनों पर मजदूर प्रति रो समठिं करते की दशा में नहीं है, परनी शिक्षापत्रे दूर नहीं कर सकते, नियोजनों से प्रपत्ती मौजे नहीं मनवा सकते, उनके लिए ऐसे विवेदक जी रडी प्रावश्यकता है। यह विवेदन उन उद्योगों के लिए इनका वौछायी नहीं है, जहाँ मजदूर अधिक मछला म नियोजित है और उहाँ मजदूर प्रान्दोलन के कार्यकार्ताओं को सगठन उनके की मुदायता तथा मुरिधाएँ हैं, जिनके लिए उन मजदूरों के लिए जो प्राकीण देशी में विवरे पढ़े हैं, जहाँ मजदूर कार्यकार्ता पहुँचने व समाजित करने में विभिन्न कार्यकार्ता अनुभव करते हैं तथा जिनके लिए वे कोई वास्तविक कार्य नहीं कर पाने। इस सब का यह प्रनिवार्य परिणाम है कि उद्योगों की वडी मर्यादा म, विशेषकर उनमें जो यामीण देशी प्रवया छोटे नदरों में स्थानित हैं, मजदूर काम में लगे थमने परुल्य मजदूरी नहीं पाते। ऐसे उद्योगों को हम नाक्षमा म कमर-तोड (स्वेटेड) उद्योग कहते हैं। कमर-तोड उद्योगों में लगे मजदूरों की दशा को मुदायते के लिए कुछ बरने हेतु यह विल घटावस्था करता है। यन्मूल्यी जिसमें उद्योग के नाम उल्लिखित हैं पूर्ण नहीं है। मैं इूँगा कि उक्त मूल्यी के बल उदाहरणारम्भ है। प्राचीय सरकारे जिनके उद्योगों को अपने हाथों में लेना पर्याप्तम अभ्यास नहीं है, यन्मूल्यी में समिलित कर सकती है। पहचान यन्मूल्यी (नियोजनों) के लिए इस कानून के प्रवयानों के कार्यकार्ता ने लिए वे रत रहे हैं। दूसरी यूची के लिए (जिसमें सेतिहार मजदूरों का सम्बन्ध है) तीन बायों की प्रवधि रखी जा रही है। यह विवेदन बहा प्रावश्यक है। इसे बानूओं की परिज्ञा में बहुत पहले समिलित हो जाना चाहिए था।”

यहस का उत्तर देने हुए बाबू जगजीवनराम ने बताया कि “वेतिहार मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी की दरी के विषयाली वे विना ग्रोविंग विकास तथा उत्पादन म छुट्ठि सम्भव नहीं।” उनके ही शब्दों में ‘प्रभी तरु हम इवि के थोक में इस बात पर जोर देते हैं कि किसानों के लिए सिवाई उत्पादन आठि के भीतर, लाद की उपलब्धि तथा बेदूर बीजों की मुविया हो, जिन्हें प्रभी तरु विना उत्तरी पर ध्यान दिए काशकारों को मिली गभी मुवियाएँ उत्पादन की दृष्टि में सहायक न हानी।’ भूमि के दो प्लाट देवें। एक उम अक्ति रा या लूद याग्न वरता है तथा दूसरा उम अक्ति रा जो मजदूरी पर प्रादमो नगा कर ऐनी वरता है। “उम रीत में, बाबू जगजीवनराम के चनुमार, जिसमें कृपक स्वयं पाशत वरता है, कम से कम एक मत अप्स उगादा पेंदा होता है। हम इत्यरा नहीं कर सकते कि (इसरों से उगा कर) हम लादायीं न इसी बड़ी शति उद्योग हो दें। यह इसलिए होता है कि सेतिहार मजदूरों को मजदूरी बहुत कम है। वे जैन के उत्पादन में इसी प्रशार की कोई दिनवस्त्री नहीं लेते, उग्हे उम्हे कोई मजलव नहीं। ऐसे में चाहे प्रधिक प्रभ हो प्रवया गूचा पड़े। यह जाना है कि उत्तरी दिन भर में कठिन परिधम के लिए

डेढ़ सेर अयवा दो सेर से अधिक अनाज नहीं मिलना है। हल से परोची हुई जमीन से अधिक वह जमीन उत्पादन देती है जिसमें हल धौसा कर चला हो। जब मजदूर को हल को धौसा कर चलाने में वही मजदूरी मिलती है जितनी कि जमीन को उसके द्वारा खरोचने से, तो वह क्यों अधिक शक्ति लगा कर हन जोते? वह तभी अधिक थम क्यों करे? जगजीवनराम बाबू की ट्रिटी में यह विल आन्तिकारी था क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उसके बन जाने पर देश गल्ले के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा।"

थी जगजीवनराम को न्यूनतम वेतन वित्र प्रस्तुत बर, 'देश म सामाजिक आन्ति' के पहले प्रयास के सृष्टा बनने पर, थी रणा ने बार्ड दी। विल पर बोलते हुए उन्होन कहा, "मुझे कुल मिलाकर इतना ही कहना है कि यह विल इतना आन्तिकारी है कि उसके लिए किसी भी सरकार को विशेषकर हमारी सरकार को अभिमान हो सकता है।"

अधिनियम की सृष्टि, उसकी मुख्य व्यवस्थाएँ

6 फरवरी, 1948 को (विधायन) संविधान निर्माणी परिषद ने दिन भर की बहस के उपरान्त विल को स्वीकार किया। 15 मार्च, 1948 को वह कानून बना। कृषि क्षेत्र म उसका कार्यान्वयन तीन वर्षों बाद अर्थात् मार्च, 1951 से होता था, किन्तु अधिनियम के क्रियान्वयन में देश और प्रदेशों की सरकारों को मार्ग में आने वाली वाधाओं को हटाने में अनेक वर्ष लग गए और अन्त मे तृतीय संविधान संशोधन द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम के कार्यान्वयन को अन्तिम अवधि 31 दिसम्बर, 1959 निर्धारित हुई।

डॉ. टी एन भगोलीदाल ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की विशेष व्यवस्थाएँ संक्षेप म इस प्रकार बताई हैं—

(१) यह शोपित (Sweated) थम वाले उद्योगों म या उन उद्योगों म जहाँ थमिकों के शोयण क मोदे पाए जाते हैं, न्यूनतम मजदूरियाँ नियत करने की व्यवस्था करता है। ऐसे किसी उद्योग के बारे में न्यूनतम मजदूरी नियन नहीं की जाती जिसम सारे राज्य म 1000 से कम थमिक नियुक्त हो (1957 क संशोधन अधिनियम ने इस सीमा को काफी छीला कर दिया है)।

(२) अधिनियम मे विभिन्न व्यवसायों एवं थमिकों के विभिन्न बगों के लिए ठीक इस तरह की दरें निर्धारित करन की व्यवस्था है।

(अ) समयानुसार काम की न्यूनतम मजदूरी-दर जिसे 'न्यूनतम समय-दर' (A minimum time-rate) कहा जाएगा,

(ब) कार्यानुसार मजदूरी की न्यूनतम-दर जिसे 'कार्यानुसार न्यूनतम-दर' (A minimum piece rate) कहा जाएगा,

(स) उन थमिकों के लिए जो कार्यानुसार मजदूरी पर लगाए गए हैं, पारिथमिक को एक न्यूनतम दर का निर्धारण समयानुसार न्यूनतम-दर दिलाने की ट्रिटी से करना जिसे 'सरक्षित समय-दर' (Guaranteed time rate) कहा जाएगा; तथा

(d) अधिक समय (Overtime) काम करने के मामूल एवं एक यूनिटम दर (चाहे वह नमय या प्रथम वायानुगार दर हो) जिस प्रधिति समय दर (An overtime rate) का ज्ञान है। उपमुक्त मरकार इसका विशेषता सामाजिक मजदूरी की व्यवस्था रा में या वान मासित होगी—

(e) मजदूरी की मूल (Basic) दर तथा वास भत्ता (धधिनियम में इस रहन सहन नत (Cost of living allowances) के रूप में बताया गया है जिसकी दर वा समायान ऐस मध्या तरी (Intervals) और ताम डणों में दिया जाता जा उपमुक्त मरकार निश्चय कर

(f) रहन भत्ता भत्ता वा साध या विना उसके मजदूरी की मूल (Basic) दर तथा जहरी वस्तुओं की रियायती विक्री का रियायती (Concessions) का नवद मूल्य

(g) उह दर जिसमें मूल (Basic) दर रहनभत्ता भत्ता तथा रियायती का एक मूल या अन्त दर शामिल है। आम तौर से धधिनियम के प्रनश्चत ऐप (Payable) मजदूरी का गुणात्मक नामी (Cish) में करने की ध्यवस्था है जिस उपमुक्त सरकार को यूनिटम यजदूरी के जित (Lands) पर ही पूरे या पांचित रूप से मुण्डान का धधिकार दिया है।

(i) उपमुक्त मरकार इस तरह निर्धारित यूनिटम मजदूरी "एवं पर समय समय पर यूनिविचार (Review) करेगी। यूनिविचार वा वीच वा समय 5 वर्ष से ज्यादा नहीं होगा। फिर से विचार करने पर यह जहरी समझे तो उपमुक्त मरकार यवतम यजदूरी दरों पर 5 वर्ष के मध्यान्तर पर फिर से विचार न कर सके तो एक 5 वर्ष लम्बे नोने के बारे में किया जा यहता है। जब तक यूनिटम मजदूरी-दरों में इस तरह से कोई गमोधन नहीं होता तब तक 5 वर्ष की प्रधिति व्यवस्था होने के पहल जो दर घालू थी वही जरूर रहेगी।

(iv) उपमुक्त सरकार को यह प्रधिकार दिया गया है जिसमें मजदूरी को एक नियत करने के बारे में जीन करने प्रीर मतार देने के लिए समितियाँ नियुक्त कर। परामर्श समितियों (Advisory Committees) की नियुक्ति गमत्वाद वा य (Co-ordination Work) और उसके बारे मजदूरी दर के गमोधन के लिए वो जाती है। वे नीय एवं राज्य सरकारों वा सत्राह देने प्रीर राज्य परामर्श बोर्डों के बाय वो मिलान लिए जेनीय सरकार एवं जेनीय परामर्श बोर्ड की नियुक्ति रखती है।

अमा कि हर्ड भगोलीदान ने दिया है जिसमें राज्य मरकारों द्वारा 1948 में धधिनियम की घनुमूली के भाव। म जित गए गमी उद्योगों के व्यवित्रों के जित यूनिटम मजदूरियाँ निर्धारित दर दी गई है। इस राज्य सरकारों ने इस धधिनियम को कुछ ऐसे दूसरे उत्तराया पर जागू दर दिया है जो घनुमूली के भाव। म निए है। राज्यों में यूनिटम मजदूरियाँ 31 फ़रवरी 1949 तक निर्धारित दर दी गई हैं जो कि 1957 के गमोधन धधिनियम में परी घातिरी तारीख तक की गई थी।

एव केन्द्रीय परामर्श बोर्ड और राज्यों ने परामर्श अधिकारी (Authorities) भी नियुक्त किए गए। चूंकि सभी अनुसूचित उद्योगों में दिसम्बर, 1959 तक सभी राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नहीं की जा सकी थी, इसलिए मार्च, 1961 में अधिनियम भ. एव नया सशोधन किया गया जिसने विसी उद्योग में राज्य सरकारों द्वारा शुल्क में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण की अन्तिम तारीख की सीमा बोल्ड स्टम कर दिया।¹

'न्यूनतम मजदूरी कानून बनाने के लिलाफ इस देश में शायद ही कोई आपत्ति उठाई जा सकती है। यद्यपि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम वा खास उद्देश्य बहुत नीची मजदूरियों के मुकाबला के द्वारा अभिक का शोपण रोकना था, इसके अन्तर्गत वे रोजगार भी शामिल किए गए हैं जिनमें अभिक या नो असंगठित हैं या जहाँ उनका मगठन कमज़ार है। वर्ष दीतन पर राज्य सरकारों द्वारा मूल (Original) अनुसूची में स्थानीय ज़हरतों के मुकाबला बहुत से नए रोजगार बढ़ाए गए हैं। अधिनियम के क्षेत्र के इस तरह बढ़ने से उसके लागू करने में कठिनाइयाँ सामने आई हैं।'

मजदूरियों में क्षेत्र अन्तरों एव किसी एक क्षेत्र में ही समय-समय पर विभिन्न परिस्थितियों के मुकाबला मन्त्र तक के सम्बन्ध में यह विचार व्यक्त किया गया है कि 'न्यूनतम मजदूरी निर्धारण' में कोई स्थिर (Rigid) मापदण्ड (Criteria) निर्धारित करना न तो ठीक है और न ज़रूरी है। आवश्यक रूप से यह नोब्पूर्ण (Flexible) होगा।

अधिनियम के दोष

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम अभिकों के हितों की रक्षा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है तथापि इसके कुछ निम्ननिवित दोष विचारणीय हैं—

1. अधिनियम के प्रन्तात समय समय पर यद्यपि अनक रोजगार नियमित किए गए हैं तथापि इसका प्रोद्यागिक क्षेत्र अभी बहुत सरुचिन है। अनक मट्टत्वपूर्ण और प्रसंगित उद्योगों वा समाजें होना आवश्यक है।

2. अधिनियम के प्रयोग में शिविलता है। राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम वा प्रयोग जिस ढंग से हुआ है यदि एक राज्य में जिसी उठाग को इस अधिनियम के अन्तर्गत लिया जाता है तो दूसरे राज्य य उस छोट दिया जाता है। यह विवित अभिकों में असंतोष का एक बारण बनती है।

3. अधिनियम में कुछ प्रसंगत छूटें दी गई हैं। उदाहरणार्थ ऐसी छूटें दी जाना उचित प्रतीत नहीं होना कि उस उद्योग में न्यूनतम मजदूरी की दर निर्धारित बरने की आवश्यकता नहीं है जिसमें मम्पूर्ण राज्य में 1000 से अधिक अभिक वाम दर रहे हो।

4. परामर्शदाती समिति को अधिक प्रभावशाली बनाया जाना आवश्यक है। समितियों के कामों से अभी तक ऐसा प्रतीत हुआ है कि दरों के निर्धारण में मानों उनका कोई विशेष हाय न रहा हो।

5 अधिनियम के प्रत्युगार राष्ट्रीय यूनिटम मजदूरी के नियामन की व्यवस्था नहीं है।

6 ऐसे प्रमुख व्यवसायों पर अधिनियम लागू नहीं हाता जिनका अभिना की दशा बहुत सराब है।

7 एक ही राज्य के विभिन्न भागों और विभिन्न राज्यों में मजदूरी का दरों में समानता नहीं है एकीकरण का अभाव है।

(स) अधिकारण के अन्तर्गत मजदूरी नियमन

(Wage Regulation Under Adjudication)

हमारे दश में ग्रोटाइक विवादों को नियन्त्रित हेतु अधिकारण मशीनरी (Adjudication Machinery) काम में नाई जाती है। जब मजदूरी के सम्बन्ध में अभिन्नों व ग्राहिकों के बीच झगड़ा हाता है तब भी इसकु द्वारा विवाद निवापा जाता है। यह मशीनरी प्रसारित और उस स्वयं में काम करने वाले उद्यातों के अभिना की मजदूरी का निवापा नहीं निवापती है। जब भी विवादों को नियन्त्रित करने के लिए अधिकारणरता (Adjudicator) की नियुक्ति की जाती है तब उसे राज्य सरकार तिदातत प्रस्तुत करती है जिनका प्राधार पर विवाद को नियन्त्रित है। जो भी पैराले (Awards) दिए जाते हैं उनके विवाद के विनायक समाप्ति (Uniformity) नहीं पाई जाता है। जिनके भी व्यवाड़ों (Awards) दिए जाते हैं जिनके उचित मजदूरी समिति (Committee on Fair Wages) की सिफारिशों के प्राधार पर निए जाते हैं। अधिकारण विवादों में उद्यातों की देय दातता (Capacity to pay of an Industry) का ध्यान रखा गया है। अमरनाथान (Labour Bureau) के प्रत्युगार यद्यपि वह नभी ग्रामीण दलों में भी यूनिटम सीमा निर्धारित करते ग्रामीण उद्यातों की देय दातता का ध्यान में रखते ही आकर्षण का नहीं है। विभिन्न द्वियूनिटम द्वारा यूनिटम मजदूरी प्राप्ति का नियरियल में अभिन्नों की दातता राष्ट्रीय पाद का स्तर पर उसके विवरण प्राप्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। कई विवादों में प्रतुगाल (Unskilled) अभिना की मजदूरी का नियरियल कर दिया गया है जो कुपाल (Skilled) और मध्य कुगाल (Semiskilled) अभिन्नों की मजदूरी का नियरियल करने का एक प्रबंध पक्ष है। अभिन्नों पर ध्यान दिया गया है।

(ग) वेतन मण्डलों के अन्तर्गत मजदूरी नियमन

(Wage Regulation Under Wage Boards)

अध्यम पक्षवर्षीय योद्धा भव्य विभार दिया गया है उनिह मजदूरी के नियरियल हेतु स्थाई एवं नियंत्रित वेतन मण्डलों की स्थापना की जानी चाहिए जो उस समय पर मजदूरों का सम्बन्धित धौरड़ी जीव प्राप्ति का बाधा बरर मजदूरी नियरियल का बाधा करते रहते रहते लेतिन इसके बारे में बोर्डोंम वाम तरा

उठाया गया। वेमे हमारे देश मे स्वतन्त्रता से पूर्व भी बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम, 1946 (Bombay Industrial Relations Act of 1946) दे नहत मजदूरी-निर्धारण हेतु ऐसे वेतन मण्डल विद्यमान थे। दूसरी पचवर्षीय योजना मे भी इस प्रकार की मशोनरी को मजदूरी-निर्धारण हेतु स्वीकार किया गया। “तीयरी पचवर्षीय योजना मे भी यह बताया गया कि प्रबन्धकों व श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने यह स्वीकार कर निया है कि वेतन मण्डल वी बहुमत सिफारिशो को पूर्ण रूप से लाभू करना चाहिए।”¹

विभिन्न उद्योगों के लिए वेतन मण्डल नियुक्त करने का सुझाव सरके पहले केन्द्रीय थ्रम मन्त्री ने भारतीय थ्रम सम्मेलन (Indian Labour Conference) म 1957 मे दिया था। 1958 की अनुशासन संहिता (Code of Discipline 1958) मे इन प्रस्तावों को सम्मिलित किया गया है। वेतन मण्डल एक बातूनी सत्था नहीं है। इसे जिस उद्योग वे लिए नियुक्त किया जाना है उसमे स्वतन्त्र रूप से मजदूरी निर्धारित की जाती है। “यद्यपि इन मण्डलों की नियुक्ति थ्रमिकों व प्रबन्धकों के पारस्परिक समझौते के आधार पर होती चाहिए, लेकिन वास्तविक जीवन मे इनकी नियुक्ति की मांग थ्रम सभों द्वारा की जाती है। सामान्यनया एक वेतन मण्डल मे थ्रमिकों व मालिकों के दो-दो प्रतिनिधि, दो स्वतन्त्र -यक्ति (एक सहद सदस्य तथा दूसरा अर्दशास्त्री) किसी महत्वपूर्ण मावंजनिक व्यक्ति की अध्यक्षता मे नियुक्त किया जाता है।”² यह एक विषयीय सत्था (Tripartite Body) है। इसमे सदस्यों को कुल सत्था 7 से 9 लक्ष होती है। वेतन मण्डल का अध्यक्ष साधारणतया बोई जज होता है।

एक वेतन मण्डल का कार्य जिस उद्योग हेतु नियुक्त किया गया है, उसमे मजदूरी-निर्धारण का कार्य करना होता है। उचित मजदूरी समिति वी सिफारिशो को मध्येनजर रखते हुए उद्योग मे मजदूरी निर्धारित की जाती है। अन्य बातें वे वेतन मण्डल व्यान मे रखता है, वे हैं—

- 1 एक विकासशील देश मे उद्योगों की आवश्यकताएँ।
- 2 कार्यानुसार मजदूरी देने की यद्यति।
- 3 विभिन्न प्रदेशों तथा थेनों मे उद्योग की विवेप विवेपनाएँ।
- 4 मण्डल के अन्तर्गत आने वाले थ्रमिकों की श्रेणियाँ।
5. उद्योग मे कार्य के घट्टे।

कुछ वेतन मण्डलों द्वारा मजदूरी-निर्धारण के अनिरिक्त बोनम अथवा प्रेच्युटी के मुगतान के बारे मे सिफारिशों करने को चहा गया था।

1957 से ही भारत सरकार ने केन्द्रीय वेतन मण्डलों की नियुक्तियों की। सबसे पहले मूरी वस्त्र उद्योग हेतु वेतन मण्डल नियुक्त किया गया। इसके बाद चीनी, सोमेन्ट, जूट, लोह एव इस्पात, बॉफी, चाय, रखड, बोयले की खानो, पत्रकारो,

1 Third Five Year Plan, p 256

2 Vaid, K N., State and Labour in India, p 101.

भारी रसायन एवं उत्परक इंजीनियरिंग बन्धुयाहा चमड़ा विद्युत् और सड़क यातायात आदि उद्योग में वेतन मण्डल स्थापित कर दिए गए। ये सभी वेतन मण्डल अब कायशील नहीं हैं बप्तोकि उहाने प्रयत्नी सतित रिपोर्ट दे दी है। उन सभी वेतन मण्डलों द्वारा विभिन्न श्रमिकों की श्रणिया वा निर्धारण उचित मजदूरी समिति की तिफारिशों के प्राधार पर मजदूरी निर्धारण कार्यानुसार मजदूरी की उचितता आदि के बारे में सिफारिश करते हो कहा गया था।

वेतन मण्डलों की नियुक्तियों एवं इनका प्रभाव को प्रो माहन देन के लिए यह गई थी। यह धारा यो गई थी कि इनकी सिफारिशों की बहुमत स श्रमिक तथा नियोक्ता स्वीकार करें। ऐच्छिक वक्त कल के सिद्धात की सफलता नहीं मिली बथोर्म मानिकों न वेतन मण्डल की तिफारिशों को तागू करने में वापस आनी। इस हिति को ध्यान में रखत हुए सरकार ने वेतन मण्डलों की तिफारिशों द्वारा बानून रूप से लागू करने का व्यविधिकार प्रदान कर दिया।

वेतन मण्डलों द्वारा की गई सिफारिशों को सरकार जीवनी है और फिर उनका प्रशासन करती है। तामा यत्या बहुमत स दी गई श्रमिक रिपोर्ट के विषयात विद्या जाता है। बुद्ध पायन में इनका सम्मोक्त करते तागू कर देने का प्रम्यास रहा है। इसकी प्राप्तोक्ता की गई है कि यह प्रतिष्ठा श्रमिकों के ११ में गई है। समय समय पर इन सिफारिशों के लागू करने के सम्बन्ध में वैश्वीय तथा राज्य सरकारों से रिपोर्ट मात्रों जाती है। इन सिफारिशों द्वारा लागू करने का वाय वैश्वीय तथा राज्य सरकारों की घोषोदित सम्बद्ध मशीनरी (Industrial Relations Machinery) द्वारा किया जाता है।

वेतन मण्डलों की सीमाएं

(Limitations of Wage Boards)

वेतन मण्डल ऐच्छिक प्रक्रिया के गिरावं को प्रो सार्वत्र हुक्म प्रतिरोध काम में साया गया। वेतन मण्डलों की सिफारिशों तथा उनके विद्या रथों की निम्नलिखित सीमाएं हैं—

1 यस सम वेतन मण्डलों का प्रतिवाय प्रतिरक्त तथा मामूलिक सीदाकारी की प्रतिष्ठा के बितार का एक प्रतिष्पान माना जाता है। नियाता भी इनकी सिफारिशों द्वारा लागू करने में उत्साह नहीं रखते हैं।

2 वेतन मण्डलों का वाय उचित मजदूरी की गणना व नियारक बरता है तेजिन व्यवहार में देखा गया है कि इहोंके उचित मजदूरी किया गया पर उद्योग की दृष्टि धरता से है की ये गोपनीय है।

3 वेतन मण्डलों ने मजदूरी निर्धारण में श्रमिकों और मानिकों के वाय समझोता मशीनरी के रूप में वाय किया है न कि एक मजदूरी निर्धारण मशीनरी के रूप में।

4. महेंगाई भत्ते को मूल मजदूरी में मिलाने के रूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। सूनी वस्त्र उद्योग में महेंगाई भत्ते का 75% मूल मजदूरी में मिला दिया गया है।

5. वेतन मण्डल उचित मजदूरी समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के प्रावार पर मजदूरी निर्धारित करते हैं और वाद म भारतीय अम ममेनन की 15वीं बैठक में किए गए प्रस्तावों को भी घ्यान में रखा जाता है लेकिन इन दोनों म ही स्पष्टता देखने को नहीं मिलती। सूनी वस्त्र उद्योग में मजदूरी में अन्तर (Wage Differentials) को और कोई घ्यान नहीं दिया गया।

6. विभिन्न वेतन मण्डलों न जो वेतन-टॉचे दिए हैं उनमें सम्बन्ध का प्रभाव है। विभिन्न क्षेत्रों में अलग मजदूरी दरें हैं। इन वेतन मण्डलों ने न तो प्रावश्यकता पर प्राधारित मजदूरी (Need based Wage) का हो निर्धारण किया है और न मजदूरी में पाए जाने वाले अन्तरों (Wage Differentials) वा ही दूर किया गया है। इसके कारण अभियों में घापसी ईच्छा की भावना को जन्म दिया गया है।

राष्ट्रीय अम उद्योग के सम्मुख वेतन मण्डलों द्वारा निर्धारित मजदूरी के सम्बन्ध में विभिन्न पक्षों न निम्न विचार प्रस्तुत किए हैं—

1. नियोक्ताधारा के समर्थन ने यह बताया है कि विभिन्न प्रकार के उद्योगों में मजदूरी-निर्धारण एक ही मर्यानरी द्वारा निर्धारित करना उचित नहीं है। उद्योग की प्रकृति को घ्यान में रखते हुए मजदूरी निर्धारण का कार्य वेतन मण्डल, अधिकरण अथवा सामूहिक सौदाकारी द्वारा किया जा सकता है। यदि एक उद्योग समरूप (Homogenous) नहीं है तो उसमें वेतन मण्डल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही अन्य समर्थन ने बताया कि वेतन मण्डल की सिफारिशों में एकमत होने पर ही उनको कियान्वित करना चाहिए।

2. अम समर्थन ने राष्ट्रीय अम घायोग को वेतन मण्डल के नियान्वयन के विषय में अपना असन्तोष बताया है। उनका बहना है कि जिन उद्योगों में समर्थन अभिक्ष हैं, सध को मान्यता है तो वहीं वेतन मण्डल द्वारा मजदूरी-निर्धारण न करके सामूहिक सौदाकारी द्वारा होना चाहिए। कुछ समर्थनों ने यह भी बताया है कि सिफारिशों को नागृह करने में काफी देर लगती है और कुछ हृदि के रूप में उनको वेतन मिलने लगता है। अम समर्थन का बहना है कि वेतन मण्डल की सिफारिशें 5 महीने में प्राप्त हो जानी चाहिए और वेतन मण्डल का गठन बातूर्गन होना चाहिए।

राष्ट्रीय अम घायोग, 1969 (National Commission on Labour, 1969) ने वेतन मण्डलों के बारे में निम्न सिफारिशें दी थीं—

1. वेतन मण्डल में स्वतन्त्र व्यक्तियों को शामिल नहीं करना चाहिए। यदि जहरी ही हो तो एक अर्यशास्त्री को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

2 वेतन मण्डल के अध्यन की नियुक्ति आता पाया—धनिक व प्रबंधन को महसूल से होती चाहिए। यह महसूल तभी होता पाय तिलाय द्वारा नियुक्ति की जाए। एक अधिक दापत गमय में दो से अधिक मण्डलों का प्रमाण नियुक्त नहीं करता चाहिए।

3 वेतन मण्डल का ग्रप दो सिफारिशें नियुक्ति में एक वय की प्रवर्द्धन में दो पानी जाता चाहिए। सिफारिशों को जागू बैठने की तिथि भी मण्डल द्वारा दी जानी चाहिए।

4 एक वेतन मण्डल की गिफारिश पौर्ण करने के लिए जागू रन्नी चाहिए।

5 ने द्वीप अम मानव द्वारा एक वृद्धीय वेतन मण्डल विभाग (Central Wage Board Division) की स्थापित हृषि संस्थानों द्वारा चाहिए जो कि तभी वास मण्डलों का काम देता रहगा। इसका काम वेतन मण्डलों को आवश्यक बदलावी घोषणा और सारांशक गूचनाओं की दूति होगा।

6 वेतन मण्डलों के काम विधि हेतु एक मनुप्रब्रह्म विधाया द्वारा चाहिए।

(घ) मजदूरी भगतान अधिनियम, 1936

(Payment of Wages Act 1936)

उद्योगों में काम करने वाले वर्गों के अधिकारों को मजदूरी के मुद्रणात पाय नियमन करने हेतु एक अधिनियम बनाया गया जिसे मजदूरी मुगठान अधिनियम 1936 कहा जाता है। अधिकारों को मजदूरी गमय पर नहीं दता तबा उगमे से बहु पटीतियों द्वारा इस अधिनियम के द्वारा प्रबन्धित वायि। इस अधिनियम द्वारा कोई भी नियोजन प्राप्त अधिकारों की नियारित प्रवधि में विनाय प्रतिष्ठित कर्तीतिया के मजदूरी का मुगठान करना। वह प्रबार की अ पिछो कर्तीतिया जैसे—अनुग्रामकाताक वारलो से जुर्माना नियोक्ता का हात वाल नुस्खा न हेतु जुर्माना बचाना गाल लोजार चार्फ हेतु दर्टीतियों द्वारा अपने वेतन-नामूना दर्टीतिया अनुचित थी।

राजी धर्म शायोग (Royal Commission on Labour) की गिफारिशों के प्राप्तार पर मजदूरी मुगठान अधिनियम 1936 पास दिया गया। यह अधिनियम मजदूरी का ए स्थान में नियमन करता है—(1) मजदूरी देने की तिथि और (2) मजदूरी के स होने याती दर्टीतियों। यह अधिनियम प्रत्येक वारसान हाया रेते के उन अधिकारों पर जागू होगा है जिनकी लोकन मानिक मजदूरी 1000 रुपये दर्टीति देने के उन अधिकारों पर जागू होगा है जिनकी लोकन मानिक मजदूरी 400 रुपये के कम ही होती है। इस अधिनियम के अन्यत राज्य गवर्नर जिसी भी उद्योग विवाद में अधिकारों पर तो उनकी कोटित विवाद वर जागू दर सहनी है। यह अधिनियम गत 1948 में कोवत की तानों पर मन् 1951 में सारान तानों पर मन् 1957 में नियमित वारलों पर मन् 1962 के तें देश पर तथा गन् 1964 में नागरिक वायु वरिष्ठत सेवाओं द्वारा परिवहन सेवाओं द्वारा वेस्टेन दो

कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 85 के तहत आते हैं, पर लागू कर दिया गया है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत मजदूरी मुगतान की अवधि एक माह रखी गई है। जिन स्थानों तथा उद्योग में 1000 से अधिक श्रमिक वार्य करते हैं वहाँ मजदूरी का मुगतान, मुगतान प्रवधि के 10 दिन में तथा 1000 से कम श्रमिक होने पहले 7 दिन के प्रदर्शन मुगतान बरना प्रतिवार्य है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित कटौतियाँ को ही अधिकृत कटौतियाँ (Authorised Deductions) माना गया है तथा वाको कटौतियों हनु नियोक्ता पर न्यायालय में विवाद चलाया जा सकता है। अधिकृत कटौतियाँ निम्नलिखित हैं—

(1) जुर्माने की राशि, (2) वार्य पर अनुपस्थित रहने पर कटौती, (3) हानि अवधा धति के बारण कटौती, (4) मालिक मरकार अवधा आवास बोर्ड प्रदत्त आवास सुविधापा व सवाप्रा हतु कटौती, (5) अग्रिम दी गई राशि हतु कटौती, (6) माय कर या प्राविडन्ट फण्ड हतु कटौती, (7) कोयले की खानों में बर्दी व जूत हतु कटौती, (8) राष्ट्रीय सुरक्षा बोप या सुरक्षा बचत बोप हतु कटौती, (9) साइकिल खरीदन, भवन निर्माण हेतु करण लेन तथा अमन्वयाए निधि में ऋण लेने पर कटौती बरना।

जुर्माने की राशि 3 पैसे प्रति रुपया से अधिक नहीं होगी। जुर्माना रजिस्टर भी मालिक दो रखता होगा।

अधिनियम के अन्तर्गत दावा बरने को अवधि 6 माह से बढ़ावर 12 माह कर दी गई है। इस अधिनियम के क्रियान्वयन का वार्य श्रम विभाग के अमनिरोक्षकों द्वारा किया जाता है।

आलोचना

श्रम जांच समिति (Labour Investigation Committee) के अनुसार मजदूरी मुगतान अधिनियम, 1936 में कई दाय पाए जाते हैं जिनके परिणामस्वरूप अधिक वर्गों को पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाया है तथा नियाता भी इस अधिनियम के क्रियान्वयन में अनियमितताएँ बरतते हैं। इसकी निम्नलिखित रूपों में आलोचना की जा सकती है—

1 बडे बडे उद्योग व संस्थाना में अधिनियम की विभिन्न धाराओं को पूर्ण रूप से लागू किया जाता है लेकिन ठेके के थमिका तथा छाट छाटे उद्योगों व संस्थानों में जहाँ उचित लेखे जोखे नहीं रखे जाते हैं वहाँ पर इस अधिनियम का उल्लंघन किया जाता है।

2 श्रम जांच समिति (Labour Investigation Committee) के अनुसार इस अधिनियम के लागू करने में निम्न उल्लंघन पाए जाते हैं—

(1) अनाधिकृत कटौतियाँ (Unauthorised Deductions),

- (ii) प्रधिनियम से गम्भीरत रजिस्टर न रखना (Non recording of Over time Wages)
- (iii) मजदूरी के मुआवात में देरी (Delay in Payment of Wages),
- (iv) बोनस तथा मैरेन्स अन्ते का मुआवात न रखना (Non payment of Bonus & Dearness Allowance),
- (v) रजिस्टर न रखना (Non maintenance of Registers) पादि।

3. प्रधिनियम के अन्तर्गत दावो को मुक्त हेतु परगना प्रधिकारी (SDO's) को भी प्रधिकार प्रदान किए गए हैं। उन्हें पास पर्यामल तथा प्रशासनिक दायी का भार प्रधिक होते ही इस प्रकार के दावो की तुरन्त मुक्तवाई तथा फैगता नहीं हो पाता है जिसमें समय पर अधिकारी को राहा नहीं मिल पाती है। प्रत इस विवादो को शीघ्र निपटाने की व्यवस्था होती चाहिए।

4. अमनिरीक्षा की सूचा उनके दोनों दोनों दायी का देखते हुए कम है। निरीक्षण नियमित रूप से नहीं हो पाते हैं। प्रत अमनिरीक्षा की गत्या में इदि की जानी चाहिए।

5. मालिका पर जो जुमाना विधा जाता है वह भरीय 52 रु. प्रत्यया 100 रु. से प्रधिक नहीं होता है जबकि विधाद हेतु अमनिरीक्षा के व्यापार तथा अपने-जाने में ही हजारों रुपये यात्रा-भत्ता पादि में व्यय हो जाते हैं।

6. नियोता इस प्रधिनियम से बचते हैं तिन अधिको को स्थायी नहीं होते देते, उन्हें बलात् छुट्टी (Forced Leave) देते हैं पादि पनुचित ध्यवहारों से प्रधिनियम से बचते हैं। उत्तर प्रदेश अमनिरीक्षा (U P Labour Enquiry Committee) के अनुसार "प्रधिकार अमनिरीक्षण गतों द्वारा यह गिरायत है कि मजदूरी गतमी की जाती है, विभिन्न वर्गातियों की जाती है जिसमें अधिक्ष प्रधार अधिको की वारतविक घामदनी घट जाती है।"¹

लेकिन मजदूरी मुआवात प्रधिनियम, 1936 का विधायकन भी पहले से आपी मुख्या है।

राष्ट्रीय अमनिरोग (National Commission on Labour) के अनुसार इस प्रधिनियम से अधिक दर्द को काफी सामने प्राप्त हुआ है। पहले की भाँति वह अधिको को देरी से मजदूरी देना तथा उसमें से प्रतिधिकृत अटोटियों (Unauthorised Deductions) पादि की प्रतिकृति इस हो गई है। अनिराग्यों के विवाद, अधिको की गिरावा, मालिका के इटियों में परिवर्तन तथा गरवार का अल्पालागारी राज्य के रूप में महत्व बढ़ने से मजदूरी नियमित रूप से दी जाने समी है तथा प्रतिधिकृत अटोटियों भी काफी कम हुई हैं। किर भी हम देखते हैं कि यही पर अधिक विषये हैं तथा भागवित हैं तथा जहाँ प्रशिक्षण अधिक है नियोता पुस्तकी विषाक्षणिका वाले हैं अमनिरीक्षण मजदूरी व भ्रष्ट है, वही पर आम भी अधिको का शोषण देर से मजदूरी तथा अप्रिकृत कटीतियों के रूप में होता है।

यह सरकार वा उत्तरदायित्व है कि विद्यान्वयन बरने वाली मशीनरी को मुहूर्च व ईमानदार बनाए और समय-समय पर मशीनरी द्वारा किए गए विद्यान्वयन का लेखा-जोखा ले।

प्रधिनियम में संशोधन

जैसा कि वहाँ जा चुका है, नवम्बर, 1975 में एक अध्यादेश जारी करके प्रधिनियम उन धर्मिकों पर लागू कर दिया गया जिनकी ओसत मासिक भजदूरी 1000 रु से कम है। इस संशोधन से पूर्व 400 रु प्रतिमास की भजदूरी सोमा थी। अब मन्त्रालय वो सन् 1976-77 को रिपोर्ट के मनुसार प्रधिनियम में और भी अन्य संशोधन बर दिए गए हैं। रिपोर्ट म उल्लेख है—

“सन् 1936 के मुख्य प्रधिनियम में संशोधन करके अन्य वारों के सापन्साप भजदूरी का मुगतान चैक द्वारा करने या सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा निषित प्राधिकार देने पर उनकी भजदूरी उनके बैच सेक्षों म जमा बरने की व्यवस्था नी गई। यह प्राप्तका व्यक्त की गई कि ऐसे मामले हो मनते हैं जहाँ कर्मचारियों पर यह दबाव ढाला जा सकता है कि वे अपनी भजदूरी मुगतान के बैच इन बैकल्पिक तरीकों द्वारा ही स्वीकार करें। हालाँकि कर्मचारियों के लिए इन तरीकों द्वारा भजदूरी लेना अनिवार्य नहीं है। बैन्ड्रीय सरकार न प्रशासनिक मन्त्रालयों के माध्यम से बैन्ड्रीय सरकार के सभी उपनियो एव सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी करके इस प्रकार वी प्राप्तका दो दूर करने और इस प्रकार वी सम्भाल्य घटनामों को रोकने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने वे लिए तत्काल कार्यवाही की गई है कि संशोधित प्रधिनियम म परिवर्तित भजदूरी की बैकल्पिक प्रणालियो को विसी प्रवार वा दबाव न ढालकर केवल धर्मिकों वी सलाह और सहमति से शिक्षा तथा अनुरोध की प्रविया द्वारा अपनाया जाता है। बैन्ड्रिंग विभाग स भी अनुरोध किया गया है कि वह जहाँ तक सम्भव हो सते, यह सुनिश्चित करान के लिए आवश्यक वार्यवाही देने कि चैक ध्रीर/या कर्मचारियों के बैच लेखों मे उनकी भजदूरी मुगतान की व्यवस्था बरने वाले नए विधान को लागू करने के लिए धर्मिको क निए विशेषवार सतन क्षेत्रों मे पर्याप्त वैकिंग मुविधाएँ उपलब्ध कराई जानी हैं।”

(ड) बाल धर्मिक (निषेध विधान) विधेयक 1985 लक्ष्य वे कारण

यह विधेयक 1986 वा 31वाँ विधेयक है। इसके द्वारा बुद्ध विशेष प्रवार की नौकरियों म 14 वर्ष व 15 वर्ष से कम आयु वे बच्चों को राज्यार देना नियमित या विधमित रिया गया है। पूर्व नियमित कई कानूनों म ऐसे प्राप्तगत तो व किन्तु कार्य विधि नहीं प्रदान की गई थी। अत इस कानून क द्वारा वाल धर्मिको की कार्य दशा वा नियमन रिया गया है जिससे उनका शोषण न किया जा सके।

विधेयक के मुख्य उद्देश्य

(1) विशेष प्रवार के लाभो से उन दब्चों वे रोजगार वा नियेथ जो 14 वर्ष से वम आयु वे हैं।

- (2) गोहरी का विधिवास्त्र में प्रधान गुरार व नियंत्रण की कार्यविधि को स्थापना ।
- (3) विशेष रोजगार में बाज़ धनियों की कार्य घटों पर नियंत्रण ।
- (4) यात्र धनियों समर्थनी नियमों के उल्लंघन पर दण्ड की व्यवस्था ।
- (5) विभिन्न कानूनों में 'बच्चों' की परिमाण में एकहस्ता स्थानिक दरना ।

कानून का प्रथमतम—विधेयक के प्रावधान तुरन्त लागू होंगे । देवन भाग 3 के प्रावधान तभी लागू हो सकेंगे जब बेंद्र सरकार बजट में विभिन्न राज्यों के लिए इसकी पोषण दर दे ।

परिभाषाएँ—विधेयक की पारा 2 में सरकार, बच्चा, दिन आदि शब्दों को परिभ्रान्ति किया गया है । 'बच्चा' उसे समझा जाएगा जिसने प्रथमी आयु के 14 वर्ष पूरे नहीं किए हैं ।

बास धनियों को रोजगार देना नियिद्ध—पारा 3 बच्चों के रोजगार को नियिद्ध करती है । नियेय के क्षेत्र विधेयक की धनुगूची 'ब' व 'स' में वलिन है । मध्येष्य में यह परिहृत रैखिक प्रतीकाओं में विशेष बायों में सम्बन्धित है । सरकार की धनुक्षति से तकनीकी सराहनार मिति धनुगूची से कार्य क्षेत्रों का नियमन वर गवेषी यह भी प्रावधान विधेयक में दिया गया है ।

बच्चों के बास की शर्तों का नियमाला—(i) विधेयक के भाग 3 में इस सम्बन्ध में प्रावधान दिए गए हैं । इनमें बास पाटे 6 तक निर्धारित रिए गए हैं जिनमें उग्रे विधान तथा प्रतीकाओं का गमन भी सम्मिलित है । 3 पाटे से बाद 1 चाला अविवादित विधान दिया जाएगा । (ii) राति में 7 बजे से शुक्रवार 9 बजे तक रोजगार नियिद्ध है । (iii) बोगर जाइप का नाम ही दिन में एक से छहप्रतिद्वारा गें बास दरना नियिद्ध है । (iv) गालाहिं युद्धी (सलाह में एक बार) अविवादित होगी । प्रत्येक अविवादित इसे उपर्युक्त रिएन पर प्रशंसित करा जाएगा ।

प्रतिष्ठानों द्वारा गृहना—ऐसे सभी प्रतिष्ठान जहाँ यहाँ स्थानीय विवरण पदाधिकारी की भेजेंगे । यह 30 दिन में गृहित करना प्रावधान होगा । यह नियम ऐसे प्रतिष्ठानों पर साधू नहीं होता जो रूप में सरकारी धनुक्षति में या अधिकार के गद्दीयों द्वारा बदलाया जाता है ।

आयु साक्षरता की विधाद—विभिन्न साक्षरता की द्वारा अप्राप्त वय से तोडे विधाद निर्धारित होते । प्रत्येक अविवादित वार्ष धनिय सम्बन्धी विवरणाः प्रावधान गमन विशेषक के निरीक्षण हनु रहेगा ।

स्वास्थ्य राज्यकालीन नियम/उपनियम बनाए जा सकेंगे जो समय-समय पर ऐसे प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे । इन नियमों में शून्य, गुणी, सत्ताई प्रौद्योगिक व स्थानिक तत्त्वों से विशारणों हेतु प्रत्येकों के नियम निर्धारित किए जाने ।

दण्ड का प्रावधान—विधेयक के भाग-4 में दण्ड का प्रावधान है—

(i) घारा 3 की व्यवस्था (रोजगार नियेप) के उल्लंघन पर (न्यूनतम् 3 माह की दैद जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है तथा न्यूनतम् 10,000 रुपये अर्थदण्ड जिसे 20,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है) दण्ड का प्रावधान है। (ii) अपराध की पुनरावृत्ति पर न्यूनतम् 6 माह की दैद (जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है) का प्रावधान है। (iii) उपविधित सूचना देना या विवरणिका रखन म चूक करन पर या गनत विवरण देने पर 1 माह तक की दैद तथा 10,000 रुपये के इयं एड या दोनों से दण्डित किए जाने का प्रावधान है।

कार्यविधि—(i) बोई व्यनि पुलिस अधिकारी या इन्सेप्टर किसी भी अपराध की शिकायत सम्बन्धित क्षेत्राधिकार के मजिस्ट्रेट से कर सकता। (ii) आयु के लिए चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र तथा तथ्य के लिए बच्चा स्वयं सक्षम गवाह हो सकेगा। (iii) मामले की मुनबाई प्रथम थ्रेणी के मजिस्ट्रेट करें। (iv) विधेयक द्वारा नियुक्त इन्सेप्टर भारतीय दण्ड सहित मे वर्णित 'सरकारी नोकर' समझा जाएगा।

नियम बनाने का अधिकार—गजट मे अधिसूचित कर उपयुक्त सरकार नियम बनाने को अधिवृत है।

अन्य कानूनों पर प्रभाव—इस विधेयक के द्वारा

- (अ) बच्चों को रोजगार कानून, 1938 द्वारा दिया गया है।
(ब) निम्न कानूनों को संशोधित किया गया है—

- (i) न्यूनतम् वेतन कानून, 1948 की घारा 2;
(ii) दागान अधिक कानून, 1951 के भाग 2 घारा (३)व (ग), भाग 24, भाग 26,
(iii) व्यापारिक जहाजरानी कानून, 1958 का भाग 109,
(iv) मोटर परिवहन कर्मचारी कानून, 1961 के भाग 2 की घारा 'क' व 'ग'।

समीक्षा

इस विधेयक द्वारा बालश्रम का नियंत्रण करने के साथ साथ नियमन भी किया गया है। अर्थात् जिन उद्योगों, स्थानों या वायों में बाल अभिको बो कार्य करने की अनुमति है उनमें वायों की दशाएं व जर्ते निश्चित कर दी गई हैं।

विधेयक की इसी आधार पर आलोचना भी गई है कि यह बाल थम को पूर्ण नियिद्ध करने के स्थान पर उसे प्रोत्साहित करेगा वल्ति यहीं तक बहा जा रहा है कि एक कुरीति के उन्मूलन के स्थान पर इसका नियमन कर दिया गया है। यह आलोचना उचित नहीं है। बाल थम को पूर्ण नियिद्ध किया भी नहीं जा सकता क्योंकि एक सीमा के अन्तर्गत लोगों को परिस्थितियों के अनुकूल उनके जीवन यापन हेतु पारिश्रमिक प्राप्त करने से उन्हें बचित कर देना अव्यावहारिक ही नहीं

प्रत्युचित भी है। किंतु वच्चों का उत्तरी प्रायु के प्रत्युच्य काय दग्गाम्बों का नियमन कर दिया भी इस नियमण का सहाय प्रयाप हा मिलता है।¹

इति उद्योग में न्यूनतम मजदूरी

ग्रामानु शिविर की प्राप्तियाँ और 20 सूत्री कायक्रम प्रारम्भ किए जाने के बाद तथा अम भवी सम्मति (जुलाई 1975) के 26वें प्रधिकारण में नियमण के नियमण के प्रत्युमारण में लाभग मिली राज्या ने 1976 के दौरान या उसके बाद इति य न्यूनतम मजदूरी दरा में गणोपयन किया। इसम और महाराष्ट्र ने गशोरन करों के रिया प्रावश्यक कायवाही करना प्रारम्भ कर दिया। पश्चिम बंगाल और पंजाब में यूनतम मजदूरी दरा का उपभासा भूय मूलदीक के राय रक्त बरन की पठति है और विहार न धायाप्र भी माया भे प्रत्युमार मजदूरी दरें प्रधिमूचित भी हैं जिया कामता में इदि के कारण मजदूरों दरा का प्रारक्षण नहीं होता। कद्रीय सरकार ने कद्रीय भव के अनुगत प्राप्ति यान इति उद्योग के राज्यार के सम्बन्ध में भी नियम्यर 1976 में यूनतम मजदूरी दरें प्रधिमूचित की। गोपित मजदूरी दरें नियमित धरों के प्रत्युमार नियम प्रदार रखी गई—

प्रत्युग्न प्रमित	4 45 रुपये भ 6 50 रुपय प्रतिदिन
प्रदक्षिण प्रमित	5 46 रुपय स 8 12 रुपय प्रतिदिन
तुला लिपिक प्रमित	7 12 रुपय स 10 40 रुपय प्रतिदिन
उच्च कुण्डला प्राप्ति प्रमित	8 90 रुपय स 13 00 रुपय प्रतिदिन

उह रपनीय है कि यूनतम मजदूरी प्रतिनियम 1948 की दूसरी प्रत्युमूची म ही इति अमितो की यूनतम मजदूरी का नियारण गमितित है। इति म यूनतम मजदूरी दरा का नियारण प्रधिकारण राज्य सरकारों द्वारा दिया जाता है। इस प्रदार की गियायतें भी जानी रही हैं कि तुल्य मायसा म भद्रदूरी की दरें याकी इप हैं। प्रधिमूचित न्यूनतम मजदूरों दरों के नामत दिए जाते के थरे म भी गियायतें हुई हैं। कद्र सरकार राय गरकारा रक्त सरार दती रहा है कि य प्रत्युमीरण का राय वरें ताति मजदूरी की उचित दरें सुनिश्चित हो और राय ही उत्तरों का राय दण स लगू करने के लिया कायवाही भी भी जाए। कद्रीय सरकार के कामों, सकिं पामों तथा बुन सी भाय गस्ताया स ताम्बि गिय पामों में न्यूनतम मजदूरी नियित बर दी गई है।

इस्तुत धोयाविह प्रमितो की तरना म इति प्रमितों की न्यूनतम मजदूरी नियारित बरना बढ़ा बढ़ित है योकि—

1. इति प्रमितो के मजदूरी गम्य भी प्रारम्भ सरकार ने उपराय नहीं हा पाते

1. प्रायोगिता विवास रक्तरी 1987 गुण 30

2. अम धायामय भारत सरकार प्रायित रिपोर्ट 1976 77

2 कृषि श्रमिकों के मजदूरी के बार्ये के घट्टे निर्धारित करने के लिए हैं व्योकि अनग-अलग बार्ये के लिए अलग-अलग समय लग जाता है,

3 मजदूरी का मुगतान ग्रामीण क्षेत्रों में नक्दी के साथ-साथ वस्तु भी दी जाता है,

4 भारतीय किसान अधिकारित हैं ग्रन्त मजदूरी, उत्पादन, बार्ये के घट्टे आदि के सम्बन्ध में रिकार्ड नहीं रख सकते, एवं

5 इस सम्बन्ध में ऐसे स्थानों की भी कमी है जो कृषि श्रमिकों की मजदूरी सम्बन्धी सूचनाएँ एकत्र करने का अनियान चलाएँ।

देश में कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने में एक बड़ी वाधा इसनिए आती है कि अधिकारी जोते छोटी हैं जिन पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करना अवाक्षीणीय है। दूसरी पार बड़ी जोतों पर इसे लागू करन से लोतों के अपचण्डन का भय रहता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को कृषि देश में व्यावहारिक बनाने के लिए आर्थिक जोतों और कृषि श्रमिकों के समर्थन होने की योजना पर तेजी से अभ्यन्तर करता होगा।

नए बीस-सूनी कार्यन्कम के अन्तर्गत कार्यान्वयन¹

नए बीस सूनी कार्यन्कम की मद सख्ता 5 के कार्यान्वयन के अन्तर्गत कृषि में नियोजन के लिए न्यूनतम मजदूरी सिविकम, अरणाचल प्रदेश, मिजोरम और लक्ष्मीपुर को छोड़कर शेष सभी राज्य सरकारों व सघ-राज्य क्षेत्रों ने निर्धारित की है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 अभी सिविकम में लागू किया जाना है लेकिन अरणाचल प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी की प्रकाशन के ग्रादेशों के अधीन निर्धारित किया गया है। यह सूचित किया गया है कि मिजोरम और लक्ष्मीपुर में कृषि श्रमिकों की सख्ता न गम्य है, इसलिए वहाँ न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना अनिवार्य नहीं समझा गया है।

जुनाई, 1980 में हुए थम मन्त्री सम्मेतन के 31वें सत्र में सिफारिश की गई कि कम से कम दो दिनों में एक बार या उपरोक्त मूल्य सूचकांक में 50 प्वाइटों की वृद्धि होने पर इनमें से जो भी नहीं हो, न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षा की जानी नाहिए और यदि प्रावधानक हो तो उनमें संशोधन किया जाना चाहिए। तदनुसार राज्य सरकारों व सघ-राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया कि वे कृषि में नियोजन के सम्बन्ध में न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षा करने के लिए ग्रावर्क कदम उठाएं। इस मामले की तजी से परंबी भी की गई। इन प्रशासनों वे फलस्वरूप 1980 में 27 राज्य सरकारों/सघ-राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने न्यूनतम मजदूरी दरों में सशाधन किया है। केन्द्रीय सरकार ने कृषि श्रमिकों के सम्बन्ध में 1980 में न्यूनतम मजदूरी दरों में पांच बार संशोधन किया है। इन दरों में अन्तिम बार संशोधन 12 फरवरी, 1985 का किया गया था।

1 भारत सरकार, थम नामांक्य, कार्यक्रम लिस्ट 1985-86, वृष्ट 5

इसी में भूततम मजदूरी ग्रधितियम, 1948 को बनार और प्रभासी द्वारा दग से लागू करने का उद्देश्य से, मन्त्रालय ने वरिष्ठ ग्रधितारी विभिन्न राज्यों का दोरा कर रखे हैं ताकि भूततम मजदूरी नियन्त्रित करने के उनमें सक्षोपन करने तथा भूततम मजदूरी ग्रधितियम, 1948 को लागू करने के लिए की गई ध्येयता का गहन अध्ययन किया जा सके और उनमें सुधार करने के उपायों के सूझाव दिए जा सके। इस मन्त्रालय के ग्रधीन थम छूटों भी कुछ राज्यों में कृषि अधिकों के सामने में भूततम मजदूरी को लागू करने में ही ही प्रयत्नि सम्बन्धी मूल्योंने अध्ययन कर रहा है।

यह मन्त्रालयी 20-ग्रामी कार्यालय के कार्यालयों की पुनर्गठन करने के लिए धम गविव की अध्यक्षता में अन्तरिभागीय बैठकें नियमित रूप से की जाती हैं। इस बैठक में योजना व्यापोग, एवं मशाद्य, प्रामीला विकास और तीन राज्यों के प्रतिनिधियों को बारी-बारी में आमंत्रित किया जाता है। प्रति तक ऐसी 19 बैठकें ही जा चुकी हैं।

चार राज्यों ग्रधीन राजस्थान, ग्रध प्रदेश, उडीसा और मणिपुर में ही में भूततम मजदूरी दरों को लागू करने के लिए राज्यों में प्रबलता नाम सुन्दर करने हेतु प्रायोगिक आघार पर केन्द्र द्वारा सचालित एक योजना चूर्ण की जा चुकी है। इस योजना में उन द्वारों से 200 प्रामीला अधिक तिरीकार नियुक्त करने की परिकल्पना की गई है जिनमें प्रानुगूचित जाति/प्रान्तगूचित जनजाति हे 70 प्रतिशत से अधिक ही अधिक हैं। इस योजना को धीर-धीरे प्रगत राज्यों में लागू करने का प्रस्ताव है।

प्रामीला अधिकों की स्थिति—

भारत सरकार के वार्षिक संदर्भ प्रबन्ध 'भारत 1985' में प्रामीला अधिकों के सम्बन्ध में जो विवरण दिया गया है, वह दग प्रकार है—

समय गमय पर दिए गए विभिन्न ग्रध्यवयों और प्रामीला अधिकों से की गई दुदताद्य से राजा खता है कि विभिन्न कानूनी और प्रव्यवाचनाओं का लाभ प्रामीला इनाहों का नहीं पहुँचा है। इसका प्रत्यय बारत यह है कि प्रामीला अधिकों में गमठन की बसी है। सरकार ने महसूल दिया कि प्रामीला अधिक उचित टैग गे जिलित और गोटिक होता ही ग्राहिक विकास में ग्रामाजिव पाल्प्र प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रामीला अधिकों को जिलित करने के लिए एक योजना नियम की गई है। राज्य सरकार द्वारा योजना को लागू कर रही है और प्रव्यवाच ग्रामजन को 200 दप्ते प्रदिमाह मात्रदेय और 50 राज्य प्रतिमाह याता भता दिया जाता है। सुयोगदाता अधिकों द्वारा अधिकारी छोड़ रहे थे जो दूर से जिलित करने की ओर उन्हें बनाते हैं कि गमठन का वदा महत्व है। इसमें अधिकों को गद्दारी समितियों में गमठन की ओर प्रत्यक्ष प्रशार के गमठन वादपत्र करने में मदद दिनती है।

1983-84 के दोस्त यह योजना 9 राज्यों में 595 राज्यों पर लागू कर दी गई। इनमें से 415 राज्यों में यह योजना पहले ही लागू कर दी गई थी।

1984-85 के दोस्रा 14 राज्यों के 1,000 खण्डों में यह योनना नागृ वी गई है। इसमें पहले बाले संघ भी शामिल हैं। अब तक 777 मानव ग्रामीण नयोजक नियुक्त किए गए हैं।

सरकार ने अब तक चार ग्रामिल भारतीय ग्रामीण अभियान सर्वेक्षण किए हैं। पहले दो सर्वेक्षण, जिन्हे खेतिहार अभियान के नाम से जाना जाता है, 1950-51 तथा 1956-57 में किए गए। अब सर्वेक्षण, जिन्हें ग्रामीण अभियान सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है, 1963-65 में तथा 1974-75 में किए गए। अन्तिम दो सर्वेक्षणों का कार्यधेय बढ़ा दिया गया तथा उसमें नभी ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू अभियान भी शामिल कर लिए गए।

ग्रामीण अभियान सर्वेक्षण के मुख्य उद्देश्य के अन्तर्भूति में ग्रामीण खेतिहार मजदूरों के लिए उपभोक्ता भूल्य भूचक्की की तुलनात्मक सारणी तंयार करना और कृषि/ग्रामीण घरेलू थम वी महत्वपूर्ण आविक-सामाजिक विशेषताओं के विश्वसनीय तथा अद्यतन अनुमान तंयार करना तथा उनके प्रवाह एवं परिवर्तन का अध्ययन करना है। इन सर्वेक्षणों में एकत्रित आँकड़े जनसंख्यावैयक्ति भरचना, रोजगार तथा बेरोजगारी की सीमा, आय, घरेलू उपभोग खंड, शूलों आदि के साथ-साथ नवीनतम सर्वेक्षण खेतिहार मजदूरों में गिराव, मजदूर सम्पत्ति तथा अन्य न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (तथा इसके अधीन निश्चित की गई मजदूरी) से सम्बन्धित हैं।

जून, 1975 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 29वें दोर के नाय दूसरे ग्रामीण सर्वेक्षण के क्षेत्रगत कार्य का समावलन किया गया। क्षेत्रों से प्राप्त सर्वेक्षणों की छंटनी के पूरा हो जाने पर सारणियां बनाने वा काम शुरू किया गया। इनके आधार पर सभी रिपोर्टें (तीन मञ्जिल तथा चार विस्तृत) जारी कर दी गई हैं।

ग्रामीण अभियान सर्वेक्षण का एन एस ओ के प्रत्येक पाँच साल में परिवर्तित रोजगार बेरोजगार सर्वेक्षण के साथ समावलन कर दिया गया है। तदनुसार रोजगार-बेरोजगार सर्वेक्षण, (32वाँ चक्र जुलाई, 1977 से जून, 1978 तक) में ग्रामीण खेतिहार तथा घरेलू अभियान से सम्बन्धित लगभग सभी महत्वपूर्ण पहलू शामिल थे जो ग्रामीण अभियान सर्वेक्षण 1974-75 में छाते थे। इस दोस्रान सबलित आँकड़ों पर कार्य चल रहा है। 1983 के दोस्रान (एन एन एस ओ का 38वाँ चक्र) सम्पूर्ण प्रबन्ध के अधीन अनुबर्ती चक्र चल रहा है।

कृषि अभियानों की कम मजदूरी के कारण

देश के सभी राज्यों में कृषि मजदूरी वी स्थिति दयनीय है। कृषि अभियानों को कम मजदूरी मिलने के प्रधान कारणों को हाँ गवेनेता ने इस प्रकार गिनाया है—

- (i) वन्धों को मजदूरी न करने के सम्बन्ध में विसी सदियम वा अभाव,
- (ii) जर्मीनार, जार्मीनरदार, मालगुजारी, इन्यादि भू पतियों द्वारा दूर वा देना भौं और उनको जीवन भर दवाए रखना,

- (iii) हृषि थमिको के गणन के प्रभाव और उनका प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष गोचो म
विषय होता,
- (iv) उनका इतन हृषि के सौमन में ही सजदूरी मिलता,
- (v) छोटे बच्चे में जन्म लेने के कारण सामाजिक दबाव, तथा
- (vi) हृषि थमिको में मरणो, अवासना एवं सहिकादित।

हृषि थमिको का निष्ठ जीवन स्तर और उनमें
सुधार की आवश्यकता ।

भारत में हृषि थमिको वा जीवन भर बहन नीता है। निम्न प्राय और
व्यापकता के कारण भारतीय हृषि थमिक लड़ियों से दबावी जीवन दिया रहे
हैं। उनी-वस, जो मुक्त्यन, आधिक एवं गामाजिक इटि से विद्युते वर्गों द्वारा उत्तरण
प्रदाया जाता है निष्ठलियित चार दबों में विभाजित दिया जा सकता है—

- (क) जमीदारों गे बोर्ड हूग भूमिकों थमिक,
- (ख) शिल्पित एवं बनकर, जिन्हे पूलंग प्रोटों के तिए काम करने
वाले भूमिहीन थमिक,
- (ग) द्वाटे रियात रियाते अधीन अत्यन्त छोटे-छोटे थेन हैं, ये आमता
अविदीन समय धोरों के तिए काम करने में लगते हैं, और
- (घ) वे कियात जो आधिक इटि से एरोप जोरों के स्वामी हैं जिन्हे
रियके एवं दो लटांग या पारित अम्ब गमुड दिगानों में पहुँचा
करते हैं।

जैसा कि ग्रन्टर एवं गुरुदरम् ने लिया है कि—

इनमें प्रथम बर्ग के थमिकों की विविध बहुत हृषि दामों या गुलामों की सी
है। इन्हें बन्धुआ थम (Bonded Labour) भी कहते हैं। इन्हे दाम तोर एवं
सजदूरी धंगे के एवं में नहीं बन्हु वे एवं में मिलती है। इन्हे सामिका के तिए
काम करना पड़ता है। ये अपने स्वामी की नौकरी छोड़कर अम्ब स्वामी के अधीन
काम करने के तिए स्वाम्य नहीं होते। इन्हे बैगार भी करनी पड़ती है। अभी-अभी
इन्हे अपने स्वामियों को सहद धन धोर मुर्गे, बहरिया आदि भी खेट करने पड़ते
हैं। उपर्युक्त बगों में, दूसरे और तीसरे दबों में थमिकों का बापी महस्त है। भूमिहीन
थमिकों की गमत्या तात्परिक विकास गमत्या है।

हृषि थमिकों के निष्ठ जीवन-स्तर का चित्र सीखते हुए हैं। गांधीजी ने
लिया है कि—“अब गमत्या गुणा गुणा लाते वाले, हृषि-पृष्ठी सापारण त्रुटिया में
नियात बरने वाले, आगामत्या एवं कई घटों तक प्रसवात्य परिविहितों में हाम
बरने वाले थमिकों गे हम जीवन बसर करने को ही सत्ता साक बरने रहते हैं।
हृषि थमिकों के परिवारित यत्रों के प्रम्यन गे स्पष्ट दक्षा लगता है कि याता
एवं गुण दोनों ही इटियों ने उनका भोगत सम्बन्ध विष्ट बोटि का होता है।
प्रत्यनी पाय वा 75% वे भोगत एवं ही इटि बर देते हैं। ऐसी परिविहितों में
पारामदायक पदार्थों वर ध्यय करना उनके तिए पादान के खाल वा दृष्टि वर साते के

समान असम्भव है। वित्तासिता के पदार्थों का उपभोग उनके लिए स्वयं मात्र है। 1980-81 में हृषि मजदूरी परिवार वा औसत वार्षिक उपभोग व्यय 618 रुपये था। परिवार की औसत वार्षिक आप के 433 रुपये होने के फलस्वरूप प्रत्येक परिवार को 181 रुपये का घाटा रहा जो बहुत कुछ विधियों वबनों तथा दूरणा आदि से पूरा हुआ।

हृषि श्रमिकों के निम्न जीवन-स्तर के कारण

कुल मिलाकर हृषि श्रमिकों के निम्न जीवन स्तर अथवा उनकी हीन आर्थिक दशा के कारण ये हैं—

1. ग्रधिकांश हृषि श्रमिक सुदीर्घबाल से उपेक्षित और दलित जातियां के सदस्य हैं। निम्न सामाजिक स्थिति के कारण भी दवग बनने वा साहम नहीं रहा और उनकी स्थिति सदियों से निरीह मूक पशुओं की सी रही है।

2. हृषि श्रमिक घनपड़, ग्रजाग्रहक और असर्वठित है। वे अपने की अम सघों के रूप में सर्वठित नहीं कर पाए हैं। फलस्वरूप अम सघों के लाभा से वचित हैं और मजदूरी के सवाल को लेकर सौदेबाजी नहीं कर पाते।

3. हृषि श्रमिक दूरण ग्रस्त हैं। 'हृषि अम जांच समिति' के अनुसार भारत में हृषि श्रमिकों के लगभग 45% परिवार दूरण ग्रस्त हैं और प्रति परिवार औसत दूरण वा अनुमान 105 रुपये है। समिति के अनुमान के अनुसार हृषि श्रमिकों का कुल दूरण यद्यपि लगभग 8 लाख रुपये है, किन्तु वास्तव में उनकी दूरणग्रस्तता इससे कई गुना अधिक है।

4. हृषि श्रमिकों को पूरे वर्ष लगातार वाम नहीं मिल पाता। द्वितीय अम जांच के अनुसार हृषि श्रमिकों को सात में 197 दिन ही काम मिल पाता है और शेष समय उन्हें देकार रहता पड़ता है। यामीण क्षेत्रों में अल्प रोजगार के ग्रस्ताध दबारी भी है। अन्य रोजगार और देवारी दोना नार्तीय हृषि श्रमिकों की अम आप तथा हीन आर्थिक स्थिति के लिए उत्तरदायी हैं।

5. यामीण क्षेत्रों में गैर हृषि व्यवसायों की बोझी भी श्रमिकों की अम मजदूरी तथा हीन आर्थिक दशा का मुख्य कारण है। गैरों में आगढ़ी बढ़ान के साथ-साथ भूमिहीन श्रमिकों की सल्ला तेजी से बढ़ रही है जबकि गैर हृषि व्यवसायों की कमी पौर भौगोलिक गतिशीलता में कमी के कारण भूमि पर आगढ़ी का दबाव अधिक होता जा रहा है।

हृषि श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए सुझाव

हृषि श्रमिकों की दशा और में सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है। इस दशा में विभिन्न क्षेत्रों में समय-समय पर विभिन्न सुझाव दिए जाते रहे हैं, जिनमें से कुछ मुख्य ये हैं—

1. हृषि दामता, जो भारत के बहुत से भागों में विद्यमान है, समाप्त की जानी चाहिए। वन्धुआ अम के उन्मूलन और 20 सूबों प्रायिक-कायंप्रम के शधीन

बो उपाय किए जा रहे हैं उपर कृषि वाचना समाज ही के बाहर बापी बढ़ गए हैं।

2 कृषि महिला श्रमिकों का सम्बन्ध दिया जाना प्राचीनकाल से है। इसीलिए, कृषि प्रमरिता बनाई ग्रामीण विकास के दो मूलिक श्रमिकों के सम्बन्ध के लिए प्रत्यक्ष वैश्वानिक अवस्थाएँ भी गढ़ हैं और भारत में भी उन्हीं प्राप्त रोपर अवस्था हानी चाहिए। जैसा कि डा. गवर्नर ने लिखा है कि वाराणसी के न सभ में दो माह पूर्व ग्रोर । माह बाद तक मरिता श्रमिकों ने कार्ड काम नहीं लिया जाना चाहिए। बच्चों का दूध पिलाने तक लियाने के लिए बीघ में इस से कम श्रमिकों का अवकाश दिया जाए। शामिल श्रमिकों में बाल कल्याण एवं प्रमूलि बन्दो का सम्बन्ध में भी इदि हानी चाहिए। यही नहीं गम घारण के द्वारा पर सरकार की ओर से लिया गया कुछ आविर गहराया का भी अवस्था हानी चाहिए।

3 कृषि दान श्रमिकों का शोषण रोकने के लिए उन्हें समुचित सख्ता दिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में डा. सरकेना ने यह गुरुकाल दिन है—(i) इठिन बायों के बान श्रम के उपयोग पर प्रतिक्रिया नहीं दिया जाए है। इसी प्रकार सन्तर के काम में भी बाल श्रम का उपयोग नहीं हाना चाहिए, (ii) बच्चे को सप्ताह में गवा तिन बार अवकाश दिया जाना चाहिए, (iii) गिरा गम्बर्धी अवस्था नहीं हो कि 6 बजे ते ऊर की माझे थान बच्चों के लिए पहना प्रतिक्रिया हो, (iv) बच्चा के लिए सूत्रा में एक लिचित उपचिति प्रतिक्रिया होनी चाहिए, (v) गूडा एवं पड़ाई के पार्श्वों में बच्चों को कान पर उपाय जाने का पूरा प्रति रहाना चाहिए, (vi) गमल बान और बालन न समय ग्रामीण याटनामाओं के स्कूलों जा वह दूर दिना चाहिए।

4 कृषि देव मन्दूरी शिया की विद्या द्वारा से लागू किया जाना चाहिए। प्रजात्र को छान्नार देव के द्वाय भालों में कृषि श्रमिकों को गूड़ कम संबद्धीय प्राप्ति है। देवत गूड़नम मन्दूरी शियित्रियम याने दोनों की शाफी नहीं है उसी लागू करने के उदाय ग्रनारी स्वयं में लिए जाने चाहिए। यह बार अवान में रखनी ही है कि इसिकी राज्या में गूड़नम मन्दूरी शियित्रियम जो चूर है इसके उचित रूप में लागू करने के पक्ष बढ़ितात्मक है—ही है।

5 भूमिकों कृषि श्रमिकों की पुनर वासने के लिए आवश्यक बदल उदाय जाना चाहिए। जैसा कि गूड़नम एवं ग्रनाम ने किया है—इसी श्रमिकों का भूमि देना ग्रामीण है। इससे अवैर टांग हो जाता है, लिम एवं यह है कि नई मुकारी भूमि करने वाले जाए। इससे उपाय पह है कि विद्यवान भूमि जो ही मर जाएंगे में पिर बौट दिया जाए। ऐसा स्वयं से ही हो जाता है और बताया जाए। भू दाता ग्रामीण जो उद्देश्य भू-प्रियों ग स्वं, ए एवं ए एवं ग प्रियों द्वारा दिनाता है। अब उपाय है—जोड़ की अपिद्वंप ग्रीम जो विवाह के द्वारा

सरकारी खेती। इन उपायों से भूमिहीन श्रमिक भूमि प्राप्त करके अपनी आधिकारिक सुधार सबते हैं।

6. हृषि वार्षिक बढ़ाया जाना चाहिए और इसके लिए सबन खेतों तथा सिन्चाई विस्तार दीनों की अत्यन्त प्रावश्यकता है। इन उपायों से दाहरी फसल होने लगेगी कनस्वरूप श्रमिकों का पूरे वर्ष वाम मिल सकेगा। श्रमिकों की उत्तरादिना में भी बृद्धि होगी जिससे उसकी मजदूरी भी घटेगी। ग्रामीणों का प्रसार भी बहुत आवश्यक है ताकि ग्रामीण जनता वो वाम मिल सके।

7. सार्वजनिक निर्माण वार्षिकों का विस्तार किया जाना चाहिए। सरकार को गांवों में अपनी परियोजनाओं वस दग में अमर मनानी चाहिए कि रीत मौसम (Off season) में खाली थर्मिकों को वाम मिल सके।

8. मरकारी गांवों का विवाम किया जाना चाहिए ताकि द्योटे गड़े विसानों में पाई जाने वाली विषमता मिट सके।

खेतिहर मजदूरों पर सरकारी कार्यनीति और कार्यान्वयन की समीक्षा

भारतीय आर्योद्यवस्था की एक भृत्यपूरण विशेषता गांवों में रहने वाली एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो मुख्य रूप से हृषि पर निर्माण रहती है। शहरों के प्रति बढ़ते ग्रामीण अनुराग के बावजूद आज भी एक बड़ा हिस्सा गांवों में रहता है। ग्रामीण समाज में एक बहुत बड़ा अनुपान ग्रामीण श्रमिकों का होता है जिसमें से अधिकांशतः खेतिहर मजदूर होते हैं। यह श्रमिक आमतौर से गांवों के निम्न व कमज़ोर वर्गों के होते हैं। ये लोग फसलों के उत्पादन का कार्य करते हैं।

समय के साथ इनकी सख्ती में बोई गिरावट नहीं आई अपितु यह बढ़ती ही चली गई। 1961 में देश में 3.15 करोड़ खेतिहर मजदूर थे जो कि 1971 में 4.75 करोड़ तक पहुंच गए अर्थात् 10 वर्षों में 1.60 करोड़ खेतिहर मजदूरों में वृद्धि हुई। इसके बाद 1981 में यह संख्या बढ़कर 5.4 करोड़ तक पहुंच गई। हालांकि यह संख्या बहुत है पर सन्तोष की बात यही रही कि बड़ोतरी की सख्ती 1961-71 की प्रवधि से काफ़ी कम हो गई। वैसे इसमें एक बड़ा योगदान 1971 की जनगणना में ली गई श्रमिक परिवापां का भी रहा। 1981 में दक्षिण पूर्षों के साथ खेतों पर वाम करने वालों महिनाश्रों को कृपक वर्ग में रखा गया था जबकि 1971 में उन्हें मूल रूप से गृहिणी माना गया जिनका कि सहायता व्यवसाय कृषि था। फिर भी हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि 1971 से 1981 तक संघर्ष जनरात्या में 24.71 प्रतिशत को वृद्धि हुई। जनसंख्या 54.79 करोड़ से बढ़कर 68.79 करोड़ तक जा पहुंची।

इसके बाद आते हैं बहुत द्योटे किसान, जिनकी आम बाल प्रमुख साधन कृषि जोतों के बहुत द्योटे होने वे कारण मजदूरी है। अतः वे दूसरे की भूमि पर

दूसरी ओर उत्पादन में भी बढ़ि दूई। उगाने के प्रभावी नियमन के लिए घाराघारों का पट्ट दरी की सुरक्षा प्रदान की गई। डितीय योजना में इह गया कि ऐसे धोनों में जटी भूमि का पुनर्वाण मम्भव नहीं, काश्तकार को भूमि का मात्रिक दता दिया जाए। काश्तकार का नुस्खामी बनाने के लिए प्रतेक प्रकार के व्यवस्था की व सुरक्षा प्रदान बरन की हड्डि से भूमि के पुनर्विनाश को यथासम्भव नीतित रखा गया। इस प्रथन से इति भजदूर व विसाना दो समापित लाभ मिला।

भूमि के व्यापक वितरण हेतु कृषि जोती की सीमा का नियारण दिया गया व इस सीमा निर्धारित से जो अनिरित भूमि प्राप्त हुई उस भूमिहीन घटनों तथा ऐसीमा कृषकों में बाटा गया।

स्वतंत्रता के बाद कृषि पुनर्गठन कार्यक्रमों में चक्रवर्ती भूमि घान्दान का आनुन व्यवस्था व सरकारी कृषित आत है। चक्रवर्ती के अन्तर्गत भूमि के विवरे हुए दुकड़ों का एकत्रित किया गया। यह हमारी कृषि का मुख्य दाप है। इसमें कृषि उत्पादन में धारा को पहुँचती ही है साथ ही विसान का मुख्य के अभी भी बदलाव होता है। स्वतंत्रता के बाद पानूरों द्वारा से अनिवार्य चक्रवर्ती का कार्य कई राज्यों में प्रारम्भ दिया गया।

योजना धार्यों ने हम गत पर भी जार दिया कि राज्य द्वारा भूमि तत्त्वों कथा प्रधिकारा का सही रिकार्ड रखा जाना चाहिए तथा राजस्व विभाग के प्रशासन को मन्त्रवृत्त रखना चाहिए। कई राज्यों में भूमि उद्दोषत विभाग की स्थापना की गई। योजनामों में भूमि प्रवन्ध सुधार पर पर्याप्त जोर दिया गया विस्तृत कलस्वरूप यजर मूमि के उपयोग उत्तम बीजों व पर्याप्त उपज देने वाली कसलों का प्रयोग बढ़ा।

घोटे-घोटे भूमि के दुकड़ों को मिलाकर समुक्त गोती करना व इसमें वैज्ञानिक उपकरणों व मुदिधामों का प्रयोग पर्याप्त सामर्थ्य ह होता है। सरकार ने ऐच्चिद्र गहरायारी सेती को बढ़ावा दन के लिए वितीय गतिहास उगाने व आयकर में रियायने दी व तब राष्ट्रीय कृषि समाहार बड़े वा निर्माण किया। परवर्ती योजनामों में गहरायारी कृषि पर प्रधिक जोर दिया गया।

विभिन्न राज्यों में भी इन्हें काफी प्रोत्तर है यह मिला। मात्र विदेश में इंडियान विद्यास अधिकारी ने विस्वापित रूपतियों को बताने के लिए गहरायारी कृषि नियमियों को समर्थित किया। मंगूर राज्य में तुंगभडा तिथाई परियोजना के क्षेत्र में इनां विह म हुया। धार्य प्रदन में पूर्वी गोदावरी व कृष्णा विह में गहरायारी कृषि नियमियों के विवाह के लिए मार्टिर द्वान बनाया गया।

भूमिहीन मजदूरों की बमाने हेतु 1951 में आमार्य विनोद भारत के नेतृत्व द्वारा नम घान्दान प्रारम्भ किया गया। इसमें इन्द्रद्वा गे प्रत्येक सुरक्षामी गे 1/6 भूमि दान म मौखी गई। हाज़िर इसमें जो भूमि प्राप्त हुई उसमें पर्याप्त भूमि यजर सिथाई-रहित व भयंकरी ही है।

जनता पार्टी के विषयन के बाद इन्द्रद्वा गोपो के सतान्त्र होने दर 20-ग्रन्ती द्वार्यामों में भूमि सुधारों की जगह राष्ट्रीय धारा राजदार आर्यक्षम तारीका द्वाम

विकास पर जोर दिया गया जिन्हे कि ग्रामीण जनता को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का प्रमुख साधन माना गया।

उस समय 1981-82 तक सभी राज्यों ने कानूनकारी दो भूमि स्वामी बनाने का कानून बनाने की घोषणा की थी पर वही भी ऐसा नहीं हुआ। 31 मार्च, 1983 तक हृदयनदी (चक्रवन्दी) से बची हुई भूमि का पूर्ण रूप से वितरण वरन को कहा था। उसकी तारीख भी 31 मार्च, 1985 तक बढ़ा दी पर तब भी यह कार्यक्रम पूर्ण नहीं हुआ। वैसे दाँचदांडी व ढाढ़ी पचवर्षीय योजना में कृषि भूमि की हृदयनदी सम्बन्धी कानून लागू हो चुके हैं किर भी इसमें हृदय का अधिक होना एवं बहुत बड़ा दोष है। सातवी पचवर्षीय योजना की एक जानकारी के अनुनाम देश का भूमि भण्डार 1 करोड़ 70 लाख हैटेयर कृषि योग्य परती भूमि व 2 करोड़ हैटेयर पुरानी और वर्तमान वजर भूमि का ग्रामिल वरने से बढ़ाया जा सकता है। इस तरह करोड़ 35 करोड़ से 4 करोड़ हैटेयर तक कृषि योग्य भूमि उपलब्ध हो सकती है। भूमिहीन भजदूरों के लिए निश्चय ही यह वरदान सावित हो सकती है। हाल ही में प्रधान मन्त्री द्वारा घोषित 20-मून्ही कार्यक्रम में एक बार पुनः भूमि सुधारों को प्रमुखता प्रदान की गई है। यह निश्चय ही बहुत खुशी की बात है।

इस प्रकार स्वतन्त्रता-प्राप्ति से लेकर अभी तक विकास के उद्देश्य से भूमि-सुधारों के लिए हर तरह से प्रयत्न किए गए किन्तु वे परिणाम सामने नहीं आए जो आने चाहिए थे, क्योंकि उनमें बहुत-सी कमियां रह गई थीं।

) पहली बात तो भूमि सुधार के सम्बन्ध में जो बनक नियम बनाए गए वे वे दोषपूर्ण हैं। कानून के अनुसार जमीदारी प्रथा का नमाप्त कर तैतिहर भजदूरों को भूमि का भालिक बनाया गया लेकिन वास्तव में आज भी वह भूमि का मालिक नहीं है। आज सरकारी कर्मचारी, नेतागण, महाझन, व्यापारी तथा उद्योगपति नए जमीदारों के रूप में उभर रहे हैं।

भूमि सुधार हेतु सरकार ने कानूनी व्यवस्था तो बना दी है लेकिन उसका नियान्वयन तभी है व इसक द्वारा बनाए गए कानून भी भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं। जोत की सीमा भी प्रत्येक राज्य में अनेक-प्रकार निश्चित की गई है। चक्रवन्दी कानून भी अनिवार्य न होकर ऐच्छिक बनाए गए हैं। खुदकाश के अधिकार में यह व्यवस्था की गई है कि यदि जमीदार चाहतो खुदकाश के लिए अपनी जमीन बायिम ले सकता है। हालांकि इसमें वही बार सुधार वरन दो कहा गया है व समय-समय पर इसमें सुधार भी हुआ है पर उसकी गति बहुत ही धीमी है। आप धीमी गति का अन्दाजा इसी बास से लगा सकते हैं कि विहार में 1948 में भारत के धन्तर सर्वेक्षण एक कानून बना जो कि 22 वर्षों बाद कार्यक्रम में लागू किया गया।

जनता भूमि सुधार कार्यक्रम से बचने की कोशिश करती है। कानूनकारी की अधिकारों के कारण वे न हो कानून जानते हैं और न अपने शोपण से बचने के लिए

कानून की शरण लेते हैं। इस प्रभाव का उत्तरों के फोला वा सही दता नहीं सका पाता है।

आप फीताणाही व नीहरगाही के कारण भी भूमि गुप्तर वार्षिकमों को नियान्वित नहीं किया जा सकता है। इस का प्रयासन अटाचारी होते से कानून बते ही रह जाने हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों में भूमि गुप्तर वार्षिकमों के संबंध में निम्नलिखित बातें होते से वार्षिकमों का विषयवस्थ नहीं हो पाया है। जैसे चौथरी चरणमिह वा मानता है कि छठे प्रोर गार्डे दशह के भूमि सुधारों के बाद अब गार्डे में भूमि विनाश की कोई वास गंजाइश नहीं है। इन्हें ऐसा नहीं है। मैंने कार्र भी गातवी एचडीए पाइना के 'एप्रोव वेंपर द्वारा दी गई जानकारी बता दी है। दश में प्रभी तो साँझे तीन से चार कराड हैचेंदर तर हृषि योग्य भूमि उपलब्ध हो सकती है जो कि कुल हृषि योग्य भूमि का 25 प्रतिशत डिस्सा हो सकती है। सो जर तर ठोस क्षेत्र में एक विचारगारा नहीं होगी, वार्षिकम सफर नहीं होगे।

इस में जोत भी न्यूरातम गीमार्ट निर्वाचित करने सम्बन्धी कानून नहीं बनाए जाने के कारण भूमि के उप विभाजन, प्रपत्तिक, हमतान्तरण पादि की समस्या आज भी बनी रही है।

बैम दोष तो हर व्यवस्था में निकासे जा सकते हैं। बम जहरत इसी बात परी है कि भूमि सुधार में व्याप्त घटणाकार वो बठोरना के साथ समाप्त किया जाए। सरकार को बढ़ाई से निष्ठों का पासन बरना चाहिए। वास्तविक देनिहर मनदूरों को भूमि दिलवानी चाहिए। भूमि सुधारों का लागू करने में किसी भी प्रकार का विनम्र न दिया जाए। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य तो यह है कि ऐसा सब सुध करने से पहले सरकार इनी भी सरह के राजनीतिक साथ भी परवाह न करे।

बन्धुपां भजदूर : मुक्ति की चुनौतियाँ¹

बन्धीय थम मन्यालय के भूनपूर्व महानिदेशक (थमिक बल्याए) श्री सद्गीष्मीष्म निधि न सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त यायोग के सदस्य वे हप में बन्धुपां मजदूर इणाली के बन्धेपण के लिए ग्यारह राज्यों का दोरा दिया। उन्होंने अपने लक्ष में बन्धुपां मजदूर प्रणाली के सामाजिक यायिक पादि पहुंचो पर प्रशास दाया है और इनके कानूनी निहितायों का भी बर्णन दिया है। उनके दियार में बन्धुपां पजदूरों की पहचान वे तिए जो प्रतिया अपनाई जानी चाहिए और बाह्तर में अपनाई जा रही है, उसम बहुत बड़ा अन्तर है। श्री निधि ने बन्धुपां मजदूरों के मुत्ति-न्यायिकम वे वार्षिकम की प्रतियों की ओर सरत दिया है और बन्धुपां मजदूरी से बच किए गए लोगों के पुनर्वाग के लिए सामुदायिक हृष्टि अपनाने का गुम्भाव दिया है। श्री निधि वे विचार, उन्हीं के दायरों में, इस प्रकार है—

1 बरह उपाय : यात्रा, 1-15 जून, 1987, दृष्टि 7 9

2 योड़ा, पर्फ, 1978.

"थम मन्त्रालय में महानिदेशक (शमिल बल्याए) के हर ने मूँके 1982-83 से 1984-85 के बीच बन्धुमा मजदूरी की हानिकारक प्रणाली (जो सामाजिक इष्ट से मार्मिक और आधिक इष्ट से चूनोतों भरी है) के प्रध्ययन के सिलसिले में आन्ध्र प्रदेश, विहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उडीसा, राजस्थान तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के घारह राज्यों का दीरा करने वा भीका भिना। मैंने इस थम में विभिन्न वर्गों के लोगों से बात भी जैसे—कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश के जीवम, गुजरात और मध्य प्रदेश के हाली, विहार के कामिया, उडीसा के गोडी, राजस्थान के सागरी, तमिलनाडु के पोडियात, केरल के आदिया, पाडिया और कट्टनायक्य, जौनसार बाबर उत्तर प्रदेश के कोलटा आदि। सर्वोच्च न्यायालय के सामाजिक और बानूनी जांच आयुक्त की हैसिन से मूँके विजयवाडा और फरीदाबाद के खदान मजदूरों की झोखनीप हितियों के प्रध्ययन का भी घरसर भिना। अपने इस कार्ये के दीरान मैंने इन लोगों से हार्दिक सम्बन्ध स्थापित बने की कोशिश भी जो आमतौर पर सँझेची और घन्तमुंखी होते हैं और बाहर की दुनिया से प्राय प्रता रहते हैं। मैं उनसे उस भाषा में बोलता वा दिसे वे समझ सकते थे और इस तरह मैंने एक विश्वास का बानावरण बना दिया या जिसम वे अपनी बात खुन कर कह सकते थे। इस बारोनाप से जो निष्कर्ष निकला वह बहुत महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष यह कि सरकारी और गैर-सरकारी सत्याग्रो के निष्पापूर्ण श्रयासो के दावजूद समाज के ये अभागे सदस्य सम्पत्ति से बहिष्कृत हो रहे हैं। बन्धुमा मजदूरी वी परिभाषा पर वर्षों में जोरदार बहत हो रही है जैसे जीवम और हाली उस परिभाषा वे घन्तर्गत भाते हैं या नहीं किन्तु उन अभागे लोगो (बन्धुमा मजदूरो) की वित्ति सामाजिक और आधिक इष्ट से हीनतर होनी गई है। उनवीं गरीबी और इष्टता की कहानी शायद ही सामने आती है। इसके बाया बारए हो सकते हैं ?

कानून वा विकास

घन्तराष्ट्रीय थम सगठन ने 1919 में बेगार उन्मूलन ममझीता स्वीकृत किया था। किन्तु हमने बेगार उन्मूलन से सम्बन्धित सांस्थानिक निर्देश (घन्तराष्ट्री 23) के घन्तुसरण में 30-11-1954 को इसे ध्रीपकारिक रूप से घणताया। घन्तराष्ट्रीय थम सगठन के ममझीतों को घणनाने से हमारे ऊपर दायित्व पह आया कि हम राष्ट्रीय कानून बनाकर इसके उपचारों वा लागू करें। ममझीतों के भानू उद्देश्यों को लागू करने के लिए राज्य व स्तर पर कानून बनाने के छुट्टपुट प्रयास हुए ये जैसे उडीसा का घटण (उन्मूलन) घणित्यम, 1961 आदि। किन्तु इतवा प्रभाव बहुत सीमित रहा। भूतपूर्व प्रधान मन्त्री धीमती इन्दिरा गांधी द्वारा 1 जुलाई, 1975 को बीस सूनी बार्यंत्रप वी पोपणा के बाद बेन्द के स्तर पर इन सम्बन्ध में गम्भीर प्रयान शुरू हुए। पुराने बीस सूनी कार्यक्रम वी मद 5 के घन्तर्गत कहा गया कि बन्धुमा मजदूरी वा उन्मूलन दिया

जाता है और बिस दृष्टि में भी यह है उगे गंडवानूनी घोयिन किया जाता है। इस घोयाना ने उन निहित स्वाधीनों का दिल दहला दिया हाएँ जो प्रवतक बन्धुपा मजदूर प्रणाली की जारी रखे हुए थे। इस जोरदार कार्रवाई के परिणामस्फूर्ति 23 अक्टूबर, 1975 को बन्धुपा मजदूर प्रणाली (उम्मूलन) पश्चादेश जारी किया गया जिसकी जगत् फरवरी, 1976 में समूद के दोनों सिन्हों द्वारा परित बन्धुपा मजदूर प्रणाली (उम्मूलन) अधिनियम ने ली जो उसी तारीख से लागू होता था जिस तारीख को राष्ट्रपति का प्रधानादेश जारी किया गया था। इस बानून के उदास सद्या और उन्हें प्राप्त करने के रास्ते बीमनक बठिनाइया का बहुत सच्चाया बायंन थम मन्त्री ने 27 जनवरी 1976 को विधेयक प्रस्तुत करते हुए इन शब्दों में लिया—‘बन्धुपा मजदूरी से मुक्त किए गए लोगों के पास न उत्पादन के माध्यम होंगे और न उह अद्यता गुविधा होगी। इनके पास कोई हृतक भी नहीं होगा जिसके बल पर वे घपनी जीविका कमा सकें। प्रथर उस किसी सामदायक धारा में लगाया जाएगा तां भी उत्पादन शुरू होने तक उसे कोई आमदानी नहीं होगी। चूंकि वह प्राप्तिपद्य और गुलामी की दुनिया से ही परिचित होगा। यत घपने प्रयिकारा के प्रति वह जागह के नहीं होगा। कभी कभी वह प्राप्तिपद्य बहानी की बठिन प्रक्रिया से गुजरने के लिए भी तेंशर नहीं होगा और खापम घपनी गुलामी में जाना चाहेगा।’

हर बानून प्राप्ते समय की उपज होता है और वह उस समय के सामाजिक वातावरण, राजनीतिक मूल्यों और प्राप्तिपद्य दर्शन को प्रतिविमित करता है। सेवित बानून बहुत एक छोटाठ होता है सद्य का सवाहक और एक हृष्टि का गर्ताह। यह सामाजिक राजनीतिक प्राप्तिपद्य व्युत्पादों प्रधान प्रणाली की कम्बोरियों के लिए रामबाण घोषण नहीं हो सकती। परं इन कारणों का विश्लेषण करना समीक्षा करने की जो इस बानून के मानन् उद्देश्य को पूरा करने में वापर मिल हुए। बन्धुपा मजदूरी क्या है?

यहसे यहना सबसे महत्वपूर्ण कारण है बन्धुपा मजदूर बन्धुपा मजदूरी और बन्धुपा मजदूर प्रणाली को परिभाषा ऐसी रूप से देह और ध्वातयों बमे हुई है। वावजूद इस बात के कि बानून में इसकी व्याख्या बहुत गाफ है और सबोन्ह व्यापारिय ने करवरी, 1982 की याचिका गवाया 2135 पर 16 दिसंबर 1983 को जो ऐतिहासिक पंक्षपत्र दिया था उसमें इसकी व्याख्या उत्तर और विस्तृत व्याख्या की थी। इसके अतिरिक्त बानून में इसकी जो व्याख्या जोड़ी गई थी उसमें बहुत गवाया कि देश मजदूर और प्रवासी मजदूर भी बन्धुपा मजदूर प्रणाली के घनतर्गत था सहने हैं, यदि के नियमित रूपों के एक उत्तरते हैं। अंदहार में बन्धुपा मजदूर प्रणाली, उन्हें देने वाले और उन्हें देने वाले के सम्बन्ध में बहुत ही कम है। इसमें से याका घरी दिन प्रतिवित व्यापिय मजदूरियों के बारें उपर भेजा है और वर्जन देने वाला जा कर रखता है वह माजूर कर सकता है। इस अंदर

वी सबसे महत्त्वपूर्ण शर्त के रूप में यह अपनी या अपने परिवार के किसी एक या सभी सदस्यों की सेवा की एक निश्चिन्त या अनिश्चिन्त ग्राहित के लिए गिरवी रख देता है। असमान शर्तों पर हुए इस बारार से जा सम्बन्ध बनता है उसके कुछ निश्चिन्त परिणाम होते हैं। किसी भी श्रम या सेवा का बानार भाव पर उचिन पारिवर्धमित मिलना चाहिए किन्तु बन्धुपा प्रणाली में सेवा, कर्ज के बदले में या बर्ज के सूद के एवज में दी जाती है। यह पारिवर्धमित यूनतम बेतन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित यूनतम मजदूरी से या बाजार की मजदूरी दर से बहुत होता है।

देनदार और लेनदार न सम्बन्ध में असमान शर्तों का परिणाम होता है, देनदार को मजदूरी न मिलना या यूनतम मजदूरी सबम मजदूरी मिलना। इसके और भी परिणाम हो सकत है जैसे—

(ब) भारत के किसी भी क्षय में जान की स्वतन्त्रता मजदूर को न मिलना।

(ख) किसी अन्य रोजगार को चुनने की स्वतन्त्रता न होना।

(ग) अपनी मेहनत की या मेहनत के उत्पाद की उचित कीमत प्राप्त करने का हक न होना। ये परिणाम व्यक्तिगत रूप से भी हो सकते हैं और सामूहिक रूप में भी। बन्धुपा मजदूरी के अस्तित्व के निर्धारण के लिए इतना काफी है कि वहाँ देनदार और लेनदार वा सम्बन्ध हो और देनदार ने अपनी या अपने परिवार के किसी एक या सभी सदस्यों की सबाएँ किसी निर्धारित या अनिर्धारित समय के लिए गिरवी रखी हो जिसका उपयुक्त परिणामों में से कोई एक परिणाम होता है। यह जरूरी नहीं कि सभी परिणाम एक साथ होते हो।

दूसरे, इस प्रणाली के जन्म, विकास और इसके जारी रहने के सिर्फ एक पारण नहीं, कई हैं, जैसे—जाति, फिरके और घमंडी की वृत्तिम वाता पर आधारित प्रत्यधिक थणीवढ़ सामाजिक ढौंचा, उस अत्यधिक असम्य और अनेनिक जमीदारी प्रथा द्वारा छोड़े गए घाव जो अट्टारहवी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में लाई गई और जिसमें प्रनिवाली जमीदारी और दूर लगान की बुराइयाँ पाई भूमि और अन्य सम्पत्ति का अनुचित वितरण स्थिर राजगार के साथों का अभाव भूमि और मिट्टी का असामवर स्वरूप जिसके कारण भूमि निवेश की आवश्यकता और उत्पादकता कम होती है, राजमर्दी के उपभोग या विवाह आदि उत्तरों के लिए जमीन गिरवी रख कर कर्ज सेन की प्रथा जिससे छोटे और सीमान्त किसान भूमिहीन हृषि मजदूर बनने को बाध्य होते हैं। बटाईदारों का पञ्चिकरण न होना और जिन लोगों का कर्ज सेने वाले की भूमि तथा अन्य सारी सम्पत्ति पर कब्जा होता है उनके द्वारा कारण उनका लगातार निर्धन होते जाना।

ऐसी स्थिति में बन्धुपा मजदूरों की पहिलान का काम उतना सरल नहीं होता जैसा कि किसी चुनाव में पक्की स्वाही के निशान और मतदाताओं की गहचान

करना या जनकिनीय के नाम में आदित्यों का गिनता। वन्युषा मजदूरों की पहचान वास्तव में प्रतिशब्दीन की सोच है वर्षोंकि यह व्यक्ति भले ही मानव के रूप में है लेकिन जिस बर्पा के सामाजिक नेतृत्वात् न पौर प्राचिव ज्ञापण ने (जिसे समाज ने प्रभुभ भारता में प्रदायत किया है) अस्तित्वशील बना दिया है।

राज की बायं-प्रणाली का अभाव

जाहिर है इस सरह के अस्तित्वशील की सोच की प्रथिया उस सामाजिक वाचावरण में आसान नहीं है जिस पर इस तिता और लवडिकीन के उत्तर पर वास्तु के उपदेश को बार्याविन करने की विम्मदारी जिला मजिस्ट्रेट और लोकों गमितिया यों दोगों सेकिन उमम ठीक ठीक बायं पद्धति निर्धारित नहीं की गई है। गत्ताप की जान है कि थान्प्र ग्रदग समाज बायाव विभाग के वनपान मूर्ख गविव थी एम आर शकरन न वही मूर्ख-पूर्ख और वल्पना से 1976 में ही एक बायं पद्धति सेवार की थी और उस थान्प्र प्रदेश के गभी समाहनीयों को उनके भायं-दर्शन के सिए परिमानित किया था। इस बायं पद्धति में तेजुगु भाषा में एक प्रशारवली है जिसम बुद्ध सरक और महाविद्युत गवाल है जो गोज करने वाले धर्मिदारियों को गोद व हरिजनवाटे में आकर हुयि मजदूरों के गमूह से पूछत हात है। जिनम धर्मिदारिय अनुगूचित जातियों के भूमिहीन बटाईदार होते हैं। साथम लोगों की समझ में आन वारी भाषा म विलुप्त घनेदवारिक इस रो गायांय यातनीत की गींगी में पूछे जाते हैं ताकि उनके ठीक उत्तर पिर गवे और उनके आधार पर बुद्ध निरर्थ निराने गा सकें।

सर्वोच्च आयात्य में जीव व्यापुत के रूप मेरा यहना अनुभव दताना है कि वन्युषा मजदूरों की वहयात व निय ज्ञ बायं पद्धति प्रयत्नाई जाकी जाहिर और जो वास्तव में घरताई जाती है, उसमे बा घन्तर है। समाज के निवले वगों के वन्युषा मजदूर गकोधी और अपन म तिपटे हुए होते हैं और अवेगल बरने वाना के सामने प्रपनी बहाती मुकले के लिल आमारों मे आगे नहीं आते हैं। जब वन्युषा मजदूर यह महेश्वर बरता है कि उसके हित और प्रशारसी ने दित एक ही है तभी द्वेष, सामाजिक स्तर और भाषा की हृतिम दीवार ढूटती है और व महजता तथा व्यक्त-शता के गाय प्रशों का जवाब देने के लिए आयें आते हैं।

विन्तु वास्तविक ध्ययठार म, भूहि बानूत ने तोड़ औपचारिक बायं पद्धति निर्धारित नहीं की है भत मजदूरों के गाय तादात्य स्थापित वरने का काम धर्मिहतर लोरशाही के नियमे बायंचारियों पर ठोड़ दिया जाता है। खूनि के बायंचारी आमील नियित वर्ग के सोग होन हैं, यह उम्मीद करना बेश्वर होता है कि के इस नामुआ और बटिक बायं की भरी प्रशार कर पाएंगे। यह हमें एक धैर्यित्व ध्यवस्था के बारे मे सोचना पड़ेगा जो इन अस्तित्वशील की गोद वरे और उन्हें विश्वास दिलाएँ कि ये धर्म लोगों की तरह ही इतना देग के नार्मर

हैं, उनके कुछ मूलभूत अधिकार हैं तथा अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएँ पूरा करने का उनका हक है। इस बाम वे लिए जनता वे स्वर पर बाम करने वाली ऐसी असत्य सत्याग्रो का सहयोग महत्वपूर्ण होगा जो मानवता की सद्वित एव कृतिम दीवारों को तोड़ने जनसाधारण को चुप्पी और निरंतरा की संस्कृति से उठाने तथा उनमें सम्मान के साथ जीने की भावना जगाने के लिए बाम वर रही है।

मुक्ति की कार्य विधि

इसी से सम्बन्धित है गुलामी को जीरो से मुक्ति की सरक्षण और उस मुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली कार्य विधि। यह देखा गया है कि अब तक शिनालन बन्धुआ मजदूरों की मुक्ति के लिए ग्रीष्मारिक मैर-नचीली और कानून परक विधि ही अपनाई जाती है और सामान्य कार्य विधि से साध्य निए जाते हैं। प्रथम दृष्टि और कानून की नजरों में भी इसमें कोई ग्रापतिजनक बात नहीं है किन्तु इसमें साध्य की लम्बी प्रतिया के कारण मुकदमा लम्बा लिन्चता है। बन्धुआ मजदूर के हित में नहीं होता, क्योंकि अपनी गरीबी, निरक्षरता और पिछड़ेपन के कारण उसमें हृदयहीन कानूनी प्रतिया की बढ़िनाइयों को सहन करने की क्षमता नहीं होती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता, बेरोजगारी, भूमिहीनता को देखते हुए जितने बन्धुआ मजदूरों की पहचान की जानी चाहिए और जितनों की पहचान ही है, उसके बीच बड़ा अन्तर होने का कारण भी यही है। थम मन्त्रालय में उपलब्ध ग्रांकड़ों के अनुसार 30 जून, 1986 तक 11 राज्यों में दो लाख से अधिक बन्धुआ मजदूरों की पहचान हो चुकी थी किन्तु यह निश्चिन नहीं है कि इन सभी को मुक्ति दिया जा चुका है और सभी को ग्रीष्मारिक मुक्ति का प्रभाग प्रदाया जा चुका है या नहीं।

जरूरत है नई दृष्टि की

मेरे विचार में सही और अधिक व्यावहारिक दृष्टि यह होगी कि सम्बन्धित अभिकरणों से रिपोर्ट मिलने के बाद तुरन्त परीक्षण हो ताकि पहचान और मुक्ति नाय-साय हो सके। इन सभी संक्षिप्त परीक्षणों के द्वारा बन्धुआ मजदूर को मानिक से अलग रखा जाए ताकि मजदूर को विश्वास में लिया जा सके और वह चुलकर प्रपते वारे में बता मरे जिसके आधार पर सुनवाई करने वाला मजिस्ट्रेट यह निष्पर्य निकाल मरे कि वह बन्धुआ मजदूर है और वह उमे तुरन्त स्वतन्त्र कर सके। यद्गर मजिस्ट्रेट के ग्रादेश के बाद भी मानिक आनाकानी करे तो उसके सिलाफ बन्धुआ मजदूरी (उन्मूलन) अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जाए। इन नई कार्यविधि की सफलता इस दात पर निर्भर करती है कि सुनवाई करने वाले मजिस्ट्रेट में कितनी सूझ दूझ और सवेदनशीलता है तथा वह इस प्रणाली के मूल रूप को और इसके समर्थकों एवं विरोधियों को कहीं तक समझता है। इस तरह के

भाष्यिक अधिकारियों की कमी नहीं होगी (प्रधिनियम की धारा 21 के तहत राज्य गवर्नरों को कायपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करनी होती है), किन्तु यह जरूरी है कि विश्व घटानतों द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए जाएं ताकि परीक्षण सहित कानून के उपबन्धों का प्रयत्न बरंगान सामाजिक और भाष्यिक स्थिति के अनुरूप हो।

समर्पण की भावना आवश्यक

जिला सौर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट तथा उनकी अधीक्षता में काम बरने वाली सकृतता समितियाँ (अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत) बन्धुआ मजदूरी प्रथा की पहचान के लिए नीति के पत्थर हैं। इस सारे बाम की सफलता उनकी गूफ़ द्वारा और समर्पण की भावना पर निभर है। यदि वे सब्य समस्या के प्रति सबैदेनशील होते तो वे दूसरे लोगों वो भी सबैदेनशील बना सकते हैं। दुर्भाग्य से, कानून के इस महत्वपूर्ण उपबन्ध का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है। इसमें संदेह नहीं कि कुछ राज्यों ने राष्ट्रीय कानून बनाने के बाद सतर्कता समितियाँ बनाने की दिशा में काम किया है। ये समितियाँ (जिनका कार्यकाल एक साल से गडावर दो साल कर दिया गया है) अधिकारी राज्यों में निपटिय हो गई हैं। कुछ राज्यों ने सतर्कता समितियाँ बनाई ही नहीं, इस प्राधार पर कि उनके राज्य बन्धुआ मजदूर नहीं हैं। इस तरह का निष्कर्ष तभी निकला जाना चाहिए जबकि विद्या और सब डिविजन स्तर पर सतर्कता समितियाँ बने और उन्हे बाकी समय तक काम बरने वा मीठा मिले। कुछ राज्यों में समितियाँ तो बनी हैं, किन्तु उन्होंने इस बाम को बहुत प्राक्षिप्ति और हीन तरीके से लिया है और अभी तक कोई ठोक बाम नहीं किया है। इम तद्यवाद के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश जारी निए जाने चाहिए। विना और सब-डिविजन के स्तरों पर और उससे भी नीति के स्तर पर प्रशासन की सामिक श्रतिवद्वता और नेतृत्व से बहुत पच्चे परिणाम निकल सकते हैं।

स्वतन्त्र विए गए व्यक्तियों का पुनर्वास

पटन तम सौर प्रायमित्ता क्रम में इसके बाद माता है स्वतन्त्र विए गए बन्धुआ मजदूरों का पुनर्वास जो 14 जनवरी 1982 को घोषित थीत सूची बार्य-नम के सूत्र 6 के प्रत्यंगत माता है। बन्धुआ मजदूर की पहचान और मूल्ति का मतलब है उस मजदूर के निए प्राजादी भी नई जिन्दगी लेकिन उस प्राजादी के साथ असुरक्षा और मनिश्वित्वा की दुनिया भी जुड़ी है जिससा साधना वह मजदूर स्वयं नहीं कर सकता। युगमी और मुरदा (बाल्पनिक) की दुनिया और धाजादी तथा असुरक्षा भी दुनिया के बीच चुमाव करना पूर्णिम होता है। ऐसी स्थिति में स्वतन्त्र कराए गए मजदूर हो जोई सहारा नहीं मिलेगा तो वह बापत अपने मातिक के पास जाना चाहेगा।

पुनर्वास भोविक भी होता है और मनोवैज्ञानिक भी। भोविक पुनर्वास भाष्यिक होता है जबकि मनोवैज्ञानिक पुनर्वास बार-बार धार्तत करने की

प्रक्रिया से होता है। दोनों साथ साथ होने चाहिए। यनोरेज्ञानिक पुनर्वास के लिए पहली शर्त है कि मजदूर को पुराने माहोल से अलग किया जाए और ऐसे माहोल में रखा जाए जहाँ वह भूतपूर्व बन्धुप्रा मजदूर मालियों के हानिकारक प्रभाव से बचा रहे। अगर उन्हें बार-बार यह ग्राश्वामन नहीं दिया जाएगा कि अब उसके भाग्य का नियमन कर्ज नहीं करेगा तो उसके बापस बन्धुप्रा मजदूरी में जाने की सम्भावना बनी रहेगी।

पुनर्वास का स्वरूप

मून रूप से पुनर्वास के तीन चरण हैं। मुक्ति के बाद सबसे पहले तो उसके भौतिक निर्वाह की व्यवस्था करना जहरी है। उसे नया जीवन शुरू करने के लिए अल्पवालिक मदद दी जानी होगी जैसे मकान बनाने के लिए प्लाट और आयिक सहायता देना, खेतों के लिए जमीन, बैन, खेती के ग्रौजार तथा अन्य साधन जुटाना, लाभदायक रोजगार के अवसर जुटाना, और सरकार द्वारा स्वीकृत न्यूनतम मजदूरी नियमित रूप से दिलाने की व्यवस्था करना। अन मे दीर्घवाचीन उपाय किए जाने चाहिए जैसे भूमि का विकास (सिवाई की सुविधा महित), अल्पवालिक और ग्रध्यवालिक चरण की व्यवस्था करना, पशु-गालन और पशु-चिकित्सा की पूरी व्यवस्था करना जिसमे उन्दरक परिमतियों की बीमा भी शामिल है, द्रावसम के माध्यम से वर्तमान कौशलों के विकास तथा नए कौशलों को प्राप्त करने का प्रशिक्षण देना, छोटे हृषि-उत्पादों और नव-उत्पादों के लिए नाभकर बीमत की सुरक्षा प्रदान करना, ग्रोड सदस्यों की अनोपचारिक साक्षरता और बच्चों की शैक्षारिक साक्षरता की व्यवस्था करना, परिवार के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य चिकित्सा, रोग निरोध तथा पौष्टिक आहार का प्रबन्ध करना और अन्त में इन बन्धुप्रा मजदूरों के नागरिक अधिकारों की रक्षा करना जो अपने जन्म के बारगा सामाजिक भेदभाव के शिकार रहे थे।

यदि बन्धुप्रा मजदूरी की पहचान अस्तित्वहीन¹¹ की खोज है तो उनका पुनर्वास भरीरी के दलदल और आभव की गुलामी से उन्हें उत्तराना और उन्हें अस्तित्ववान मानव का दर्जा देना है ताकि वे मानव जाति की मुह्य धारा के साथ अपने को जोड़ सकें और मानव जीवन की गरिमा, सुन्दरता और उपादेयता का अनुभव प्राप्त कर सकें। प्रश्न है कि यह सब काम कैसे किए जाने चाहिए और कैसे किए जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में स्थायी पुनर्वास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सरकार और दूसरी एजेंसियों के बायंक्रम वहीं तक पर्याप्त तथा कारगार हैं?

कार्यक्रम कारगर हो

वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में इस महसूबपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम की गुणात्मक समीक्षा के लिए किए गए 11 (ग्यारह) राज्यों के दीरे में मुझे कुछ उत्साहजनक बातें भी दिवाई दी गीर कुछ निराशाजनक भी। पहले

की स्थीरिंग बमेटी इनकी जाँच करती है और इन्हे मजूरी देती है। इस प्रक्रिया को और विकेन्द्रित करने के लिए जिला स्तर के अधिकारियों को यह प्रधिकार सौन्धने पर विचार किया जा रहा है। पहले स्वीकृत राशि को कई किशोरों में दिया जाता था किन्तु अब एक ही किशत में सारी राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। मूल कराए गए प्रत्येक बन्धुआ मजदूर के लिए अनुदान की राशि वो 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,250 रुपये किया जा रहा है।

कमियाँ

ये सभी सकारात्मक और अभिनव परिवर्तन, कार्यक्रम के क्रियान्वयन में गुणात्मक परिवर्तन लाते हैं और कार्य-विधि को सरल बनाते हैं। किन्तु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि इनसे अभीष्ट परिणाम प्राप्त किए जा सके हैं। प्रतः मैं यहाँ कार्यक्रम के क्रियान्वयन से सम्बन्धित कुछ चिन्ताजनक पहलुओं की चर्चा करना चाहता हूँ।

समर्पण की कमी

पहली बात तो यह है कि इस कार्यक्रम को इसी मन्त्रालय / विभाग के अलग-अलग कार्यक्रम के रूप में लिया जाता है और इसके प्रति नैमिकति रखेंया अपनाया जाता है जबकि इसके प्रति सामाजिक प्रतिबद्धता वा रखेंया अपनाया जाना चाहिए जैसा कि राष्ट्रीय कार्यक्रम के प्रति अपनाया जाता है।

प्रतिकूल वातावरण

जिस वातावरण में इस कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाता है वह अनुकूल नहीं होता है। यह देखा गया है कि जो तत्व बन्धुआ मजदूर प्रवा का पोषण करते रहे हैं, वे ही गाँव के जीवन और उसकी प्रथे-व्यवस्था पर हावी हैं। स्वभावत वे उस व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए आसानी से तैयार नहीं होते जिसमें मूल किए गए बन्धुआ मजदूरों को बन्धुआ मजदूर मालिकों के समान दर्जा और स्वनन्द धार्यिक हैमियत मिलती है। वहूं सम्भव है कि जहाँ ये तत्व हावी हैं वहाँ पुनर्वास के कार्यक्रम सफल न हो अथवा प्रारम्भ में कुछ सफलता के बाद वेपटीय-टीय किस हो जाए।

लक्ष्य को पूरा करने में जल्दवाजी

राजस्व और विकास विभाग वे कर्मचारियों को घनेक कार्यक्रमों से लाद दिया गया है जैसे समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम, एन आर ई पी, आर एल ई पी पी, ट्राइलसम, भूमिहीनों को भूमि का वितरण, भूमि-सीमा वा प्रवर्तन, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के सामाजिक तथा धार्यिक विकास की योजनाएं आदि। इनमें से अधिकांश कार्यक्रम समयबद्ध हैं और तक्षण अभियुक्त हैं। इन कार्यक्रमों को समय पर पूरा करने के लिए इन अधिकारियों को बड़त बड़ी राशि सौंपी गई है। इन समयबद्ध कार्यक्रमों को पूरा करने वे उत्ताह में, अधिकारीगण मानवोचित सीमाओं के अन्दर जल्दवाजी में पुनर्वास की योजनाओं को

यहांते हैं। इस प्रकार लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की दृष्टिये, समग्राम तथा अहंकारी को ध्यान में नहीं रख पाते हैं। इस बारण साभान्वित होने वाले व्यक्ति उन्हें निए बनाए गए अनेक व्यापक सेवाएँ के प्रयोग के लिए गिनीजिग (परोक्षण जन्म) बन जाते हैं। इस तरह ये व्यापक उद्योग में मजदूर प्रभिमुक होने के लिये लक्ष्य अभिमुक बन जाते हैं।

असत्त्वोपजनक मूल ढाँचा

परिसम्पत्ति पर प्राधारित व्यापकों के गफल कार्यान्वयन के लिए हृषि, लिचाई, बन, मस्तक-पान, पश्चिमानन और पशु चिकित्सा विभागों के प्रधिकारियों ग पूर्ण प्रोत्साहन और सरकार नियन्त्रण बहुत जरूरी है। जिन्हे मस्तकालों और प्राधारणीयों की कमी, प्रावधान गद्या म प्रगतिशील व्यवस्थाएँ बनाना, औपचारिकों द्वारा की जानी, साभान्वित होने वाले व्यक्तियों को (जो अधिक वर घनजान और अनपढ़ होते हैं) अपनी परिसम्पत्तियों के उचित रख रखाव के योग्य बनाने के लिए संशोधित प्रयोगों के प्रभाव द्वारा बनाना स उन्हें उच्चे समय तक पश्चिमानन की सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है जिसका पारणाम होना है कि उत्तरादर्श परिसम्पत्तियों द्वारा बन जाती हैं।

विचोलियों वा जाल

पैकिंग, पुनर्जास के प्रयास बड़ी गफल नहीं हो सकत जहाँ मूल ढाँचे का असाव हो और यहुत स विचोलिए परभीवियों की तरह बास करके पुनर्जास के अधिकारीय साभा को अपने लिए बेस्ट सेट हैं। यह भी देखा गया है कि लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों के एक समूह को मिलने वाली महायना की अवैक इवाइमी जब ऐसी ही चिन्ह पर एकत्रित हो जाती हैं तो इन इवाइयों का प्रतियोगी स्वरूप निर्णय हो जाता है और निवेद वर होने वाली सामदानी घट जाती है। अस्तर इस बात की है कि आगे और चीर्छे की बढ़ियों का जोड़ते हुए तथा उपयोग मूल ढाँचे के स्वरूप जो देते हुए सावधानी और गूँझ बूझ के साथ योजना बनाई जाए।

बठिन सामाजिक बातावरण

स्वतन्त्र बराए गए अन्युपास मजदूर समाज में निम्नतम स्तर से धारत हैं और ये शत्यन्त्र निर्यन्त्र होते हैं। के स्वयं उग योजना का चुनाव नहीं कर सकते जो उनके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक रहती है। उनकी इस मध्यमता की अधिकारिक इस रखिये में होती है—“आप जो देना चाहें दें।” ऐसी स्थिति में पुनर्जास योजनाएँ बनाने वालों को चाहिए कि वे अपने को अन्युपास मजदूरी के स्वयं पर मानकर ऐसी योजनाएँ बनाएं जो उनकी स्थीरता हो तथा उनका ग्रन्ति अधिक हित गापने वालों हो। दुर्भाग्य से इस तरह का संत्र प्राप्त वास्तविकता से अधिक बहलना की चीज़ है।

दयनीय स्थिति

मुक्त बराए गए अन्युपास मजदूरों के सामाजिक और प्राचीन पुराकांस का आम विग बठिन सामाजिक बातावरण में हो रहा है। इससे दो उत्तरादर्श पाने दिए

जा रहे हैं। दोनों उदाहरण बन्धुमा मजदूर मालिकों की व्यवस्था पौर बानून के एक दशक बाद भी बन्धुमा मजदूरों की दय त्रिप्ति के सम्बन्ध में मेरे व्यक्तिगत मनुभव हैं।

मैं और अम मन्त्रालय ने मेरे एक नव्योगी दिसम्बर, 1982 ने विहार में डाल्टनगंज (पनामू ज़िला मुख्यालय) लौट रहे थे। हम मिरा गाँव (डाल्टनगंज से 19 किलोमीटर दूर) गए थे और वहाँ हमने अपनी आंगों से कुछ मुक्त फ़िल्में गए बन्धुमा मजदूरों की सामाजिक तथा आर्थिक दयनीय स्थिति को देखा था। मेरे मन में यह बाद अब भी ताजा है। मिरा ने मुक्त बन्धुमा मजदूरों के कुल 50 परिवार थे। 1975-76 में बन्धुमा मजदूरी में मुक्त होने के बाद उन्हें कुछ नैमें और वकरियाँ दी गई थीं। इन परिस्थितियों के दिए जाने के लगनग एक दशक बाद उन्हीं स्थिति या तो पहले जैसे ही थी या पहले से भी खराब थी। खेती के लिए उन्हें जो जमीन दी, गई थी वह छारी थी और वर्षा से उजाड़ पड़ी हुई थी। भूतपूर्व बन्धुमा मजदूर मालिक इन अभागे लोगों के विनाफ़ इस तरह एक-जुट थे कि उनका सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार ही कर दिया था। उनके बच्चे मुख्य बस्ती में बने स्कूल में नहीं जा सकते थे। उनके दोर निकटवर्ती जगल में चरने नहीं जा सकते थे क्योंकि उन्हें जमीदारों के घान के खेतों से होकर गुजरना पड़ता था। कुछ परिवारों से बातचीत के दौरान हमें एक ऐसा व्यक्ति मिला जो जूँपूर्द मालिकों की मार-पिटाई से बिल्कुल घपाहिज हो गया था। जब वह डाल्टनगंज के भस्पताल में गया तो उनका इलाज नहीं किया गया क्योंकि डॉक्टर की मांग वो वह पूरा नहीं कर सकता था। इस करण-कथा को सुनने के बाद हम डाल्टनगंज लौट रहे थे कि जैची जातियों के जमीदारों के एक दल ने हमारी गाड़ी बो रोका। हमारा परिचय प्राप्त करने के बाद वे हमसे बोले, “तो नाहिं, आप सुवह-सुदह ठण्ड और धूल में इन कम्बरत लोगों से मिलने के लिए इतनी दूर दिल्ली से चल कर क्यों आए? ये लोग पिछले जन्म से ही बन्धुमा ये और अब भी हैं। आपके सारे बानून और सह्याएँ इनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को नहीं बदल सकती हैं।”

दूसरा उदाहरण पटना के निकट पतुमा विकास खण्ड के दोर का है। हम कुछ मुक्त बन्धुमा मजदूरों को (जो खेत मजदूर भी थे) न्यूनतम मजदूरी न दिए जाने की जौच करने गए थे। जमीदार के साथ हमारी जो बातचीत हुई वह उनके प्रतिशियावादी रूपये की दिलाती थी। उन्होंने कहा, “उन्हें न्यूनतम मजदूरी मांगने का क्या हक है? उन्हें सरकार की तरफ से सहायता में विरनी ही चीजें मिली हुई हैं। अगर वे हमारे बन्धुमा न होते तो क्या ये चीजें उन्हें मिल सकती थीं? इन चीजों के लिए उन्हें हमारा अहमानमन्द होना चाहिए और न्यूनतम मजदूरी नहीं मांगनी चाहिए।”

सामूहिक विकास की आवश्यकता

ये तथ्य बताते हैं कि इलग-इलग व्यक्तियों के पुनर्वास की प्रवेशा सामूहिक पुनर्वास का रास्ता अधिक उपयोगी है। इलग-इलग व्यक्तियों के पुनर्वास में वही

इठिनाइयाँ हैं जो कि बन्धुगत मजदूर समाज के निम्न तरवरे से आते हैं और अपने अन्म तथा सामाजिक विषयों के बारण जीवन की वई गुविधाओं न के बचिन होते हैं। समाज के प्रभावी वा उनसे लियाजात तथा उनके परिवार के मददगार के लियाक जा सकते हैं उनका समाज के नहीं बर दात है। उनकी सामाजिक-धार्यावाचक विषयों के बारण उनसे अपने प्रविकारों की मांग बरते तथा विनास के नाभी का प्राप्त करने की शक्ति नहीं होती।

इसके लाभ

इसने विवरीत सामूहिक शिक्षा से वई लाया है। तर्केवदम् लाभान्वित होने वाले घनेव व्यक्तियों को शिक्षालत बरते और एक विश्व पर इन्डिया बरते से सामाजिक समाज की प्रवित्या आये बड़ेगो। दूसरे, घनेव एवेंशियों दे लायनों को एक जगह इन्हाँ बरते गुणात्मक और स्थायी पुनर्वास के समान उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरे, बड़े ऐमाने की विकायता और वैशानिक ग्रन्थ के कारण विवेश वा वेहार प्रतिक्रिया प्राप्त किया जा सकता है। और, वई विभाग और विभिन्न रणनीति विभाग में भाग ले सकते हैं तथा वैको व्यादि वा सहयोग भी प्राप्त किया जा सकता है।

भूमि पर प्राप्तारित, दरिसम्पत्ति पर प्राप्तारित और हुआर/बोजत पर प्राप्तारित सामूहिक प्रयास की सकृतता लिए रुद्र पूर्व गने जहरी है। वही पूर्व गत है लाभान्वित वित जाने वाले व्यक्तियों का चुनाव और उम जगह दा चुनाव जहरी उन्हें बसाया जाना है। दूसरी है सरकार मे विभिन्न विभागों का स्वचिद्र सहयोग। तृष्णि, रिचार्ड, पशु राजन, पशु विवित्या, वन, मत्स्य वालन विभागों का गहया सामूहिक पुनर्वास के प्रयास ही गफरता के लिए बटुत महत्वपूर्ण है। तीसरे, लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों ग जागरूकता ऐश बरना। और इस प्रयास म स्वेच्छा मे भाग लेने के लिए उन्हें तंयार बरना। भी जहरी है। और, इस सामूहिक प्रयास का वार्य वयन के लिए जो भी व्यग्रस्थान्व हो उसका रख्या इस वार्यकरने मे प्रति तथा सामान्यित होने वाले व्यक्तियों के प्रति सामारात्मक संवेदनशील और सामान्य हो। इस वार्यकरने से साथ तरा सामान्यित होने वाले सोगो के साथ उम व्यक्तसम्भालन वा लादाम्य स्थापित ही प्रोर वह उनके गुल दुन ए प्रोर सर्वाना प्रतीक्षण मे अपने को भागीदार समझे। प्रसन्नता भी बात है लिंग साम्प्रदेश, उडीगा फैरा, दर्वाजा जैसे राज्यों न (सीवित ऐमाने पर) इस सामूहिक वा समेकित विधि का मन्द्या प्रयास किया है। इसे भारत मे अपनाया जाना चाहिए।

लोकहित मे मुकदमे

घपनी वात समाज बरते से पहने मे सोरहिक के दादों दा नित बरता थाहा है लिंग स्वप्नसंदी गस्पाएं और सामाजिक वार्यान्वाँ उच्च सामाजर और उच्चतम व्यायामय मे से जाते हैं। मे बन्धुगत मजदूरों की पहचान, मुक्ति तथा पुनर्वासे हे इस मे

इन वादों के प्रभाव का भी सक्षेप में उल्लेख करना चाहता है। उन्हें ये मामले घटालतों में इसतिए से जाने पड़ते हैं कि कानून लागू करने वाले अधिकारण संबेदनशून्य और निष्प्रभावी होते हैं। इस प्रतिया में अन्याय और अत्याचार की हृदय बिदारक वहानियां सामने आती हैं। 1984 की याचिका संख्या 8143 (प्रसिद्ध एगियाड का मामला) और 1982 की याचिका संख्या 2135 (प्रसिद्ध फरीदाबाद पत्थर खदान का मामला) में घटालत के फैले सफल लाकहित वादों के इतिहास में मील के पत्थर हैं। किन्तु प्रश्न यह रह जाता है कि क्या बन्धुमा भर्तृरा वी पहचान, मुक्ति और पुनर्वास की समस्या का यह प्रनिम समाधान है?

ऐसी स्वयंसेवी सम्याएं और सामाजिक कायकर्ता दल बहुत कम हैं जो पूरे उत्तमाह और सकल्प के साथ उच्च न्यायालयों में इन मामलों को ले जा सकते हैं। बिन्दु साथ ही यह समस्या बहुत बड़ी है और यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि स्वयंसेवी सम्याएं और सामाजिक कायंवक्ताओं के दल सारे देश में सभी बन्धुमा मजदूरों तक पहुंच सकेंगे और उनके मामलों को उत्तमाह के साथ लट सकेंगे। घटालतों की भी अपनी सीमाएं हैं, जहाँ परम्परागत मामले बहुत बड़ी सम्या में विवाराधीन रहते हैं। भ्रतः इस समस्या का समाधान यह नहीं है कि बन्धुमा मजदूरों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए लोकहित वादों की संख्या बढ़े बल्कि इस वात में है कि कानून लागू करने वाले जड़तन्त्र को अधिक सक्रिय बनाया जाए जिसके लिए सही व्यक्तियों को सही जगह नियुक्त करना, उन्हें जमकर काम करने का अवसर देना और सोहेज्य के निर्मित समर्पित भावना से काम करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देना आवश्यक है। वर्तमात कानूनतन्त्र को अपनी सदृचित हृष्टि छोड़नी चाहिए और लोकहित के वादों को उठाने वाली सम्यादों को सद्वेष की नजर से नहीं देखना चाहिए, अपितु जीवन की आवश्यकताओं को स्वीकार करना चाहिए। लोकहित वादों से तभी अच्छे परिणाम निकल सकते हैं जब सदियों से अन्यायपूर्ण तथा वेळगाम समाज व्यवस्था के शिकार इन अभागे लोगों के प्रति हमारे रखें मैं मूलभूत बदलाव आएगा।"

बन्धुमा मजदूरों की अनुमानित संख्या

बन्धुक अधिक उन्मूलन सम्बद्धी कानूनों पर ऐसी उसह जारीन्द्रिय करते के लिए प्रयत्न चरण है—बन्धुमा अधिक दा पता लगाना। बन्धुमा मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम 1976 के प्राप्तधानों पर अमल करने वी जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेटों तथा उनके द्वारा निर्दिष्ट अधीक्ष्य अधिकारियों पर होती है। राज्य सरकारों से आप्त रिपोर्टों के अनुसार नवम्बर, 1985 तक 2,13,465 बन्धुमा मजदूरों का पता लगा लिया गया था। देश के विभिन्न राज्यों में बन्धुमा मजदूरों की कुल संख्या के अनुमानों में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। अनुमानों के प्रमुख स्रोत हैं—(1) गोदी जानित प्रतिष्ठान तथा राष्ट्रीय अम सम्पादन एवं (2) एन० एस० एस० औ० का सर्वेक्षण।

गोपी शान्ति प्रतिष्ठान (गोपी वीग फाउण्डेशन) ने (गई, 1978 से दिसंबर, 1978 तक) गन्धर्वा तथा फि 10 राज्यों में बग्गुआ मजदूरों की युक्ति तंत्रिका 26.17 लाख है। इस तंत्रिका में युक्ति तरकीबी लाभियाँ थीं। एवं, यह एस ओ ने 32वें दीरे ने तंत्रिका (जुलाई, 1977 से जून, 1978) में गन्धर्वा तथा तथा वर्षा वा फि 15 राज्यों में तेज़ों व्यक्तियों की युक्ति 3.45 लाख है। द्वितीय और, जैसा फि अधिक उल्लिखित है, नवम्बर, 1986 तक राज्य तरकारी ने जो वातिलिका 84 से यता तथा वर्षा वर्षा युक्ति 2,13,465 रही। इसी राज्यवार युक्ति नियमिति है—

गन्धर्वा मजदूरों की राज्यवार युक्ति

प्रथम	राज्य	30-11-86 तक	राज्यीय गन्धर्वा	गोपी शान्ति
		राज्य तरकारी	तंत्रिका गन्धर्वा	प्रतिष्ठान द्वारा द्वारा यता तथा वर्षा
1	2	3	4	5
1	झारखण्ड प्रदेश	24,788	7,300	3,25,000
2	बिहार	11,729	1,02,400	1,11,000
3	झारखण्ड	—	4,400	—
4	गुजरात	62	4,200	1,71,000
5	हरियाणा	295	12,900	—
6	हिमाचल प्रदेश	—	—	—
7	जम्मू-कश्मीर	—	900	—
8	इंडिया	62,689	14,100	1,93,000
9	मेरठ	823	400	—
10	मध्य प्रदेश	5,627	1,16,200	5,00,000
11	महाराष्ट्र	740	4,300	1,00,000
12	मणिपुर	—	—	—
13	मेघांशु	—	—	—
14	मालवासंक्षेप	—	—	—
15	उडीता	43,947	5,400	3,50,000
16	पंजाब	—	4,300	—
17	राजस्थान	6,890	2,400	67,000
18	तमिलनाडु	33,180	12,500	2,50,000
19	त्रिपुरा	—	—	—
20	उत्तर प्रदेश	22,695	31,700	5,50,000
21	पश्चिम बंगाल	—	21,600	—
22	गोपी वीग शान्ति प्रदेश	—	—	—
इति		213,465	3,45,000	26,17,000

इंग्लॅण्ड में मजदूरी का नियमन (Regulation of Wages in U. K.)

यद्यपि इंग्लॅण्ड में रोजगार की दशाएँ तथा शते विना सरकारी हस्तक्षेप के ऐच्छिक पचफैसले से सामूहिक सोडाकारी द्वारा तय की जाती है, किर भी सरकार ने कुछ व्यवसायों में यथवा उद्योगों में मजदूरी, छुटियो घाड़ का बानूनों नियमन किया है जहाँ विश्वासित अधिकारी नियोजन असंगठित हैं। इस प्रकार वे कानूनी नियमन के अन्तर्गत लगभग 32 मिरियन अधिक लोग हैं। इस शताब्दी के प्रारम्भ में विनियमन वेतन मण्डल (Wage Boards) विद्यमान थे। मजदूरी परिपद् प्रधिनियम, 1945 (Wages Councils Act of 1945) ने इन विद्यमान व्यापार मण्डलों (Trade Boards) को समाप्त इसके बदले वर्तन परिषदों (Wages Councils) को स्थापना की। इन वेतन परिषदों द्वारा काफी व्यापक अधिकार प्रदान किए गए। इन परिषदों द्वारा सामाजिक गारण्टीयुक्त मजदूरी तथा वर्तन सहित छुटिया देने का अधिकार है।

जिन मुख्य प्रधिनियमों द्वारा मजदूरी और कार्य के घटों वा कानूनन नियमन किया जाता है, उनमें है—मजदूरी परिपद् प्रधिनियम, 1945 से 1948 (Wages Councils Acts, 1945 to 1948), केटरिंग मजदूरी प्रधिनियम, 1943 (Catering Wages Act, 1943), हृषि मजदूरी प्रधिनियम, 1948 (Agricultural Wages Act of 1948) और हृषि मजदूरी (स्कॉटलैण्ड) प्रधिनियम, 1949 (Agricultural Scotland Act, 1949)।

व्यापार मजदूरी प्रधिनियम, 1909 और 1918 (Trade Boards Acts, 1909 & 1918) के अन्तर्गत व्यापार मण्डल (Trade Boards) स्थापित किए गए थे। मजदूरी परिपद् प्रधिनियम, 1945 (Wages Councils Act of 1945) के अन्तर्गत इन व्यापार-मण्डलों को समाप्त बरके मजदूरी परिपद् (Wages Councils) की स्थापना की गई। इन मजदूरी परिषदों में अधिकों व मालिकों के समान सह्या में प्रतिनिधि होते हैं तथा साथ ही तीन स्वतंत्र व्यक्ति, जिनमें से एक अध्यक्ष होते हैं। इन मजदूरी परिषदों को व्यापक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये परिषदें सम्बन्धित उद्योग में बानूनन न्यूनतम पारिश्रमिक (Statutory Minimum Remuneration) और छुटियाँ जो दी जाती हैं, वे सम्बन्ध में निर्धारण हतु पदने प्रस्ताव थम् एव राष्ट्रीय सेवा मन्त्री (Minister of Labour & National Service) को देती हैं। मन्त्री को यह अधिकार प्राप्त है कि मन्दूरी परिपद् द्वारा प्राप्त प्रस्तावों को भादेश देकर कानूनी रूप दे सकता है और मजदूरी वा नियमन कानून के अन्तर्गत या जाता है। इन आदेशों की पात्रता हतु मजदूरा निरीक्षकों (Wages Inspectors) की नियुक्ति मन्त्रालय के अन्तर्गत हो जाती है।

इसी तरह ही मजदूरी निर्धारण वो व्यवस्था हृषि एवं भोजनालयों में ही गई है। विसी भी सस्यान यथवा उद्योग में मजदूरी परिपद् की स्थापना बरते के पूर्व थम मन्त्री यह जीच करता है कि इस प्रकार के लाभ अधिकों व मालिकों वे जीच समझते से प्राप्त हो सकते हैं यथवा नहीं। यदि ये लाभ दोनों पक्षों के समझनों

ये समझौते के स्थापान पर प्राप्त नहीं होते हैं तो अग सभी मजदूरी परियदों की स्थापना कर देता है। अमेरिकातम इस प्रकार की जैविक स्वतन्त्र आपोग द्वारा न रखाता है जिसमें स्वतन्त्र व्यक्ति तथा जिम उच्चोग आपवा मस्थान हेतु मजदूरी परियदों की स्थापना करती है, उनको छोड़कर प्रध्य उद्योग के अधिक व नियोजिता गणठनों के प्रतिनिधियों को शामिल बिधा जाता है।

इलंगड की 1961 के घोषणागिरि सम्बन्धों पर प्रकाशित एक हस्त पुस्तिका (Hand Book) के पन्नुमार वट्टमत से अधिक जिनकी मस्था 3-4 मिलियन है, इन मजदूरी परियदों ने अन्तर्गत आते हैं। ये मजदूरी परियदे एक समझौता करवाने का कार्य करती हैं जिसमें स्वान्य गदस्य समझौताकारी (Conciliators) के हृष में बाम करते हैं। सबसे पहल मधी अधिक व आलिङ्गों के प्रतिनिधि समझौता करन का प्रयास करते हैं। स्वतन्त्र व्यक्ति इन परियदों म मत नहीं देते फिर भी समझौता वट्टमत से प्राप्त बिधा जाता है।

अमेरिका में मजदूरी का नियमन (Regulation of Wages In U. S. A.)

अमेरिका में अधिकों दो मुख्या हेतु समय-नमय पर थम बिधान द्वारा गए हैं क्योंकि अधिकों की पार्टिया हितति विषयकों की तुलना में खासान है। नियोजिता-अधिक ताम्ब-धों में एथमें बड़ी अपमानता हमें सरविन थम (Servile Labour) के विवाद में देखते को मिलती है। रोत्रामार का युग 1863 में दासता की समाप्ति से समाप्त हो गया। इससे बोई भी अक्ति थपने बजें के शारण जबरदस्ती कार्य के लिए नहीं रखा जा सकता। एव प्रवाह के थम में मानिक थोर नोहर (Master & Servant) वालों गम्भीर गमाल हो गया। एव थम में पैतृकवाद (Paternalism) पाया जाता है थोर विशेषकर थोर सू प्रोर कुपि अधिकों के हृष में देसने दो मिलता है। अमेरिका में मजदूरी आज सबसे महत्वांग मुरशित दायित्व माना जाता है। सन् 1849 में अधिकों की मजदूरी पर कुड़की साकार क्षण में जमा करने की प्रहृति दो समाप्त बर दिया गया।

ऐचिक रूप से अधिक द्वारा थपनी मजदूरी को न्यायालय को देने के लिए भी कई कार्यवाहियों करनी पड़ती है जैस लिवित में हो, परी थपना पत्ती से स्थीरति लो जाए थोर समझौते दो एक प्रति भी हो। अधिक के पर की जाह तथा थोत्रार न्यायालय द्वारा ज्यद नहीं दिए जा सकते। अधिकों द्वारा नियोजिता की सम्पत्ति तथा उसक प्राप्त की गम्भीर में मजदूरी प्राप्त की जासकती है। नियोजिता-कार्य में सभे अधिकों को मजदूरी म गिलत पर नियोजिता की सम्पत्ति पर थपना अधिकार कर सकते हैं।

मजदूरी ते सम्बन्धित बान्नन न केवल अमेरिका में स्थीर गतर पर ही है बल्कि अमेरिका के सभी राज्यों में विठ्ठमान है। नियोजिता के दिवालिया होने पर सबसे पहले सम्पत्ति में से मजदूरी कुराई जाएगी। सामान्य रूप से नियोजिता प्रों ने

थमिको की मजदूरी पर व्यधिक ध्यान दिया है और विधान सभाओं में भी समस्या, स्पान और मजदूरी मुगलान के तरीके आदि के नियमन में व्यधिक इच्छा ली है। कुछ राज्यों में मजदूरी का मुगलान कार्यकाल में ही करने पर जोर दिया जाता है। न्यूनतम मजदूरी, व्यधिकतम कार्य के घण्टे और थमिक

(Minimum Wages, Maximum Hours and Child Labour)

प्रमेरिका के थमिको की मजदूरी कब, वहाँ और कैसे दो जाए इस तक ही थम बानून सीमित नहीं रहे बल्कि इस बात को भी बानूनों में सम्मिलित किया गया कि बितनी मजदूरी इतने समय के लिए और किस प्रकार के थमिको को दी जाए। कुछ बायाँ में बाल थमिक व स्त्री थमिको वो लगाने पर प्रतिवन्ध लगा दिया है। प्रमेरिका में न्यूनतम मजदूरी, कार्य वे घण्टे तथा बाल थमिको की समाप्ति आदि पर विभिन्न प्रान्तों तथा म्यूनिसिपल सरकारों द्वारा व्याधादेश जारी किए गए हैं। प्रमुख सघीय विधान उचित थम प्रमाण व्यधिनियम, 1938 (Federal Fair Labour Standards Act, 1938) है जिसे हम मजदूरी और बायं के घण्टे का कानून (Wage of Hours Law) भी कह सकते हैं। इसकी बालत हीले सार्वजनिक प्रसविदा व्यधिनियम, 1936 (Walsh Healey Public Contracts Act, 1936) द्वारा सहायता दी जाती है। इसके अन्तर्गत सरकारों मजदूरी, बायं के घण्टे और कार्य की दशाओं का नियमन करने का व्यधिकार प्राप्त है। यह सरकारी ठेके के 10 हजार डॉलर या व्यधिक होने पर लागू होता है। बैकन-डेविस मजदूरी कानून, 1931 (Bacon-Davis Wage Law, 1931) के अन्तर्गत 2 हजार डॉलर से व्यधिक बैटेके निर्माण व्यवसा सार्वजनिक इमारतों की मरम्मत थादि जाने हैं। बठोर बायं बाले उद्योगों में स्त्री थमिको हेतु 8 घण्टे प्रतिदिन व 48 घण्टे प्रति सप्ताह व्यधिकतम सीमा रखी गई है। और कुछ मायु से नीचे बाले बच्चों हेतु व्यवसाय स्कूल जाना कर दिया है।

उचित थम प्रमाण व्यधिनियम, 1938 में निम्नलिखित प्रावधान रखे गए हैं—

1. कुछ व्यवसायों को छोड़कर इसमें अन्तर्राजीय व्यापार में लगे सभी थमिको को शामिल किया गया है।

2. व्यधिनियम का मूल उद्देश्य 40 सेन्ट प्रति घण्टा की न्यूनतम मजदूरी को निम्न प्रदान से सभी जगह लागू करना था—

(i) प्रथम वर्ष (1939) में प्रति घण्टा 25 सेन्ट कानून न्यूनतम मजदूरी करना।

(ii) ग्रामीण पांच वर्षों में (1945) प्रति घण्टा 40 सेन्ट कानून न्यूनतम मजदूरी करना।

(iii) इसके पश्चात् प्रति घण्टा 40 गेन्ट बालूतम न्यूनतम मजदूरी करना। न्यूनतम मजदूरी में इसके बारे मत्ता प्रयत्न किया गया। मन् 1949 म 75 गेन्ट, 1955 म 1 फॉनर, 1961 म 1 15 फॉनर, 1963 में 1·25 फॉनर और गन् 1967 में 1 75 फॉनर प्रति घण्टा न्यूनतम मजदूरी कर दी गई है।

3. इस प्रधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी दरों पर संधिकरण आवंटे थे 40 प्रति सप्ताह धोरे-धीरे प्राप्त किया जाए।

(i) प्रथम वर्ष 1939 म प्रधिकरण वार्षिक घण्टे 44

(ii) दूसरे वर्ष 1940 मे प्रधिकरण वार्षिक घण्टे 42

(iii) इसके पश्चात् प्रधिकरण वार्षिक घण्टे 40

(iv) वार्षिक के इन घण्टों से प्रधिकरण वार्षिक वर्षों पर नियमित दर में 1 गुना मजदूरी देनी होती।

4. इस प्रधिनियम के अन्तर्गत 16 वर्ष से कम उम्र वाले बाल अभिरुप साथे लेन पर प्रतिदृष्ट लगा किया तथा बड़ों द्वारा वाले उचित ऐसे यह उम्र 18 वर्ष से कम न हो।

प्रमेरिका म सामूहिक सोशलारी के अन्तर्गत प्रभावी मजदूरी दर विधानिक न्यूनतम मजदूरी (Statutory Minimum Wage) में व्यधित है। वही-वही यह न्यूनतम मजदूरी से दुगुनी है और इसमें नियोग सामग्री भी शामिल है। गामूहिक सोशलारी के अन्तर्गत शनिवार या रविवार को वार्षिक वर्षों पर न्यूनतम मजदूरी दर की दुगुनी दर दिलाई जाती है। इसके साथ ही मजदूरी महिने दो सप्ताह की वर्ष म पहुँची दी जाती है।

सामूहिक सोशलारी दिलेप स्व से बहुमत नियम के मिलान के अन्तर्गत अभिरुप मर्पों द्वारा उनके प्रतिनिधियों द्वारा मजदूरी वार्षिक धोर सोशलारी द्वारा दिलाई जाती है। अभिरुप की शिकायत पर अधिकार प्रतिवार दिया गए हैं।

प्रमेरिका म बाकी समय तक विचारपाठा पह नहीं रही कि मजदूरी धोर वार्षिक के घट्टों का नियमन करना व्यक्ति है वित्त प्रश्न पह रहा कि स्वायाधीन इन पर स्वीकृति देने पर्याय नहीं। बाकी समय तक प्रान्तीय व सघीय गठकार के स्वायाधीनों में इस प्रवार में बायों को प्रतिविधानिक पोषित किया गया।

इस सोशलारिक विधान के अन्तर्गत मजदूरी वार्षिक के घट्टे, स्वीकृत व यात्रा अभिरुप के वार्षिक धोर साड़ि पर प्रधिकरणमध्या धोर गम्भीर द्वारा नियमन किया जा सकता है और इसके स्वायाधीय पर हस्ताक्षेप नहीं करते। मन् 1936 में बोर्ड मी बहुव्यापी वकूफी नियमन बहुत कालानिक बोर्डिंग महीं किया गया है।

एस सघीय प्रवार की सरकार में यह समझा रही है कि मजदूरी नियमन का कोई बोनस होगा? यदि रोतगार स्थानीय है तो इसके लिए राजर सरकार उत्तरदायी है। राष्ट्रीय सरकार सधीय होती है। यहीं अनियमित नहीं होती है वही

न्यायालय निश्चय करता है और नियमन के नायंत्रों के महत्वपूर्ण निर्णय दृष्ट है। उदाहरणार्थ प्रथम सरीय धर्म कानून असांविधानिक घोषित कर दिया गया। इसका प्रधार यह या कि राजनीय कारखानों में कार्य बरने वाले अभियंकर स्वानीय विषय हैं जो कि राज्य सरकार का धोत्र है (हेमर बनाम डॉगेहार्ट केस में—In Hammer V/s Dangehart, U S 251, 1918)।

परिमितियों और परिवर्तनों के बारण ग्रन्तराजीय व्यापार वा विमार हुआ। मन् 1937 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय धर्म-सम्बन्ध माइल बनाम जोनस और लोफलिन स्टील कॉर्पोरेशन (National Labour Relations Board V/s Jones & Laughlin Steel Corporation) विकाद में यह निर्णय दिया कि निर्माणकारी अन्तर्राजीय व्यापार के अन्तर्गत आता है। यह निर्णय गत 150 वर्षों के दिए गए निर्णयों से गिर्कुल विपरीत हुआ।

उचित धर्म ग्रन्तियम और बाल्स होल सार्वजनिक प्रसविदा अधिनियम का जियान्वयन प्रशासकों के हाथ में है। ये प्रशासक अमेरिकी धर्म विभाग के मजदूरी और कार्य के घट्टे और सार्वजनिक प्रसविदा मण्डलों के विभागाध्यक्ष हैं। इनका कार्य अधिनियम की व्याख्या बरना, निरोक्षण और अनुपालन। तथा संशोधन आदि के लिए समृद्ध दो नीति सम्बन्धी मिफार्डेशन बरना है। ये अधिनियम 24 मिलियन अभियोगों पर लागू होते हैं। इनके द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कार्य के घट्टे और बाल अभियोगों पर रोक आदि का क्रियान्वयन किया जाता है।

मजदूरी, कार्य के घट्टे और सार्वजनिक प्रसविदा मण्डलों की रिपोर्ट 1959 (Report of the Wage of Hour of Public Contracts Divisions) से यह जात हुआ कि वई व्यक्ति द्वाटे बच्चों से कार्य लेने को यैर-कानूनी नहीं समझते थे। मन् 1959 में 10,242 द्वाटे बच्चों को असांविधानिक रूप से रोजगार में तथा रखा था।

माननीय दफ्टरकोर्ट से न्यूनतम मजदूरी, अधिनियम कार्य घट्टे और बालधर्म के नियमन से अमेरिका में बहुत से कम मजदूरी प्राप्त करने वाले अभियोगों को बहुत सहायता मिली है। बहुत से नियोक्ताओं ने अधिनियमों की अनुपालनां शुरू कर दी तथा निरोक्षण और क्रियान्वयन के द्वारा बहुत से नियोक्ताओं को इसके अन्तर्गत लाया गया है। इससे बहुत से अभियोगों की मजदूरी में वई सौ मिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है। यह पूर्ण रोजगार और उच्च जीवन स्तर के समय हुआ।

मजदूरी और रोजगार की जतों को निर्धारित बरने वा तरीका घटते उत्पादन व गिरती मजदूरी के रूप में व्यवहृत रहा है। मन् 1959 में इसाव हड्डाल (Steel Strike) वे बारण धर्म विवादों को अनिवार्य रूप से निवाने हेतु कई प्रस्ताव रखे गए।

भारत में श्रोदोपिक थमिकों की मजदूरी (Wages of Industrial Workers in India)

थमिक तथा उत्तरे परिवार के सदस्यों का जीवा स्तर मजदूरी पर विभिन्न पड़ता है। थमिक को दी जाने वाली मजदूरी में मूल मजदूरी, महंगाई भस्ता तथा अन्य भत्ते सम्मिलित किए जाने हैं। मजदूरी वह पूँजी है जिसके बारों प्रांत थम समस्याएँ चबूतर बाटती हैं। अधिकांश थम समस्याओं का मूल बाराण मजदूरी है। मजदूरी थमिक के जीवन स्तर, वार्षिकुलता व उत्पादन वा प्रबन्धित वर्तन याता भवत्तव्यपूर्ण तरह है। कीमत लाल म परिवर्तन होता क बारण निर्बहु लालत में भी कृदि हो जाती है और इसके परिणामस्वरूप मजदूरी म भी दृष्टि करने पड़ती है। शाही थम आयोग (Royal Commission on Labour) ने थम सांख्यिकी (Labour Statistics) मे सुधार देतु सिवारिश की थी लेकिन यातो य वायाम थमिकों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों म कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। किर भी थम मस्तान (Labour Bureau) द्वारा नमय-समय पर रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों म सर्वेषां किए जाते हैं और इनका प्रदान 'Indian Labour Journal' मे किया जाता है।

सर्वश्रेष्ठ मजदूरी मे गवर्निंग थमिकों का संघटण थम जचि समिति, 1944 (Labour Investigation Committee, 1944) द्वारा किया गया। श्रोदोपिक थमिकों द्वितीय वर्ष मे वाद मजदूरी गणना (Wage Census) की जाती है और इनके द्वारा थमिकों को दी जाने वाली मजदूरी, प्रेरणात्मक मुक्तान धारिये के सध्यमे मे मूण्डना एवं वित्र वी जाती है।

भारत मे मजदूरी की समस्या का महत्व (Importance of Wage Problem In India)

भारतीय थमिक शिक्षित, प्रशासी व रुक्षित हैं। वे अपने शिक्षारा तथा कर्तव्यों को भड़ी-भड़ि समझने मे प्राप्त थमर्प हैं। उनकी सामूहिक सोदाकारी शक्ति नियोक्ता की सुनना म बनती है। परिणामत थमिकों द्वारा थमिकों का शोषण किया जाता है और उनको बहुत कम मजदूरी दी जाती है यह मानवीय दृष्टिकोण से मजदूरी की समस्या का समाधान होना प्रावधक है। थमिकों को दी जाने वाली मजदूरी बहुत कम है, मजदूरी मुक्तान बरने का तरीका दोषपूर्ण है, मजदूरी की दरे भी बिन्द मिन्द पाई जाती है।

सरकारी दृष्टिकोण ने भी मजदूरी की समस्या का समाधान प्रावधक है। गान्धीजी द्वाय प्रदान इतना सरकार का दायित्व है यह थमिकों को उचित मजदूरी दिलाकर मजदूरी समस्या का समाधान किया जाए। मानिकों की दृष्टि भी मजदूरी की समस्या यहत्तव्यपूर्ण है यदोंकि यह उत्पादन कून्य वा नहत्तव्याने द्वा र है। श्रोदोपिक प्रशिक्षि के निए श्रोदोपिक शान्ति प्रावधक है और श्रोदोपिक शान्ति प्राप्त बरने के लिए थमिकों की मजदूरी मे मूण्डन धावधक है।

प्रचलित मजदूरी दरों का भी मजदूरी समस्या के अन्तर्गत अध्ययन किया जाता है। एक ही स्थान पर एक ही उद्योग की विभिन्न इकाइयों, विभिन्न उद्योगों में विभिन्न मजदूरी, समान कार्य में भी मिन्न-मिन्न मजदूरी प्रचलित है। अत मजदूरी के समानीकरण और प्रमाणीकरण (Equalisation & Standardisation of Wages) हेतु भी मजदूरी की समस्या का अध्ययन आवश्यक है। विश्व के सभी विस्तित देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय शम सगठन (I L O) द्वारा भी इस समस्या को महत्व दिया जाने लगा है। मजदूरी सभी पक्षों—शम, पूँजी समाज एव सरकार—परों प्रभावित बरती है अत इन सभी पक्षों द्वारा भी मजदूरी की समस्या का अध्ययन किया जाने लगा है।

ऐतिहासिक सिहावलोकन

सन् 1880 से 1938 के बीच मजदूरी की दरों में परिवर्तन का अनुमान Dr Kuczynski द्वारा दिए गए निम्न सूचकांकों से लगाया जा सकता है¹—

विभिन्न उद्योगों में मजदूरी (1900=100)

वर्ष	मूली वस्त्र	जूट	रेलवे	खान	घातु अमिक	निर्माण कार्य	बागान
1880-89	80	84	87	71	75	90	—
1890-99	90	87	95	81	89	89	100
1900-09	109	106	109	116	112	109	104
1910-19	142	128	139	176	138	133	122
1920-29	273	194	245	255	190	195	170
1930-39	242	148	286	191	171	160	121

उपरोक्त आँखों से स्पष्ट है कि 19वीं शताब्दी के अन्तिम दशकों में आँखोंगिक अमिकों की मजदूरी की दरों में स्थिरता रही है। बर्तमान शताब्दी के प्रथम दशक म सूती वस्त्र उद्योग व जूट उद्योग की दर अन्य उद्योगों में अमिकों की मजदूरी की दरों से बुद्ध अधिक थी।

दूसरे महायुद्ध के समाप्त होने पर थम की माँग में कमी आई, किन्तु बाद में आधिक पुनर्जागरण के कार्य हेतु उनकी माँग में वृद्धि हुई। मूल्य-स्तर में वृद्धि होने से अमिकों की माँग, वेतन, मजदूरी व महंगाई भत्ते में वृद्धि हुई। यद्यपि मालिकों ने इस बात का विरोध किया था लेकिन सरकार ने उद्योगपतियों को मजदूरी में वृद्धि करने के लिए नियंत्रण पर दिया। इसी वे परिणामस्वरूप सन् 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (Minimum Wages Act, 1948) पास किया गया।

विभिन्न उद्योगों में अमिकों की सौदाकारी शक्ति और विभिन्न न्यायालयों वे नियंत्रणों के परिणामस्वरूप उनकी मजदूरी में नियन्त्रण वृद्धि हुई लेकिन यह वृद्धि समान रूप से नहीं हुई। उदाहरणार्थ—मूली वस्त्र मिलों में 400 रु. मासिक से कम बमाने वाले अमिकों की आवासत वार्षिक आय सन् 1961 में 1722 रु. से

¹ Quoted in 'Our Economic Problems' by Wadia & Merchant, p. 458

बढ़कर सन् 1969 में 2694 रु हो गई। यह बढ़ि 1.5 गुनी थी। जून मित्री में यह 1113 रु से बढ़कर 2251 रु हो गई अर्थात् यह दुगुनी हो गई।

हमारे देश के विनियम राज्यों में 400 रु मासिक तरफ पाल वाला का रखाना अनियमित की ओर से वापिस आया विभिन्न है और वह असमान रूप से बढ़ती है। नियमित सारणी में हमारे देश में विभिन्न राज्यों तथा कांडासिन धारा में 1975 तरह 400 रुपये से बाहर आद्यावार बाट जल तथा 1976 और उसके बाद 1000 रु माद्यावार से बाहर पाले वाला रखाना मजदूरों की ओर से वापिस कराई गई है—

राखाना मजदूरों की विभिन्न विभिन्न राज्यों में

राज्य/कांडा सिन प्रेस	1975	1980	1981 ¹	1982
आंध्र प्रदेश	2824	5186	6095	6095
झारखण्ड	2627	4494	5899	3999
विहार	2158	5584	5760	5277
गुजरात	2749	8546	7447	7447
हरियाणा	3371	6401	7696	7544
दिल्ली सिन प्रेस	2745	4745	7022	7022
जम्मू और कश्मीर	2843	4069	5080	5157
कर्नाटक	2893	4903	7545	7545
पेरिश	2947	7146	6948	8192
मध्य प्रदेश	3942	7964	8295	8972
महाराष्ट्र	3459	7190	8762	8762
उडीसा	4194	6728	7497	8445
पंजाब	3089	5196	5645	5645
राजस्थान	3325	6698	7493	7493
तमिच्चनाडु	2543	6477	6845	7115
तिपुरा	2453	7937	7937	7937
उत्तर प्रदेश	3054	6376	6376	6376
पश्चिम बंगाल	3966	7977	8149	9208
झड़पाल और सिक्किम द्वीपसमूह	3300	4096	6270	6331
दिल्ली	3239	6228	6035	10106
गोप्ता अमल तथा दीव	3792	5211	11768	7222
पालियोरी	2615	8066	8694	5628
ताम्बूल भारत	3158	6097	7423	7711

1 अस्थायी

2 दिल्ली में देशी कालानामी उडोओ विवरों पाठ तथाक बराबर और नियमित दानि की दैर्घ्यी के काम करते रहे मजदूर शामिल नहीं हैं। इन्हें रक्त वित्तीय इनियिटिव है।

भारतीय कारखानों में श्रौद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी
 (Wages of Industrial Workers in Indian Factories)

श्रमिक की श्रोतुर प्रति व्यक्ति वार्षिक आय से सम्बन्धित आंकड़े मजदूरी मुगतान अधिनियम, 1936 (Payment of Wages Act, 1936) के अन्तर्गत मिलते हैं। बारखाना अधिनियम, 1948 की घारा 2 (M) के तहन आंकड़े एकत्रित करके अम स्पेशल बिसिला (Labour Bureau, Simla) द्वे भेजे जाते हैं और वहाँ इन आंकड़ों को Indian Labour Journal मे प्रकाशित किया जाता है। मजदूरी मुगतान अधिनियम 1936 के अन्तर्गत जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उनकी निम्नलिखित सीमाएँ हैं—

1 इस अधिनियम के अन्तर्गत 1,000 रु (नवम्बर, 1975 के सज्जोधन से पूर्व 400 रुपय) प्रतिमाह से कम पाने वाले श्रमिकों को सम्मिलित किया जाता है। सेवित ये श्रमिक बारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आन वाले श्रमिकों से निपट हैं।

2 मजदूरी की परिभावा भी दोनों अधिनियमों के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न है।

मजदूरी मुगतान अधिनियम, 1936 के अन्तर्गत आने वाले सभी बारखाने राज्य सरकारों का प्रावधानिक सूचनाएँ नहीं भेजते हैं। केवल रिपोर्ट करने वाली इकाइयों द्वारा ही सूचना मिलती है एवं आंकड़ों मे प्रतिवर्ष मिलता पाई जानी है।

1. सूती वस्त्र उद्योग—यह भारत का प्रमुख सेगमेंट उद्योग है। इसमें लगभग 10 लाख श्रमिक कार्य करते हैं। इस उद्योग के प्रमुख बेन्ड अहमदाबाद, बम्बई, शोलापुर, मद्रास, कानपुर और दिल्ली हैं। इस उद्योग के विकास के साइ-साय वाम करने वाले श्रमिकों की आय मे वृद्धि हुई है तथापि महाराष्ट्र के कारण वास्तविक आय मे विशेष सुधार नहीं हुआ है। अनेक उद्योगों वी तुलना मे इस उद्योग की श्रोतुर आय पर्याप्त ऊंची है। इस उद्योग मे कार्य करने वाले श्रमिकों की आय मे कोफी वृद्धि हुई है, लेकिन महाराष्ट्र मे वृद्धि होने से उनकी वास्तविक आय मे विशेष सुधार नहीं हुआ है। यह उद्योग साथित उद्योग है जो सन्तोषजनक मजदूरी स्तर पर सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। इस उद्योग के भावी विकास के लिए पर्याप्त सम्मानना एँ है।

2 जूट उद्योग—यह सबसे प्राचीन उद्योग है। मजदूरी मे सम्बन्धित सूचना नहीं मिल पाती क्योंकि एक तो उद्योग मे विभिन्न व्यवसाय है और प्रमाणीकरण की योजना का अभाव भी है। अम जीव समिति द्वारा मजदूरी गणना वा संबंधित किया गया था। इसके अनुसार मूल मजदूरी प. वराल म सदस्य अधिक है तथा विशुद्ध आमदनी कानपुर मे सबसे अधिक है। इस उद्योग मे लगभग 2 हजार श्रमिक काम कर रहे हैं। इस उद्योग मे सूती वस्त्र उद्योग की तुलना मे प्रारम्भ मे श्रौद्योगिक शांति रही है।

3 जन उद्योग—इस उद्योग को कई द्वादशीयों ने मजदूरी में दृष्टि दूर्दृष्टि है। महोराई भर्ते की दरों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्नताएँ पर्दै जाती हैं। सदसे ऊंची मजदूरी बढ़वाई म है।

4 चीनी उद्योग (Sugar Industry)—गारबुर व दरभगा की चीनी मिलों का छाड़कर चीनी उद्योग में मूल मजदूरी स्थिर रही है। उभी कारबाना में महोराई भर्ते की निर्बाह लगत के प्रमुख धनियूति इर दी है। इन्हें वे अमिकों वा गंगे वा उत्तरने तथा चीनी की लदान वरन के बायं में लगाया जाना है जिनको नियमित थमिकों की तुलना म 5 से 10 प्रतिशत कम मजदूरी दी जाती है।

5. बागान उद्योग (Plantations Industry)—चाय, बहरा और रुड वे बगीचों में बायं वरन वाले अमिक शढ़-हृषक हैं और इस उद्योग ने मजदूरी के मुगतात की पढ़ति कारबाना उद्योग में उपराष्ट्र पढ़ति में बहुत नियम है। अग्रम वे चाय बागानों में कार्यानुसार मनदूरी दी जाती है। अमिकों को दिए जाने वाला कायं वा प्रमाणीकरण नहीं दृष्टा है, लेकिन अधिकांश बागानों में अमिकों की मजदूरी समान है क्योंकि बागान मालिकों ने आपस में समझौता कर रखा है। दक्षिणी भारत के बागान उद्योग में समानानुसार एवं कार्यानुसार मजदूरी दी जाती है। चाय उद्योग में भारत में मजदूरी के चाय साध अन्य सुविधाएँ भी प्रदान की जाती हैं, जैसे—हरि हेतु भूमि, नि गुन्क ग्रावास, डॉक्टरी चिकित्सा, डैथन एवं चारे की सुविधाएँ, पहले साधान एवं वस्त्रों की सुविधाएँ।

6 लनिज उद्योग—इस उद्योग में मजदूरी और चाय के दोहों की ग्राफ्टि का मुख्य लोत मुख्य रातन निरीकार (Chief Inspector of Mines) की दिशेंग हैं। कोयसा लात बोनस योना, 1948 (Coal Mine Bonus Scheme 1948) के अन्तर्गत अन्ध प्रदेश, असम बिहार, मध्य प्रदेश, उडीगा, राजस्थान और पंजाब में कायं करने वाले अमिकों को जितदी मजदूरी 300 रुपये माह से रुप है, मूल बेतन का एक निहाई बोनस प्राप्त करने का अधिकार है।

7 परिवहन (Transport)—रेल वर्मचारिया को दिए जाने वाले पारिवहिक में बेतन, भत्ते, नि गुन्क यात्रा, भविष्य नियि ग्रन्तान, घरपान (Gratuity), पेन्शन लाभ और भवान जी दूरान सम्बन्धी रियापत्र जामिली की जाती हैं। घोमत वारिक चाय तृतीय और चतुर्थ खेलियों के कर्मचारियों की दण म पर्याप्त रुप से बढ़ गई।

मजदूरी की नवोनतम स्थिति (1985-86) पर सामूहिक दृष्टि

मजदूरी के सम्बन्ध में विभिन्न विद्याओं और विद्यार्थी वा उत्तरी पूर्व पृष्ठी म विद्यार्थी से किया जा चुका है और बहुत सी धन्य वाला पर विचार दणे याचारों मे किया जाएगा। इस सम्बन्ध में जो नवोनतम सेसाप्ट, विद्यास और निर्गंय है उन पर सामूहिक रूप से यही दृष्टि आवाज उपयोगी होगा। यह 'सामूहिक रूप' हमें यत्न-तत्त्व विदरी वालों की एक ही स्पस पर जानकारी दे सकेगी। नवोनतम रिपोर्ट पर

थम मन्त्रालय की 'वार्षिक रिपोर्ट 1985-86' में प्रस्तावनात्मक और सामान्य विवरण के रूप में निम्नानुसार प्रकाश डाला गया है—

भारत की थम नीति का परिन्वितियों को विशिष्ट आवश्यकताओं के सन्दर्भ में तथा योजनावधि प्राधिक विकास व सामाजिक न्याय की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास होता रहा। विशेषकर, स्वाधीनता के बाद देश के अभियों के बल्याएं के प्रति सरकार की दिलचस्पी इम तथ्य से स्पष्ट है कि समाज-सुरक्षा, सुरक्षा-कल्याण और अन्य मामलों में प्रत्येक विधायी अधिनियम वर्ष 1947 के बाद ही पारित किए गए अवका सुधारे गए। इस वर्ष के दौरान, चार केन्द्रीय अधिनियमों में सशोधन किया गया अर्थात् बोनस सदाय अधिनियम, 1965, बालक नियोजन अधिनियम, 1938, वन्धित थम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 और ठेका थम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970। उन प्रस्तावों को छोटकर जिनके लिए विधयक पहले ही सत्र में पेश किए जा चुके हैं, प्रत्येक अन्य विधायी प्रस्तावों पर अलग अलग अवस्थाओं में जाँच की जा रही है और वे विचाराधीन हैं।

भारत के प्रधान मन्त्री द्वारा 1982 में एक नए 20 सूची कार्यक्रम की घोषणा के कानूनरूप थम मन्त्रालय इस कार्यक्रम की दो मदो अवर्त् मद सत्या-5 और 6 के लिए उत्तरदायी है। मद सत्या 5 हृषि अभियों की न्यूनतम मजदूरी दरों की पुनरीक्षा करने तथा उन्हे प्रभावी ढग से लागू करने के बारे में है जबकि मद सत्या 6 का सम्बन्ध बन्धुआ अभियों के पुनर्वास से है। थम मन्त्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयास जारी रखे कि राज्य सरकारें/संघ-राज्य क्षेत्र प्रशासन कृषि अभियों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों में न केवल समय समय पर सशोधन करें परन्तु उन्हे उचित ढग से लागू भी करें। वास्तव में यह हृषि में न्यूनतम मजदूरी दरों के पुनरीक्षण तथा प्रवर्तन सम्बन्धी सूचना वो नियमित रूप से मानिटर करता रहता है। बैन्द्रीय सरकार ने चार राज्यों (अर्थात् मध्य प्रदेश, उडीसा, राजस्थान और मणिपुर) को सहायता प्रदान करने हेतु प्रायोगिक प्राधार पर केन्द्र द्वारा संचालित योजना भी मन्त्री दी है, ताकि वे हृषि में न्यूनतम मजदूरी दरों के कार्यन्वयन के लिए प्रवर्तन तन्त्र को सुहृद कर सकें। इस योजना में उन विकास ब्लॉकों में 200 प्रायोग थम निरीक्षकों की नियुक्ति की व्यवस्था है, जहाँ अनुसूचित जाति/अनुभूचित उनजाति अभियों की तादाद 70 प्रतिशत से अधिक है।

बन्धुआ अभियों के उचित और स्थायी पुनर्वास का प्रयास करते समय, थम मन्त्रालय ने युप उमुख हॉटिकोण को ध्यान में रखा है। इसके प्रतिरिक्त, भुक्त कराए गए बन्धुआ अभियों को केन्द्रीय दिन्दु (फोकन प्लाइट) माना गया है, और पुनर्वास योजना बनाने तथा उसे लागू करने के दौरान उसके अधिकारी, पतुभूत आवश्यकताओं, अभिरुचि और क्षेत्रों को ध्यान में रखा गया है। किर भी यह

एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य विभिन्न स्रोतों पर्याप्त आई, प्रारं डी पी एन प्रारं ई पी, टी प्रारं बाई एस ई एम, अनुसूचित जातियों के विकास के लिए विशिष्ट घटक (इमोनेट) ज्ञान, अनुसूचित जातियों के विकास के लिए विशिष्ट ऐन सहायता, जनजातीय उपर्याकान सशोधित क्षेत्र विकास योजना, विद्युत एवं परिपत्यक्त क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी योजना, प्रादि से माध्यनों का एकत्र (पूल) बरना है और सूखदूर्भ तथा कौशल के साथ उह एकीकृत करना है ताकि बहुतर प्रोर प्रच्छी बाट का पुनर्वास सुविधिचर हा सक।

बन्धुप्रा थमिको के पुनर्वासि मे राज्य सरकारो के प्रयासो दो अनुपूर्ति इसने दे लिए, अम मन्त्रालय न 1978-79 मे केन्द्र हारा सवालित योजना शुरू की, जिसके अन्तर्गत बन्धुप्रा थमिका के पुनर्वासि के लिए राज्य सरकारो को बराबर बराबर भनुदान (50 50) के प्राप्तार पर कल्पीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना म प्रत्येक बन्धुप्रा थमिकों पर थमिकतम 6250 00 रुपय तक दो वित्तीय सहायता को परिकल्पना की गई है, जिसमे 500 00 रुपये नकद तथा शेष राशि जिस के रूप मे दी जाती है। वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान, योजना प्रायोग ने सम्बन्धित राज्य सरकारो के साथ परामर्श बरके, घारह राज्यो के बारे म प्रारम्भ म 30 593 बन्धुप्रा थमिका का लक्ष्य निर्धारित दिया और इसके लिए 5 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधन किया। इस लक्ष्य के मुकाबले भ राज्य सरकारो ने घरेल, 1985 स दिसम्बर, 1985 को प्रधिक के दौरान 9,463 बन्धुप्रा थमिका के पुनर्वासि की सूचना दी है। बन्धुप्रा थमिको के पुनर्वासि दी गति को बढ़ाने के लिए पुनर्वासि योजनाओ को मन्त्रीय प्रदान करन तथा भनुदान राशि प्रदान करने की प्रतिया को 17 सितम्बर, 1985 से और सरल बना दिया गया है जिसके द्वारा राज्य सरकारो ने घन्तुमति दी गई है कि वे पुनर्वासि योजनाओ को स्वीकृति क प्राप्तार, जिन स्तर पर स्त्रीनिग समितियो गठित बरके जिला परिवारी बलवटरो (डिवीजनल आयुक्ता) का सीधे। इस प्रतिया से पहले, मन्त्री के अधिकार राज्य सरकारो क पास होते थे। यह भी प्रस्ताव है कि बन्धुप्रा थमिको का पता लगाने के लिए ईवेंडिक मण्डलो को सहायता भनुदान दी ध्यवस्था भरने हेतु एक योजना शुरू की जाए। धारणा यह है कि इस योजना को 'पीएस एशन कार इवल (इडिया)' (पी ई डी आई) के माध्यम से लागू दिया जाए जो एक व्यापत निकाय है तथा प्रायोग विकास मन्त्रालय के अधीन काम कर रहा है। वर्ष 1985-86 के दौरान इस योजना के लिए 10 00 लाख रुपये ही ध्यवस्था दी गई है।

धर्मगठित देश के धर्मिकों की पोर परंपराहृत परिवर्तन ध्यान दिया जा रहा है। सेहिन सरकार ने धर्मगठित देश के धर्मिकों की वास्तविक माय पोर कायं दशामो मे सुधार लाने की पोर से ध्यान हटाया नहीं है। परमगठित देश के धर्मिकों मे हिंतों की रक्षा करने मे यूनतय मजदूरी परिवर्तन, 1948, टेक्सा ध्या (विनियमन पोर उपायादन) परिवर्तन 1970, धातर्दिग्यव द्रवासी इमेंडार (रोबार का विनियमन पोर सेवा की तारे); परिवर्तन 1966, बीडी इमेंडार

कल्पाणि निधि प्रधिनियम, 1976, उत्तरप्रदेश प्रविनियम, 1983, आदि दस्तावेजों का मुख्य हाथ रहा है। इन वर्षों के दौरान, इन कानूनों को बेत्तर ढंग से लागू करने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। भवन और निर्माण उद्योग के अभिकों की काम करने की दशाघों को विनियमित करने के लिए विधान पेश करने पर विचार किया जा रहा है।

बाल अभिको और महिला अभिकों के कल्पाणि के सम्बंध में यह मच्चों पर व्यापक विचार-विमर्श हुगा। नवम्बर 1985 में हुए भारतीय धर्म नियमेन्ट ने नाना अभिक सम्बन्धी व्यापक विधान की मिफारिश की तत्त्वनाव जिसमें व्यवस्था में उनके रोजगार को प्रतिसिद्ध करने की व्यवस्था ही और जहाँ पहाँ प्रम्यव्यवस्था सामाजिक आदिक परिस्थितियों के कारण उन्हें नियोजित किया जाए वहाँ पर उनकी वाय दशाघों को विनियमित किया जाए। इस बात की आवश्यकता को बाल अभि सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने भी दोहराया तथा तदनुसार नए विधान की योग्यान्वयन पेश करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अम मन्त्रालय महिला अभिकों से सम्बन्धित अभि कानूनों का भी पुनरीक्षण कर रहा है, ताकि जहाँ वही आवश्यक हो, विशेष संशोधन किए जा सकें।

कारखाना सलाह सेवा और अभि विज्ञान केन्द्र महानिदेशालय तथा सान सुरक्षा महानिदेशालय का समठन श्रीदीगिक और खनन सुरक्षा पहलुओं पर ध्या दता है। अभि मन्त्रालय का सम्बन्ध पत्तना प्रीर योद्धियों में मान लाइन और उत्तराने तथा खानों में नियोजित अभिकों के लिए नीति बनाने और सुरक्षा उपायों को लागू करने हेतु दिशा-निर्देश निर्धारित करने से है। यह सुरक्षा पुरस्कारों को भी प्रदान करता है। 1985-86 के दौरान, सरकार ने श्रीदीगिक अभिकों की सुरक्षा तथा उनके स्वास्थ्य से सम्बन्धित मामलों के बारे में राज्य सरकारों और मध्य राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अभि सचिवों का विशेष सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन से हुए विचार-विमर्श के अनुसार, सरकार ने सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दुर्घटना कमी कार्रवाई योजना तंथार की जिसमें नियोजकों/अभिकों/ट्रेड यूनियनों और सरकारी विभागों, नियोग रूप से कारखाना निरीक्षणालयों के श्रीदीगिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्तरदायित्वों का उल्लेख किया गया था और 'स योजना को नियोजकों तथा अभिकों के केन्द्रीय समठनों, राज्य सरकारों, मध्य राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सनका कड़ाई में पालन करने के लिए भेजा गया था। गरकार ने सान सुरक्षा सम्बन्धी द्वारा सम्मेलन भी आयोजित किया जिसमें सान दुर्घटनाओं में कमी तथा अपेक्षित सुविधाओं की व्यवस्था करने सान सुरक्षा निरीक्षणालयों की सुदृढ़ करने हेतु उपायों के बारे में विशेष सिफारिजों की गई थी।

1985 में, सरकार ने 'प्रधान मन्त्री के अभि पुरस्कार' नामक एक योजना शुरू की जिसके अनुसार अभिकों को बायं निष्पादन के विद्यात रिकार्ड, अध्यधिक बायं निष्टा, उत्पादकता के क्षेत्र में विशेष योगदान, प्रमाणित नव परिवर्तन ताने

की घोषणाएँ मुख्य गुप्त और असाधारण साक्ष, विषय ईमानदारी ने घटनी दृश्यों करते हुए, आपके लोकत का योग्यत्व तथा गतिशील है, के मस्सान में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगे। बृंदा भिलाकर ऐसे इस पुरस्कार है जिताना घोरला ग्रन्ति वर्ष हवनन्तरता दिवस की 'पूर्व नवव्या पर की जाएगी। इनकी चार घोषणाएँ हाथी लंडे-थम रत्न', 'थम भूदग्न', 'थम वीर' और 'थम श्री' / 'रम देवी'। इन पुरस्कारों में थम रत्न के लिए एक लाख रुपय थम भूदग्न के लिए 50,000 रुपय, थम वीर के लिए 30,000 रुपय और थम श्री/थम देवी के लिए 20,000 रुपय का नकद पुरस्कार है तथा प्रधानमंत्री द्वारा हमनायारयुक्त 'साहाद' भी है। पुरस्कार जीतने वालों का चयन करते समय यह सुनिश्चित किया जाना है कि उमर्द भिलाको और घण्टा घमिकों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिले जिन्होंने प्रपत्रों दृश्यों करते समय महादार्यों योगदान किया है।

उपर्याप्त प्रतिनियम, 1983 जिसने 1922 में उत्तरप्रदेश अधिनियम का रद्द के लिया है, इस मन्त्रालय द्वारा आगू लिया जा रहा है। इस प्रतिनियम में जा 30 दिसंबर, 1983 को सालू दृष्टा और इसके अधीन घनांग गए नियमों में से भी जेलों के प्रजोनरण और ऐसे नियोजकों (भारतीय और विदेशी दोनों) को परमिट देने की प्रणाली की वरिकलता की गई है, जो सीधी भर्ती वरना चाहते हैं। इस मन्त्रालय का यह प्रयाप्त रहा है कि ऐसे उत्तरप्रदेशी घमिकों को अधिक गरकाण प्रदान किया जाए जो विदेशी में रोजगार प्रबन्धों का सामने उठाया जाता है। भर्ती के सम्बन्ध में घोरलगाकारी प्रदापों पर बातु जाने के लिए तथा अंतर्जट्टों प्रोटोकॉलों की दौहरी त्रिभवदारी की प्रणाली को प्रोत्तराद्वित बरते के लिए प्रतिनियम में पर्याप्त दण्डात्मक उपायों की व्यवस्था की गई है। रिद्युले प्रतुक्त को देखते हुए, इसे धारागत समझा गया और तदनुसार उत्तरप्रदेशीयों के लिए प्रतिवायं वीमा योनदा गुरु वरन तथा इस उद्देश्य के लिए प्रतिनियम में उचित हप से मशोपन करने वा नियुक्त किया गया। धारोच्य वर्ष के दौरान, उत्तरेश्वरीय उपतत्विय यह है कि भारत और कातार सरकारों के बीच द्विशोध बरार पर हस्ताक्षर किए गए। घमिकों का आपात रहत यान कुछ देशों पर्याप्त यूनाइटेड परव अमेरिका, जोड़ें और ईराक ने इसी प्रकार के करारा पर हस्ताक्षर करने में गहरी दिव्यस्त्री दिग्गज है। प्राय देशों में जनराति नियंत्रित ही सम्भालना या पत्र संग्रह और अधिनियम तथा नियमों के प्रबन्धन विदिष्ट विभिन्न उपचारों के कायांवयन पर नज़र रखने के लिए बैन्डीय सत्राहार गमिति वा गटन किया गया है।

मन्दूरी घोटों के गठन द्वारा मन्दूरी दो वा निर्वाचित के लेन म महादूर्गों प्रणति हुई। अन्याक्षरता (सेवानिवृत्त) भी एन माचावत ही अध्यक्षता में भ्रमिकों एवं कारों और गैर प्रदर्शन गमनाचार-पत्र कमंचारियों के लिए दो मन्दूर शोरं तथा अन्याक्षरता (सेवानिवृत्त) जे एन इच्छन की प्रध्यक्षता में भीकी उपोग के लिए

तीसरा मजदूरी बोडे जुनाई, 1985 में गठित किए गए थे। वीनी उच्चान दे मजदूरी बोडे ने अमिको बो अन्तरिम मजदूरी दर के सम्बन्ध में घरनी निकारिये पहले ही प्रस्तुत कर दी है। इस वर्ष के दौरान बोनस सदाय अधिकार्यम्, 1965 में दो बार सशोधन किया गया ताकि अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारी, जो प्रतिमास 2500 रुपये प्रतिमास तक बेनन/मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं, 1984 में किसी भी दिन से शुरू होने वाले सेवा वर्ष से बोनस की आदायगी के पात्र बन सकें, लेकिन शर्त यह हासी कि 1600 रु और 2500 रु प्रतिमाह के बीच मजदूरी/बेतन प्राप्त वरने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में बोनस की गणना इस प्रकार की जाएगी मानो उनकी मजदूरी/बेतन 1600 रु प्रति माह हो।

नमाज सुरक्षा एक ऐसा मन्य क्षेत्र है जहाँ मूल्य बायें यह रहा है कि इसकी योजनाओं तथा कानूनों के सीमा क्षेत्र को दटाया जाए और पहले से प्रदान वी गई सुविधाओं में आवश्यक सुधार भी किए जाएं। बैलेण्डर 1985 के दौरान, कर्मचारी राज्य बोमा योजना को सात ना आद्योगिक बैन्डो पर लागू किया गया और इसके अन्तर्गत आने वाले अतिरिक्त कर्मचारियों की सह्या लगभग 46 000 थी (बत्तमान बैन्डो में नए प्रवेश पाने वालों सहित)। इसी प्रवार, कर्मचारी भविष्य निधि योजना को सहभग 2200 नए प्रतिष्ठानों पर लागू किया गया जिनमें 2 लाख कर्मचारी शामिल थे (प्रबद्धवर, 1984 से सितम्बर, 1985 तक सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले बत्तमान प्रतिष्ठानों में नए सदस्यों नहिं)। इसके अतिरिक्त, इस योजना के अन्तर्गत आने के लिए मजदूरी सीमा को 1-9-1985 से 1600 रु. से बढ़ावर 2500 रु प्रतिमाह वर दिया गया है। भवत निर्माण प्रयोजन हेतु भविष्य निधि में घन निकालने वी सीमा बो 24 माह को मजदूरी से बढ़ावर 36 माह की मजदूरी कर दिया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने इस वर्ष के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा लानानुभोगियों के प्रयोग के लिए 450 पलगो वाले चार अस्पताल शुरू किए। कर्मचारी परिवार पेशन योजना के अन्तर्गत पेशन पाने वाले अब 1-4-1985 से 60 रु से 90 रु के बीच पेशन में अनुपूरक वृद्धि पाने के हकदार हैं।

बैन्डोय अनिक शिक्षा बोडे ने अमिकों को ट्रैट संघवाद वी तबनीको में प्रशिक्षण देने, जनतान्विक समाज में उनकी नूमिका और उनके दायित्वों तथा सामाज्य जन नेतृत्व बो प्रोत्साहन देने जैसे वार्यतम जारी रखे। इस वर्ष से कामकाजी बालबों और उनके माता-पिता की शिक्षा सम्बन्धी एक नई परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना के अन्तर्गत शिवावासी क्षेत्र के बाल अमिकों के लिए प्रथम पाठ्यक्रम 14-11-1985 को शुरू किया गया था। उच्चतम व्यायालय के निर्देश के अनुसार इस बोडे ने परीदावाद के निकट पत्त्वर खदानों के अमिको के लिए शैक्षणिक कम्पो का जनवरी, 1984 में आयोजन शुरू किया। 1985-86 के दौरान, इस श्रावंदन के अन्तर्गत कुच 558 अमिक प्रशिक्षित किए

गए। बोढ़ के विभिन्न पार्यंत्रमों में महिला अधिकों के भाग सेने की प्रौर विशेष ध्यान दिया गया। बोढ़ का कामकाज, गणठन तथा अधिक शिक्षा कार्यंत्रमों के प्रभाव का जायज़ा सेने की दृष्टि से 9-11 जुलाई, 1985 को 'प्रगति दशह में अविवादित शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय विचार गोपनी' का घायोजित किया गया।

देश में घोरोंगिक भव्यत्व स्थिति के बारे में गुरुता अम संकालन के अम सम्बन्ध मानोटरिंग यूनिट डारा नियमित रूप से मानोटर की जाती है। कुल मिनारेर घोरोंगिक भव्यत्व स्थिति में लाता गुप्तार दृष्टा। हठतारों तथा लाता-वनियों के दारण हाति हुई, अम दिनों की गत्ता में गिरावट पाई। यह गत्ता 1984 में 560.3 लात थी जो घटकर 1985 में (जनवरी से नवम्बर) 273। लाग हो गई। इसी तरह, इस यूनिट को गूचित दिए गए विवादों (हठतारों प्रौर लातावनियों) की सक्षमा में सेवी से कमी हुई। यह गत्ता 1984 में 2094 (1089 हठतारों प्रौर 405 लातावनियों) थी जो घटकर 1985 (जनवरी से नवम्बर) 1413(1062 हठतारों प्रौर 351 लातावनियों) हो गई। यह गत्तोंप्रौर की बात है कि बेन्द्रीय घोरोंगिक सम्बन्ध तत्त्व, भारतीय धारा नियम (वम्बई प्रौर पनमाह), बोधीन रिकाइनरीज लिमिटेड, हाव रिपार, टेलीफोन विभाग, दिलापा रिकाइनरीज, कुद्रेसुख प्राप्तरन प्रौर कम्पनी लिमिटेड, केन्द्रीय सोन निर्माण विभाग, मिनरल एक्स्प्रेस रेलवे वारपोरेशन लिमिटेड, नेशनल मिनरल इंडियन रेलवे वारपोरेशन घोर न्यू भगलौर पत्तन में विवादों का नियतरा करने तथा हठतारों को राखने में सफल रहा। विषयीय सलाहकार पट्टन को मुख्य परमें उद्देश्य से बहुविवरणीय समितियों का पुनर्गठन किया गया है प्रौर वर्ष के दौरान इनकी बैठकें घायोजित की गईं।

1985-86 की अन्य प्रमुख घटना अम मञ्ची की अधिकारा में नवम्बर, 1985 में भारतीय अम गम्मेजन के 28वें अधिकारण का आदोजन था। जिसे बुध भहवपूर्ण मरनों पर दिवार विमर्श विवा प्रौर इसने स्थायी अम समिति पों पुन शुरू परने की सिरारिंग की ताकि सम्बन्धित पक्षकारों के बीच लगातार बातचीत हो सके। यह धारा को जाती है कि इस पक्षति की अवधारणा से घोरोंगिक शान्ति प्रौर अर्थव्यवस्था में बहुमुखी विवाद हा तया युग शुरू होगा।"

जीवन स्तर का अर्थ

(Concept of Standard of Living)

जीवन स्तर का अर्थ

(Meaning of the Standard of Living)

जीवन स्तर का अर्थ है? इसको परिभाषा देना बहा बहित है। जीवन-स्तर का अर्थ किसे दूसरे अर्थ का से दूसरे बहा प्रौर एक देश से दूसरे देश में भिन्न-भिन्न पाया जाता है। हिमी अर्थकि के जीवन-स्तर को मापने का बहुत नित्यित प्रमाणन नहीं है। जब हम यह कहे कि 'म' देश में 'ब' देश से जीवन-स्तर

जैंचा है तो इनका पर्यंत यह है कि यह समस्त समाज का स्वर है जिसका निर्धारण उस देश को प्राकृतिक सम्पदा, जनसंख्या व उसकी दायरें कुशलता और भौगोलिक संगठन की व्यवस्था द्वारा होता है। जीवन-स्तर को परिभासित करने हेतु हमें ग्रनिवार्य सुविधाएँ एव विनासिताओं की वस्तुओं के उपयोग की व्यापार में रखना पड़ता है। जिस समाज प्रथवा देश में इनका उपभोग ग्रधिक किया जाता है वहाँ जीवन स्तर उच्च होता है। अत ऐसी भी समाज व्यववा व्यक्ति के जीवन स्तर के विचार को जानने के लिए उस व्यक्ति का समाज में स्थान, सामाजिक वातावरण, जलवाया आदि की व्यापार में रखना पड़ेगा।

जीवन स्तर दो प्रकार का हो सकता है—जैंचा और नीचा। जैंचा जीवन-स्तर वह है जिसने मनुष्य अपनी ग्रधिक से ग्रधिक आवश्यकताओं (ग्रनिवार्य सुविधाएँ और विनासिताएँ आदि) की सन्तुष्टि करता है—ग्रधोत् गच्छा भोजन, गच्छा मकान, गच्छे दस्त, बच्चों के लिए गच्छी शिक्षा की व्यवस्था, विकिसा वी व्यवस्था आदि। इसके विपरीत नीचा जीवन-स्तर वह जीवन-स्तर है जिसके अन्तर्गत मनुष्य अपनी सीमित आप से बहुत हो कम आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है।

जीवन-स्तर एक तुलनात्मक शब्द है। जब भी हम जीवन स्तर का ग्रध्ययन करते हैं तो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य, एक समाज से दूसरे समाज और एक देश से दूसरे देश के जीवन-स्तर का तुलनात्मक ग्रध्ययन करते हैं। भारतीय भौगोलिक अभिक का जीवन-स्तर कृपि अभिक से जैंचा है व्यववा नहीं, पह भी तुलनात्मक हृष में ही जीवन-स्तर का ग्रध्ययन होगा।

जीवन-स्तर के निर्धारक तत्त्व

(Determinants of Standard of Living)

किसी देश के समस्त व्यक्तियों का जीवन-स्तर समान नहीं होता। एक ही देश में विभिन्न व्यक्तियों, वर्गों, समाजों तथा स्थानों का जीवन-स्तर भिन्न भिन्न पाया जाता है। जीवन स्तर में समयानुसार परिवर्तन होना रहता है। तेजी में ऊँची भौगोलिक आप होने पर भी सोगो का जीवन-स्तर निम्न होता है क्योंकि ग्रनिवार्य वस्तुएँ भी आसानी से सुलभ नहीं हो पाती हैं। वर्तमान समय में भारत इसी दौर से गुजर रहा है। अत जीवन-स्तर का प्रभावित करने व्यववा निर्धारित करने वाले तत्त्व अनेक हैं जिन्हें भेटे तौर पर वातावरण व व्यानिगत तत्त्वों के हृष में विभाजित कर सकते हैं। वातावरण के अन्तर्गत समय, आप और दर्य वा शामिल किया जाता है।

1. भौगोलिक परिस्थितियाँ (Geographical Conditions)—जहाँ सर्दी ग्रधिक पड़ती है वहाँ के निवासियों वा जीवन-स्तर उस दूसरे देश के निवासियों के जीवन-स्तर से जहाँ गर्मी पड़ती है और सूर्ती वस्थ घारण किए जाते हैं, प्रवग होता है। भारत में गगा सिंधु के मैदान में रहने वाले लोगों का जीवन-स्तर देश के प्रम्य निवासियों से जैंचा पाया जाता है।

२. समय तत्व (Time Factor) — प्राचीन समय में धावध्यकर्ताएँ सीमित थीं लेकिन बन्दमान समय में विज्ञान दे देव में काफी उप्रति होने से अस्ती एवं जीवनोपयोगी बस्तुओं का निर्माण काफी होना लगा है। रेडियो, गैस का नूल्हा रेफीजरेशन आदि का उपयोग निरन्तर बढ़ रहा है। भारत की विभिन्न पचार्यीय योजनाओं का भी यही लक्ष्य रहा है कि धर्यकार्यक उपभोग के बस्तुओं का उत्पादन हो जिससे कि वहीं के लोगों का जीवन स्तर उन्नत हो सके।

३. सामाजिक रीति-रिवाज (Social Customs) — मनुष्य द्विस समाज के जन्म लेना है और रहता है, उप समाज के रीति-रिवाजों का उत्त पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थं भारत में अधिकौर जीवन की कमाई मृदु-भोज, दहेज, विवाह, दावत और धार्यक शान शोक्त पर ध्यय कर दी जानी है और विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत कम सीमा तक हो पाती है। अत जीवन-स्तर अधिकौर तिम्न पाया जाता है।

४. शिक्षा का विकास (Development of Education) — शिक्षा का प्रसार होने से ध्यय के विवर को समाप्त कर दिया जाता है तथा सीमित धाय को विवेकपूर्ण ढाग से ध्यय करके अधिकतम सन्तोष प्राप्त किया जाता है जिससे जीवन-स्तर ऊँचा उठता है।

५. धार्यक प्रभाव — भारतीय नागरिक सादा जीवन उच्च विकार' के पाधार पर जीवन अतीत बरता है लेकिन धार्यक प्रभाव से कई प्रवसरा पर प्रपनी धाय से अधिक ध्यय बर देता है जैसे यात्रा, नुकता प्रया आदि पर।

६. धाय तत्व (Income Factor) — जीवन-स्तर के निर्धारण में धाय तत्व भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इय शक्ति द्वारा उपभोग की मात्रा तथा किस्म प्रभावित होती है। यदि किसी धर्ति की धाय का स्तर ऊँचा है तो अन्य धायों समान रहने पर उसका जीवन स्तर ऊँचा होगा। इसके विपरीत उसका जीवन-स्तर नीचा होगा।

७. ध्यय करने का तरीका (Method of Spending) — प्रविवेकपूर्ण ढाग से ध्यय करने पर उच्च धाय वाले धर्ति को भी अधिक गन्तोष प्राप्त नहीं हो सकता जबकि दूसरी और उसमें कम धाय वाले धर्ति भी विवेकपूर्ण ध्यय करके अपने गन्तोष का प्रधिकार बर सकता है और इससे उसका जीवन-स्तर ऊँचा जा सकता है।

८. परिवहन के साधन (Means of Transport) — जीवन स्तर का वरिवहन के साधन भी प्रभावित होते हैं। जैसे-जैसे वरिवहन के साधनों का विकास होता है, तो यों का सम्पर्क घटूरी देखो से होता है। उसके उपयोग प्रदृष्टि बढ़ी है जिससे जीवन स्तर ऊँचा उठता है।

९. जीवन का हृष्टिकोण (Outlook of Life) — यदि एक देश धर्यक समाज के जीवन का हृष्टिकोण भीतिवादी है तो वही विभिन्न वस्तुओं का उपभोग

विया जाएगा और उनका जीवन स्तर उत्तम होगा। उदाहरणार्थं पश्चिमी राष्ट्रों के लोगों का इष्टिकोण 'खाएं, पीएं और मोज उडाएं' (Eat, drink and be merry) होने के कारण उनका जीवन-स्तर ऊँचा है तो भारत जैसे विकासशील देश में सादा जीवन व्यतीत करना जीवन स्तर को ऊँचा नहीं उठाता क्योंकि सीमित आवश्यकता की पूर्ति की जाती है।

10. स्वास्थ्य का प्रभाव—अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति अच्छा लोग सकता है और अच्छा पहन सकता है, लेकिन एक अस्वस्थ व्यक्ति अच्छा नहीं लोग सकता और नहीं अच्छा पहन सकता है। अत अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति उच्च जीवन-स्तर वाला तथा अस्वस्थ व्यक्ति निम्न जीवन-स्तर वाला होना है।

11. परिवार का आकार (Size of the Family)—एक बड़ा परिवार जिसमें परिवार के सदस्यों की महत्वा ग्रधिक होनी है अधिक उपभोग कर सकता और उसका जीवन स्तर नीचा होगा। दूसरी ओर छोटे परिवार के सदस्यों का उपभोग-स्तर अधिक ऊँचा होता है।

12. कीमतों और निर्वाह लागत (Prices and Cost of Living)—जीवन-स्तर पर कीमतों व निर्वाह लागत का भी प्रभाव पड़ता है। कीमतों में वृद्धि होने से निर्वाह लागत में वृद्धि होती है और वास्तविक मजदूरी में गिरावट आती है जिससे उपभोग कम होता है और फलस्वरूप जीवन-स्तर निम्न होता है। इसके बिपरीत कीमतों में गिरावट आने से निर्वाह लागत भी घटती है। वास्तविक मजदूरी बढ़ने से ग्रधिक उपभोग सम्भव होता है और जीवन स्तर ऊँचा होता है।

अत किसी भी देश के निवासियों अथवा किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के जीवन-स्तर की समस्या का अध्ययन करने के लिए हमें इन विभिन्न तत्त्वों को ध्यान में रखना चाहिए।

) जीवन-स्तर का माप

(Measurement of Standard of Living)

विसी भी देशवासिया, समाज, परिवार, वर्ग या व्यक्तियों का जीवन उत्तर उनके द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा व गुण पर निर्भर करता है। अत समाज के विसी वर्गों के जीवन स्तर वा माप करने के लिए आवश्यक ही मर्दी वर्ग जानना आवश्यक है। इसके लिए पारिवारिक बजट (Family Budget) तैयार करने पड़ते हैं। सभी व्यक्तियों के बजट तयार करना सम्भव नहीं है। पूर्ण सर्वेक्षण (Census Survey) वया प्रतिनिधि सर्वेक्षण (Sample Survey) के आधार पर परिवार बजट तयार किए जाते हैं। प्रतिनिधि सर्वेक्षण परिवार बजट के लिए ग्रधिक उपयुक्त होता है। इसके प्रत्यंगत दृष्टि प्रतिनिधि परिवारों का चूताव इया जाता है जिसमें सभी विशेषताओं वाले परिवार आने चाहिए। प्रतिनिधि परिवारों वा चयन सात्रधानी से करना चाहिए जिससे कि सभी परिवारों

ए प्रतिनिधित्व किया जा सके। इन बजटों के विलेपण के आधार पर यह निकल पड़ निवासा जा सकता है कि अमुक परिवारों या वर्ग वाले पुरिवार हारा अनिवार्य प्रारामदायक तथा विलासिता की दस्तुओं की मात्रा तथा गुण का वित्त अनुपात में उपभोग किया गया है। इसी आधार पर यह पता सगमया जा सकता है कि किस वर्ग या समाज का जीवन-स्तर दूसरे वर्ग या समाज से ऊँचा है प्रबन्धनीय।

हमारे देश में अमज्जीवियों के जीवन-स्तर का अनुमान लगाने के लिए इस रीति को अपनाया जा सकता है। किसी भी समाज या देश के निवासियों वा जीवन-स्तर समाज नहीं रहता। प्रलग-प्रशंसन धार्य वाले लोगों वा जीवन स्तर प्रशंसन-धार्य होता है। कुछ धर्मिक प्रधिक खर्च करते हैं तो धन्य कम खर्च करते हैं। कुछ प्रनिवार्य प्रावश्यकताओं पर धर्मिक ध्यय करते हैं तो दूसरे प्रारामदायक धीरे धन्य प्रावश्यकताओं पर प्रधिक ध्यय करते हैं। इन भिन्नताओं के बारण विभिन्न वर्गों के जीवन-स्तर में भी भिन्नताएँ पाई जाती हैं। सन् 1921-22 में अम्बर्हाड़ में श्रीदोगिक धर्मिकों के परिवार बजट के सम्बन्ध में जीवन की गई थी, लेकिन विस्तृत जीवन भारत सरकार द्वारा निवार्दि लागत सूचकांक तैयार करने हेतु सन् 1943-45 में परिवार बजट जीविं (Family Budget Enquiries) द्वारा की गई। इसमें 28 के-ट्रो के 27,000 परिवार बजटों के सम्बन्ध में अनुसारधान किया गया था।

इसी प्रकार की जीवन सन् 1947 में घसम, बगाल और दक्षिणी भारत के कुछ छुने हुए बागानों के सम्बन्ध में की गई। सन् 1945 में भारत सरकार द्वारा धार्यिक सलाहकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के मध्यम थेणी के वर्षचारियों के निर्वाह लागत सूचकांक तैयार करने हेतु परिवार बजट जीवन का काय दिया गया। भारतीय शास्त्रियकी संस्थान, अम्बर्ह (Indian Statistical Institute) द्वारा भी अम्बर्ह के मध्यम वर्ग परिवारों के सम्बन्ध में स्वारूप एवं यूरार संकेतण दिया गया। ग्रन्तीतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के विधानपत्र के लिए राज्य सरकारों एवं अम संस्थान, सिमला (Labour Bureau, Simla) द्वारा महत्वपूर्ण श्रीदोगिक बै-ट्रो एवं परिवारों की परिवार बजट जीवन की गई। इस प्रकार वी जीवन सन् 1946 व 1950 में अम संस्थान द्वारा बागानों के सम्बन्ध में की गई। सन् 1950 में डॉ अग्निहोत्री (Dr Agnihotri) द्वारा बानपुर में 900 धर्मिकों के परिवारों के सम्बन्ध में जीवन की गई। सन् 1958 में अम संस्थान द्वारा 50 छुने हुए के-ट्रो पर जीवनान्वय, बानों व बागानों से लगे धर्मिकों के सम्बन्ध में परिवार जीवन संकेतण (Family Living Survey) दिए गए। यह धर्मिकों के उपभोक्ता गूचहार दिए हेतु दिया गया।

हाल ही में वर्षों में देश से विभिन्न राज्यों में परिवार बजट जीवन का विवरण गुण दिया गया। जहाँ तक वृत्ति धर्मिकों का सम्बन्ध है सन् 1950-51 व 1956-57 में हृषि धर्मिक जीवन (Agricultural Labour Enquiries) की गई थी तिनमें हृषि धर्मिकों की धार्यिक हिति का पता लगता है।

सबोंहण एव जांचो से हमें श्रोतोगिक श्रमिकों के जीवन स्तर के सम्बन्ध में विस्तृत ध्याकडे प्राप्त होते हैं। कार्य की दशाएं, मजदूरी आदि में एक स्पान से दूसरे स्पान, एक उद्योग से दूसरे उद्योग में नियन्ता होने के बारण भारतीय श्रमिकों के सामान्य स्तर प्रीत निर्वाह सागर स्तर को जानना सम्भव नहीं है। परिवार बजट तंयार करना भी एक साधारण कार्य नहीं है। परिवारिक बजट तंयार करते समय यह ध्यान में रखना होगा कि परिवारों के सदस्यों की सत्या इतनी है? जितने सदस्य कमाने वाले पर निर्भर हैं आदि।

परिवार के व्यय वी विनियन मदो जैसे—खाचान, वस्त्र, आदास, ईघन एवं विजली, अन्य मदें आदि के सम्बन्ध में ध्याकडे एकत्रित करने पड़ेगे। भलग-भलग श्रमिक वर्गों गी आय में नियन्ता होने के बारण आय का व्यय किया जाने वाला भाग भी भिन्न-भिन्न होता है।

भारतीय श्रमिकों का जीवन-स्तर (Standard of Living of Indian Workers)

भारतीय श्रमिकों के जीवन-स्तर को जानने के लिए हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर निष्पर्य निकालना होगा कि जीवन-स्तर नीचा है अथवा ऊँचा है—

1. आय (Income)—प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जीवन-स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है। सन् 1961 म 400 रु. मासिक से कम आय वाले श्रमिकों की प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय 1540 रु. धी जो कि सन् 1969 में बढ़कर 2564 रु हो गई। यह वृद्धि विश्व के विकसित देशों की तुलना में कम है। वे अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं अत उनका जीवन-स्तर निम्न है। इसी अवधि में (1961-69) मौद्रिक आय का सूचकांक ($1961 = 100$) 100 से बढ़कर 166 हो गया लेकिन वास्तविक आय सूचकांक 95 से घटकर 94 रह गया।

अम सस्यान (Labour Bureau) द्वारा अविल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तंयार किया गया। योजनाकाल में मूल्य निरन्तर बढ़े हैं। बोमर मूल्यकांक सन् 1961 में 126 से बढ़कर सन् 1970 में 224 हो गया ($1949 = 100$)। अत मूल्य वृद्धि से अधिकों वा जीवन स्तर गिरा है।

2. राष्ट्रीय आय का वितरण (Distribution of National Income)—भारतीय श्रमिकों की औसत वार्षिक आय 1500 रु से भी कम है। इतनी कम आय में अधिक अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्य रहता है अत जीवन-स्तर निम्न पाया जाता है।

3. आय (Age)—ऊँचे जीवन-स्तर से दोष आय होती है तथा निम्न जीवन-स्तर से दोष आय होती है। परिवर्ती राष्ट्रो—इलेंड में पुरुष व स्त्री दी क्रमशः औसत आय 76 व 71 वर्ष है जबकि भारत में यह क्रमशः 40 व 38 वर्ष ही है।

4. कार्यकुशलता (Efficiency)—ऊंचा जीवन-स्तर होने में श्रमिक द्वीपांशमता भी ग्राहित होती है जबकि निम्न जीवन स्तर वाला श्रमिक दम कार्यकुशल होता है। प्रो. रेंडर्ट एं अनुसार अग्रेज अमिक भारतीय अमिक की दरपाना 4 गुना अधिक कार्यकुशल है।

5. आपारमूल वस्तुओं की प्राप्ति (Availability of Necessary Goods)—गुणात्मक दृष्टि से भारतीय अमिकों को भोजन प्राप्त नहीं होता। भारतीय अमिकों के उपभोग्य पदार्थों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय अमन-गठन (I.L.O.) बहु उदाहार जीव सनिनि तथा डॉ. राधाकृष्णन मुख्य वाद द्वारा प्रध्ययन दिया गया है। इनके अध्ययन के प्राधार यह यह निष्ठावं निराला गया है कि हमारे देश में केवल 39% लोगों को पूर्ण भोजन मिलता है और ऐप व्यक्ति मुख्यमरी में रहते हैं। एपड़ा भी हमारे देश में ग्रीष्मत उपभोग 10 मीटर होता है जबकि अमेरिका में यह 65 मीटर है। आवास वी स्थिति भी दृष्टीय है।

6. परिवार बजट (Family Budget)—श्रीयोगिक अमिकों के सम्बन्ध में समय गमय पर परिवार बजट तैयार किए गए हैं। उनमें प्राघार पर भी निष्ठावं निराले जा सकते हैं। अमिकों की आय वा 60 से 70% भाग भोजन पर ही बर्य हो जाता है। भोजन की मात्रा व गुण भी दम होते हैं। पढ़ों पर उने 14% तक मकान पर 4 से 6% इंपन व प्रकाश पर 5 से 7% ब्यय किया जाता है। अमिकों के पास शिक्षा, चिकित्सा व मनोरोगन के लिए युद्ध भी नहीं बचता। इसमें अमिक या जीवन स्तर निम्न नाय है।

भारतीय अमिकों के निम्न जीवन-स्तर के कारण (Causes of Low Standard of Living of Indian Labour)

भारतीय अमिक के जीवन-स्तर के निम्न होने के निम्नलिखित कारण हैं—

1. निम्न आय और ऊंची निवाह सांगत (Low Income & High Cost of Living)—भारतीय अमिकों की आय अधिक मजदूरी इतनी कम है कि यह अपनी प्रतिवार्ष आवश्यकताओं से भी पूरा नहीं कर पाते। इसरे महानुद्ध नवा इसके पश्चात् मजदूरी में कुछ गुणार हृषा तिन्हु बीमतों में वृद्धि होते से निवाह सांगत में वृद्धि होते हैं कास्तिक आय दम हो गई। थी गी हो। देशपुण ने सन् 1947 में कहा था कि भारत मजदूरी बीमत वृद्धि से पीड़ित है। अमिकों को दी जाने वाली अधिक मजदूरी अधिक निवाह सांगत द्वारा आय कर दी जाती है। एशिया के विभिन्न देशों में निवाह सांगत में असामान्य गतिशील में वृद्धि है जबकि यूरोपीय देशों में इतनी वृद्धि नहीं हुई है। यह पांगे से ही वृद्धि सामिकाओं से देता जा सकता है।¹

1. Tilak, I. R. K. A Survey of Labour in India, p. 21.

निर्वाह लागत सूचकांक (प्राधार वर्ष 1937=100)

वर्ष	इंग्लैण्ड	यमेरिका	इनाडा	भारत
1939	103	97	100	100
1945	132	125	118	222
1948	108	167	153	286
1949	111	165	159	290

सन् 1959 में ओसत सूचकांक (प्राधार वर्ष 1955=100)

देश	योर्क मूल्य	निर्वाह लागत
भारत	126	128
इनाडा	105	106
यिस	117	106
आयान	101	104
नीदरलैण्ड	104	111
स्वीडन	105	114
विट्जरलैण्ड	100	103
इटलैण्ड	109	112
यमेरिका	107	109

भारतीय श्रमिकों की वास्तविक आय और निर्वाह लागत सूचकांकों की तुलना से यह पता चलता है कि उनका जीवन-स्तर गिरा है। महांगई भर्ते में जितनी वृद्धि की गई है उससे ज्यादा सामान्य कीमत स्तर और निर्वाह लागत में वृद्धि हुई है। सामान्य कीमत स्तर और निर्वाह लागत वृद्धि का जीवन-स्तर पर प्रभाव पड़ता है।

2 जलवायु (Climate)—गर्म देशों में लोगों का जीवन-स्तर नीचा होता है क्योंकि उनको अधिक बष्टे महीने पहनने पड़ते और न ही बड़े मकानों की जहरत पड़ती है जबकि ठण्डे देशों में गर्म बष्टे महीने पहनने पड़ते हैं और बड़े मकानों की आवश्यकता होती है।

3 प्रशिक्षा एवं रुद्धिवादिता—भारतीय श्रमिक प्रशिक्षित होने के कारण वे भाग्यवादी हैं। उनमें प्रगति की भावना नहीं होती है। वे मैहनती नहीं हैं तथा विभिन्न रुद्धियों से ग्रस्त हैं। यगोज, भूकलावा, भूत्यु भोज, विवाह प्रादि पर किञ्चित खर्च होता है ग्रन्त उनका जीवन-स्तर निम्न पाया जाता है।

4 निम्न कार्यकुशलता (Low Efficiency)—श्रमिक की कार्यकुशलता अधिक होने पर उत्पादन अधिक होता है। अधिक उत्पादन से ऊँची मजदूरी मिलती है और उससे जीवन-स्तर भी उन्नत होता है। लेकिन भारतीय श्रमिक की कार्यकुशलता कम होने से मजदूरी कम मिलती और कम मजदूरी से जीवन स्तर भी निम्न होता है। सर वलीमेट सिप्पसन के इन्हुसार लंबाशायर वा एक श्रमिक ग्रप्पने जैसे 2-67 भारतीय श्रमिक के बराबर कार्य करता है।

5. असंतुलित भोजन (Unbalanced Diet)— अधिक का रक्षास्थल व कार्यक्षमता उत्तरे द्वारा लाई गई सुरक्षा पर नियंत्रण करते हैं। जब अधिक की प्रतिवार्षीय प्राप्ति बढ़ावहारे पूरी नहीं हो पाती है तो इससे शोषणित अवृगतता, अनुपस्थिति, प्रवास, दुर्घटनाएं पादि बुराई उत्पन्न होती हैं और इसके परिणामस्वरूप उसका जीवन-स्तर नीचा होता है। परीक्षण भोजन नहीं किए पाना है और जो भाजन पिनता है वह भी संतुलित नहीं होता है।

6. जनाधिक्षय (Over Population)— हमारे देश की जनसंख्या 25% प्रतिवर्ष का दर से बढ़ रही है। अधिक जनसंख्या होने से कुन राष्ट्रीय उत्पत्ति में से प्रति अधिक प्राप्त कम प्राप्त होती है। इससे जीवन-स्तर नियन्त्रण पाया जाता है।

7. खराय साधारण योजना (Bad Housing Scheme)— भारतीय शोषणित नगरों में जनसंख्या का भार प्रधिक है। वही प्राकृति की समुचित अवस्था नहीं है। एक ही वर्षे में बड़ी अधिक रहते हैं। परिवार साथ नहीं रख पाते हैं। इससे अधिकों ने इसस्थल पर सारांश प्रभाव पड़ता है तथा वे अच्छा जीवन-स्तर बनाए रखने में असमर्थ होते हैं।

8. यन का असमान वितरण (Unequal Distribution of Wealth)— हमारे देश की राष्ट्रीय प्राप्ति जनसंख्या की तुलना में कम है। इससे प्रति अधिक प्राप्त कम होती है तथा पापि व धन का वितरण भी असमान होने से धनी अधिक धनी और नियंत्रण अधिक नियन्त्रण होते जा रहे हैं। इससे जीवन स्तर मिम्न पाया जाता है।

जीवन-स्तर ऊँचा करने के उपाय

(Measures to Raise the Standard of Living)

भारतीय अधिकों दे जीवन-स्तर को उत्तर दरने के लिए नियमानुसार गुभाव दिए जा सकते हैं—

1. प्राप्ति में वृद्धि (Increase in Income)— जीवन-स्तर पर प्राप्ति का गहरा प्रभाव पड़ता है। अधिकों की प्राप्ति बढ़ने पर उनका जीवन-स्तर भी बढ़ता है। अधिकों की मजदूरी ही समत्त अम समस्याओं का बेन्फिट विनियुक्त है। राष्ट्रीय प्राप्ति में वृद्धि के साथ-साथ अधिकों की प्राप्ति (मजदूरी) में भी वृद्धि की जानी चाहिए। निवाह लागत में वृद्धि कीमतों में वृद्धि का परिणाम है। इससे अधिकों की वास्तविक मजदूरी कम हो जाती है। इससे वह कम वातुओं तथा सेवाओं का उपभोग दर पाता है अत घटती हुई वात्तविक मजदूरी को रोकने के लिए नियर्हि लागत में वृद्धि के साथ-साथ मजदूरी में भी वृद्धि की जानी चाहिए। इसके साथ ही अधिकों को इनेलाइन मजदूरी (Incentive Wages) भी दी जानी चाहिए। इस प्रवार अधिकों की मजदूरी में वृद्धि दरवे उनके जीवन स्तर में वृद्धि की जा सकती है। अर्द्धक नियोजन द्वारा उत्पादन तथा रोजगार दोनों में वृद्धि की जा सकती है और इस वृद्धि के परिणामस्वरूप जीवन स्तर को ऊँचा किया जा सकता है।

2. आय व धन का समान वितरण (Equal Distribution of Income & Wealth)—राष्ट्रीय आय में वृद्धि के बावजूद भी समाज का जीवन-स्तर नीचा रह सकता है। आय व धन के दूषित वितरण वो दूर करके निर्धनता व सम्पन्नता की खाई दो कम किया जा सकता है और धनी व्यक्तियों की आय व धन का एक भाग निर्धन दर्ये पर व्यय किया जा सकता है। इसमें निर्धन व्यक्तियों (थमिकों) के जीवन-स्तर में वृद्धि की जा सकती है।

3. परिवार नियोजन (Family Planning)—भारतीय थमिकों के जीवन-स्तर के निम्न होने का एक कारण उनके परिवार का बढ़ा होना है। उमाने बाला एक तथा उस पर अधिक सदस्यों की संख्या अधिक होनी है जिससे उनकी अनिवार्य आवश्यकताएँ भी आमानी से पूरी नहीं हो सकतीं। उनका जीवन-स्तर भी इसलिए निम्न पाया जाता है अतः थमिकों के जीवन-स्तर में वृद्धि करने हेतु परिवार नियोजन अपनाकर घोटा परिवार रखना होगा।

4. शिक्षा का प्रसार (Spread of Education)—एक शिक्षित थमिक—मच्छा उत्पादक व मच्छा उपभोक्ता बन जाता है। भारतीय थमिकों में अधिकांश थमिक असिक्षित, भजानी व फँडिवादी हैं। भारत सरकार ने सन् 1958 में थमिकों की शिक्षा हेतु केन्द्रीय मण्डल (Central Board for Worker's Education) की स्थापना की है। इसके अन्तर्गत विभिन्न प्राच्यों में केन्द्रीय केन्द्र (Regional Centres) स्थापित किए गए। शिक्षा के प्रसार से अच्छे ढग से थमिक बायं करेगा और विवेकपूर्ण ढग से व्यय करके अधिकरम सन्तोष प्राप्त करेगा। इससे जीवन-स्तर उन्नत होगा।

5. सामाजिक-रीति-रिवाजों-में-सुधार (Improve in Social Customs)—भारतीय समाज एक पिछड़ा समाज है। इसमें कई रीति-रिवाज प्राचीन समय से ही चले पा रहे हैं। मृत्यु-भोज, गगोज, मुक्तालावा शादी आदि पर वेफ़िज़त व्यय करने से थमिकों की अनिवार्य आवश्यकताओं हेतु साधन बच नहीं पाते हैं और उनका जीवन-स्तर निम्न पाया जाता है। अतः इन सामाजिक बुराइयों को समाप्त करके थमिकों के जीवन-स्तर में सुधार लाया जा सकता है।

6. सन्तुलित बजट (Balanced Budget)—थमिकों द्वारा घपने आय तथा व्यय का बेंजट तयार करना चाहिए। उनकी माय किनारी है तथा उसको किन-किन मदों पर व्यय किया जाएगा। जब प्राप्त माय को ढंग से व्यय किया जाएगा तो इससे थमिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति से अधिकरम सन्तोष प्राप्त हो सकेगा। पारिवारिक बजट को सन्तुलित रखने के लिए हमें भारतीय थमिकों में शिक्षा व प्रचार, प्रसार और सुविधाएँ प्रदान करनी होयी।

7. सन्तुलित एवं पर्याप्त भोजन (Balanced & Sufficient Diet)—थमिकों की काय়ঁকুশलतা, उत्पादवत्ता, मजदूरी व जीवन-स्तर सन्तुलित एवं पर्याप्त भोजन पर निर्भर करते हैं। भारतीय थमिक दो न तो सन्तुलित भोजन मिलता है

और न ही पर्याप्त भोग्न प्रति अभिकों को सम्मुचित एव पर्याप्त भोग्न दापत्तप बरयाया जाना चाहिए। इससे अभिकों को जीवन-स्तर उन्नत होगा।

3 अम ल्याण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना—भारतीय अभिकों के जीवन-स्तर में वृद्धि करने के लिए अभिकों की कल्याणकारी क्रियाओं (Welfare Activities) में वृद्धि बैरनी चाहिए। इससे अभिकों की वार्षिक सुरक्षा में वृद्धि होगी और जीवन न्तर उन्नत होगा। इससे गाय ही अभिकों को उनकी अनिवार्य ग्राह को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके दूर बिया जा सकता है। इसमें अदिक भविष्य के सम्बन्ध में निश्चित रहता है और उत्तमान में घरवी प्राकाशवतामों की सम्मुचित कर पाता है। इससे उसका जीवन-स्तर उन्नत होगा।

इस प्रकार भारतीय अभिकों के जीवन स्तर बो लेना करने के लिए हमें वह वदम उठाने पड़े। डॉ राधारमल मुखर्जी के भनुगार लियी भी उद्योग की समृद्धि एव सम्प्रता उत्तर दिल्ली में बास करने वाले कर्मचारियों की वार्षिक सुरक्षा एव उनके समुद्दन जीवन-स्तर पर निर्भर करती है। सामाजिक सुरक्षा द्वारा यह सम्प्रता पर्याप्त सीमा तक प्राप्त की जा सकती है।

5

मजदूरी नीति, रोजगार एवं आर्थिक विकास

(Wage Policy, Employment and
Economic Development)

मजदूरी नीति (Wage Policy)

भारत विभव के आठ प्रमुख घोषणाग्रन्थों में से एक है फिर भी यह एक प्रविकसित राष्ट्र है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति से ही चरकार ने आर्थिक-विकास घोर सामाजिक पुनर्निर्माण हेतु वह महत्वपूर्ण बायं किए हैं। इस प्रकार के विकास कार्यों का महत्वपूर्ण उद्देश्य धर्मिकों की बास्तविक आय और उनके जीवनस्तर में वृद्धि करना है। निम्न मजदूरी होने से धर्मिक वो बायं-समता प्रभावित होती है और इसके परिणामस्वरूप धर्मिकों की बायं-समता निम्न पाई जाती है। इच्छे साथ ही निम्न आय ने वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग कम होती है और बाजार भी नकुचित होता है।

मजदूरी नीति उद्योग के उत्पादन तथा राष्ट्रीय लाभों का निर्धारण करती है, लेकिन इस नीति के अल्पकालीन व दीर्घकालीन उद्देश्यों के साथ-साथ निची व सामाजिक उद्देश्यों में संघर्ष पाया जाता है। हमारा देश प्रजातन्त्र प्रणाली पर प्राधारित है। इसलिए यहाँ एक उचित मजदूरी नीति के निर्धारण में बड़ी विनाई आती है। मजदूरी नीति, जिससे सन्तुष्ट और दस धर्म शक्ति का विकास होता है, वह हमारी विकास सम्बन्धी योजनाओं की सफलता में हाय बैटा सहती। मजदूरी नीति के प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति निम्नलिखित प्रायमित्तानों में निहित है—

- पूर्ण रोजगार एवं सभी साधनों का इष्टरम आवधन (Full employment and optimum allocation of all resources),
- आर्थिक स्थिरता की अधिकतम मात्रा (The highest degree of economic stability),

ग्रपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए—जब राज्य धर्मिकों को मारी सुविधाएँ देही रहे हैं तो ऐसी अवस्था में उन्हे श्रमिक सघों के गठन का कोई अधिकार ही नहीं दिया जाना चाहिए। श्रमिक सघों का विकास मात्र मतोरजन, शिक्षा प्रशिक्षण आदि के लिए उपयोगी हो यक्का है न कि उद्योग भवान के लिए।

(3) धर्म-प्रबन्ध सौहार्द—धर्म-प्रबन्ध सौहार्द ग्रीष्मोगिक परियोजनाओं को चलाने वे लिए आवश्यक है। आपसी भेदभाव को दूर करने के सभी सम्भव उपायों का अवलम्बन लेना चाहिए। एक मात्र गाँधीजी के आदर्शों की दुहाई देन से ही आपसी सम्बन्ध नहीं सुधर सकते। इसके लिए दोनों दलों को ग्रपने-ग्रपने स्वाधीनों का त्याग कर उद्योग के आदर्शों को अपनाना चाहिए। श्री वान केनेडी ने भी ग्रपन देखो द्वारा पुरानी विचारधारा का त्याग कर आज की प्रगतिवादी व्यवस्था का निर्माण बरने पर बल दिया है और आशा की है कि ग्रीष्मोगिक शक्ति उसी से सम्भव है। विधानों ने श्रमिक प्रबन्ध भागीदारी व्यवस्था को प्रोत्साहित बरने पर बल दिया है। श्री गुस्तारीलाल नन्दा ने इस ग्रीष्मोगिक सौहार्द की प्राप्ति के लिए सह-सहयोग एवं भागीदारी पर विशेष बल दिया था।

(4) विश्वास एवं मान्यता—मान्यताओं में विश्वास भारतीय व्यवस्था का स्वरूप माना जाता है। इस प्राधार पर सरकार को चाहिए कि वह श्रमिकों एवं नियोक्ताओं में आदर्श की भावना जाग्रन करे। यदि किसी विवाद का निवारण आपसी समझौते से न हो तो ग्रिन्लीय स्रोतों, अथवा न्यायाधिकरण की व्यवस्था द्वारा विवाद का निराकरण बरने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा होने से उद्योग में श्रमिक एवं नियोक्ता की आपसी बैमनस्थना वी भावना वो तिरोहित किया जा सकता है।

(5) उत्पादन को रूपरेखा—प्रच्छेद उद्योग को बनाने के लिए उत्पादन की चिन्ता होना अनिवार्य है। यदि उत्पादकता बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से प्रच्छेद सम्बन्धों का भी निर्माण किया जा सकता है। इसी उत्पादकता को बढ़ाने वे लिए भारतीय योजनाओं का भी श्रीगणेश हुआ श्रीर इसी के लिए उत्पादकता समिनियों का सहयोग लिया गया।

(6) व्यक्तिगत कारक—व्यक्तिगत के विकास से ही धर्म तम्बन्धों एवं श्रमिक नीतियों का निर्माण किया जा सकता है। व्यक्तिगत के विकास से श्रमिकों के सोचने एवं कार्य करने में सहायता मिलती है। ग्रीष्मोगिक व्यवस्था में शान्ति वे प्रयास में थीं वे थीं श्रीर, श्री गुस्तारीलाल नन्दा, श्री लण्ठमाई देसाई तथा श्री जगजीवन राम आदि के नाम उल्लेख हैं। इनके व्यक्तिगत का प्रभाव है कि श्रमिकों के उत्थान में प्रगति होती गई।

मजदूरी नीति के निर्माण में समस्याएँ

(Problems in the Formulation of a Wage Policy)

मजदूरी नीति वे उद्देश्यों को प्राप्त करन हेतु एवं उचित मजदूरी नीति का निर्माण करना होगा। इस नीति वे निर्माण में अयोक्ति समस्याएँ उत्पन्न होती हैं—

- 1 मजदूरी नियारण एवं भुगतान (Wage Determination and Payment)
- 2 मजदूरी-स्तर एवं मजदूरी सरचना (Wage Levels and Wage Structure) प्रौर
- 3 मजदूरी सुरक्षा (Wage Security)।

1 मजदूरी निर्धारण एवं भुगतान—विभिन्न देशों प्रौर उद्याग म मजदूरी भुगतान के विभिन्न तरीके पाण जाते हैं। पिर नी याट तोर पर मजदूरी समयानुसार सधा वार्षिकुमार दा जाती है। याटग यानग मजदूरी भुगतान के तरीके के अन्य अलग गुण तथा दोष हैं। इन दाना तरारों का विवाहर विविक्ष प्रकार के प्रश्नांग व मजदूरी पद्धतियाँ (Incentive Wage Systems) तपार की गई हैं।

यह माना जाता है कि मजदूरी म प्रश्नातमीत स्थिति उपार्कना म छूटि होन पर नियर बरता है। नासीय इयोगों म यभी उपार्कना की अधिकानम शीमह का प्राप्त बरगा सम्भव नहीं है। मजदूरी भुगतान का तरीका एगा हाता चाहिए कितन अभिन्न को प्रश्ना। विज प्रौर व अधिक प्रश्नाम से खाय बर तपा बरत है उपादा म उन्ना अक्षमा भी बढ़। वार्षिकुमार मजदूरी डारा ही यह सम्भव हा भगता।

वर्षानुगार मजदूरा भुगतान के तरीके व लिए समय भीर गति का अन्यथन बरता यडगा। व यभार का भी अध्यक्षन बरता यडगा। इग प्रश्नार इमग बद दिला थीं उपस हाती हैं।

वेता मण्डलो (Wage Boards) द्वारा मजदूरी निर्धारित बरत समय वायानुगार मजदूरी भुगतान का तरीका दूरना चाहिए साय हा नेनिक वे रवार्क्षय वा अयान रपन है। अधिकतम काय के दूर तपा युवतम मजदूरा को गारबी दी जाती चाहिए। जो भी पद्धति निवारी जाए यह सरल दूर प्रौर पासानी से प्र यह अभिक व सफ़ल म यानो चाहिए घायवा गमे स ऐह प्रौर घोषिक विवारों को प्रा माहन मिलता।

2 मजदूरी स्तर एवं मजदूरी सरचना—रियो भी देता का आविक एवं साम जिक बायाल अधिक एभी गम्भव हो माता है जड देवत मजदूरी-स्तर अधिकतम हा वर्फ। विभिन्न उद्याग प्रौर यदनायो म गारेलिक मजदूरी इतनी हो भी चाहिए रि इतन अम का विभिन्न उद्याग व अवकाशा म एगा मारक्षत हा वर्फ। राष्ट्रीय उपादन अधिकतम हा से अन्य अवक्षया वे यभी साधनों दो गुण रोज़ एवं प्राप्त हा सक प्रौर अधिक प्रतिति दो दर। कोद देव छूटि गम्भव हा नर।

मजदूरी नीति एनी होनी चाहिए कि विभिन्न उद्योगों अवकाशी व महायारों पर युल्य व इती अभिका को मजदूरों म अधिक प्रतर नहीं हा। यरि इग प्रश्नार की भिन्नता है तो उस दूर बरगा होगा।

हमार दश म मजदूरी म अवकाश विभिन्न देशों म हो नहा पाई जाती यरि एक इदाए के विभिन्न उद्योगों म भी भिन्नता पाई जाती है।

हाल ही के बर्षों म विभिन्न प्रधिकरणों एवं न्यूनतम मजदूरी प्रधिनियम दे अन्तर्गत मजदूरी-स्तरों मे वृद्धि करने वा प्रयात किया गया है। फिर भी कई उद्योगों तथा व्यवसायों मे आज भी निर्वाह लागत के बराबर भी मजदूरी नहीं मिलती।

दूसरे महायुद्ध के पश्चात कुछ उद्योगों मे बोनस तथा लाभ महाभागिता के अन्तर्गत श्रमिकों को कुछ मुగतान दिया जाने लगा था। प्रब बोनस मुगतान प्रधिनियम, 1965 के अन्तर्गत प्रत्येक श्रमिक को उसकी कुल वापिक मजदूरी का न्यूनतम 8.33% तथा प्रधिकतम 20% बोनस के रूप मे मुगतान किया जाता है।

3 मजदूरी सुरक्षा (Wage Security)—किसी भी श्रमिक को इतनी मजदूरी दी जाती है उसकी सुरक्षा प्रबवा गारण्टी देना जरूरी है। श्रमिक की मजदूरी की गारण्टी तीन प्रकार से दी जा सकती है—

(i) गारण्टी मजदूरी (Guarantee Wage) के अन्तर्गत प्रत्येक नियोक्ता श्रमिक को निश्चित समय या अवधि हेतु मजदूरी देने की गारण्टी देता है चाहे कार्य हो या नहीं।

(ii) ले-प्रॉफ नोटिस मुआवजा (Lay-off Notice Compensation) के अन्तर्गत नियोक्ता एक दी हुई अवधि हेतु श्रमिकों से कार्य हटाने पर, जबकि कार्य नहीं हो तब उसके लिए ले-प्रॉफ का मुआवजा या क्षतिपूर्ति देनी होती है।

(iii) हटाने पर मजदूरी (Dismissal Wage) के अन्तर्गत श्रमिक जो रोजगार से हटाने पर एक निश्चित अवधि के लिए मजदूरी दी जाती है।

हमारे देश मे यह सम्भव नहीं है कि वेराजगार व्यक्तियों को बीमा दिया जाए क्योंकि वित्तीय कठिनाइयाँ सरकार के सामने हैं। फिर भी घोषोगिक विवाद प्रधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act of 1947) के अन्तर्गत ले-प्रॉफ तथा छेंटनी के लिए क्षतिपूर्ति का प्रावधान है।

मजदूरी और आर्थिक विकास (Wages & Economic Development)

किसी भी विकासशील देश मे एवं सुलड मजदूरी नीति का चारा महत्व है। भारत जैसे विकासशील देश मे अर्थ-व्यवस्था के विकास के साथ-साथ श्रमिकों की सख्त्या मे वृद्धि होती है और मजदूरी का सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था के हेतुओं पर प्रभाव पड़ता है। मजदूरी समस्या को आर्थिक विकास की समस्या से पृथक् नहीं किया जा सकता।

आर्थिक विकास मे मजदूरी का महत्व मनदूरी के दो आर्थिक कार्यों से उत्पन्न होता है। प्रथम कार्य काय के रूप मे श्रमिक को पारिश्रमिक दिया जाता है जबकि दूसरी ओर लागत के रूप मे नियोक्ताओं को इसका प्रधायन करना पड़ता है। अत मजदूरी दो विरोधी उद्देश्यों वाले पक्षों-श्रमिक व नियोक्ताओं को प्रभावित करती

है। मजदूरी कीमा-स्तर व रोजगार को भी प्रभ विन करती है। सामान्य रूप से मजदूरी पूर्ण रोजगार के मध्ये उद्देश्यों को पूरा करने में महायक है, यदि मुद्रा-स्फीति उत्पन्न न हो तथा राजकार्यीय, मौद्रिक एवं अन्य नीतियों को उचित तरीके से काम में लाया जाए।

मजदूरी नीति और आर्थिक विकास का अनिष्ट सम्बन्ध है। समष्टि आर्थिक स्तर के आधार पर मजदूरी नीति ऐसी हो कि इसमें शमिकों के जीवन-स्तर, अतिरिक्त रोजगार एवं धूंजी निमोंण सम्बन्धी उद्देश्यों में प्रतिस्पर्द्धा न हो। अद्य-समझ स्तर पर मजदूरी नीति ऐसी होनी चाहिए कि एक ऐसी मजदूरी सरचना तंयार की जाए जो कि आर्थिक विकास के प्रनुकूल हो। इकाई स्तर पर मजदूरी नीति ऐसी होनी चाहिए कि यह उत्पादकता बढ़ाने और मजदूरी की किसी सुधारने हेतु प्रेरणा देने वाली हो।¹

विकासशील अर्थ-व्यवस्था में मजदूरी नीति (Wage Policy in a Developing Economy)

एक विकासशील अर्थ-व्यवस्था में तीर गति से प्रार्थिक विकास करने के लिए यम नीति का सुटृट होना आवश्यक है। विकास के प्रारम्भ में मुद्रा-स्फीति उत्पन्न है जो भविष्य में देश की अर्थ-व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर सकती है। इस भयकर समझा जा सकता बनने के लिए निम्न बातें ध्यान में रखनी होती हैं—

1. मजदूरी, महानाई, बोनस तथा अन्य प्रकार के भत्तों में प्रनुकूल व अत्यधिक वृद्धि नहीं होनी चाहिए।

2. मजदूरी में वृद्धि नभी बी जाए जब उत्पादकता में वृद्धि हो। ऐसा करने पर कीपतों में ग्राहिक वृद्धि नहीं हो सकती।

3. मुद्रा-स्फीति के दशव को कम करने तिए ग्रावर्यह बस्तुएँ शमिकों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। एक विकासशील अर्थ-व्यवस्था में तीर आर्थिक विकास तथा उत्पादकता में वृद्धि तभी सम्भव है जब सभी वर्ग बठिन परिश्रम करें। एक विकासशील देश में भी तीर गति से प्रार्थिक विकास प्राप्त करने हेतु प्रार्थिक नियोजन (Economic Planning) घण्टाया जाता है। प्रार्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य देशवासियों के जीवन-स्तर को उन्नत करना है। हमारे देश में समाजशास्त्री समाज को स्थापना हेतु प्रार्थिक नियोजन के मार्ग का खयन किया गया है। अधिक वर्ग सबसे निर्यन वर्ग है। प्रार्थिक विकास से प्राप्त पल पर सबसे पहला प्रधिकार उन्नत है। श्री की जी. लिरि ज. मनुकार, "एक राष्ट्रीय मजदूरी नीति जा ज्ञेश देश की प्रार्थिक परिस्थितियों के प्रनुभार ऊँचा मजदूरी का स्तर प्राप्त करना है और इसके साथ ही इसके प्रभाव अन्तर्गत प्रार्थिक विकास के परिणामस्वरूप वृद्धि हुई समाजता में से उचित हिस्सा शमिकों को दिया जाना चाहिए।"²

1. Pant, S C Indian Labour Problems, p 217

2. Giri, V P Labour Problems in Indian Industry, p 218

किसी भी देश की मजदूरी नीति का अर्थ है वह नीति जिसके अन्तर्गत सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार मजदूरी-स्तर व्यवहा मजदूरी सरकार के लिए अधिनियम बनाती है। सरकार अपनी मजदूरी नीति द्वारा निम्न मजदूरी में बृद्धि करना उचित श्रम प्रमाण स्थापित करना और बढ़ती श्रमिकों के प्रभावों को कम करना आदि सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सकती है।

समाज के आर्थिक व्यवहार में बृद्धि करने हेतु भी मजदूरी नीति का होना आवश्यक है। आर्थिक व्यवहार में बृद्धि तभी सम्भव है जब मजदूरी नीति आर्थिक विकास में सहायक हो। यदि मजदूरी नीति सहायक होगी तो इससे अर्थव्यवस्था में धन साधन का विभिन्न उच्चोगों तथा व्यवहारों में इष्टतम आवश्यन होगा, पूर्ण रोजगार मिलेगा और उत्तरादेशीय में बृद्धि होकर जीवन स्तर उन्नत होगा। दीर्घ कालीन आर्थिक विकास हेतु पूर्ण जीवन स्तर उत्पन्न होगा। अपस म सधार्य उत्पन्न हा जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation) वे एक प्रबाल न के प्रतिसार एक विकासशील अर्थव्यवस्था में मजदूरी नीति के निम्नांकित उद्देश्य दिए गए हैं—

1. मजदूरी भुगतान म व्याप्त बुराइयों को दूर करना।

2 दुर्बल सौदावारी वाले श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित बरना और श्रम सघों एव सामूहिक सौदावारी के विवाद को प्रोत्साहन देना।

3 आर्थिक विकासों के फसों (Fruits of Economic Development) में श्रमिकों को हिस्सा दिलाना। इसके साथ ही श्रमिक के उपभोग वस्तुओं पर जिए जाने वाले व्यय वा नियन्त्रित करना। इससे मुद्रान्वयीत उत्पन्न न हा।

4 मानव शक्ति का अधिक बुशात साक्षण एव उपयोग।

भारत जैसे विकासशील देश में श्रमिक अधिकारी, ग्रसगठित और इतनी होते के कारण उनकी सौदावारी शक्ति नियोक्ता की तुलना में दुर्बल होती है जिसके परिणामस्वरूप उनका फोड़ण किया जाता रहा है। यायालयों द्वारा भी प्रारम्भ म नियोक्ताओं का ही पक्ष लिया जाता रहा था। मजदूरी का निर्धारण श्रम की मात्रा व शूरूति के आधार पर किया जाता था, सेक्विन अव लम्ब वदस नहा है तथा श्रमिक दो मानवीय साधन मानकर उसके साथ उचित व्यवहार किया जाने लगा है। श्रमिकों के शोषण को दूर करने के लिए सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी विभिन्न की है तथा ग्रव वेतन मण्डलों की स्थापना की जाने रगी है जो वि उचित मजदूरी वा निर्धारण वा वार्य करते हैं। कई उद्योगों में ऐसे वेतन मण्डलों (Wage Boards) की सिफारिशों को लागू किया गया है।

भारत जग देश में एक मूल मनदूरी नीति विष्णु उद्धरणे को पूरा करने के लिए आवश्यक है—

1 तिथोनित अवधिकारियों ने उद्धरणे तथा लक्षणों की प्राप्ति हेतु मनदूरी नीति प्राविद्या है जिससे बिंदीचाहिए शांत और ही चाह चर। अधिनियमों तथा धारा तरकारी विवाहों द्वारा धौठोगिक शांति पूरा स्वरूप से प्राप्त नहीं हो जा सकती है। “सो निए एक उचित मनदूरी नीति चाह चर है।”

2 हमारे देश में समाजवादी गमाजवादी राष्ट्रपत्रा हेतु सामाजिक धार्य प्रदान करना प्रावश्यक है। सामाजिक धार्य तभी प्रदान किया जा सकता है जब तभी लोगों को समान प्रवर्गर प्राप्त हो सभी को ममाज धार्य प्रदान की जाए। इसके लिए एक समुक्ति मनदूरी नीति चाहीजा जास्ती है।

3 हमारे देश में मुट्ठड एवं मुसाराटिं धम सप मा दोरन का समावद (Lack of strong and well-organised Labour Union Movement) है। एक राष्ट्रीय मनदूरी नीति चाह चरियों को गरणात देना तरकार चाह चाविरा है।

4 हमारे देश में मनदूरी निर्धारण में विभिन्न कानूनी प्रणालियाँ एवं मनदूरी धार्यों की गहायना सभी पड़ती है। अत इस विभिन्नता को दूर करने के लिए विभिन्न विवाहों के प्रयोग की पर मापारित एक उचित राष्ट्रीय मनदूरी नीति चाहीजा रावश्यक है।

पचासवर्षीय योजनायां में मनदूरी नीति

(Wage Policy In Five Year Plans)

स्वत गता से पचासवर्षीय धम कानून 1946-52 की धर्यपि में चनाए गए। राज्य धम नीति का राम्भाध धम विधान बनाना सामाजिक गुरुणा सम्बन्धी उपाय धम कल्याण के लिए राज्य धम के लिए राज्यों में धम विभाग का वितावर करना तथा प्रतिकाय अधिनियमन (Compulsory Arbitration) कानून करने से रहा है। भोजोगिर गान्धी प्रतिकार 1947 (Industrial Truce Resolution of 1947) ने भोजोगिर विवाहों को विषटाने हेतु कानून व मनीनरी का उत्तरोग उपरा मनदूरी निर्धारण करने की मनीनरी पूरी पर उचित प्रतिकार धम गतिविधि भोजोग तमस्या की पोर स्थान देने चाहि के ताव व मिशारिल की।

प्राविद्या विवाह हेतु प्राविद्या विवोदन प्रश्नाया जाना है तथा प्राविद्या विवोदन की सफलता के लिए एक विवेकपूर्ण मनदूरी नीति होना प्रावश्यक है। प्रधम पचासवर्षीय योजना।

प्रधम योजना में इस गत पर योर चिया धम के सफल विवाहपि इन साम भोजोग तरकार चाह नियमण रहना पाहिए। बीमों सामो व मनदूरियों में वृद्धि हुई है। मुख्य समीति को रोकने हेतु साम व मनदूरी पर सरकारी

नियन्त्रण आवश्यक है। मजदूरी में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को दूर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय धाय में से थमिकों को उचित हिस्सा दिया जाना चाहिए। न्यूतम मजदूरी अधिनियम, 1948 को प्रभावपूर्ण ढग से क्रियान्वित करना चाहिए जिससे कि थमिकों के शोषण को समाप्त किया जा सके। योजना के प्रनुसार मजदूरी में वृद्धि उसी समय की जाए जबकि मजदूरी अत्यधिक कम है और युद्ध के पूर्व की वास्तविक मजदूरी स्तर को बनाए रखने के लिए उत्पादकता में वृद्धि होने पर मजदूरी में भी वृद्धि की जाए। योजना में मजदूरी नीति के सम्बन्ध में भविष्य में इन विचारों पर ध्यान रखने की सिफारिश की गई—

1 सभी मजदूरी अन्तरों को समाप्त करना सामाजिक नीति का एक धर माना जाना चाहिए। राष्ट्रीय धाय में से थमिकों को उसका उचित हिस्सा दिया जाना चाहिए।

2 पर्याप्त मजदूरी स्तर को प्राप्त करने से पूर्व विभिन्न उद्योगों तथा व्यवसायों में पाए जाने वाले अन्तरों को जहाँ तक सम्भव हो कम से कम दिया जाए।

3 मजदूरी प्रमापीकरण के कार्य को तीव्र गति से बढ़े पैमाने पर चलाया जाए।

4 विभिन्न व्यवसायों में उद्योगों में कार्य भार यो वैज्ञानिक आधार पर निर्धारित किया जाए।

5 महंगाई भत्ते का 50% वेतन मिला दिया जाए।

6. योजना काल में न्यूतम वेतन अधिनियम, 1948 को प्रभावपूर्ण ढग से क्रियान्वित किया जाए।

7 बोनस मुगतान से सम्बन्धित समस्या पर भी विचार करने की सिफारिश की गई।

8 मजदूरी निर्धारण हेतु केन्द्रीय तथा राज्य-स्तरों पर विपक्षीय वेतन-मण्डलों की स्थापना करने की सिफारिश दी गई। इनकी स्थापना मजदूरी समस्या का समाप्त करने हेतु स्थायी रूप से करने की सिफारिश की गई।
द्वितीय पचवर्षीय योजना

दूसरी योजना के अन्तर्गत थम के महत्व को प्रधम योजना की भाँति ही भीकार किया गया। लेकिन इस योजना में मजदूरी नीति के एक महत्वपूर्ण पहलू पर जोर दिया गया। यह पहलू थमिकों को उनकी आशाधों और भावी समाज के हाँचे के प्रनुसार मजदूरी का मुगतान करने से सम्बन्धित था। मजदूरी के महत्व को जानन के लिए मजदूरी आयोग (Wage Commission) नियुक्त करने वा विचार था। लेकिन पर्याप्त और व अन्य सूचनाओं के अभाव में यह विचार त्याग दिया गया। इसके स्थान पर मजदूरी गणना (Wage Census) करन पर जोर दिया गया। विभिन्न केन्द्रों पर निर्वाह लागत सूचकांकों के अनुसार मजदूरी में परिवर्तन करने के लिए जाँच पर जोर दिया गया।

इस योजना के अन्तर्गत मजदूरी में वृद्धि भव उत्पादकता में वृद्धि होने पर हो सम्भव बनाई गई। इसके लिए बार्यानुसार मजदूरी मुगलान वी नीति अन्तर्गत को बहु गया।

सीमान्त इकाइयों (Marginal Units) द्वारा मजदूरी सरकार पर रोक लगाने के बारण उचित मजदूरी विद्वानों के पापार पर उचित मजदूरी निर्धारित करना सम्भव नहीं हो पाया या, फिर वहाँ गया कि इस प्रकार की इकाइयों पर ऐच्छिक हवा से बहु इकाइयों में मिला दिया जाना चाहिए। यदि जल्दी हो तो अनिवार्य है से इनको मिलाया जा गवना है। दूसरी योजना में इस बात भी भी सिफारिश की गई कि उद्योगों के बड़े-बड़े थोड़ों के लिए प्रोत्येक्षिक विश्वासों (मजदूरी से सम्बन्धित) को हव करने के लिए मजदूरी बोडे काम करने चाहिए। दूसरी योजना में कई ऐसे मजदूरी बोडे स्थापित लिए गए थे।

तृतीय पंचवर्षीय योजना

तृतीय योजना में इस बात पर जोर दिया गया कि प्रमुख उद्योगों में मजदूरी-निर्धारण का बार्य सामूहिक सौदाकारी, प्रधिनियंत, मुनह एवं अधिकरणों द्वारा होगा। सेवित जहाँ पर जल्दी होगा वहाँ पर मजदूरी-निर्धारण हेतु विषयीय मजदूरी बोडे की स्थापना भी जा सकेगी। उद्योग और हरि थोड़ा में निम्न प्रायिक स्थिति बाले थमिकों दो मुख्य प्रश्न करने हेतु भूतवत्तम मजदूरी प्रश्न बरने के दायित्व को स्वीकार किया गया। भूतवत्तम मजदूरी प्रधिनियम, 1948 के प्रभावपूर्ण प्रियाध्ययन हेतु निरोक्त मम्बन्धी मणीनरी को सुन्दर करने की सिफारिश की गई। भूतवत्तम मजदूरी के अनियिक विभिन्न थमिक दणों हेतु उचित मजदूरी निर्धारित करने एवं उत्पादन तथा इस्थि दो सुधारने हेतु थमिकों को प्रेरणात्मक मजदूरी (Incentive Wages) देने पर जोर दिया गया। बोडम मुगलान हेतु विभिन्न पदों को विलाकर एक घायोग नियुक्त करने की सिफारिश की गई।

भारतीय भव सम्मेलन 1957 द्वारा मानव्यवना पर आपारि मजदूरी तथा उचित मजदूरी समिति द्वारा दी गई सिफारिशों को मजदूरी-निर्धारण में बाप में सेने भी सिफारिश की गई। योजना में यह बताया गया कि अधिक बर्ते भी मजदूरी तथा उचित प्रबन्ध-स्तर के बेनेंटों में बाकी असमानता है। योजना में इस बात की विस्तारित की गई कि मजदूरी सम्तरी, थमिकों की उत्पादनता की माप और उत्पादकता के दृष्टि का विनाय पार्दि का अध्ययन किया जिन विद्वानों पर आपारित हो।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना

चौथी योजना में इस बात को स्वीकार किया गया कि आपारि विश्वास ही गक्कता और विनेप ह्या से छोटी पंचवर्षीय योजनाओं के सम्बन्ध में एक गठीकृत पार्दि नीति (Integrated Income Policy) सार्वजनिक व निजी थोड़ों के सार्वदर्शन हेतु तंत्यार को जानी चाहिए। मूल्य स्थिरता भी गमस्या दो मजदूरी नीति का आपारि

भविष्य निधि योजना और परिवार पेशन योजना के अधीन ताना है। खेतिहर मजदूरों, कारीगरों, हायकरणा बुनकरों, मछुप्रों, चमडे वा वाम करने वालों और ग्रामीण व शहरी लेन्डों में प्रत्य संगठित कामगारों को ताम पहुँचाने के लिए राज्य मरवारों को भी विशेष कार्यक्रम शुरू करने होंगे।

कामगारों की शिक्षा के लिए जो कार्यक्रम हैं उनका विस्तार करना, उनके स्तर ने सुधार करना और व्यापक राष्ट्रीय हित में उनके प्रति जागरूकता पूर्दा करना होगा जिससे कामगारों के प्रतिनिधि आर्थिक और सामाजिक जीवन में कारगर भूमिका निभा सकें।

महिला कामगारों द्वी मुख्य दो समस्याएँ हैं—पुरुष-महिला के आधार पर श्रम बाजार में उनके प्रति भेदभाव और उनकी दोहरी जिम्मेदारी—कामगार के रूप में और माता के रूप में। इसलिए महिला कामगारों के लिए कामगार शिक्षा देने के लिए विशेष कार्यक्रम बनाने होंगे। तेजी से बदलते हुए सामाजिक और आर्थिक परिवेश में मुख्य वर्ग द्वी भी विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें परम्परागत मूल्य बनाए रखने तथा बदलते हुए वाम की प्रणाली और जीवन निर्वाह की दशाओं के मध्य उनमें एक रुक्तता प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसलिए युवा वर्ग के कामगारों द्वी शिक्षा के लिए भी विशेष कार्यक्रम बनाने आवश्यक हैं।

संगठित सेवा में इन बातों पर मुख्य बल दिया जाएगा—(1) कर्मचारी राज्य दीमा, कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी परिवार पेशन योजनाओं के काम में सुधार करना, (2) प्रबन्ध में साफेदारी देकर कामगारों और मालिकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना, और (3) सम्भावित ग्रीदोगिक विवादों को निपटाने के लिए ग्रीदोगिक सम्बन्ध तंत्र को बढ़ाना और वाम बन्द न होने देने के लिए तत्काल कार्यवाही करना।

ऊर्जा संकट की गम्भीरता, संयन्त्र और उपकरणों का पुराना पदना और अनेक उद्योगों में अधिक क्षमता होना कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जो छाठी योजना की अवधि में उभरेंगी। इसके लिए यह आवश्यक है कि (1) तेल के उपयोग और तेल के उपयोग पर ग्रामारित ग्रीदोगिक वायों में मितव्यविता की जाए और तेल दी खपत को घटाया जाए, (2) संयन्त्रों और उपकरणों वा ठोक प्रकार से रस-रसायन रखा जाए, (3) जो संयन्त्र उपकरण बहुत पुराने पड़ रहे हैं और वाम करने लायक नहीं रहे हैं या जिन्हें ऊर्जा के नए साधनों के उपयोग के लिए अनुकूलित बनाना होगा, उन्हे बदला जाए, और (4) श्रमिक अधिक उत्पादन करने योग्य बनें और अनेक प्रेक्षार द्वी कुशलताएँ प्राप्त करें। इन आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, वाम की समय-सारिणी और प्रोत्साहन योजनाएँ बनानी होंगी।

मजदूरी कितनी दी जाए, इसका आवार इन समस्या से सम्बद्ध है कि निर्वाह योग्य मजदूरी कितनी होनी चाहिए। यद्यपि निर्वाह योग्य मजदूरी में भी इस तान का ध्यान रखा जाना है कि श्रमिक की उचित मजदूरी क्या हो। किर भी इस

प्राविधिक मुक्तता और प्रोत्साहन पर भी ध्यान दिया जाता है। सामाजिक व्यापक प्रति समर्पित समाज में मजदूरी की दर का निर्धारण बेवल मार्ग और पूर्ति के लिए ही नहीं थोड़ा जा गया। नीति का उद्देश्य यह है कि वर्तमान प्रावश्यकताएँ इस की ओर मजदूरी की दर को और मजदूरी के मुक्तान के सम्बन्ध में जो पौष्टिकता होती है, उसे उपाय रखा जाए। इसके विपरीत स्वतन्त्र समर्थन और सामूहिक सोशलिज़िटी के सिद्धान्तों के अनुरूप काम करने में यह प्रावश्यक होगा कि सरकारी हक्मदेशेष काम से कमज़ोरिया जाए और इसे बेवल यह मुनिसिचल करने तक ही सीमित रखा जाए कि अभियान के बग़बोर वर्ग का शावकर न हो। यहीं पर नीति का काम है अनुत्तम मजदूरी के निर्धारण और समोक्त करने की कसीटी बनाना और मजदूरी सम्बन्धी सरचना बनाना, परन्तु इस सम्बन्ध में सभी पक्षों पर यह स्वतन्त्रता हानी आहिए कि कि वे आपसी सहमति से अपनी मजदूरी का निर्धारण कर सके।

भारतीय धर्म-व्यवस्था में दो पक्ष साथ साथ काम करते हैं। एक पक्ष ही मुमण्डित धोका का है और दूसरा पक्ष विवेकीहृत धोका का है जिसमें अधिक लोग अपना काम-पूर्ण करते हैं। इसनिए मजदूरी के विवादों परन्तु काम करने से विवान वालों, प्रवना काम करने वालों, व्यावसायिक और इसी प्रकार के दूसरे काम करने वालों के बीच ममताना लाने के लिए प्रयत्न प्रयास करने की ज़रूरत है। इस सम्बन्ध में यदि दोनों व्यवस्थाएँ सरचनात्मक विवेषताओं से अनुरूप एकीहृत आय नीति अपनाई जाए तो उसके प्रत्येक प्रतिक्रिया प्राप्त करने की आशा ही जा सकती है। इस प्रकार ही नीति का वार्याधिकार करने के लिए जो नीति तन्त्र होगा यह उत्तम विकृन्त भिन्न और जटिल होगा जिसे विवरित देखों ने प्रसन्नता है। विवरित देखों में मजदूरी सम्बन्धी नीति उनकी प्राविधिक समस्याओं पर्याप्त बड़ी हुई भीमतों और मुक्ततान संतुलन पर ध्यान में रखकर बनाई जानी है। इन देखों का मुहूर उद्देश्य यह होता है कि नवद मुक्ततान की जाने वाली मजदूरी की दर की सुदृढ़ी पटाकर उसे उत्पादकता के विवाद के अनुरूप बनाया जाए जिसमें मूल्य सुदृढ़ न हो। इसके प्रतावदा उन देखों की बेठोबारी की विविहारिता हो देख रखिकृत अस्त्र है। भारत में घमी भी मूल्य ध्यान रोजगार देने और अनुत्तम मजदूरी देने की ओर दिया जाता है जिससे घधिकार जनसंस्कार गरीबी के स्तर से ऊपर जा जाए।

मजदूरी की नीति जो सारा समस्याएँ है उनका सम्बन्ध प्रावश्यकता पर प्राप्तिक मूलतम मजदूरी, जीवन निर्धारि की लागड़ बड़ान पर मुमादवा देने वार्याधिक मजदूरी को सरकार देना, उत्पादकता में बढ़ियाँ करने के लिए प्रोत्साहन देना, व्यावसायिक विकासों के लिए गुंजाइश रखना, मुक्तताओं और उत्तर-दायियों के अनुसार विभिन्न मजदूरी और मन्य उत्पुक्त कारण प्रावश्यक मन्य गुरियाएँ, जोना और इसी प्रकार की प्रत्यक्ष रागि का मुक्तान, विविहारिता भविष्य-निधि, उपजात, परिवार पैदान प्राप्ति जैसी सामाजिक मुख्यालयों पर निर्भर है।

न्यूनतम मजदूरी के स्तर मे इस प्रकार वृद्धि करनी चाहिए कि जिससे आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी का सिद्धान्त वास्तविकता से परिणत हो जाए। वास्तविक मजदूरी को बताए रखने के लिए यह आवश्यक है कि जीवन-निर्वाह सूचकांक को लागत को ठीक प्रकार से निश्चित किया जाए और जिन क्षेत्रों मे मजदूरी पर कमंचारी रखे जा रहे हैं उन सबके लिए इस बारे मे एक सूचतेवार किया जाए। विपक्षीय विचार-विमर्श के बाद इस बारे मे एक कसीटी निर्धारित करनी होगी कि किस प्रकार उत्पादकता को ध्यान से रखते हुए मजदूरी मे वृद्धि की जा सकती है। काम और काम की स्थिति के उत्तरदायित्वों को ध्यान मे रखते हुए विभिन्न प्रकार की मजदूरी निश्चित करन के लिए काम का वर्गीकरण और मूल्यांकन की तकनीक अपनानी होगी।

मजदूरी निश्चित करते समय देने की क्षमता, उत्पादकता और सामन उपभोग की स्थिति और जीवन-निर्वाह की लागत, मजदूरी निर्धारण की प्रणाली आदि कुछ बातों को ध्यान मे रखना होता है परन्तु इसके सामन-साथ विभिन्न क्षेत्रों से अर्थ-व्यवस्था मे जो विभिन्नता है उसका प्रभाव भी मनदूरी को प्रत्यानताओं मे दिखाई देता है, इसलिए यह आवश्यक ही प्रतीत होता है कि मजदूरी की युक्तिसागत प्रणाली पर राष्ट्रीय-मजदूरी नीति तथ की जाए जिसमे मजदूरी की विभिन्नता के बत आर्थिक कसीटी पर मात्र होगी। इस सम्बर्द्ध मे कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त तथ किए जा सकते हैं, परन्तु सामूहिक सोचेवाजी का महत्व भी यथावत् बने रहता चाहिए।

बोनस का मुग्यतान और कुछ अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ कानूनी व्यवस्था के अन्तर्गत आए हैं। अभी हाल मे रेलवे, डाक तार और कुछ विभागीय प्रतिष्ठानों ने उत्पादकता पर आधारित बोनस प्रणाली लागू की है। इसका लाभ यह है कि यह प्रोत्साहन प्रणाली उन क्षेत्रों मे भी शुरू की जा सकती है जहाँ सामन के साथ मुग्यतान को जोड़ना सम्भव नहीं। इन प्रणालियों को सुसुगत बनाकर स्पष्ट किया जाना चाहिए।

इस सम्बन्ध मे एक उल्लेखनीय बात यह है कि राज्यों मे और एक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों मे, एक उद्योग के विभिन्न व्यवसायों और समितिन एव असमिति उद्योगों के मध्य और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य इन सभी मामलो मे बहुत ज्यादा विभिन्नता है। कृषि/ग्रामीण प्रसगठित क्षेत्रक मे उत्पादकता का कम होता, सामाजिक-आर्थिक स्थिति जिसमे गर्वांवां का व्यापक हृष से विद्यमान होता, बेरोजगारी/मूल्य रोजगार, लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने के व्यवसरों का सीमित होता, कामगारों का संगठित न होता जिससे उनकी सौदाधामता कम हो जाती है, इस बहुत अधिक असमता के कुछ कारण हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 मे जो संरक्षण किया गया है उससे कुछ सीमा तक ग्रामीण व्रतगठित क्षेत्रको मे शोषण को कम करने मे सहायता मिली है। आमदनी और रोजगार म वृद्धि करने के बाद ही असमिति क्षेत्रक मे विद्यमान विद्यमानो को कम किया जा सकता है।

मगठित धोत्रा में भी आधिक परिणाम जिम्मेवालान, दृतेमात्र वरने वाले उद्योगों और प्रियोलीय संस्थानों द्वारा दगड़ों के बीच प्रशासनकाल में खोल्द हैं जिनके मुक्त वारण हैं—मजदूर तथा आधिक वारण दृग से बाग करना, अधिक लाभ करना, उद्योग में निहित विशेषाधिकार और वटोरता से नियमों का पालन आदि। यदि खुलतम उत्पादकता के मानक से पंचित्यों, यानी और बाणों में मजदूरी का तुक्ष भाग खुलतम उत्पादकता से जोड़ दिया जाए तो उपर्युक्त होगा और जहाँ तक प्रियोलीय संस्थायों द्वारा प्रतिष्ठानों का सम्बन्ध है, उन्हें बाग के सम्मत मानकों द्वारा पार्यं प्रियादर्श से जोड़ दिया जाए।

तिथी भी देश की आधिक प्रगति से इए घोषणाएँ शान्ति यथाएँ रखना अपरिहायें हैं। आविष्कार प्रगति को घोषणाएँ जानित से सम्बद्ध वरने की नामांग वाग यह है कि इस प्रकार की शान्ति से वागगारों द्वारा प्रबन्ध में अधिक गहरायी बना रह गयता है। इसका प्रतिरक्त यह होता है कि उत्पादक मरम्भों द्वारा अधिक होता है जिससे देश की चर्चेमुक्ती प्रगति में गोपनीय होता है।

तिथी उद्योग में घोषणाएँ सम्बन्ध की से हैं इसका सबसे घच्छा गूच्छ हुतातो और तातारमरों के वारण जितने श्रम-दिवसों की हानि हुई है उनके घोषणे हैं। 1970 से 1979 तक इस प्रकार जितने श्रम-दिवसों की हानि हुई है वे इस प्रकार थे—

वर्ष	समय की हानि (काल यम-दिवस)
1971	165
1972	205
1973	206
1974	403
1975	219
1976	127
1977	253
1978	283
1979 (प्रारंभ)	439

1974 से बर्यं हो घोषकर जिसमें रेलवे की सम्बोह दृष्टात हुई थी, पहले ये यात्रों में हुई थम दिवसों की हानि सामान्य रूप से 220 सूत्रों से इस थी। इसके बाद यम-दिवसों की हानि में नियन्त्रण दृढ़ि होती गई और यह सबसे उच्च स्तर पर 439 सारे यम-दिवसों पर पहुँच गई। घोषकर इन्हाँ और तातारमरियों के बारए मजदूरी घोर गते, बोरस, आविष्कार घोर एंटोनी घोर बाम की जांच के बारे में हुए विवाद थे। पारस्परिक समझौता, विद्यार्थी घोर अधिकारीयन से विद्यार्थी को युक्त करो वा प्रयान लिया गया जो आविष्कार रूप में ही थार हुए।

ओद्योगिक शान्ति स्वस्थ ओद्योगिक सम्बन्धों पर निर्भर करती है। यह बात केवल मजदूर और मालिक के ही हित की नहीं है बल्कि यह सारे समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। अन्तिम रूप से विश्लेषण करने पर ओद्योगिक सम्बन्धों की समस्या के बारे में यही निष्कर्ष निकलता है कि यह मुख्य रूप से सम्बन्धित पक्षों के द्विटकोण और तीर्त्तरों को पर निर्भर करती है। सहयोग की भावना का यह अर्थ है कि यद्यपि मालिक और मजदूर अपने-अपने हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह स्वतन्त्र हैं परन्तु उन्हें समाज के हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए। ओद्योगिक शान्ति के जो तीन आयाम हैं, इसका उन सबके सम्बन्ध में समान रूप से महत्व है।

ओद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 मुख्य कानूनी आधार स्वरूप है जिसके अन्तर्गत विवादों को निपटाने के लिए मध्यस्थता, समझौता, विवाचन और अधिनियंत्रण की प्रक्रिया की गई है। आचार सहिताओं के माध्यम से भी स्वच्छक आधार पर ओद्योगिक सम्बन्ध मुनाफ़ाने का प्रयत्न किया गया था परन्तु सामान्य विचार यह था कि विवादों को रोकने और समझौता कराने के लिए विद्यमान व्यवस्थाएँ काफ़ी नहीं थीं। अम आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नए और विस्तृत ओद्योगिक सम्बन्धों के बारे में कानून बनाने का प्रयत्न किया गया, परन्तु कुछ मूलभूत विषयों जैसे—उन्नत और विवादों के निपटारे के लिए प्रक्रिया, अम सगठनों को मान्यता देने की प्रक्रिया और कमोटी अर्थात् किसी अमिक सगठन के प्रतिनिधित्व के बारे में सम्बन्धित युनियनों के शुल्क देने वाले सदस्यों की जांच करके किया जाए या गुप्त मतपत्रों से किया जाए, सरकारी उद्यमों सहित व्या उद्योगों को हड्डताल करने का धर्मिकार है, ओद्योगिक विवाद निपटाने में सरकार भी भूमिका मांदि के बारे में अम सगठनों द्वारा अलग-अलग अपनाएँ जाने के कारण ये सफल नहीं हो सके। यद्यपि सम्बन्धित पक्षों में भस्त्रहमति के क्षेत्र को बम करने के लिए और कानून और तन्त्र में स्वीकार्य सुधार करने के प्रयत्न जारी रखे जान चाहिए परन्तु ओद्योगिक सम्बन्ध सुधारने के लिए धावशक समझे जान वाले अम सगठनों से सम्बन्धित वर्तमान कानूनों, ओद्योगिक विवाद और स्थाई आदेशों को बायंरूप में परिणत किया जाए और इन बातों के सम्बन्ध में फैसला न होने तक न रोका जाए। इन परिवर्तनों से वर्तमान प्रक्रिया को सुश्रमादी बनाने और अमिकों द्वारा शोषण से न्याय दिलाने में सफलता मिलेगी। इस समय जो बर्मचारी अमिक कानूनों के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उन्हें भी सेवा की सुरक्षा देने के लिए अमिक कानूनों के अन्तर्गत लाने पर विचार किया जाना चाहिए।

यदि परिवर्तीय योजनाओं के अन्तर्गत जो बहुत धर्मिक निवेश किया जा रहा है उससे वांछित प्रतिकल प्राप्त होने हैं तो कुछ महत्वपूर्ण उपाय करने में देरी नहीं होनी चाहिए। उदाहरणार्थ—विजली, ऊर्जा, बोयला, इस्पात और परिवेशन सहित युनियनों के क्षेत्र को ओद्योगिक सम्बन्धों की अनिश्चितताओं से यथासम्भव अलग रखना चाहिए। यदि पर्याप्त परामर्शदात्री तन्त्र और शिकायत दूर करने की प्रक्रियाएँ निर्धारित कर उनसे काम लेना शुरू कर दिया जाए तो इन दृष्टिगों में हड्डतात्त्रे और

तातार दी बीते दिनों की बात हो जाएगी। आप लेंगे म भी हृदयालं प्रोट तातार दी तभी की जाएं जब कोई आप उपाय न हो। मन्त्रीर मन्त्रीका क पात्रमी विवादों की निपटाने की भी टीक ठीक समुचित व्यवस्था की जाए प्रोट प्रवीद्यनीय तरीके प्रोट गेर जिम्मेदारी का आधरण करने की हतोत्साहित इया जाए।

प्रबल्प में कामगारों की सहभागिता—उच्चप स्तर पर कामगारों की प्रबल्प में सहभागिता ग्रीष्मोत्तिक सम्बन्ध प्रणाली म आवश्यक मान गई है जो आधुनिक प्रबल्प म एक प्रभावशाली साधन के रूप म काय करती है। इसे नियोक्ताओं और कामगारों—दोनों के बीच सहयोग की सहानि स्थापित करने के लिए एक साधन के रूप में परिवर्तित करना होगा त्रिमिति दि देश को स्वार्थ ग्रीष्मोत्तिक आधार के माय मन्त्रन मात्रमविश्वासी और आत्मनिर्भर बनाने म सहायता मिल मते। कामगारों की सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए पहले भी कई उपाय किए गए हैं। यह काय सांविधिक बार्य समितियों की सीमित ग्रीजना से गुरु त्रिया गया था और समुक्त प्रबल्प परिषदों के रूप में स्वैच्छिक व्यवस्थाएं की गई थीं। राष्ट्रीयकून वैकाश तय चुन दृष्टे बैद्रीय सरकारी उद्यमों में सांविधिक व्यवस्था के रूप म कामगार विदेशी ग्रीजना और 1975 म निर्भाग/वान उद्योगों के लिए कामगार की सहभागिता की एक स्वैच्छिक सीम तय 1977 म गरकारी दोहरा म वालिंग्डा और तेवा समाजों के लिए 20 सूची बार्यक्रम के आवश्यक मान के रूप म यह सीम गुरु की गई थी। 21 सदस्यों की पार समिति म नियोजकों मन्त्रीर मयो तरों सरकार और शिखाजास्तिया के प्रतिनिधि शामिल हो रही है इस सम्बन्ध म गहराई से सम्बन्ध त्रिया और प्रबल्प वानों के साधन साय पहुं भी सिर रिंग की दि कामगारों के सहभागिता की एक सांविधिक स्तरीय बनाई जाए त्रिमिति तीन व्येलियो म विवाद हो प्रवर्त्त तथा उ में भग्नारण के इयान पर और नियम/बोड स्तर पर, प्रबल्प त्रिया और वितीय प्रबल्प कामिता, कल्पाण और पार्यवरलीय दोनों म समर्पित मामलों में सहभागिता हो लिए एक व्यापक दोनों की भी सिपारिश हो रही है। यह माना गया है दि सामूहिक सीदा बरत के दोनों से बाहर विसी उद्यम म सम्बन्ध बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा दोनों है त्रिमिति नियोजक और कामगार विभिन्न हिंग नमूनों और समूण उद्यम के सामाजिक हितों के सामने लिए समुक्त स्तर से काम बरत सहते हैं। गलत ह सर्विका करने और समुक्त नियाय बरतने की ऐगी प्रणाली सारा द्वारा विभिन्न स्तरों पर यथावर्त्तित व्यवस्था सचानन मुनिशिवत त्रिया जागरा नोहरी म साझों की भावना उपराख बराई जाएगी, कामगारों में द्विती दृष्टि गृहनामर गहिरा वा विस्तार होगा, उनके मनमुगार अम हो। और कामगारों म व्यवस्था बाय करने के सामाजिक माइरन और प्रबल्प व्यवस्था म समर्त्त भी भावना बढ़ेगी। फिन्नु बामगारों और प्रबल्प व्यवस्था व्यवस्था कामिनों के प्रविन्नले के लिए बारकर व्यवस्था बरतने आवश्यक है ताकि उद्यम के इयान हिंग में कामगारों की सहभागिता को सकृद बनाने में उद्द ग्रोत्साहित त्रिया जा गे। त्रिय पर दोनों दोनों की भावाई

निभंग करती है। इसका निरीक्षण और मूल्यांकन दरने के लिए एक प्रभावशाली अधिकरण सहभागिता को सफल बनाने म बहुत सहायक होगा।

यह भी आवश्यक है कि निष्ठीय परामर्दाओं की तन्त्र वो बढ़ावा और व्यवस्थित किया जाए ताकि मध्ये इच्छुक सम्बन्धियों—मजदूर सघों, नियाजकों और सरकार के बीच पूरी तरह ने विचार दिमाश करने के बाद अभिक नीतियों और कार्यक्रमों का एक व्यापक आधार स्वरूप नेतृत्व करना सम्भव हो सके। उदाहरण स्तर पर स्थाई निष्ठीय समितियों कठिनाइयों और कमियों का पता लगान और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाने के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। इस प्रकार के मचो/सघनों के नियमित और प्रभावी ढंग से उत्तर तरन स बातचीन करने का अवसर मिलेगा और उचित उद्देश्य म सहायता मिलेगी जो आद्यागिक सम्बन्धों में सुधार लाने के लिए आवश्यक है। इस काय म सहायता देने के लिए सचार और मूचना सहभागिता प्रणालियों को बढ़ावा द्याना चाहिए और उचित परामर्श के बाद निर्णय लिए जान पर यथानीष्ट व्यापारित किए जान चाहिए।

हृषि मे मजदूरी का परिशोधन—ग्रामीण नरोब लोगों के कुद्द बगों वा स्तर डैंचा उठाने के लिए जो एक और सुवर्ग पहलू है वह है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपरन्धों को प्रभावी ढंग से लागू करना। इसमें यह व्यवस्था वो गई है कि अत्यधिक स्तर के लिए और अन्य रोजगारों मे नजदूरी की न्यूनतम दरों समय समय पर निर्धारित वी जाएं और उनमे परिशोधन किया जाए। इस सरकार से खेतिहार मजदूरों और अन्य परिश्रम वाले रोजगारों मे वाम करन वाले फ़रमारों का ही मुख्य लाभ मिलता है। बेन्द्रीय सरकार के अधीन खेतिहारों को छोड़कर, वो इन शेणियों के अधीन अधिक नहीं आते इस बेन्द्रीय वानून को कार्यान्वित करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। इस उपाय से सम्बन्धित मुख्य विषय हैं—नए रोजगारों को धीरे-धीरे इसके अन्दर लाना, उक्त अधिनियम के अधीन निर्धारित न्यूनतम दरों का आवधिक परिशोधन के होने मे विलम्ब का निराकरण करना और विद्यमान उपरन्धों को कारगर टग से लागू करना। इस प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए जिस सुधार सम्बन्धी वारंवाई की सिपारिश वी गई है वे हैं— प्रदर्शन तन्त्र को बढ़ाने की मावश्यकता, इम अधिनियम के अधीन लाने और परिशोधन सम्बन्धी प्रविया दो सरल बताना, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से मजदूरी दर को छोड़ना, उक्त उपरन्धों के कार्यान्वयन के वाम मे ग्रामीण बामगारों वे सुगठनों को शामिल करना। जीविधिक उपरन्धों मे आवश्यक मतोधन शीघ्र लिए जाने की सम्भावना है। नियमों को लागू करन वाले तन्त्र को पर्याप्त रूप से बढ़ाने पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उचित कार्यान्वयन की बारार व्यवस्था करना सम्भव होगा। इस सन्दर्भ ने यह उल्लेखनीय है कि इन उपायों और इनके साथ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और एकीकृत ग्रामीण विकास यादि के साथ इन कार्यक्रमों को चलाने से यह ग्रामीण गरीबी को बढ़ी सत्त्वा मे गरीबी के स्तर से ऊपर उठाने के लिए एक समन्वित और परम्पर समर्दन देने के प्रयत्नों का अधिनियमित करेगा। हृषि वामगारों ने लिए बेन्द्रीय वानून बनाया जाएगा।

सातवीं योजना में हनारी थम नीति कितनी सार्थक ?

सातवीं योजना में कमांड के उपयोग, कुशलता और उत्पादकता के मुधार पर विशेष रूप से बत दिया गया है। उत्पादन प्रक्रिया में पूर्ति और मांग दोनों पक्षों से अभिक का एक प्रहृष्ट सम्बन्ध होता है। पूर्ण प्रीर मांग दोनों का तात्पर उत्पादन बढ़ने से है वयोंकि उच्च उत्पादकता से ही उच्च वेतन निश्चित दिया जा सकता है, उत्पादन को नामन वस की जा सकती है। प्रत अभिक की भूमिका को इस ध्यापक परिवेष में देता जाता चाहिए।

उत्पादकता का मानदण्ड ही भर्य यवस्या का परिचायक होता है और यही थम नीति की सफलता का धारार होता है। लेकिं उत्पादकता स्तराना निपटिय बरन के दिए प्रीयोगिकी की स्थिति और उक्तीकी पठव बहुत आवश्यक है। यह भी सब है कि कामगारों का प्रतुगामन प्रीर प्रांगाहन, उनकी कुशलता प्रीयोगिक सम्बन्ध और कामगारों की साकेतारी, काम की स्थिति और मुख्या सम्बन्धी उपाय भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्रीयोगिक रागणता

प्रीयोगिक शेष की एक प्रमुख समस्या उनकी रागणता की है। प्रीयोगिक वउने में सरलाएँ म जीवित रहते वाने प्रधिकार उद्योग जीएं हो जाते हैं। पटमन और सूती कपड़ा जैसे परम्परागत उद्योगों म ही नहीं बहिर स्वतंत्रा प्राप्ति के बाद स्वारित कई रागविकास और निकी उद्योगों में रिरान रागणता की समस्या बनी हुई है। प्रत समय गमय पर सागठित शेषों में बड़ी सम्भ्या म कामगारों के पुनर्वास की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यह ठीक है कि अधिकतम रोजगार गुलम द्वित जाने चाहिए परन्तु मुख्य शेषों और इस प्रीयोगिक शेषों की उत्पादन प्रक्रियाओं में घटत श्रोत्रोग्नी को प्रक्षन्त कर अभिक उत्पादकता बढ़ने का प्रयत्न दिया जाता चाहिए।

प्रीयोगिक सम्बन्धों में मुधार आने में हडान और तात्पादनी का मामला सब ही मुनक्क जाएगा पर यह तभी गम्भीर है जब प्रद ए म अभिक की पर्याप्त भागीदारी हो और दूनियते गतिविधियों द्वेषभाव रहित और स्वरूप दक्षिणों युक्त हो।

प्रशिथाण

उत्पादकता बहुत गीमा वर इस बाते पर निर्भर करती है कि विभिन्न स्तरों पर कामगारों को दिए प्राप्तार का प्रशिथाण दिया जाता है। प्रशिथाण उद्योग की आवश्यकता में अनुरूप हो कर गर्वेच्च दित्य का होता चाहिए। आन्तरिक और प्रत्यरूपीय बाजारों म प्रतियोगिता का मुकाबला बरते हैं तिए सामान भी गुणवत्ता बहुत आवश्यक है। नवीनतम प्रीयोगिकी की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रीयोगिक प्रशिथाण सहयोगों का मानविकीरण बरता बहुत ही आवश्यक है। पुरानी मरीजारी के उपकरणों का परिदर्शन, तई तदनीसी गिराव और प्रशिथाण के पुराने दरों के नम्रित में पूर्ण बदायत प्रतिष्ठित है। दू

काम चरणबद्ध आधार पर किया जाएगा। सातवी योजना में इसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है और पहले चरण में पुराने श्रीद्योगिक प्रशिक्षण सम्पादनों के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी जाएगी।

वेतन नीति

सातवी योजना में अम नीति का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि एक उपयुक्त वेतन नीति तैयार की जाए। वेतन नीति के आधारमूल लक्ष्य हैं—उत्पादकता को वृद्धि के अनुसार वास्तविक आय के स्तरों में भी वृद्धि करना, उत्पादक रोजगारों को प्रोत्साहित करना, कुशलता में सुधार लाना, वांछित क्षेत्रों में कार्य करना और असमानताओं को कम करना। वेतन नीति अनेक आधिक और व्यावहारिक कारणों से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भूत, बोनस व सामाजिक सुरक्षा जैसे कई सामाजिक महत्वपूर्ण तत्व शामिल होते हैं।

असगठित शहरी व ग्रामीण श्रमिक

योजनावधि में ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में काम कर रहे असगठित श्रमिकों के कल्याण और उनके काम व रहने की दशा में सुधार पर वल दिया जाएगा। इन श्रमिकों के रोजगार व वेतन के लिए कानूनी व्यवस्था की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। इस दिशा में विद्यमान कानूनी विशेष रूप से ठेका श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 तथा अनुनाम मजदूरी अधिनियम, 1948 तथा अन्तर्राजीय प्रब्रजन कामगार रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन अधिनियम 1979 के बारार कार्यान्वयन से भी असगठित शहरी श्रमिकों की दशा सुवारने में काफी सहायता मिल सकती है।

ग्रामीण असगठित श्रमिकों में भूमिहीन श्रमिक, छोटे और सीमान्त किसान, ग्रामीण कारीगर, बन श्रमिक, बटाईदार, मछुआरे और स्वरोजगाररत वाही श्रमिक, चमड़े और हथकरघा कारीगर शामिल होते हैं। काम में मन्दी वा मौसम, अद्य रोजगार, कम वेतन और शिक्षा और समठन की कमी इनको जबलत समस्याएं होती हैं। इनकी कार्यादशा में सुधार के लिए कई कार्यक्रम पहले ही शुरू किए जा चुके हैं लेकिन सामाजिक और आधिक दशा सुधारने का काम बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है और इसके लिए विनियमन सम्पर्क और कठिन परिस्थिति की आवश्यकता है। इन कामगारों की कुशलता को बढ़ाने और इनके प्रशिक्षण पर वल देने के लिए उन्हें कार्यक्रमों की सही जानकारी देकर शिक्षित करना होगा और उन्हें कानूनी व्यवस्थाओं की जानकारी देकर भी शिक्षित करना होगा। इस दिशा में स्वप्रसेवी सम्प्रयोगी की एक महत्वपूर्ण भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। बन्धुआ मजदूर

सरकार देश से बन्धुआ मजदूरी को जड़ से मिटाने को कृत सबल्प है। सातवी योजना में बन्धुआ मजदूर प्रणाली को मिटाने के उद्देश्य से कई प्रावधान किए गए हैं। इस अमानवीय कुप्रयोग को जन्म देने वाली परिस्थितियों में भयकर गरीबी है। वही सम्या में प्रतहाय व्यक्तियों को भरण-पोपण और सामाजिक

रीति रियाजों को निभाने के लिए ग्रामीण महाजनों पर प्राभित होना पड़ता है और उनसे प्राप्त यह कर्ज़ा ही उन भोले ग्रामीणों के लिए कभी न मिटने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली दासता की चक्री बन जाता है। सरकार न सशोधित विषयान के साथ व सच्चे अध्यो में उनके वदम उठाए हैं और मुक्त हुए अधिकों में पुनर्बास के सरकारी-मक्क प्रयासों पर विशेष ध्यान दिया है। इस सम्बन्ध में विभिन्न थम व्यापार वरियोजनाओं के लिए छठी और सातवीं योजना में निर्धारित राशि को देखने से इसका सहज प्रयोगान लगाया जा सकता है—

योजना का परिव्यय तथा अध्ययन—धर्मिक और थम कल्याण

(प्रतीक रूपों में)

छठी योजना		सातवीं योजना के लिए प्रस्तावित परिव्यय	
	परिव्यय	प्रत्याशित अध्ययन	परिव्यय
बेन्द्र	73.50	49.06	95.44
राज्य	111.92	148.55	219.75
साथ शासित दोनों	9.22	12.38	18.53
“			
कुल योग	199.64	199.99	333.72

बाल अधिक

थम दोनों में तत्काल बारेवाही की संपेक्षा रखने वाली प्रमुख समस्या बाल मजदूरी की है। यह समस्या प्रमुख रूप से गरीबी को देने हैं और वर्तमान आर्थिक विकास की स्थिति में इसका पूर्ण उत्तराधिकार भी समझ नहीं है। इस समस्या का निदान आमाजिङ रूप से अधिक उदार परिस्थितिया के निर्माण पर निहित है। सशोधित विषयान के साथ सच्चे अध्यो में उनके प्रियान्वयन के लिए ऐसी स्वयंसेवी एजेंसियों की आवश्यकता है जो बाल अधिकों के स्वास्थ्य, वोपण तथा शिशुण का ध्यान रखें। इन बच्चों के अनौपचारिक शिशु-प्रशिक्षण पर भी बल दिया जाना चाहिए। सेक्रिन ये लक्ष्य तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जबकि उन परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए जिनके बच्चे मजदूरी करने के लिए जाते हैं और यह साध्यता उनका सबसे बड़ा गोपण करती है।

महिला अधिक

जहाँ तक महिला अधिकों का प्रबन्ध है, उन्हें विशेष महत्व दिया जा रहा है तथा आर्थिक विकास में उन्ह सहायी बनाने के लिए कई विशेष सुविधाएँ दी जा रही हैं इस दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं।

समस्त ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में महिलाओं को विशेष लक्ष्य समुदाय माना जाएगा, पूँजी-सम्पत्ति कार्यक्रमों में महिलाओं का समान प्रधिकार, विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार, ऐसे तकनीकी उपकरण तथा प्रणालियों को अधिक प्रोत्साहन जो महिलाओं की उदासीनता कम करें और उन्हें उत्पादन बढ़ाने में अधिक सक्रिय कर सकें। इसके अलावा सातवीं योजनावधि में परिवार नियोजन बैन्ड्र, अभिक महिलाओं के लिए बाल अनुरक्षण बैन्ड्र, राज्य स्तर बढ़ाने पर मार्केटिंग वरितयाँ स्थापित करने और प्रबन्ध में महिलाओं की भागीदारी के लिए विशेष उपायों का प्रावधान है। महिला मजदूरों के लिए समान वेतन, उनके लिए आवश्यक कार्य के घटे आदि से सम्बन्धित बर्तमान कानूनों में सशोधन का भी प्रस्ताव है और इन कानूनों को अधिक विस्तृत किया जाएगा।

उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए 334 बरोड रपये के विनियोजन की एक विस्तृत योजना बैन्ड्र, राज्य तथा संघ शासित राज्यों के लिए विशेष रूप से सातवीं योजना में उपलब्ध कराई गई है। लेकिन योजनाएँ कितनी भी आवश्यक व लाभकारी बयों न हो उनका सही लाभ केवल उभी सम्भव है जबकि व्यापक रूप से जागरूकता हो और ईमानदारी के साथ इनकी मफलना के लिए प्रयास किए जाएं। केवल जादूई करिश्मा ही इन्हें सकृत नहीं बना सकेगा। नागरिकों की इच्छा शक्ति भी एक महत्वपूर्ण निरायिक है।¹

मजदूरी नीति और राष्ट्रीय अम आयोग की रिपोर्ट (1969)

(Wage Policy and Report (1969) of National Commission on Labour)

केन्द्रीय सरकार ने दिसम्बर, 1966 में एक राष्ट्रीय अम आयोग यों पी दी गजेन्ड्रगढ़वर की अध्यक्षता में स्थापित किया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट अगस्त, 1969 में दी जिसमें मजदूरी नीति ने सम्बन्धित निम्नांकित सिफारिजों की गई—²

सरकार, नियोक्ता, अम सधो तथा स्वतन्त्र व्यक्तियों ने सहमति प्रकट की कि मजदूरी नीति ऐसी हो जिससे प्रार्थिक विकास की नीतियों को प्राप्त विद्या जा सके।

1. न्यूनतम मजदूरी के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए आयोग ने इसके निर्धारण हेतु उद्योग की मजदूरी देय क्षमता को ध्यान में रखने की सिफारिश की। आयोग के अनुसार राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी (National Minimum Wage) न तो सारे देश के लिए उचित है और न ही वौद्धीय।

1 छोड़ना, मई, 1986 (योग्यता बन्दरला शक्ति)

2 Report of the National Commission on Labour, p. 225.

विभिन्न देशों के निए अन्य-प्रातिक प्राविक न्यूनतम मजदूरी (Regional Minimum Wage) निर्धारण की सिफारिश की।

2. प्रायोग - गिफ्टरिंग की कि बिना उत्पादकता में बढ़िये के मजदूरों की धाराविक मजदूरी में निरन्तर बढ़िये सम्भव नहीं है। प्रायोग ने प्रेरणात्मक मजदूरी गोड़नाइटो (Incentive Wage Systems) का सामूह रखने की सिफारिश की। जीवन निर्धारण लागत परिवर्तन के साथ-साथ मजदूरी में भी परिवर्तन रखना चाहिए।

3. मजदूरी बोर्ड (Wage Board) को मजदूरी नियमित महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के महत्व को स्वीकार किया गया। इसके साथ ही प्रायोग ने मजदूरी बोर्ड की संवृत्तिमत गिफ्टरिंगों को लागू करना कानून स्वियाय बनाने की सिफारिश की।

4. कृषि शमिको के सम्बन्ध में यूरानम मजदूरी परिवर्तन को प्रभावपूर्ण दबा से नामू रखने की सिफारिश की। यह सबसे कम मजदूरी वाले देशों में पहले सामूह किया जाए।

5. नियोक्ताधीश ने प्रायोग के सम्मुग्ध यह निषार पेन किया कि घोषोंगिर मजदूरी का कृषि मजदूरी प्रौद्योगिकीय साथ से सम्बन्ध होना चाहिए। मजदूरी को उत्पादकता में जोड़ किया जाए तथा उचित मजदूरी समिति की गिफ्टरिंगों के प्राप्तार पर मजदूरी का निर्धारण किया जाए।

6. अब गधो ने प्रायोग को यहाँ कि बास्तविक मजदूरी में गिरावट को दूर किया जाना नियमे कि शमिको का जीवन स्तर बनाए रखा जा सके। यह तभी सम्भव हो सकता है जब मजदूरी को उत्पादकता से जोड़ किया जाए।

7. राज्य गरकारों ने भी मजदूरी नीति में परिवर्तन की सावधानता पर जोर किया। मजदूरी नीति थम के पनुप्रूल हो सका उपभोक्ताधीशों के हित को भी ध्यान में रखने चाही हो। गरकार ने यह बाधका किया कि शमिकों ने जीवन-स्तर में गुधार किया जाएगा। तथा धन प्रौद्योगिकीय सम्बन्ध में वितरण को भी दूर किया जाएगा।

राष्ट्रीय शम प्रायोग ने मजदूरी से संबंधित सभी परिवर्तनों को मिला कर कोई एकीकृत परिवर्तन (Integrated Act) पास करने की विद्यारिश नहीं की। प्राप्तशक्तानुमार न्यूनतम मजदूरी (Need based Minimum Wage) नियोगित करते गमय रिपोर्ट नियमों तथा नियांत्रों को ध्यान में रखा जाए, जोई गिफ्टरिंग नहीं की यही।

अम श्री मजदूरी नीति दो प्रभावित करने वाले सम्मेलन

• तथा अन्य महत्वपूर्ण मास्टे (1985-86)

भारत सरकार ने अम प्राप्तशक्ति की बाबिल रिपोर्ट में 1985-86 का दे दीरान अम द्वारा मजदूरी नीति दो प्रभावित करने वाले विभिन्न धन्तराष्ट्रीय धन सम्मेलनों प्रौद्योगिक सम्मेलनों प्रौद्योगिक सम्मेलनों का गतिविधीया

दिया गया है। इससे हमें विषय वस्तु की मूल्यवान जानकारी प्राप्त होती है। रिपोर्ट ने दिए गए अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों में कुछ प्रमुख सम्मेलनों का विवरण इस प्रकार है—

अत्तरराष्ट्रीय बैठकें/सम्मेलन

(क) अन्तर्राष्ट्रीय अम सम्मेलन-अन्तर्राष्ट्रीय अम सम्मेलन का 71वाँ अधिकार जेनेवा में 7 जून से 27 जून, 1985 तक हुआ। इसके 151 देशों के 2000 सरकारी, नियोड़कों और धर्मिकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत ने एक विरक्षोप विष्टमण्डल भेजा। महानिदेशक की रिपोर्ट का मुख्य प्रचलन, धौद्योगिक सम्बन्ध और त्रिपक्षीयवाद के बारे में था। प्राय सभी प्रतिनिधियों ने सुदृढ़ धौद्योगिक सम्बन्धों को प्रोत्तराहन देने और त्रिपक्षीयवाद को भजदृत करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस सम्मेलन ने दो वर्ष की अवधि 1986-87 के लिए संगठन के कार्यक्रम और 2530 लाख यू.एस डॉलर की राशि के बजट को पारित किया। इस सम्मेलन को 17 जून को विषेष बैठक हुई जिसे भारत के प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने सम्बोधित किया।

इस सम्मेलन ने (क) व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा और (ब) अम संस्थिती सम्बन्धों दो इमिशमयों को स्वीकार किया। रोजगार में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान घबराह और समान व्यवहार के बारे में आम चर्चा हुई। राजनेता भाव पर भी यहां विचार-विभास हुआ जो प्रतिवर्ष सम्मेलन का एक स्थायी विषय होता है और दक्षिण अमेरिका में राजनेता भाव की नीतियों से सम्बन्धित शाई एवं भोपरा पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी निष्कर्षों को पारित किया गया।

इस सम्मेलन ने दो प्रस्ताव पारित किए। प्रथम प्रस्ताव में इहा क्या कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय और विशेषकर विकसित देशों और अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से समीक्षा की जिवे अतिरिक्त साधनों वा आवादन बढ़ावे और सहायता तथा सहयोग कार्यकारियों द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों को सुदृढ़ बढ़ावे से प्रभावित अन्तर्राष्ट्रीय देशों को मशिक भद्रद विद्यान बढ़ावे। दूसरे प्रस्ताव में इस सम्मेलन ने बढ़ते हुए खर्चों और गम्भीर दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई सरका पर गहरी चिना व्यक्त की जो खतरनाक पदार्थों तथा रासायनिक उत्पादों के प्रयोग से सम्बन्धित है। इन सम्मेलन में सभी सदस्य देशों से अधीक की कि वे धर्मिक और नियाजन संगठनों के साथ पूरा परामर्श करके खतरनाक साधनों के प्रयोग तथा जोखिमपूर्ण पदार्थों के उत्पादन, परिवहन, सचयन, हैंडलिंग और विक्रय से सम्बन्धित खतरा निवारण के लिए समाजिक और व्यापक नीतियाँ स्वीकार करें। इसकी प्रस्तावता में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और प्रमुख प्रबन्धतन्त्र के द्वारा सभी सहायता युक्तियों के प्रबन्ध के संगठन और नियन्त्रण के बारे में वैसिक उत्तरदायित्व पर जोर ढाला गया।

ध्यावापिक स्वास्थ्य सेवा प्रभितमय पौर सिफारिश में जिसे सम्मेलन न पारित किया, निर्धारक और बहुउद्देश्यीय दृष्टिकोण को निर्दिष्ट किया गया जिनप नियोजक और धर्मिक पूरी तरह सहफोष देते हैं। नए दस्तावेजों के प्रत्युत्तर इस सेवाओं का उद्देश्य न बैदर धर्मिकों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए विकिरणा ज्ञान प्रदान करना है बल्कि एक ऐसा चेतन बनाता है जिसके द्वारा धर्म विशिष्ट सेवों में प्राप्त ज्ञान और प्रत्युत्तर को सभी सम्बन्धित पार्टी के गहरोग में वायं पर्यावरण में सुधार करने हेतु ध्यावापिक कार्यवाही की पौर प्रभितमय किया जा सके। प्रभितमय का अनुसमर्थन करने वाले सदस्य देश सभी धर्मितों के लिए जिनम सावंजनिक संबंद्ह के धर्मिक पौर उत्तादन सहकारी समितियों के सदस्य गमित हैं, प्राधिक वायंदक्षाओं की सभी जालाओं में और सभी उपक्रमों तथा उपक्रमों के विशिष्ट सतरों को ध्यान में रखते हुए ध्यावापिक स्वास्थ्य सेवा का उत्तरोत्तर विकास करें।

प्रभितमय द्वारा आधारित मिदाता का समरण करने के पश्चात् सिफारिश में निम्नलिखित धेरों में इस साकाषो के कार्यों का विस्तृत वर्णन किया गया है वायं पर्यावरण की नियरतानी, धर्मिकों के स्वास्थ्य को नियरानी, सूखना, गिरा, प्रशिक्षण पौर परामर्श पौर प्रयोक्तार घवहार पौर स्वास्थ्य वायंकम। इस सिफारिश में यह घताया गया कि राष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय उपक्रमों को जिनक पाद से प्रधिक प्रतिष्ठान हैं, परने सभी प्रतिष्ठानों में, चाहे यह किसी भी जगह या देश में स्थित हों, धर्मिकों को जिनकी भेदभाव के उच्चतम मेवा प्रदान करनी चाहिए।

सामाजिक पौर धार्यिक प्रतिति की धीरता बनाने और उस मानीटर करने सहा ध्योवापिक सम्बन्धों में जिए विश्वसनीय धर्म धौकड़ी की धावत्यरता की बज्जह से धर्म धौकड़ी गच्छनीय प्रभितमय और सिफारिश को सम्मतन ने स्वीकार किया। इस देश में पहले के इसाविजों में सागोपन करते हुए इस प्रभितमय गच्छन दश धर्म पौरकड़ों को नियमित रूप से पक्ष बरने, सरतित बरने पौर प्रशाशित करने के लिए व्यवस्था ही जाएगी जिनका उत्तरोत्तर वितार किया जाएगा ताकि इसके पातंगेत धार्यिक हृषि से सक्रिय जनरास्ता रोडगार, जहो गत हो, वे रोडगारों पौर जहो स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्य पन्ना रोडगार, धार्यिक हृषि से सक्रिय जनरास्ता भी गरनना पौर उनका वितरण तथा धौकड़ धार्य और वायं पर्यावरणों को लाया जा सके। पहुंच सभी धीरते पूरे देश को प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके काव्यों में मन्दूरी दौका और दिवरण, धर्म सागर, उपभोग सूचन्य सूखारी, पौरपू ध्येय, ध्यावापिक चोट पौर ध्योवापिक विवाद भी दाने हैं।

न देवर विवोक्तों पौर धर्मिकों तथा उनके साकारों स्वास्थ्य पौर धर्म प्राधिकरणों वृत्तिक सामाजिक सोमों द्वारा भी एवेन्टाम धूल के बारत जनरतों प्रधावों के बारे में ध्येय वी भई प्राधिकरण जिनके के प्रश्नुतरम, रामेश्वरन ने १८

एतते के लिए व्यापक दृष्टिकोण हेतु आधार तैयार किया। यह मनौदा अभिन्नमय और सिफारिश के रूप में था ताकि इस पर और विचार विमर्श किया जा सके और अगले वर्ष इसे पारित किया जा सके।

रोजगार में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान भवसर और समान व्यवहार सम्बन्धी प्रस्ताव और निष्ठयों को पारित करते हुए इस सम्मेलन न कारंवाही की घोषणा और व्लान की वंचता का पुनर समर्थन किया ताकि ये एन.डी.डी.डी.फॉर वूर्मन के प्रारम्भ में 1975 में पारित इस समानता को बढ़ावा दिया जा सके और आई एल ओ सदस्य राज्यों से भरीन को कि वे इस क्षेत्र में अभिन्नमयों और सिफारिशों का अनुसमर्थन करें और उन्हें सागू करें। इन निष्ठयों ने महिलाओं के रोजगार की बढ़ावा देने और उन्हें समान रोजगार के घवसर प्रदान करने के उपायों का समर्थन किया, चाहे आधिक विकास की दर और रोजगार बाजार की परिस्थितियाँ कुछ भी हो ताकि वे अपने देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सकें। इस सम्मेलन ने समान पारितोषिक के सिद्धान्त को पूरी तरह से सागू करने की आवश्यकता तथा यह सुनिश्चित करने का पुनर समर्थन किया कि वार्य वर्गों करणा और मूल्यांकन के मानदण्ड के कोई लिंग सम्बन्धी भेदभाव न हो।

भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने सम्मेलन और इसकी समितियों के विचार-विमर्श में कारगर रूप से भाग लिया। भारत के प्रधानमन्त्री ने मुख्य भाषण दिया जिसमें अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर प्रकाश ढाला गया और सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी वर्गों ने इसका जोरदार स्वागत किया।

(क) शासी निकाय की बैठक—शासी निकाय और उसकी समितियों के तीन अधिवेशन न्हृए अर्थात् फरवरी भारत में, मई-जून में और नवम्बर, 1985 में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व अम सचिव ने किया तथा अम मन्त्रालय और भारत के स्थायी दूतावाम के अधिकारियों ने उन्हें सहयोग दिया। शासी निकाय द्वारा विचार विमर्श किए गए महत्वपूर्ण मसल और लिए गए निर्णय, अन्य वर्गों के साथ-साथ, द्विवर्ष 1986-87 के लिए बजट और कार्यक्रम को पारित करने, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रमुख जोखिम नियन्त्रण और बेहतर सुरक्षा उपायों पर अधिक जोर देने वी आवश्यकता तथा कुछ सदस्य देशों द्वारा संघ बनाने वी स्वतन्त्रता से सम्बन्धित आई एन.ओ मानदण्डों का पालन न करने से सम्बन्धित थे। शासी निकाय ने यह भी निर्णय लिया कि आई एल ओ वार्यवलायों के प्रयोजन हेतु इजराइल को यूरोपीयन क्षेत्र का एक सदस्य समझा जाए। इसने अन्नराष्ट्रीय अम सम्मेलन के 73वें अधिवेशन की कार्य सूची को अन्तिम रूप भी दिया। शासी निकाय ने भेदभाव सम्बन्धी, औद्योगिक कार्यवलाय समिति, आपरेशनल प्रोग्राम समिति द्वारा सूचित किया गया आई एल ओ वार्यवलायों की पुनरीक्षा की तथा टैक्नोलॉजी सम्बन्धी सलाहकार समिति की रिपोर्ट वी भी जारी की।

(प) अन्तर्राष्ट्रीय अम संगठन की दौटोपिक समितियों की बैठक—वर्ष 1985 में श्रीराम, प्राइ पक और वी निम्नलिखित श्रीदोतिक और गद्दा समितियों की बैठक हुई। विचार-विमर्श की तई मुख्य मद्दें रोजगार, प्रशिक्षण, बार्डरशास्त्री, पारिवर्षिक, विशेष वर्ष के अधिकारों की विशिष्ट ममस्थानों वा ममाधान वर्तने रे माधर्तों, औतों का अधिकारतम उपयोग, रोजगार पदवर्गों का मृदन, रोजगार में पुराणों और महिलाओं में जिए गमान अवधार अधिक तकनीक महशोग भी अवश्यकता प्राप्त जैसे विषयों से मध्यनियत थी। इन बैठकों में भाग लेने वे निए भारत सरकार द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि मण्डल ने समितियों के विचार-विमर्श में कारगर हर में भाग लिया।

(ष) कामवेल्य रोजगार और अम समितियों की बैठक (जेनेवा, 6 जून, 1985)—कामवेल्य रोजगार और अम मन्त्रियों की बैठक 6 जून, 1985 को जेनेवा में हुई। मन्त्रियों ने बार्डरशूची से कई विषयों पर विचार-विषयों दिया और अधिकारी विकासमील देशों में बेरोजगार पर विनाश अक्त भी तथा उप सहारा यात्रीका में स्थिति विशेष रूप से गम्भीर थी। मन्त्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार द्वारा रोजगार पदवर्गों में लिए एवं गम्भीर यतरा है और अत्यधिक यात्राओं की, विशेषकर विनाश देशों में, बम वर्तने की आवश्यकता पर वल दिया गया। प्राविक विकास की बाबा देते हेतु तकनीकी परिवर्तन वा भूमिका पर वल दिया गया और महिलाओं के रिए गमान रोजगार पदवर्गों सम्बन्धी नीतियाँ बनाने और उन्हें लागू करने को स्वीकार दिया गया। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पदाति बनाने और उम्मेर विकास को स्वीकार दिया गया। कामवेल्य श्रीदोतिक प्रशिक्षणक और प्रतुनिय बार्डरशूच (वा. प्रो. प्र. घ. वा.) के बारे में मन्त्रियों ने यह तिरारिया की कि का भो प्र. घ. वा. वा. तकनीकी गहाया के निए कामवेल्य विधि के अन्दर स्थापित किया जाए।

(८) दसवीं एगियन और प्रशान्त महासागर अम सन्दर्भों सम्बन्धन (सेतबोन, अष्टूबार, 1985)—दसवीं एगियन और प्रशान्त महासागर अम मन्त्री मम्मेन १-४ अष्टूबार, 1985 तक यादेनिया में मेलबोर्न में बायोजित दिया गया था। सम्बन्धन की बार्डरशूची में दो मद्दें थीं—पर्याप्त पुराणों पर राष्ट्रीय अम मन्त्रियों वा प्रभाव तथा एगियन और प्रशान्त महासागर देश में अम तथा सम्बद्ध देशों में तकनीकी गहायों को प्रोत्तात्तन देना।

युवर्षों के गम्यनियन प्रयम यह है कारे में गम्येनक का मुद्दा निष्ठावैय यह पा हि युवर्षों के लिए रोजगार पदवर्गों वा नियोरारण परने के लिए इड और गद्दा प्राविक विकास अवधिक महसूल दाता है और गद्दार-देशों को दीर्घासीन रोजगार में अधिक से अधिक वृद्धि परने के लिए उचित नीति गुह भरने पाहिए। तम्मेनकों ने ऐसु भी महसूल दिया हि युवर्षों को रोजगार पदवर्गों को प्रभावित करने में जन-संत्वा वृद्धि एवं पहरवदूँ दारक है और इन देशों को कम वर्तने के लिए, भारत सेने दासे सदरयों को उपपुराण परिवार नियोन बायेन्स सागू परने चाहिए। इन

सम्मेलन ने मानव सत्त्वाधन विकास के महत्व वीथोर विशेष घोटन दिया और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण वार्यंत्रमों पर बल दिया जिनमें 'माँ एच थोक द जॉब ट्रेनिंग' शामिल है। इस सम्मेलन ने यह भी सिफारिश की कि स्वरोजगार और घोटे उपकरणों को स्पष्टपना को प्रोत्साहन दिया जाए।

तकनीकी सहयोग के सम्बन्ध में, इस सम्मेलन ने इस आवश्यकता पर बल दिया कि ग्राई. एल. थो. इम क्षेत्र के वार्यंत्रमों के लिए आवित साधनों के प्रनुपात में दृढ़ि करें और तकनीकी सहयोग सहायता वो विदेशित बरने हेतु और बदल उठाए। विभिन्न क्षेत्रीय वार्यंत्रमों और परियोजनाओं तथा यू.एम डी पी और यू.एन एफ. पी. ए जैसी सम्बन्धित बहुक्षीय एजेन्सियों के बीच भी अधिक समन्वय पर बल दिया गया। इन सम्मेलन ने इस क्षेत्र में अम तथा सम्बन्धित क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग को प्रायमिकताओं पर विचार-विमर्श किया और युवकों की जहरतो, व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, वार्यदशाएं और पर्यावरण, मानव सत्त्वाधन विकास सहित रोजगार पर बल दिया जिनमें राष्ट्रीय विकास म महिलाओं के योगदान और प्रशासन को सुनुद करना भी शामिल है।

(च) ग्राई एल. थो. क्षेत्रीय सम्मेलन का दसवां अधिवेशन (जड़ाता, 4-13 दिसम्बर, 1985) — ग्राई एल. थो. क्षेत्रीय सम्मेलन का दसवां अधिवेशन जड़ाता में 4-13 दिसम्बर, 1985 तक हुआ था। भारत का प्रतिनिधित्व वेन्ट्रीय श्रममन्त्री की अध्यक्षता वाले विषयीय शिष्टमण्डल ने किया था। अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय निकायों ने पर्यवेक्षकों के प्रतिरिक्त 30 देशों की सरकारों, नियोजकों तथा अमिकों के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम मानदण्डों के प्रतिरिक्त, अपग्र व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक पुनर्वास पर विचार-विमर्श किया। इस सम्मेलन ने व्यावसायिक प्रशिक्षण वो 'सभी के लिए मूलभूत आवश्यकता' और क्षेत्र वे लोगों के 'जीवन-स्तर का मुधार' करने हेतु अवमरों का पता लगाने को 'वृंजी' दताया। उभाति तथा कल्याण में सच्चा योगदान करने के लिए इसे अधिकारी व्यक्तियों, यदि समस्त जनसंख्या तक नहीं, के पास पहुंचना होगा तथा इसे कार्य आवश्यकताओं और विकास सम्भालना के प्रनुरूप होना होगा। विकलांग व्यक्तियों के उत्पादक रोजगार में एकीकरण को बढ़ावा देने के उपायों को अपनाते हुए, इस सम्मेलन ने अपनाता वो 'सामाजिक, आधिक और मानवीय समस्या' बताया। इस सम्मेलन ने प्रतिबन्धित व्यापार पद्धतियों का मुकाबला बरने, उत्पादकता में मुधार बरने, प्रमुख औद्योगिक दुर्घटनाओं को रोकने और ट्रेड यूनियन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए उपाय करने का प्रनुरोध किया।

(छ) अन्तर्राष्ट्रीय समाज सुरक्षा एसोसिएशन (ग्राई एस. एस. ए) वीथक—भारत सरकार और कमंचारी राज्य वीमा निगम, अन्तर्राष्ट्रीय समाज सुरक्षा एसोसिएशन, जेनेवा के सम्बद्ध सदस्य हैं जबकि कमंचारों भविष्य निधि संगठन एवं सह-सदस्य है। वर्ष 1985 के दौरान, विभिन्न बैठकों/सम्मेलनों, विचारणोंपरियों में भाग लेने के लिए उनमें शिष्टमण्डल विदेश भेजे गए।

भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय धर्म मानवों के बाधाविधन को बड़ाबा देने के लिए विपक्षीय समाज मण्डिरों से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय धर्म संगठन अभियास अध्या 144 का 27 परवरी, 1979 को अनुसमर्थन दिया था। इस अभियास का अनुसमर्थन करने वाले देश उन प्रतियायों को लागू करने के लिए बचाव देते हैं, जिनसे यह सुनिश्चित हो। ये सरकार, नियोजनों और अभियासों के प्रतिनिधि अन्तर्राष्ट्रीय धर्म संगठन के कार्यकलापों से मध्यनियन्त्रण मामलों पर आपस में प्रभावी समाज मण्डिरों के लिए जाने वाले इस प्रशासन हैं—

(२) अन्तर्राष्ट्रीय धर्म सम्बन्ध की मदों में सम्बन्धित प्रश्नावलियों के सम्बन्ध में सरकार वे उत्तर पौर सम्मेलन द्वारा विचार-दियाँ दिए जाने वाले प्रश्नावलिन मूलपाठों पर सरकार की टिप्पणियाँ,

(३) अन्तर्राष्ट्रीय धर्म संगठन के अधियान की पारा 19 के अनुसरण में अभियासों और नियारियों की प्रस्तुति के सम्बन्ध में सम्भम प्रायिकारी या प्राधिकारियों को प्रदत्त दिए जाने वाले प्रस्ताव,

(४) समूचित अन्तरासों में ऐसे अभियासों और ऐसी नियारियों की पुनर्जीव जिन्हें अभी लागू नहीं किया गया हाकि यह विचार किया जा सके ये उन्हें लागू करने और उनका अनुसमर्थन कर सकने के लिए (इनमें से जो भी उचित हो) या उत्तराय किए जा सकते हैं,

(५) अन्तर्राष्ट्रीय धर्म संगठन के अधियान की पारा 22 के अधीन अन्तर्राष्ट्रीय धर्म संगठन को प्रदत्त की जाने वाली रिपोर्ट से वंदा हुए प्रश्न, और

(६) अनुसमर्थित अभियासों के प्रत्याह्यान सम्बन्धी प्रस्ताव।

अभियासों में यह धर्मेश्वा की यहाँ है ये विवारों द्वारा तय दिए गए समुचित अन्तरासों में परन्तु कम से कम वर्ष में एक बार समाज-मण्डिर दिया जाएगा। सधम प्रायिकारी के लिए यह भी जहरी है ये वह गताह मण्डिरों से सम्बन्धित प्रतियायों के कार्यकरण के बारे में वानिक रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट धर्म से जरो भी जा सकती है या यह और पवित्र प्रौपवारिक सामान्य रिपोर्ट—उदाहरणार्थ धर्म मन्त्रालय की वायिक रिपोर्ट के एक प्रमाण वे रूप में भी हो सकती है।

राष्ट्रीय सम्मेलन

(क) राज्य धर्म मन्त्रियों का 35वीं सम्मेलन—राज्य धर्म मन्त्रियों का 35वीं सम्मेलन 11 मई, 1985 को नई दिल्ली में बैराटीय राज्य धर्म मन्त्री की अध्यक्षता में हुआ। सम्मेलन में देश के वर्तमान औरोगिक सम्बन्धों की विविध वा सामाजिक जाफ़ज़ा किया गया और विचुक्तिवित मुद्रित सुझाव दिए गए—

१. तात्त्वावृद्धी के बारानों की औरोगिक सम्बन्ध-सम्बन्ध द्वारा जीव की जानी पाहिए, और ऐसी जीव के परिणामों का सम्मेलन करने पर हिति का गही परिवास करना पाहिए।

२. इस बात की जीव की जानी पाहिए कि या तात्त्वावृद्धी की परिमाणा

विस्तृत की जाए ताकि सक्रिया या व्यापार को अस्थाई तौर पर बन्द कर ताला-बद्दी करने की परिपाटी से निपटा जाए।

3 कामबन्दी, जबरी छुट्टी और छेंडनी से सम्बन्धित मामलों में श्रीद्योगिक विवाद प्रधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के बारे में स्थगन प्रादेशी के विशद प्रपील करने के लिए उचित प्रशासनिक कदम उठाए जाने चाहिए।

4 अब मामलों में न्याय-निर्णयन शीघ्र निपटाने के लिए उच्च प्रधिकार प्राप्त अधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए। स्वैच्छिक मध्यस्थता को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

5 श्रीद्योगिक सम्बन्धों की स्थिति दो मानीटर करने के लिए व्यवस्था को सुट्ट करना चाहिए।

6 अभियों की देय राशियों को सर्वोच्च प्रायमिकता दी जानी चाहिए और इसके लिए सम्बन्धित प्रधिनियमों में उपयुक्त संशोधन किए जाएं।

7 अभियों की देय राशियों की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए समुचित बीमा योजना के ब्योरे तैयार किए जाएं।

8 कम्पनी/यूनिटों के लेखों की वार्षिक लेखा-परीक्षा करने समय इस आशय का प्रमाणपत्र लेने की पढ़ति की वार्षिक/सिवानिवृत्ति की वचनवद्धता जैसे उपादान आदि के लिए अपेक्षित पाण्डस नियमान हैं।

9 मजदूरी/बोनस/उपदान, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और बेंद्रीय भविष्य निधि की घदायगी से सम्बन्धित कानूनों को प्रभावी रूप में लागू किया जाना चाहिए।

10. उपदान सदाय अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत आने के लिए विद्यमान 1600 रुपये प्रतिमाह की अधिकतम सीमा को समाप्त किया जाए और इस अधिनियम के उपबन्धों को 10 से कम व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों पर लागू करने के लिए समुचित सरकारों दो शक्तियां प्रदान की जाए।

11. प्रधिनियम के सीमादेय का विस्तार किया जाए ताकि काफी संख्या में महिला अभियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों को उसके अन्तर्गत लाया जा सके और इसके विस्तार को अधिक बढ़ाने के लिए त्रिपक्षीय विचार विमर्श किया जाना चाहिए।

12 कर्मचारी राज्य बीमा निगम को बात अभियों के स्वाम्य की देव-रेख के लिए कार्यक्रम शुरू करना चाहिए।

13 राज्य सरकारों को शियिल करने वाले प्रमाणन को कम करने की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

14 उन प्रतिष्ठानों के सिलफ दाप्तिक कारंबाई चलानी चाहिए जिन्होंने अभियों से निधियों की वसूली तो की है मगर उसे जमा नहीं कराया है और यह हो गए या बद्द कर दिए या समापनाधीन हैं।

15. दापिड़क प्रभियोगन चलाने के अलावा देय राजियों की बगूली बरने के लिए यथासम्बद्ध शीघ्र बारंबाई की जानी चाहिए ।

16. टुयंटनाप्रो और बीमारियों वो रोकने के हित में, मुद्रण बारताना निरीक्षक का जोतिमपूर्ण उद्योग में बायोफलार बन्द करने के प्रारंभ जारी करने की शक्तियाँ प्रदत्त की जानी चाहिए । जोतिमपूर्ण उद्योगों में सुरक्षा विनियमों वा लगातार उत्तरवाच करने पर प्रतिक यहाँ सत्त्वा दी जाए ।

17. राज्य सरकार खतरनाक उत्तरादन प्रतियाप्तों के सम्बन्ध में मौद्रित नियमों और प्रनुयूचियों में निर्धारित नियन्त्रण उपायों वो राज्य कारताना नियमों में शामिल बर इन सभी उपायों को अपनाएंगी ।

18. राज्य/संघ-राज्य द्वेष मुरदाना अविभागियों की नियुक्ति के बारे में अपने नियमों भी समीक्षा करें, और यह मुनिशिवत्, करेंगे जिहत में मुरदाना अविभागियों की अपेक्षित घट्टनाएँ, कर्तव्य और उत्तरादायित्व निर्धारित जिए यह है ।

19. टाई थोर कोसों की रिपोर्ट के प्राप्तारपर, राज्य सरकार जोतिमपूर्ण उद्योगों की एक गृही बनाएंगी और और और बारताना सत्त्वा द्वेष और अम विज्ञान ऐन महानिटेशालय को भेजेंगी, जो ऐसे जोतिमपूर्ण उद्योगों की एक सामाज्य मूर्ची बनाएंगे ताकि प्रतिन भारतीय प्राधार पर साम हित के प्रध्ययन और सर्वेशण बरने के लिए भविष्य की बारंबाई योजना बनाई जा सके ।

20. जोतिमपूर्ण राज्यानिक उद्योगों में पर्यावरण की मानीटरिंग बरने के लिए आवश्यक जन-शक्ति, उपहरणों थोर युवियाओं सहित ग्रीष्मागिर स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं वो राज्यों में स्थापित करने थोर उन्हें मुद्र करने के लिए बेन्द्र द्वारा संचालित एक योजना बनाई जाए जिसमें 50% भगदान राज्य सरकार और 50% भगदान केन्द्र सरकार हरेंगी ।

21. विभिन्न दोनों से चुने हए दिग्गजों की एक स्थायी समिति राज्य स्तर पर गठित की जाएगी जिसका सधोनक मुद्र बारताना निरीक्षण होगा । यह समिति समय समय गर जोतिमपूर्ण उद्योगों की मुरदाना दशाओं की जीव करेगी थोर राज्य स्तर पर एक विपक्षीय समिति वो उन्हें बारे में उपचारी उपायों की रिपोर्ट देती ।

22. अम मन्त्री की प्रध्याताना में एक उच्च अधिकार प्राप्त विवरित मुरदाना समिति राज्य स्तर पर होगी । यह समिति राज्य भर के कारतानों में समग्र मुरदाना और स्वास्थ्य के बारे में जीव विषयक मामलों का नियरिट्य हरेंगी ।

23. देश में व्यावरणादित स्वास्थ्य गेवाओं वा एक बाहर दनाया जाएगा ताकि विभिन्निक इमार जाएंगे—

(क) बारताना सत्त्वा द्वेष और अम विज्ञान ऐन महानिटेशालय द्वारा

प्रशिक्षण और विकास के लिए समुचित कार्यक्रम बनाए जाएंगे और उन्हें लागू किया जाएगा जिसमें वह एन आई. औ एच आई और टी सी और राज्य सरकारों के कारबाना निरीक्षणालयों का सहयोग प्राप्त करेगा ।

(ख) कमेचारी राज्य बीमा नियम प्रत्येक राज्य में व्यावसायिक स्वास्थ्य नैदानिक केन्द्र स्थापित करेगा और वे केन्द्र बारबाना सलाह सेवा और अम विज्ञान केन्द्र के व्यावसायिक स्वास्थ्य क्लीनिकों, जिनमें सातवी पचवर्षीय योजना में परिवर्तन की गई है, के पूर्ण सहयोग से काम करेंगे ।

24 बन्धुप्रा श्रमिकों के पुनर्वास कार्यक्रम को विद्वानान् समेवित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के साथ समन्वित किया जाना चाहिए ।

25 समेवित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन उपलब्ध अनुदान, बन्धुप्रा श्रमिकों के पुनर्वास हेतु मिलने वाले अनुदान के अतिरिक्त होगा ।

26. बन्धुप्रा मजदूरों के पुनर्वास के लिए अनुदान को वैको से छूटा लेने के लिए मूल धन के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए तथापि यह स्वीकृत परियोजना लागत की सीमाओं के भीतर होना चाहिए ।

27 केन्द्रीय सेंक्टर योजना के अधीन 4000 रुपये की सीमा काफी साल पहले निर्धारित की गई थी और इस सीमा को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है ।

28 4000 रुपये के अनुज्ञेय अनुदान के अलावा पता लगाने के समय और कार्यक्रम शुरू होने के समय के बीच की अवधि के निए अतिरिक्त अनुदान की घटवस्था की जाए ।

29 बन्धुप्रा श्रमिकों के पुनर्वास के लिए अनुदान का उपयोग प्रमाण-पत्रों की शत-प्रतिशत प्राप्ति पर और न देते हुए रिलीज किया जाना चाहिए । यदि प्राप्त होने वाले उपयोग प्रमाण-पत्रों का 75 प्रतिशत भी प्राप्त हो जाए तो अनुदान रिलीज करने के प्रयोजनार्थ उपयोग प्रमाण पत्रों की घप्राप्ति को टाला जा सकता है ।

30 जहाँ कही सम्भव हो, वहाँ स्वैच्छिक एजेन्सिया की सक्षमता और इच्छा का उपयोग किया जाए ताकि ग्रामीण समाज में मूलभूत परिवर्तन किए जा सकें । इन स्वैच्छिक एजेन्सियों में कामकाज को ग्रामीण संगठनों की विद्यमान योजनाओं के साथ सम्बद्ध किया जा सकता है ।

31 जब कभी सार्वजनिक खेत्र का उपक्रम या सरकार प्रधान नियोजक हो तो ठेके म यह उपबन्ध किया जाना चाहिए कि ठेकेदार भपने ठेके श्रमिकों दो कम से कम निर्धारित न्यूनतम मजदूरी वी पदायगी करेगा । ठेकेदार के सभी दिन

मुश्तिम है लिए केवल तभी जान हिए जाते जब प्रवास नियोगिता यह प्रमाणित हर है कि नियोगित न्यूनतम मजदूरी अदा की गई है।

32 बीड़ी श्रमिक वे लिए यात्रास योजनाया को आधिक रूप से इमजोर थको वे लिए राष्ट्र सरकारी द्वारा खलाई जा रही विद्यमान यात्रास योजनाया के पास सम्बद्ध किया जाना चाहिए।

33 एह राष्ट्रीय यात्रा थम परियोजना मुहू भी जाएगी ताकि जिन क्षेत्रों में बात थमित संकेन्द्रित है उनमे प्रभावी ढंग से हस्तधेप किया जा सके।

34 जब दो या अधिक राज्यों मे विद्यमान किसी प्रत्युचित रोजगार ये भजदूरी मे व्यापक प्रभावान्तर हो, तो कहीं सभी सम्बन्धित पश्चों द्वारा इस भ्रमान्तर को कम करें के निए प्रयास किए जाने चाहिए।

35. स्व-तिमोनण को बढ़ावा देन के निए रोजगार वार्यातियों को मुहू रखने के लिए बेन्द्रीय योजना को, जो इस समय प्रायोगिक आधार पर 30 दिनों मे जबाई जा रही है, यथासम्भव सारे देश मे लागू किया जाना चाहिए।

36 सम्मेलन इस पथ मे या हि रोजगार वार्यातियों के बाप मे कमबद्ध तरीके से कम्प्यूटर लगाया जाए ताकि रजिस्टर हुए व्यक्तियों प्रौर नियोजकों वा तत्पर, उद्देश्यपुक्त प्रौर प्रभावी तथा उपलब्ध कराई जा सके।

37 प्रत्येक राज्य मे कम से कम मौइस रोजगार वार्यातिय स्वायित किया जाना चाहिए। ऐसे वार्यातिय म समुचित स्टॉक, उचित भदन, प्राय-तुबो प्रौर रजिस्ट्रेशन वे लिए आने वाले व्यक्तियों प्राप्ति के निए उचित सुविधाएँ हों।

38. केवल महिलायों के लिए नए भ्रीयागिक प्रतिक्षण संस्थान सीने जान की प्रत्यक्ष घावश्यकता है जिसस रियमान प्रोयोगिक प्रशिक्षण संस्थानों से जोहों को स्थानान्तरित किया जाए ताकि महिलायों के लिए रोजगार के प्रबन्धो म सुधार किया जा सके।

39 निम्नलिखित मामनों भी जीव रखने के लिए थम मन्त्रियों का एह दल गठित किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार के थम मन्त्री इस दल के योग्यक होंगे—

1. भ्रीयागिक प्रतिक्षानों की स्थापना होने से ही वृद्ध निदिष्ट निवास सूचन जिसका थमिको की देय रातियो की पदायगी के लिए जहाँ कही आवश्यक हो, प्रयोग किया जा सके।
2. यंत्र-सरकारी लेने मे प्रबन्ध म थमिक गहमानिता प्रौर साविकिर उपयोगो का प्रश्न।
3. उपदान बीमा स्वीम।
4. राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी।
5. महिला थमिकों से सम्बन्धित थम कानूनों की समीक्षा।
6. कोई थम यद जिसे बेन्द्रीय थम मन्त्री थमिते हे विचाराये निर्दिष्ट करे।

थम मन्त्रियों के पुप ने 27-7-1985 और 23-9-1995 को द्वयमें बैठकें की।

(ए) भारतीय थम सम्मेलन—भारतीय थम सम्मेलन का 28वाँ सत्र नई दिल्ली में थम मन्त्री की अध्यक्षता में 25-26 नवम्बर, 1985 का हुआ था। केन्द्रीय ट्रेड यूनियन सगठनों यानी इस्टक, हिन्द मजदूर सभा, भारतीय मजदूर सभा, यू.टी.यू.सी. (एल एस), टी.यू.सी.सी., एट्क, एन.एन.ओ., मीटू और यू.टी.यू.सी. के प्रतिनिधियों और नियोजकों, सगठनों, जिनमें एम्प्लायर्स फैडरेशन आँफ इण्डिया, ग्रॉल इण्डिया आमनाइजेशन आँफ एम्प्लायर्स और आँन ट्रिणिंग एंथ्रोफेवरस आते थे, के प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में 28 राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों प्रीर 18 केन्द्रीय सभ्वान्यों के प्रतिनिधियों न भी भाग लिया। 21 राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों के थम मन्त्रियों ने अपने राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

सम्मेलन की बायंसूची में ये मद्दें थीं, अर्थात् (1) ग्रोथोगिव सम्बन्ध स्थिति की समीक्षा, (2) उद्योग में रुग्णता, (3) प्रबन्ध में थमिक सहभागिता और सांविधिक व्यवस्था बरने का प्रश्न, (4) मुरक्खा और स्वास्थ्य, (5) उपदान, बीमा योजना, (6) न्यूनतम मजदूरी, (7) व्यापक बाल श्रम विवेष्ट, (8) कल्याण नियियों, (9) कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि पर टिप्पणियों, और (10) भारतीय थम सम्मेलन में थमिक सगठनों को प्रतिनिधित्व देने का मानदण्ड।

प्रधान मन्त्री ने सम्मेलन में भाग लेने वालों को 25-11-1985 वो सम्बोधित किया। उन्होंने थम की उत्पादकता बढ़ाने और कार्य आचार का विकास करने और उद्योग में प्रबन्धकों एवं थमिकों, दोनों की ओर से कार्य-स्थृति और अनुशासन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। थमिकों के लिए सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य की समस्या का उल्लेख करते हुए, उन्होंने प्रबन्धकों से कहा कि वे ऐसे समुचित उपायों को विकसित करें जो हमारी स्थितियों के अनुकूल हों और उन्हें थमिकों के पूरे सहयोग और कार्यशीलता से बनाया जाए। इसके अलावा, हमें फैशल विकास एवं प्रशिक्षण की आवश्यकताप्री पर भी ध्यान देना है। जिससे हमें चारों की सहभता हो सके हूँड़ि हो। उन्होंने इसके लिए व्यावहारिक जोर देने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधान मन्त्री जी ने इस बात पर भी जोर दिया कि असराठिन थमिकों की दशायों पर ध्यान दिया जाए।

विस्तृत विचार विमर्श के बाद, निम्नलिखित विषयों के पारे में मत्तैव्य हुए—

1 सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि स्वार्ड थम समिति वो पुन चालू किया जाए और इसकी बैठक द्वंद्व माह में एक बार होनी चाहिए। यह

समिति संधिष्ठ द्वारी चाहिए और इसका गठन बैंड्रीय श्रम मन्त्री पर छोड़ दिया जाए।

2 सम्मेलन के केन्द्रीय वित्त मन्त्री है इस मुभाव का स्वागत किया रिथम मन्त्रालय को एक छोटा सा दल गठित करता चाहिए जो सरकार की दृष्टि बात को देखने में मदद करेगा। इस सत्रको पंचवर्षीय योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्रों के उपयोग से 35,000 करोड़ दृष्टि राशि के बराबर हो ग्रान्तरिक ज्ञानों को जुटाया जा सके। सम्मेलन में महसूस किया गया रित्त वित्त मन्त्रालय से परामर्श कर एक विषयशील दल गठित किया जाए।

3 सम्मेलन ने घोषणागत महसूस किया म हुए सामाय ग्रन्थालय को नाट दिया। इसमें महसूस किया गया रित्त जहाँ तक सम्भव हो तके, विवादों को द्विपक्षीय तत्त्व के माध्यम से निपटाया जाना चाहिए। जहाँ यह सम्भव न हो, वही विषयशील तत्त्व का सहारा लिया जा सकता है या विवाद को स्वैच्छिक माध्यमें के नियम निर्देशित किया जा सकता है। व्याय नियंत्रण की प्रवेश स्वैच्छिक माध्यमें को वरीयता ही जानी चाहिए।

4 सम्मेलन ने श्रीम मन्त्रालय द्वारा श्रमिकों के विवादों को निपटाने में रिए जाने वाले दीर्घ विलम्बों के बारे में चिन्ता ध्यक्त की। सम्मेलन ने सरकार से यह भी आग्रह किया रित्त वह घोषणागत सम्बन्ध मायोग स्थापित करने के बारे में सतत मेहता समिति की सिरारिशो पर ध्ययो विचारों को अनिम स्पृष्ट किया गया।

5. घोषणागत यूनिटों में बड़ती हुई रुग्णता पर चिन्ता ध्यक्त की गई और यह महसूस किया गया कि रुग्णता के कारणों की जीव करने में लिए तुरन्त निवारक बदल उठाने चाहिए और इसे रोकने के लिए प्रभावी उपचारों का रेंजार्ड शुल्क की जानी चाहिए। रुग्ण यूनिटों में शोध पुनर्बायम और उन्हें किर से बचाने के कार्यक्रमों पर जोर दिया जाना चाहिए। उच्चोंगों में रुग्णता की समस्या को मानोटर करने के लिए बदल पढ़े यूनिटों के हरेक मासित तथा सम्भाला रुग्ण होने वाले यूनिटों की स्थिति का गृहन ध्ययन करने के लिए एक स्थायी समिति गठित की जानी चाहिए। सम्मेलन न सतर्द म पूछते ही देख किए गए रुग्ण घोषणागत कम्पनियों (विदेश उपचारन) विधेयक, 1985 का सामन्यन स्वागत किया। तथाति यह गुम्भाव किया रित्त सरकार हो रुग्ण घोषणागत यूनिटों द्वारा एवं गम्भावका रुग्ण होने वाले यूनिटों को बदल होने से रोकने के लिए उनको भी इसके गोपा दोष में गाने वे लिए उक्त विधेयक में सशोधन करने पर विवाद करना चाहिए। सम्मेलन में यह भी महसूस किया गया कि कर्मदारों को बोई में श्रमिकों के परामार्शों को पूर्ण प्रतिनिधित्व किया जाए और इसमें राज्य सरकारों हो भी प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए।

6 सम्मेलन में सारेजिलिङ/गैर-सरकारी एवं सहारी दोनों के प्रदान में बोई स्तर समेत विभिन्न सतरों में श्रमिकों की सहभागिता सहबन्धी दोनों हो जाना

करने को सिद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया। इस योजना द्वारा स्वैच्छिक रूप से अपनाने या इसे विचार बना दरं अपनान और इसे लागू करने के तरीकों सम्बन्धी प्रश्न को स्थायी अम समिति पर ही विचार करने के लिए ढोड़ दिया गया। उक्त समिति कार्यसूची के बागजातों में यथा प्रस्तावित ढाँचे और स्परेखाप्रो पर भी विचार कर सकती है।

7 सम्मेलन में महसूस किया गया कि श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विद्यमान उपायों को बढ़ाया जाना चाहिए, उन्हें प्रनावी डग से लागू किया जाना चाहिए और उन पर निरानी रखनी चाहिए। यह भी महसूस किया गया कि इन उपायों को नियोजितों और श्रमिकों के सक्रिय सहयोग के दिना लागू नहीं किया जा सकता और श्रमिकों द्वारा सुरक्षा उपकरण में पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

सम्मेलन ने यह भी नोट किया कि अम मन्त्रालय कारबाना अधिनियम में सशोधन करने के प्रस्तावों पर विचार कर रहा है और यह इच्छा व्यक्त की कि प्रस्तावित सुझावों पर शोध बारंबाई की जाए। यह भी महसूस किया गया कि कारबाना अधिनियम में सुरक्षा और स्वास्थ्य से सम्बन्धित उपबन्धों का बार-बार उल्लंघन करने के लिए अधिक घटोर दण्ड होना चाहिए।

8 अम मन्त्रालय द्वारा यथा प्रस्तावित उपदान बीमा योजना के बारे में मत्तैव्य था। तथापि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रदर्शन तत्व द्वारा बीमा किसी भी घटायगी न करने की दशा में श्रमिकों के उपदान की घटायगी करने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

9. सम्मेलन ने राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की आवश्यकता पर चर्चा की। जब तक यह व्यवहार्य न हो, क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी नियत करना बांधनीय होगा जिसके बारे में केन्द्रीय सरकार दिशा-निर्देश निर्धारित करे। न्यूनतम मजदूरी में नियमित अन्तरालों में सशोधन किया जाना चाहिए और इन्हें जीवन निर्वाह लागत में हीने वाली वृद्धि से सम्बद्ध करना चाहिए।

10 सम्मेलन में बाल श्रमिकों सम्बन्धी व्यापक विधान बनाने के प्रस्ताव का समर्थन किया गया। तथापि यह राय व्यक्त की गई कि यह समस्या सामाजिक-आर्थिक मजदूरी से उत्पन्न होती है और इसे केवल विधान बनावर नहीं सुलभाया जा सकता। यह महसूस किया गया कि इस समस्या को प्रभावी डग से निपटाने का एक तरीका उन परिवारों की आर्थिक दशाओं में सुधार करना है जिन्हें परिस्थितियों से मजबूर होकर प्रपने बच्चों को काम पर भेजना पड़ता है। सम्मेलन में व्यक्त की गई चिन्ना बोध्यान में रखते हुए, यह महसूस किया गया कि उन दशाओं के बारे में, जहाँ बाल श्रमिक अधिक हैं, केन्द्रीय और राज्य स्तरों पर भौतिक विपक्षीय समितियाँ गठित हो जाएं। ये समितियाँ न केवल नीतियाँ निर्धारित करें बल्कि इस सम्बन्ध में शुरू की गई योजनाओं/कार्यक्रमों को भी मानीटर करें।

11. सम्मेलन में यह महसूस किया गया कि पर्सिश्चित थेप म बायं की दग्धाओं में सुधार करने के लिए तत्त्वात् कदम उठाए जाने प्रीत कल्याण निधि के साभों को इस क्षेत्र के कर्मकारों तक पहुँचाने की प्रावश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए यदि प्रावश्यक हा तो प्रीत कल्याण निधियों बनाई जानी चाहिए। कल्याण निधि के साभों वा कर्मकार पर्याप्त स्पष्ट स लाभ उठा सकें, इसलिए निधियों से सहायता की प्राप्ति के लिए आप की सीमा वा बढ़ाया जाना चाहिए।

12. सम्मेलन में यह विचार थक किया गया कि कर्मचारी राज्य बीमा गोपनीय के सीमा धोन के विस्तार की उन मामलों में अनुमति दी जाए जहाँ पर्वात्क वैदिक धर्मस्थाएँ उपनिषद् हैं प्रीत इस सम्बन्ध में नियोजकों प्रीत कर्मचारियों द्वारा मीम की गई थी। तथापि सम्भावित वित्तीय समर्थनात्मक प्रीत पर्याप्त कठिनाइयों को देखते हुए सम्मेलन में यह महसूस किया गया कि इस विषय को निगम ही स्थाई गमिति के विचारार्थ भेज दिया जाए।

जहाँ तक कर्मचारी भविष्य निधि का सम्बन्ध है, यह सामाजिक राय थी कि अशदान को आठ प्रतिशत में बढ़ावर दस प्रतिशत कर दिया जाए तथापि भविष्यात् नियोजकों ने इस विषय पर असहमति घोक की।

सम्मेलन में यह महसूस किया गया कि भारतीय धर्म सम्मेलन के कर्मकारों के प्रतिनिधियों के मानदण्ड के प्रश्न पर सेष्टुल ट्रेड यूनियन पार्टनराइजेशनों द्वारा विचार दिया गया तथा निर्णय दिया जाना चाहिए प्रीत उनम् रिसी बैबेद के मामते में सख्तार उग विषय पर निर्णय ले सकती है।

(ग) त्रिपक्षीय ग्रोइंगिक समितियाँ—इस बायं के दोस्रान् रायान उद्योग, इच्छीनियरी उद्योग, गृहीत व्यवस्था उद्योग, जूट उद्योग, वागान उद्योग, सहक वरिवहन उद्योग, चर्म शोषणशालाओं प्रीत चर्म-वस्तु निर्माण उद्योग, सीमेट उद्योग प्रीत मवन प्रीत निर्माण उद्योग सम्बन्धी त्रिपक्षीय ग्रोइंगिक समितियों को पुनर्गठित किया गया ताकि त्रिपक्षीय परामर्शी तन्त्र को गृहृत किया जाए। रसायन उद्योग, इच्छीनियरी उद्योग, वागान उद्योग, सहक वरिवहन उद्योग प्रीत चर्म शोषणशालाओं एवं चर्म वस्तु निर्माण उद्योग प्रीत जूट उद्योग सम्बन्धी ग्रोइंगिक समितियों की इस बायं के दोस्रान् बैठके हूँ। इन बैठकों में ग्रोइंगिक सम्बन्ध स्थिति, सुरक्षा प्रीत व्यावसायिक स्वास्थ्य, प्रबन्ध में धमिक सहभागिता प्रीत ममान गृहस्था योजनाओं प्रादि से सम्बन्धित मुद्दों गर चर्चा हुई।

रोजगार

(Employment)

प्रत्येक देश में वाम वरने योग्य व्यक्तियों को वाम मिलना प्राप्तवाद है। यदि किसी देश के निवासियों को रोजगार नहीं मिलता है तो वह देश समृद्ध व मुग्ध नहीं हो सकता है। “रोजगार के भवित्व प्रवक्तर होने पर लोगों को दूसरी समृद्धि प्रीत वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि करने में मुख्या रहनी है प्रीत

परिणामस्वरूप राष्ट्रीय कल्याण में बृद्धि होती है।¹ हमारी समस्त प्रार्थिक क्रियाओं का उद्देश्य मानवीय आवश्यकनामों को पूरा करके सन्तोष प्राप्त करना है। बेरोजगारी तथा अद्वं-बेरोजगारी प्रार्थिक दुर्दशा एवं गरीबी की प्रधानता का सूचक होती है।

पूर्ण रोजगार वह स्थिति है जिसमें वेकारी को समाप्त कर दिया जाता है। इसके अन्तर्गत—

1 थ्रम की प्रभावपूर्ण माँग इसकी पूर्ति से अधिक होती है।

2 थ्रम की माँग का उचित निर्देशन होता है।

3 थ्रम और उद्योग दोनों समाप्ति होने के कारण माँग पौर और पूर्ति म समाप्ति होता है। पूर्ण रोजगार के साथ-साथ बेरोजगारी भी पाई जाती है जिसे घर्यंगात्मक बेरोजगारी (Frictional Unemployment) कहा जाता है। पूर्ण रोजगार की स्थिति में वर्तमान मजदूरी दरों पर कार्य करने वालों को रोजगार मिल जाता है। पूर्ण रोजगार में दो बातें सम्मिलित की जाती हैं।² —

1 बेरोजगार व्यक्तियों की तुलना में अधिक जगह खाली होती है।

2 मजदूरी उचित होनी है जिस पर सब कार्य करने को तैयार होते हैं।

पूर्ण रोजगार की शर्तें

एक स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्था में पूर्ण रोजगार प्राप्त करने हेतु निम्नांकित शर्तें होना आवश्यक हैं—

1 समुचित कुल व्यय बनाए रखना—यदि कुल व्यय अधिक होगा तो इससे विभिन्न उत्पादन के साधनों को रोजगार मिलेगा, प्राप्त प्राप्त होगी, व्यय करें और इसके परिणामस्वरूप उद्योग के उत्पादन की माँग बढ़ेगी। यह बायं निजी उद्यमियों द्वारा नहीं किया जा सकता। वर्तमान समय में प्रत्येक सरकार का यह दायित्व हो गया है कि मानवीय साधनों का अधिकतम उपयोग करने हेतु सार्वजनिक व्यय में बृद्धि करे। सार्वजनिक व्यय में बृद्धि धाटे के बजट (Deficit Budget) द्वारा की जा सकती है और अधिक रोजगार के प्रबन्ध उत्तर किए जा सकते हैं।

2. उद्योगों के स्थानीयकरण पर नियन्त्रण द्वारा भी पूर्ण रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। जब उद्योगों का स्थानीयकरण द्वारा लो. दस्ते दृष्टे, चामड़ी, म. पता चल जाएगा कि किन उद्योगों में थ्रम की कितनी-कितनी माँग है। इसके सिर बौद्धनीय स्थानीयकरण को प्रोत्साहन देना होगा।

3. नियन्त्रित थ्रम की गतिशीलता (Controlled Mobility of Labour)—यह तभी सम्भव हो सकता है जब थ्रम बाजार समिति हो। यदि थ्रम बाजार

1 Saxena R C.: Labour Problems and Social Welfare, p 899.

2 Das Naba Gopal - Unemployment, Full Employment and India, p 10.

संसाधित नहीं होगा तो थप्पिको को न तो पूर्ण रोजगार ही मिल सकेगा और न खेचित मजदूरी ही। भारत जैसे विरामशील देश में थमिया मतिशित, असानी एवं स्ट्रिक्वाईटी होने के साथ साथ प्रसंसाधित भी होते हैं। इसलिए उनमें मतिशीलता का अभाव पाया जाता है, उनकी सोदातारी शक्ति दुर्बल होती है और कन्स्ट्रूक्शन नियोक्ताओं द्वारा कम मजदूरी देकर उनका शोषण होता है।

परिवर्ती देशों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से साथ-साथ पूर्ण रोजगार की स्थिति भी विद्यमान है जैसे वैरोजगारी घर्दं रोजगार और नियंत्रण में पारण सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ शुल्क वरने में प्रसंसाधित होती है। भारत जैसे विरामशील देश में इन बुराइयों को दूर करने में सरकार प्रस्तुत रही है अपार्टि विस्तीर्ण समस्या सबसे महत्वपूर्ण समस्या है।¹

घविस्तित देशों में हमें वैरोजगारी तथा पर्दं-वैरोजगारों देखने को मिलती है। भारत जैसे विरामशील देश में कई पचवर्षीय योजनाओं के समाप्त होने के बावजूद वैरोजगारी ज्यों की त्यों यनी हुई है। श्री नरेंद्र के प्रनुसार, पर्दं विस्तित देश कृषि प्रधान है और वहाँ पर कृषि उद्योग में 15 से 20% जिसी हुई वैरोजगारी (Disguised Unemployment) देखने को मिलती है।

“वैरोजगारी यह स्थिति है जिसके प्रभावत एक देश में कार्य करने वाले योग्य अक्षियों की काप बरने की इच्छा होती है, लेकिन उन्हें कार्य बरनेवाल मजदूरी दरों पर नहीं मिलता है।”²

वैरोजगारी के प्रकार

रोजगार के सम्बन्ध में समय समय पर विभिन्न पर्यावरणों ने घलग घलग मिलान्त प्रतिपादित किए हैं। प्रतिलिपि पर्यावरणियों के प्रनुसार वैरोजगारी थम की मांग और पूर्ति में असमूलत उत्पन्न होने से होती है। यदि थम की पूर्ति इसकी मांग से अधिक होती है तब वैरोजगारी होनी है तथा इसके विपरीत पूर्ण रोजगार देखने को मिलता है। उनके प्रनुसार वैरोजगारी दो प्रकार की होती है—

1. पर्यावरणक वैरोजगारी (Frictional Unemployment)—थम की मांग और पूर्ति में असमूलत उत्पन्न होने से जब थम वैरोजगार हो जाता है तो यह पर्यावरणक वैरोजगारी कहलाती है।

2. ऐक्टिव क वैरोजगारी (Voluntary Unemployment)—यह स्थिति है जिसके बन्तर्गत थमिक अवश्यक मजदूरी दर पर कार्य करने को निश्चार नहीं होते हैं। यह प्रतिलिपि पर्यावरण के प्रनुसार वैरोजगारी थम की मांग और पूर्ति के असमूलत का परिणाम है।

1 Das Naba Gopal, Unemployment, Full Employment and India, p. 23

2 Saketa R C, Labour Problems and Social Welfare, p. 89

प्रो. कीन्स के अनुसार वेरोजगारी सम्बुद्धन की वशा में नहीं होती है। उन्होंने अनेकियक वेरोजगारी (Involuntary Unemployment) का विचार दिया है। इसके अन्तर्गत कोई भी श्रमिक वर्तमान वास्तविक मजदूरी से कम मजदूरी पर कार्य करने के लिए तैयार होता है। किसी कार्य में लगे रहने मात्र से हम यह नहीं कह सकते कि वेरोजगारी नहीं है। जो व्यक्ति आधिक रूप से कार्य पर लगे हुए है अथवा अपनी पोषणता से कम कार्य पर लगे रहता, योड़े कार्य पर अधिक श्रमिक लगे रहता यह सब वेरोजगारी ही है।

इस प्रकार ऐच्छिक वेरोजगारी (Voluntary Unemployment) वह वेरोजगारी है जिसमें श्रमिक वर्तमान मजदूरी दरों पर कार्य करने को तैयार नहीं होता है।

प्रो. कीन्स के अनुसार अधिक बचत (Over-saving) और कम ख्यय (Under-spending) जो कि आय के असमान वितरण का परिणाम है, वेरोजगारी उत्पन्न करते हैं। अतः वेरोजगारी को दूर करने के लिए अधिक ख्यय और कम बचत की जाए जिससे उद्योग में वृद्धि होणी और प्रभावपूर्ण मांग (Effective Demand) अधिक होने से अधिक आर्थिक क्रियाओं के परिणामस्वरूप अधिक साधनों को रोजगार अधिक मिल सकेगा।

वेरोजगारी के कई रूप हो सकते हैं—

1. आर्थिक वेरोजगारी (Economic Unemployment)—यह वेरोजगारी है जो व्यापार चयों के उत्तार-चढ़ाव के कारण उत्पन्न होती है। आर्थिक मन्दी के व्यापारिक क्षेत्रों में उत्पन्न होने से देश में वेरोजगारी फैल जाती है।

2. औद्योगिक वेरोजगारी (Industrial Unemployment)—जब कोई उद्योग असफल हो जाता है और इसके परिणामस्वरूप रोजगार के अवसर कम अथवा बिल्कुल ही समाप्त हो जाते हैं तो वह औद्योगिक वेरोजगारी का प्रकार होगा।

3. मौसमी वेरोजगारी (Seasonal Unemployment)—वे उद्योग जो साल भर तहीं चलते हैं और शेष अवधि में उन्हें बन्द करने से वेरोजगारी फैला देते हैं, मौसमी वेरोजगारी के अन्तर्गत आते हैं।

4. प्रौद्योगिक वेरोजगारी (Technological Unemployment)—उत्पादन तरीकों में परिवर्तन के कारण पुराने श्रमिक वेरोजगार हो जाते हैं, उन्हें फिर से प्रशिक्षण दिया जाता है। यह उद्योग में विवेकीकरण और आधुनिकीकरण (Rationalisation and Modernisation) का परिणाम है।

5. शिक्षित वेरोजगारी (Educated Unemployment)—शिक्षा के कारण जब शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिलता है तो यह शिक्षित वेरोजगारी है।

6. छिपो हुई वेरोजगारी या घर्ष वेरोजगारी (Disguised Unemployment or Under-employment)—यह वह स्थिति है जिसमें श्रमिक या व्यक्तियों

को कार्य तो मिला हूँगा होता है, लेकिन पूरा कार्य नहीं मिला होता है। उदाहरणस्थाया भारतीय कृषि मेरेमी हो स्कित है। काम कम है, सोना की गतिशय्या अधिक है।

वेराजगारी के कारण

वेरोजगारी क्यों उत्पन्न होती है? अर्थात् इसक क्या कारण है? पूँजी की कमी, तकनीकी परिवर्तन, अधिक मजदूरी, अधिक जनसंख्या अधिक कर भार, श्रोतोगिक आवान्ति, अम भगठनों का अभाव प्रादि ऐसे तत्व हैं जिन्हें परिणाम स्वरूप इसी भी दैन के साधना द्वा प्रधिक राजगार के प्रबाहर प्रदान करना सम्भव नहीं होता है।

वेराजगारी को दूर करने के लिए कई कार्यक्रम विस्तृत गेमाते पर युह करने पड़े जिनमें वेराजगारी किसी भी दैन की प्रथा व्यवस्था मे अपाप्त की जा सकती है।

अब को मील और पूलि मे मनुजन स्थापित करन हेतु रोजगार कामान्ना की स्थापना करती चाहिए जिनम थम के लिए तथा जिनमें दोनों प्रणाली आवश्यकताओं की पूरी कर गक्कन है। आपारिक नदों के कारण उपर वेराजगारी का समाप्त होने के लिए सरकार द्वा प्राप्ती आविक नीतियाँ, जैसे—मोटिव नीति राजकारीग नीति, मूल्य नीति, आवान नियन्त्रित नीति द्वा उपयुक ढांग से क्रिया न घरना चाहिए।

मीमांसी वेराजगारी दूर करन हेतु परम प्राप्त योग्य के उद्देश्यों का एक दूगर से मिलावर वेराजगारी के समाप्त किया जा सकता है। श्रोतोगिक आवान्ति को दूर करने के लिए मुश्क एवं सुगमात्मक यम यथा यो प्रात्मान द्वा, वेराजगारी को प्राप्त योग्य युह करना, प्रबन्ध म सहभागिता, प्रादि इत्यम उठाए जा सकते हैं।

भारत मे रोजगार की स्थिति का एक चित्र

भारत सरकार ने आविक संदर्भ अन्ध 1985 म राजगार सम्बंधी प्रविशारिक विवरण द्वा प्रदात दिया गया है—

रोजगार

सांगठित थोन, पर्याप्त दस या दसम प्रधिक व्यक्तियों को एक परलगाने वाले हातबंजनिक थोन तथा गेर कृषि थोन के सभी प्रतिष्ठानों मे रोजगार मार्व 1983 मे 239 5 लाख स वड्डकर मार्व, 1984 म 224 9 लाख (प्रस्थाई) हा गया। यह वृद्धि 1982-83 की 2 0 प्रतिशत की तुच्छा म 1 4 प्रतिशत ही। अप्रदंगनिक थोन म रोजगार म वृद्धि विष्टने वर्ष के 3 प्रतिशत के मुताबले 1983-84 म 2 6 प्रतिशत हुई। निकी थोन मे रोजगार म वृद्धि 1982-83 मे 0 3 प्रतिशत के मुताबले 1983-84 म 1 2 प्रतिशत हुई।

एन एस. एन. थो. के 32वें दोरे मे प्राप्त अनिय परिणामों के पापार पर दृढ़ी परायीय योजना के दशावेशो म भाष्य, 1980 मे वेरोजगारी का प्रत्युमा

दिया गया है। ये परिणाम आम स्थिति, साप्ताहिक स्थिति तथा दैनिक स्थिति तीन घारणाओं पर आधारित हैं। आम स्थिति के मनुसार मार्च, 1980 में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के वेरोजगार व्यक्तियों की सम्या 1·14 करोड़ थी। साप्ताहिक स्थिति उन घोसत व्यक्तियों से सम्बन्धित है जिन्हें मार्च, 1980 में सर्वेक्षण वाले सप्ताह में एक घट्टे के लिए भी काम नहीं मिला या जो काम ढूँढ़ रहे थे या काम के लिए उपलब्ध थे। मार्च, 1980 में ऐसे लोगों की सम्या जो 15 वर्ष या इससे अधिक आयु के थे, 1·16 करोड़ थी। साप्ताहिक वेरोजगारी के ये मनुसार रोजगार की सही स्थिति नहीं दर्शाते, क्योंकि लाखों व्यक्ति ऐसे हैं कि जिन्हें हफ्तों कार्य नहीं मिलता। उन्हें कुछ दिन के लिए कार्य मिलता है परन्तु उसी सप्ताह में कुछ दिन कार्य नहीं मिलता। इसलिए वेरोजगार व्यक्तियों की बजाय वेरोजगार दिन घोसत दैनिक वेरोजगारी की संरक्षा का मनुसार लगाने के लिए गिने गए हैं। 15 वर्ष या इससे अधिक आयु के घोसत वेरोजगार व्यक्तियों की सम्या मार्च, 1980 में 1·98 करोड़ थी।

राष्ट्रीय रोजगार सेवा

राष्ट्रीय रोजगार सेवा, 1945 में शुरू की गई। इसके मन्त्रालय प्रशिक्षित वर्मचारियों द्वारा चलाए जाने वाले अनेक रोजगार कार्यालय खोले गए हैं। ये रोजगार कार्यालय रोजगार की तलाश करने वाले सब प्रकार के व्यक्तियों की सहायता करते हैं, जिनमें शारीरिक रूप से व्याधित व्यक्ति, भूतपूर्व संति, मनुसूचित जातियाँ, और जनजातियाँ विश्वविद्यालय के विद्यार्थी तथा व्यारसायिक और प्रदन्धक पदों के उम्मीदवार भी शामिल हैं। रोजगार सेवा मन्य काम भी जरूरी है जैसे जनशक्ति के थोड़ उपयोग के लिए रोजगार परामर्श तथा व्यावसायिक मार्ग दर्शन, रोजगार सम्बन्धी सूचनाएँ एकत्र और प्रचारित करना या रोजगार और बन्धो सम्बन्धी मनुसंघान के क्षेत्र में सर्वेक्षण और मध्यवन करना। ये मनुसंघान तथा मध्यवन ऐसे भावारभूत अँकड़े उपलब्ध कराते हैं जो जनशक्ति के कुछ पहलुओं पर नीति निर्धारण में महायक होते हैं।

1959 के रोजगार कार्यालय (रिक्त स्थानों का प्रतिवार्ष ज्ञापन) अधिनियम के मन्त्रालय सभी सरकारी और निजी क्षेत्र में ऐसे यैर-कृति प्रतिष्ठानों का जिनमें 25 या 25 से अधिक आदमी काम करते हों, यह दायित्व है कि अपने यही रिक्त स्थानों की नूचना (कुछ अपवादी के माध्यम से) अधिनियम के मन्त्रालय के नियमों के मनुसार रोजगार कार्यालयों को दें और सुमद-समय पर सूचित करें।

31 दिसम्बर, 1984 को देश में कुल 666 रोजगार कार्यालय ये जिनमें 79 विश्वविद्यालय रोजगार नूचना तथा मार्ग दर्शन घूरो शामिल नहीं हैं। सारणी जो आगे दी गई है, इन रोजगार कार्यालयों की गतिविधियों को दिखाती है—

रोजगार कार्यालयों की प्रतिविधियों

वर्ष	रोजगार कार्यालयों की गतिविधि ¹	पंजीकृत भ्रम्याधियों की गतिविधि ¹	रोजगार पाने चालू रजिस्टर में धारित रिक्त स्थानों की (हजारों में)	रोजगार पाने चालू रजिस्टर में धारित रिक्त स्थानों की (हजारों में)	स्थानों की गतिविधि ¹ (हजारों में)
1956	143	1670 0	189 9	758 5	296 6
1971	437	5129 9	507 0	5099 9	813 6
1976	517	5619 4	496 8	9784 3	845 6
1981	592	6276 9	504 1	17838 1	896 8
1982	619	5862 9	473 4	19753 0	819 9
1983	692	6755 8	485 9	21953 3	826 0
1984	666	6219 0	407 3	23546 8	707 8

प्रणाली

नवम्बर, 1956 में रोजगार कार्यालयों १८ दिन प्रतिदिन का प्रशासनिक नियन्त्रण राज्य सरकारों को गौप्त दिया गया है। प्रत्येक 1969 से राज्य सरकारों को जनशक्ति और राजगार कार्यालयों गे सम्बद्ध विस्तीर्ण नियन्त्रण भी दे दिया गया। कानूनीय तरहार का कार्यक्रम अलिल भारतीय स्तर पर मीठि नियरिल कार्यविधि और ग्रामीणों के सम्बन्ध, विभिन्न कार्यक्रमों के विवाद तथा प्रशिदाल तक गौप्तिक है।

प्रणिक्षण घाँट घनुसम्बन्धीय

रोजगार गेहा में घनुसम्बन्धीय तथा प्रशिदाल के तिर्यक सम्बन्धीय गवान, थम मन्त्रालय ग रोजगार तथा प्रशिदाल महानिदालादय के ग्रधीन 1964 से कार्य हर रहा है। यह संस्थान ऐ कार्य हरता है—(1) राष्ट्रीय रोजगार में गमियों के प्रतिकाल को धावध्यकरता का नियरिल हरता, (2) विभिन्न राज्यों के राष्ट्रीय रोजगार के गमियों के तिर्यक प्रशिदाल हरता तथा योग्यता बनाता, (3) रोजगार गेहाओं में ग्राम वाली बढ़िताइया पर घनुसम्बन्धीय बरता तथा (4) दैरियर गार्थधी गार्थधी का सम्बन्ध स्तर प्रशिदाल और घनुसम्बन्धीय ग्राम दर्जन तथा दैरियर परामर्श दायकमा में उपयोग के लिए अध्य इय ग्रामों का उत्पादन।

विभिन्न कार्यक्रमों के बान्तर्गत विभिन्न देशों के श्रेत्र नियुत प्रशिकारी ग्रामरों के लिए यह सम्बन्धीय वाद्यत्रम का प्रबन्ध हरता है। दैरियर साधारणीय कार्यक्रमों में दैरियर

मुख्य मुख्यता (ऐसे ग्रम्याधियों जिन्हें कार्य का बोर्ड घनुभव नहीं है) अधिक और ग्रोड अधियों को (जिन्हें ग्राम-ग्राम का घनुभव है) ग्राम पाने से

1. इसमें 16 व्यावरादिक तथा कार्य पाना राजगार कार्यक्रम शालित है तथा 79 व्यावरादिक रोजगार मुख्य एवं नियरिल घूसे इय ग्राम शालित नहीं है।

सम्बद्ध मार्गदर्शन और रोजगार सम्बन्धी परामर्श दिया जाता है। 1984 में 331 रोजगार कार्यालयों तथा 79 विश्वविद्यालय रोजगार सुचना और मार्गदर्शन कार्यालयों में काम धन्ये सम्बन्धी मार्गदर्शन एवं काम रहे थे।

पहले लिखे युवक-न्युवतियों को सामाजिक रोजगार दिनाने की दिशा में प्रवृत्त करने के लिए रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय ने कार्य मार्गदर्शन और आजीविका परामर्श वार्षिक समा का विस्तृत घोर व्यवस्थित किया गया है। राजगार सबा अनुसन्धान और प्रणिक्षण के केन्द्रीय संस्थान में एक आजीविका अध्ययन केन्द्र स्थापित किया गया है जो युवक युवतियों तथा अन्य मार्गदर्शन चाहने वालों दो व्यवमाय सम्बन्धी साहित्य देना है।

विकलांगों के लिए रोजगार कार्यालय

सारीरिक हृप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 22 विशेष रोजगार कार्यालय हैं, जो पटना, मद्रास, अहमदाबाद, बगलूर, लुधियाना, दम्भई, कलकत्ता, चंटीगढ़, दिल्ली, हैदराबाद, जबलपुर, कानपुर, जयपुर, तिरुमनन्तपुरम, शिमला, गोहाटी, अगरतला, इम्फाल, बडोदरा, सूरत, राजकोट तथा भुवनेश्वर में स्थित हैं।

विकलांगों के लिए अहमदाबाद, बगलूर बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद, जबलपुर, कानपुर, कलकत्ता, मद्रास, लुधियाना, कीतामडी, गोहाटी, भुवनेश्वर और तिरुमनन्तपुरम में 14 अवधारणाविकास पुनर्स्थापन केन्द्र काम कर रहे हैं।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के

वेरोजगार व्यक्तियों के लिए मार्गदर्शक केन्द्र

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के वेरोजगार व्यक्तियों में भात्म-विश्वाम बडान के लिए 17 प्रशिक्षण व मार्श दर्तक केन्द्र दिल्ली मद्रास, कानपुर, जयपुर, हैदराबाद, तिरुमनन्तपुरम, सूरत जबलपुर, ऐजल, रांधी, बगलूर, हिमार, राडरकेला, इम्फाल, कलकत्ता, नामपुर और गोहाटी न कार्य दर रहे हैं।

रोजगार को एक अभियान योजना

रोजगार चाहने वालों की सरकार दिन प्रतिदिन बढ़ती ही बढ़ी जा रही है और सरकार इतनी बड़ी सुधा में रोजगार उपलब्ध कराने में असमर्पण रही है। सरकार वेरोजगारी का दूर करने के लिए नित योजनाओं के तहत पानी की तरह यैसा बहा रही है, किन्तु किसी भी इस समस्या पर जाव नहीं दादा तो सदा है। जिजिन द्यात्र अध्ययन करने के बाद नौकरी की नियमितता में दर-दर नटरंगा रहता है और अन्त में अपनी योग्यता से भी नीचा काम करने के निरंतर तैयार हो जाता है किन्तु इसके उपरान्त भी उस नौकरी नहीं मिलती है तो हताश एवं बुधित होकर गलत दिशा में बढ़ने लगता है।

इस समस्या पर कावू पाने के लिए मेर विचार में 'ध्यावसादिक संस्थान' की स्थापना की योजना कारगर साक्षित हारी। यदि शासन इन योजना पर ध्यान देता देश में 10 लाख जिजिन एवं 50 लाख भर्तिकारी लोगों का स्थाई अ

से प्रतिवर्ये रोजगार के साधन उत्तराध बराग जा महत है। इनमें यहें विज्ञाल पैमाने पर रोजगार उपलब्ध बराने की लागत प्रतिवर्ये मिर्क दो भ्रत राये हामी अच्छी सरकार दो भ्रत यक्तिरिक्त राशि रावं करते 60 लाख लागो को रोजगार प्रतिवर्ये प्रदान रार सहनी है। इस प्रकार एक व्यक्ति दो रोजगार दिलाने के लिए सरकार को सिक्के 334 मध्ये प्रतिवर्ये लख बरन पड़ें जो हि उच्च ध्यावसायिक शिक्षा पर सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रति धात्र के धय का 50 प्रतिशत होगा। इतनी बहु राशि से वहें पैमाने पर रोजगार 'ध्यावसायिक संस्थान' की स्थापना करके उपलब्ध कराया जा सकता है।

ध्यावसायिक संस्थान की स्थापना की आवश्यकता क्यों?

देश में हांगटर, बर्सील, इजीनियर आदि उच्च ध्यावसायिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की सम्म्या में बेनहाना बढ़ि होती रही जा रही है, जिसमें ऐसे उच्च व्येती वा जात प्राप्त प्रतिभाओं को भी उसकी इच्छा के प्रतुमार रोजगार नहीं मिल पा रहा है, कलत देश से प्रतिभायों का उत्तराधन होता जा रहा है।

इसलिए प्रब समय की ध्यावस्थना के प्रतुमार हमें ऐसे संस्थानों की आवश्यकता है जो विनियित एवं प्रशिक्षित लोगों को रोजगार प्रदान बर सकें और वे रोजगार के लिए सरकार वा मुँह नहीं ताहें, बल्कि वे स्वयं ही रोजगार के अवसर नियित कर लोगों को रोजगार प्रदान करें और यह बार्य देश में 'ध्यावसायिक संस्थान' की स्थापना के द्वारा ही हो सकता है।

इस सम्भा से जो धात्र शिक्षा प्राप्त बरहे निकलेगा वह 'साहसी' या 'उद्यमी' की डिश्री रो विभूषित किया जाएगा। डिश्री लकर निष्कलने पर वह साहसी या उद्यमी इतना योग्य हो जाएगा कि वह प्रपनी इच्छि के प्रतुमार (उद्योग की जिस व्येती में डिश्री द्वासिन करेगा) कारबाने की स्थापना कर सकेगा। कारबाने की स्थापना के राम्रम्य में आत वाली संस्थायों का गंडानिक एवं ध्यावहारिक अध्ययन उसे रहगा भन उसके मार्ग में इसी प्रकार की बड़ी धारवट नहीं प्राप्ती। कारबाने की स्थापना से सम्बन्धित धावस्थक साधनों को जुगाने एवं नियित मार की डिश्री तरं की तभी गतिविधियों उसके प्रति दिग्गज की पात्रता के प्रतुमार ही सकातित होती। इससे एक बढ़ा साम यह भी होगा कि ऐसे साहसी उद्योग के गामजिक दायित्वों का निर्वाह भी बर सर्वें, जिसका गमाव को प्रत्यक्ष एवं प्रश्रयक दोनों प्रकार से साम भिनेगा।

यदि ऐसे एक संस्थान से प्रतिवर्ये 100 धात्र डिश्री सेवर नियित और वह राज्यों 5 संस्थान एवं छोटे राज्यों में दो या तीन संस्थान हो तो देश में 100 धात्रों तो कुल 10 दशार साहसी प्रतिवर्ये देश में तीवार होग और यदि 10 कारबान में 100 नियित एवं 500 प्रशिक्षित साधनों को रोजगार निया (जो फि नामुमकिन नहीं है) तो देश में प्रतिवर्ये 10 लाख नियित एवं 50 लाख प्रशिक्षित लाता को धामनी से रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है।

इस प्रकार की संस्था की स्थापना की आवश्यकता इसलिए भी है कि देश में उद्यमियों की बहुत कमी है और ऐसे उद्यमियों की भी कमी है जो सामाजिक वायित्व को निभाने में सफल रहे हों। देश में वर्तमान समय में किसी भी प्रकार के साधनों की कमी नहीं है यथा—परिवहन सुविधा, पानी विजली, कच्चा माल, पूंजी, मक्कीन, तकनीकी ज्ञान, कुशल अभियंक एव वाजार आदि।

यदि कमी है तो इन सभी साधनों के दोहन की ओर इन साधनों को संगठित करके इनसे प्राप्त लाभों को समाज का देन वालों की। यदि इस योजना पर दृढ़ इच्छा शक्ति को ईमानदारी व लगन के साथ सही ढंग से क्रियान्वयन किया जाए तो देश में ऐसे संस्थान से उद्यमियों का पहला दल 1991-92 में आसानी से निकल सकता है और जब भारत 21वीं सदी में प्रवण करेगा तब तक 6 करोड़ लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार के साधन इस योजना के अन्तर्गत आसानी से उपलब्ध कराए जा सकेंगे। हमारे देश के युवा प्रधान मन्त्री थीं राजीव गांधी भारत को खुशहाल बनाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं और उनके सपनों का भारत जब 21वीं शताब्दी की दहलीज पर दस्तक देगा तब भारत पूर्ण रोजगार की स्थिति में होगा। इस प्रकार की सबको रोजगार प्रदान करने वाली अभिनव योजना का व्यावसायिक संस्थान की स्थापना है।

व्यावसायिक संस्थान का प्रारूप

व्यावसायिक संस्थान वा पाठ्यक्रम अन्य व्यावसायिक काँलेजों की तरह पांच वर्ष का ही रहा जाएगा। पांच वर्ष के पाठ्यक्रम का विभाजन इस प्रकार रहा होगा—

(1) तीन वर्ष सेंद्रान्तिक अध्ययन

(2) दो वर्ष व्यावहारिक प्रशिक्षण

तीन वर्ष के सेंद्रान्तिक अध्ययन पर सरकार को (प्रारम्भ में किसी महाविद्यालय पर लागू करके) ग्रलग से कोई अतिरिक्त राशि खर्च नहीं करनी पड़ेगी (किन्तु बाद में संस्थान का पूर्ण खर्च सरकार वो ग्रलग से करता होगा), यह सेंद्रान्तिक अध्यापन वर्तमान में प्रारम्भिक प्रवस्था में किसी महाविद्यालय में वाणिज्य सकाय के अन्तर्गत पढ़ाए जाने वाले विषयों में थोड़ा परिवर्तन करके तीन वर्षीय पाठ्यक्रम को पूरा किया जा सकता है।

इसके अध्यापन के लिए वाणिज्य सम्बन्धित ज्ञान एव रुचि रखने वाले प्राच्यापनों को लघु प्रशिक्षण देकर आसानी से लगाया जा सकता है। इस कार्य पर सरकार वो नाम मान्त्र की राशि खर्च करनी होगी।

दो वर्ष के व्यावहारिक पाठ्यक्रम पर सरकार को अतिरिक्त राशि खर्च करनी होगी और प्रारम्भ में ऐसा प्रशिक्षण नजदीक के शहर में स्थापित उद्योग के सहयोग से (कुशल व्यक्तियों के द्वारा जो उद्योग में बायरंरत हैं) दिया जा सकता है। बाद में ऐसी संस्था से निकले उद्यमी स्वयं बारसाना स्थापित वरदे प्रशिक्षण

सह्याने) में पाठ्यपत्र को पूरा कर सकते हैं, दिवाहत केवल 1-2 वर्ष की ही रहेगी फिर आगे बाले समय में किसी प्रकार की इटनाई नहीं होगी।

योजना पर अनुमानित विषय

एक 'व्यावसायिक सह्यान' की अनुमानित लागत लगभग प्रतिवर्ष दो करोड़ रुपये होगी, जिसमें हर वर्ष थोड़ी-बहुत वृद्धि हो सकती है। इसमें भवन, प्रध्यापन आदि पर एक करोड़ एवं सम्बन्धित उद्योग की श्रीच की स्थापना पर एक बरोड़। इस प्रकार प्रारम्भ के लुध वर्षों में ही व्यय होगा, बाद में जब सह्यान पूर्ण सुसज्जित (शांति से) हो जाएगा तब श्रीचों पर होने वाला व्यय कम हो जाएगा। इस प्रकार प्रति सह्यान लागत दो करोड़ होगी, देश में इत्त 100 सह्याएँ ही स्थापित कर दी जाएँ तो केवल 2 घरबद रथों का खर्च प्रतिवर्ष होगा।

योजना से सम्बन्धित महत्वपूर्ण विन्दु

योजना के महत्वपूर्ण विन्दु इस प्रकार होंगे—

1 तीन वर्षीय पाठ्यपत्र में व्यावसायिक धन्यों का संदानित व्यव्ययन कराया जाए। व्यावसायिक धन्यों के तीन वर्ग होते हैं यथा वाणिज्यिक धन्ये, उद्योग सम्बन्धी धन्ये और वैयक्तिक सेवाएँ।

2 इन तीन वर्गों में से प्रथम वर्ग के धन्ये में व्यापार भ्राता है भव इसका केवल प्रारम्भिक संदानित व्यव्ययन ही कराया जाना पर्याप्त होगा और तीसरे वर्ग के धन्यों का पर्याप्त विकास देश में हो चुका है। भव इसके व्यव्ययन कराने की इस सह्यान में कोई व्यावश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

3 भव दूसरे वर्ग के उद्योग सम्बन्धी धन्ये ही इस योजना की रीड़ की हड्डी है और इसी प्रकार वे उद्योग से सम्बन्धित धन्यों का विस्तृत गहन एवं व्यावहारिक व्यव्ययन कराना ही व्यावसायिक सह्यान की स्थापना का उद्देश्य है।

4 उद्योग से सम्बन्धित धन्यों की घलग प्रलय ये ही बनाई जाए। इस उद्देश्य के लिए उद्योगों को विभिन्न रूपों में विभाजित करना होगा यथा उत्पादित उद्योग, निर्माण उद्योग और रवनारम्भ उद्योग। इन बाबों में से तीसरी श्रीच रचनात्मक उद्योग वा देश में पर्याप्त विकास हो चुका है भव इसके व्यव्ययन की कोई व्यावश्यकता नहीं है। साथ ही प्रथम प्रकार के उद्योग में सहन ही प्रमुखियातय कायंरत है भव इसे भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

5. भव निर्माण उद्योग को ही इस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। निर्माणी उद्योग को भी चार विभागों में विभाजित किया जा सकता है यथा—विशेषणारम्भ उद्योग, संयोजन उद्योग, प्राविधिक उद्योग और गोपनेप्रिय उद्योग।

6 इस प्रकार व्यावसायिक सह्यान के अन्तर्गत उपर्युक्त भार विभिन्नों को सम्मिलित किया जा सकता है।

7 इन चार विषयों का तीन वर्ष तक छात्रों को उहन सेंडान्टिक अध्ययन कराया जाए।

8 तीन वर्ष के पश्चात् प्रत्येक छात्र का मूल्यांकन जिया जाए कि छात्र वीरचि किस विषय की ओर है और डिग्री सेकर वह विस उच्चोग में उद्यमी के रूप में वास्तविक धरातल पर उतरेगा और इस उच्चोग में वह सफल होगा। यह बायं बड़ा कठिन है किन्तु यदि ईमानदारी एव निप्पक्षता से इया जाए तो विलुप्त सरन हो जाएगा। यदि यही गलती कर दी तो बाँधित परिणाम अनुकूल नही होने।

9 सभी यांवन के बाद उस छात्र को उच्चोग के उसी विषय का व्यावहारिक प्रयोग दिया जाए। यह प्रणिक्षण प्रारम्भ में नजदीक ही स्थापित करखाने में दिया जा सकता है और बाद में धीरे-धीरे सस्थान घपने स्वयं के कारबाने स्थापित करके निरन्तर प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं।

10. दो वर्ष का ऐसा व्यावहारिक अध्ययन करके जब उद्यमी की डिग्री लेकर छात्र निकलेगा तो वह वास्तविक जीवन में उच्चोग के फील्ड में उत्तरने योग्य होगा और मेरा विश्वास है कि वह मुक्त सफल उद्यमी होगा।

इस प्रकार दो अरब रुपये में 60 लाख लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। योजना कितनी ही अच्छी बयो न हो, यदि उसका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं होगा तो परिणाम अनुकूल नहीं होगे और योजना को ही गलत ब्यार दे दिया जाता है। अतः आवश्यकता इस बात वी है कि योजना वो सीट ने सागू एव त्रियान्वित किया जाए।

योजना को परखने के लिए शासन चाहे तो इस प्रवार के एक नस्थान वी स्थापना वरके इसकी सफलता का मूल्यांकन कर सकता है। मैं इस योजना के प्रारूप वो, जिसका वरांन मैंने कहर किया है, के सम्बन्ध में पाठ्यक्रम बनान एव इसके त्रियान्वयन में घपने जान, विवेद, क्षमता एव भपनी सीमाओं वे दायरे में सहयोग देने के लिए तत्पर हूँ।¹

1 शोषना, मार्च 1987, १ 25-27 : बो. एस. औषधी, रोजगार की एक विविध दारका।

6

ब्रिटेन और संयुक्तराज्य अमेरिका में रोजगार-सेवा संगठन : संगठन, कार्य एवं उपलब्धियाँ; भारत में अमिक भर्ती की पद्धतियाँ; भारत में रोजगार सेवा-संगठन

(Organisations, Functions & Achievements of Employment-Service Organisation in the U K, U S. A. in General; Methods of Labour Recruitment in India; Employment Service Organisation in India)

रोजगार या नियोजन सेवा संगठन (Employment Service Organisation)

प्रत्तरांत्रीय थम संगठन (International Labour Organisation) ने 1919 में एक प्रत्ताय पाप वर प्रत्येक सदस्य देश को नियुक्त रोजगार सेवा (Free Employment Service) की स्थापना की चिह्नित की। भारत सरकार ने इसकी पुष्टि 1921 में की। याही थम प्रायोग (Royal Commission on Labour) ने यह चिह्नित की कि जब मालिरों को पारलाने से दरवाजा पर आसानी से पर्याप्त गवाहा में थमिक विसर्जन हो तो फिर रोजगार बार्यात्य चालाने की कोई प्रावश्यकता नहीं है। प्रायोग के इस विषार के बावजूद भी यात्रा वेरोत्तमार गमिति, थम घटनाघात मिलिति, विहार एवं राजपुर थम जाव गमिति, नई नियोजात्रों प्रीरथमिकों की परिणामों ने रोजगार सेवा चलाने हेतु प्रबन्ध समर्थन किया।

युद्धालीन विभिन्न प्रकार के धमिकों की मात्र युद्धोत्तर वारीन दुर्वर्षि एवं युत्तिमांग वायं भादि में इस प्रकार की सेवा का वायं वारी वाराहीय रहा।

आधं (Meaning)

रोजगार या सेवा नियोजन बार्यात्य वे बार्यात्य हैं जो इच्छुक व्यक्तियों को उनकी एवं तथा योग्यतागुणार काम तथा माविकों को उनकी प्रावश्यकतावृत्ति एवं थमिक उपलब्ध इसाने का वायं रहते हैं। इनके गर्दों में, थम हे त्रिका (कानिका)

व विशेषता (श्रमिको) को एक दूसरे क समर्पण में लाकर धम की मांग और पूर्ति में सन्तुलन स्थापित करन का बाय करता है। यह एक और श्रमिक का नाम, योग्यता, अनुभव और विशेष रुचि से सम्बन्धित लेखा रखते हैं तो दूसरी ओर भासिङ्गो द्वारा दी जाने वाली नौकरी व उनके द्वारा इच्छित श्रमिको के प्रकार से सम्बन्धित सूचना रखते हैं। जब भी खाली जगह निवासी है तो उनमें रखी गई यायता, अनुभव तथा रुचि आदि को देखकर इए प्रकार के श्रमिको के नाम निशाल निए जाते हैं और ये नाम इच्छित मालिक के पास भेज दिए जाते हैं। शनिम चयन मालिक पर निर्भर करता है। इन प्रकार नियोजन वार्यान्तर्य धम की मांग और पूर्ति का समायोजन इस तरह बरत है कि उपयुक्त व्यक्ति के निए उपरिन नौकरी या वार्यान्तर्य मिल जाए।

रोजगार वार्यान्तर्य रोजगार के घदसरा में बृद्धि ही नहीं करत है बल्कि वे अल्पसाल में ही धम की मांग और पूर्ति में सन्तुलन स्थापित करने का बाय करते हैं। श्रमिको को सूचित करके रोजगार प्राप्त करने में सहायता दरते हैं तथा दूसरी और भासिङ्गो को सूचित करके उनकी धम की मांग को तुरन्त पूरा करने में सहयोग देते हैं। इस प्रकार ये धम की गतिशीलता में बृद्धि इरवे उसको उत्पादकता में बृद्धि करते हैं जिससे देश में बेकार पढ़े साधनों का पूर्ण उपयोग होता है, राष्ट्रीय धम में बृद्धि होनी है और देशवासियों ये आर्थिक कल्याण में बृद्धि होती है।

रोजगार वार्यान्तर्यों के उद्देश्य

(Objectives of Employment Exchanges)

रोजगार कायालयों के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं—

1 श्रमिको व मालिको के बीच समर्पण स्थापित करना—धम की मांग और पूर्ति दोनों में सन्तुलन स्थापित करके धम के विनेना (श्रमिक) और धम के विनेता (मालिक) का एक दूसरे के निकट लाकर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति बराबा इन वार्यान्तर्यों का उद्देश्य है।

2 धम की गतिशीलता में बृद्धि बरना—रोजगार वार्यान्तर्यों से श्रमिकों को मालूम हो जाता है कि उनकी मांग इहाँ अधिक और वहाँ कम है। वार्यान्तर्य श्रमिको को सूचित करके धम वी वाम मांग वाले क्षेत्र से अधिक मांग वाले क्षेत्र की ओर स्थानान्तरण करन का बाय करते हैं।

3 श्रमिको की भर्तों में व्याप्त भ्रष्टाचार को तमाज्ज बरना—रोजगार वार्यान्तर्य रोजगार देने वाले (मालिक) व रोजगार प्राप्त करने वाले (श्रमिक) व बीच मध्यस्थ का बाय करके निशुल्क सेवा प्रदान करते हैं। पहले मध्यस्थी, जांवरों, दलालो आदि द्वारा श्रमिको की भर्ती की जानी थी। वे श्रमिको से विनियन प्रकार की रिश्वत लत थे और उनका योग्यण करते थे। रोजगार वार्यान्तर्यों के स्थापित हो जाने से भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है।

4 आर्थिक नियोजन में सहायक—प्रत्येक देश में योजना बनाकर आर्थिक विकास के कार्यान्तर में शुल्क दिए गए हैं। इन कार्यान्तरों द्वारा बेरोजगारी, बीमा, योजना,

पुराणा, पुनर्निर्माण धार्दि के मध्यम्य में प्रौद्योहे एवं वित्र जिए जा सकते हैं और इनको अधिकारित भी किया जा सकता है यों कि आशिष नियायन रा अभिन्न शब्द है।

5 प्रशिक्षण एवं परामर्श की गुरुत्वादेश प्रदान करना—रोजगार कार्यालय अधिकारों को प्रशिक्षण देने का कार्य बहुत है तथा नाव ही किस व्यवसाय में प्रशिक्षित जाए, जिस प्राप्त थी शिक्षा नी जाए, भावी प्रसार क्षेत्रों हैं, इन सब पर विचारों के माना गितायों व्यवसा सरकारों द्वारा व्यावरागिक परामर्श देने का कार्य बहुत है।

6 अनैतिक्य द्वारोजगारी की कम करना—प्रलेपाल में ही इन कार्यालयों द्वारा लासी स्थान होने पर रोजगार दिला बर वेकारी को कम किया जा सकता है। इससे वेकार पड़े मानवीय साधनों का अधिकतम उपयोग पराहे राष्ट्रीय धारा में वृद्धि करना गम्भीर हो जाता है।

7 साध्यकाल अवैद्यों का संपर्क एवं प्रशासन—रोजगार कार्यालयों द्वारा पजीहत अनियों की सत्या, रोजगार दिला गए अतिया की सत्या, वेकार अवित्या की सत्या धार्दि के मध्यम्य में प्रौद्योहे एवं वित्र एवं प्रकाशिकाओं जिए जाते हैं। इन अधिकारों की सहायता से सरकार देश में रोजगार नीति को निया गोड़ दे सकती है।

रोजगार दपतरों के कार्य

(Functions of Employment Exchanges)

रोजगार दपतरों के कार्य विवरित हैं—

1. मध्यस्थता का दार्द—ये कार्यालय अधिकारों द्वारा कीच एवं पड़ी के हाथ में मध्यस्थता करने दातों पक्षों में सम्बन्ध बराते हैं। इससे अब भी गोग और पूति दोनों में संतुला स्थिरित हो जाता है।

2. अब दी अतिशीतना में यूद्ध—रोजगार कार्यालय दपतरों द्वारा गुरुत्व करके जहाँ उनकी गोग अधिक है वहाँ रोजगार प्राप्त करने का निवेदन देते हैं। जहाँ अब दा भ्रमाइ है यहाँ बरत वाले दोनों से अधिक दो भ्रमाइ उनकी गतिशीलता में वृद्धि करते हैं कार्य रोजगार कार्यालयों द्वारा ही गम्भीर हा पाता है। प्रशान्तना के पारण अब के प्रसामान विनाश को रोजगार दपतरों द्वारा गम्भीर विषय जागा है।

3 अधिकारों की भर्ती से अपात भ्रष्टाचार की समाप्ति—राजगार कार्यालय गरकारी कार्यालय हैं। ये रोजगार प्राप्त करने वाले अधिकारों को नि-युक्त रोका प्रदान करते हैं। अधिकारों की भर्ती देवेशरों, मध्यस्थों, जारों प्राप्त होने पर के अधिकारों से रिश्ते हैं, उनका गोपण करा है। अत मध्यस्थ में द्वारा भर्ती प्राप्त की में अपात रिश्ते तथा भ्रष्टाचार को तमात्त करने का कार्य इन दपतरों द्वारा किया जाता है।

4. भौतिकों का संपर्क एवं प्रशासन—रोजगार दपतरों द्वारा देवेशरों और मानवीय शक्ति से सम्बन्धित भौतिकों का संपर्क किया जाता है और उन्हें प्रकाशित किया जाता है जिसमें अब याजार की स्थिति जांचा जाता होता है।

5. विभिन्न योजनाओं को शुल्क करना और क्रियान्वयित करना—रोजगार कार्यालय विभिन्न प्रकार की योजनाओं को चालू करते हैं तथा उनके क्रियान्वयन का कार्य भी करते हैं। इससे सरकार को मदद मिलती है। ये योजनाएँ हैं—वेरोजगारी, बीमा, पुनर्निर्माण व पुनर्वास का कार्य, आदि।

6. प्रशिक्षण और परामर्श का कार्य—रोजगार दफतर अभिकों को प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं तथा विभिन्न व्यवसायों के सम्बन्ध में व्यावसायिक परामर्श देने का कार्य भी किया जाता है। विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को भी ये कार्यालय प्रारम्भ सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करते हैं।

7. धर्यणात्मक वेरोजगारी को कम करना—रोजगार दफतर अपनी निःशुल्क सेवाओं द्वारा धर्यणात्मक वेरोजगारी को कम करने में सहायक होते हैं। यद्यपि ये रोजगार का मृजन करने वाले दफतर नहीं हैं, किंतु भी जगह खाली होने तथा उसको भरने के बीच के समय को कम करने का कार्य करते हैं।

रोजगार दफतरों का महत्व

(Importance of Employment Exchanges)

सर्वप्रथम इन दफतरों का महत्व 1919 में स्वीकार किया गया जबकि अन्तर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलनों द्वारा यह प्रस्ताव पास किया गया था कि प्रत्येक सदस्य देश द्वारा केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे कार्यालय खोले जाएँ। 1947 में पुन इस प्रवन्त को उठाया गया और सभी सदस्य देशों से इन नियोजन कार्यालयों की कार्य प्रगति के सम्बन्ध में सूचना मांगी गई। 1948 में अन्तर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में इन कार्यालयों के प्रमुख बायों की रूपरेखा दी गई। इसके साथ ही इनको सफल बनाने के लिए मानिकों और मजदूरों के सहयोग की अपेक्षा की गई।

रोजगार दफतरों के महत्व को निम्न रूपों में देखा जा सकता है—

1. राष्ट्रीय लाभांश में वृद्धि—रोजगार कार्यालय राष्ट्रीय लाभांश में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। ये कार्यालय एक ओर अनेक्षियक बेकारी (Involuntary Unemployment) को समाप्त करके बेकार साधनों को रोजगार प्रदान करते हैं, दूसरी ओर जिस बायें के लिए उपयुक्त है वह कार्य भी दिलाया जाता है।

2. धर्म की माँग और पूर्ति में सन्तुलन—रोजगार कार्यालय धर्म की माँग और पूर्ति में समायोजन करते हैं। जहाँ पर अभिकों की माँग अधिक है वहाँ अभिकों को सूचना प्रदान करने जाँच वाले व्यान से उनका स्थानान्तरण करते हैं और सहायक होते हैं। अभिकों को ज्ञान नहीं होता कि कहाँ उनकी माँग है और न ही मालिकों को मालूम होता है कि कहाँ अभिक बेकार पड़े हैं। अत इन कार्यालयों द्वारा सूचना देकर धर्म की माँग और पूर्ति में सन्तुलन स्थापित किया जाता है।

3. धर्म बाजार का विकास—मुद्रा तथा पूँजी का जहाँ क्रय-विक्रय होता है वह मुद्रा और पूँजी बाजार कहलाता है। इनका विकास हो गया है, लेकिन धर्म के क्रय-विक्रय हेतु किसी संगठित धर्म बाजार का अभाव पाया जाता है। रोजगार कार्यालयों की सहायता से इस प्रकार के संगठित धर्म बाजार का विकास सम्भव हो पाया है।

4. जनता को निःशुल्क व निष्पक्ष सेवा प्रदान करता—रोजगार कार्यालय में कोई भी ध्यक्ति जो बेरोजगार है मरणा नाम, यता, योग्यता, उम्र, घनुभव, इच्छित नोकरी आदि के सम्बन्ध में सूचना टेकर यथना पर्जीयन करता लेता है तथा दूसरी ओर मालिन इन कार्यालयों को सूचित करता है कि विस प्रकार की जगह उनके पास यानी है। इन दोनों पक्षों से रोजगार कार्यालय कुछ भी नहीं लेते हैं। समय समय पर दोनों को सूचित किया जाता है। यह सब नि शुल्क होता है।

5. रोजगार सम्बन्धी थीटडे एकत्रित करता—रोजगार कार्यालय से हम रोजगार पाने वालों की संख्या, रोजगार दिनान वासी की संख्या और बेरोजगारों की संख्या आदि के सम्बन्ध में सूचना मिलती है। इन सबके सम्बन्ध में ये कार्यालय प्राइवेट तंत्रार करते हैं।

6. प्रशिक्षण व परामर्श सुविधाएँ—इन कार्यालयों का महत्व विभिन्न प्रकार के अधिकों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण व परामर्श सुविधाओं के रूप में भी देता जा सकता है। ये दस्तों के माना-निता को भी ध्यावान्य के सम्बन्ध में परामर्श देता वा कार्य भी करते हैं।

7. समस्त रामाज और देश को साख—इन कार्यालयों का महत्व हम समस्त रामाज और देश को ग्राहक होने वाले तारीं के रूप में देख सकते हैं। इनसे मुख्यत निम्नसित साख प्राप्त होते हैं—

1. अधिकों की गतिशीलता में वृद्धि होने से रोजगार के अवसर मिलते हैं।

2. उपयुक्त कार्य पर उपयुक्त ध्यक्ति के लगाने से उत्पादकता बढ़ती है और न ऐवल रामाज को विक समस्त देश को राष्ट्रीय धार्य में वृद्धि होने से साख मिलता है।

3. अधिकों को रोजगार दातरों द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण तथा ध्यावान्यिक परामर्श से उनकी ध्यतिगत कार्यकृतता बढ़ती है, उनकी धार्य बढ़ती है और परिणामस्वरूप औवन स्तर उच्च होता है।

इंडिपेंडेंस में रोजगार सेवा संगठन

(Employment Service Organisation In U. K.)

भारत में ब्रिटिश प्रशिक्षित के प्राप्तार पर ही रोजगार कार्यालय स्थापित किए गए हैं। ब्रिटेन में सबसे पहले रोजगार दफ्तर 1885 में स्थापित किया गया था। ये नि शुल्क सेवा प्रशिक्षित करते थे, सेक्षित जिन्हें नोकरी मिलती थी उनसे प्रशिक्षण लिया जाता था। स्थानीय संस्थायों को रोजगार दफ्तर स्थापित करने के प्रयोगार प्रशिक्षण करते हेतु धम संस्थान प्रधिनियम, 1902 (Labour Bureau Act, 1902) पाल दिया गया था। बेरोजगार अधिकार प्रधिनियम, 1905 (Unemployed Workmen's Act, 1905) के पाठ्य 25 रोजगार कार्यालय स्थापित किए गए थे। सरकार पहले वास्तविक रोजगार कार्यालय स्थापन (Board of Trade) के माध्यम से सरकार न स्थापित किए। यह 1910 म गाही धम धारों की सिफारिशों के पावार पर धम कार्यालय स्थापियम, 1910 (Labour

यो भृगुन् मन्दी के ममव रोजगार कार्यालय वैरोजगार ध्यतियो को साम प्रदान करने से प्राथमिकता दी बा वार्ष करने के तदा नियुक्ति का कार्य मौण था। अधिकारी नमंतारो जो इन कार्यालयो म थान दरत थे उन्हा मध्यन्य वैरोजगारी धनियूनि प्रदान करना अधिक या और प्रगाचा के तिए तोहरियो ढूँडना रम। रोजगार स्थानीय वार्षक्य समझ जाना ग जबकि सनियूनि देन था कार्य सामाजिक शुरका अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत हान से राज्य से सम्बन्ध रखता था। इन दुविंश्चाप्ति के कारण रोजगार समाजो म यसमानताएँ रही।

अब राज्य रोजगार सेवाएँ बहुत व्यावर्तुगत हैं और पहले स इनहा स्थान तथा महस्त समाज म अधिक है। सन् 1942 म 1946 तक इनहा राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। वे यह देशीय निर्देशन के अन्तर्गत कार्य करती हैं। उनको राज्य की मानवसति नीतियो दो नियन्त्रित दरन हेतु बाफी कोष प्रदान किया गया है।¹

भारत मे थम भर्ती के तरीके

(Method of Labour Recruitment in India)

थम की भर्ती थम के रोजगार मे पहचा पट्टम है। रोजगार की सफलता अद्यता असकता इम बात पर तिमंत है कि अमिको वो विस तरीके पौर साठन द्वारा ग्रोवोगिक क्षेत्रो मे भर्ती हिया जाना है। हमारे देश मे थम भर्ती के सम्बन्ध मे कोई वैज्ञानिक मिदान नही है। थम प्रगाचन पौर थम प्रवाप म इती प्रदार के मिदान सापू नही हा पाने हैं। हमारे देश मे प्रारम्भ से ही थम की पूर्ण रा एक्साम योन ग्रामीण क्षेत्र रहा है। अमिक ग्रामीण क्षेत्रो से ग्रोवोगिक क्षेत्रो मे आते हैं पौर ये वार्ष करते वापिस गौव चते जाने हैं। हमारे देश मे स्थायी थम-मक्ति का अभाव होने के कारण अमिको की भर्ती हेतु वह तरीको वो बास मे लेना पहा है। भारत मे अमिको की भर्ती के तिए प्राप्त नियन्त्रित तरीके प्रत्याए जाते है—

(क) सम्प्रस्थो द्वारा भर्ती

(Recruitment through Intermediaries)

ग्रोवोगिक विद्यात की प्रारम्भिक अवध्या मे अमिको वो भर्ती हेतु सम्प्रस्थो की सहायता लेनी पड़ती थी। सागठन पौर प्रशासन दानो प्रदार के उद्योग अमिको की भर्ती हेतु मध्यस्तरो पर तिमंत है। इन सम्प्रस्थो को विभिन्न प्रदार के नामो मे पुवारा जाता है, जैसे जैविक, सरदार, चौपरी, मुरदम, विस्थी, एकेश्वर मादि। वहे भारतवानो म महिना जौवां भी होनी है जो कि महिना अमिको की भर्ती म सहायता करती है। ये जांच वारसाने मे बास दरने खाने पुरान पौर मनुजकी अमिक होते हैं जिन पर नालिको दा दूरा निररण होता है। ये बाहरी अक्ति नही होते हैं। ये सम्प्रस्थ ही अमिको की भर्ती, रोजगारी, प्रविदाल, गुटी स्वीकृत बरन, नीहरो से हटाने, दण्डन बरने, आवाग ध्यवध्या ग्रामि के तिए उत्तरादी होन है। इसके बाय ही ये अमिको को सम्प्रस्थ पर देताही देते हैं। इस प्रदार अमिक इन

मध्यस्थो को प्रपना रक्षक समझते हैं जबकि मालिक भी श्रमिकों की शिकायत, इच्छा आदि जानने के लिए मध्यस्थो पर निर्भर करते हैं। इन जाँवसं के अधिकार उन कारखानों में अधिक होते हैं जहाँ पर बारबानों के मालिक विदेशी हैं वयोकि वे श्रमिकों की भाषा को नहीं समझ पाते हैं।

मध्यस्थो द्वारा भर्ती के गुण—श्रमिकों की भर्ती मध्यस्थो द्वारा करने पर निम्नांकित लाभ हैं—

1 मध्यस्थ श्रमिक और मालिकों के बीच एक कड़ी का कार्य करते हैं। दोनों पक्षों के बीच अच्छे सम्बन्ध बनाए रखने में सहायक होते हैं।

2 मध्यस्थो द्वारा मालिकों को आवश्यकतानुसार समय पर श्रमिकों की भर्ती करवाई जा सकती है वयोकि वे गाँवों से तम्पकं रखते हैं। वे श्रमिकों की आदतों, इच्छा आदि से परिचित होते हैं।

3. सरकार को भी मध्यस्थो द्वारा श्रमिकों की भर्ती करवाने में सहायता मिलती है और सरकार इस कार्यं हेतु कमीशन देती है।

मध्यस्थो द्वारा भर्ती के दोष—मध्यस्थो द्वारा श्रमिकों की भर्ती पद्धति के निम्नांकित दोष हैं—

1 श्रमिकों का शोषण—मध्यस्थो द्वारा जिन श्रमिकों की भर्ती की जाती है, उन श्रमिकों से रिश्वत के रूप में 'दस्तूरी' ली जाती है। जो श्रमिक अधिक धूस देने के लिए तैयार हैं उन्हें भर्ती कर लिया जाता है। दूसरे दक्ष श्रमिकों को छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार के श्रमिकों से व्यक्तिगत सेवाएँ भी ये मध्यस्थ करवाते हैं। इनको मध्यस्थ अग्रिम राशि के रूप में कहणे देते हैं जिस पर ऊँची व्याज दर प्राप्त करके उनका शोषण करते हैं। स्त्री श्रमिकों का भी स्त्री जाँवसं द्वारा शोषण किया जाता है और कभी-कभी उनको अनेक जीवन व्यतीत करने के लिए भी बाध्य कर दिया जाता है वयोकि अनेक स्त्री मध्यस्थ प्राय निम्न चरित्र वाली होती हैं।

2 अकुशलता को प्रोत्साहन—श्रमिकों की भर्ती करते समय मध्यस्थ श्रमिकों की कार्यकुशलता को ध्यान में नहीं रखते बल्कि उनका रिश्वत में मिलने वाली राशि को ध्यान में रखते हैं और अकुशल श्रमिक जो उनके मित्र, सम्बंधी हाते हैं, भर्ती कर लिए जाते हैं। इससे उत्पादन में और अन्तोगतवा राष्ट्रीय धाय में गिरावट आती है।

3 बर्ग संघर्ष—मध्यस्थ श्रमिकों की भर्ती करते हैं। मानिक मध्यस्थो पर श्रमिकों की भर्ती हेतु तथा श्रमिक घरपनी नौकरी हेतु मध्यस्थो पर निर्भर करते हैं। कभी-कभी मध्यस्थ श्रमिकों का गलत प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके कानूनवृत्त श्रमिकों और मालिकों में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। इससे हड्डालें, तानावन्दी, धीमे कार्य करने वी प्रदृष्टि आदि बुराइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं।

4 अनुपस्थिति और अम परिवर्तन में युद्ध—मध्यस्थो द्वारा श्रमिकों की भर्ती करने से उनका शोषण किया जाता है। श्रमिकों को गाँवों से बहुका कर लाया

जाता है। वे भावहर म पाइर स्थापी रूप से नहीं बग पाते हैं तथा बापिस्त गोर को छले जाते हैं। इसी प्रकार धर्मिक रिक्वेट देने वाले धर्मिक री भर्ती और हम रिक्वेट वाला धर्मिक को निकाल दिया जाता है त्रिपुरा परिवामस्तरहृष्ट धर्म रिक्वेटन (Labour Turnover) में वृद्धि हो जाती है। धर्मिकों का विभिन्न प्रकार से शारण होने से भी वे गोव छले जाते हैं और प्रत्युपर्खित रहने लगते हैं।

शाही धर्म प्रायोग, 1931 (Royal Commission on Labour, 1931) में प्रयुक्तार धर्मिकों की मध्यस्थो द्वारा भर्ती की पद्धति के धन्वर्णन, 'मध्यस्थो की विधित बड़ी गुण है। महापहुंच मानवर्यजनक होता कि इनके द्वारा धर्मिकों की विधित से सामने नहीं उठाया जाता है। गुण कारखाने ऐसे हैं जहाँ धर्मिकों की गुरुता मध्यस्थो के हाथ में नहीं है। धाय उद्योगों मध्यमिकों को भर्ती बरता और उनको नौकरी से हटाने के प्रतिकार मध्यस्थो को प्राप्त है। पहुंचुराई एवं उद्योग से दूखरे उद्याय और एक केंद्र से दूखरे बै-इन पर कुछ मात्रा तक भिन्न भिन्न है। नौकरी लगान दृढ़ रिक्वेट तथा प्रत्युपर्खित के बाद इस रोजगार देने हेतु भी रिक्वेट प्राप्त की जाती है।'

मध्यस्थो द्वारा भर्ती की वर्तमान स्थिति और भवित्व (Present position and future of the recruitment of Labour through intermediaries)—
धर्मिकों की मध्यस्थो द्वारा की जाने वाली भर्ती का तरीका अस्त्वीयजनक व प्रबोधनीय है। हात ही के बयों में इस मध्यस्थों के प्रधिकार द्वीनकर रिक्वेटगोरी व भ्रष्टाचार को कम बरने की दिशा में बदल उठाए गए हैं। वावर्दि व गोवापुर जैसे केन्द्रों पर बदली धर्मिकों की भर्ती पर निषेद्धण लगाने व याकूब भी इन मध्यस्थों को न तो पूर्ण रूप से रामायत ही दिया जा सका है और न भर्ती पर इसे प्रभाव को दूर किया गया है। "उत्तरी भारत प्रालिकों के सघ (North Indian Employers Association) ने भी मध्यस्थो द्वारा भर्ती पद्धति में पाए जाने वाली रिक्वेट गोरी और भ्रष्टाचार का स्वीकार किया है लेकिन उहोंने असमर्थन प्रकट की कि रोजगार चालू रखने के लिए इसे बंसे समाप्त किया जा सकता है।'

धर्म प्रनुसाधान समिति (Labour Investigation Committee, 1944) ने यह विवार प्रकट किया या कि हमारे धर्मिक घमी इतने गरिमोत्तम और विकास के स्तर पर नहीं पहुंच पाए हैं कि उनकी भर्ती मध्यस्थों के बिना ही सम्भव हो सके।

शाही गम प्रायोग ने यह तिकारिज की यी कि धर्मिकों की भर्ती और उनको कायं से हटाने के जोबते के अधिकारों को समान पर देना चाहिए। इसके स्थान पर प्रत्येक कारखाने में धर्म प्रधिकारी प्रबद्ध जनरल मैनेजर द्वारा धर्मिकों की प्रत्येक रूप से भर्ती की जाए।

हाल ही के बयों मध्यमिकों की भर्ती हेतु प्रत्येक कारखाने में 'बदली

1 Report of the Royal Commission on Labour p. 24

2 Satendra R C Labour Problems & Social Welfare p. 31

प्रणाली' (Badli System) लागू कर दिया गया है। इसके साथ रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भर्ती वरना भी सरकार न अनिवार्य कर दिया है।

(ख) ठेकेदारों द्वारा भर्ती

(Recruitment through Contractors)

अनेक भारतीय उद्योगों में थमिकों द्वारा भर्ती ठेकेदारों के द्वारा होती है। जिस प्रकार हम अपने देनिक कार्यों को पूरा करने के लिए ठेका दे दत हैं वैसे ही कारखानों में भी ठेके द्वारा कार्य पूरा करना चाहा जाता है। थमिकों द्वारा यह भर्ती पद्धति इन्जीनियरिंग विभाग, राज्य तथा केंद्रीय सार्वजनिक नियमणि विभाग, रेलवे सूती वस्त्र उद्योग, सीमट, कागज और खाना आदि उद्योगों में प्रचलित है।

इस प्रकार की भर्ती पद्धति के प्रचलन के बारें में शीघ्र ही थमिकों की माँग पूरी हो जाना, कार्य शीघ्रता से पूरा करना थमिकों की निगरानी की जरूरत न होना आदि प्रमुख हैं। इसके साथ ही कारखानों के मानिक थम अधिनियम जैसे-कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और मातृत्व लाभ अधिनियम आदि नियमों को लागू करने से दूर जाते हैं और इससे उनको लाभ होता है। मालिकों को थम कल्याण पर भी व्यय न करने से वित्तीय लाभ प्राप्त होता है।

इस पद्धति के कई दोष भी हैं—

1 थमिकों को कम मनदूरी दी जाती है क्योंकि उनकी भर्ती ठेकेदारों द्वारा दी जाती है जो स्वयं भी उनकी भर्ती से लाभ कमाना चाहते हैं।

2 थमिकों से अधिक घटे कार्य लिया जाता है। इससे उनके स्वास्थ्य व कार्यकुशलता पर विपरीत प्रभाव पड़ने से उत्पादन में गिरावट आती है।

शाही थम आयोग ने इस पद्धति की आलोचना करते हुए सिफारिश की थी कि प्रबन्धकों को थमिकों के चयन, कार्य के घटे और थमिका दो मुग्तान आदि पर पूर्ण नियन्त्रण रखना चाहिए। विटार थम जॉच समिति ने भी इस पद्धति को समाप्त करने की मिफारिश की है क्योंकि इसके द्वारा थमिकों की असहाय स्थिति का शोषण किया जाता है। बम्बई वस्त्र थम जॉच समिति ने भी यह सहमति प्रकट करते हुए कहा है कि ठेकेदारों द्वारा निम्न राशि पर ठेका प्राप्त किया जाता है तथा वे अपना व्यय कमाने हेतु थमिकों को बहुत कम मजदूरी देकर उनका दायण करते हैं।

इन सभी विचारों को ध्यान में रखते हुए हमें ठेके के थम के स्थान पर भर्ती का प्रत्यक्ष तरीका अपनाना चाहिए। सार्वजनिक नियमणि विभागों में ठेका थम परमादशक है, वहाँ उसको नियमित किया जाना चाहिए। सभी कानून ठेका थम पर पूर्ण रूप से लागू किए जाने चाहिए। वित्ती भी स्थिति में ठेका थम वो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पाई जाने वाली मजदूरी से कम मजदूरी नहीं दी जानी चाहिए। अधिकारी औद्योगिक समितियों ने ठेका थम को समाप्त करने की सिफारिश की है।

थम अनुमधान समिति (Labour Investigation Committee, 1944)

दे ग्रन्तुतार भी प्रतार के ठेकर थम को समाप्त नहीं करना चाहिए। जहाँ आवश्यक हो वहाँ इसांतो समाप्त नहीं करना चाहिए जैसे कारबाने में दीपारो वी पुताई, सार्वजनिक निर्माण विभाग के काय घारि। इसके प्रतिरिक जहाँ सार्वजनिक अथवा नौकरी में बचतें के लिए अप का महारा लेते हैं, उस किलहूल ही समाप्त दिया जाना चाहिए।”¹

(ग) प्रत्यक्ष भर्ती पद्धति

(Direct Recruitment System)

भारताना उद्योगों में अधिकों द्वी भर्ती बड़े पैनाने पर प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। प्रत्यक्ष भर्ती बम्बर्द, मटाम, पजाब, बिहार और उडीता राज्यों में प्रचलित है। इस पद्धति के प्रत्यक्षताने के दरवाजे पर नीटिम लगा दिया जाता है ति इतने अधिकों द्वी आवश्यकता है। जनरल मैनेजर सभ्य अवया अन्य नियुक्त अधिक दरवाजे पर प्रावर अधिकों द्वा धयन बर लेता है। बर्भी-बर्भी पहले से शाम में नगे अधिकों द्वी यह गूचिन बर दिया जाता है कि इतने अधिकों द्वी आवश्यकता है। वे धयने दास्तों, सद्विधियों प्रावि को इन विवर म सूचिन बर देते हैं और वे निश्चित तियि पर या जाते हैं। यह पद्धति ग्रन्तुतान अधिकों के लिए उपयुक्त है। अद्य-कुशल तथा कुशल अधिकों द्वी भर्ती में विटाई पानी है। इन्ही भर्ती या तो पदोन्नति द्वारा बर दी जाती है धयया आवेदन पत्र प्राप्तिवत बरके उत्ती जैव, परीक्षा व साकारकार द्वारा धयन बर लिया जाता है। कुछ अनियन्त्रित कारबानों (Un-regulated Factories) में भी इस पद्धति द्वारा अधिकों द्वी भर्ती द्वी जाती है। उदाहरणार्थ बीडी बनाना, नारियन द्वी चटाइयों बनाना प्रावि उद्योगों में यह पद्धति अपनाई जाती है।

गाही थम धायोम ने गव्याद्वी द्वारा भर्ती के दोयों द्वी समाप्त बरने के लिए जनरल मैनेजर के धधीन थम अधिकारी (Labour Officer) नियुक्त बरने की गिफारिय की थी। बत्तमान समय में प्रत्यक्ष भर्ती हेतु इस प्रतार के थम अधिकारी सभी कारबानों व उद्योगों में नियुक्त बर दिए गए हैं।

(घ) बदली प्रथा

(Badhi System)

इस पद्धति के प्रत्यक्षत प्रयोग माह की छहनी तारीग द्वी कुछ पूने हूट तोयों द्वी बदलि कर्द है दिए जाते हैं। नियमित रूप से कारबान में धाने रहते हैं और इस तथानों की पूर्ति हेतु इन्हों प्राप्तिवता द्वी जाती है। यह प्रथा धधायों के द्वारा भर्ती के दोयों को दूर बरने के लिए अपनाई गई है। इसके प्रत्यक्षत अधिक इदायी, अस्पायी, बदली प्रावि बगों में विभागित दिए जाते हैं।

(ङ) थम अधिकारियों द्वारा भर्ती

(Recruitment through Labour Officers)

गाही थम धायोग, 1931 ने गव्याद्वी द्वारा भर्ती के दोयों द्वी समाप्त

करने हेतु इस पद्धति की सिफारिश की थी। इसमें कारखानों में थ्रम अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। इनका काम श्रमिकों की भर्ती करना है। ये अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर भर्ती का वार्य करते हैं। लेकिन ये श्रमिकों से अपरिचित होने के कारण उनका इतना विश्वास प्राप्त नहीं कर पाते हैं जितना कि स्थानीय परिचित व्यक्ति।

(च) थ्रम सगठनों द्वारा भर्ती

(Recruitment through Trade Unions)

कुछ सगठन कारखानों अथवा मिलों में सुट्ट एवं मुसमित थ्रम सघ होते हैं। इस सघों के पास रिक्त स्थानों की सूची हाती है जो कि काम ढूँढने वालों को सूचित करके उनके नाम की सूची मालिक का पेश कर देते हैं। इससे उनकी मर्ती आसानी से की जा सकती है। ये थ्रम मिश्रों तथा सम्बन्धियों को सूचित कर उनकी मर्ती करवा देते हैं।

(छ) रोजगार के दफ्तरों द्वारा भर्ती

(Recruitment through Employment Exchanges)

श्रमिकों की भर्ती की विभिन्न पद्धतियाँ दोपूर्ण हैं। वैज्ञानिक आधार पर श्रमिकों की भर्ती करना किसी भी कारखाने की सफलता का आधार है। अत रोजगार वार्यालयों की स्थापना की गई है जो थ्रम की मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित करने का वार्य करके उपयुक्त स्थान पर उपयुक्त व्यक्ति का चयन करने में सहायक होते हैं।

आधुनिक सरकार कल्याणकारी सरकार है। उसका दायित्व न बेवत प्राहृतिक साधनों वलिक मानवीय साधनों का अधिकतम उपयोग कर राष्ट्रीय आय में वृद्धि करके सोगों के जीवन-स्तर को उन्नत करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आज विभिन्न देशों में श्रमिकों की भर्ती हेतु रोजगार वार्यालय राष्ट्रीय रोजगार सेवा सगठन (National Employment Service Organisation) के मानवंत स्थापित कर दिए गए हैं।

विभिन्न कारखानों में भर्ती

(Recruitment in Various Industries)

जहाँ तक कारखाना उद्यगों (Factory Industries) का सम्बन्ध है वहाँ श्रमिकों की भर्ती प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। बम्बई मद्रास, प्राव, विहार और उडीसा राज्यों में इसी प्रकार की पद्धति प्रचलित है। कारखाने में रिक्त स्थानों की सूची लगा दी जाती है जिसे देखकर निश्चित तियि पर श्रमिक कारखाने के दरवाजे पर आ जाते हैं जहाँ पर जनरल मैनेजर प्रबन्धा प्रबन्ध व्यक्ति द्वारा भर्ती कर ली जानी है। पुराने श्रमिकों दो भी रिक्त स्थानों की सूचना मिलन पर वे प्रपने मिश्रों तथा सम्बन्धियों दो इसकी सूचना दे देते हैं। यह पद्धति महुशल श्रमिकों के लिए उपयुक्त है। अद्य-कुशल और कुशल श्रमिकों की भर्ती हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं और उनका टेस्ट लेकर भर्ती की जाती है। बगान की अधिकारी जूट मिश्रों में

प्रत्यक्ष भर्ती हेतु थम अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। यह पद्धति सामूहिकों के बायकूद भी जांचमें ग्रभी भी विद्यमान हैं।

धीनी रारवानों (Sugar Factories) में भर्ती का कार्य रिक्त स्थानों का नोटिस निकाल कर किया जाता है। तरहनीकी तथा मुख्यवाइकर थेली के अधिकों द्वारा छोड़कर थम अधिकों द्वारा नोकरी से हटा दिया जाता है जोकि वे उसी शोषणीय उद्योग में भर्ती तम्बन्धीय नियम आदेश भी विद्यमान जाने हैं।

रेलवे में भर्ती (Recruitment in Railways) विभिन्न दिवारों में विभिन्न प्रकार से दी जाती है। प्रथम थेली के बर्मचारियों की भर्ती या तो प्रत्यक्ष रूप से प्रथम डिसीप थेली की पदोन्नति द्वारा दी जाती है। दूसीय थेली बर्मचारी की भर्ती रेल सेवा आयोग (Railway Service Commission) द्वारा दी जाती है। नियम प्रोर प्रशुगल थेली के बर्मचारियों व अधिकों की भर्ती प्रत्यक्ष होती है। रेलवे पे वही सक्षमा में टेका थम भी पाया जाता है।

यान उद्योग (Mining Industry) में भर्ती टेकेदारों द्वारा दी जाती है। सानों में कार्य बरते हेतु अधिक प्राचील थोकों से लाए जाने हैं। ये घरेवाई रूप से इस उद्योग में कार्य बरतते हैं।

जोयना उद्योग (Coal Industry) में भर्ती का सबसे पुराना तरीका जमीदारी पद्धति (Zamindari System) है। अधिकोंको इन सानोंके निकट मुन्ह या कुछ लागत पर भूमि हृदि के लिए दी जाती दी। लेकिन हृदि योग्य भूमि की सीमितता के कारण यह पद्धति सफल नहीं हो सकी। भर्ती बातें टेकेदार (Recruiting Contractors) द्वारा भी इन सानों में अधिकों की भर्ती का कार्य किया गया। इनका कार्य अधिकों की पूति करना मात्र था। प्रबन्धकीय टेकेदार (Managing Contractors) द्वारा भी अधिकों की भर्ती की गई। ये न केवल थम की पूति का कार्य करते थे बल्कि यानों के निकलवाने व उसे सदावाने का कार्य भी करते थे। ये कोयला यानों से निकलवाने व उसे सदावाने का कार्य भी करते थे। पुढ़काल में कोयले की पूति यक्काने तथा थम की कम पूति के कारण सरकार ने भी टेकेदारी का कार्य रिया। एक न्यायिक जौच (Court Enquiry), 1960 की सिफारिश के प्राप्तार पर टेकेदारी पद्धति को धीरे-धीरे समाप्त करना स्वीकार किया गया। गोरखपुर थम सांगठन (Gorakhpur Labour Organisation) का प्रशासन 1961 से रोबोरार कार्यसिप्प निकेशालय के पर्यान स्थानान्तरित कर दिया गया है।

सोहे की सानों (Iron ore Mines) में भर्ती प्रत्यक्ष तथा टेकेदारी पद्धतियों के प्राप्तार पर की जाती है। स्पालीय थम की भर्ती प्रथम ही से निकटवर्ती प्राचील थोकों से की जाती है। पुराने अधिकों की सूचित कर दिया जाता है और वे घरने मिशों, सम्बन्धियों व परिवार बालों को इस भर्ती के लिए सूचित कर देते हैं। ऐसे के कार्य हेतु अधिकों की भर्ती 'सरदारों' (Sardars) द्वारा दी जाती है।

थ्रेक्स खानो (Mica Mines) मे भर्ती सरदारों द्वारा की जाती है। उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों मे भेजवार इच्छुक श्रमिकों की भर्ती करने का कार्य सौंपा जाता है। इन सरदारों को कोई दलाली नहीं दी जाती वल्कि उनकी मजदूरी इस बात पर निमंर करती है कि उन्होंने कितने श्रमिकों की भर्ती की है। इन खानो मे 82.6% प्रत्यक्ष रूप से तथा 17% ठेकेदारों द्वारा भर्ती की जाती है।

स्केप मे खान उद्योग मे श्रमिकों की भर्ती खान स्वामियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, मध्यम्यो द्वारा और राजगार दफतरों के माध्यम से की जाती है।

बागानो मे थम (Labour in Plantations) की भर्ती विभिन्न रूपों मे की जाती है। आसाम के बागानो मे श्रमिकों की भर्ती चाय विनरक समझौता थम अधिनियम, 1932 (Tea Distributors Agreement Labour Act, 1932) के अन्तर्गत की जाती है। यह पूर्ति निकटवर्ती प्रदेशो—प बगाल, उडीसा, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से की जाती है। श्रमिकों की भर्ती हेतु चाय जिला थम सम (Tea Districts Labour Association) स्थापित किए गए हैं। इनके माध्यम से श्रमिक बगानो मे भेजे जाते हैं।

चाय के बगानो मे थम भर्ती के तीन तरीके हैं—

(i) सिरदारी प्रणाली (Sirdari System) के अन्तर्गत श्रमिक स्थानीय प्रेषण एजेंसी (Local Forwarding Agency) द्वारा भर्ती करने वाले जिसों को भेज दिए जाते हैं।

(ii) स्थानीय भर्ती करने वालों द्वारा (Through Local Recruiters) श्रमिकों की भर्ती हेतु मालिक द्वारा स्थानीय व्यक्तियों को श्रमिकों की भर्ती हेतु नियुक्त कर दिया जाता है।

(iii) पूल पद्धति (Pool System) के अन्तर्गत थम भर्ती स्थानीय प्रेषण एजेंसी वे माध्यम से होती है। श्रमिक इन स्थानीय एजेंसियों के पास चले जाने हैं और वहाँ थम के प्रेता उनकी भर्ती कर लेते हैं।

1 दिसंबर, 1960 से रोजगार दफतर अधिनियम इन बागानो पर लागू कर दिए गए हैं। मैसूर राज्य मे भर्ती-का कार्य न केवल रोजगार वार्यालियों द्वारा ही होता है वल्कि मालिकों द्वारा भी यह कार्य किया जाता है।

रोजगार कार्यालय (रिक्त स्थानों की अविकार्य सूचना) अधिनियम 1951 पास करके सभी उद्योगों पर लागू कर दिया गया है। सभी मालिकों दो रिक्त स्थानों की सूचना देना प्रतिवार्य कर दिया है। 25 या अधिक श्रमिक लगाने वाले मालिकों पर यह लागू होता है। इसका उल्लंघन करने पर प्रवर्ष बार 500 रुपया दूसरी बार 1000 रु जुर्माना करने का प्रावधान है।

भारत मे रोजगार सेवा संगठन

(Employment Service Organisation in India)

रोजगार वार्यालय श्रमिकों की वैज्ञानिक भर्ती को प्रोत्साहित करने वा महत्वपूर्ण साधन है। ये श्रमिकों और मालिकों के बीच एक कड़ी वा कार्य करते

है जिससे अम वी मोग और पूर्णि मे सन्तुलन स्थापित हो जाए। ये उपयुक्त स्थान पर उपयुक्त ध्यक्ति की नियुक्ति करने मे सहायक होते हैं। यद्यपि रोजगार वार्षिक उपरोक्त रोजगार घटनाएँ मे बृद्धि नहीं करते हैं किंतु भी ये धर्मालयक चेतावी (Frictional Unemployment) को कम करने मे सहायता होते हैं। इनसे अम वी गतिशीलता मे बृद्धि होती है, उनकी कार्यव्युगता बढ़ती है और राष्ट्रीय आप मे बृद्धि होन से आधिक बल्याएँ मे भी बृद्धि होती है।

ग्रन्तर्गतीय अम-संघटन (I. L. O.) ने नन् 1919 के प्रस्ताव द्वारा यह नियुक्ति वी थी कि प्रत्येक सदस्य देश द्वारा एक नि शुल्क रोजगार सेवा शुल्क वी जानी चाहिए। भारत ने इम प्रस्ताव को नन् 1921 मे स्वीकार किया था। शाही अम आदेश ने नन् 1929 मे इन प्रकार वी सेवा शुल्क बरते की योजना दो अनुपयोगी व अनुपयुक्त बनाया किंतु उम समय अभियों वी भर्ती बरते मे कोई कठिनाई नहीं थी। अभियों की पूर्ति उनकी मार्ग वी तुरना मे अधिक थी। सेविन अम प्रनुसंधान समिति अम संघो और मालिहो विधा प्रन्थ समितियों ने इम प्रकार वी सेवा शुल्क बरते पर बोर दिया।

दूसरे महायुद्ध मे तकनीकी और कुशल अभियों की वर्षी महसूम की गई और इनकी भर्ती हेतु 9 रोजगार वार्यालयों वी स्थापना की गई। इन वार्यालयों का कार्य तकनीकी प्रशिक्षण योजना मे अन्तर्गत आर्मी और युद्ध कारबानों हेतु तकनीकी अभियों को प्रशिक्षण देना था। नन् 1945 मे महायुद्ध समाप्त हो गया। युद्ध मे तरों अभियों द्वारा बोर रोजगार हो गए। प्रतः युद्धोपरान्त पुनर्जीवन व तुनिमाण हेतु इन दातरों द्वारा कार्य लिया गया। इन समस्या के समाधान के लिए पुनर्स्थापन और रोजगार निदेशालय (Directorate of Resettlement & Employment) की स्थापना 70 रोजगार दफ्तरों के साथ की गई। सन् 1984 मे इन रोजगार दफ्तरों के कार्यों मे बृद्धि करके सभी प्रवार के अभियों वो इसके अन्तर्गत लाया गया। नई दिल्ली रियत केन्द्रीय कार्यालय अन्तर्गतीय वार्यालयों वा समन्वय वार्य करता है।

रोजगार कार्यालयों की शिवा राव समिति का प्रतिवेदन (Shiva Rao Committee's Report on Employment Exchanges)

रोजगार कार्यालयों के कार्यों को प्रभावशूण्य बनाने के लिए उनका पुनर्गठन बरता आवश्यक समझा गया। इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु दोनों आयोग के मुभाव पर भारत सरकार ने सन् 1952 मे श्री वी शिवा राव, एम. वी वी घट्टराज्यों म एक प्रशिक्षण और रोजगार सेवा संघटन समिति (Training & Employment Service Organisation Committee) नियुक्त की गई। इसमे अभियों और मालिहो के प्रतिनिधि भी शामिल रिए गए। इस समिति ने प्रथमो रिपोर्ट सन् 1954 मे दी। इस समिति की सिरारियों प्राप्तिक थी—

1 रोजगार कार्यालय संगठन के स्थान पर इसका नाम राष्ट्रीय रोजगार सेवा के रूप में स्थाई संगठन के रूप में चलाई जाए। मानिकों द्वारा ग्रकुशल श्रमिकों को छोड़कर ग्रन्थ श्रमिकों की रित जगह अनिवार्य रूप से घोषित ही जाए।

2 इन कार्यालयों का नीति निर्धारण, प्रमापीकरण और समन्वय आदि का दायित्व केन्द्रीय सरकार का हो, लेकिन नित्य प्रतिदिन का प्रशासन राज्य सरकारों को दे दिया जाना चाहिए।

3 केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों द्वारा चलाए जाने वाले रोजगार कार्यालयों के कुल व्यय का 60% बहन करना चाहिए।

4 श्रमिकों को अपना पंजीयन कराने की स्वतन्त्रता हो और उनसे कुछ भी नहीं लिया जाए।

समिति ने ग्रकुशल श्रमिकों के पंजीयन के लिए कोई सुभाव नहीं दिया वर्णोंकि इससे रोजगार कार्यालयों का कार्यभार बढ़ जाएगा, लेकिन इसके पंजीयन के अभाव में देश में मानवीय शक्ति का सही ग्रन्तुमान कैसे लगाया जा सकेगा।

भारत में रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय का संगठन¹

पुनर्वास तथा रोजगार महानिदेशालय (जिसे अब रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय बहा जाता है) जुलाई, 1945 में सृजित किया गया था, जिसका उद्देश्य भूतपूर्व संसिद्धिकों को प्रशिक्षित तथा पुनर्वासित करना था। देश के विभाजन के पश्चात् विस्थापित व्यक्तियों के प्रशिक्षण तथा पुनर्वास को शामिल करके इसके कार्य क्षेत्र में बढ़ि गई थी। जनता की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने 1948 के शुरू में रोजगार सेवा की सभी रोजगार चालने वालों के बारे में और प्रशिक्षण सेवा को 1950 में सभी असंसिद्धिकों पर लागू कर दिया था। इसके परिणामस्वरूप इसका नार्य-भार बहुत ग्रधिक बढ़ गया था। चूंकि रिलीज किए गए युद्ध सेवा कार्मिकों और विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास की आकस्मिक समस्या से निपटने के लिए संगठन को जल्दी म स्थापित किया गया था, इसलिए इसके पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी, यदि इसे नियुक्ति तथा प्रशिक्षण के लिए एक कारगर तन्त्र के रूप में कार्य करना था। तदनुसार, देश के आर्थिक तथा सामाजिक विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं के सन्दर्भ में डी. जी यार एण्ड ई. को जारी रखने की आवश्यकता वा मूल्यांकन करने की ओर ऐसी आवश्यकताओं के सन्दर्भ में यह सुभाव देने के लिए कि इसका भावी आकार क्या होना चाहिए, प्रशिक्षण तथा रोजगार सेवा समिति (शिव राव समिति) 1952 म स्थापित की गई थी। इस समिति की सिफारिशों पर, रोजगार कार्यालयों और प्रौद्योगिक

[1] यथा मन्त्रालय (रोजगार एवं प्रशिक्षण), भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट, 1986-87,

प्रशिक्षण संस्थानों का दर्निक प्रशासनिक नियन्त्रण राज्य सरकारी/सरप सासित द्वेष प्रशासनों को 1-11-1956 से हस्तान्तरित कर दिया गया था। समठन की सागत पर होने वाले सर्वे का 60 प्रतिशत तक सर्वे केन्द्र द्वारा प्रोट गेप राज्य सरकारों द्वारा 31-3-1969 तक बहुत दिया जाना रहा था, जिसके बाद राष्ट्रीय विकास परियद द्वारा मई 1968 में हुई प्रभावी बंडर में निए गए नियंत्रण में परिणामस्वरूप यह व्यवस्था बदल कर दी गई थी। इति जनशक्ति एवं रोजगार योजनाओं पर गिलबर्गार प्रशिक्षण योजनाओं (प्रोटोनिक प्रशिक्षण संस्थानों) के निए पूर्ण वित्तीय विभिन्नताएँ भी राज्य सरकारी/सरप सासित द्वेष के प्रशासनों को 1-4-1969 में हस्तान्तरित कर दी गई थी।

सितंबर, 1981 में श्री पो सी नायर की प्रधानमंत्री में, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय का पुनर्गठन सम्बन्धी एक बार्य दल गठित दिया गया था, जिसका बार्य रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के उद्देश्यों तथा बायकरण की पुनरीक्षा करना प्रोट इस समठन का घपनी विभिन्नताओं विभाग में प्रोट अधिक प्रभावकारी योजने के लिए उपाय सुझाना, विभाग, यदि कोई हो का पता लगाना तथा उन्हें दूर करने के लिए उपाय सुझाना था। बार्य दल न घपनी रिपोर्ट 11-1-1982 को प्रस्तुत की। बार्य दल द्वारा भी गई सिफारिशों की जांच की गई है प्रोट अनुबर्ती कार्यवाही की गई है।

प्रत्येक क्रिह प्रब्रह्मर्थि योजना के साथ केन्द्र तथा राज्यों में रोजगार सेवा और प्रशिक्षण सेवा के कार्यकलापों में विस्तार होना रहा है। दिसम्बर, 1986 तक बाय कर रहे रोजगार बायालयों प्रोटोनिक प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों) की कुल संख्या ८२१ प्रोट १७२४ थी।

क्षेत्र बार्यालय दर्शाते हुए संगठनात्मक संरचना वा विवरण

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय भारत में एक ऐसा शोर्य समठन है जो राष्ट्रीय भाषाएँ पर, रोजगार सेवा और महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित, व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना से सम्बन्धित बायेन्सों का विकास तथा सम्बन्ध बरने के लिए उत्तरदायी है। सेवापि, रोजगार बायालयों प्रोटोनिक प्रशिक्षण संस्थानों का प्रशासनिक तथा वित्तीय नियन्त्रण राज्य सरकार द्वारा सासित द्वेष प्रशासनों द्वारा दिया जाता है। रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेश तथा भारत सरकार के मुक्त संबिल है, जो सीधे थम संबिल के प्रति उत्तरदायी है। रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के मुख्यालय में राजगार निदेशालय, प्रशिक्षण निदेशालय, विभूति प्रशिक्षण निदेशालय और मविशालय दिया गया है।

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के प्रधीन बायं करन वाले परीक्षण बायालयों का व्यौदा यागे दिया गया है—

(क) रोजगार निदेशालय

- 1 केन्द्रीय रोजगार सेवा मनुसंघान एव प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।
- 2-15 14 विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र—दम्बई, हैदराबाद, जबलपुर, दिल्ली, कानपुर, लुधियाना, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद, त्रिवेन्द्रम, बगलौर, गोहाटी, जयपुर और मुंबनेश्वर ।
- 16-33 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सम्बन्धी 18 मध्ययन एव मार्गदर्शन देश—दिल्ली, जबलपुर, कानपुर, मद्रास, कलकत्ता, सूरत, हैदराबाद, त्रिवेन्द्रम, जयपुर, रांची, इमान, एजबल, बालौर, हिसार, राउरकेला, नागपुर, गोहाटी और मण्डी ।

(ख) प्रशिक्षण निदेशालय

- 1-6 छ उच्च प्रशिक्षण संस्थान—कलकत्ता, मद्रास, कानपुर, हैदराबाद, लुधियाना और बम्बई ।
- 7 केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास ।
- 8-9 इलैक्ट्रॉनिक्स तथा प्रोसेस इन्स्ट्रूमेण्टेशन सम्बन्धी 2 उच्च प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद और देहरादून ।
- 10 केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान संस्थान, हावड़ा ।
- 11-16 छ क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय—दम्बई, कानपुर, कलकत्ता, मद्रास और हैदराबाद तथा फरीदाबाद ।
- 17 राष्ट्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।
- 18-20 नीन क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान—बम्बई, बगलौर और त्रिवेन्द्रम ।
- 21-23 फोरमेन प्रशिक्षण संस्थान—बगलौर और जनशेषपुर ।
- 24-27 चार मार्दीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान—हृत्यानी (उत्तर प्रदेश), कालीकट (केरल), चौदार (उडीसा) और जोधपुर (राजस्थान) ।
 (विकलांग महिला व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र प्रगतिशाला तथा बडोदा और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान हिमार, कलकत्ता तथा तुरा स्वीकृति दिए गए हैं) ।

राष्ट्रीय रोडगार भेदा की वार्ष-प्रगति।

हमारे देश में रोडगार सेवा 1945 में प्रारम्भ की गई थी और आज इसके प्रधीन देश भर में रोडगार वार्षिकों का आवासा बिल्ड है। 1986 के सन में एक प्रतीक्षीय रोडगार सेवा में 821 राजगार वार्षिक थे, जबकि 1985 में इनकी गणक 800 थी। इस नेटवर्क में 80 विविधायक रोडगार गुच्छों वर्ष मार्गदर्शन में हैं (जूँ इनमें जी. बी.), 16 व्यावसायिक और कार्यकारी रोडगार वार्षिक, 7 बोय गान्धार रोडगार वार्षिक, 10 दरियोदान रोडगार वार्षिक, विकासी देश 23 विशेष राजगार वार्षिक और दाणान अनिवार्यों के लिए एक विशेष रोडगार वार्षिक भागिता है।

वार्षिकताप वे विभिन्न घंटाओं में राष्ट्रीय रोडगार भेदा का विवादा निम्नलिखि विवरणों में दर्शाया गया है।

रोडगार वार्षिकों का गुण्य वार्ष रोडगार आहुते दाते अस्तियों का प्रतीक्षीय करना और विभिन्न इतिहासों द्वारा अभियूक्त रिकॉर्ड पर उनकी नियुक्तियों करनाना है। इस सम्पर्क में 1985 की सुन्दरी में 1986 के दोहन लिए गए वार्षिक वार्ष विवरणों विवरण में लगाया जा सकता है—

(घंटों में)

वार्षिकता	1985	1986
प्रतीक्षीय	55.22	55.35
अधिकृत रिकॉर्ड	6.75	6.23
लिए गए संकेत	53.88	53.13
की गई नियुक्तियों	3.89	3.51

1986 के सन में रोडगार वार्षिकों के आकू रजिस्टर पर रोडगार आहुते वार्षों की कुल संख्या 301.30 वार्ष थी, यदि गणक वर्ष में प्रारम्भ की कुलता से 14.7 ग्रनित अधिक थी।

जावरी से दिवायर, 1986 की अवधि में दोहन रोडगार वार्षिकों का द्वारा लिए गए प्रतीक्षीय, रिकॉर्ड अभियूक्तावरों, नियुक्तियों और विभिन्न राज्यों तथा नए वार्षिक लेनदेन वर्षों के जरूर में रोडगार वार्षिकों के काल्पन अक्षिप्तर तक व्यापेदरों के थारे में भारत के पारे लिए गए हैं।

1 भारत राज्य, यम विवाद (रोडगार एवं रजिस्टर) की विवरण लिंग, 1986-87.

प्रिभित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में रोजगार कार्यालयों पर विचारितात्य रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्रों द्वारा
1986 के बोरान किया गया कार्य

(इतरों में)

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1986 के घन्त में रोजगार कार्यालयों द्वारा विचारितात्य की संख्या			1986 के घन्त में रोजगार कार्यालयों द्वारा विचारितात्य की संख्या			जनवरी-दिसंबर, 1986 के घन्त में घन्त की दौरान की गई रजिस्टर पर नियुक्तियों की संख्या	जनवरी-दिसंबर, 1986 के घन्त में घन्त की दौरान की गई रजिस्टर पर नियुक्तियों की संख्या	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	पार्थ प्रदेश	30	3	291·7	46·1	495·2	19·8	2461·8		
2.	पश्च	44	3	209·1	12·6	150·3	5·2	812·3		
3.	बिहार	55	6	553·3	33·7	312·3	22·7	2914·5		
4.	गुजरात	35	6	162·8	32·3	199·1	12·9	877·1		

	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	दृश्याणा	84	3	2174	360	2185	147	4928
6.	हिंदूवाल प्रदेश	14	1	793	111	2521	70	3468
7.	जगत् व कर्मार	14	—	378	29	238	19	1068
8.	कनाटक	31	6	1765	251	1723	93	10847
9.	केरल	33	4	3437	322	1553	153	27049
10.	मध्य प्रदेश	55	8	4013	381	2158	232	17720
11.	महाराष्ट्र	38	5	5293	708	5365	381	28766
12.	मणिपुर	9	—	417	40	397	09	2588
13.	मेघांशु	7	—	56	08	46	02	227
14.	त्रिपांगद	4	—	43	06	55	04	204
15.	उडीसा	20	4	2044	213	3229	154	8568
16.	पंजाब	37	3	2336	252	2296	73	6096
17.	राजस्थान	28	3	1911	300	2759	174	8401
18.	सिक्खिम	—	—	—	—	—	—	—
19.	तमिलनाडु	29	3	4815	645	8456	509	24448
20.	तिक्कुरा	4	—	144	24	155	20	1074
21.	उत्तर प्रदेश	79	14	7420	503	3699	318	32508
22.	पश्चिमी बंगाल	65	4	3896	237	1704	94	42526

सभ्य राज्य द्वारा	1	2	3	4	5	6	7	8	9	‘
1. भण्डमान व निकोबार हीपसमूह 1	—	—	3.5	2.1	13.1	0.4	15.2			
2. धरहणाचल प्रदेश	1	1	23.3	3.9	32.1	1.7	132.8			
3. चडीगढ़	1	—	—	—	—	—	—			
4. दादरा व नागर हृषेतो	1	—	—	—	—	—	—			
5. दिल्ली	17	3	163.3	37.0	173.0	41.5	680.8			
6. गोवा दमन व दीव	1	—	16.9	4.0	39.5	0.7	66.8			
7. लकड़ीप	1	—	0.7	0.2	1.3	①	6.6			
8. मिजोरम	3	—	7.7	2.5	19.1	0.6	30.6			
9. पांडिचेरी	1	—	9.4	2.3	23.8	0.4	84.1			
10. केन्द्रीय रेजिस्टर वाणिज्य	—	—	—	8.1	—	—	—			
प्राक्षिप्त भारत औड	741	80	5535.4	623.4	5312.6	351.3	10131.2			

नोट—1 * बोई रोजगार कार्यालय वायं नहीं कार रहा है ।

2. ** इस सभ्य राज्य दोन्ह मे एक राजगार कार्यालय कायं यर रहा है लेकिन याकडे प्राप्त नहीं हो रहे हैं ।

3. ① घोषणे 50 से कम है ।

4. ऐसा ही राकता है कि पूर्णांत्रन के कारण सल्लाह जोड से मेल नहीं पानी हो ।

रोजगार चाहने वाले गिरित घटक्षि

रोजगार चाहने वाले पश्चीमत घटक्षियों में से सबस्थग आपे गिरित (मैट्रिक्युलेट तथा इगरी उपर) हैं। रोजगार चाहने वाले गिरित घटक्षियों की संख्या 1985 के घन्त म 139.76 लाख थी, जबकि विद्युते घन्त यह संख्या 125.36 लाख थी। 1984 की तुलना में 1985 के दौरान रोजगार वार्षिकयों द्वारा रोजगार चाहने वाले गिरित घटक्षियों को प्रदान की गई रोजगार सहायता की पुनरीक्षा निम्नलिखित दारणी में प्रस्तुत की गई है—

(लाखों में)

लैक्षणिक स्तर	पश्चीमराज		नियुक्तियाँ	
	1984	1985	1984	1985
मैट्रिक्युलेट	19.23	18.13	0.89	0.79
मैट्रिक्युलेशन से उपर परन्तु हिन्दी से				
भग	8.18	8.17	0.42	0.38
स्नातक तथा स्नातकोत्तर	6.31	5.72	0.47	0.47
रोजगार चाहने वाले एभी गिरित	33.72	32.03	1.78	1.63

नोट—पूर्णांगुलों में कारण जोड़ में नहीं भी था गक्को।

जून, 1986 के घन्त में रोजगार चाहने वाले गिरित घटक्षियों की संख्या 150.88 लाख थी। जनवरी-जून, 1986 के दौरान, चालू रजिस्टर पर मैट्रिक्युलेटों की संख्या 80.45 लाख से बढ़कर 86.83 लाख हो गई, मैट्रिक्युलेशन में ऊपर परन्तु स्नातकों तक जितना प्राप्त करने वालों की संख्या 35.30 लाख से बढ़कर 38.06 लाख हो गई परीक्षा स्नातकों की संख्या 24.00 लाख से बढ़कर 26.00 हो गई। जनवरी जून, 1986 के दौरान रोजगार चाहने वाले कुल 13.59 लाख घटक अभीही गिए गए पर 0.74 लाख नोटरी पर लगाए गए।

विशिष्ट वर्गों के रोजगार चाहने वाले घटक्षि

रोजगार वार्षिकयों द्वारा विशिष्ट वर्गों के रोजगार चाहने वाले घटक्षियों जैसे प्रानुगृहिया जाति एवं ईकूलित जनजाति, विहलीयों और बहितायों को प्रदान की गई सहायता दर एवं यात्रा यात्रा में की गई है।

रोजगार वार्षिकय (रितियों की व्यवस्थायें अधिकृतना)

अधिकारियम, 1959

रोजगार वार्षिकय (रितियों की व्यवस्थायें अधिकृतना) अधिकारियम, 1959 को पहली मई, 1960 से लागू हुआ, ताकारी दोष के एभी प्रतिक्रियायों और नियमी

क्षेत्र के गैर-कृपि वायंकलापों से लगे हुए ऐसे प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जिनमें 25 या अधिक श्रमिक नियोजित हैं। अधिनियम के अधीन नियोजकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने प्रतिष्ठानों में उनपन्न होने वाले रिक्त स्थानों (अधिनियम के अन्तर्गत छट प्राप्त रिक्त स्थानों को छोड़कर) को निर्धारित रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित करें और अपनी स्थानाद्यों में रोजगार तथा रितियों के बारे में कुछ पावधिक विवरणियाँ भेजें।

मार्च, 1986 के अन्त में यह अधिनियम 172 लाख प्रतिष्ठानों पर लागू था, जबकि मार्च, 1985 के अन्त में यह अधिनियम, 168 लाख प्रतिष्ठानों पर लागू था। इनमें से 130 लाख प्रतिष्ठान सरकारी क्षेत्र में थे और 042 लाख प्रतिष्ठान निजी क्षेत्र में थे।

अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के लिए 18 राज्यों/सभ शामिल क्षेत्रों में विशेष प्रवर्तन मशीनरी स्थापित की गई है। रोजगार अधिकारी अधिनियम के कार्यान्वयन में विभिन्न अनुनयों तरीकों तथा प्रचार के माध्यम से नियोजकों का सहयोग प्राप्त करने हेतु, लगातार प्रयास भी करते हैं। तथापि, लगातार तथा अभ्यस्त दोषी नियोजकों के मामले में अभियोजन चलाए जाते हैं। विभिन्न राज्यों/सभ शासित क्षेत्रों से प्राप्त निमाही रिपोर्टों के मूल्यांकन से यह पता चला है कि सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में अधिकांश नियोजकों ने अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन किया।

रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) नियम, 1960 में विभिन्न फोरमों में की गई सिफारिशों के आधार पर समय समय पर मानोधन किए गए थे और सशोधनों के बारे में अधिसूचनाएँ भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थीं।

केन्द्रीय रोजगार कार्यालय, दिल्ली

रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन, केन्द्रीय सरकार में 425 हफ्ते (विना सशोधन) और इससे ऊपर कम मूल वैतन वाली वैज्ञानिक तथा तकनीकी स्वरूप की सभी रिक्तियों को केन्द्रीय रोजगार कार्यालय, दिल्ली द्वारा अधिसूचित करना होता है, जो इन रिक्तियों को देश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में परिचालित करता है और यदि धावश्यक हो तो उन्हें समाचार-पत्रों में विज्ञापित करता है।

1986 के दौरान, कुल 8095 रितियाँ द्वारा रोजगार व्यावरण को अधिसूचित की गई, जिनमें से 1611 रितियाँ अनुसूचित जातियों के लिए और 1076 रितियाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए घारबिल थीं। ये रितियाँ 521 नियोजकों द्वारा अधिसूचित की गई थीं, जिनमें से केन्द्रीय मन्त्रालय के 416 कार्यालय और 163 प्रदूष सरकारी तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण थे। कुल 3407 रितियाँ देश के सभी रोजगार व्यावरणों में उपयुक्त उम्मीदवार प्राप्योदित करते

मेरे सिए परिपालित की गई विद्यम से 613 पनुगूणित जनजाति और 368 पनुगूणित जनजाति मेरे लिए पारदिता थीं। इसके अनिरित, ऐसी रितिया एवं स्थान विधियालय करने के लिए 884 पनुरोध विभिन्न रोजगार बार्यातियों को प्राप्त हुए, जिनके लिए उपयुक्त उम्मीदवार स्थानीय रोजगार बार्यातियों के बाग उपयोग नहीं थे।

मेरी द्वीय सरकार की ऐसी रितियों किंवद्दु भरता रहा है तभा उत्तराखण्ड परिषायक करने की जन्मत थीही है, गिरावर, 1968 म चातुर्वर्षीय राजगार बार्यातिय के प्रत्यक्ष द्वीय राजगार बार्यातिय के माध्यम से घटित भारतीय स्थान वर विकासित की जाती है। 1986 के दोस्रा 2 विशेष विकासी गहिर 54 विकास जारी किए गए विद्यम से 4782 रितियों लाभित थीं। इसमे 980 रितियों पनुगूणित जनजाति के लिए, 635 रितियों पनुगूणित जनजाति के लिए और 101 रितियों विकासी के लिए स्थानीय रोजगार बार्यातिय को अधिगूणित की गई 237 रितियों गतिविधि रोजगार बार्यातिय का स्थानान्तरित की गई थी योग्य के सी. ई. ई के दीक्षाधिकार के घटनाकाल नहीं थीं थीं। इसके अनिरित, 315 विकासी । रोजगार बार्यातिय (रितियों की अनियार्थ अधिगूणित) अधिगृहण के प्रत्यक्ष रितियों अधिगूणित की, किंवद्दु उत्तराखण्ड द्वारा दीये विकासित दिया गया।

फालतु़/टेटनी पोषित लिए गए द्वीय सरकार के प्रमंथातियों की नियुक्ति करना

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिवालय का दो विशेष से 1 वित्त मन्त्रालय के द्वंपारी शिरीखल द्वारा की गई नियामिती के बार्यातिय वयस्त्र प्रणालीनिवाल गुंधार लागू करने के अनिवालमवहर द्वीय सरकार के प्रशिक्षण के कानून योगिता लिए गए युवा 'प' के द्वंपारीयों को रोजगार महानिवाल प्रशिक्षण करने के लिए उत्तराधारी है। इस तीन मे 1 जनवरी, 1986 से 32 लाख द्वंपारी द्वारा दीया जनवरी दिवस्वर, 1986 को अवधि के दोस्रा गारे देग के द्वीय सरकार के विभिन्न बार्यातियों से युवा 'प' के लिए 198 द्वंपारीयों के पाठ्य छात्र द्वारा की अपना प्राप्त हुई थी। इसी अवधि के दोस्रा विशेष से 1 द्वारा 197 द्वंपारी द्वीय सरकार ग नामोदिट/टिकुण लिए गए के ओर दिवस्वर, 1986 के अन्त म फालतु़ योगित लिए गए दो देश 33 द्वंपारी राजगार महानिवाल की प्रक्रीया मे थे। विशेष तीन युवा 'प' मे ऐसे द्वंपारीयों को युवा नियोजित द्वारा के लिए विशेष द्वारा है लियोने देश के द्वम 3 वर्षों की सदा की ही ओर वित्ती द्वीय सरकार के द्वंपारों को द्वंपारा कर देते के बारंग देखी बर दी जाती है।

रोजगार धार्यार गूणना

गीमांने तथा विकास—राजगार धार्यार गूण (रो या गु) द्वारा प्रदान द्वंपारी रोजगार के द्वारो के माध्यम से धार्यारे नियोजित होते वर रोजगार

कार्यसियों द्वारा एकत्र किए जाते हैं। इन ई एम. आई कार्यक्रम के अन्तर्गत अद्यत्वस्था वा बेवल समिति क्षेत्र प्राप्त है, नामतः—

- (1) सरकारी क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठान, और
- (2) निजी क्षेत्र के ऐसे गैर-हृषि प्रतिष्ठान, जिनमें 10 या इससे अधिक अमिक नियोजित हैं।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्र नहीं प्राप्त हैं—

- (1) निजी क्षेत्र ने कृषि और सम्बद्ध वायंकलाप/मचान, बागान को छोड़कर जिन्हें स्वैच्छिक आधार पर शामिल किया गया है,
- (2) घरेलू प्रतिष्ठान,
- (3) निजी क्षेत्र में ऐसे प्रतिष्ठान जिनमें 10 से कम अमिक नियोजित हो,
- (4) स्वरोजगार अथवा स्वतन्त्र कर्मचार,
- (5) अशकारात्रि कर्मचारी,
- (6) रक्षा सेनाओं भी रोजगार,
- (7) विदेश में भारतीय मिशनों/दूतावासों में रोजगार,
- (8) ग्रेटर दम्बई और बनकत्ता के महानगरीय क्षेत्रों में निजी क्षेत्र में 10-24 व्यक्तियों को नियोजित करने वाले गैर-हृषि प्रतिष्ठान।

भौपोलिक तौर पर, रोजगार वाजार सूचना (ई एम. आई) कार्यक्रम के अन्तर्गत मिक्सिम, अरुणाचल प्रदेश, दादरा एवं नागर हवेली और लक्ष्मीप को छोड़कर देश के सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र शामिल हैं। सरकारी क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों और निजी क्षेत्र के 25 या इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले गैर-हृषि प्रतिष्ठानों से सूचना, रोजगार वायनिय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन एंट्री की जाती है परन्तु निजी क्षेत्र के 10 से 24 अमिकों को नियोजित करने वाले गैर हृषि प्रतिष्ठानों से यह सूचना स्वैच्छिक आधार पर एकत्र की जाती है। निजी क्षेत्र के वागान से भी यह सूचना स्वैच्छिक आधार पर एकत्र की जाती है।

शामिल किए गए प्रतिष्ठानों की संख्या—31 मार्च, 1985 वो कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए गए प्रतिष्ठानों की कुल संख्या 228 लाख (अन्तिम) थी। इनमें से सार्वजनिक क्षेत्र के 130 लाख और शेष 098 लाख निजी क्षेत्र थे थे। राजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 द्वारा परिविके अन्तर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों की संख्या 172 लाख थी, जिनमें 130 लाख सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा 042 लाख निजी क्षेत्र वे प्रतिष्ठान थे।

झांकडे प्रकाशित करना—ई एम. आई कार्यक्रम के अन्तर्गत एकत्र किए गए झांकडे तिमाही और वार्षिक रोजगार मुनरीकालीन वे माध्यम से रितीज किए

जाते हैं। 1982-83 के बायिंच रोजगार पुनरीक्षा का ममोदा तंयार बार लिया गया है। इन्हीं दी गई अस्तित्व तिथिएँ रोजगार पुनरीक्षा बून, 1985 को समाप्त निमाही वे बारे में निमाही रोजगार पुनरीक्षा तंयार की जा रही है। रोजगार तत्वन्वी भौतिकों को शोध रिसीज बरते और इस तरह उनकी उपयोगिता औ दड़ाने के लिए, गणठित लेप में रोजगार के स्वरित घनुमान मूल्यों करने की एवं योजना भी 31 मार्च, 1983 को गमाल तिमाही से शुरू की गई थी। यूआ, 1986 को समाप्त तिमाही तक रोजगार के स्वरित घनुमान पहले ही रिसीज कर दिए गए हैं और गितावर, 1986 को समाप्त निमाही से सम्बन्धित तत्वरित घनुमान गतित रिए जा रहे हैं।

ध्यावपादिक शीलिंग पेटन अध्ययन—रोजगार बाजार गूचना कार्यक्रम में एक छाग में हप में, रोजगार और प्रगतिशाली महानिदेशालय एकान्तर वयों में मरकारी तथा निजी दोनों में आते वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों ये कर्मचारियों के ध्यावपादिक पेटन और उनकी शैक्षिक/तत्त्वनीति योग्यताओं के बारे में रिपोर्ट भी प्रदानित करता रहा है। रिपोर्ट तंयार करने और उपयोगकर्ताओं को और प्रधिक अध्ययन शीलिंग उपलब्ध कराने में गमय घन्तराल को कम करने की दृष्टि से 1980 और 1981 को रिपोर्ट छोड़ दी गई थी। समीक्षापीन वर्ष के द्विरात्रि 1982 (मरकारी दोप्र.) से सम्बन्धित रिपोर्ट वा ममोदा तंयार लिया जा रहा है और 1983 (निजी दोप्र.) और 1984 (गरमारी दोप्र.) वे बारे में एकत्र लित गए और इन्हें प्रोतोंपिण के विभिन्न चरणों में है। 1985 (निजी दोप्र.) और 1986 (गरमारी दोप्र.) हमेशायनियों के लिए शीलिंग प्रक्रम लिया जा रहे हैं।

ध्यावपादिक मार्गदर्शन और रोजगार सम्बन्धी परामर्श—वर्ष 1986 के द्विरात्रि 357 रोजगार कार्यालयों में ध्यावपादिक मार्गदर्शन और रोजगार परामर्श एकत्रों ने कार्य लिया। इन्हें अतिरिक्त देश में 80 विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय रोजगार मूलना और मार्गदर्शन केन्द्रों ने कार्य लिया। इन एकत्रों द्वारा केन्द्रों ने यावेदभ्यों और मुख्यों को मार्गीकृत। मध्यमी मानी योग्यता बनाने में उनकी महायता थी। यहसे जी तेह इन लालों ने ध्यावपादिक मूलना एवं तथा मक्कित की ओर अवक्षिप्त परामर्शदाती राज्यों, दूतिर वार्ताओं, माध्यमिक विषार विमर्श, इतिहास नुसारों और किस प्रश्नतिविषयों से साध्यम ने अतिरिक्त हप में और मुख्यों, दोनों में इनका विवरणियों, पर्याप्तरों, अभिभावकों और नीतिशाली भालों वालों में सोहेल गता रहा। शोलोगित प्रशिक्षण तंत्रालों में जिम्परार प्रशिक्षण और उद्योगों में गिरावा प्राप्त बरते हैं इन्हें यावेदभ्यों और विद्यायियों को प्राप्तव्यक गहाता दी गई। यावेदभ्यों को प्रशासनिक गुटिटों में रोजगार की ध्यावपादिक करने में तथा इन-रोजगार शब्दों के लिए गहाता भी प्रदान की गई है।

अभिरचि परीक्षाएँ—रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के अभिरचि परीक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में गिल्पदार प्रशिक्षणार्थियों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में शिक्षित प्रशिक्षणार्थियों के वैज्ञानिक चयन के प्रयोजनों के लिए अभिरचि परीक्षाओं सहित मनोवैज्ञानिक जांचों का विकास करना और उनका प्रयोग करना है। इस समय इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 21 इनीशियरी व्यवसाय आते हैं। वर्ष 1986 के दौरान अनब राज्यो/संघ-शासित क्षेत्रों के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अभिरचि परीक्षाओं का आयोजन किया गया।

1969 में शुरू किए गए जिधुता के लिए प्रशिक्षणार्थियों के चयन के कार्यक्रम के अन्तर्गत अभी तक 27 औद्योगिक, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों ने छो. जी ई एंड टी की अभिरचि परीक्षाओं का उपयोग किया है। ऐसे प्रतिष्ठानों के अधिकारियों को परीक्षाओं के प्रशासन तथा परिणामों के मूल्यांकन की तकनीकों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समय-समय पर सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। अभी तक 123 औद्योगिक संगठनों/प्रतिष्ठानों से 168 अधिकारियों ने अब तक आयोजित II प्रशिक्षण सेमिनारों में भाग लिया है। ग्यारहवाँ प्रशिक्षण सेमिनार 17 नवम्बर, 1986 से 21 नवम्बर, 1986 तक आयोजित किया गया था।

चयन के टूलों के हपो में अभिरचि परीक्षाओं की प्रभाविकता का पता समाने के लिए समय-समय पर अनुबर्ती अध्ययन किए गए हैं और इन अध्ययनों के परिणामों से यह पता चला है कि रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा तेदार की गई अभिरचि परीक्षाओं से उनकी ही परिशुद्धता के साथ प्रशिक्षणार्थियों का निष्पादन दर्शाती है, जिनमी परीक्षाओं से आशा की जा सकती है और इसलिए व्यक्तियों का चयन करने हेतु अभिरचि परीक्षाओं पर विश्वास किया जा सकता है। हाल ही पजाव के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में किए गए अध्ययन से यह पता चलता है कि चयन के लिए अभिरचि परीक्षाओं के प्रयोग से सामग्री और मानव संसाधनों का उपयुक्त उपयोग किया जा सकता है।

एक सामान्य अभिरचि परीक्षा बैटरी वा विकास सम्बन्धी वायं प्रगति पर है।

स्व-रोजगार दो बढ़ावा देना—बड़े पैमाने पर स्व-रोजगार दो बढ़ावा देना सरकार द्वारा अपनाई गई रोजगार नीति का एक महत्वपूर्ण भग है। स्व-रोजगार में लगने के लिए युवायों को प्रेरित करके और उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन तथा सहायता देकर रोजगार कार्यालय से इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आशा की जाती है क्योंकि वह रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों के लिए सम्पर्क का प्रथम स्थान है। इस प्रयोजन के लिए, रोजगार कार्यालयों/विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्रों को सुइड करने की एक योजना विभिन्न राज्यों, संघ शासित देशों में चुने हुए 30 जिलों में प्रायोगिक आधार पर 1983 में घुर की गई थी।

प्रवेशित विशेष सेवा अभी तक 30 जिलों में से 26 जिलों में रोजगार कार्यालयों में गृहित हिए गए हैं। इनमें गुण हात से दिसम्बर, 1986 के घन्न हक्क द्वारा जैसे ने लगभग 88,650 व्यक्तियों द्वारा पत्रीहृत विद्या और उनमें से 18,100 को इन रोजगार पर लगाया।

इस योजना के अन्तर्गत हृदृष्टि प्रणाली का मूल्यांकन वायं केन्द्रीय राजगार सेवा अनुगमन एवं प्रशिक्षण एस्प्यान (सरटा) द्वारा पूरा कर दिया गया है। मूल्यांकन अध्ययन न, धन्य वार्ताओं के साथ साथ, देश में चरणबद्ध तरीके से धन्य जिलों से इन योजना का विस्तार करने को निर्णायित की। इस योजना के विस्तार की ध्यावहारिकता पर विचार किया जा रहा है।

रोजगार कार्यालयों का मूल्यांकन—राजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, धन्य वार्ता का साथ-साथ, रोजगार कार्यालयों सम्बन्धी नीति और प्रतियाप्ति के बारे में राष्ट्रीय मानक निर्णायित करने के लिए जिम्मेदार है। अत रोजगार सेवा के विभिन्न कार्यक्रमों का वावधिक मूल्यांकन रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा राज्य गरिमा सम्मानित क्षेत्र प्रशासनों के सहयोग से दिया जाता है। एसीहृत मूल्यांकन की इस प्रणाली के धन्यों वितरे अन्तर्गत रोजगार कार्यालयों के सभी कार्यक्रमों परते हैं, वर्ष 1986 के दोस्त 22 राजगार कार्यालयों द्वारा 4 विश्वविद्यालय रोजगार गुचना एवं मार्गदर्शन वेत्ता का मूल्यांकन किया गया है।

रोजगार कार्यालयों के कार्यों का सापुनिरीकृत—राजगार खाने वाला और नियोजनों दोनों को बारगढ़ सेवाएँ प्रदान करने की हृषि से, राज्य गरिमा/गरिमा/गरिमा क्षेत्र प्रशासनों को रोजगार कार्यालयों के कार्यों को कम्प्यूटरीजूत परते की मनाह दी गई है। वही राज्यों की कम्प्यूटरीजूत करने की सनाह दी गई है। वही राज्यों जैसे बंगाल, पान्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पीडिचीरी, दिल्ली और पश्चीम न यथासत्यक कम्प्यूटरीकृत की इस दिशा में रहते ही वदम उठाए हैं।

रोजगार कार्यालयों के कार्यों की कम्प्यूटरीजूत करने के लिए राज्यों/गवर्नर शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने की एक योजना को 1986-87 में लिए गातरी योजना स्वीम बे रुा में गुण दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत, बंगाल-बंगाल प्राद्यार पर अधिकृत एक सात रुपये प्रति रोजगार कार्यालय/कार्यालयों के एक एक केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों को ऐसे रोजगार कार्यालयों में लिए कम्प्यूटर हार्डवर पौर साइट बैयर आप्ट करने के लिए दी जाती है जिनमें पासू रजिस्टर पर एक सात या अधिक उम्मीदवार दर्ज है (व्यक्तिगत हर में या दूर से)। इस बारे में प्रसादाव रिक्षित राज्य सरकारों से प्राप्त हो रहे हैं। धन्य तर केन्द्रीय महायना विहार के राजगार कार्यालयों के लिए रिसीफ की गई है।

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के बत्तमान डाटा श्रोतिति कार्यों को इनमें स्थान पर कम्प्यूटर प्रणाली यथा कर सापुनिरीजूत दिया जा रहा है। कम्प्यूटर सम्बन्ध के लिए खात वित्तीय वर्ष 1986-87 के दोस्त 12 सात एवं

का प्रावधान किया गया है। विभिन्न कम्प्यूटर प्रणालियों का मूल्यांकन करने के लिए यथित तकनीकी समिति ने अब अपने मूल्यांकन पूरे कर लिए हैं और इस प्रयोजन के लिए एक उपयुक्त कम्प्यूटर प्रणाली को सिफारिश दी गई है।

रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959

थम मन्त्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन 1976-77 के अनुसार—

1. यह अधिनियम, जो सन् 1960 में लागू हुआ, सरकारी क्षेत्र के सभी नियोजकों और निजी क्षेत्र के गैर-कृषि कार्यकलापों में रत ऐसे नियोजकों पर लागू होता है जिनके पास 25 वर्ष की अधिक व्यक्ति नियोजित हैं। अधिनियम वी धारा 4 वे अधीन नियोजकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने प्रतिष्ठानों में पैदा होने वाले रिक्त स्थानों को भरने से पहले उन्हें (कुछ मामला में दो गई छूट को छोड़कर) निर्धारित रोजगार कार्यालय द्वारा अधिसूचित करें। अधिनियम की धारा 5 के अधीन नियोजकों के लिए निर्धारित रोजगार कार्यालय द्वारा अपने कर्मचारियों की सम्मानी, रिक्त स्थानों तथा कमियों के सम्बन्ध में नेमासिक विवरण और कर्मचारियों का व्यावसायिक विवरण दर्शाने वाली द्विवार्षिक विवरणी भेजना अपेक्षित है। वर्ष 1976-77 में इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के लगभग 0·82 लाख प्रतिष्ठान और निजी क्षेत्र के 0·45 लाख प्रतिष्ठान आते थे।

2. विभिन्न राज्य सरकारों और सध-शासित क्षेत्रों से प्राप्त अधिनियम के प्रवर्तन सम्बन्धी चैमासिक प्रतिवेदन से पता चलता है कि कुल मिलाकर दोनों सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के नियोजक अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन करते रहे हैं। इन नियोजकों ने रिक्तियों को अधिसूचित किया और निर्धारित विवरणीयाँ रोजगार कार्यालयों को भेजी हैं तथापि, कुछ मामलों में नियोजक अपने प्रतिष्ठानों में सृजित कुछ रिक्तियों रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित न करने के समुचित बारण बताने में असमर्थ रहे हैं और चैमासिक विवरणीयों में अपेक्षित पूरी सूचना भी नहीं भेज सके हैं।

3. अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के उद्देश्य में अनेक राज्यों में प्रवर्तन तन्त्र स्थापित किया गया है। कुछ अन्य राज्यों में ऐसे ही तन्त्र के सूचने के प्रस्तावों पर कार्यवाही की जा रही है। जहाँ रोजगार अधिकारियों द्वारा नियोजकों से सहयोग प्राप्त करने प्रीर वैयक्तिक अनुबर्ती कार्यवाही जारी रखने के लिए उपयुक्त बदल उठाए गए वहाँ राज्य सरकारों द्वारा उन नियाजकों को बाराण बतायो नोटिस' भी जारी किए जाते हैं, जिन्होंने अधिनियम के उपबन्धों का लगातार उल्लंघन किया है।

4. अधिनियम के प्रभाव को बारगर बनाने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे नियोजकों के अभिलेखों और दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए शक्तियों का और अधिक विस्तार करें। राज्यों द्वारा ऐसी अनुदेश भी दिए गए हैं जिनके क्रमबद्ध प्राधार पर नियोजकों के अभिलेखों और दस्तावेजों के निरीक्षण के कार्यक्रम को तेज करें।

रोजगार कार्यालयों का आलोचनात्मक मूल्यांकन

देश में रोजगार कार्यालयों ने अमिको को रोजगार प्राप्त करने में सहायता दी है सेविन नियोजन थोगो ने उनके महेह पो यभी भर्ती प्रशार स्वीकार नहीं दिया है। निजी थोग इनकी सेवाओं के उपयोग के प्रति काफी उदासीन रहा है, ही सार्वजनिक थोग में इनकी उपयोगिता वो धर्माधिक स्वीकारा जा रहा है। अमिको, मालिको और सरकार को अमिक की मौत और पूति में सञ्चलन स्वापित करन की दिशा में यद्यपि इन कार्यालयों न रिष्टने कुछ बर्ती में काफी सहयोग दिया है तथापि ऐसे उदाहरणों वी चर्चा भी कम सुनने वो नहीं मिलती कि अध्यय उपायों में भर्ती धर्माधिक नियुक्तियों का काफी प्राप्तान मिलता है। ऐसे घनेक कारण हैं जो इस बात के लिए उत्तरदायी हैं कि रोजगार कार्यालयों को भर्ती के थोगो वो दूर करने तथा बंजानिक प्रमापीकरण प्राप्त करने में अमफलता वर्द्धी मिली है—

1. रोजगार कार्यालयों द्वारा घनने वर्मचारियों को विभिन्न कारबानों में भेजकर वहीं भर्ती दिया गए अमिको की गल्दा और उनका पजीयन वर्के घनने प्रतिवेदन में इसका विवरण दे दिया जाता है। इससे वे घनना दिखावटी घस्तित्व प्रस्तुत करते हैं।

2. वहीं मालिक व सरकारी धर्मिकारी अमिको व वर्मचारियों वा चयन कर लेते हैं और वाद में उसको रोजगार कार्यालय में पजीयन करवा सेने वो छह्ते हैं जिससे कि उसका नियमन हो जाए। यह एक अवाधिनीय प्रक्रिया है जिससे रोजगार कार्यालयों के उद्देश्य की पूति नहीं हो पाती है। इससे भर्ती के दायों को समाप्त नहीं दिया जा रहता।

3. रोजगार कार्यालयों में काम करने वाले वर्मचारियों वा धर्माधर वे रोजगारी के साथ सहानुभूतिपूर्ण नहीं होता है।

4. रोजगार कार्यालयों में पजीयन कराने पे लिए धक्कि जाते हैं वही पर काफी समय लगता है। इसके साथ ही जब रिक्त स्थान हेतु सारात्कार होता है उसके लिए प्रार्थी को रोजगार कार्यालय में उपस्थित होने के लिए सूचित दिया जाता है, सेकिन इस प्रकार की यूसना राखाकार होने के परभाव मिलती है जिससे प्राधिया को समय पर नोकरी नहीं मिल पाती। यह सब वर्मचारियों की दिनामिल् नीति एवं पार्थ के प्रति उदासीनता के कारण से होता है।

5. इन कार्यालयों में रिक्तस्थोरी और पश्चात पाए जाने वे भी प्रारोप साथ सुनने में घाते हैं।

मुझाव

रोजगार कार्यालयों के लायों को प्रभावित होने हेतु विभिन्न गुभार दिए जा रहते हैं—

1. इन कार्यालयों को अम बाजार के मद्दाय में रिक्त ही नहीं रखने चाहिए यहि धमिको को प्रशिक्षण व परामर्श दी जेवाएँ प्रदान करनी चाहिए, जिससे एक नोकरी से दूतरी नोकरी प्राप्त करने में मद्द मिल सके। विकेन्द्रीकरण घननाने से हीने वाले वेहार अमिको को रोजगार दिलाया जाना चाहिए।

2. जो श्रमिक नौकरी प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं अथवा प्रशिक्षण प्राप्त करने में असमर्य हैं उन सभी श्रमिकों को रोजगार कार्यालयों द्वारा आधिक सहायता दी जाती चाहिए और बाद में इसी कटौती श्रमिकों की मजदूरी में से काट लेनी चाहिए।

3. साधारण रोजगार कार्यालयों के अतिरिक्त विशेष रोजगार कार्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। इन कार्यालयों से विशिष्ट उद्योग के श्रमिक जैसे जहाज पर, पत्तनों पर, घरों में और बागान और खानों में काम करने वाले श्रमिक भी लाभ उठा सकें।

4. रोजगार कार्यालयों को प्रभावपूर्ण बनाने हेतु मालिकों का सहयोग होना आवश्यक है। मालिकों को भर्ती करते समय रोजगार कार्यालयों की सूचित करना चाहिए और इनके माध्यम से भर्ती कार्य किया जाना चाहिए।

5. डॉ राधाकमल मुकर्जी (Dr R. K Mukerjee) का भना है कि - एक रोजगार कार्यालय अधिनियम (Employment Exchange Act) पास किया जाना चाहिए। इस अधिनियम के अन्द्रागत समूचे देश के रोजगार कार्यालयों का समन्वय किया जाना चाहिए और यह अब मन्त्रालय वे अन्तर्गत होना चाहिए। सभी कस्बों में जहाँ 20 हजार से अधिक आवादी है वहाँ रोजगार कार्यालय स्थापित किए जाने चाहिए तथा रोजगार प्राप्त करने वाले रिक्त स्थानों पादि के सम्बन्ध में रजिस्टर्स रखे जाने चाहिए।

रोजगार कार्यालयों के समस्त दोषों को समाप्त करके इसे प्रभावपूर्ण ढंग से चलाया जाए। इससे श्रमिकों, मालिकों और सरकार सभी को लाभ होगा। ये कार्यालय अपनी वहुमूल्य सेवाओं से अम की भींग और पूर्ति में सन्तुलन स्थापित कर सकते हैं। इससे धर्यात्मक बेरोजगारी कम की जा सकती है।

मानव-शक्ति नियोजन : अवधारणा और तकनीक; भारत में मानव-शक्ति नियोजन (Man-Power Planning : Concepts and Techniques; Man-Power Planning in India)

मानव शक्ति नियोजन (Man Power Planning)

किसी भी देश की प्रगति हेतु मानव शक्ति समस्याएँ बहुत हैं। देश की प्रगति उत्पादन पर निर्भर करती है। उत्पादन का उद्देश्य न केरने उत्पादन की मात्रा में ही वृद्धि करना है, बल्कि उत्पादन की किसी सुधारना भी है। इसकी प्राप्ति के लिए उत्पादन त्रिया में भाग लेने से हेतु पर्याप्त सहाया मानव शक्ति का होना आवश्यक है। 'उत्पादन में वृद्धि हेतु पर्याप्त मानव शक्ति की ही आवश्यकता नहीं है, बल्कि मानव-शक्ति का कुशल होना भी आवश्यक है।'¹

भारतीय मानव शक्ति के स्रोत या साधन एक राष्ट्रीय सम्पत्ति है। उत्तम यित्रिया, स्थनिक पदार्थ, बनायति और अन्य प्राकृतिक साधनों की भौतिक मानवीय साधन भी मूल्यवान हैं। प्रावश्यकताओं को पूरा करने हेतु इन साधनों को वैज्ञानिक प्राप्त होना चाहिए। इस बार्य के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम प्रयोगनामा होगा जिसे मानव शक्ति नियोजन (Man-Power Planning) कहा जाता है। इसका सम्बन्ध बहुमान समय में मानव-शक्ति की पूर्ण तया इमर्जेंसी माना जाता है। "हमारे देश में घटुगत अविको की पर्याप्तता और कुगत तकनीकी तक पैमानिक बर्बादीयों को कमी की समस्या से निवारण हेतु मानव शक्ति नियोजन घोषनावार मानवीय साधनों का प्रयोग किया जा सकता है।"²

1 Taki & R K Man Power Shortages & Surpluses p 1

2 Giri, P T Labour Problems in Indian Industry, p 27

किमी देश की मानव-शक्ति उस देश की सम्पूर्ण जनसंख्या पर फिरते हैं। आर्थिक हृष्टि से सक्रिय जनसंख्या के आवधार पर ही मानव-शक्ति की समस्या का समाधान किया जा सकता है। भारत जैसे आर्थिक नियोजन वाले देश में अतिरेक अत्रम् (Surplus Labour) को नियोजन के माध्यम से पूर्ण रोजगार प्रदान करना प्रभुत्व उद्देश्य है। विभिन्न देशों में मानवीय साधनों की कमी होने से वहाँ पूँजी गहन उत्पादन के तरीके (Capital Intensive Technique of Production) को अपनाया जाता है जबकि भारत जैसे विकासशील देश में पूँजी का अभाव तथा धम वा आधिकरण होने से धम गहन उत्पादन का तरीका (Labour Intensive Technique of Production) अपनाया जाता है। यहाँ तीव्र औद्योगीकरण हेतु कृत्रिम शमिकों की कमी पड़ती है जबकि अकुशल शमिकों की पूर्ति काफी है। कृषि में दियो हुई बेरोजगारी और उद्योग तथा सेवाओं में अनैच्छिक बेरोजगारी पाई जाती है। इसके साथ ही कुशल शम-शक्ति का अभाव (Lack of Skilled Man-Power) है, जबकि इंग्लैण्ड जैसे विकसित देश में सामान्य शम-शक्ति का अभाव है।

मानव-शक्ति की अतिरेक और आधिकरण सम्बन्धी समस्या का समाधान बरने हेतु भावी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए सर्वेषण दिया जाना चाहिए। बर्तमान समय में उपलब्ध मानव-शक्ति और आवश्यक मानव-शक्ति का अनुमान लगाया जाना चाहिए। मानव-शक्ति का अधिकतम उपयोग करने हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय बजट की भाँति मानव-शक्ति बजट (Man-Power Budget) तैयार किया जाना चाहिए जिसमें विभिन्न व्यवसायों में मानव शक्ति की प्रावश्यकता और दितरण वी तुलना की जा सके। इस प्रकार के बजट से मानव शक्ति की मांग और पूर्न दोनों वा अच्छा सनायोजन किया जा सकता है। यह समायोजन रोजगार कार्यालयों (Employment Exchanges) द्वारा अच्छे ढंग से किया जा सकता है।¹ रोजगार कार्यालय रोजगार प्राप्त करने वाले तथा रोजगार देने वालों के मध्य एक कड़ी का काम बरत है। इनके द्वारा यह सूचना भी एकत्रित की जा सकती है जिस व्यवसाय में मानव-शक्ति का अभाव है और किस व्यवसाय में इनका आवश्यक है? इस बार्य हेतु रोजगार कार्यालय सरकार के अन्य कार्यालयों, उदाहरणार्थ शिक्षा, वैज्ञानिक, अनुसंधान, व्यापार और उद्योग से सहायता ले सकते हैं और मासानो से भविक्ता व कमी का पता लगाया जा सकता है।

हाल ही के वर्षों में मानव-शक्ति की समस्या के हल के लिए कुछ समितियाँ नियुक्त भी गई हैं—

1. वैज्ञानिक मानव-शक्ति समिति, 1947 (Scientific Man Power Committee of 1947)—इस समिति द्वारा प्राप्त वाले 5 से 10 वर्षों में वैज्ञानिक और तकनीकी मानव-शक्ति के विभिन्न वर्गों हेतु अनुमान लगाने के लिए सर्वेषण से पता चला कि इन्जीनियर, डॉक्टर, रसायनविज्ञ, तकनीकी विशेषज्ञ, अध्यापकों (विज्ञान) आदि की कमी थी।

2 विश्वविद्यालय गिराव आयोग, 1948 (University Education Commission, 1948)—यह ग्रामीण भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया। इसका कार्य भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्याओं प्रौढ़ मात्री मुख्य देना था, यद्यपि इस ग्रामीण का प्रत्यक्ष रूप में भारतीय मानव-शक्ति से सम्बन्ध नहीं था किंतु भी इजोनियर, हॉबर्टर, प्रश्नापत्र, वर्कीन प्रौढ़ चाहय शास्त्राधिक वर्ग ग्रामीण के विषय में बताया गया था कि वर्तमान विश्वविद्यालय गिराव पढ़नि के प्रत्यर्थी भी कमी है।

मानव-शक्ति की अधिकता तथा प्रभाव के विषय में सही रूप से सूचना नहीं प्रियती है। मानव-शक्ति की अधिकता प्रधान बचत इसकी माँग की तुलना में उत्पन्न होती है। जब मानव-शक्ति की माँग इसकी पूर्ति की तुलना में अधिक है तो यह प्रभाव (Shortage) होगा तथा माँग पूर्ति की तुलना में नम होने पर मानव-शक्ति का प्रतिरेक होगा।

भारत जैसे विकासशील देश में मानवीय साधनों के उचित एवं कुशल उपयोग की आविष्का नियोजन में सर्वोच्च प्राप्तिकर्ता दी जानी चाहिए। नियोजन का उत्पन्न मानव-शक्ति की कमी को पूरा करना तथा प्रतिरेक मानव-शक्ति को उत्पन्न अवसायों में लगाना होता है। जब हम मानव-शक्ति के प्रभाव के रूप में अध्ययन करते हैं तो मानव-शक्ति हेतु नियोजन (Planning for Man-Power) कहनाना है तथा मानव-शक्ति का प्रतिरेक ने गम्भीर में अध्ययन करने पर यह मानव-शक्ति का नियोजन (Planning of Man-Power) कहता है। “नियोजन के दोनों पट्टुओं का अध्ययन साथ-साथ करना चाहिए जबकि मानव-शक्ति की कमी प्रौढ़ प्रतिरेक साथ-साथ पाई जाती है।”¹ यह हमारा भनुभव है कि प्रतिरेक बाले अवसायों में दरकी वृद्धि होती रहती है जबकि प्रभाव बाली थेगियों में सुचार नहीं हो पाता है।

यदि मानव-शक्ति का, जो कि प्रतिरेक (Surplus) है, उपयोग नहीं किया जाता है तो वह स्वयं ही नष्ट हो जाती है। यह बड़ी राष्ट्रीय साधनों के रूप में ही नहीं होती है, बल्कि एक यांत्रिक के बेरोजगार होने पर वह स्वयं मात्रमन्नानि में डूब जाता है प्रौढ़ परिणामस्वरूप मानवीय साधन के रूप में उसकी उपयोगिता नष्ट होते साथी है।

कुशल मानव-शक्ति की कमी से देश का ग्रोथोनिक विकास नहीं हो पाता है। आविष्का शिक्षा तभी सम्भव होता है जब मानव-शक्ति को गतिशीलता प्रशान दी जाती है तब यह सभी कमी से भाने बाली बायामों को समाप्त किया जाता है। मानव-शक्ति की गतिशीलता दो दो पहनू है—

1. मानव शक्ति का धूगं उपयोग किया जाना चाहिए।

2. मानव-शक्ति को उचित अवसायों में भगाया जाना चाहिए।

अभाव वो रोकने के भी दो पहलू हैं—

1. सभी अन्तरों को पाट कर अभाव की पूर्ति की जानी चाहिए।

2. जिन बर्गों में मानव शक्ति का अभाव हो, उनमें मानव-शक्ति का उचित आवष्टन दिया जाना चाहिए।

अधिकांश विद्यालयों में श्रम की कमी नहीं है। लेकिन अकुशल श्रमिक काफी सरया में है जबकि कुशल श्रमिकों की मात्रा इसकी पूर्ति की नुस्खा में अधिक होने से इस प्रकार की मानव शक्ति का अभाव पाया जाता है। इस प्रकार अभाव नो दूर करने के लिए धमिक तैयार करने होंगे। कुशल श्रमिक प्रशिक्षण द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण योजनाएँ चलाई जाती हैं। ये प्रशिक्षण तीन प्रकार के होते हैं—

1. तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण (Training and Vocational Training)—जए लोगों को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने हेतु जुह की जाती है।

2. नवसिक्षिधा प्रशिक्षण (Apprenticeship Training)—जिन्हें प्रशिक्षण केन्द्र पर नहीं मिला है उन्हें इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण विभिन्न कारखानों अथवा उद्योगों में दिया जाता है। इस प्रकार वा प्रशिक्षण रोजगार की पहली अवस्था में दिया जा सकता है प्रथम प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण के साथ कुछ भत्ता देकर भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

3. उद्योग में प्रशिक्षण (Training within Industry)—इस प्रकार का प्रशिक्षण फोरमेन अथवा सुपरवाइजरी थ्रेणी के कम्पनीरियों को उद्योग में ही कुशलता प्राप्त करने हेतु दिया जाता है। इस प्रकार का प्रशिक्षण दश में अथवा विदेश में भी दिया जाता है।

किसी भी देश में मानव-शक्ति में कुशलता उत्पन्न करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है और यह प्रशिक्षण विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दिया जाता है। इसमें निम्न वातों को ध्यान में रखना चाहिए—

1. इस प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्र देश के विभिन्न क्षेत्रों अथवा प्रान्तों में समान रूप से होने चाहिए ताकि इनमें प्रशिक्षणार्थी आसानी से पहुँच सकें।

2. किसी भी प्रशिक्षण योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसमें सम्मिलित प्रशिक्षणार्थी किसे हैं। उनका उचित व्यवहार होना जरूरी है।

3. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा हो जिससे प्रशिक्षणार्थी आसानी से कुशलता प्राप्त कर सकें। अधूरा ज्ञान उचित नहीं है।

किसी भी प्रशिक्षण योजना की सफलता श्रमिक और मालिक दोनों पक्षों के पूर्ण सहयोग पर निर्भर रहती है। इससे श्रमिकों को कुशलता प्राप्त होगी और मालिकों को आवश्यकतानुसार श्रमिक मिल सकेंगे।

प्रो. हिक्स (Prof. Hicks) का व्यवहार सत्य प्रतीत होता है कि “व्यवसायों में श्रम के वितरण का कुछ साधनों से नियमन करना अत्यधिक आवश्यक है। कोई

भी समाज इसके लिए जीवित नहीं रह सकता है।¹ इसी भी देश में बेरोजगारी दूर करने का मानव शक्ति का प्रधिकरण उपयोग करना आवश्यक होता है। बेरोजगारी दूर करने के लिए गर्मी मुद्रा नीति (Cheap Money Policy), सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम (Public Works Programme) और उपभोक्ता सहायता (Consumers' Subsidies) द्वारा अपनाना चाहिए।

सही मुद्रानीति से बम ब्यात दर पर माल प्रदान दरके देश का तीव्र ग्रीष्मानीकरण लिया जा सकता है। जब प्रविह उपयोग योजे जाएंगे तो इसके सोनगार के अवसरों में वृद्धि होने से बेरोजगारी दूर होगी।

सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रमों के प्रत्यर्गत मिथाई, यामील विद्युतीकरण, सड़कों का नहरों का निर्गाए आदि प्राप्त हैं। इनमें भी बोजगार प्रधिकरण का है। यागी की अप शक्ति बड़े से प्रभावपूर्ण मौज में वृद्धि होती है और बेरोजगारी दूर करने में महत्वपूर्ण योग्य होता है।

हमारे देश में अमिकों को सहायता देना बीजानीक नहीं है क्योंकि हमारे देश में समस्या प्रभावपूर्ण मौज में वृद्धि करता न होइर उत्पादन में वृद्धि करना है। यही पर दूर करने की व्याप्ति को पूरा करके अमिकों को रोजगार प्रदान करता प्रमुख समस्या है।

यामील शेष में जहाँ अमिको का जोगण होता है तथा हृषि शेष में दियी हुई बेरोजगारी पाई जाती है इस समस्या का समाधान यामील धोक से अमिको का स्थानान्तरण जहाँ धोक में और करता होगा।

भारत में मानव शक्ति नियोजन

(Man Power Planning In India)

देश का तीव्र गति से प्राविह विकास करने के लिए प्रायेक राष्ट्र से प्राविह नियोजन का महारा लिया गया है। हमारे देश में भी स्वतन्त्रता से पश्चात् प्राविह नियोजन प्रयत्नाया गया है। प्रायेक योजना में मानवीय साधनों का प्रधिकरण उपयोग कर उनको पूर्ण रोजगार प्रदान करने का लोक उठाया जाना रहा है। बेरोजगारी को समाप्त करने हेतु पर्यावर्तीय योजनाओं में अनेक महत्वपूर्ण कदम ढाए गए हैं, जिनमें विश्वरत्न निम्न प्रकार हैं—

(1) प्रथम पचावर्षीय योजना

(First Five Years Plan)

इस योजना में बेरोजगारी की समस्या पर गम्भीरता में विचार नहीं लिया गया। हमारे देश में इस योजना में यह तोचा गया कि बेरोजगारी की समस्या न होइर घर्दे रोजगार की समस्या है। इस योजना में इस समस्या को दूर करने के लिए निर्माणकारी कारो (Construction Activities) में प्राविह रोजगार के अवसरों का मृगन करने हेतु नियेता द्वारा दर में वृद्धि करने पर और महत्वपूर्ण खेड़ों में पूँजी

1. Hicks, J. R. The Social Framework, p. 61.

निर्माण पर जोर दिया गया। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने हेतु योजना का आकार 2,068 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,378 कराड रुपये कर दिया गया। 1935 में योजना आयोग द्वारा शिक्षित वेरोजगारी समाप्त करने हेतु विशेष शिक्षा विस्तार भायंक्रम (Special Education Expansion Programme) शुरू किया गया। वेरोजगारी समाप्त करने हेतु योजना आयोग ने 11 सूची कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार था—

- (1) छोटे पंसाने के उद्योग स्थापित करने हेतु सहायता,
- (2) मानव-शक्ति के अभाव वाले क्षेत्रों में प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान करना;
- (3) छोटे और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य और स्वानीय संस्थाओं द्वारा उनसे खरीद,
- (4) शहरों में प्रोड शिक्षा बेन्द्र खोलना और यामीए क्षेत्रों में एक मध्यामक पाठ्याला खोलना;
- (5) राष्ट्रीय विस्तार सेवा की स्थापना,
- (6) सड़क यातायात का विकास,
- (7) गन्दी बस्तियों का उन्मूलन और अल्प आय वालों हेतु कम सागत वी आवास योजना;
- (8) निजी भवन निर्माण कियाओं को बोत्साहन,
- (9) शरणार्थियों को बसाने का कार्यक्रम,
- (10) निजी पूँजी से चलाए जाने वाली शक्ति योजनाओं के विकास वो प्रोत्साहन; एव
- (11) प्रशिक्षण कोष खोलना।

इन सभी उपायों का उद्देश्य वेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना था। योजनाकाल में बढ़ती हुई अम-शक्ति की तुलना में रोजगार के अवसरों को नहीं बढ़ाया जा सका और बेकारी घटने के बजाय बढ़ी। इस योजनाकाल में 75 लाख व्यक्तियों को काम दिलाने का लक्ष्य रखा गया था जिन्होंने इस अवधि में बेवल 54 लाख व्यक्तियों को ही रोजगार दिया जा सका।

(2) दूसरी पञ्चवर्षीय योजना

(Second Five Year Plan).

प्रथम योजना के पन्त में 53 लाख लोग बेकार थे तथा दूसरी योजना में 100 लाख लोग बेकार होने का अनुमान लगाया गया था। इस समस्या के हल हेतु तीव्र गति से बढ़नी जनसभ्या पर नियन्त्रण लगाना आवश्यक समझा गया। इस योजनाकाल में लगभग 153 लाख लोगों को रोजगार देने की समस्या थी और अर्द्ध रोजगार की समस्या गलत थी। अन्तः योजना में पूर्ण रोजगार प्रदान करना असम्भव माना गया। इस समस्या के हल हेतु दीर्घालीन प्रयासों की आवश्यकता महसूस की गई। दूसरी योजना की अवधि में लगभग 96 लाख लोगों—16 लाख कृषि में और 80 लाख नैन-कृषि में—को रोजगार दिलाने का लक्ष्य का रखा गया।

येदिन योजना के अन्त में 90 साल सोग बेरोज़गार हेतु तथा भर्ड-रोजगार वालों की संख्या 150 से 180 साल के बीच थी। योजनावाल में शिक्षित बेरोजगारों (20 लाख) को भी रोजगार प्रदान करने हेतु उत्थान, सहरारी समितियों पौर पात्रियात प्राप्ति में योजनाएँ घालू की गईं।

दूसरी योजना रोजगार प्रदान करने वाली योजना कही जा सकती है बोरोज़गार प्रदान के अवसरों में बुद्धि करना इसके उद्देश्यों में एक था।

योजना के अन्त में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या योजना के प्रारम्भिक बेरोजगारों से प्रधिक थी।

(3) तीसरी पञ्चवर्षीय योजना

(Third Five Year Plan)

योजनावाल में 170 साल अक्षित बेरोजगार होने का अनुमान सनाया गया तथा योजना के शुरू में 90 साल सोग पहले ही बेरोजगार थे। अत तीसरी योजनावाल में हुन बेरोजगार व्यक्तियों की गण्या 260 लाख पांची गई। इस योजनावाल में 140 साल सोगों को रोजगार देने की व्यवस्था की गई। बेरोजगारी की समस्या को सीन दिशायों के हृष म देखा गया—

1. यह प्रयत्न किया जाए कि अब प्रधिक सोगों को रोजगार का नाम ग्राह्य हो।

2. प्रामील घोषोपीकरण का एह विस्तृत कार्यक्रम अन्ताया जाए। इसमें प्रामील विषयोंके बारे उपोग सम्पत्ति का विकास प्रामील उद्योगों को प्रोत्साहन पौर मानव शक्ति को प्रभाववूलं रोजगार प्रदान करना प्राप्ति कार्यक्रम शामिल किए जाएं।

3. छोटे उद्योगों द्वारा रोजगार प्रयोगों में बुद्धि करने के प्रतिरिक्ष प्रामील निर्माण कार्यक्रम (Rural Works Programme) खलाने पर भी जोर दिया जाए जिसका 100 दिन (एक वर्ष में) कार्य 2.5 मिनियन सोगों को दिया जा सके।

इन प्रयोगों के बाबत्रू भी योजनावाल में सभी व्यक्तियों को राज्यान्तर महीं दिया जा सका। योजना के अन्त में 90 साल से 100 साल अवधि तक बेरोजगार थे। शूलूलं रोजगार बाने सोगों की गण्या समाप्ति 160 साल थी।

(4) सीन वार्षिक योजनाएँ

(Three Annual Plans, 1966-69)

प्रायिक इटिनाइयो के बारण पञ्चवर्षीय योजना के स्पान पर सीन वर्ष तक वारिक योजनाएँ कलाई गईं। इसमें बेरोजगारी को दूर करने के प्रयत्न किए गए। संक्षिप्त बेरोजगारी की समस्या का समाप्ति न हो सका।

(5) चौथी पञ्चवर्षीय योजना

(Fourth Five Year Plan)

इस योजना में भी रोजगार के अवसरों में बुद्धि करने पर जोर दिया गया। विभिन्न योजना कार्यक्रमों में रोजगार द्वाने का प्रयास किया गया। अम-गहन

(Labour Intensive Industries) पर जोर दिया गया जिससे बढ़ती हुई श्रम-शक्ति को रोजगार दिया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में विहुनीकरण, लघु एव मुटीर्न उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य एव परिवार नियोजन जैसी सेवाओं में रोजगार के अवसर बढ़ाने का प्रयास किया गया। योजना काल में मेर-हृषि क्षेत्र में 140 लाख और कृषि क्षेत्र में 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने का प्रावधान पा।

लघु उद्योगों के विकास आयुक्त श्री के एल नजप्पा के अनुसार भारत सरकार ने वेरोजगार इन्जीनियरों को छोटे उद्योगों की स्थापना करने हेतु सहायता देने के लिए एक योजना तयार की। इस योजना को कार्यान्वित करने हेतु प्रत्येक राज्य को लगभग 30 लाख रुपये दिए जाने थे। प्रत्येक राज्य में 200 इन्जीनियरों को 3 माह का प्रशिक्षण दिया जाना था। प्रशिक्षण काल में ग्रेजुएट व डिप्लोमाधारी इन्जीनियरों को ऋण 250 रुपये और 150 रुपये मासिक देने की व्यवस्था थी। इस योजना का उद्देश्य घोटोगिक प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं का नवयुदक इन्जीनियरों को प्रशिक्षण देना था।

फिर भी इस योजना काल में सभी श्रमिकों को रोजगार नहीं दिया जा सका और योजना के अन्त में योजना के प्रारम्भ से मधिन वेरोजगारी रही।

(6) पांचवीं पञ्चवर्षीय योजना

(Fifth Five Year Plan)

यह योजना 1 अप्रैल, 1974 से शुरू की गई। इस योजना में गरीबी को दूर करने हेतु रोजगारों के अवसरों में वृद्धि करने पर जोर दिया गया जिससे घड़े पैमाने पर विद्यमान वेरोजगारी को समाप्त किया जा सके।

पांचवीं योजना के सशोधित प्रारूप में यह अनुमान लगाया गया कि योजना-वधि में हृषि क्षेत्र के अन्तर्गत श्रम-बल की संख्या में 162 लाख और छठी योजना में 189 लाख की वृद्धि होगी। यह कहा गया कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 27वें दोर द्वारा अनुमोदित श्रमबल की दर में 5 से 14 वर्षों के बच्चों को शामिल कर लिए जाने पर और सर्वेक्षण के लिए उपयोग में लाए गए विविध परिवर्त्य के बारण यह दर बढ़ जाएगी। फिर भी रा. प्र. स के परिवर्त्यों पर आधारित अनुमानों के अनुसार पांचवीं पञ्चवर्षीय योजनावधि में श्रमबल की संख्या में वृद्धि लगभग 182.6 लाख से 189.6 लाख तक होगी और छठी योजना में 195.7 लाख से 203.9 लाख तक होगी। जैसो भारत की अर्थ व्यवस्था है, ऐसी अर्थ-व्यवस्था में श्रमबल की पूर्ति के अनुमान अस्थिर रहते हैं।

पांचवीं पञ्चवर्षीय योजना को जनता पार्टी की सरकार ने प्रदानी से एक वर्ष पूर्व समाप्त करके आवर्ती योजना प्रणाली के रूप में पञ्चवर्षीय योजना आगू बर दी, जिन्होंने वार्षिकी योजनाएं पूरी होने के बाद ही सत्ता परिवर्तन के कालस्वरूप जनवरी, 1980 में श्रीमती पांची पुनः मत्तारूढ़ हुई और आवर्ती योजना प्रणाली को समाप्त कर पुरानी प्रणाली को पुनः प्रस्ताते हुए। अप्रैल,

1980 से छठी पद्धतिगत योजना (1980-85) सामूह की। इस प्रकार जनता पट्टार हारा चालू की गई एवं योजना जारी नहीं रह सकी, पाँचवीं योजना और छठी योजना (1980-85) के बीच के वर्षों की योजना को वापिस योजनाएँ मान निया गया।

(7) छठी योजना (1980-85)

छठी पद्धतिगत योजना (1980-85) के जनसत्ति नियोजन के मध्य-व में जो उद्देश्य, पार्यंतीति आदि अपाई गई उत्तरा विस्तार से बल्कुन हम निदेश प्रध्याय म 'रोजगार' के मुद्दों में कर सकते हैं। यही इनका ही लिखना पर्याप्त है कि छठी योजना में जनजन्ति की समाजों पर पर्याप्त स्वाम दिया गया। इसमें बहुत बारीब गेती व खाम पर सगे किमी। तथा प्रामीण बारीगर और भूमिहीन मजदूरों के लिए हाथकरण, हमलकार, रेतम उद्योग तथा सभ्य क्षेत्रों के विकास की योजना इसके लिए बच्चे माल की सत्त्वाई, डिजाइन तंत्रार करने, ट्रेनिंग योड़, त्रिक्षी तथा निर्यात के लिए उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया गया। हृषि एवं प्रामीला विकास म राष्ट्रीय बैंक की गुविधा, प्रामील बारीगरों को दी गई। छठी योजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह भी रहा गया हि देश में बेरोजगारों की सम्या में कमी कराई जाए।

(8) सातवीं योजना (1985-90)

भारत में योजना प्रविधा था सोपान पार करके सातवें चरण म प्रवेश कर गई है। सातवीं योजना में रोजगार के विस्तार को बुनियादी प्रायविकता योग्यता दिया गया है और यही नीतियों द्वारा पार्यंतम इसी नदय के अनुसृप तंत्रार दिए गए हैं। विशेष महत्व की बात यह है कि रोजगार के घवतरों में बृद्धि रोजगार की ग्रामशक्ति वाले लोगों की गत्या ग युद्धि की तृपता में अधिक होगी। प्रधार मन्त्री ने घोषणा की कि देश की योजना प्रविधा के इनिहाम म यह स्थिति पहनी बार प्राप्ती कि रोजगार जुटाने के वरोमान मध्यम लक्ष्य हो तो प्राप्त होता ही जाएगा, साथ ही विद्युत वर्षों की लक्ष्य का जितना हिस्सा प्राप्त होता ही रह गया पा, उस भी पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे। इसका मीधा अर्थ है कि सातवीं योजना प्रविधि म विधारित सदृश्य से परिष्कर रोजगार के घवतर जुटाने होंगे। रोजगार के घवतरों में चार प्रतिशत की वापिस बृद्धि का लक्ष्य है। अबकि रोजगार पाने वाला की गत्या प्रतिवर्ष 2.6 प्रतिशत की दर से बढ़ने का मन्त्रमात्रा है। योजना प्रविधि म 4 हरोड लोगों के लिए रोजगार की घवतरा की गत्या 3 हरोड 90 साल रहेगी।

इसी ओर उद्योग के विस्तार के पलाता रोजगार जुगाने के वर्तमान प्रश्नांकों से जारी रखना वा और उनका कार्य दोष दाता रा भी योजना में महत्व ध्यक्त किया गया है। राष्ट्रीय प्रामीण रोजगार पार्यंतम लक्ष्य प्रामीण भूमिहीन

रोजगार गारण्टी कार्यक्रमों ने आनीए इलादो में दो अरब 40 करोड़ वार्षिक दिवसों के रोजगार की व्यवस्था की बात सकी। योजना न शहरों में गरीबी दूर करने के उद्देश्य से भी रोजगार उपलब्ध कराने की जन्मसूखी योजनाएँ चलाने वी बात कही गई है। इसी दोष के रोजगार दृढ़ि की दायित्व पर 3.5 प्रतिशत तथा अन्य क्षेत्रों में 4.5 प्रतिशत आौंकी गई है। रोजगार उटाने के लिए केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। यदि इस समिति की सिफारिशों स्वीकार दर ली गई तो सातवीं योजना में आवश्यक सुझेष्ण किए जाएंगे।

भारत में शिक्षण-प्रशिक्षण

मानवन्यकृति के समुचित उपयोग के लिए शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विशेष महत्व है। भारत में युवाओं को किशोरावस्था में ही आजीविका वे लिए तैयार करने के उद्देश्य से रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और युवा किया है। जहाँ तक सम्भव होता है, वे कार्यक्रम राष्ट्रीय ढंगे के भीतर एवं विदेशी सहयोग से भी हैं। देश में इस समय जो विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनके सम्बन्ध में भारत सरकार के वापिक सन्दर्भ में अन्य 'भारत 1985' का विवरण इस प्रकार है—

प्रशिक्षण

युवाओं को किशोरावस्था में ही आजीविका के लिए तैयार करने के उद्देश्य से रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं। जहाँ तक सम्भव होता है, वे कार्यक्रम राष्ट्र के अन्तर्गत रखे जाने हैं और विदेशी सहयोग से भी पूरे किए जाने हैं।

कारीगरों का प्रशिक्षण

15 से 26 साल की उम्र वाले युवक-युवतियों को 38 इनीशियरी और 27 गैर इनीशियरी घन्थों में प्रशिक्षण देने के लिए समूचे देश में आठोंगिह प्रशिक्षण संस्थान खोले गए हैं। इस समय 1268 संस्थाएँ जिनमें कुल 240 लाख सीटें हैं, देश में कारीगरों को प्रशिक्षण दें रहे हैं। इन्जीनियरी घन्थों के लिए ट्रेनिंग काल 6 माह से 2 वर्ष तक है, परन्तु सभी गैर इन्जीनियरी घन्थों के लिए ट्रेनिंग काल 1 वर्ष है अधिकतर घन्थों में प्रवेश के लिए जैसांगिक योग्यता 8वाँ या 8वाँ या मैट्रिक्युलेशन से 2 वर्ष कम या इससे बराबर है। 65 घन्थों को छोड़कर राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों ने अपने क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त घन्थों के प्रशिक्षण शामिल कर लिए।

कारीगरों का प्रशिक्षण पाने वालों की कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए 300 जी० ई० टी०, इनीशियरी घन्थों के लिए प्रशिक्षण पाने वाले शारीगरों के चूनाव के लिए अभिवृति परीक्षा का आयाजन करता है। यह परीक्षा विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगों में भी लागू कर दी गई है ताकि एप्रेनिट्स अधिनियम, 1961 के अधीन उपयुक्त उम्मीदवार को एप्रेनिट्स नियुक्त किया जा सके।

यह प्रशिक्षण विशेषज्ञों की समिति की सिफारिसों के मनुष्य दिया जा रहा है। इसमा उद्देश्य कारीगारों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण वार्षिकम् थो पुनर्संचित बनता है। इस कार्यक्रम में पहले कारीगारों को व्यापक प्राप्तार्थी वाले प्रायमिक प्रशिक्षण और बाद में भागीर्धं प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। 1981-82 में चार प्रादेशीयोगिक प्रशिक्षण संस्थानों—हृदयनी (उत्तर प्रदेश), बालीकट (बेरन), जोधपुर (राजस्थान) पौर चौदार (डीसीसा)—की स्थापना की जा सुनी है।

शिरण शिक्षकों का प्रशिक्षण

योग्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए बलकता, बालपुर, बम्बई, मद्रास, लुधियाना तथा हैदराबाद के 6 ऐन्ड्रीय संस्थानों में शिल्प प्रशिक्षणों को प्रशिक्षित किया जाना है। इन छः संस्थानों में एक मद्रास स्थित संस्थान थो घोड़वर मन् 1982 के दौरान अग्रणी फौजों को एडमिनिस्ट्रेशन प्रशिक्षण संस्थान के रूप में पढ़ोन्न बन दिया गया है। ये 6 संस्थान, जिनमें बालपुर, 1112 प्रशिक्षणार्थी देने की है, विभिन्न बासों का प्रशिक्षण देते हैं। बम्बई संस्थान में राजायनिक वर्ग के व्यापारी से ग्रोर हैदराबाद संस्थान में होटल और सान-पान सम्बन्धी भाषणों में प्रशिक्षणों को ट्रेनिंग देते हैं तिए सुविधाएँ जुटा दी गई हैं तथा बालपुर और लुधियाना के संस्थानों में वर्षणः अग्राई और गोनीगाड़ी के यात्रों से सम्बन्धित प्रशिक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। अन्येह ऐन्ड्रीय संस्थान से एक प्रादेशीय प्रशिक्षण संस्थान सम्बद्ध है जिसमें प्रशिक्षणार्थी की व्याप्रहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना

भवद्वारा 1977 में उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना नामक एक परियोजना बड़े प्रशार में उन उच्च तथा परिष्टृप्त योग्यों का प्रशिक्षण देने के लिए चाहुँ बी गई है जिनका प्रशिक्षण भ्र-प व्यावसायिक प्रशिक्षण वार्षिकमों के लगातार नहीं दिया जाता। यह योजना बम्बई, बलकता, हैदराबाद, बालपुर, मद्रास तथा लुधियाना में स्थित 6 उच्च प्रशिक्षण संस्थानों और 15 राज्य सरकारी से पधीन चुने हुए 16 योग्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में खलाई गई है। भाषुनिवीकरण बरोदा उक्त योजना के प्रत्यंत विभिन्न उच्च प्रशिक्षण संसार जा रहे हैं। पूर्ण देश में वित्त मंत्रालय का उच्च प्रशिक्षण संस्थान शीर्ष संस्था का बाब बनता है योग्य पीछे उच्च प्रशिक्षण संस्थान (जो पहले ऐन्ड्रीय प्रशिक्षण संस्थान बहुताते थे) अबी पद प्रलापी जानूँ बी गई, प्रादेशिक संस्थानों के हर में बाब बनते हैं।

इन्वेस्ट्रुमेंट्स और प्रक्रिया व्यवस्थों उपरान्तों का प्रशिक्षण देने में लिया 1974 में हैदराबाद में एक उच्च प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया। इसमें परेलू, योग्योगिक, चिकित्सा सम्बन्धी, इन्वेस्ट्रुमेंट्स तथा प्रक्रिया उपरान्तों व भेदों में उच्च प्रशिक्षण दिया जाता है। इन्वेस्ट्रुमेंट्स व प्रक्रिया सम्बन्धी उपरान्तों के लिए दिसम्बर 1981 में देहरादून (उत्तर प्रदेश) में एक अन्य संस्थान भी स्थापना हो गई है।

फोरमेनो को प्रशिक्षण/सुपरवाइजरो को प्रशिक्षण

फोरमेनो को प्रशिक्षित करने के लिए एक संस्थान की स्थापना बगलूर में 1971 में की गई थी। यह इस समय काम कर रहे शाप फोरमेनो और सुपरवाइजरों को तथा भविष्य में ऐसे पद पर कार्य करने वाले व्यक्तियों दो तकनीकी एवं अन्धन धमता वा और उद्योगों से आई श्रमिकों को उच्च तकनीकी हुनरों का प्रशिक्षण देता है। दक्ष फोरमेनो की बढ़ती मार्ग को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने सन् 1982 म जमदेशपुर म द्वितीय फोरमेन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की। प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना

प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत मालिकों के लिए खास-खास उद्योग में प्रशिक्षु का लगाना अनिवार्य है। यह आधारभूत प्रशिक्षण होता है जिसमें साध-साय केन्द्रीय प्रशिक्षु परिषद के परामर्श पर सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण मानदण्डों के अनुसार ठीक काम के बारे में या व्यवस्था के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। अब तक इस अधिनियम के अन्तर्गत 217 बड़ों के उद्योगों तथा 138 घन्धों को (3 घन्धों को छोड़कर) शामिल किया जाता है। 1973 के प्रशिक्षु (सशोधन) अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए स्थान सुरक्षित करन और इजीनियरी के स्नातकों तथा डिप्लोमाधारियों के लिए रोजगार बढ़ाने की व्यवस्था है।

यह अधिनियम लगभग 13,375 संस्थानों में लागू है। मार्च, 1985 के अन्त तक विभिन्न प्रशिक्षण याकृष्णकर्मों के अन्तर्गत लगभग 134 लाख प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। मार्च, 1985 के अन्त तक अभियान्त्रिक प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित विषयों पर लगभग 71 प्रकार के ऐसे क्षेत्र तंत्र तंत्रिकाएँ गए थे जिनमें लगभग 12,789 स्नातक तथा डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु प्रशिक्षण ले रहे थे।

अद्योगिक कामगारों के लिए अंशकालिक प्रशिक्षण

जो लोग उद्योग में विना किसी नियमित प्रशिक्षण के प्रवेश करते हैं उनके लिए मध्याकालीन क्षणाएँ आयोजित की गई हैं। इस पाठ्यक्रम में वे अद्योगिक श्रमिक, उनकी उम्र चाहे कुछ भी हो, प्रवेश पा सकते हैं जिन्हें किसी विशेष घन्धे में दो वर्ष का काम करने का अनुभव प्राप्त है और जिनका नाम उनके मालिक भिजवाते हैं। प्रशिक्षण दी गयी दो वर्षों की है। केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास तथा 48 अद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और पाँच ए टी आई. मे ये पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं।

व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुमंदान

देशी प्रशिक्षण विधिया के विकास के लिए 1970 में मे बलवत्ता मे केन्द्रीय वर्मचारी प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया। संस्थान मे केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों तथा वर्मचारियों एवं उद्योगों से आए लाएँ के लिए (जिनके नियन्त्रण, निदेशन और सचालन मे प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते हैं)

प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने हैं। इसमें प्रतागा यह धन्दो और प्रशिक्षण विधियों सम्बन्धी अनुमधान की घटवस्था करता है, प्रशिक्षण सहायता सामग्री तंथार करता है और उद्योगों को घोषोंप्रक्रिया प्रशिक्षण विधियों में परामर्श देता है।

स्त्रिया के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

बेन्द्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली को राष्ट्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान में बदल दिया गया है। संस्थान अपने यही गहिनाओं के लिए विनेप घटवस्थायों में प्रशिक्षक प्रशिक्षण, मूल प्रशिक्षण तथा उच्चतर प्रशिक्षण देता है। वर्षाई, बगलूर तथा निहमनतपुरम् में महिलाओं के लिए तीन शेषीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान कार्य कर रहे हैं।

थ्रम मन्त्रालय की वार्षिक रिपोर्ट : 1985-86 के अनुसार थमिको की शिक्षा और उनके प्रशिक्षण को पुरुष प्रमुख योजनाएँ और कार्यक्रम

बेन्द्रीय रोजगार मेवा अनुमधान और प्रशिक्षण संस्थान (सरटम) रोजगार सेवा और लोकरी चाहने वाले व्यक्तियों और माना-पिता के लिए उपयोगी आजीविका सम्बन्धी साहित्य प्रशासन करने के विभिन्न कार्यक्रमों के सम्बन्धित मामलो पर अनुमधान के लिए रोजगार सेवा के प्रधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए दत्तरायी है। इसमें परिरक्षित रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा जनशक्ति के विभिन्न पहुंचों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण और अध्ययन नियमित आपार पर लिए जाते हैं। सर्वेक्षणों और अध्ययनों सम्बन्धी एक सकनीकी समिति द्वारा ही जी.ई.एड दी और सर्टम के अनुमधान और सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रसादों की तकनीकी, वित्तीय और गगड़नात्मक इंटर्व्हैल से जीव की जाती है और उन रही अनुमधान परिपोत्राओं का प्रयोग भी दिया जाता है। सरटम ने विभिन्न तकनीकी सहायता कार्यक्रमों के प्रन्तर्गत राज्यों/संघ-सामिन दोनों द्वारा प्रतिनियुक्त रोजगार विधिवालियों द्वारा दिक्षातशीर्षों द्वारा भेजे गए प्रशिक्षणाविषयों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने सम्बन्धी प्राप्ते कार्यक्रम को जारी रखा। कर्म 1986 के दोस्रा रोजगार सेवा के विभिन्न दोनों से राज्यों/संघ-सामिन दोनों के 222 प्रधिकारियों के लिए सरटम के प्रशिक्षण प्रनाली द्वारा 15 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (सेमीनार) पार्यगानाएँ प्राप्तेविन दी गई। इसमें परिरक्षित सरटम ने घाउट सवित ट्रैनिंग हाउस के अन्तर्गत रोजगार सेवा के 43 प्रधिकारियों को उनके कार्य से सम्बद्ध दोनों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए ग्रन्थि गार्डों में प्रतिनियुक्त किया। संस्थान अपने शेषाविदार के अन्तर्गत ग्रन्थि गार्डों देखों को प्रशिक्षण चुकियाएँ द्रष्टव्य करता रहा। 1986 के दोस्रा 4 प्रधिकारी देखा, एक प्रधिकारी श्रीलक्ष्मा और दो प्रधिकारी मानवी में द्वारा चिह्नित रिक्तीय व्यावसायिक पुतर्फी के लिए में प्रशिक्षण प्राप्त किया। कर्म 1987 के लिए एक प्रतिभाता नैनेम्हर नेपार किया गया और सभी राज्य सरकारों दो परिवानिन किया गया।

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना नामक एक राष्ट्रीय योजना वर्ष 1950 में देश में प्रोद्योगिकीय विवाद और आंदोलनिक प्रगति के लिए तदनीकी जनसत्त्व की बढ़ती हुई सीमा को पूरा करने के लिए विनियन व्यवसायिक व्यवसायों में प्रशिक्षण देने हेतु शुल्क की गई थी। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न व्यवसायों में कुशल कामगारों के नियमित प्रबाह को सुनिश्चित बरना, नियुरा कामगारों को नियमित प्रशिक्षण देकर मोद्योगिक उत्पादन में गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाना और ऐसे युवाओं ने बेरोज़गारी दम करने के लिए उन्हें उपयुक्त मोद्योगिक रोजगार के लिए तैयार बरना है।

केन्द्रीय सरकार का धम मन्त्रालय इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण देने के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार करता है और प्रशिक्षण के लिए पाठ्यपद्धति और विभिन्न मानकों तथा मानदण्डों वा निर्धारण करता है। राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन. सी. बी. टी.) जो एक एपेक्स गैर-नांडिधिक सलाहकार निकाय है तरकार को इस मामले में सञ्चाह देती है। केन्द्रीय धनमन्त्री इस परिषद् के अध्यक्ष हैं। इस योजना के अन्तर्गत देश के विनियन राज्यों/संघ-शासित क्षेत्रों व औद्योगिक क्षेत्रों में मोद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (राज्य सरकार तथा प्राइवेट) में 38 इज्जीनियरी तथा 26 गैर-इज्जीनियरी व्यवसायों के अनुसार द्य माह से दो बर्ष तक होती है और प्रवेश के लिए मैट्रिलियन या समकक्ष होती है। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण संस्थानों/विन्दो वा राज्यवार विभाजन दर्शाया गया है। रोजगार एव प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा आयोजित की जाती है और राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् की ओर से सफल उम्मीदवारों को राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं। यह प्रमाण-पत्र सभी केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा स्थापनाओं में ज्ञात अधीनस्थ पदों पर भर्ती के लिए एक मान्यता प्राप्त योग्यता है। इस योजना के अन्तर्गत सभी संस्थान सम्बन्धित राज्य सरकारों के प्रगातिनिवार नियन्त्रणाधीन हैं। सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण या नो. नि. नु. विधा जाता है या मामूली जिला जुलूक लिया जाता है। दर्ज किए प्रशिक्षणादियों में से 50 प्रतिशत प्रशिक्षणादियों द्वारा प्रति प्रशिक्षणार्थी 40 रुपये प्रतिमाह की दर से दृतिका दी जाती है। प्रशिक्षणादियों द्वारा वर्कशाप के लिए मुफ्त कपड़े, चेलबूद तथा चिकित्सा नुविधाएं और जहाँ पर होस्टन आवास उपलब्ध होने हैं जैसी रियायतें भी दी जाती हैं। इस योजना के प्रत्यक्ष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को भर्ती के लिए सीटों वा आरक्षण करने की ध्यवस्या भी है। ध्यवसाय नियमित्यों द्वारा दिशेवज्ञ मानदण्डन के अन्तर्गत व्यवसायों की पाठ्यचर्चा आवधिक रूप से ज्ञानित की जानी है। नई सामने आने वाली परिष्कृत मोद्योगिकी और तेजी से होने वाले नाना रूपवरण के साथ में साते हुए व्यवसायों जैसे कि रमायन कम्प्यूटर सेवा, इलेक्ट्रोनिक्स

प्रांत में विभिन्न प्रदान किया जाता है। टी बी ट्रेन रिकार्डर और बीमीप्रार प्राँ रग मामाय बिज गी उत्पादों के साधना की मरम्मत और रग रखाव के लिए सभी तकनीशियों की बढ़ती हुई मौग पूरी करने के लिए टी बी ई एन टी द्वारा जनरल्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा सोजाय से रहियो तथा टी बी व्हयसाय और सामान्य इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद के गूत्तूर्व प्राईटी टी बी ई प्रणिक्षणावियों के प्रणिक्षण के लिए एवं थ्रेंग प्रोग्राम शुरू किया गया। टी बी ई एन टी द्वारा उच्च प्रणिक्षण सम्यानों में विभिन्न राज्यों/सरकारी देशों के 44 प्रणिक्षण सम्यानों के 56 अनुदेशन प्रणिक्षण किए गए। इसें जनरल्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा इस प्रणिक्षण पाठ्यक्रम के लिए उपचारण प्रदान किए गए। वर्ष 1986 के दोरान राज्य सरकार/सरकारी योजना के प्रदान के सोजाय से घटिक्षण प्रणिक्षण केन्द्रों में इस मास का प्रणिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया गया।

उद्योगों के विभिन्न बुगल देशों में कुशल जनगति की मौग के बारण योद्योगिक प्रणिक्षण सम्यानों की सहजा में तेजी से बढ़ाती हुई है। छठी पचवार्षीय योजना के शुरू में केवल 831 योद्योगिक प्रणिक्षण सम्यान और बेन्द थे जिनकी सीधे वी कुल धमता 192 लाख थी। इसी योजना यवधि के दौरा में इन सम्यानों की संख्या बढ़कर 1,447 हो गई। 31-12-1986 को यह सम्या और बढ़कर 1,724 हो गई और सीधे वी की धमता 310 लाख तक बढ़ गई।

इस तथ्य को मानते हुए कि कुशल कामगारों की गुणवत्ता योद्योगिक प्रणिक्षण सम्यानों में प्रदान किया जा रहे प्रणिक्षण के स्तर पर सीधे नियंत्रण करती है जिलेकार प्रणिक्षण योजना से सम्बद्ध राज्य निदेशन को यह गुनिक्षण दर्शें के लिए सत्ताह थी गई है कि एन सी बी, टी द्वारा नियांरित मानदण्ड सम्यानों के प्रबन्धनक्षम द्वारा बनाए रखे जाएं। राज्यांतर एवं प्रणिक्षण महानिदेशनक, व्यष्ट मन्त्रालय ने सम्बद्ध प्रतियोगिता की है जिसे योजना के अन्तर्गत नए सम्यानों के लिए विभिन्न दिशा निर्देश और एन सी बी टी के साथ सम्बद्ध सम्यानों के बारे में प्राप्त धमता योजना शामिल है। सम्बन्धित राज्य निदेशन के अनुरोध पर स्थार्द समिति द्वारा सम्पत्ति का निरीणन किया जाता है और ऐसे उहो सम्यानों/ध्यक्षणों को एत गी बी टी, के साथ स्थार्द सम्बद्ध की अनुमति दी जाती है जिन्हे नियांरित मानदण्ड से अनुलूप पाया जाता है। प्रणिक्षण की गुणवत्ता में गुप्तार सातों गी बी टी, के साथ स्थार्द सम्बद्ध की अनुमति दी जाती है जिसके ग्रन्थयं VII की पचवार्षीय योजना यवधि में राज्य सरकार के उन योद्योगिक प्रणिक्षण सम्यानों की वितीय सहायता प्रदान की जा रही है जो गुराने और चित्र निर्देश उत्तरारणी की बढ़त के लिए 15 कर्म से पुराने हैं। 10 राज्यों के मुद्रित प्रत्यक्षस्थार वर्ग के दोगो से आवाद देशों में स्थानिक गुराने हुए योद्योगिक प्रणिक्षण सम्यानों में सुविधापूर्ण का विष्वार सरने वाली एक द्वारा प्राप्तोरित एवं योजना भी शुरू की गई है।

ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और राज्यों के प्रशिक्षणाधियों के बीच स्वस्य प्रतियोगिता की भावना जाएँ बरने के उद्देश्य से रोजगार एव प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा नियमित रूप से शिल्पकारों के लिए अखिल भारतीय कौशल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। अखिल भारतीय स्तर पर सर्वोत्तम शिल्पकारों को मेरिट मर्टिफिकेट और 6000 रु का नकद पुरस्कार दिया जाता है। सर्वोत्तम राज्य को भी मेरिट मर्टिफिकेट और रनिंग शॉल्ड/ट्राफी प्रदान की जाती है।

ओद्योगिक वर्मकारों के लिए अंशकालिक कक्षाएँ

यह योजना श्रम मन्त्रालय द्वारा 1958 न उन ओद्योगिक कर्मकारों के संदर्भिक ज्ञान और ध्यावहारिक कौशल को अध्यतन तथा अपग्रेड करने की दृष्टि से शुरू की गई थी जिनके पास संस्थानों का कोई श्रमबद्ध ओपचारिक प्रशिक्षण नहीं होता और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत उन्हें राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पात्र बनाया जा सके। इस भन्त्रालय के प्रशिक्षण निदेशालय के अधीन उच्च प्रशिक्षण संस्थानों और केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास में प्रायोजित कर्मचारियों के लिए शाम के समय द्वारकालिक कक्षाओं का प्रयोजन किया जाता है। जो कर्मकार अनुदेशों को समझने के लिए पर्याप्त रूप से शिक्षित वाए जाते हैं, उन्हें इन पाठ्यक्रमों में भर्ती किया जाता है चाहे उनकी आयु कितनी भी हो। अनेक प्रशिक्षण यूनिटों में व्यवसाय के प्रकारों के आवार पर एक वर्ष से तीन वर्ष की अवधि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन-तीन माह के प्रत्येक यूनिट में बांटा जाता है जिसमें व्यवसाय भव्यन्धी विषय को प्रगामी रूप से शामिल किया जाता है और ट्रेड प्रेविटकल, वर्कशाप समणुना और इन्जीनियरिंग ड्राइंग जैसे सम्बद्ध अन्य विषयों को समूचित रूप से शामिल किया जाता है। 4 से 12 यूनिटों में विभाजित पूरा पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के बाद प्रशिक्षणाधियों को एन.सी.टी. के तर्फावधान में आयोजित अखिल भारत व्यवसाय प्रतियोगिता में प्राइवेट उम्मीदवारों के रूप में बैठने की अनुमति दी जाती है और राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं जो अर्ध तुश्न धेरारी के तकनीशियनों के अधीनस्थ पदों पर भर्ती के लिए एक भास्तु प्राप्ति घोषणा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कर्मकारों को मान्यता प्राप्त तकनीरी याप्ति हासिल करने के अलावा पर्याप्त कौशल प्रजित करने में मदद मिलती है। यह प्रशिक्षण योजना कुछ राज्यों/नगर शासित देशों के चुने हुए ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और डी.जी.ई.टी. के अधीन सी.टी. आई./ए.टी. आई.जे में चलाई जा रही है जिनकी सीटों की कुल क्षमता 5000 है।

भूतपूर्व सेनिकों का प्रशिक्षण

रक्षा सेवा के उन व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए विशेष बार्मिंगम भी चलाए जा रहे हैं जो सेवा निवृत्त होने वाले हैं या सेवा-निवृत्त हो गए हैं। रक्षा

प्रश्नारण में ही जी पार के सौन्दर्य गे उनके प्रशिक्षण के लिए भी योजनाएँ कार्यान्वयित की जा रही हैं—

(1) ग्रीष्म-वर्ष रिचीज ट्रेनिंग पॉर इफेंस पर्सोनल(जी सी पी आर टी),

(2) 'ग्रान्डी-जॉब ट्रेनिंग स्कीम' फौर इफेंस पर्सोनल।

जी सी पार टी के अन्तर्गत, समस्त देश में स्थापित विभिन्न योग्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के मेहनिकृत होने वाले गोवा कामिको को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य इसी विशेष ध्यक्षण के क्षेत्र में तात्पुरता निवृत्त होने वाले गोवा कामिको को सुनिश्चित बनाना है ताकि उन्हें राष्ट्रीय ध्यक्षण प्रमाण पत्र के रूप में योग्यता दासित हो सके। ही जी पार द्वारा उन्हें सेवा निवृत्त होने से पहले प्रशिक्षणादियों के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है और समस्त देश में स्थापित योग्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में इस प्रयोजनावर्ष 1,000 कीटे गुरुभित रखा गई है। 'ग्रान्डी जॉब ट्रेनिंग स्कीम' जी 1981 में शुरू की गई थी, एवं अन्तर्गत योग्योगिक उचितियों द्वारा 10 महीने प्रयोग ध्यक्षणों में ही जी पार के परामर्श से निर्दिष्ट विशेष पाठ्यक्रम के आधार पर गोवा निवृत्त कामिको के लिए क्षेत्र प्रशिक्षण सम्बन्धी विशेष वायंक्रम चलाए जाते हैं। प्रशिक्षण की प्रवधि 9 माह है। सकलकाल गुरुभित प्रशिक्षण पूरा बनने के बाद एवं जी की टी के तत्त्वावधान में ही, जी ही एण्ड टी ध्यक्षण प्रशिक्षण के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा ध्यक्षण परीक्षा प्राप्तिक्रित की जानी है और सफल कामिको को विशेष ध्यक्षण प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं।

उपर्युक्त के प्रतिरिक्ष, प्रत्येक जाई टी ग्राई में 10 कीटे रक्ता सेवा कामिको के बच्चों के लिए ग्राहित की गई है।

शिक्षाता प्रशिक्षण योजना

(शिक्षा प्रयोजनियम, 1961 के अन्तर्गत)

दिसी देश के योग्योगिक विकास के लिए मानव संसाधनों का विकास एवं महत्वपूर्ण गति है। योग्योगिक विकास द्वारा जाई जा रही विकास प्रोकारित क्षेत्रों के बढ़ते हुए स्वल्प दे वारण होने वाली होनी से यह संस्था और भी प्रधिक उठाने गई है। इसे ध्यान में रखकर विधु प्रयोजनियम, 1961 की इन उद्देश्यों में साप संरचना की गई थी—

1. उद्योग में शिक्षुओं के प्रशिक्षण सम्बन्धी वायंक्रम को वित्तियमित बनाना ताकि वह ऐन्ट्रीय शिक्षाता परियद द्वारा निर्धारित विहृत पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण सम्बन्धी प्रवधि मार्दि के प्रत्युल्प हो, और

2. उद्योगों में युग्म कामकालों की जरूरतों को पूरा बनाने के उद्देश्य में ध्यावहृति प्रशिक्षण प्रदान करने में लिए उद्योग में उपकार्य सुविधाओं का पूर्ण स्वरूप उपयोग।

इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रशिक्षण वार्षिक 1-1-1963 से वास्तविक रूप से कार्यान्वित किया गया। प्रारम्भ में अधिनियम में व्यवसाय, शिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिए परिकल्पना की गई। 1973 में शिक्षु अधिनियम में सशोधन वरने इसकी परिविधि के अन्दर स्नातक और तकनीशियन शिक्षुओं के रूप में इन्डीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में रनातक तथा हिप्लोमाधारिदों के प्रशिक्षण को लाया गया। तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षुओं के रूप में 10+2 व्यावसायिक स्ट्रीम से उत्तीर्ण प्रशिक्षणाधियों के प्रशिक्षण को शिक्षु अधिनियम की परिविधि के अन्तर्गत लाने के लिए इसमें पुनर सशोधन किया गया। इस श्रेणी के शिक्षुओं का प्रशिक्षण अपेक्षित नियम अधिकृत वरने वे बाद जिमके लिए आवश्यक कारंबाई शुरू कर दी गई है, शुरू किया जाएगा।

अधिनियम के अनुसार यह जन्मी है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों के नियोजक नियमों के अन्तर्गत निर्धारित निदिष्ट व्यवसायों में प्रकृत्याल कामगारों के अलावा कामगारों तथा शिक्षुओं के अनुपात के अनुसार व्यवसाय शिक्षुओं को नियोजित करें। शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए अधिकृतम् सुविधाधारों का पता लगाने के लिए, प्रतिष्ठानों में किए गए गहन सर्वेक्षणों वे परिणामस्वरूप प्रशिक्षण सम्बन्धी संस्थानों का पता लगाया गया। व्यवसायों की जहरत के प्रनुसार व्यवसाय शिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण सम्बन्धी अवधि द्य माह से चार वर्ष तक है। उद्योग से व्यवसाय में विशेषज्ञों को समिक्षित कर सम्बन्धित व्यवसाय समिनियो द्वारा अलग-अलग व्यवसायों के लिए पाठ्यचर्या तैयार की जाती है। सामान्यत वर्ष में दो बार अर्थात् फरवरी-मार्च और अगस्त-सितम्बर में शिक्षु नियोजित दिए जाते हैं।

वेन्द्र सरकार सरकारी प्रतिष्ठानों/विभागों में और सम्बन्धित राज्य सरकारे राज्य के सरकारी विभागों/उपकरणों और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में व्यवसाय शिक्षुओं के लिए शिक्षुता प्रशिक्षण योजना कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। यह योजना अम मन्त्रालय ने रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा कलन्ता, दमई, मद्रास, कानपुर, फरीदाबाद और हैदराबाद में स्थापित द्य क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालयों के सहयोग से बेन्द्रीय क्षेत्र में और सम्बन्धित राज्य शिक्षुता हालाहलपुर्जे द्वारा सम्बन्धित राज्यों में चलाई जाती है। चार क्षेत्रीय प्रशिक्षण बोर्डों (शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विभाग मन्त्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय) द्वारा स्नातक इंजीनियरों और हिप्लोमाधारी शिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण कार्यालय कर्तृत किए जाते हैं। लेकिन शिक्षु अधिनियम के वार्षिक्यन को पूरी जिमेदारी अम मन्त्रालय में केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार पर है। व्यवसाय शिक्षु

31 दिसम्बर, 1986 को वेन्द्र, राज्य और निजी क्षेत्र की स्थापनाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षुओं की संख्या 1,31,486 थी। शिक्षुओं की भर्ती में अनुसूचित जाति/प्र. ज. जा., अस्पतस्थकों, विकलांगों और महिलाओं के साथ

उनित घटवहार गुनिपित परने के बारे में ध्यान रखा गया है। 31-12-86 दो प्रणिकाण प्राप्त कर रहे 1,31,486 घटवसाय गिरुपो में से इन शेषियों गम्भीरति गिरुपों की मस्ता प्रत्युचित जाति 13,227, प्रत्युचित जनजाति 3,441, प्रत्युलक 21,223, विद्यार्थी 526 और प्रहितार्थी 3,721 थी। यद्यपि इस घटविनियम के प्रत्युर्वत 134 निदिट्ट घटवसायों में गिरुपो को प्रणिकाण करने के लिए उचितों की 217 शेषियों को विनिदिट्ट दिया गया है। इन 134 घटवसायों को 29 घटवसाय ग्रुपों जैसे डि. समीत ग्राम ट्रड पूर, फाँडेरी ट्रड पूर, रेञ्जिस्टर और बातामुक्कलन आदि में बोटा गया है।

गिरुपो के लिए जीविक योग्यताएँ 5 वीं वर्षा उत्तीर्ण या इसके समरूप से हायर सेकेंडरी/पी. पू. सी. उत्तीर्ण या इसके समरूप तरह है। इन घटवसायों में से प्रथमक घटवसाय के बारे में निदिट्ट घटवसायों की गूची, प्रणिकाण की प्रत्यक्षीय और कुलस अभिकों के आवाजा अभिकों में गिरुपो का प्रत्युत्तर प्रत्युक्ति-IV में दिया गया है।

घटवसाय और उचितों की बरती हुई प्रोत्तोतिवी की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, गिरु घटविनियम, 1961 के प्रत्युर्वत निदिट्ट घटवसायों के लिए पाठ्यधर्या की घटवसाय समितियों द्वारा निरन्तर पुनरीक्षा की जा रही है। 1984-85 और 1985-86 के दौरान तमन्त्र 55 और 22 निदिट्ट घटवसायों के लिए पाठ्यधर्या समोक्षित और बार्षिक भी गई। यारी निदिट्ट घटवसायों की पाठ्यधर्या की पुनरीक्षा करने के लिए घटवसाय समितियों/विसेगत विचार कर रहे हैं।

सम्बद्ध प्रत्युदेश (आर आई.)

सभी घटवसाय गिरुपो को सम्बद्ध प्रत्युदेश वेतिक प्रणिकाण सहित समुचित संकेतिक ज्ञान से गुप्तिगत करने के लिए दिए जाते हैं। सम्बद्ध प्रत्युदेश समुचित सरकार के सर्वे पर प्रदान किए जाते हैं। तथाविज जब कभी पारपथवता पड़ती है तथा वे प्रत्युदेश प्रदान करने के लिए सभी गुप्तिगत देने का तर्जे तिवोदक द्वारा बहुत दिया जाता है और जिसकी बाद में प्रतिपूति की जाती है। सम्बद्ध प्रत्युदेश का सर्वे हाल में 12 रुपये 50 पैसे से बढ़ाकर 20 रुपये प्रति माह प्रति गिरु वर्टिक संकोषित दिया गया है।

घटवसाय परीक्षा

प्रणिकाण के समाप्त होने पर गिरुपों की राष्ट्रीय घटवसायिक प्रणिकाण परियद् द्वारा वर्ष में ही बार पर्सोइ. प्रेसल और जनकार में गरीबी की जाती है। सफल गिरुपों को राष्ट्रीय गिरुता प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाते हैं।

गिरुपो के लिए कोशल प्रतियोगिता

गिरुपों में और उन प्रतिष्ठानों के बीच में भी, प्रतियोगिता की आवश्यकता, प्रतिपादित करने हेटिट में 7 निदिट्ट घटवसायों पर्सान्ति रिटर, सहीनिट, टंकर, बैहार, मोहार, विज्ञती मिहरी, मंदिरनिहास मोटर बाटन में प्रतियन भारतीय लालार पर बोगाल प्रतियोगिता आयोजित की जाती है।

पुरस्कार और योजना

- (i) अखिल भारत प्रतियोगिता में प्रत्येक व्यवसाय के सर्वोत्तम शिक्षु को मेरिट सटिफिकेट और 6,000 रुपये का नकद इनाम।
- (ii) अखिल भारत प्रतियोगिता में सभी व्यवसायों में सर्वोत्तम प्रतिष्ठान को भारत के राष्ट्रपति द्वाकांच और सम्मान सटिफिकेट।
- (iii) द्वेषीय प्रतियोगिता में सभी व्यवसायों में प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक व्यवसाय के सर्वोत्तम शिक्षु को मेरिट सटिफिकेट।
- (iv) द्वेषीय प्रतियोगिता में सभी व्यवसायों में सर्वोत्तम प्रतिष्ठान को मेरिट सटिफिकेट।
- (v) स्थानीय प्रतियोगिता स्तर पर प्रत्येक व्यवसाय में सर्वोत्तम शिक्षु को मेरिट सटिफिकेट।

स्नातक और तकनीशियन शिक्षा

इस अधिनियम के अधीन स्नातक तथा तकनीशियन शिक्षुओं की शिक्षाता प्रशिक्षण सम्बन्धी योजनाओं का प्रशासन शिक्षा विभाग, मानव साधन विकास मन्त्रालय (एच आर डी) द्वारा किया जा रहा है। इस अधिनियम के अन्तर्गत इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में स्नातकों और डिप्लोमा धारकों के शिक्षाता प्रशिक्षण के लिए इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के 71 विषय निर्दिष्ट किए गए हैं।

वृत्तिका

शिक्षाता प्रशिक्षण घबरिये के दौरान प्रत्येक शिक्षु को निम्नलिखित न्यूनतम दर पर छात्रवृत्ति दी जाती है—

(1) व्यवसाय शिक्षा	
प्रथम वर्ष	230 रुपये प्रति माह
द्वितीय वर्ष	260 रुपये प्रति माह
तृतीय वर्ष	300 रुपये प्रति माह
चौथा वर्ष	350 रुपये प्रति माह
(2) इंजीनियरी स्नातक	450 रुपये प्रति माह
(स्स्थागत प्रशिक्षण के बाद के लिए)	
(3) डिप्लोमा स्थानों से सेंडविच कोर्स के छात्र	350 रुपये प्रति माह
(4) डिप्लोमाधारी	320 रुपये प्रति माह
(स्स्थागत प्रशिक्षण के बाद के लिए)	
(5) डिप्लोमा स्थानों से सेंडविच कोर्स के छात्र	250 रुपये प्रति माह

सभी शेषी के शिक्षुओं को दी जाने वाली वृत्तिका दर दरें बढ़ाने सम्बन्धी मापदंश केंद्रीय शिक्षाता परिषद् ने अनुमोदित कर दिया है और यह भारत सरकार के विचाराधीन है।

चूंकि शिशु प्रधिनियम, 1961 लगभग 26 वर्ष से कार्यान्वयित किया जा रहा है, इसनिए इस प्रधिनियम को व्यापक रूप से पर मुनरोधा करते की ज़रूरत महगूस की गई है। इस प्रयोजनाये गठित कार्यदाता ने क्षेत्रीय गोपितों के दोरान की गई सिफारिशों और प्रश्नावारी के साथमें म प्राप्त उत्तरों के आधार पर कई सिफारिशें की हैं। केन्द्रीय गिरिधारा परिपद न 27 नवम्बर, 1986 का हुई घटनी प्रनियम बैठक में ये सिफारिशें अनुमोदित की हैं। गिरिधारा प्रधिनियम में आवश्यक समीक्षन लाने की दृष्टि से इन सिफारिशों की आगे जाओ जीव की जा रही है।

शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण

पटना, बम्बई, कानपुर, लुधियाना और हैदराबाद में स्थित उच्च प्रशिक्षण सेवान (जो पहले सी टी प्राइंज थे) और मद्रास में स्थित ऐन्ड्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान अनुदेशक प्रशिक्षणाधियों को श्रीदोगिक बौशल राम्भ-धी तकनीकी के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जो बाद में उद्योग के लिए कुशल जन-शक्ति को प्रशिक्षित करते और उपलब्ध कराते हैं।

ये संस्थान एक-वर्षीय पाठ्यक्रमों की भूलता चलते हैं, जो कौशल विकास एवं प्रध्यायन गम्भीरी सिद्धांतों दोनों में व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। पुनर्वर्णी पाठ्यक्रमों का भी प्रायोजन किया जाता है ताकि अनुदेशकों वे जान और जानकारी को बढ़ाया तथा प्राध्यनिक बनाया जा सके और उद्योग में प्रीदोगिकीय विकास तात्पर्यी सबीनतम जानकारी से उम्ह भवगत कराया जा सके। ए टी पाई, कानपुर और ए टी पाई, हैदराबाद में पायलट प्राधार पर घणस्त, 1983 से शिल्प अनुदेशकों के लिए माइक्रोलर प्रशिक्षण को शुरू किया गया और इसका घणस्त, 1984 से सी टी पाई, मद्रास में विस्तार किया गया।

समीक्षाधीन प्रवधि के दोरान, विभिन्न अवसायों में उपरिलिखित शंस्थानों में सीटों की संख्या 1,144 थी। 31-12-1986 को हाजरी रजिस्टर पर 11,625 प्रशिक्षणार्थी दर्ज हैं।

बुद्ध धने हुए विशेष अवसायों में अनुदेशकों के लिए प्रशिक्षण मुदिधारे जारी रखी गई जिसे उच्च प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई में बुनाई के अवसाय में, उच्च प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद में होटल और बेटरिंग के अवसायों में, उच्च प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर म प्रिटिंग के अवसायों में, उच्च प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर कलहता और लुधियाना में दिल राइट के अवसायों में तथा उच्च प्रशिक्षण संस्थान, कलकत्ता में प्रशिक्षण मेयडोसोंग्री के उच्च पाठ्यक्रमों में।

व्यायसायिक महिला प्रशिक्षण वार्षिक्रम

महिलाओं के लिए नाना प्रकार के प्रशिक्षण अवसर प्रदान करने की दृष्टि से, सीडा पाई, एल एमी के महोयोग से पार्श्व, 1977 से महिलाओं के व्यायसायिक प्रशिक्षण के लिए एक परियोजना शुरू की गई थी। इस परियोजना के प्रमुखत ऐन्ड्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), नई दिल्ली का दर्जा बड़ार उसे

राष्ट्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, दिल्ली के नाम से तदोल दिया गया था और बम्बई, बगलौर और चिक्केन्द्रम में ३ क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए थे। ये संस्थान तीन टायर सिस्टम में प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान करते हैं नामन अधिक रोजगार की सम्नावना वाले बुद्ध चुने हुए व्यवसायों में बुनियादी कौशल, उच्च कौशल और अनुदेशक प्रशिक्षण। स्कूल छोड़े हुए प्रशिक्षणार्थी, स्नातको धीर मोजूदा महिला कर्मकारों को शामिल किया जाता है (पनुबन्ध ७)। इन संस्थानों द्वारा शृहणियों के लिए व्यासम्बव घटकात्तिक पाठ्यक्रम भी प्राप्तोजित किए जाते हैं। दिसम्बर, १९८६ के मन्त्र तक इन संस्थानों द्वारा लगभग ४,९११ प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रशिक्षित दिया गया। इन संस्थानों की प्रशिक्षण क्षमता दिसम्बर, १९८३ में ५३७ प्रशिक्षणार्थियों से बढ़ाकर दिसम्बर, १९८६ में ६८४ कर दी गई।

इसके प्रतिरक्त, महिलाओं को विभिन्न राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन श्रीदोगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के भवसर भी प्रदान किए जाते हैं। यद्यपि श्रीदोगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पुरुष और महिलाएँ दोनों दाखिल हो सकते हैं, तथापि महिलाओं के लिए अन्य श्रीदोगिक प्रशिक्षण संस्थान यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षण के भवसर प्राप्त हो सके। इन समय, महिलाओं के लिए अन्य से १०४ श्रीदोगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं। इन संस्थानों में महिलाओं के लिए कुल सीटों की क्षमता लगभग १,५०० है।

इस वार्षिक के अन्तर्गत महिलाओं के लिए प्रशिक्षण सुविधाएँ बढ़ाने की घट्ट से उपर्युक्त योजना सम्बन्धी स्कीमें तेमार की गई है जिन्हें ७वी योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन करने के लिए योजना धारोंग द्वारा पहले ही मनुमोदित कर दिया गया है। ७वी पचार्षीय योजना अवधि के दौरान ५ और क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करने के अलावा इन योजनाओं में मोजूदा सुविधाओं का विस्तार और कौशल के क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के नामांणकरण की परिकल्पना की गई है। इसमें महिलाओं के लिए नए श्रीदोगिक प्रशिक्षण संस्थान/विंग स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को दी जान वाली वित्तीय सहायता के लिए बैंक द्वारा प्राप्तोजित एक योजना भी शामिल है। एन वी टी. प्राई नई दिल्ली के लिए एक भवन भोएदा, उत्तर प्रदेश में बन रहा है और भवन के तंतार होने के बाद इस संस्थान को नए परिसर में शिष्ट करने का निर्णय लिया गया है।

उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण

उच्च प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास की स्थापना, समुक्त राष्ट्र विकास वार्षिकम (यू. एन डी पी) और मन्त्रराष्ट्रीय श्रम संगठन (आई एल एस) की सहायता से १९६८ में की गई थी जिसका उद्देश्य कार्यरत श्रीदोगिक मंडूरी और तकनीशियनों

के बीचों को उन्नतिशील और मध्यनन जनान के लिए प्रल-प्रयोगिक उच्च प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता था। प्रशिक्षण सीटों की संख्या प्रयोगिक यहाँ हुई मौग वे अनुकूल ये पाठ्यक्रम बहुत लाभदायक मिल हुए। यह लिपि उस समय उत्पन्न हुई जब महाराष्ट्र में स्थित यह संस्थान प्रशिक्षण मौग दो अडेक्सा पूरा नहीं बर सरा और देश में प्रतिरिक्ष प्रशिक्षण सुविधाएँ सृजित करना प्रावश्यक हो गया। इस प्रकार समुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) और प्रत्यर्थीय थम समठन (माई एन.ओ.) के सहयोग से रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के प्रधीन कार्यरत 5 उच्च प्रशिक्षण संस्थान और 15 राज्य सरकारों द्वारा आयोजित 16 खुले हुए शोधागिक प्रशिक्षण संस्थानों को समिति करत हुए एवं परियोजना प्रकृष्टर, 1977 में उच्च ध्यावसायिक प्रशिक्षण शैक्षणिक के रूप में गुरु की गई।

इस प्रणाली के अधीन ये प्रशिक्षण कार्यक्रम माइक्रो ग्रामांतर पर बनाए गए हैं ताकि इस शैक्षणा से एक या इससे प्रधिक माइक्रों का व्यवन करने एवं व्यवसाय व्यवने को जल्द क्षेत्र में विस्तारता प्राप्त बर सने। इस प्रणाली के अन्तर्गत व्यवसेक उच्च शृणता आप्त थोको में 2 से 12 सप्ताह भी अवधियों के नियमित पूर्ण-व्याप्ति पाठ्यक्रम संचालित लिए जाते हैं।

दिसम्बर, 1986 के अन्त में ए बी टी एस परियोजना के अन्तर्गत 50,455 शोधागिक प्रत्यर्थी ने प्रशिक्षण सुविधापो का लाभ उठाया। 1986 के दौरान परियोजना के अन्तर्गत लगभग 9,800 शोधागिक प्रत्यर्थी/तात्त्वीयियों ने प्रशिक्षण सुविधापो का लाभ उठाया।

दी जी ई एण्ड टी के अधीन 6 उच्च प्रशिक्षण संस्थानों में देवन देशी समाप्तों के साथ नए थोको में विस्तारता तथा नानावृत्तरता का दूसरा चरण शुरू दिया गया। इस कार्यक्रम के चरण-1 के अन्तर्गत मानित 22 थोको के प्रतिरिक्ष, बुद्ध राज्यों ने 25 नए शोधागिक प्रशिक्षण संस्थानों में उच्च पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। इसेक्ट्रॉनिक्स एण्ड प्रोसेस इस्ट्रूमेटेशन सम्बन्धी उच्च प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यवसायों में उच्च प्रशिक्षण शायक्रम आयोजित लिए जाने हैं।

हैदराबाद में इसेक्ट्रॉनिक्स एण्ड प्रोसेस इस्ट्रूमेटेशन सम्बन्धी उच्च प्रशिक्षण संस्थान, श्वेतिंग प्रत्यर्थीय विकास प्राधिकरण (सीआर) दी सहायता से स्थापित किया गया था, प्रत्यर्थीय थम समठन इम परियोजना द्वारा देश के लिए शायकारी एजेंसी है। इस गवान के मुहूर उद्देश्य लिनितित है—

(1) उद्योग की प्रावश्यकतानुसार शोधागिक, मैट्रिक्स और प्रैक्टिकल एजेंसी द्वारा प्रोसेस इस्ट्रूमेटेशन के थोकों में तकनीकित तर पर उच्च

कुचलता प्राप्त कामिको को विभिन्न अधिक के पाठ्यनमों को आयोजित करके प्रशिक्षित करना।

(2) उच्च प्रशिक्षण संस्थानों, बेन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों और श्रीदोगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदेशकों तथा अन्य चुन हुए क्षेत्रों में प्रशिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण पुनरश्वर्या एव प्रप्रेदिग प्रशिक्षण प्रदान करना।

जनवरी, 1976 म इस संस्थान ने अल्पाधिक पाठ्यक्रम चालू करके कार्य करना शुरू कर दिया।

दलेकट्रोनिक्स तथा प्रोसेस इन्स्ट्रुमेंटेशन के क्षेत्र में प्रशिक्षित जनशक्ति की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए गए आवास में एक दूसरा उच्च प्रशिक्षण संस्थान दिसम्बर, 1981 में देहरादून (उत्तर प्रदेश) में स्थापित किया गया।

दिसम्बर, 1986 के अन्त तक अशक्तिक तथा दीर्घकालिक पाठ्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 6554 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। इन संस्थानों में आयोजित आवश्यकता पर आधारित पाठ्यक्रम उद्योग म नोर्मिय हो गए हैं।

फोरमेन प्रशिक्षण संस्थान बगलौर और जमशेदपुर

बगलौर और जमशेदपुर में स्थित एक टी आई में उद्योग से पर्यवेक्षकों/फोरमेनों के बोशल और श्रीदोगिकी योग्यता में सुधार लाने के प्रयोजनार्थ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

जर्मन संघीय गणराज्य में बढ़ने वेटम वर्ग राज्य के सहयोग से बगलौर म स्थापित संस्थान, पूर्णकालिक और अशक्तिक पाठ्यक्रमों द्वारा तकनीकी और प्रबन्धकीय बोशलों म विद्यमान और सम्भावित शाप फोरमेनों पर्यवेक्षकों वे निए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने तथा सचानित करने के लिए उत्तरदायी है।

पर्यवेक्षकों/फोरमेनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य श्रीदोगिक विकास में निम्ननितित उद्देश्य प्राप्त करना है—

- (क) उसके कोशल और तकनीकी योग्यता म सुधार लाना।
- (ख) अधिक शाप-लोर दायित्वों को स्वीकार करने के लिए उसका विकास करना।
- (ग) उसे उच्च उत्पादकता की आवश्यकता से सचेत करना।
- (घ) व्यक्तियों, मरीनों और सामग्री के पूर्ण और अधिकतम उपयोग के लिए उसे श्रीदोगिक इंजीनियरी की आधुनिक तकनीकों वा इसका उपयोग करने में प्रशिक्षित करना।
- (इ) उन व्यक्तियों के साथ समस्याओं का समाधान करना और शिकायतों को दूर करने सम्बन्ध उसके कोशल में विकास करना, कर्मचारियों के मनोबल और टीम भावना को सुधारना।

- (च) गभी सतरो पर गद्योग पौर मन्त्रालय नामे की योग्यता का विचास करना ।
- (द) अन्य व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए उसके बोगर का विकास करना ।
- (ज) बुधार पौर समुचित हाउस बीपिंग से उसे संचेत करना ।
- (झ) उपहरणों पौर समाजको का प्रभावी उपयोग करने पौर उपका उपयुक्त प्रनुभारण करने में उनकी समता का विचास करना ।
- (झा) सामत कम करने, नवालिटी गुणारने पौर उत्पादन बढ़ाने में उनकी समर्पत दायता को विकास करना ।

पौरमें और पर्यावरणी ई प्रशिक्षण सम्बन्धी, बड़ी हुई भावभूतामों द्वारा पूरा करने के लिए अनुदूर, 1982 में जमेश्वरुर में एक दूगरा कोरमें प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया । इस संस्थान की त्रिसे होटें पैमाने पर गुम्ब बिया गया था, बालोर में स्थित दूगरे संस्थान के समान थार्ड करेगा ।

दिसम्बर, 1986 के अन्त तक इन मरमें में 6,938 पौरमें/पर्यावरणी को दीर्घालिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया है । इन पाठ्यक्रमों को प्रबन्धतात्व के निम्न पौर मन्त्र सतरो पर पर्यावरणी कामियों की प्रशिक्षण वाक्यभूतामों को पूरा करने की दृष्टि से तैयार किया गया है ।

व्यायासाधिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में अनुसंधान, कर्मचारी प्रशिक्षण और प्रशिक्षण सामग्री का विकास

बैन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (स्टारी) की स्थापना भारत सरकार द्वारा जर्मन सर्थीय गणराज्य सरकार के महोग में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने व्यायासाधिक प्रशिक्षण के दैत्र में अनुसंधान पौर विचास करने के उद्देश्य से वर्ष 1968 में ही गई थी । यह संस्थान इन तीन विगों के वाध्यता से प्रशिक्षने का विकास करना है—

(1) प्रशिक्षण विग—प्रशिक्षण विग का उद्देश्य धौलोगित प्रशिक्षणी, धौलोगित व प्रशिक्षण संस्थानों, उच्च प्रशिक्षण एवं वार्षिक पौर सर्वेक्षित तथा निवी दोन के उपक्रमों के प्रशिक्षण विभागों के कार्यकारी स्टाफ के लिए प्रशिक्षण वायंक्रमों को प्रशिक्षण करना पौर उच्च प्रायोजित हरना तथा तारे देश में सरकार के पौर उद्योग के उच्च प्रशिक्षणों के लिए जो धौलोगित प्रशिक्षण की प्राप्तेमान पौर निष्पादन में संग हुए हैं, सेमिनारों पौर वार्षिकालामो की आयोजित करना है ।

इस संस्थान ने पारने विभिन्न प्रशिक्षण वायंक्रमो के द्वारा दिसम्बर, 1986 के अन्त तक 5,076 कामियों को प्रशिक्षित किया ।

(2) अनुसंधान विग—अनुसंधान विग का वार्ष व्यायासाधिक प्रशिक्षण के प्रयोजित वायंक्रमो पर संस्था विभिन्न अनुग्रहाधायोजित हरना है ।

- (क) व्यवसाय पाठ्यचर्चा सम्बन्धी विकास।
- (ख) प्रशिक्षण सम्बन्धी पढ़तियों का विकास।
- (ग) प्रशिक्षण भवनों का विकास मर्दान् वंशीहुड़ प्रस्तुति।
- (घ) सर्वेक्षणों के माध्यम से गुरुगत्मक कौशल विश्लेषण।
- (ङ) उद्योगों और प्रशिक्षण संस्थानों को परामर्शदात्री सेवाएँ।

मनुसंघान के क्षेत्र में, इस संस्थान ने प्रशिक्षण के लिए विनियोग पहलुओं पर भी तक 97 परियोजनाओं को पूरा किया है।

(3) विकास विग—विकास विग का कार्य, निम्नलिखित में शौद्धिक प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं द्वारा भावी निष्पादन के लिए, शैक्षणिक सिद्धान्तों पर आधारित प्रशिक्षण सामग्रियों और सहायों को तैयार और उत्पादित करना है—

- (क) लिखित मनुदेशात्मक सामग्री
- (ख) माहूल
- (ग) माडलो/प्रोटोटाइपों को ढूँग
- (घ) स्लाइड/ट्रांसप्रॅन्सीज

यह संस्थान, एक आवृत्तिक कार्यशाला, प्रयोगशालाओं, पाठ्यचर्चा विकास सेल, तकनीकी सूचना सेल, सी. सी. टी. बी. के साथ दम्प-थ्रव्य सुविधाओं और चर्चा क्षमताओं और प्रशिक्षण सम्बन्धी प्रलेखन संहित आदि स्टाक दाले एक पुस्तकालय से सुसज्जित है।

उपरोक्त करने वाले संगठनों की लिखित मनुदेशात्मक सामग्री शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए, सुप्रसिद्ध प्रवाशनों द्वारा तैयार ही गई पुस्तकों को प्रकाशित कराने की व्यवस्था भी भी गई है। ये प्रकाशन शौद्धिक प्रशिक्षण संस्थाओं और दम्प प्रशिक्षण केन्द्रों को इन पुस्तकों को दिक्की और विवरण करने के लिए भी) विमेदार हैं।

राष्ट्रीय थम संस्थान

राष्ट्रीय थम संस्थान ने 1 जुलाई, 1974 से बार्य करना घारमन किया। इस संस्थान के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित ही व्यवस्था करना है—

शिक्षा, प्रशिक्षण और विद्यामान,
मनुसंघान विभागों द्वारा घनुभूत्यान शामिल है,
परामर्श, और
प्रकाशन तथा ऐसे दम्प कार्यकलाप जो संस्थान के उद्देश्यों ही प्राप्ति के लिए आवश्यक समझा जाए।

प्रामोरु शिक्षा हार्दिकमों का आयोजन—इस संस्थान ने विनियोग राज्यों में घनेक ग्रामीण शैक्षिक शिविरों का आयोजन किया है। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य

प्रामीण धर्मिकों के धायोजनों को प्रामीण धर्मिकों से सम्बन्धित विभिन्न कानूनों और विनियमों में उपलब्धों का ज्ञान प्राप्त कराता तथा उन्हें विकास कार्यक्रमों (जो कि प्रामीण धर्मिकों के लाभ के लिए बनाए गए हैं) में संप्रिहित विभिन्न वेद्योग्य और स्थानीय सरकार तथा स्वेच्छिक प्रभिकरणों के सम्बन्ध में गूचना प्रदान करता है। नेतृत्व प्रोपना का विकास करने में सिए भी कार्यक्रम बनाए गए हैं।

सनुसन्धान परियोजनाएँ—यह सन्धान विविध धनुसन्धान परियोजनाएँ ज्ञाता है जो धर्मिकों तथा उनसे सम्बन्धित मामलों के बारे में हैं। इनमें से महत्वपूर्ण मामले निम्नलिखित हैं—

- (1) मजदूरी विकास का पर्यावासन।
- (2) उत्तर प्रदेश में सरकारी दोष के एक बड़े उपकरण में पारिवारिक जीवन के स्तर और कार्य-जीवन के स्तर का प्रध्ययन।
- (3) दक्षिणी पूर्वी एशिया में राष्ट्रनात्मक डिविडा (स्ट्रक्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर) के मन्त्रालय प्रार्थिक विकास, जन् 1950-70।
- (4) तमिलनाडु में सरकारी दोष के एक सफल उपकरण में सगठन में कार्य की सीधी प्रक्रिया सम्बन्धी सनुसन्धान प्रध्ययन।
- (5) भारत हेली, इंडियाकल्स-लिमिटेड, हरिदार में वर्क रीहिंगाइन सम्बन्धी कार्य सनुसन्धान।
- (6) दिल्ली में राजस्वानी प्रबाली धर्मिकों के राष्ट्रस्थ में सनुसन्धान प्रध्ययन तथा उनके जीवन और समुदाय पर प्रभाव।
- (7) गिरधार के एक दार्शनर में कार्य-प्रदृष्टि और कार्य-जीवन के प्रध्ययन, जो सिए कार्य सनुसन्धान परियोजना।
- (8) गगड़नाटम्ब बातावरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव में कार्य के निए प्रेरणा सम्बन्धी सनुसन्धान प्रध्ययन।
- (9) एनियनेशन इकियोंसी तथा वर्क विमिटमेण्ट सम्बन्धी प्रध्ययन।
- (10) टेट बैर कॉक इंडिया, महरोनी रोड, शाला, गुजरात में जावी रीहिंगाइन की सहायता का प्रयोग करते हुए धर्मिक सहभागिता सम्बन्धी कार्य सनुसन्धान।
- (11) समाजलित प्रामीण दोष विकास सम्बन्धी लीलि के मूल्यांकन का सनुसन्धान, परिवर्मी बंगाल में तीन मामला प्रध्ययन।
- (12) प्रायकर मायुक रायलिय, नई दिल्ली के रायलिय में वर्क विमिटमेण्ट सम्बन्धी कार्य सनुसन्धान परियोजना।
- (13) पत्तन और गोदी के नियोजनों और धर्मिकों द्वारा स्वेच्छिक विकास विषयी सम्बन्धी सर्वेताह।
- (14) प्रदेशियन स्ट्रक्चर टेल्सन मूरमेन्ट्स एट ऐरेट प्रार्गेन्स इंजेनियरिंग इन्डिया।

परामर्श कार्यक्रम—इस संस्थान का व्यावसायिक स्टॉफ़ फ्लेक्स सगठनों के नेतृत्विक प्रध्ययनों, समस्याओं के समाधान के कायों और प्रशिक्षण कार्यश्रमों को बनाने तथा चलाने में लगा हुआ है।

प्रकाशन—यह संस्थान एक मासिक बुलेटिन प्रकाशित करता है जिसके राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान व्यापक ग्राहक हैं। यह संस्थान एक मासिक पचाट सार सप्त ही प्रकाशित करता है जिसमें अम न्यायालय उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के अम मामलों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निलंयों वा सारांश दिया जाता है। इनके अतिरिक्त यह संस्थान अमित्रों से सम्बन्धित कुन हुए विषयों के बारे में सामग्रिक लेखा सीरीज़ भी जारी करता है।

भावी कार्यक्रम—इस संस्थान द्वारा अम अधिकारियों, वेन्ड्रीय औद्योगिक सम्बन्ध तन्त्र के अधिकारियों और राज्य एवं अद्वै-सरकारी विभागों के अम कल्याण अधिकारियों के लिए चार-चार सप्ताह की अवधि के वर्ष में तीन शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करने का प्रस्ताव है।

सामाजिक सुरक्षा का संगठन और वित्तीयन; ब्रिटेन, संयुक्तराज्य आमेरिका और सोवियत संघ में सामाजिक सुरक्षा का सामान्य विवरण; भारत में सामाजिक सुरक्षा की स्थिति

(Organisation and Financing of Social Security; Social Security in U.K., U.S.A. and U.S.S.R.; General Position of Social Security in India)

सामाजिक सुरक्षा का अर्थ (The Meaning of Social Security)

"सामाजिक सुरक्षा क्षयाणकारी राज्य के द्वचि का एक सम्भा है। सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से राज्य प्रदेश नागरिक को एक दिए हुए जीवनस्तर पर बनाए रखने का प्रयास करता है।"¹ "सामाजिक सुरक्षा एक गतिशील विचारधारा है जो इस विचारित देशों में निर्णयता, वेरोत्रणारी और बोपारी को समाप्त करने के राष्ट्रीय वार्षिक का एक प्रत्यक्ष प्रावद्यन्त प्रावद्यन्त पाठ है।"² "बनेजात समय में सामाजिक सुरक्षा आधुनिक युग की एक गतिशील विचारपारा है जो सामाजिक व आर्थिक नीतियों को प्रभावित कर रही है। यह एक सीमित साधनों वाले व्यक्ति को राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा है जो इस विचारपारा में सोशल के संबोध से प्राप्त नहीं कर सकता है।"³

क्षयाणकारी राज्य का यह दायित्व हो जाता है जो प्रावेश नागरिक को निश्चित जीवनस्तर बनाए रखने में मद्दद करे। प्रत्येक व्यक्ति बचपन और वृद्धावस्था में दूसरे पर प्राप्ति रहता है। इन व्यवसायों में उन्होंने सुरक्षा प्रदान करना प्रावद्यन्त है। सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जो समाज द्वारा प्रपत्रे सदस्यों का

¹ Ward K. N. : State and Labour in India, p. 109.

² Sircana, R. C. : Labour Problems & Social Welfare, p. 349.

³ Giri, V. V. : Labour Problems in Indian Industries, p. 246.

उनके जीवन-काल में किसी भी समय घटने वाली अनेक आकस्मिकताओं के विद्ध प्रदान की जाती है। इन आकस्मिकताओं में प्रसूतिका, बृद्धावस्था, बीमारी, असमर्थना, दुर्घटना, शोषणिग्रीवीमारी, वेरोजगारी, मृत्यु, वच्चों का पालन-पोषण आदि प्रमुख हैं। इन आकस्मिकताओं के विद्ध घकेला व्यक्ति अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता है। इन सामाजिक सुरक्षा उपायों से व्यक्ति विभिन्न आकस्मिकताओं के विषय में निश्चिन्त हो जाता है तथा इसी और मन लगाकर कार्य करता है। इससे उनकी कार्य-क्षमता पर बुरा असर नहीं पड़ता है।

सर विलियम बेवरिज(Sir William Beveridge)के अनुसार, "सामाजिक सुरक्षा का अर्थ एक ऐसी योजना से है, जिसके द्वारा आवश्यकता, बीमारी, अज्ञानता, फिजूल खर्चों और वेकारी—जैसे राक्षसों पर विजय प्राप्त की जा सके।"

अन्तर्राष्ट्रीय यम संगठन (International Labour Organisation) के अनुसार ऐसी आकस्मिकताएँ जो बाल्यावस्था से बृद्धावस्था और मृत्यु के अतिरिक्त बीमारी, प्रसूति, असमर्थना, दुर्घटना और शोषणिग्रीवीमारी, वेरोजगारी, वृद्धावस्था कमाने वाले की मृत्यु और इसी प्रकार के अन्य सकटों से सम्बन्ध रखती है, के लिए सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है। एक व्यक्ति इन आकस्मिकताओं में स्वयं अपवा अन्य किसी व्यक्ति की सहायता से अपने आप मदद नहीं कर सकता है।¹

शोषणीकरण के पूर्व इन आकस्मिकताओं में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उस समय सबुत परिवार प्रथा, जाति प्रथा, ग्रामीण समुदाय और धार्मिक संस्थाएँ विद्यमान थी। इन संस्थाओं द्वारा सभी प्रकार की आकस्मिकताओं के विद्ध सुरक्षा प्रदान की जाती थी। शोषणिग्रीकरण के साथ-साथ इन संस्थाओं का विघटन हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों में जाकर बसने लगे और उनका ग्रामीण क्षेत्र में कोई समर्क नहीं रहा। शोषणीकरण से देश की प्रगति हुई और नोतिक कल्याण में भी हुँदि हुई है। किर भी इसके कारण से कई बुराइयों को भी जन्म मिला है, जैसे—शोषणिग्रीवीमारी और दुर्घटनाएँ, वेरोजगारी, आदि। इसके साथ ही मानवीय सम्बन्धों और मूल्यों में भी परिवर्तन आ जाने से इन आकस्मिकताओं के विद्ध घकेला व्यक्ति लड़ नहीं सकता।

प्रोफेसर सिंह एव सरन के अनुसार सामाजिक सुरक्षा समाज द्वारा प्राकृतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत और प्राथिक कारणों से उत्पन्न असुरक्षाओं के विद्ध सुरक्षा प्रदान करने का एक उपाय है। प्राकृतिक सुरक्षा में मृत्यु या बीमारी, सामाजिक असुरक्षा में आवास व्यवस्था से उत्पन्न दोष, व्यक्तिगत असुरक्षा कार्यक्षमता का कम होना, प्राथिक असुरक्षा में बेम भजदूरी प्राप्त होना अपवा वेरोजगारी होना, आदि सम्मिलित किए जाते हैं। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का उद्देश्य व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करना, पुनरुद्धार करना और इन पर रोक लगाना होता है।

प्रो. बी. पी. मडारकर के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जो समाज द्वारा इसके सदस्यों को प्रदान की जाती है जो कि आकस्मिकताओं के शिकारी हो

1 International Labour Office, Approach to Social Security, p. 1.

जाते हैं। ये लोकिये जीवन की मानकस्थिताएँ हैं जिनके विरुद्ध व्यक्ति प्रभावी सीमित आप स लडाई नहीं सड़ सकता है और न ही वह इनके बारे में अनुमान लगा सकता है तथा आप व्यक्तियों के साथ मिलकर भी गुरुका नहीं कर सकता है।

सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य (Aims of Social Security)

व्यक्ति की मानकस्थिताओं की सुरक्षा हेतु समाज सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये सामाजिक सुरक्षा के उपाय तीन उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं—

1. शतिष्ठीत करना (Compensation)—सामाजिक सुरक्षा ने घटनावंत शतिष्ठीत करने का सम्बन्ध आप से होता है। किसी अधिकारी की कार्य दरते समय मृत्यु होने पर आयका दुष्टेटना होने पर उनके प्रावितो व स्वयं उसने निए निश्चित रूप से आप प्रदान करता ही इसके प्रत्यक्षता आता है। भारत का शतिष्ठीत अधिनियम, 1923 (Workmen's Compensation Act of 1923) इसका एक उदाहरण है।

2. पुनर्वाप (Restoration)—इसके प्रत्यक्षता अधिक के बीमार होने पर उसका इलाज करवाना, फिर से रोजगार देना आदि आते हैं। भारतीय कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948 (Employees' State Insurance Act 1948) इसका एक उदाहरण है।

3. रोक लगाना (Prevention)—सौदांगिक बीमादियों, बेरोजगारी, प्रसन्नता आदि के बारें से उत्पादन धमता के नुसार सुरक्षा को रोकने के लिए कदम उठाए जाते हैं। इससे समाज का सामरिक और नेतृत्व बढ़ाए होता है।

सामाजिक सुरक्षा का क्षेत्र (Scope of Social Security)

सामाजिक सुरक्षा एक व्यावहारिक शब्द है। इसमें सामाजिक बीमा (Social Insurance) और सामाजिक सहायता (Social Assistance) वे प्रतिरिक्ष व्यापारिक बीमा से रामनियत झूँघ योजनाओं को भी शामिल किया जाता है। इसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना में सामाजिक बीमा एक महत्वपूर्ण तत्त्व है।

सामाजिक बीमा वह योजना है जिसके प्रत्यक्षता अधिकारी, मानिसों और राज्य द्वारा एक बोध वा निर्माण अवश्यक द्वारा हित लिया जाता है। इस बोध में से हीमा करने वाले अधिकारी व्यक्तिगत रूप से लाभ मिलता है। ये साम बीमारी, लोट, प्रसूति, बेरोजगारी, वृद्धावस्था ऐश्वर्य आदि के समय मिलते हैं। उदाहरणार्थे हमारे देश में राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम, 1948 के प्रत्यक्षता मिलने वाले साम इसके प्रत्यक्षता ही आते हैं।

सामाजिक बीमा के प्रत्यक्षता अधिकारी योगदान से एक बोध लिया जाता है। अधिकारी का योग रखा जाता है। अधिकारी को निश्चित सीमाओं में साम प्रदान किए जाते हैं। यह अनियायी योजना है। यह अस्तित्व दुर्लभ है।

सामाजिक सहायता (Social Assistance) वह सहायता है जो समाज द्वारा निर्धन और जहरतमन्द लोगों को स्वेच्छा से प्रदान की जाती है। अभिक्षों द्वी क्षनिपूर्ति करना, मातृत्व साम्राज्य और वृद्धावस्था में पेशन आदि सामाजिक सहायता के प्रन्तर्गत प्राप्त हैं। सामाजिक सहायता पूर्ण हप से सरकारी साधनों पर निर्भर है। यह व्यक्ति को निश्चित परिस्थियों या जैतों पर ही प्रदान की जाती है।

सामाजिक सहायता सामाजिक बीमा की पूरक है न कि स्थानापन। किंतु भी सामाजिक सहायता और सामाजिक बीमा में अन्तर है। सामाजिक सहायता सरकारी योजना है जबकि सामाजिक बीमा अभिक्षों, भालिक्षों और सरकारी अद्यादान पर निर्भर है। सामाजिक सहायता निश्चित जर्तों पर दी जाती है जबकि सामाजिक बीमा के प्रन्तर्गत बीमा कराए व्यक्ति को सीमित साम्राज्य मिलते हैं। दोनों मायन्य चलती हैं।

सामाजिक बीमा और व्यापारिक बीमा (Commercial Insurance) दोनों में अन्तर है। सामाजिक बीमा अनिवार्य तथा व्यापारिक बीमा ऐक्टिव है। व्यापारिक बीमा के प्रन्तर्गत लाभ प्रीमियम के माध्यार पर दिए जाते हैं जबकि सामाजिक बीमा के प्रन्तर्गत लाभ अभिक्षों के अद्यादान से अधिक मिलते हैं। व्यापारिक बीमा वेबल व्यक्तिगत बोखिम के लिए प्रदान किया जाता है जबकि सामाजिक बीमा के प्रन्तर्गत न्यूनतम जीवन-स्तर बनाए रखने के लिए लाभ प्रदान किए जाते हैं।

इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा एक व्यापक योजना है। इसमें सामाजिक बीमा और सामाजिक सहायता दोनों को शामिल किया जाता है।

सामाजिक सुरक्षा का उद्गम और विकास (Origin & Growth of Social Security)

सामाजिक बोखिमों का पूरा करने वा तरीका भूतकाल में यरोव राहें पढ़तियाँ थीं। वई देशों में अधिनियम पास किए गए थे। सामाजिक सहायता देना समाज का दायित्व समझा जाता था। सबसे पहले 1601 ने इंग्लैण्ड में सामाजिक सहायता हेतु निर्धन कानून (Poor Laws) पास किए गए। इसके पश्चात् घीरे-घीरे सरकार द्वारा इस प्रदार की सहायता दी मात्र और विस्म में सुधार किया गया। यदि सामाजिक सहायता सामाजिक बीमा के पूरक हप में सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण अग बन गई है। इंग्लैण्ड में अनिवार्य बेरोजगार बीमा (Compulsory Unemployment Insurance) के मायन्य वेरोजगारी सहायता योजनाएं (Unemployment Assistance Schemes) स्थाई और सुध्यवस्थित माध्यार पर चलाई जा रही हैं।

सामाजिक बीमा (Social Insurance) वा उद्गम सर्वेश्वरम जमनी में 1883 प्रनिवार्य दुष्टना बीमा प्रधिनियम (Compulsory Accident Insurance Act, 1883) पास करने से होता है। इसके पश्चात् वृद्धावस्था तथा बीमारी आदि के लिए भी प्रधिनियम बनाए गए। 1883 के पूर्व भी 1850 और 1833 में क्रमशः फ्रांस और इटली सरकार ने सामाजिक बीमा योजना गठू बर रखी थी।

1942 में सर विलियम वेवरिज द्वारा दी गई ध्यापाक सामाजिक बीमा और प्रश्न सेवाओं पर प्रतिवेदन प्रकाशित होते ही पश्चात् एक व्यापाक सूचपान हुआ। यह रिपोर्ट इग्लैण्ड में एक ध्यापाक सामाजिक गुरुदाता याजना लायू बरान में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। रोगार, विकित्सा, गिरजा, बृद्धावस्था वैज्ञान, एमान दायें हेतु समान सजदूरी या बेतन, सामाजिक, राजनीतिक और धार्यक धोष में समानता प्राप्ति मूलभूत प्रधिकार एवं जोरिम हैं जिनके लिए एक विस्तृत सामाजिक गुरुदाता योजना ग्रन्थ त आवश्यक है।

अन्तर्राष्ट्रीय अम रागडन (ILO) ने भी इनके विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय अम सम्मेलनों में सामाजिक गुरुदाता के सम्बन्ध में प्रस्ताव पात्र किए हैं और उन प्रस्तावों व सिफारिशों को सदस्य देशों में लाधू परवाने का प्रयत्न साराहनीय रहा है। इस अन्तर्राष्ट्रीय सत्याने गमय गमय पर सामाजिक गुरुदाता के अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणों का निर्धारण किया है और इसके साथ ही सामाजिक गुरुदाता योजनाओं का तपार करने, क्रियान्वयन करने और प्रशासन प्राप्ति के सम्बन्ध में सदस्य देशों को तरनीकी सवाह दी है। उदाहरणार्थ भारत में पर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के ग्रन्तार्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना संयार करने हेतु तकनीकी सवाह दी है।

इग्लैण्ड में सामाजिक सुरक्षा

(Social Security in U.K.)

सामाजिक गुरुदाता और बीमा वार्यक्रम वर्तमान समय में श्रिटेन वे सामाजिक जीवन के गहत्वपूर्ण मार हो गए हैं। श्रिटेन वे सामाजिक गुरुदाता का सम्बन्ध ऐनिहासिक ग्रामनुसार तीन भागों में विभक्त कर किया जा सकता है—

1. प्राचीन ध्यवस्था—निर्धन सहायता बानून,

2. वेवरिज योजना वे पूर्व मामाजिक गुरुदाता की ध्यवस्था, एवं

3 वेवरिज योजना और सामाजिक गुरुदाता की मन्त्र यतमान ध्यवस्थाएँ।

प्राचीन ध्यवस्था

सामाजिक गुरुदाता की भावना श्रिटेन में ग्रन्ति प्राचीन समय से ही विद्यमान थी। पहले यूदो, निर्धनों तथा विधवाओं को विरनाधरो द्वारा सहायता दी जानी थी। कुछ अक्ति निजी रूप से भी सहायता देते थे। किन्तु विरजपरो की ध्यवस्था प्रचल्यी में होते से इस सम्बन्ध में सरकारी हस्तसेप प्रावस्था हो गया। सन् 1536 में एक प्रधिनियम पारित किया गया त्रिसमें पपाहिजो निधनों और प्रात्तियों को दो प्रकार के मदों में (बाम न बरो वानो बो) बोट किया गया। पपाहिज निधनों को लाइसेन्स दिए जाते थे और वे भित्ता मौज सहते थे, किन्तु आत्तियों को लाइसेन्स नहीं भित्ता या और के भित्ता मौजने पर दण्डित किए जाने थे। इसी बरे एक मन्त्र प्रधिनियम पास करने निधनों को सीन घेणियों में बोट किया गया—यह और पपाहिज त्रिसमें तिए चाला एकत्रित करने की ध्यवस्था थी गई,

योग्य व्यक्ति जो काय ब्राह्मण हो, एवं ग्रामसी व्यक्ति जिनके लिए दण्ड की व्यवस्था भी गई। इस अधिनियम की व्यवस्थाएँ अधिक दिग्दा तक न चल सकी। 1547 म लग्दन में निर्धनों की सहायतार्थ कोष के लिए बर लगाए जाने की एक नई योजना चालू की गई। 1593 म एक नया निर्धन अधिनियम बनाया गया। 1601 में एक महत्वपूर्ण दरिद्रता अधिनियम बना जिसके द्वारा पहले के सभी अधिनियमों का संगठित बर एक रूप दिया गया। 1782 के एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम 'प्रतिवर्त अधिनियम' के अन्तर्गत न्यायालीगों ने अधिकार दिया गया कि मजदूरों की मजदूरी बहुत ही कम है, उन्हें वे नियन महायता बोर्ड से मनायता दें। यह व्यवस्था अच्छी थी, किन पूँजी अधिकों न इसका दुरव्योग किया और अमिकों को सहायता दिलाने के उद्देश्य में मजदूरी घटाना प्रारम्भ बर किया। 1832 में नियुक्त निर्धन कानून आयोग (Poor Law Commission) के प्रतिवेदन के आधार पर 1834 में एक निर्धनता कानून संशोधन अधिनियम (Poor Law Amendment Act) बनाया गया जिसके अन्तर्गत निर्धनों को दी जाने वाली सहायता की मात्रा कमिशनर द्वारा निर्धारित की जाने की व्यवस्था की गई। 1905 में सरकार ने निर्धनता की समस्या और इसके विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए शाही आयोग बैठाया जिसने प्रनेश महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए, यथा सुधार-गृहों को समाप्त करना, विभिन्न प्रकार की सहायताओं में सामजिक स्थापित करना, आयु व चरित्र तथा साधनों के आधार पर सत्याग्रहों का बनाना, लेवर एवं मर्जेज व्यवस्था करना, केन्द्र द्वारा निर्धन सहायता कार्य पर नियन्त्रण रखना आदि। आयोग के सभावों को धीरे-धीरे कार्यान्वयित किया गया। परिणाम-स्वरूप निर्धन सहायता की व्यवस्था समाप्त हो गई। सन् 1909 में वृद्धावस्था योजन अधिनियम और सन् 1911 में बीमा अधिनियम पास्त हुए जिनसे निर्धनों को पर्याप्त लाभ मिला।

सन् 1919 में बेरोजगारी बीमा योजना (Unemployment Insurance Scheme) प्रारम्भ की गई। यह योजना अधिकों, मालिकों और राज्य के अशादानों पर आधारित है। इसके अन्तर्गत एवं वयस्क को वर्ष में 15 हपते 7 शिलिंग का साप्ताहिक लाभ प्राप्त हो सकता था, जबकि 18 वर्ष से कम उम्र के अधिकों को इसका केवल आधा ही लाभ दिया जाता था।

सन् 1920 में अन्तिर्यामी राज्य योजना ज्ञो समी जारीरिक और चैर-शारीरिक धर्म करने वाले मजदूरों जिनको प्रतिवर्ष 250 औण्ड से अधिक आय प्राप्त नहीं होती है, पर लागू कर दी गई। अशादान की दरों में वृद्धि कर दी गई। इसके अन्तर्गत मिलने वाले लाभों में वृद्धि फरके पुरुष अधिक के लिए 15 शिलिंग प्रति सप्ताह और 12 शिलिंग महिना अधिक के लिए कर दिए गए तथा 18 वर्ष से कम आयु वाले अधिक को इनसे आधा लाभ मिलेगा। सन् 1931 में राष्ट्रीय ग्रंथ-व्यवस्था अधिनियम (National Economy Act, 1931) पास किया गया जिसके अन्तर्गत बेरोजगारी बीमा अशादानों में वृद्धि तथा इनसे प्राप्त लाभों में

मृत्यु हो जाने की स्थिति में अभियोग को तीन साल की मजदूरी के वरावर क्षतिपूर्ति दी जाने की व्यवस्था दी गई। प्रधिनियम बा दुल्हनोन किया जाए इसके लिए यह शर्त भी रख दी गई कि क्षति जान वृक्खकर अथवा अभियोग की असावधानी के कारण न हुई हो। सन् 1923 में अभियोग क्षतिपूर्ति अधिनियम में एक सशोधन करके पन्द्रह वर्ष से उम मायु के आधियोग को अतिरिक्त सहायता दी जाने की व्यवस्था की गई। साप्ताहित वृत्ति की दरें भी बढ़ाई गईं। दारों के बावजूद अभियोग क्षतिपूर्ति सम्बन्धी यह योजना सन् 1946 तक चली रही जब तक कि इसका स्थान 'नेशनल इंश्योरेन्स इंडिस्ट्रियल इंजरीज स्कीम' (National Insurance Injuries Scheme) ने नहीं से लिया।

(क) स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance)—राष्ट्रीय स्वास्थ्य (National Health Insurance) सन् 1911 में चालू किया गया। इस योजना के अन्तर्गत 16 वर्ष से ऊपर और 65 वर्ष से उम मायु वाले अभियोगियों का याय 250 पौण्ड से अधिक नहीं है समिलित किए गए हैं। इस योजना के अन्तर्गत नकदी और चिकित्सा दो रूपों में लाभ प्राप्त होते हैं। इसके अन्तर्गत व्यक्ति को 15 शिलिंग, अविवाहित महिला को 12 शिलिंग विवाहित महिला को 10 शिलिंग, 26 सप्ताहों के लिए बीमारी लाभ (Sickness Benefits) प्रदान करने का प्रावधान है। चन्दे और लाभ की दरों में सामयिक परिवर्तन दिए जाते रहे हैं। प्रसमर्थता लाभ (Disablement Benefits) भी ऋण 7 शिलिंग, 6 शिलिंग और 5 शिलिंग प्रदान किया जाता है। मातृत्व लाभ में 40 शिलिंग मिलते हैं।

(ग) दृढ़ावस्था पेंशन (Old Age Pensions)—यह पेंशन दृढ़ावस्था पेंशन अधिनियम, 1908 (Old Age Pensions Act, 1908) के अन्तर्गत चालू की गई। इस योजना हेतु वित्तीय व्यवस्था सामान्य करों से की जाती है। सन् 1925 और सन् 1929 के अधिनियमों द्वारा सभी व्यक्ति जो स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत प्राप्त थे उनको दृढ़ावस्था पेंशन योजना में भी शामिल कर दिया गया। सन् 1938 में अभियोग, महिलाओं और मातियों को अवृद्धान ऋण 5½ पैस, 3 पैस और 5½ पैस थे। 65 और 70 वर्ष की मायु के बीच वाले पुरुष अभियोग और महिला अभियोगों को जिनका बीमा कराया हुआ है, 10 शिलिंग प्रति सप्ताह दिया जाता था। इसके साथ अभियोगी वी महिलाओं को भी 10 शिलिंग प्रति सप्ताह दिया जाना था। सन् 1923 में विधवा मातापों और निर्धनों को भी य शिलान के माध्यार पर पेंशन योजना का लाभ दिया जाने लगा।

सामाजिक बीमा योजनाओं के अतिरिक्त पेंशन योजना, वचन योजना, वेरोजगारी लाभ योजना आदि मालिकों द्वारा चालू की गई थी। वैदरिज योजना के पूर्व प्रचलित सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सभी योजनाएँ दोपूर्ण थीं। इन योजनाओं में कितने ही अभियोगों को समिलित नहीं किया गया था तथा लाभ व व्यक्ति के आधार पर भी समृद्धता का प्रभाव था।

बेवरिज योजना और अन्य ध्यावस्थाएँ (The Beveridge Plan & Other Facilities)

सन् 1941 में हार रिलियम बेवरिज को सामाजिक बीमा और अन्य सेवाओं का प्रध्यायन करने तथा इनके विषय में सुझाव देने हेतु नियुक्त किया गया। सन् 1942 में इहाँसे एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे बेवरिज योजना (Beveridge Plan) बता जाता है। यह एक व्यापक योजना है जिसके मान्यतांपूर्वक बीमा अवश्यकता की समस्या और अहिन्दादो को समूचित आय प्रदान की जाती है और विवाह, प्रसूति और मृत्यु के समय भी सहायता दी जाती है।

बेवरिज ने सामाजिक न्युरक्षा की आवश्यकता के कारणों के पाठ तत्व बताए हैं और सभी आवश्यकताओं को विभिन्न बीमा लाभों से प्राप्त किया जाना सम्भव बताया है। यह निम्नांकित है—

1. बेरोजगारी—किसी समर्य ध्यक्ति को रोजगार न मिलने पर उसे रोजगार लाभ प्रदान किए जाते हैं।

2. असमर्यता (Disability)—बीमारी अथवा दुष्टीता वे कारण कार्य करने में असमर्य होने पर श्रमिकों को असमर्यता लाभ और धोयोगिक पेंशन के रूप में लाभ प्राप्त होता है।

3. जीवन धारण की हानि (Loss of Livelihood) होने पर श्रमिकों को प्रशिक्षण लाभ (Training Benefit) प्रदान किया जाता है।

4. सेवामुक्ति (Retirement)—उम्र के कारण सेवा-मुक्ति होने पर श्रमिकों की सेवा मुक्ति पेंशन प्रदान की जाती है।

5. महिला की विवाह सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विवाह अनुदान, प्रसूति अनुदान और मन्य आवश्यक सामग्री प्रदान किए जाते हैं।

6. दाह सरकार ध्यय (Funeral Expenses) हेतु दाह सरकार अनुदान प्रदान किया जाता है।

7. बालपावस्था (Childhood) हेतु बच्चों का भला 16 साल की आयु तक विकास प्रदान करने हेतु दिया जाता है।

8. शारीरिक बीमारी (Physical Disease) हेतु मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं द्वारा इनाम किया जाता है। यह ध्यावक स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा के बाद दुनियांद्वारा प्रदान किया जाता है।

योजना क्षेत्र (Scope of the Plan)—यह योजना देश के प्रत्येक ध्यक्ति पर लागू होती है। इस योजना के लागू रखने के लिए देश की जनसंख्या को 6 वर्षों में विभाजित किया गया है—

1. विना इसी आय-सीमा के सभी वर्मनात्मियों को जिनको वेतन तथा मन्त्रालयी दिती है और वे किसी प्रसविदा के मान्यतांपूर्वक कामे करते हैं,

- 2 मालिक और घन्य व्यक्ति जो लाभपूर्ण व्यवसायों में लगे हुए हैं,
- 3 कार्यशील आयु की शृंहपत्नियों,
- 4 कार्यशील आयु के घन्य व्यक्ति जो कि नाभपूर्ण व्यवसायों ने नहीं लगे हुए हैं,
- 5 कार्यशील आयु से नीचे के व्यक्ति पर्याप्त स्कूल छोड़ने की आयु से इम आयु बासे, पर्याप्त 16 वर्ष से कम आयु बासे बच्चे, एवं
- 6 कार्यशील आयु से अधिक आयु बासे रिटायर्ड व्यक्ति।

इस प्रकार इन्हें दी जामाजिक सुरक्षा योजना, सामाजिक बीमा और सहायता की विद्यमान सभी योजनाओं से व्यापक है तथा यह प्रत्येक व्यक्ति, महिला और बच्चे को किसी न किसी बिन्दु पर इसमें सम्मिलित करती है। उपरोक्त वर्द सम्पूर्ण जनसंरक्षण को शामिल करते हैं। मालिक और धनी व्यक्ति साम प्राप्त नहीं करते हैं सेकिन उन्हें अशदान देना आवश्यक है। बच्चे, रिटायर्ड व्यक्ति और शृंहपत्नियों को किसी प्रकार का अशदान नहीं देना पड़ता है।

योजना के अन्तर्गत अशदान (Contribution under the Plan)—नहीं तब योजना में अशदान देन का प्रश्न है, इसके अन्तर्गत व्यक्ति और महिलामा के लिए ऋण 4 शिलिंग 3 पैस और 3 शिलिंग 6 पैस रखे जाने का प्रावधान था। अशदान में आयु अनुसार अन्तर पाए जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत व्यक्ति और महिला के लिए मालिक द्वारा दिया जाने वाला अशदान ऋण 3 शिलिंग 3 पैस और 2 शिलिंग 6 पैस है।

योजना के अन्तर्गत साम (Benefits under the Plan)—इस योजना के अन्तर्गत जन्म से मृत्यु तक साम प्राप्त होते हैं तथा मृत्यु के पश्चात आधिकारों को साम मिलता है। इस योजना के अन्तर्गत निम्न साम प्रदान किए जाते हैं—

1. शृंहपत्नियों को साम (Benefits for Housewives)—शृंहपत्नी को किसी प्रदार का अशदान नहीं देना पड़ता है फिर भी उसका 5 प्रदार के साम मिलते हैं—

(a) विवाह हेतु अनुदान 10 पौंड तक।

(b) 25 पौंड का प्रसूति अनुदान—प्रत्येक जन्मे बच्चे के लिए (Maternity Grant for each child born) यदि रोक्षगार में लगी है तो।

(c) विधवादान साम (Widow's Pension)—प्रदम 26 सप्ताह तक 16 20 पौंड + प्रत्येक बच्चे के लिए 5 65 पौंड (पारिवारिक भत्ते सहित)।

(d) यदि विना गननी के तत्त्वाक दिया जाता है तो उसे विषदा साम दिया जाएगा।

(e) पत्नी को अवधारा घन्य प्राप्ति की 9 80 पौंड + 6 10 पौंड के घन्य भत्तों की दर से (साप्ताहिक) बीमारी साम (Sickness Benefit) दिया जाता है। बीमारी साम की यह साप्ताहिक दर प्रत्येक बच्चे के लिए (पारिवारिक भत्तों सहित)

3-10 पौंड है। उल्लेखनीय है कि यदि पति कमा रहा है तो पत्नी को उपरोक्त बीमारी लाभ 6.90 पौंड प्रति सप्ताह ही मिलेगा, परं यदि पति सेवा निवृत्त हो तो वह स्थी 4.80 पौंड प्रति सप्ताह पाने की दृष्टिधार होती है। 28 सप्ताह बाद बीमारी लाभ के स्थान पर, जहाँ आवधक हो, असमर्थता साम (Invalidity Benefit) लागू कर दिया जाता है जो उस समय तक लागू रहता है जब तक कि व्यक्ति की असमर्थता बनी रहती है अथवा जब तक कि बीमार व्यक्ति येशन की प्राप्ति प्राप्त नहीं कर सकता।¹

2. बच्चों का भत्ता (Children's Allowance)—इसी भी परिवार पर दिया गाया वित्तीय व्यक्ति की धार्यता पद को ध्यान में रखे हुए पहले बच्चे को छोड़कर शेष सभी बच्चों को 8 शिरिंग भत्ता मिलेगा। बातों वित्तीय व्यक्ति के बच्चे न होने पर प्रथम बच्चे का भत्ता भी भत्ता दिया जाता है।

3. वेरोजगारी और बीमारी साम (Unemployment & Sickness Benefits)—इसरे घन्तांत ध्वनेव व्यक्ति का 24 शिरिंग और विद्याहित व्यक्ति को 40 शिरिंग प्रति हप्ते की दर से लाभ मिलने की व्यवस्था की गई है। एवं ऐराजगार व्यक्ति भिसक दो वर्षों और पत्नी है तो उसे 50 शिरिंग प्रति हप्ते की दर से लाभ मिलेगा। यदि कोई 6 मास तक वेरोजगार रहता है तो उसे वित्तीय प्रशिक्षण केन्द्र से प्रवेश लेना होगा। वहाँ उस वेरोजगारी भत्तों के बराबर प्रशिक्षण गता मिलेगा।

इस योजना के घन्तांत 13 हप्ते की असमर्थता वाले व्यक्ति को बीमार मात्र दिया जाता है तो बीमार लाभ दिया जाता है। इसरे पश्चात् साप्ताहित मुग्धनात उत्तरी धार्यता के दो तिहाई के बराबर पर दिया जाता है जो कि प्रमाण दर से कम नहीं होगा।

इस योजना में व्यक्ति दानिवृति का प्राप्तिकाल भी है। यदि दुर्घटना घातक है तो उसके पारितों को एक मुश्ति में 300 पौंड का मनुदान दिया जाएगा।

4. दाह सहकार मनुदान (Funeral Grant)—विभिन्न व्यक्तियों को मायु के घनुसार मृत्यु होने पर दाह सहकार हेतु मनुदान दिए जाने की व्यवस्था है। व्यष्टि मृत्यु पर 20 पौंड, 10 से 21 वर्ष की मायु वाले की मृत्यु पर 15 पौंड, 3 से 10 वर्ष की मायु वालों की मृत्यु पर 10 पौंड और 3 वर्ष से कम मायु वाले की मृत्यु पर 6 पौंड दाह सहकार के रूप में मनदान देने का प्रावधान रखता रहा।

5. उम्रावस्था येशन (Old Age Pensions)—इस योजना के घन्तांत व्यक्ति को 65 वर्ष तक मिलता है 60 वर्ष की उम्र प्राप्त कर सके पर उम्रावस्था येशन प्रश्ना करते ही उम्रावस्था की रही। यह येशन येक्षेत्र व्यक्ति के 23 शिरिंग और विद्याहित जोहे की 40 शिरिंग दिए जाने का प्रावधान किया गया।

योजना का प्रशासन और लागत (Administration and Cost of the Plan) — सर वेवरिज का मत था कि इस योजना के प्रशासन के लिए एकीकृत प्रशासन का दायित्व होना चाहिए और इसके लिए सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय एक सामाजिक बीमा कोष के साथ स्थापित करना चाहिए। प्रारम्भ में यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई लेकिन बाद में राष्ट्रीय बीमा मन्त्रालय (Ministry of National Insurance) का सृजन किया गया।

इस योजना की लागत 1945 और 1965 में त्रिमश 697 पौण्ड प्रीर 858 पौण्ड आंकी गई। यह लागत और भी अधिक बढ़ी है क्योंकि कीमतों में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

योजना का क्रियान्वयन (Implementation of Plan) — सरकार द्वारा वेवरिज योजना को देश में सामाजिक सुरक्षा का ढाँचा तैयार करने हेतु सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया गया। युद्धोत्तर काल के पश्चात् विस्तृत सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करने के लिए कई अधिनियम पास किए गए जो कि जुलाई, 1948 से लागू हुए। वर्तमान समय में परिवार भत्ता, राष्ट्रीय बीमा, औद्योगिक दुर्घटना बीमा, राष्ट्रीय सहायता प्रीर राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा आदि रूपों में इसेंड में न्यूनतम जीवन-स्तर बनाए रखने के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणाली प्रचलित है।

इसेंड में सामाजिक सुरक्षा की वर्तमान स्थिति

(1) परिवार भत्ता अधिनियम, 1945 (Family Allowance Act of 1945) के ग्रन्तग्रंथ सबसे पहली योजना प्रथम बच्चे को छोड़कर अन्य बच्चों को भत्ता देने के लिए चलाई गई। इन भत्तों की दर में समय-समय पर परिवर्तन किया गया है।

(2) राष्ट्रीय बीमा अधिनियम, 1946 (National Insurance Act, 1946) के ग्रन्तग्रंथ वे सभी बच्चे आ जाते हैं जो कि स्कूल बो छोड़ने की उम्र से अधिक के हैं। बद्द व्यक्तियों, बच्चों, विवाहित महिलाओं और कम प्राय बाले व्यक्तियों को छोड़कर सभी को इसमें निश्चित अनुदान प्रति सप्ताह देना पड़ता है। अनुदान देने वालों को तीन वर्गों—नियोजित व्यक्ति, स्वयं नियोजित व्यक्ति और अनियोजित व्यक्ति—में बांटा गया है। अधिनियम वे ग्रन्तग्रंथ बीमारी, बेरोजगारी, प्रसूति, विधवा, सरक्षक भत्ता, रिटायर्ड पैशन और मृत्यु अनुदान आदि विभिन्न प्रकार के लाभ मिलते हैं। प्रथम वर्ग बाले व्यक्तियों को सभी लाभ प्राप्त होते हैं। दूसरे वर्ग आने व्यक्तियों को बेरोजगारी और औद्योगिक दुर्घटनाओं हेतु लाभों को छोड़कर शेष सभी लाभ प्राप्त होते हैं। तीसरे वर्ग में आने वाले व्यक्तियों को बीमारी, बेरोजगारी, औद्योगिक दुर्घटनाओं और प्रसूति लाभों को छोड़कर सभी लाभ मिलते हैं।

(3) राष्ट्रीय बीमा (औद्योगिक दुर्घटनाएं) अधिनियम, 1946 के प्रधीन

प्राप्त करते समय हुई दुर्घटनाओं और धोयोगिक बीमारियों प्रादि के लिए बीमा पौजना दलाई मई है। धोयोगिक चोट अधिनियम के प्रत्यंगत धोयोगिक बीमारी घटना दुर्घटनाओं और धोयोगिक चोट अधिनियम के प्रत्यंगत धोयोगिक बीमारी घटना दुर्घटना पर सोन प्रदान के लाभ प्रदान किए जाते हैं—

(i) दुर्घटना घटना बीमारी के कारण प्रस्तावि हप से प्रति सप्ताह छोट भता (Injury Allowance) दिया जाता है। यह चोट घटना बीमारी के कारण प्राप्त करने में प्रमाण होने पर दिया जाता है। यह लाभ 26 सप्ताह हप की प्रवधि हतु दिया जाता है। प्रति सप्ताह भता दर £ 12.55+ dependants' allowance है।¹

(ii) चोट घटना बीमारी के परिणास्वरूप धमिर को घस्तमयता साम (Disablerent Benefit) दिया जाता है। यह चोट लाभ धर्षित (Injury Benefit Period) समाप्ति के पश्चात् दिया जाता है। यह धर्षित से धर्षित £ 19+dependants' allowances हो सकता है।²

(iii) मृत्यु लाभ (Death Benefit) जब विसी दुर्घटना घटना बीमारी के कारण धमिर की मृत्यु हो जाती है तब उसके माध्यिता बी दिया जाता है। धर्षित के लिए यह सामान्यतः 30 पौण्ड और बच्चों के लिए बुद्ध कम है।

(4) राष्ट्रीय सहायता अधिनियम, 1948 (National Assistance Act of 1948) के घस्तमयते जहारमान धक्किया को गहायता दी जाती है। जिन धक्कियों को भूतवाल में राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा गहायता दी जाती थी वे धमिर भी इस अधिनियम से शामिल हिए गए हैं। जो लोग सामाजिक सुरक्षा तोकामो के घस्तमयते नहीं प्राप्त हैं तथा धर्षने आप को बनाए रखने में घस्तमय हैं उन सभी को विसीय गहायता दी जाती है। बुद्ध दशायों में बहुलाल-पाठी संबंध मूल की गई है जिनके प्रत्यंगत बेपरवार और धर्षन लोगों को फरणार्थी बढ़ों में प्रवेश दिया जाता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य तोका के घस्तमयते सभी विटिंग नामियों बी चिकित्सा धुकियों दी जाती है, जहां वे धर्षादान देते हैं धर्षया नहीं। सभी सामाजिक सरकार पर पड़ती है।

परिवार भत्ता, राष्ट्रीय बीमा और धोयोगिक चोट योजना के प्रशासन दे निए वेतन और राष्ट्रीय बीमा मन्त्रालय (Ministry of Pensions & National Insurance) बी स्थापना कर दी गई है। इसका मुख्यालय लंदन में रखा गया है। प्रादिक और स्थानीय कार्यालय भी स्थापित हिए गए हैं। राष्ट्रीय सहायता और राष्ट्रीय स्वास्थ्य तोका का प्रशासन वरपक्ष: राष्ट्रीय सहायता मण्डल (National Assistance Board) और स्वास्थ्य मण्डली द्वारा दिया जाता है।

(5) बाल अधिनियम, 1948 (Children Act of 1948) के अन्तर्गत स्थानीय सरकारों द्वा यह दायित्व है कि कोई भी 17 वर्ष से कम आयु वाला बच्चा जिसके माता-पिता उसी देखभाल नहीं कर सकते हैं, को अपनी देखभाल में ले ले। इसके अतिरिक्त कुछ ऐच्छिक सगठनों द्वारा भी कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं। उदाहरणार्थ सामाजिक सेवाओं की राष्ट्रीय परिपद, परिवार कल्याण संघ, प्रसूति एवं बच्चा कल्याण द्वीपराष्ट्रीय परिपद। इटिंग रेड्रॉफ्स सोसाइटी ने भी महत्वपूर्ण कल्याणकारी सेवाएँ प्रदान की हैं।

इस प्रकार इंग्लैण्ड में सामाजिक सुरक्षा की एक व्यापक योजना बहुनाम समय में है। जन्म से मृत्यु और मृत्यु के पश्चात् उसके आधिकारों को भी सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभ प्रदान किए जाते हैं।

कर्तिपय नए सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी लाभ

जैसा कि डॉ टी एन भगोलीबाल ने लिखा है कि—“गू. के ने 1975 में कुछ नए सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी लाभ लाये दिए हैं जिनमें बर्गर चन्दा दिए अयोग्यता पेशन (Non-Contributory Invalidity Pension), अयोग्य देखभाल भत्ता (Invalid Care Allowance) तथा नया गतिशीलता भत्ता (New Mobility Allowance) शामिल हैं। बर्गर चन्दे वाली अयोग्यता पेशन लम्बी बीमारी या असमर्थता वाले पुरुषों और अकेली (Single) महिलाओं को, जो लम्बे समय (कम से कम 28 लगातार हफ्तों) तक काम नहीं कर सकते और जिन्हें चन्दे वाला (Contributory) लाभ नहीं मिल सकता, 7-90 लाख प्रति हफ्ता की दर से देने की व्यवस्था है। अयोग्य देखभाल भत्ता उन्हें देय होता है जो बहुत ज्यादा अयोग्य (Severely Disabled) सम्बन्धियों को देखभाल करते हैं। बहुत ज्यादा अयोग्य (Disabled) प्रोड व्यक्तियों तथा 5 वर्ष से उनसे ज्यादा उम्र के बच्चों को, जो चलने लायक नहीं हैं और जिन्हें कम से कम 12 महीने तक यह रुकावट रह सकती है, नए शक्तिशीलता भत्ते वा अधिकार प्रिलिपा है। इससे करीब 10 लाख ज्यादा अयोग्य (Severely Disabled) लोगों एवं बच्चों को लाभ मिलेगा।”

“सामाजिक सुरक्षा एकट, 1973 के अन्तर्गत चन्दों द्वा अप्रेल, 1975 से सेवायोजकों और कर्मचारियों के लिए पूरी तरह आमदनी से सम्बन्धित, स्वयं के रोजगार वाली (Self-employed) के लिए आंदिश रूप से आमदनी से सम्बन्धित तथा बेवार व्यक्तियों के लिए ऐच्छिक कर दिया है।”


अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा (Social Security in U S A)

“कोई भी व्यक्ति जो इसान बनना चाहता था उसे 160 एकड़ भूमि अमेरिकी सरकार द्वारा प्रदान की जाती थी। यह सामाजिक सुरक्षा वा प्रारम्भिक

स्वरूप या ।¹ अमेरिका एवं घनी देश है जहाँ पर रोजगार का बंचा स्तर बताए रखने में सकृदाता विभी है। किंतु भी व्यक्ति स्वयं ग्रोथोमीकरण से उत्पन्न जोखिमों से अपने आप रक्षा नहीं कर सकता है, इमनिए अमेरिकी सरकार ने भी इन जोखिमों से रक्षा करने हेतु सामाजिक गुरुदाता मेंबारे मुद्रा दी है।

अमेरिका में सामाजिक गुरुदाता का थ्रीएसीजे सामाजिक गुरुदाता प्रधिनियम, 1935 (Social Security Act, 1935) के पांग होने के बाद हुआ। इस प्रधिनियम में समय-तात्पर्य पर ध्योन दिए गए हैं। चर्तमान समय में सामाजिक गुरुदाता का ढीचा इस प्रकार है—

चर्तमान सामाजिक गुरुदाता की योजना



वृद्धावस्था सम्पर्कीय सहायता की सहायता सहायता सहायता की सहायता

सामाजिक गुरुदाता प्रधिनियम 1935 एक समीक्षा प्रधिनियम है। यह प्रधिनियम वृद्धावस्था एवं उत्तरजीवी बीमा योजना को ही चर्चाता है और योजनाओं द्वारा सरकारी द्वारा समीक्षा सरकार द्वे द्वयों की सहायता से चर्चाई जाती है। सामाजिक गुरुदाता के अन्तर्गत तिन्हीं योजनाएँ खलाई गई हैं—

1. वृद्धावस्था, उत्तरजीवी और प्राप्तमर्थता बीमा

(Old Age, Survivors & Disability Insurance)

इसका प्रागागत सामाजिक गुरुदाता प्रधिनियम, 1935 में समीक्षा सरकार द्वे प्रधीन है। वृद्धावस्था के लिए पद्धति हेतु गर्तिर और बंदेचारी मुद्रणान बढ़ते हैं। इस प्रधिनियम में 1939 में गशोपन दरके टिटापरमेट से दृढ़ते या बाद मृत्यु को प्राप्त होन वाल व्यक्ति की पानी और बच्चों को भी केंद्र देने का प्रतिवान रखा गया। 1956 में प्रमर्यादा के साम्र द्वे भी इस प्रधिनियम में गादित दर लिया गया।

1. *Sexton, R. C. Labour Problems & Social Welfare*, p. 453

2. *Sexton, R. C. Labour Problems & Social Security*, p. 706

बृद्धावस्था और उत्तरजीवी बीमा का वित्त प्रबन्ध मालिकों और अधिकों की दर देय व्यक्तिकों का आय (4200 डॉलर तक) का 2-2 प्रतिशत तथा स्वयं नियोजित व्यक्तियों की आय का 3% द्वारा किया जाता है। यह दर उस समय तक बढ़ाई जाती रहेगी जब तक मालिकों व अधिकों के लिए 4% और स्वयं नियोजित व्यक्तियों के लिए 6% न हो जाए।

व्यक्तियों को 65 वर्ष पर और महिलाओं को 62 वर्ष पर रिटायरमेंट पेन्शन दी जाती है। 1957 में अकेले व्यक्ति के लिए अधिकतम पेन्शन 108·50 डॉलर प्रतिमाह थी और विवाहित के लिए यह 162·80 डॉलर थी। एक विधवा, को 81·50 डॉलर, एक विधा और एक बच्चे को 162·80 डॉलर एक विधवा और दो बच्चों को 200 डॉलर दिया जाता है। यदि आधिकों को अतिरिक्त नहीं दिया जाता है तो असमर्थन पेन्शन बृद्धावस्था पेन्शन ही होगी। इस अधिनियम में असमर्थ व्यक्तियों का शीघ्र पुनर्वास कराने का भी प्रावधान रखा गया है।

2 वेरोजगारी बीमा

(Unemployment Insurance)

तीसा की महान् मन्दी में वैद लाख अमेरिकी वेरोजगार हो गए। वे रोजगार पाने में असमर्थ रहे। इस प्रावश्यकता को ध्यान में रखते हुए वेरोजगारी बीमा योजना चालू की गई। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 1935 में ही इसका प्रावधान रखा गया है जिसका वित्त प्रबन्ध मालिकों व अशादान से होगा। सामाज्य प्रमाणी (General Standards) का निर्धारण सधीय सरकार करती है और विस्तार से प्रावधान राज्यों द्वारा तैयार किए जाते हैं। किसी भी उद्योग का मालिक यदि वर्ष में कम स कम 20 हफ्ते चार या चार से अधिक अधिकों को काम में लगाता है तो उसे वेरोजगारी बीमा कोष (Unemployed Insurance Fund) अशादान देना पड़ता है। अमेरिका का नियोजित व्यक्तियों का दो-तिहाई भाग इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त है। वेरोजगार व्यक्तियों को दिया जाने वाला मुगलान व ग्रविटी विभिन्न प्रान्तों में ग्रलग-ग्रलग है। सामाज्यतया यह राजि अधिक वी मजदूरी का आधार होती है। कुछ राज्यों में ग्राथितों की सरका के आधार पर इसमें वृद्धि कर दी जानी है। इस योजना से न केवल वेरोजगार व्यक्ति व उसके आधिकों को ही सुरक्षा मिलती है बल्कि उसको यह ग्रवसर प्रदान करती है जिसकी योग्यता व ग्रनुमव वाली नीकरी की तलाश कर सके। इसके साथ ही मन्दी से ग्राह्यवद्यता की रक्षा भी करती है।

3 सार्वजनिक सहायता

(Public Assistance)

1935 के सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार सहायता का प्रावधान रखा गया है। यह सहायता तीन वर्गों को प्रदान की जाती है—

(i) जहरतमन्द यूद्ध व्यक्तियों को जिनकी यीमा योजना के प्रभावर्गत सहायता या साम नहीं मिलते हैं उनकी सामर्यतानि सहायता देकर उनकी मदद की जा सकती है।

(ii) वे वच्चे जिनकी मात्रा-वित्तीया की मृत्यु, प्रसमर्वता या मनुआस्थिति के कारण स्थाया दिया गया है उन्हें भी इस प्रकार भी सहायता देने का प्रावधान है।

(iii) जहरतमन्द यान्वे व्यक्ति भी इसके प्रभावर्गत सामिल रिए गए हैं।

1950 में इस योजना को स्थायी या पूर्ण रूप से प्रसमर्वता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की भी सामिल बन रिया गया है।

इस प्रकार की सहायता जहरतमन्द व्यक्तियों को राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है। इसको वित्तीय सहायता गांधीय गदार द्वारा दी जाती है।

4 श्रमिक दातिपूति

(Workmen's Compensation)

सामाजिक गुरुदा प्रधिनियम, 1936 के प्रतिरिक्त राज्य य सर्वीय सरकार द्वारा बमंचारियों को दातिपूति दरते का भी प्रावधान है। लावते वहने सर्वीय बमंचारी दातिपूति प्रधिनियम, 1908 (Federal Employee's Compensation Act of 1908) पास किया गया था। धीरे-धीरे अन्य राज्यों में भी इस सरह के व्यधिनियम पास बन दिए गए हैं। 1948 से सभी राज्यों में इस प्रकार के व्यधिनियम से गुरुदा प्रदान की जाती है। मृत्यु होने पर दाह सरकार अन्य सभा व्यक्तियों की सहायता साम दिए जाते हैं। इस प्रधिनियम के प्रभावर्गत चोट की सामन को उत्पादन की लागत माना जाता है। विभिन्न राज्यों में स्थाई, अस्थाई प्रसमर्वता तथा मृत्यु पर दिया जाने वाले मुपावजे की राशि अलग प्राप्त है। अस्थाई प्रसमर्वता के लिए बमंचारी की घोषित मजदूरी का 2/3 भाग दिया जाता है। मुख्यान प्रधिय भी विभिन्न राज्यों में 104 से 700 सप्ताह तक है। कुछ राज्यों में समाविधि और मुक्तान की तीसाएं दिशित हैं जो प्रमध 260 से 800 सप्ताह और 6500 डॉलर से 20,000 डॉलर तक हैं।

ध्यावसादिर यीमारियों से होने वाली घसमर्वता को भी चोट की माँग साम प्रदान किया जाने चाहिए। इसके विषय में भी विभिन्न राज्यों में विभिन्न वर्ताए गए हैं।

5 यीमारी अथवा अस्थाई प्रसमर्वता

(Sickness or Temporary Disability)

बलवाल में यीमार छोड़ने पर यीमारी साम नहीं के लिए प्रदान किया जाते हैं। यीमारी सीत यीमारी की प्रारम्भिक घटस्था में भी यह साम दिया जाता है। इस प्रकार या साम सर्वीय और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान-प्रदान की जाती है। इसके लिए यीमारी की प्रदान दिया जाता है। यह साम 20 सप्ताह तक के लिए विभिन्न यीमारी की धारा हिस्सा दिया जाता है।

पूर्णतया अथवा स्थाई रूप से असमर्थता होने पर स्वयं व उसके आधिकारियों को मालिक लाभ प्रदान किए जाते हैं। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत असमर्थ व्यक्तियों को व्यावसायिक पुनर्वास सेवा के सघीय राज्यीय कार्यक्रम (Federal State Programmes of Vocational Rehabilitation Service) के पुनर्वास को प्रोत्साहन दिया जाता है। सघीय सरकार द्वारा युद्ध में हुए अपन्ने व असमर्थ व्यक्तियों को भी शतिष्ठि दी जाती है।

6 बच्चों के लिए कार्यक्रम

(Programmes for Children)

सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत बच्चों को बीमा लाभ अयवा सहायता प्रदान करने का भी प्रावधान रखा गया है। सघीय सरकार राज्य सरकारों को प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य नेवाओं, अपग बच्चों की सेवा और अन्य शिशु-कल्याण सेवाओं के चलाने के लिए कानून बनाती है तथा इन सभी सेवाओं के लिए राज्य सरकारों को अनुदान भी दिया जाता है।

उपरोक्त सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के प्रतिरिक्त ऐच्छिक आधार पर चलाई जाने वाली विभिन्न स्वास्थ्य अयवा बीमारी बीमा सेवाएँ अमेरिकी श्रमिकों के लिए चलाई जाती हैं। निम्न सत्याएँ भी सामाजिक सुरक्षा सेवाएँ, उदाहरणार्थ बीमारी और जरूरतमन्द, पाठ्यालाप्रो और अस्पतालों के लिए विभिन्न लाभप्रद सेवाएँ प्रदान करती हैं।

रूस में सामाजिक सुरक्षा (Social Security in U S S R)

रूस में सामाजिक सुरक्षा उपायों की सांविधानिक गारण्टी दी गई है प्रीर उनको प्राप्त करने के तीन कारण हैं—

1. रूस की अर्थव्यवस्था का तीव्र गति से विकास हो रहा है तथा वहाँ हुई राज्यीय आय में स हिस्सा दिलाने के लिए सामाजिक सुरक्षा सागू करनी होती है,

2. समाजवादी दश होने के कारण लोगों का कल्याण बढ़े, एवं

3. श्रम सघों द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के नियान्वयन में सहयोग से प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

रूस में सामाजिक सुरक्षा सभी श्रमिकों और कर्मचारियों पर लागू होती है। सामाजिक सुरक्षा के मन्त्रमंत्र न्यूनठम मजदूरी, गारण्टीड रोजगार चिकित्सा मुविधा प्रशूति लाभ, श्रमिक शतिष्ठि, वृद्धावस्था पेशन असमर्थता पेशन, उत्तरजीवी पेशन, व्यावसायिक बीमारियों के विशद बीमा, असमर्थ और वृद्धावस्था गृहों हेतु प्रावधान, स्वास्थ्य और सेनीटोरिया के लिए विस्तृत प्रावधान आदि उपाय अयवा योजनाएँ शामिल हो गई हैं। सामाजिक सुरक्षा सेवाएँ सामुदायिक कामों के कर्मचारियों को भी प्रदान की जाती हैं।

इस में सामाजिक धीमा योजना की विशेषताएँ (Features of Social Insurance In U.S.S.R.)

इस में सामाजिक धीमा योजना की प्रमुख विशेषताएँ निम्नान्द्रित हैं—

1. केवल नियोजित व्यक्तियों का धीमा किया जाता है।
2. वेरोनगारी धीमा योजना नहीं है। बानून से वेरोनगारी को समाप्त कर दिया गया है।

3. धीमा के पूर्ण लाभों को प्राप्त करने हेतु अम सर्वों का साइस्य होता पूर्व गति है। गैर-सदस्यों को केवल पार्थों जाम दिए जाते हैं।

4. सामाजिक धीमा योजनायों का सारण, प्रशासन और नियोजित का वार्षिक अम सभों द्वारा किया जाता है। अम सभों की केंद्रीय संसद्या का स्वयं का प्रणाल सामाजिक धीमा विभाग है।

5. सामाजिक धीमा की सारात का वहन सम्बन्धित सुस्थान द्वारा किया जाता है। इसमें सम्बन्धित सहायता सहायता प्रंतान दिया जाता है।

6. इस की सामाजिक धीमा योजना न केवल अमिरों के क्षेत्रों में क्षेत्रों में वृद्धि का गापन है, बल्कि यह प्राविदिक विकास में उत्पादन में वृद्धि करने का भी एक प्रमुख साधन मानी जाती है।

7. पर्यावरणीय सामाजिक धीमा योजना के प्रमाणित मित्रों वाले लाभों के प्रशासन और अम सभों के हस्तक्षेप से कोई विरायत रखता है तो इसके लिए यह गारंटीड सामाजिक गृहधारा लाभों हेतु स्पानीय व्यापारिय म प्रशील कर सकता है।

बत्तमान समय में इसमें अमिरों के अस्थाई असमर्थ्ये होने पर सहायता तथा स्थाई प्रमाणिता के लिए वेशन देने का प्रावधान है। यदि इसी अमिरों की खाड़ प्रवदा वीमारी के कारण अस्थाई असमर्थ्या हो जाती है तो उसे उसकी धौसत मन्त्रालय का शन-प्रतिशत सहायता के स्वरूप दिया जाता है।

सामाजिक धीमा योजना

इस में ग्रारंभिक वित्तीयों के कारण सामाजिक धीमा योजना के लियान्हों का नवीन प्राविदिक नीति के प्रमाणित सन् 1922 में शुरू किया गया। आम अम सहित की पोषणाएँ की गईं। इसके प्रमाणित वित्तीया, अस्थाई प्रतिशत एवं लाभ दात-पक्षालार हेतु मुकाबला, असमर्थ्या, वृद्धावदा प्रवदा मृत्यु के प्रवदात् वेशन प्राप्ति का प्रावधान रखा गया था। इस में सामाजिक धीमा योजना का वित्त इवन्यों प्रवद्यों द्वारा किया जाता है। प्रकार पर्यावरणीय के मन्त्रालय वित्त का मुख्य प्रतिशत सामाजिक धीमा कोण (Social Insurance Fund) में जमा करता है। इसी प्रवदात् में वे अमिरों की मन्त्रालय में से एक से है। यह प्रतिशत 4.4 से 9.8 तक होता है जो इस उत्पादन की दलाली पर नियमित रखता है। अमिरों को मुख्य भी मुकाबला नहीं रखता है।

चिकित्सा भवित्वा वस्तु के रूप में दी जाती है जो कि सामाजिक बीमा के अन्तर्गत न आवार सामाजिक मेवाधों के अन्तर्गत न जाती है। सामाजिक बीमा योजना देवल नियोजित अभियांत्रियों पर ही लागू होती है। हृषि अभियांत्रिय इसके अन्तर्गत नहीं आते हैं क्योंकि उनकी रक्षा किसानों वे सामूहिक संगठनों (Peasant's Collective Organisations) द्वारा की जाती है।

रुत की सामाजिक बीमा योजना के नियन्त्रित सिद्धान्त है—

1. सन् 1933 से ही इस योजना का प्रशासन अम सघो द्वारा किया जाता है। इस योजना की संस्थाएँ कोष और कार्य सभी अम सघों के हैं।

2. इस योजना के अन्तर्गत केवल नियोजित व्यक्तियों का ही बीमा किया जाता है।

3. इस योजना में अशादान देवल नियजको या भालिको द्वारा ही दिए जाने हैं। मानिक एक मुश्त में ही सामाजिक बीमा कोष में अभियांत्रियों की मजदूरी विल का प्रतिशत के रूप में जमा करा देता है।

4. इस योजना के अन्तर्गत भिलने वाले लाभ केवल उन्हीं अभियांत्रियों को दिए जाते हैं जिन्होंने अम सघों की सदस्यता ग्रहण कर ली है। जो सदस्य नहीं हैं उनको देवल लाभ ही मिलते हैं।

5. यह योजना सरकारी भान्दोलन के रूप में अम दो मिपरता और उत्पादन में वृद्धि हेतु चलाई जाती है। सबसे अधिक लम्बे समय तक कार्य करने वाले वो ही अधिक लाभ मिलते हैं।

6. दोबोत्तारी बीमा समाप्त कर दिया गया है। यह सन् 1930 ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में मानव शक्ति की मौग में वृद्धि करके समाप्त कर दिया गया है।

रोडगार के जारए बीमारी अधिकारी चोट से यदि मर्स्पाई असमर्थना हो जाती है तो ग्रीकत प्रामदनों का गत-प्रतिशत लाभ के रूप में अभियांत्रियों को दिया जाता है। अन्य नामों में नौकरी की अवधि के आधार पर लाभ प्रदान किए जाते हैं। उदाहरणार्थ 6 या अधिक वर्ष की नौकरी वाले वो 100%, 3 से 6 वर्ष के रोजगार हेतु 80%, 2 से 3 वर्ष हेतु 60% और 2 वर्ष से कम की 50% ग्रीकत मजदूरी का भाग लाभ के रूप में दिया जाता है। अम सघों की सदस्यता न होने पर इन लाभों का ध्यान मिलेगा।

प्रत्येक व्यक्ति और महिला जिन्होंने अमग्नि 60 और 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, पेशन प्राप्त करने के अधिकारी हैं। रोडगार के जारए बीमारी और चोट ने उत्पन्न स्थायी असमर्थना (Permanent Disability) हेतु भी पेशन दी जाती है। दूसरे मामलों में यह भावुक और रोडगार की अवधि पर निर्भर करता है। पेशन की राशि अभियांत्रियों की अवधि में भिलने वाली मजदूरी पर निर्भर करती है। प्रथिकरम पेशन अन्तिम मजदूरी का 66% दी जाती है।

सामाजिक दीया योजना के पलाश रूप में बीमारी की चिकित्सा तथा आव्यूह विधियों से हृदि करने हेतु सामाजिक ग्रंथाएँ प्रदान की जाती हैं। ये सेवाएँ निम्नलिखित हैं—

1. प्रायेर अकिं की नियुक्त विभिन्न गुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।

2. जिनी भी मस्तिष्क में निरन्तर 11 माह तक कार्य परने पर 2 माह की वेतन महिला उद्दिष्टी की जाती है।

3. श्रम संघों प्रौद्योगिक ग्रंथातों द्वारा चलाए जाते थाने विद्यामृगों का अधिकों द्वारा उपयोग करता। यह उपयोग उनकी नीतियों की प्रविधि पर निर्भर करता है।

4. रविवार तथा आव्यूह गार्वनिक उद्दिष्टों पर वक्त्वों में स्थित रेस्ट पार्क प्राइवे उपयोग करता।

5. सभी की प्राथमिक निधा की नियुक्त गुविधाएँ प्रदान करता।

6. प्रायेर महिला की मातृत्व साम्र (Maternity Benefits) प्रदान करता।

माताप्तो का इत्याण और उनके सरकारी प्रदान करना सरकार का प्राथमिक दायित्व गमना जाता है। इसके विषय में कई अम राज्य राज्यों गए हैं। जिनी भी गर्भवती महिला को रोजगार देने से मता करता कानूनी प्रश्नाएँ हैं। इसके उल्लंघन पर 6 माह की जेन तथा 1000 रुपये प्रायिक दण्डिया जा सकता है। महिला की भज्जूरी में से जिसी प्रकार की कटीही नहीं की जाएगी। गर्भवत्ता में हृत्का कार्य दिया जाता है। उनको द्रामा, रेल य यत्सों में सुरक्षित रथान प्रदान किया जाते हैं। यह 2 घण्टे का बच्चा बीमार हो जाता है तो उनकी माता का रिहेप उद्दिष्टी प्रदान की जाती है।

इस में परिवाहित माताप्तों प्रौद्योगिक उनके बच्चों की भी मुख्या प्रदान करा का प्रावधान है। यहके बालक पोराण हेतु राज्य की प्रौद्योगिक सेवा माता की भी मिलते हैं। यहिं बच्चों बाली मा का हठ में विशेष भरा भी दिया जाता है।

भारत में सामाजिक गुरुका

(Social Security In India)

भारत में सामाजिक गुरुका तक नदा दृष्टिका नहीं है। एवियर की प्रौद्योगिक व्यवस्था में ही अपने अधिकों को पेशन, प्रोफिटेण्ड कष्ट प्रौद्योगिक यादि साम देने से और बन्द्यालरती राज्य की लिए गए हैं। इस गम्भीर में हमारे देश में अम राज्यों का भी अभाव नहीं रहा है। मा 1947 में गूँज ही हमारे देश में अधिक संतुष्टि अधिकार्य, 1923 प्रौद्योगिक प्रान्तों में मार्ग गाम अधिकार्य पाया गिए जा रहे थे।¹

किसी भी काम में सामाजिक सुरक्षा की योजना शुरू करने हेतु अन्य उपाय भी काम में लेने पड़ते हैं उदाहरणार्थ पूर्ण रोजगार नीति, श्रमिकों की सुरक्षा और अच्छी कार्य दशाप्रो हेतु विधान, चिकित्सा, शिक्षा और आवास सुविधाएं, आदि। हमारे देश में विशेष रूप से श्रमिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा शह बी गई है।¹

हमारे देश में यद्यपि प्राचीन समय से ही सुनुक परिवार श्रधा, पचारठ, निर्धन गृही आदि सामाजिक स्थाप्रो द्वारा जहरतमन्दो को कुछ न कुछ सहायता की जाती रही है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा पर हूसरे महायुद्ध तक विशेष व्यान नहीं दिया गया। शाही थम आयोग (Royal Commission on Labour, 1931) तक ने इस प्रकार की योजना की आवश्यकता पर जोर नहीं दिया वयोकि हमारे देश में स्थायी थम-शक्ति का अभाव या प्रोत्त्र श्रमिक परिवर्तन (Labour Turnover) भी घटिक होता था।

बेवरिज रिपोर्ट (Beveridge Report) के प्रकाशन के पश्चात् भारत में सामाजिक बीमा योजना पर व्यान दिया जाने लगा। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् विभिन्न देशों में समाजवादी सरकारों की स्थापना हुई तथा श्रमिक असन्ताप के कारण श्रमिकों की स्थिति सुधारने हेतु कई देशों में सामाजिक बीमा योजना नेशर की गई। हमारे देश में भी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं प्रारम्भ करने की दिशा में विभिन्न कदम उठाए गए।

भारत में सामाजिक सुरक्षा को वर्तमान अवस्था²

श्रमिकों के लिए क्षतिपूर्ति अधिनियम

1923 में कर्मचारी मुआवजा धर्षिनियम पारित होने के साथ ही भारत में सामाजिक सुरक्षा प्रारम्भ हुई। इसके प्रनारंत ऐसे कर्मचारियों और उनके परिवारों को जिनकी धरने सेवा काल के दौरान किसी श्रोदोगिक दुष्टेना और कुछ विशेष रोगों से ग्रस्त हो जाने पर, जिनके कारण मृत्यु या अपगता हो गई हो, मुआवजा देने का प्रावधान है। अधिनियम में मृत्यु, पूर्ण अपगता और प्रस्थार्ह अपगता के लिए अलग-अलग पैमाने पर मुआवजा देने का प्रावधान है। इस अधिनियम के प्रनारंत विशेष खनरे वाले व्यवसायों में सभे कर्मचारियों को भी शामिल कर लिया गया है परं इसमें देकर्मचारी शामिल नहीं हैं जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के प्रनारंत लाभान्वित हैं।

प्रसूति सम्बन्धी लाभ

1929 में तत्कालीन बम्बई सरकार द्वारा प्रसूति लाभ द्वानुन को लागू कर अगला कदम उठाया गया। इसके तत्काल पश्चात् अन्य राज्यों ने (जिन्हें

¹ Vaid, K. N. : State & Labour in India, p. 110

² भारत, 1985.

अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड हैं या कोई अन्य कानून जो सहकारी मिनियो से सम्बन्ध रखता है और जिनमें 50 से कम लोग काम करते हैं तथा जिनकी मज़ानें विजलो या भाष पे नहीं चलती। यह योजना 2500 रु तक मासिक वेतन पाने वालों पर लागू होती है।

सितम्बर, 1985 से इस निधि के लिए मालिकों दो, कर्मचारियों को दी जाने वाली मजदूरी व महंगाई भत्ते की कुल राशि के सवा इह प्रतिशत के बराबर अपना हिस्सा देना होता है (कुल राशि में कर्मचारियों को दी गई साध रियायतों का नक्दी भूल्य और अनुरक्षण भत्ता भी शामिल है)। इतना ही हिस्सा उर्मचारियों को भी देना होता है। 108 उद्योगों के लिए जिनमें 50 से अधिक व्यक्ति वाम करते हैं, यह हिस्सा बढ़ा कर 8 प्रतिशत कर दिया गया है।

31 मार्च, 1985 के अन्त में भविष्य निधि योजना में अशदानांगों की सख्ता 128 88 लाख थी।

मृत्यु होने पर सहायता

जनवरी, 1964 में कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत मृत्योपरान्त महायना निधि स्थापित की गई जिसका उद्देश्य गैर दूष प्राप्त सूख्यानों के मृतक के उत्तराधिकारियों या नामजद व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। उसका लाभ मृतक के उत्तराधिकारियों या नामजद व्यक्तियों को मिलता है जिनका मासिक वेतन (भूल वेतन, महंगाई भत्ता आदि को मिलाकर) मृत्यु के समय 1,000 रुपये से अधिक नहीं है। सहायता की राशि 1,250 रुपय निश्चित कर दी गई है।

एम्प्लाईज डिपाजिट लिक्ड इश्योरेंस स्कीम

सामाजिक सुरक्षा की एक और योजना है एम्प्लाईज डिपाजिट लिक्ड इश्योरेंस स्कीम, 1976 अर्थात् भविष्य निधि में जमा धनराशि से जुड़ा बीमा। यह योजना 1 अगस्त, 1976 से लागू हुई। इसके अनुमार, कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके बारिस को भविष्य निधि की धनराशि के अतिरिक्त एक और धनराशि मिलेगी जो विद्युत तीन वर्षों में निधि में मोजूद औमत धनराशि के बराबर होगी, वश्ते वि निधि में औसत धनराशि 1,000 रुपये से कम न रही हो। इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम मुग्धान 10,000 रुपये होगा जिसके लिए कर्मचारी को कोई अशदान नहीं करना पड़ेगा।

पारिवारिक पेंशन

श्रीयोगिक मजदूरों की प्रसामयिक मृत्यु हानि पर उनके परिवारा के लिए लम्बी अवधि तक धन सम्बन्धी सुरक्षा देने की हिट से 1 मार्च 1971 से कर्मचारों परिवार पेंशन योजना शुरू की गई। कर्मचारी भविष्य निधि योजनांगों में मालिकों और कर्मचारियों के अशदान के एक भाग को यत्न करके इसके लिए धन प्राप्त

किया जाता है। इसमें केवल सरकार भी युद्ध भाग जमा बरतती है। निधि की संशोधना भी अवधि के प्राप्तार परिवार पेशन की राशि गुरुत्वम् 60 रुपये से लेकर प्रधितम् 320 रुपय प्रतिसाह है। इसके मनिटिक 60 रुपय से 90 रुपय तक अवधिकी परिवार पेशन की राशि प्रति माह दर की स्वीकृति भी प्रदान की गई।

आनुतापिक याजना

1962 के आनुतापिक (योज्युटी) यादादारी घटितियम् के प्रत्यावर्त कारबाहो, यानो, तेज दोनों, यागतों, गोदियों, रेतों, गोटर परिवहन प्रतिष्ठानों, बन्दरनिधों, दुषानों, तथा अन्य गम्भीरों मध्यम जरूरत वाले कर्मचारी आनुतापिक के हृदयार्थ हैं। 600 रुपय तक की मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारी हर पूरे इए गए मेंगा वर्ष की पीढ़ी 15 दिनों की मजदूरी के लिए इसके प्रतिकारी हैं और हुन राजि 20 गहों की मजदूरी मध्यादा नहीं हो सकती। परन्तु ऐसे कारबाहो में, जहाँ यारा वर्ष कार्य नहीं होता, आनुतापिक की दर प्रति ल्लास में 7 दिन के बेनन के बराबर होती। यद्यपि बन्देचारी को मात्रिक के साथ इए इसी अन्य नियंत्रण, अनुबन्ध या इकाई के धर्यों द्वारा अद्यता शर्तों में, तो उन पर घटितियम् का प्रभार नहीं पड़ता।

यह हम भारत मध्यमात्रिक गुरुता सम्बन्धी निम्नविप्रति प्रमुख घटितियमों का विस्तार से विवरण करेंगे—

- 1 घटित क्षतिपूति घटितियम्, 1923
- 2 मानूरत लाभ घटितियम्, 1961
- 3 कर्मचारी राज्य बीमा घटितियम्, 1948 और उसके प्रधीन बनाई गई योजना
- 4 कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेशन निधि घटितियम् 1952 और तदाधीन बनाई गई योजनाएँ
- 5 कर्मचारी जमा सम्बद्ध (तिवार) बीमा योजना, 1976
- 6 उपदान भूगतान घटितियम्, 1972

(1) अधिक क्षतिपूति घटितियम् 1923

(Workmen's Compensation Act of 1923)

इस घटितियम् का उद्देश्य इसी द्वायोगिक दुर्घटना तथा अप्राप्ति वीमारी से अविक को क्षतिपूति करना होता है। दुर्घटना से अविक की मात्रु ही नहीं है अपवा स्वाई पूरे अन्याई अन्यमर्यादा प्राप्त होती है। इस प्राप्तिमात्रा के बावजूद हुन नियाक द्वारा अविको को क्षतिपूति करना एक वंशान्ति दायित्व है।

सीधा खेत—यह घटितियम् सभी रेत कर्मचारिया (प्राप्तिमात्रा कार्य में नियोजन कर्मचारियों के अन्तराल) तथा इस घटितियम् की मनुमूर्चों II में यदा-

निर्दिष्ट किसी भी पद पर नियोजित व्यक्तियों पर लागू होता है। अनुसूची-II ने कारखानों, सानों, बागानों, यत्र चालित बाहनों, निर्माण-कार्यों तथा कुछ अन्य जोखिमपूर्ण व्यवसायों में नियोजित व्यक्तियों को शामिल किया गया है। इस अधिनियम के अधीन विस्तार के लिए बोई मजदूरी सीमा नहीं है। तथापि, यह अधिनियम ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है, जिन्हें कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के प्रनगंत लाया गया है।¹

साम एव व्यवस्था—इस अधिनियम में अस्थायी स्थायी विकलांगता के मामले में कर्मकारी को भीर मृत्यु के मामले में उसके आश्रितों को मुआवजे के नुगतान की व्यवस्था है। मृत्यु के मामले में मुआवजे की न्यूनतम राशि 20,000 रु. तथा स्थायी विकलांगता के मामले में 24,000 रुपये है। स्थाई विकलांगता के मामले में मुआवजे की अधिकतम राशि 1,14,000 रुपये तक हो सकती है, जबकि मृत्यु के मामले में यह राशि 91,000 रुपये तक हो सकती है, जो मृत्यु के समय कर्मकारी की मजदूरी और उसके पर निमंत्र करती है। अस्थायी विकलांगता के मामले में मुआवजा, मजदूरी का 50 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष की अधिकतम अवधि तक देय है।

इस अधिनियम को सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ-राज्य सेवा प्रशासनों द्वारा लागू किया जाता है।

यदि अभिक को काम करते समय किसी दुर्घटना से चोट सग जाए तो मालिक द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। यदि असमर्थता (Incapacity) 3 दिन से अधिक नहीं है तथा अभिक के स्वय के दोष के बारण चोट लग जाती है तो उसे किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। यदि अभिक की मृत्यु हो जाती है तो उसे मुआवजा दिया जाता है। व्यावसायिक बीमारियों (Occupational Diseases) हेतु भी अधिनियम की तीसरी अनुसूची में क्षतिपूर्ति करने का प्रावधान है। मुआवजा की राशि चोट की प्रकृति तथा अभिक की घौसत मासिक मजदूरी पर निमंत्र करती है। चोट को तीन वर्षों में रखा गया है—उदाहरणार्थ चोट से मृत्यु को प्राप्त होना, स्थाई अनमर्थता और असमर्थता। अभिक की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को मुआवजा दिया जाता है। वैधानिक आधित तथा अवैधानिक आश्रित दोनों वर्गों को क्षतिपूर्ति नियोजक द्वारा दी जाती है।

इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक नियोजक का यह दायित्व है कि वह किमी भी धारक दुर्घटना की सूचना आयुक्त, अभिक क्षतिपूर्ति (Commissioner for Workmen's Compensation) को दे। यदि वह इस दुर्घटना का दायित्व स्वीकार कर लेता है तो उसे मुआवजे की राशि आयुक्त के पास में जमा बरा देनी चाहिए। यदि मालिक दायित्व स्वीकार नहीं करता है

1 अम मजाक्य. भारत दर्खार की वायिक रिपोर्ट, 1985-86, भाा-I, पृ 12

तो आयुक्त मूनब के प्राप्तियों को उसके ग्यायात्रय में इस सम्बन्ध में अपना अधिकार (Claim) माना सकता है। मालिक इस सम्बन्ध में प्रगतिशील द्वारा मुपावजा नहीं चुका सकता।

इस अधिनियम का प्रशासन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अब प्रत्येक राज्य सरकार ने आयुक्त, अधिक शतिष्ठि नियुक्त कर दिए हैं जो कि मुपावजे सम्बन्धी मामलों की जांच, सुनवाई और पेंसना देखर अभियोगों की मदद करते हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत दुर्घटना, मुपावजे की राजि आदि के सम्बन्ध में मालिक को प्रतिवेदन भेजना पड़ता है। इस अधिनियम का समय-समय पर संशोधन करने द्वारा को व्यापक कर दिया गया है।

दोष——इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों तथा उनकी नियामोंसमेत को देखने से पता चलता है कि यह प्रत्येक भार में एक युण्ड अधिनियम नहीं है। इसकी नियन्त्रिति सोमाएँ हैं—

1. मालिक इस अधिनियम को अनुचित बताते हैं। उनका बहना है कि अधिक की गतियों के कारण युण्ड होने पर मालिक का शतिष्ठि अदा बरनी पड़ती है। इससे उन पर वित्तीय भार पड़ता है।

2. थोड़े सम्पादनों द्वारा अभियोगों को अनिष्टि नहीं दी जाती है। के इसी न वित्तीय भार होने में सकार हो जाते हैं। बड़े सम्पादनों द्वारा भी थोड़ी खोटा की रिपोर्ट नहीं की जाती है।

3. शतिष्ठि सम्बन्धी मामला को निरटाने में देरी लगती है। सम्बन्धित अधिकारियों का कार्यभार पहले ही अधिक होता है।

4. देश अम के सम्बन्ध में देवेदार द्वारा मुपावजा देता है। यहाँ पूरी राजि की ली जाती है जबकि मुपावजा कम राजि में होता है।

5. दूसरा अधिनियम के प्रत्येक इसी प्रकार की बाट प्रबन्ध व्यावसायिक विभागी होने पर विविता का प्रबन्ध नहीं किया जाता है। विविता का प्रबन्ध प्रबन्ध है।

इस अधिनियम के प्रभावी नियाम इन्हुंने राष्ट्रीय अम आयोग (National Commission on Labour) ने मुमाल दिया है कि अधिक शतिष्ठि दृष्टि तरफ केंद्रीय फाउंड (Central Fund for Workmen's Compensation) की स्थापना की जाए। इस द्वेष में ममी मालिकों द्वारा प्रतिसाह प्राप्ती मन्त्री द्वारा का युण्ड प्रतिशत अमा बरना चाहिए जिसमें हि अधिनियम के प्रभावन तय दिए गए सभी की लागत द्वारा बहुत किया जा सके। इस द्वेष का नियम राज वर्ष बोमा नियम (Employee's State Insurance Corporation) द्वारा होना चाहिए। यह नियम दुर्घटनाप्रति अभियोगों और उनके प्राप्तियों को समय-समय पर मुकाबला दरना रहेगा। यदि अधिक असमर्थन के कारण बोमा नियम रहता है तो उनको शतिष्ठि की जेंडी दर दी जानी चाहिए।

(2) मातृत्व लाभ या प्रसूति अधिनियम, 1961 (Maternity Benefit Act of 1961)

मातृत्व लाभ महिला धर्मिकों को बच्चे के जन्म के पूर्व तथा पश्चात् वार्ष से अनुपस्थित रहने के परिणामस्वरूप ही मजदूरी की हानि के रूप में मुआवजा दिया जाता है जिससे महिला धर्मिक व उसके बच्चे के स्वास्थ्य पर दुरा असर नहीं पड़े तथा आर्थिक कठिनाई वा सामना नहीं करना पड़े। इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय धर्म संगठन (ILO) ने प्रस्ताव 1919 में ही पास कर दिया था। लेकिन भारत में इस स्वीकार नहीं किया गया वयोंनि भारतीय महिला धर्मिक प्रवासी होती है, बच्चा होने से पूर्व ही वे वापिस अपने घर लौट जाती हैं तथा चिकित्सा सुविधाओं का भी अभाव है। विभिन्न राज्यों में समय संघर्ष पर अधिनियम पास कर दिए गए हैं। लेकिन अधिनियमों में समरूपता वा अभाव होने के कारण 1961 में मातृत्व लाभ अथवा प्रसूति अधिनियम पास किया गया।

यह अधिनियम महिलाओं के रोजगार वो बच्चे के जन्म से पहले तथा बाद में कुछ अवधि के सम्बन्ध में विनियमित करता है और प्रसूति तथा विद्यमान लाभों की व्यवस्था करता है।

सीमांशेद—यह अधिनियम प्रथमत सानों, बारखानों, बागानों और सर्कंस डचोंगों पर लागू होता है। राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों वो जिसी भी धर्म प्रतिष्ठानों या प्रतिष्ठानों वे वर्ग पर लागू किया जा सकता है। इस अधिनियम की परिविकास के लिए कोई मजदूरी सीमा नहीं है। तथापि यह अधिनियम उन महिला वर्मचारों पर लागू होता है जो वर्मचारी राज्य द्वीपांत्रिय अधिनियम के सीमांशेद में आती हैं।

लाभ—इस अधिनियम में छह दोपहर पर जाने के तत्काल बाद तथा प्रसूति की तारीख सहित और उस तारीख वे बाद द्वारा उपत्यका के लिए वास्तविक अनुपस्थिति की अवधि के लिए औसतन दंनिम अनुपस्थिति की दर से प्रसूति लाभ वे नुगतान की व्यवस्था है। प्रसूति लाभ की कुन अवधि 12 सप्ताह है अर्थात् प्रसूति की तारीख तक तथा उन तारीख सहित द्वारा सप्ताह ह तक और उस तारीख के तत्काल बाद द्वारा सप्ताह। प्रसूति लाभ के लिए पात्र होने के लिए, महिला वर्मचारी वी पिछले 12 महीने की अवधि वे दौरान 160 दिनों वी मेंदा होनी चाहिए। इस अधिनियम में गर्भपात्र वे भासने में भी द्वारा सप्ताह के लिए प्रसूति सुविधा लाभ देने की व्यवस्था है।

कार्यान्वयन—केन्द्रीय सरकार खानो तथा सर्कंस डचोंग में इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है, जबकि बारखानों बागानों तथा अन्य प्रतिष्ठानों में इसके कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार उत्तरदायी है। केन्द्रीय सरकार ने इस अधिनियम के कार्यान्वयन का बास प्राधिकारिता प्राधिकरणों वो सौंप दिया है—

दिन प्रतिष्ठानों के लिए वे उत्तरदायी हैं

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| (i) केंद्रीय श्रीयोगिक मम्बन्ध तंत्र | मर्क्स डियोग |
| (ii) रायल सान बल्याण शायुत | रायल साने |
| (iii) सान सुरक्षा महानिदेशक | ईर बोयला साने |
- (3) दर्मचारी राज्य बीमा प्रधिनियम, 1948 और उसके अधीन बनाई गई योजना

(Employee's State Insurance Act 1948)

विभिन्न दशा में बीमारी बीमा मम्बन्धी योजना पर चिनार दिया गया। भारत में भी 1928 में इस पर विद्याने गमा में विचार किया गया। शासी थम प्रायाण, 1931 ने भी बीमारी बीमा के मम्बन्ध में जोड़ हेतु समिति नियुक्त करने की सिफारिश की। इसी के साथ एक ऐसी योजना चानू करने की सिफारिश की जो कि एक मस्त्यान पर आधारित हो। इस सिफारिश के अनुसार एक ऐसी योजना तैयार की जाए जिसके प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करना राज्य सरकार की विधिवारी हो सके। वित्तीय साम मानिकों पौर श्रमिकों के समान ये प्राप्त किया जाए। श्रीयोगिक श्रमिकों हेतु बीमारी योजना हेतु प्रा पडारकर की प्रम्पत्ता में एक समिति नियुक्त की गई। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1944 में ही। प्रा पडारकर न कब्जे एक बीमारी बीमा योजना की थी। वार्द म पनराईट्रीय थम साठन व शो विशेषज्ञों थीं। इस प्रो थी राव न इस रिपोर्ट की जाव करने एक बड़ी एक्सीट बीमा योजना की मिपारिश की। इसमें मानूष लाभ, श्रीयोगिक छाट लाभ पौर बीमारी यारा तीनों को जाविल किया गया। इसके परिणामस्वरूप सरकार ने दर्मचारी राज्य बीमा प्रधिनियम 1948 पार किया।

पांच प्रकार के लाभ—इस प्रधिनियम के मन्त्रालय द्वारा पांचे घटाये हाँ। पांच प्रकार के लाभ दिए जाते हैं जो निम्नान्दित हैं—

(i) बीमारी लाभ (Sickness Benefit)—यह बीमा करात हुए व्यक्ति की बीमारी का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है तो उसे नहीं में मुतान प्राप्त होता है। यह 365 दिनों में स अधिकतम 56 दिन हेतु दिया जाता है। बीमारी लाभ की राशि दैनिक धोगत मजदूरी की धार्थी हानी छादिए। यह अप्ति हाँ। यह साम विद्यता है। यह निर्धारित दिनों-तीनों में रहता।

(ii) मानूष लाभ (Maternity Benefit)—ऐसे प्रमाण 12 म वार्दे निए नहीं मुगला दिया जाता है। लाभ को दर श्रीयोगिक मद्दूरी (देनिर) के बराबर ही जाती है।

(iii) असमर्पिता लाभ (Disablement Benefit)—रोकतार म जान गया श्रीयोगिक से उत्तम असमर्पिता लाभ प्रदान किया जाता है। असाई असमर्पिता के तिए देनिर दोगद मद्दूरी का दूल लाभ लाभ के राम म नहीं म दिया जाता।

है। स्थाई असमर्यता होने पर श्रमिक धनियम के अन्तर्गत दी जाने वाली दर के आधार पर साभ दिया जाता है।

(iv) आधितो वा लाभ (Dependant's Benefit)—किसी श्रमिक की रोजगार म सृत्यु होने पर उसके आधितो वा नाभ प्रदान किया जाता है। विधवा स्त्री को पूरी दर का $\frac{2}{3}$ भाग, वैधानिक पुत्रों और अविवाहित सड़कियों को कुल दर का $\frac{1}{3}$ भाग 15 वर्ष की आयु तक प्रदान किया जाता है। यदि शिळा प्राप्त वर रहे हैं तो यह लाभ उनको 18 वर्ष की आयु तक दिया जाता है। यदि सृतक के विधवा पत्नी, लड़के-लड़कियों नहीं हैं तो उसके माता पिता को यह लाभ दिया जाएगा। लेकिन यह लाभ उसकी पूरी दर (Full rate) से अधिक नहीं दिया जाता है।

(v) चिकित्सा लाभ (Medical Benefit)—इसके अन्तर्गत बीमा कराए व्यक्ति को उस हपते म भी चिकित्सा लाभ दिया जाता है जिसम उसका अ शदान दिया जाता है। बीमारी, मातृत्व प्रसूति और असमर्यता नाभ प्राप्त करने योग्य श्रमिकों को चिकित्सा लाभ प्रदान किया जाता है। बीमारी, रोजगार, चोट और प्रसूति मे नि शुल्क चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। ये नाम बीमा चिकित्सालय अथवा अस्पताल मे प्रदान किए जाते हैं।

चिकित्सा रक्षा के लाभ अब बीमा कराए गए श्रमिकों के परिवारों वो भी दिए जाने लगे हैं।

इस अधिनियम के अन्तर्गत बम्चारी बीमा न्यायालयो (Employee's Insurance Courts) की स्वायत्ता राज्या द्वारा कर दी गई है जो कि इससे सम्बन्धित भागडो वा निपटारा बरेंगे। जिन स्थानों पर न्यायालय नहीं हैं, वहाँ विशेष अधिकरण (Special Tribunals) स्वायित्व वर दिए गए हैं।

थम मनालय की रिपोर्ट 1985-86 के अनुसार अधिनियम की कुछ अन्य बातें और उनका क्रियान्वयन

इस अधिनियम मे डॉक्टरो देख रेख और इलाज, बीमारी प्रनूति तथा काम करते हुए लगी चोट के दौरान नकद लाभ, काम करत हुए चोट लगने के कारण असिक की सृत्यु होने पर उसके आधितो को पेशन एवं बीमा शुद्ध व्यक्ति की सृत्यु होने की दशा मे अन्तर्घिट खर्च देने की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम के उपबन्धो को, जो प्रारम्भ म विजली का प्रयोग करने वाले और 20 वा उससे अधिक व्यक्तियो को नियोजित करने वाले बारहमासी दारखानो पर लागू थे, अब धोरेधीरे राज्य सरकारों द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 1 (5) के अधीन प्रदत्त शक्तियो वा प्रयोग करते हुए प्रतिष्ठानों की निम्नलिखित श्रेणियो पर लागू किया जा रहा है—

(1) विजली का प्रयोग करने वाले एवं 10-19 व्यक्तिया वो नियोजित करने वाले बारखानो पर और 20 वा इससे अधिक व्यक्तियो वो

नियोजित परने वाले एवं विभागी वा प्रयोग ने परने वाले कारणों पर,

- (ii) 20 वा इससे प्रधिक अतिथियों को नियोजित करने वाली दुश्मनों, हॉटलों, रेस्टरांओं, मिनीमापरों, जिनमें पीछ्ये पिंटर भी आते हैं, सेक्सर मोटर परिवहन और गमाचार एवं प्रतिष्ठानों पर यह अधिनियम अभी प्रतिमाह 1600 रुपये से प्रधिक मतदूरी प्राप्त परने वाले कमंचारियों पर लागू होता है।

ध्यवस्था—कमंचारी राज्य बीमा योजना की ध्यवस्था कमंचारों राज्य बीमा नियम नामक एक नियमित (कार्डिट) नियाय परता है, जिसके अन्तर्मध्य कमंचारियों, नियोजकों, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, चिकित्सा ध्यवस्था और गमदृ के प्रतिनिधि हैं। इस नियम के सदस्यों में गठित ही गई एक स्वाई गमिनि इन योजना की ध्यवस्था के लिए वायंगालिङा नियाय के हृष में शाम बरती है। चिकित्सा गुरुदिग्दिवारों की ध्यवस्था से गम्भीरन मामलों के घारे में नियम को गताह देखे वे लिए एक चिकित्सा गुरुविधा परिषद् भी दियमान है। महानिदेशक जो नियम वा मुख्य कानूनात्मक अधिकारी है, नियम वा भी उत्तरी स्थाई गमिनि वा पदेन सदम्य भी है।

सीमा-संघ—कमंचारी राज्य बीमा योजना को, जिसे पहले फरवरी, 1952 में दिल्ली धीर बाजार में लागू किया गया था पीड़ी-पीर ध्यवस्था दोनों में पार्योनियत दिया जा रहा है।

अस्पताली ग्रोवथास्यों, चिकित्सा आदि गुरुदिग्दिवारों की ध्यवस्था—रिपोर्टरियन वर्तमान के दोरान नियम न 450 वर्षों वाले खार गुव्यवस्थिता ध्यवस्थाल, 20 वर्षों वाले एक परिवर्यों तृह तक 8 ग्रोवथास्य लाने। नियम न दियमान वा रा बीमा ध्यवस्थाओं में 139 अनिवार्य लक्षण की भी ध्यवस्था भी। इस योजना के अन्तर्मध्य बीमा गुदा अतिथियों के लिए पूर्ण ट्रस्टरी देन-रोर (अस्पताल में भर्ती होकर इकाज बराने की गुरुदिग्दिवारों गहिन) की ध्यवस्था भी जा रही है तथाति बीमागुदा अतिथियों के परिवारों को उत्तराध्य ध्यवस्था के ग्रन्तीकार ध्यवस्थामें भर्ती हास्तर इकाज करात एवं ग्रन्ती गुरुदिग्दिवार उत्तराध्य प्रदान की जा रही है। प्रतिवर्ष चिकित्सा गुरुविधा इस मध्य बेंजव एवं बन्द में उपलब्ध है, जो उत्तर ग्रहेन में विद्युत में है, जहाँ पर 50 वर्षों वाला एक कमंचारी राज्य बीमा ग्रान्ती नियमित हिसा जर रहा है। इस मध्यात्मा के खानू हा जान पर, जिसकी 1987 में पूर्वज्ञ में पूरा हो जान को पाया था, इस बेंजव में परिवारों को भी पूर्ण चिकित्सा गुरुदिग्दिवार उपलब्ध हो ग्रान्ती होता एसा बोई बेंजव नहीं होता, बही पर बीमागुदा अतिथियों के परिवार प्रतिवर्ष चिकित्सा गुरुविधा के बात होते हैं। उन बेंजवों के मध्यमें जहाँ पर ध्यवस्था चिकित्सा गुरुदिग्दिवार उपलब्ध है, राज्य गरकारों में ग्रन्तीकार ग्रन्तीकार जिया जा रहा है जि व (i) परकारी ध्यवस्थाओं में भी पर्याप्त

का आरक्षण करके अतिरिक्त पलगो की व्यवस्था करके, (ii) अस्पतालों के निर्माण की प्रगति को तेज करके तथा (iii) अस्पतालों के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि का पता लगा करके, विस्तृत चिकित्सा सुविधा के स्वरूप में सुधार करके उसे पूर्ण चिकित्सा सुविधा में परिवर्तित करें।

नकद लाभों का भूतान—निगम द्वारा दिए गए नकद लाभों की राशि इस प्रवार है—

(रुपये लाखों में)

	1984-85	1985-86 (दिसम्बर, 85 तक)
1. बीमारी लाभ	4779.49	3373.78
2. प्रसूति लाभ	286.53	153.03
3. अस्थाई विकलांगता लाभ	1591.77	983.68
4. स्थाई विकलांगता लाभ	934.22	683.58
5. आश्रित लाभ	271.27	219.07
कुल	7783.28	5413.14

(4) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेशन निधि अधिनियम, 1952 और तदाधीन बनाई गई योजनाएँ

प्रयोग्यता—कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेशन निधि अधिनियम, 1952 को 1952 में 6 मूल्य उद्योगों पर शुरू करके दिसम्बर, 1980 के अन्त तक 163 उद्योगों/प्रतिष्ठानों के बगों पर लागू कर दिया गया था। प्रारम्भिक उद्योग थे—सीमेट, सिगरेट, विद्युत, यानिकी और सामान्य इन्जीनियरिंग बस्टुएंसोहा और दृस्पान, कागज तथा बस्त-उद्योग जिनमें 50 या इससे अधिक श्रमिक लगे हो। अधिनियम ने केन्द्रीय सरकार को शधिकार दिया है कि इसे किसी भी कारखाने और अन्य उद्योगों पर लागू किया जा सकता है जहाँ 50 या इससे कम श्रमिक लगे हुए हो। 1960 में संशोधन करके 20 या इससे अधिक काम करने वाले संस्थानों में भी यह अधिनियम लागू कर दिया गया।

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रक्रीएं उपबन्ध अधिनियम, 1952¹ में कारखानों तथा अन्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, परिवार पेशन और जमा सम्बद्ध बीमा निवि की स्थापना की व्यवस्था भी गई है। 1952 के मूल अधिनियम वा लक्ष्य कर्मचारियों के लिए प्रनिवार्य अप्रदायी भविष्य निधि स्थापित करना था जिसके लिए कर्मचारी और नियोजक को वरावर अप्रदान करना था। तदनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि योजना बनाई गई तथा 1-11-1952 से इसे

1 अम मन्त्रालय, भारत राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट, 1985-86, पृ. 14

लागू किया गया। वह तक इप योजना के कायदरण ती पुनरीक्षा करने पर यह पाया गया कि भविष्य निधि नियमों द्वारा एक वृद्धावस्था तथा उत्तरीयी नाम है लेकिन कर्मचारियों की समय पूर्व मृत्यु के मामले में उत्तरी भविष्य निधि सचिवन, उनके परिवार को उन्हीं कार्यक्रम तक के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ऐसी मात्रा 1971 में कर्मचारी परिवार में संशोधन योजना शुरू की गई। मृत्यु कर्मचारियों के बाते में भविष्य निधि की जमा राशि को सम्बद्ध जमा योजना प्रारम्भ करने के उद्देश्य से 1976 में इस भविष्यनियम में पुनर संशोधन किया गया। तदनुसार, कर्मचारी जमा सम्बद्ध जमा योजना बनाई गई और इसे 1-8-1976 से लागू किया गया।

सीमा क्षेत्र—यह भविष्यनियम, जो प्रारम्भ में 1952 में घ अमुक उद्योगों पर लागू किया गया था, यदि 20 या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित करने वाले 173 उद्योगों तथा प्रणिधानों ने वहाँ पर लागू हाना है। उक्त तीन योजनाओं के प्रधीन सीमा क्षेत्र के प्रयोजनाये 'वैतन' की सीमा 1,600 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1-9-85 से 2,500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है।

व्यवस्था—सभी तीन योजनाओं, भविष्य कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी परिवार में संशोधन योजना और कर्मचारी जमा सम्बद्ध योजना जमा योजना की व्यवस्था एक वैदीय न्यायी बोड़ द्वारा की जाती है जो कि एक विधायिक निकाय है, जिसमें एक भ्रष्टाचार वैदीय सरकार के पांच प्रतिनिधि, राज्य सरकारों व 15 प्रतिनिधि कर्मचारियों के गठन के साथ संगठन के घ विधिनियम तथा नियोजनों के सम्बन्ध में घ विधिनियम होते हैं। वैदीय भविष्य निधि धार्युक्त, कर्मचारी भविष्य निधि सम्बन्ध व मुख्य धार्युक्त कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मुख्य कार्यालयी भविष्यार्थी हैं तथा योइं से सचिव के हृष में काम करते हैं। वैदीय कर्मचारी भविष्य निधि के घटावा, इस समय विभिन्न राज्यों में योइं के 16 शेषीय कार्यालय हैं 37 उप शेषीय कार्यालय हैं जो दृष्ट भविष्यनियम के उपर्योगी तथा इसके प्रस्तावित बनाई गई तीन योजनाओं को कार्यान्वयन करते हैं।

प्रशासन वा सामाजिक भविष्य निधि योजना प्रशासन की सामाजिक व्यवस्था का वहन इसके प्रशासन प्राने वाले प्रतिविधिनों वे नियोजना से प्रशासन विरोधालय प्रशासन की उगाही में से त्रिया जाता है। परिवार में संशोधन योजना वे प्रशासन की सामाजिक वैदीय सरकार द्वारा वहन की जाती है, जबकि कर्मचारी जमा सम्बद्ध जमा योजना के आपने में प्रशासन की सामाजिक व्यवस्था इसके सीमा धर में आने वाले प्रतिविधिनों वे नियोजनों द्वारा तथा दूसरी वैदीय सरकार द्वारा यहाँ की जाती है।

व्यवस्था की दर—सरकार की भविष्य निधि संकाय (एस ए प्राइ) में वर्ष 1985-86 में लिए जाने वाले व्याज की दर 10.15 प्रतिशत प्रति वर्ष है जबकि 1984-85 में यह दर 9.00 प्रतिशत प्रति वर्ष है।

निवेश और बैंकिंग व्यवस्था—भविष्य निधि भवान का निवेश भारतीय रिजर्व बैंक, दम्भदेव के माध्यम से, जिसके पास प्रतिशूलियाँ सुरक्षित हैं। चेन्नैय राज्यकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित निवेश के रेटने के लक्ष्य सुरक्षा जाता है। इन्हें बैंकिंग व्यवस्था भारतीय न्यैट बैंक को सीमी गई है। 30-9-1985 तो कुल निवेश की राशि 12,553.03 करोड़ रुपये की जिसमें से 5,513.82 करोड़ रुपये दृष्ट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में तथा 7,039.21 करोड़ रुपये दृष्ट प्राप्त प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में है।

छूट प्राप्त प्रतिष्ठान—प्रधिनियम की घारा 17 और दोजना के पैरा 27 और 27-के अधीन उन प्रतिष्ठानों और सदस्यों को इमंचारी निधि योजना 1952 के उपर्योग से छूट दी जा रही है जिनके निजी भविष्य निधि, पेशन या उपचान नियम नीतिशक्ति योजना के नियमों में कम सामर्दायक नहीं है। छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों की रक्षा सिनम्बर, 1984 में 2,846 से घटकर 1985 में 2,833 रह गई।

भारतीय और जड़त लेहा—ऐसे छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के मानसे में उन्हीं नियोजनों में भवान पदमुक्त सदस्यों को पूर्ण रूप से नहीं दिए जाते हैं वहाँ बनियव आकस्मिन्ताओं में भुगतान न की गई राशि और व्याज भारतीय व्यवस्था जब्त लेहों में जमा की जाती है। इस निधि में सचिवत राशि विशेष भारक्षित निधि तथा मृत्यु नहायता निधि वे अन्तर्गत आने वाले उत्तरदायित्वों को नियाने वे निए इस्तेमाल जौ जाती है।

विशेष भारक्षित निधि—विशेष भारक्षित निधि जो तिरम्बर, 1960 में नियुक्त वी गई चालू है। इस निधि की राशि वा उपयोग ऐसे पदमुक्त सदस्यों (छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों में) वा उनके नामिन व्यक्तियों/दारिलों को भविष्य निधि व्यवस्था के भुगतान में निया जाता है जहाँ नियोजक सदस्यों की मजदूरी में में बाटी गई भविष्य निधि वा पूर्ण या धारिक भुगतान नहीं बरते। भारक्षित और जड़नी लेखा से इस निधि में हमान्दरित 235 लाख रुपये की कुल राशि और छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के नियोजनों से दबाया राशि वे रूप में दसूल बिए गए 40.57 लाख रुपये की राशि में से 30 सिनम्बर, 1985 तक 190.44 लाख रुपये वा भुगतान किया जा चुका था और 85.13 लाख रुपये की राशि देय थी।

मृत्यु सहायता निधि—ऐसी मृत नदम्यों के दारिमों को 1250 रुपए तक वित्तीय सहायता उपलब्ध है (जिनका देतान मृत्यु के समय 1,000 रुपये प्रति भाह से अधिक नहीं है) और जिनके भविष्य निधि में जमा राशि 1,250 रुपए भी कम है तो वह कुल राशि 1,250 रुपये हो जाए।

भविष्य निधि सम्बन्धी देय राशियाँ तथा उनकी दसूली—छूट न प्राप्त दोषी प्रतिष्ठानों ने प्राप्त करने वाले भविष्य निधि सम्बन्धी दबाया को कुल राशि

30 नियमित, 1985 को 5 399 30 लाख रुपये थी जर्फ़ 30-9-84 को दूर राजि 4,741 31 लाख रुपये थी।

इमंचारी परिवार पेशन योजना, 1971—इस योजना में परिवार केन्द्रन सभा जीवा बीमा लाभ की व्यवस्था ही गई है। इसे पहली मार्च, 1971 से सामूहिक दिया गया।

तीव्रा क्षेत्र—यह योजना उन सभी बमंचारियों पर अनिवार्य हृप से सामूहिकी है जो पहली मार्च 1971 को या उसके पश्चात् भविष्य निधि के गदस्य बन गए हैं परन्तु उन बमंचारियों पे तिए यह विविध है जो उक्त तारीग से पहले सविधि निधि के गदस्य बने चे। 31-3-85 को भविष्यात्मकी बीड़ुन सदरा 83.94 लाख थी।

योजना की वित्तीय व्यवस्था—बमंचारियों सभा नियोजकों के भविष्य निधि भविष्यात्मक के भाग में से बमंचारियों के बेतन के 1%, प्रतिशत के बारावर राजि की परिवार पेशन निधि में जमावारारे हृप योजना के किए वित्तीय व्यवस्था बी जाती है। बन्द्रीय सरकार भी निधि के गदस्य के बेतन का 1% प्रतिशत परिवार पेशन निधि में भविष्यात्मक देती है।

निधि की प्रतिशत व्यवस्था—परिवार पेशन निधि की सारी प्रतिशत लोक लेता में जमा की जाती है और उस पर 1-4-81 से साझे सात प्रतिशत व्यवस्थारे की दर से व्याप्र मिलता है। इसे पहले व्याप्र भी दर साझे पौव प्रतिशत थी।

इस योजना के व्यवस्था उत्तरांचल राज्य नीति द्वारा दिए गए हैं—

(1) परिवार पेशन—यदि किसी सदस्य की गलनीय गेवा के दोरान 60 रुपये की आमु प्राप्त बरते भ एहते मृत्यु हो जाती है तो परिवार पेशन व्यवस्था भुगतान तीने दी गई तालिका में विविध दरों के भविष्यात्मक रिया जाएगा बगरे व्यवस्था ने व्यवस्था में एक वर्षीय भी व्यवस्था के रिया परिवार पेशन निधि में भविष्यात्मक रिया हो। पेशना प्रब गदस्य की मृत्यु की तारीग के भगवने दिन म देय है—

सदस्य का प्रति माह वेतन

दिन पर परिवार पेशन निधि
का भविष्यात्मक देव है

परिवार पेशन की मूलिक दर

1. 400 रुपये का व्यवस्था

बेतन की 30 प्रतिशत और मूलतम 60 रुपये तथा व्यविहारम 120 रुपये होती।

2. 400 रुपये और इसमे व्यवस्था

बेतन की 20 प्रतिशत और मूलतम 120 रुपये और व्यविहारम 320 रुपये होती।

आमुक्त दर पर पेशन के भविष्यात्मक व्यवस्था भेजन शालात्मकों को 60 रुपये 90 रुपये भी व्यवस्था प्रतिशत भविष्यात्मक रिया हो गई है। एक

अतिरिक्त पेन्जन से 1-4-85 से परिवार पेन्जन की न्यूनतम और अधिक्तम राशि कमज़ 60 रु से 120 रु और 320 रु से 410 रु प्रतिमाह कर दी गई है।

(ii) जीवन बीमा लाभ—यदि सदस्य की मृत्यु गणनीय सेवा के दौरान होती है और उस समय तक उसने एक वर्ष अन्यून अवधि के लिए परिवार पेन्जन निधि में अशदान दिया हो, तो उसके परिवार को जीवन बीमा लाभ के रूप में 2,000 रु की एक मुश्त घनराजि देय होगी।

(iii) सेवानिवृत्ति व निवासी लाभ—सदस्यों की 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर या मृत्यु के अन्तावा किसी अन्य कारण से 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने से पहले परिवार पेन्जन निधि से सदस्यता समाप्त होने पर सेवानिवृत्ति व निवासी लाभ देय हो जाता है। यह लाभ तभी देय होता है यदि सदस्य ने परिवार पेन्जन निधि में कम से कम एक वर्ष के लिए अशदान किया हो। सेवानिवृत्ति व निवासी लाभ के लिए निर्धारित दर दिए गए अशदानों के पूरे वर्षों की संख्या के ग्रन्तुमार्ग भिन्न भिन्न है लेकिन न्यूनतम दर 110 रुपय (एक वर्ष के लिए दिए गए अशदान सहित) तथा अधिकतम दर 9,000 रुपय (40 वर्ष के लिए दिए गए अशदानों सहित) होगी।

कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना, 1976—यह योजना उन सभी कारखानों/प्रतिष्ठानों पर लागू है जिन पर कर्मचारी भविष्य निधि और प्रबोधन उपचयन अधिकार्यम, 1952 लागू होता है। यह पहली अगस्त, 1976 से लागू की गई थी।

ऐसे सभी कर्मचारी जो दूट प्राप्त तथा दूट न प्राप्त दोनों प्रकार के प्रतिष्ठानों में भविष्य निधि के सदस्य हैं, इस योजना के अन्तर्गत आते हैं।

बीमा निधि में अशदान—नियोजकों को कुल परिविषयों अर्धांत्र मूल मजदूरी, मर्हगाई भत्ता तथा किसी खाद्यान्न रियायत का नकद मूल्य और प्रतिधारणा भत्ता, यदि कोई हा. के 0.5 प्रतिशत की दर से बीमा निधि में अशदान देना अपेक्षित है। जैसा कि नियोजकों के मामले में है, केन्द्रीय सरकार भी कुल परिविषयों के 0.25 प्रतिशत की दर से बीमा निधि में अशदान देती है। धमिकों के लिए कोई अशदान देना अपेक्षित नहीं है।

बीमा निधि का निवेश—बीमा निधि से सम्बन्धित सारा धन केन्द्रीय सरकार के ताक लेता न जमा रखा जाता है और इस पर पहली ग्रन्ति, 1982 से प्रतिवर्ष 7 ½ प्रतिशत वी दर से व्याज दिया जाता है। इससे पहले प्राप्त अशदानों का निवेश सरकारी प्रतिभूतिया में किया जाता था।

लाभ—किसी कर्मचारी की, जो कर्मचारी भविष्य निधि या दूट प्राप्त भविष्य निधि का सदस्य है, सेवा में मृत्यु हो जाने पर भविष्य निधि में जमा राजि को प्राप्त करने के हवादार व्यक्तियों को मृत व्यक्ति के भविष्य निधि लेखे में पिछले तीन वर्षों के दौरान या निधि के सदस्य होने की अवधि के दौरान, जो भी कम हो, और उसके दौरान या निधि के सदस्य होने की अवधि के दौरान, जो भी कम हो, और उसके दौरान या निधि के सदस्य होने की अवधि के दौरान, जो भी कम हो,

जेप राशि उत्तर भविष्य के दीरान इसी भी समय 1,000 रुपये से ज्यादा नहीं थी। इस योजना के अन्तर्गत देव भविष्यतम् नाम की राशि 10,000 रुपये है।

(5) कमंचारी जमा सम्बद्ध (लिंकड) बीमा योजना, 1976

प्रयोग्यता—कमंचारी जमा सम्बद्ध (लिंकड) बीमा योजना, 1976 ऐसे सभी बारक्सानो/प्रतिष्ठानों पर लागू हाना है जिन पर कमंचारी भविष्य निधि प्रीर प्रतीक्षा उपयन्त्र भविष्यतियम्, 1952 लागू हाना है। यह योजना । अगस्त, 1976 से लागू हुई।

योजना का सीमा ध्यय—ऐसे सभी कमंचारी, जो ट्रूट ग्राहक तथा ट्रूट न प्राप्त दोनों प्रशार के प्रतिष्ठानों में भविष्य निधि के सदस्य हैं, इस योजना के अन्तर्गत आते हैं।

बीमा निधि में प्रशासन—कमंचारी सदस्यों को बीमा निधि में प्रशासन नहीं देना पड़ता। बेवल नियोजकों को कुल परिलिंग्यो (पर्याप्त मूल मजदूरी, महेशाई भत्ता तथा किसी खाद्यान्न रियायत का नवद मूल्य प्रीर प्रतिष्ठारण भत्ता, यदि कोई है) के 0.5% की दर से बीमा निधि में प्रशासन देना प्रयत्नित है। बेन्डीय सरकार भी कुल परिलिंग्यो के 0.25 प्रतिशत की दर से बीमा निधि में प्रशासन देती है।

प्रशासनिक ध्यय—इस योजना के अन्तर्गत ध्यय वाले सभी प्रतिष्ठानों के नियोजकों के प्रशासनिक ध्यय की पूर्ति के लिए कमंचारी सदस्यों की कुल परिलिंग्यो के 0.1 प्रतिशत की दर से बीमा निधि में प्रशासनिक ध्यय का मुख्यान परना प्रयत्नित है। बेन्डीय सरकार भी कमंचारी सदस्यों की कुल परिलिंग्यो के 0.05 प्रतिशत की दर से अवश्यक का बीमा निधि में मुख्यान भरने बीमा योजना के प्रशासन के सम्बन्ध में ध्यय बहन हरती है।

योजना के अन्तर्गत नामांकन—कमंचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के प्रस्तावना या ट्रूट ग्राहक भविष्य निधियों में किसी सदस्य द्वारा द्वितीय नामांकन इस योजना के निए भी माना जाएगा।

जेप लाभ—इसी कमंचारी की, जो कमंचारी भविष्य निधि या ट्रूट ग्राहक भविष्य निधि का सदाय है, सेवा में मृग्यु हो जाने पर भविष्य निधि में जमा राशि को प्राप्त करने के दृष्टार ध्यतियों को मूल ध्यति के भविष्य निधि सेवे में विद्युत तीन बातों के दीरान घोमन जेप राशि के बराबर प्रतिक्रिया राशि धदा की जाएगी वरन् ति यह बीमा जेप राशि उक्त ध्यय के दीरान इसी भी समय 1,000 रुपये से ज्यादा नहीं थी। उस योजना के प्रस्तावने देव ध्यिकतम् नाम की राशि 10,000 है।

योजना से छूट—ऐसे बारक्सानों प्रतिष्ठानों की, जिनके इस योजना के अन्तर्गत तिए जाने वाले लाभों से ध्यिक साम देवे वाली होई बीमा योजना है, कुछ इसी के ताप ट्रूट की जागत्ती है यदि ध्यिकतम् कमंचारी जेपी ट्रूट के हर

मे हो। व्यतिगत या कर्मचारियों के बगं को सामूहिक दृष्ट भी कुछ शर्तों के साथ दी जा सकती है।

कर्मचारी जमा-सम्बद्ध बीमा देय राशि-30 सितम्बर, 1980 को कर्मचारी जमा-सम्बद्ध बीमा देय राशि 86'73 लाख रुपया थी।

निवेश और देकिंग व्यवस्था—बीमा निधि अशदानों का निवेश भारतीय रिजर्व बैंक वम्बई के माध्यम से, जिसे पास प्रतिभूतियाँ सुरक्षित हैं, बैंड्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित निवेश के पैटर्न के अनुसार किया जाता है।

(6) उपदान भुगतान अधिनियम, 1972¹

(The Payment of Gratuity Bill, 1972)

जिन उद्योगों में प्रोविडेंट फण्ड प्रथवा पेन्शन योजनाएँ नहीं हैं, उनमें उपदान या आनुतोषिक (येच्युटी) की मांग की जाने लगी और उदार नियोजितों ने थम सघों से समझौता करके इस प्रकार वी योजना चालू करने पर सहमति प्रकट की। सर्वप्रथम 1971 में केरल और पश्चिम बंगाल की राज्य-सरकारों ने उपदान अधिनियम पास किए जिनके अन्तर्गत कारखानों, बागानों, दुकानों और अन्य संस्थानों को शामिल किया गया। शोध ही एक केंद्रीय अधिनियम की आवश्यकता महसूस की गई और दिसंबर, 1971 में उपदान भुगतान विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया गया जो पारित होकर 1972 में अधिनियम बन गया।

सूचा सेत्र—यह अधिनियम प्रत्येक कारखाना, स्थान, तेल सेत्र, बागान, पत्तन, रेलवे कम्पनी तथा दुकान या प्रतिष्ठान जिसमें 10 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, पर लागू होता है। इस अधिनियम दे इधीन केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम दे उपबन्धों का किसी अन्य प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों वे बगं, जिसमें 10 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, पर लागू करने की शक्तियों प्रदान की गई हैं। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार ने इस अधिनियम के उपबन्धों को अव तक मोटर परिवहन उपकरणों, भन्तदेशी जल परिवहन प्रतिष्ठानों, स्थानीय निकायों, बन्धो, बाणिज्य और दूसरे चैम्बर बाणिज्य और उद्योग चैम्बर के एसोसिएशन/दंडरेशन, सालीमीटरो के बार्डरयों काम्पनियो, सोसाइटियो और एसोसिएशनों या मण्डल जो किसी अखाडे में सरकास का बाम करते हैं या ऐसे तमाङे के लिए दंडरों या जनता से प्रवेश के लिए रकम अदा करनी पड़ती है, पर लागू किया है। इस समय यह अधिनियम प्रति माह 1,600 रु से अनधिक बेतन पाने वाले व्यक्तियों पर लागू है।

परिस्थितियाँ जिनके अन्तर्गत उपदान देय है—इस अधिनियम में वार्षिक वी आयु प्राप्त होने, सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र देने या मृत्यु या अपेगता के कारण सेवा समाप्त होने पर उपदान के भुगतान की व्यवस्था है बशर्ते कि कर्मचारी ने कम से कम पाँच वर्ष की सरत् सेवा पूरी कर ली हो। मृत्यु या अपेगता के मामलों में पाँच वर्षों की सरत् सेवा की शर्त लागू नहीं होती है।

उपदान की राशि—इस प्रधिनियम में सेवा के द्वारे दिए गए धन्यवाच की नियमित अधिकारी को 15 दिनों की सजदूरी की दर से और सौतारी अधिकारी को 7 दिन की सजदूरी की दर से उपदान के मुकाबले की व्यवस्था है। उपदान मुकाबले की व्यवस्थाएँ सीधा 20 माह की सजदूरी है।

प्रधिनियम का वार्षिक व्यवहार—वे द्वितीय सरकार इस प्रधिनियम के उपदानों का देवदीय विधानसभा परिचालने, एवं ऐसे व्यवस्था याज्ञों में वार्षिक व्यवहार का सेवा प्रतिष्ठान प्रमुख प्रशासन, वानों, तेज़ खत्रों या रेतवे वास्तवी में वार्षिक व्यवहार के लिए उत्तरदायी है। यह सभी वापलों में वार्षिक व्यवहार का वार्षिक व्यवस्थात राज्य गणराज्यों का है। जहाँ तक देवदीय दीपालियार के व्यवस्थात वाले वाले प्रतिष्ठानों का सम्बन्ध है इस प्रधिनियम के उपदानों के वार्षिक व्यवहार के व्यवस्थात वाले वाले वाले सम्बन्धतात्र वाले हैं।

नवम्बर, 1989 में हुए भारतीय व्यवस्था सम्बन्धत के इस गुभार पर विचार दिया गया कि उपदान सदाय प्रधिनियम में उपमुक्त व्यवस्था की जाए ताकि प्रधिकारी वीमा नियोजनों का वार्षिक व्यवहार हो। उपदान की प्रशासनी के लिए पृष्ठ ट्राई नियम गठित की जाए और इस गुभार को गामार्यन दीपार दिया गया। तद्दुमार गरमार उपदान सदाय प्रधिनियम के पालन उपदान वीमा की व्यवस्था वरने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

सामाजिक गुरुदान को एकीकृत योजना (Integrated Scheme of Social Security)

प्रोतोगिर प्रधिकारी को प्रदान की जाए वाली विभिन्न सामाजिक गुरुदान योजनाओं में प्रधानता लाने तथा प्रशासनिक व्यवहार को व्यवस्था के लिए एक एकीकृत योजना पर गूह से ही विचार दिया गया है। इसी उद्देश्य हतु भी को देखा गया है कि व्यवस्था की व्यवस्थाता एवं व्यवस्थात दर नियुक्त दिया गया। इस प्रध्यवस्था दर न विभावित गिरावर्ण की यो—

1 वर्षपारी वीमा व प्रोविडेंट व्यवहार प्रधिनियम का प्रशासन एक हाता पाहिए।

2 वीमा प्रधिनियम में मालिकों के हिस्से को 45% में वाया जाए तथा राज्य सरकारों के विभिन्न व्यवहार जो प्रदान की जाए।

3 प्रोविडेंट व्यवहार के तहन मालिकों प्रधिकारी को व्यवस्था का व्यापार 84% वर दिया जाए। याप ही 20 वर्ष इसमें प्रधिकार वायरल वाले गर्भायारों पर भी यह प्रधिनियम लागू दिया जाए।

4 प्रोविडेंट व्यवहार को इडायर्या प्रश्न तथा एक्स्ट्रो के व्यवस्था दिया जाए।

अमंगारी राज्य वीमा रिस्युल्यान्स ने भी गिरावर्ण की विश्वासनिक व्यवहार को एक वरने हेतु दोनों प्रधिनियमों का प्रशासन एक वर देना चाहिए। अल्पवाली वाम अमंगारी राज्य वीमा प्रधिनियम, 1948 के प्रध्यवस्था दिया जाए हातु तथा दीप्यंद्रासीक सामग्री अमंगारी प्रोविडेंट व्यवहार प्रधिनियम, 1952 के व्यवस्था दिया जाने चाहिए।

अभी तक सामाजिक बीमा योजना की प्रगति बाप्ती नहीं हुई है। बीमारी, स्वास्थ्य, प्रसूति और क्षतिपूर्ति बीमा के क्षेत्र में कुछ अच्छी प्रगति हुई है।

जहाँ तक सामाजिक सुरक्षा वी सामाजिक योजना का प्रश्न है, वर्तमान परिस्थितियों में यह हमारे देश में सम्भव नहीं है। इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं द्वे अन्तर्गत सभी शोधोगिक शमिकों को लाना होगा और बाद में घोरे-घोरे अन्य शमिकों को भी इसके अन्तर्गत लाया जा सकता है।

राष्ट्रीय अब धायोग, 1969 (National Commission on Labour) का सुझाव यह कि एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना तैयार की जानी चाहिए जिसमें सभी घन एक ही बोप में एकत्रित किया जाए और इसी कोष में से जहरतमन्द व्यक्तियों को नुगतान किया जा सके। अवदानों में बृद्धि करके एक अलग से बोप बनाया जाए जो वि सरकार के पास रहेगा। इस कोष में से शमिकों वो अन्य आकस्मिकतायों के लियार होने पर सहायता मिल सकेगी। गरीबों, देरोज़गारों और बीमारी को समाप्त करने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना अपनाना आवश्यक है। अतः सामाजिक बीमा और सामाजिक सहायता को मिलाकर एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना तैयार करना आवश्यक है।

विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन से भी हमें अब पता चला है कि हमारे देश में शोधोगिक शमिकों हेतु एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना तैयार की जाए। सेविन इस प्रकार वी व्यापक योजना तैयार करने व लायू करने में ही कठिनाइयाँ आएंगी, जैसे चिकित्सा सुविधाओं को कमी वित्तीय और प्रशासनिक कठिनाइयाँ, कृषि शमिकों और जननरया के अन्य वर्गों वो शामिल करने में कठिनाइयाँ आदि। अतः वर्तमान परिस्थितियों में मोड़दा प्रविनियमों के) द्वेषों को व्यापक बरना होगा और उनका क्रियान्वयन भी प्रभावपूर्ण बरना होगा।

9

भारत में वर्तमान काटखाना प्रधिनियम

(Salient Features of Present Factory
Legislation in India)

सबसे पहले मूरी बस्त्र मिल बम्बई के स्थानीय बस्त्र व्यापारी थीं सी. एन. डावर ने सन् 1851 में स्थापित की। इस उद्योग का तीव्र विकास हृषा और सन् 1872-73 में 18 मूरी बस्त्र मिलें हो गई जिनमें 10 हजार अभिक वार्ष करने थे। इन मिलों में बच्चों और महिलाओं के कार्य को इशारे मानवीय थी। मेजर मूरे (Major Moore) ने बम्बई मूरी बस्त्र विभाग के प्रशासन (Administration of Bombay Cotton Department) पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट के अनुसार इन मिलों में कार्य के सम्बन्ध में अधिकारी और दोस्ती उम्र के बच्चों की कार्य दशाओं का विवरण देखने को मिलता है।¹

धार्युनिक उद्योगों वे विकास में याद भारतीय नियोजक विनाः इसी कारणाना प्रधिनियम की बाधा के अभिको से किसी भी प्रकार से कार्य करने में पूर्ण स्व में स्वतन्त्र थे।²

सन् 1881 के पूर्व अम माइर्सों में सरकारी नीति एक स्वतन्त्र नीति थी। अधिकारी वारतातों में कार्य के घट्टे गृहोदय से मूर्दात्मक तरह थे। महिला और बच्चे अभिको को अधिक रोजगार दिया जाता था। अभिको को न तो रिती अवधि के अनुसार पीर न ही साप्ताहिक छुट्टियाँ दी जाती थीं।³

हमारे देश में कारखाना अभिको की दगाधों की पीर व्यापार हमारे उदार-वादी नियोजकों, राजनीतिज्ञों वा नहीं गया बल्कि सकारात्मक पीर मंत्रोच्चास्तर मूरी बस्त्र उद्योगों के मालिकों ने यह मद्दूस किया कि भारत में मूरी बस्त्र उद्योग ऐसी

¹ Field K. N., State & Labour in India, p. 34.

² Savena, R. C., Labour Problems and Social Welfare, p. 674.

³ Giri, V. V., Labour Problems in Indian Industry, p. 127.

से विकास की ओर बढ़ रहा है। इसका कारण यह था कि यहाँ पर कार्य के घट्टे मूर्गेदय से सूरक्षा तक के ये तथा अभिकों दो बहुत कम मजदूरी दी जाती थी, माय ही यहाँ पर किसी प्रकार का कारखाना कानून नहीं था। इस कारण धम लागत विदेशी अम लागत की तुलना म बहुत कम थी। बहाँ के मिल मालिकों ने भारत के सेन्ट्रेटरी आफ स्टेट से इसके विषय म निवेदन किया। सन् 1875 म इसकी जांच हेतु एक आयोग का गठन किया गया। आयोग ने बताया कि मूर्गेदय से सूरक्षा तक अभिका से कार्य लिया जाता है। साप्ताहिक छुट्टी का मध्याव तथा छोटे बच्चों से बार्य लेना (8 वर्ष की आयु तथा कभी कभी इससे भी कम आयु वाले बच्चों से कार्य) आदि के विषय मे जानकारी दी गई। आयोग ने एक साधारण अधिनियम जिसमे कार्य के घट्टे, साप्ताहिक छुट्टी, बच्चों की आयु निश्चिन करना आदि नियमित किए जाएं, पास करने की सिफारिश की। इस जानकारी के पश्चात् अभिकों मे भी जागृति उत्पन्न हुई और कई जगह अभिको ने विरोध प्रकट किया, हटाले हुई। परिणामस्वरूप कारखाना अधिनियम, 1881 पास किया गया। इसक दाद दमश 1891, 1911 1922, 1934 एव 1946 मे कारखाना अधिनियम बनाए गए। फिर पहले के सभी कारखाना अधिनियम समाप्त बरके 1948 म कारखाना अम मे सम्बन्धित एक व्यापक कानून पास किया गया।

कारखाना अधिनियम, 1881

(Factory Act of 1881)

यह अधिनियम एक साधारण अधिनियम या जिसके अन्तर्गत बच्चों दो सुरक्षा तथा स्वास्थ्य एव सुरक्षा सम्बन्धी उपायों का प्रावधान किया गया था। यह अधिनियम उन सभी संस्थानो पर लागू किया गया जिनम 100 या इससे अधिक अभिक शक्ति से कार्य करते थे और जो चार माह से अधिक चलते थे।

अधिनियम मे व्यवस्था की गई कि 7 वर्ष मे कम आयु के बच्चे दो कार्य पर नहीं लगाया जा सकेंगा तथा 7 से 12 वर्ष की आयु वाले बच्चो मे 9 घण्टे प्रतिदिन से अधिक कार्य नहीं लिया जा सकेगा। प्रतिदिन बीच म एक घण्टे का रेस्ट दिया जाएगा तथा साप्ताहिक छुट्टी भी दी जाएगी।

बतरनाक मशीनों दो ढक्के तथा कारखाना निरोधकों की नियुक्ति इम अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु सिफारिश की गई। स्थानीय सरकारों दो इम अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाने के अधिकार प्रदान किए गए और जिता अधिकारियों को इसके प्रशासन के लिए अधिकार दिए गए।

इस अधिनियम के अन्तर्गत पुस्तक महिला अभिको के भरकण हतु कोई प्रावधन नहीं था। यही कारण था कि अभिको के हिन्दौपी तथा लहानायर व मैनचेस्टर मिलों के मालिक इस अधिनियम से प्रसन्नुष्ट नहीं हुए। बम्बई सरकार ने सन् 1884 मे कारखाना आयोग (Factory Commission) नियुक्त किया। इस आयोग ने बाल व महिला अभिको को सरकण प्रदान करने हेतु अधिनियम पास करने की सिफारिश

की, तेजिन इसे क्रियान्वित नहीं किया जा सका। सन् 1890 में बतिन में धन्तराष्ट्रीय थग समेतन में वार्ष तथा महिना थमिकों की दसा मुपारने की सिराटिम की गई। श्रिटेन ने इन थमिकों को भारतीय कारबानों पर लागू करने के लिए एक परिणामस्वरूप कारबाना प्रधिनियम, 1891 पास किया गया।

कारबाना प्रधिनियम, 1891

(Factory Act of 1891)

यह प्रधिनियम उन कारबानों पर, जिनमें 50 या इससे अधिक थमिक जो शक्ति में वार्ष बरते हो, लागू किया गया। स्थानीय मर्कारे पटि चाहैं तो 20 या उसके अधिक वार्ष बरत वाले थमिकों पर भी प्रधिनियम लागू किया जा सकता था। प्रधिनियम में व्यवस्था की गई कि 9 वर्ष से बस मायु वाले थमिकों को रोजगार न दिया जाए तथा 9 से 14 वर्ष की मायु वाले वार्ष थमिकों से 7 घण्टे से प्रधिक वार्ष नहीं लिया जाए। वाल पौर महिना थमिकों को रात को, 8 बजे साथ से 5 बजे प्रातः तक वार्ष न कराने का प्रावधान रखा गया। महिना थमिकों हेतु प्रति दिन 11 घण्टे तथा 15 घण्टे वा बीच में रेस्ट वा प्रावधान रखा गया। सभी थमिकों हेतु साप्ताहिक प्रवरात का प्रावधान भी था। इस प्रधिनियम में निरीक्षण, सफाई पौर उत्तरदाना भी व्यवस्थाप्रीय हेतु भी नियम बनाए गए।

इस प्रधिनियम में श्रीढ़ थमिकों के वार्ष के घण्टों में कमी नहीं की गई। इसका विरोध किया गया। परिणामस्वरूप सन् 1906 में गूनी वस्त्र समिति (Textile Committee, 1906) पौर सन् 1907 में कारबाना पायोग स्थी नियुक्ति की गई। इनकी थिकानों वा प्राधार पर सन् 1911 में कारबाना प्रधिनियम पास किया गया।

कारबाना प्रधिनियम, 1911

(Factory Act of 1911)

सन् 1905 में व्यवही की मिलो में विजली था जाने से, राज की प्रधिक वार्ष वे घण्टे काम किया जाने लगा। बलवत्ता की जूट मिलों में भी प्रधिक वार्ष के घण्टे हो गा। इस प्रधिनियम के धन्तरांत प्रथम वार व्यवस्क मुख्य थमिकों के लिए वार्ष के घण्टे प्रतिदिन 12 रहे गए। बीच पर एक घण्टे वा रेस्ट भी किया जाने लगा। किसी भी कारबाने में कोई भी थमिक सायकाल 7 बजे से ग्रात। 5 बजे वे बीच वार्ष नहीं कर सकता था। वाल थमिकों के प्रतिदिन के वार्ष के घण्टे पटाकर 6 बर दिए तथा रात को वार्ष पर संगता मना कर दिया। मौसमी कारबानों पर भी इस प्रधिनियम को लागू कर दिया गया। वाल थमिकों हेतु श्रमाल-व्र व्यवस्था बर दिया गया। स्वास्थ्य पौर मुख्या हथा निरीक्षण सम्बन्धी प्रावधानों को दृग में लागू करने की सिराटिग भी गई।

कारबाना प्रधिनियम, 1922

(Factory Act of 1922)

सन् 1914 में प्रथम महायुद्ध दिइ गया। होत्र शोधोनियम विभाग से थमिकों

मेरे अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई। लाभ मेरे वृद्धि हुई, लेकिन दूसरी हुई बीमतों के कारण अमिको वी मजदूरी कम बटी। 1919 मेरे भ्रन्तराष्ट्रीय थम सगठन (ILO, वी स्थापना होने से भी कारखाना अधिनियम मे परिवर्तन लाना आवश्यक हो गया था। यह अधिनियम उन सभी कारखानों पर लागू कर दिया गया जहाँ पर जक्ति से 20 अमिको से कम काम नहीं करते थे। राज्य सरकारे 10 या 10 से अधिक अमिको वाले संस्थानों पर भी इस अधिनियम को लागू कर सकती थी। वयस्क अमिको के लिए प्रतिदिन और प्रति सप्ताह अमश 11 और 60 घण्टे निश्चित किए गए। वाल अमिको के बार्य के घण्टे सभी प्रकार के कारखानों म 6 घण्टे प्रतिदिन नियत किए गए। वाल अमिको हेतु न्यूनतम आयु और अधिकारम आयु अमश 12 वर्ष और 15 वर्ष रखी गई।

यह अधिनियम 1923 और 1926 मे संशोधित किया गया। 1928 मे शाही थम आयोग (Royal Commission on Labour, 1928) वी नियुक्ति भी गई जिसने अपनी रिपोर्ट 1931 मे पेश की। रिपोर्ट के आधार पर 1934 का कारखाना अधिनियम पास किया गया।

कारखाना अधिनियम, 1934 (Factory Act of 1934)

इस अधिनियम के भ्रन्तर्गत कारखानों को मीसमी और साल भर चलने वाले कारखानों को दो वर्गों मे विभाजित किया गया। मीसमी कारखाने वे कारखाने माने गए जो कि वर्ष मे 180 दिन कार्य करते थे। वर्ष भर चलने वाले कारखानों म वे कारखाने रखे गए जो साल मे 6 माह से अधिक चलते हा।

वर्ष भर चलने वाले कारखानों मे अधिकारम बार्य के घण्टे वयस्क अमिको हेतु 10 प्रतिदिन और 54 प्रति सप्ताह रखे गए। मीसमी कारखानों (Seasonal Factories) मे ये अमश 11 प्रतिदिन और 60 प्रति सप्ताह रखे गए। वाल अमिको वे बार्य के घण्टे घटाकर 5 कर दिए गए। बार्य वा फैलाव (Spread over) प्रथम बार इस अधिनियम मे रखा गया। इसमे वयस्क अमिको और बाल अमिको हेतु यह बार्य फैलाव अमश 13 और 6 घण्टे प्रतिदिन रखा गया। अतिरिक्त बार्य करने पर सामान्य दर का 1½ गुना का मुगतान अमिको बो किया जाएगा। इसमे प्रथम बार किशोर (Adolescents) का नया बर्ग रखा गया। 15 वर्ष से 17 वर्ष की आयु वाले इसमे रखे गए। मशीनों का ढक्कने, मुरक्खा उपाय, कल्याणबारी बार्य तथा हृतिम तमो बनाए रखने आदि के मम्बन्ध मे भी अधिनियम मे प्रावधान रखे। इस अधिनियम के प्रशासन का उत्तरदायित्व प्रान्तीय सरकारों पर रखा गया। इसके लिए मुख्य कारखाना निरीक्षक और कारखाना निरीक्षकों की नियुक्तियाँ भी गई।

संशोधित कारखाना अधिनियम, 1946 (Amended Factory Act of 1946)

1934 वा भारखाना अधिनियम 1936, 1940, 1941, 1944, 1946

तथा 1947 में मनोविज्ञ किया गया और प्रत में इसका स्थान वर्तमान कारखानी प्रधिनियम, 1948 ने रिया।

प्रावितम्, 1946 में दिया गया। सातवें अम सम्मेलन, 1945 में 48 घण्टे प्रति मप्पाइ के मिलात की स्वीकार दिया। इस संशोधित अधिनियम के अनुमार वर्ष भर बहन धाले कारबाहो में कार्य के घण्टे 9 प्रतिदिन तथा 48 प्रति सप्ताह रखे गए तथा मौसमी कारबाहो में घटावर 10 प्रतिदिन और 54 प्रति सप्ताह रखे गए। कार्य का फैलाव (Spread over) वर्ष भर धाले कारबाहो में और मौसमी कारबाहो में पटाकर त्रिश 10 1/2 और 11 घण्टे कर दिए गए। अतिरिक्त कार्य हेतु साधारण दर का दुगुना मुगवार करने का प्रावधान रखा गया। 1947 के संशोधन द्वारा जिन कारबाहो में 250 थमिको से व्यक्तिक कार्य करते हैं वहाँ केन्टीन का प्रावधान रखा गया।

कारणाना प्रधनियम, 1948

(Factories Act of 1948)

1934 के अधिनियम में वही दोष थे। सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्त्री-पुरुष सम्बन्धी प्रावधान ममुचित तथा सन्तोषप्रद नहीं थे। इस अधिनियम के प्रभावमें छोटे सस्तानों तथा कारखानों में कार्य करने वाले थमिका को शामिल नहीं किया गया था।

भारतीय ग्रन्थिनियम 1948 का उद्देश्य बारतीयों में वाम करने वाले अधिकारों के रक्षा स्वास्थ्य और वस्त्यागकारी कार्यों को शो-साहित प्रबन्धना है। यह जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों पर लागू होता है। वे कारबाने वहाँ 10 या 10 से अधिक अधिक शक्ति से काय प्रबन्धन करते हैं तथा 20 या 20 से अधिक अधिक विना शक्ति से काय प्रबन्धन करते हैं, इस प्रविनियम के भवितव्यता प्राप्त है। इसके अनुत्तरान्त राज्य सरकारों को यह प्रधिग्राह है तिव व किसी भी रोज़गार पर यह प्रधिनियम लागू कर सकती है। इस प्रविनियम के अनुपरांत मोर्चों तथा वद भर बलने वाली सभी पंचांग के घटातर को समाज कर दिया गया है।

इस प्रधिनियम में विभिन्न बातों सम्बन्धित की गई है। वे निम्नलिखित है—
१. कार्य के घण्टे (Hours of Work)— कम साथ के घण्टे अधिक की रार्पि-

कायं के पट्टे (—) कुशलता पर भनूत प्रभाव हानते हैं। प्रत इम अधिनियम में ददम्ह अधिकरों हनूम धर्मिकतम कायं के पट्टे प्रति सप्ताह 48 प्रोर प्रतिदिन 9 निश्चित रिए गए हैं। धर्मिकतम कायं के पट्टे प्रति सप्ताह 48 प्रोर प्रतिदिन 9 निश्चित रिए गए हैं। 5 पट्टे के कायं के बाद $\frac{1}{2}$ पट्टे का मध्यातर दिया जाएगा। कायं का क्षेत्राव (Spread over) 10 $\frac{1}{2}$ पट्टे से अधिक नहीं होगा। राज्य सरकारों द्वारा (Spread over) 10 $\frac{1}{2}$ पट्टे से अधिक नहीं होगा। राज्य सरकारों द्वारा अधिकार दिया गया है कि वे कुछ अविभिन्नों के कायं के पट्टे, सांस्कृतिक और शैक्षणिक दृष्टि साप्ताहिक 10 रियी भी दिन कायं का आदि घट दे सकती है। फिर भी कुन कायं के पट्टे 10 रियी भी दिन कायं का आदि घट दे सकती है। फिर भी कुन कायं के पट्टे 10 रियी भी दिन कायं का आदि घट दे सकती है। फिर भी कुन कायं के पट्टे 10 रियी भी दिन कायं का आदि घट दे सकती है। फिर भी कुन कायं के पट्टे 10 रियी भी दिन कायं का आदि घट दे सकती है।

जाएगा। 2. सदेतन एटी (Leave with Wages) — प्रधार अविवाही वो देवता

साप्ताहिक छुट्टी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त निम्न दरों पर सबेतन वार्षिक छुट्टियाँ (Annual leave with wages) दी जाएँगी—

(i) एक प्रीढ श्रमिक को 20 दिन कार्य करने पर 1 दिन सबेतन छुट्टी दी जाएगी, परन्तु वर्ष में न्यूनतम 10 दिन की सबेतन छुट्टी मिलेगी।

(ii) एक दालक को 45 दिन कार्य करने पर 1 दिन सबेतन छुट्टी मिलेगी और वर्ष में न्यूनतम 14 दिन की सबेतन छुट्टी मिल सकेगी।

(iii) यदि किसी श्रमिक को विना अर्जित छुट्टियों का उपभोग किए ही सेवा से मुक्त कर दिया जाता है अथवा स्वयं नीकरी छोड़ देता है तो नियोजक का कर्तव्य है कि उन दिनों का बेतन उसे दिया जाए।

3. नवयुवकों को रोजगार (Employment of Children)—14 वर्ष से कम आयु वाले नवयुवकों को रोजगार नहीं दिया जाएगा। 15 और 18 वर्ष की आयु के बीच वाले श्रमिक को प्रीढ (Adolescent) माना गया है। इन नवयुवकों को आयु सम्बन्धी डॉक्टरी प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। उन्हें कार्य करते समय टोकन रखना पड़ेगा। यह प्रमाण-पत्र 12 महीने तक वैध होगा।

4. महिला श्रमिकों को रोजगार (Employment of Women)—कोई भी महिला श्रमिक मशीन चालू करते समय सफाई, तेल डालने आदि का कार्य नहीं करेगी। कपास की धुनाई वाले यन्त्र का उपयोग करने पर वहाँ महिला श्रमिक को कार्य पर नहीं लगाया जाएगा। जहाँ 50 या इससे अधिक महिला श्रमिक कार्य करते हैं वहाँ छोटे बच्चों को पालनो (Creches) की सुविधा दी जानी चाहिए।

कोई भी महिला श्रमिक 7 बजे साथ से 6 बजे प्रात के बीच काम नहीं करेगी। इसी अधिकार में वाल श्रमिकों से भी कार्य नहीं निया जा सकेगा।

महिला श्रमिक के कार्य के अधिकतम घण्टे सप्ताह में 48 और प्रतिदिन 9 से अधिक नहीं होंगे।

खतरनाक त्रिया में महिला श्रमिकों को कार्य पर नहीं लगाया जाएगा। अतिरिक्त कार्य हेतु सामान्य दर का दुगुना मुగ्तान दिया जाएगा।

5. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (Health and Safety)—इस अधिनियम के अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार आदेशों का प्रावधान है जिससे श्रमिक का स्वास्थ्य और सुरक्षा का पूरा पूरा ध्यान रखा जा सके।

स्वास्थ्य सम्बन्धी निम्न आदेश इस अधिनियम में शामिल किए गए हैं—

(i) प्रत्येक कारखाने को पूर्ण रूप से साफ दिया जाएगा और किसी तरह का कूड़ा-करकट कारखाने के किसी भी भाग में नहीं ढाला जाएगा।

(ii) प्रत्येक कारखाने में शुद्ध वायु दाने तथा अशुद्ध वायु जाने हेतु पर्याप्त खरोंसे होने प्रावश्यक हैं।

(iii) यदि किसी निर्माण विधा से घून इत्यादि उठाई है तो उसकी सफाई की पूण व्यवस्था होनी चाहिए।

(iv) कारखानों में प्रधिक शुल्कता ग्रयगा नमी नहीं होनी चाहिए। कृतिम नमी परन वाले कारखानों में इसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़े।

(v) इस प्रधिनियम के बाद बनाए गए कारखाना में प्रत्यक्ष अभिक हनु 500 व्यूविक फोटो स्थान तथा पूर्व के कारखानों में 350 व्यूविक फोटो स्थान हाना जरूरी है। इससे ग्रत्यधिक भीड़ को बम दिया जा सकेगा।

(vi) कारखानों में वायरल अभिक हेतु पर्याप्त प्राहृति अयचा प्रशास्त्रिक प्रकाश की व्यवस्था की जानी चाहिए। जहाँ होकर अभिक घात जाते हैं वहाँ पर भा इसकी व्यवस्था होनी चाहिए।

(vii) प्रत्यक्ष कारखाने में अभिक हेतु धीने के टण्ड पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए। जहाँ अभिक 250 पा इसमें प्रधिक हैं वहाँ पर टेक्सीलेटर वी व्यवस्था होनी चाहिए।

(viii) प्रत्येक कारखाने में एयोन स्टोर मुझे व महिला अभिक हनु अनुग्रह ग्रन्ति शीकालय तथा पेशाब परी की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(ix) प्रत्येक कारखाने में व्यूहाने के लिए शूरूआती की पूण व्यवस्था की जानी चाहिए।

इस प्रधिनियम के अन्तर्गत मुख्या सम्बंधी निम्ननिमित्त उपाय का प्रावधान दिया गया है—

(i) मशीनों को ढक वर रखा जाए सेथा बनरनार मशीनरी की अन्तर्गत प्रशिक्षित प्रोटो व्यक्ति द्वारा ही की जानी चाहिए।

(ii) बाल तथा महिला अभिको का अन्तरनार मशीनों पर नहीं संग्राह जाता।

(iii) यांत्रिक शक्ति द्वारा उताई जाने यानी मशीन को अच्छी तरह से कारखाने में किया जाना चाहिए। भार उताने यानी मशीनों तथा सिपट पादि की सी समय समय पर देखभाल करनी चाहिए। इससे दुष्टताएं बम होती।

(iv) इस प्रधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य सरकार दो परिवार हैं। यह बाल पुढ़प व महिला अभिको द्वारा उठाए जाने वाले बोझ दो निश्चय वर। इसमें प्रधिक भार नहीं उठाया जाए क्योंकि यह अभिक के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डारता है।

6 बहवाल्फारी उपाय (Welfare Measures)—इस प्रधिनियम के अन्तर्गत अभिको व स्वास्थ्य पर वृद्धि वरने हेतु प्रशिक्षित यादें का प्रावधान दिया गया है—

(i) प्रत्येक कारखाने में थमिकों को प्रपत्ते हाथ मुँह धोने की सुविधाएं होनी चाहिए।

(ii) कपड़े धोने, उन्ह सुखाने और टाँगन की व्यवस्था होनी चाहिए।

(iii) प्रत्येक कारखाने में प्राथमिक चिकित्सा सुविधा (First Aid Appliance) प्रदान की जानी चाहिए।

(iv) जिन कारखानों में 250 या इससे अधिक थमिक कार्य करते हैं उनमें कैन्टीन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(v) जहां पर 150 या इससे अधिक थमिक कार्य करते हैं वहां पर माहार कमरों (Lunch Rooms) की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।

(vi) जिन कारखानों में 50 या अधिक महिला थमिक कार्य करती हैं वहां उनके बच्चों के पालनों (Creches) की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(vii) जिन कारखानों में 500 या इससे अधिक थमिक कार्य करते हैं वहां कल्याण अधिकारी (Welfare Officer) की नियुक्ति की जानी चाहिए।

सभी कारखाना मालिकों का यह दायित्व है कि रोजगार के कारण उत्पन्न किसी बीमारी अथवा दुष्टना के विषय में सूचना वे तत्काल सरकार तथा कारखाने हेतु नियुक्त चिकित्सकों को दें। नियुक्त चिकित्सकों को भी व्यावसायिक बोमारियों वाले थमिकों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट मुख्य कारखाना निरीक्षक (Chief Inspector of Factories) को दे देनी चाहिए।

इस अधिनियम के प्रशासन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। मुख्य कारखाना निरीक्षक सबसे बड़ा अधिकारी होता है और उसके अन्तर्गत वरिष्ठ दारबाना निरीक्षक और कारखाना निरीक्षक आते हैं जो अपने घरने क्षेत्र में इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को शियान्वित करने का कार्य करते हैं।

भारतीय कारखाना अधिनियम, 1948 के दोष

(Defects of the Indian Factories Act of 1948)

थम जौच समिति, 1946 (Labour Investigation Committee, 1946) ने विभिन्न कारखाना अधिनियमों में पाए जाने वाले दोषों का उल्लंघन किया था। यह अधिनियम पिछले कुछ वर्षों में अनेक दोषों का शिकार रहा है—

1. यह अधिनियम वहे श्रोटोगिक सम्बन्धों में सन्तोषप्रद ढग से शियान्वित किया जा रहा है, लेकिन छोटे और मौजमी कारखानों में यह अधिनियम सन्तोषप्रद ढग से लागू नहीं किया जा सका है। इन कारखानों में कार्य के घट्टों, प्रतिरिक्त कार्य, वालिकों की नियुक्ति, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सफाई से सम्बन्धित घावें को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। नियोजकों द्वारा थमिकों के फूटे

प्रभाग-पत्र, प्रतिरित वापं हेतु दोदोरे रजिस्टर प्राप्ति रखकर निरीक्षकों द्वा प्रोत्ता दिया जाता है।

2. निरीक्षकों की मत्ता कम होने से प्रोत्ता कारखानों की सम्या प्रधिक होने से वही कारखाने साल भर म एवं बाट भी नहीं देख सकते हैं। निरीक्षक भी तबनीकी बतानी की ओर ज्यादा ध्यान रखते हैं जबकि मानवीय सम्बन्धों की प्राप्त उपेक्षा करते हैं। प्रति निरीक्षकों की सह्या म दृढ़ि की जानी चाहिए जिससे इस प्रधिनियम का क्रिया-व्यवन प्रभावशूण ढग से हो सके।

3. कुगल एवं ईमानदार कारखाना निरीक्षकों की इसी है। प्रधिकौशल निरीक्षक कारखाने का यूलं निरीक्षण किए जिना हो निरीक्षण प्रनिवेदन तंत्यार कर सकते हैं तथा प्रामिकों से रिप्रेट सेकर उनके दोषों का रिपोर्ट म नहीं दियते हैं।

4. प्रधिनियम का बार-बार उल्लङ्घन करने का प्रमुख कारण यह भी है कि दायित्वों पर दण्ड कम दिया जाता है। एक मालिक पर 100-150 रु का जुर्माना दिया जाता है जबकि उसकी पंचवीं से तिए निरीक्षक के आनंद-जाने में ही हजारों रुपये रख्य हो जाते हैं। प्रति दोषी दायित्वों को दण्डित समय पर प्रोत्ता पर्याप्त रूप में दिया जाना चाहिए।

5. यह प्रधिनियम अनियन्त्रित कारखानों (Unregulated Factories) पर लागू नहीं होता है। इन कारखानों में थमियों का शोषण दिया जाता है तथा अमानवीय दशाओं में उनको बाये बरना पड़ता है। प्रति इस प्रधिनियम को विस्तृत बरबे प्रनियन्त्रित कारखानों पर लागू दिया जाना चाहिए।

इस प्रधिनियम के प्रभावशूण क्रिया-व्यवन हेतु कारखाना निरीक्षकों की सर्वाधार्या जाना चाहत्यक है। उनके प्रधिकारों प्रोत्ता स्तर में भी ईट दी जानी चाहिए। ईमानदार प्रोत्ता कार्यकुशल निरीक्षकों की वियुक्ति प्रयोगिक है। विभिन्न प्रान्तों में वाई जानी चाही असमानता को समाप्त किया जाना चाहिए। थमियों को भी इस प्रधिनियम में विभिन्न प्रावेशों के बारे में बताया जाना चाहिए।



10

भारत में अमिकों का आवास; नियोजक व अम-संघों तथा सरकार द्वारा दी गई अम कल्याण सुविधाएँ

(Housing of Labour in India; Labour Welfare Facilities Provided by Employers, Trade Unions and Government)

भारत में अमिकों का आवास समस्या का स्वरूप
(Housing of Labour in India : Nature of the Problem)

आवास का वित्त प्रबन्धन और क्रियान्वयन निजी उद्यमियों द्वारा किया जाता था। लेकिन यह नीति उस समय ही उचित है जब अधिकांश जनसंख्या कृषि में लगी हुई हो। स्वतन्त्रता की नीति के कारण से शौद्योगीकरण दूपा और तीव्र शौद्योगीकरण स्थानीय केन्द्रों पर अधिक होने से आवादी बढ़ने लगी। इससे आवास की समस्या चलती हुई। बिना योजना के ही आवास व्यवस्था को जान लगी। इससे भूमि भोजपटियों का विकास हुआ।¹

शौद्योगिक आयोग सन् 1918 (Industrial Commission) ने इस समस्या की ओर ध्यान प्राप्ति किया। लेकिन इस सिफारिश की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया।

रोटी, कपड़ा और मकान मानव की तीन आधारभूत आवश्यकताएँ हैं जिनमें मकान महत्वपूर्ण आवश्यकता है। देश में आवास व्यवस्था बढ़नी हुई शौद्योगिक जनसंख्या की तुलना में कम रही। जगह की कमी, भूमि की ऊँची लागत आदि के कारण आवास व्यवस्था पूर्ण रूप से बढ़ती हुई जनसंख्या के निए पर्याप्त नहीं रही। घीरे-घोरे आवास दशाघरों की स्थिति विगड़ती गई।

शाही थम प्रायोग ने प्रमुख प्रौद्योगिक बेन्द्रों की प्रावास व्यवस्था का विवरण देते हुए बताया कि मकान एक-दूसरे से सड़े हुए थे। उनमें बोईं रोजानदान की तथा सफाई की व्यवस्था नहीं थी। एक ही कमरे में कई व्यक्ति रहने थे। मूर्य का प्रकाश भी नहीं पाया था। पानी भी भी समुचित व्यवस्था नहीं थी। रात को इन बस्तियों में बोईं भी पा जा नहीं सकता था।

प्रावास व्यवस्था के अन्तर्गत न केवल वारदीवारी शामिल थी जानी है, बल्कि प्रावास के आस-पास के बातावरण को भी शामिल किया जाता है। प्रावास व्यवस्था का अर्थ ऐसे प्रावास से है जहाँ अमिन आराम से रह सके, एक ऐसे बातावरण से है जो अमिनों हेतु स्वास्थ्यप्रद हो तथा ऐसी सुविधाओं से है जो वे अमिन के स्वास्थ्य व कार्य-सम्पत्ति पर प्रभाव डाले। अमिनों का निवास ऐसी जगह होना चाहिए, जहाँ स्वच्छ वायु, प्रकाश व जल प्राप्त होने में मिलते हों। विशितसा गिराव, मनोरुद्धन, सेतबूद आदि की सुविधाएँ भी अमिनों को मिलनी चाहिए।

दुरी प्रावास व्यवस्था से प्रौद्योगिक अमिन एवं बुराइयों का ज़िकार इन जाता है, जैसे शराब पीना, बीमारी, पर्वतिकरा, मप्रराप, घनुगाहिता आदि। इससे प्रधिक अस्पतालों प्रौद्योगिक व्यवस्था करनी पड़ती।

प्रावास व्यवस्था एक मानवीय प्रावश्यकता है जिसे राष्ट्रीय योजना में शामिल करना प्रावश्यक है।

प्रावास की समस्या यिन्हीं है—

1. सामाजिक समस्या (Social Problem)—यह ग़म्भीर बस्तियों की समस्या से सम्बन्धित है। प्रमुख प्रौद्योगिक बेन्द्रों में प्रधिक भ्रीड-भाइ से प्रावास समुचित रूप से न मिलते के कारण इन निम्न बगे वे तोगे द्वारा ग़म्भीर बस्तियों बना ली गई हैं। मदाम ही चेरी कानपुर के पहाता, कलवता की बस्ती, बम्हई और घट्टमदायाद की चात बस्तियाँ, ग़न्दी बस्तियों के महाक्षेत्र उड़ाहरण हैं। पिंड के सम्भवत किसी भी प्रौद्योगिक थोक में इस प्रकार की ग़म्भीर बस्तियों देखने को नहीं मिलती है।

2. आर्थिक समस्या (Economic Problem)—प्रावास व्यवस्था वा अमिन के स्वास्थ्य पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। शराब प्रावास से एवं प्रकार वीमारियों को प्रोत्साहन मिलता है। इसका अमिन के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कार्य-कुशलता पड़ती है प्रौद्योगिक योजना में गिरावट पा जाती है।

3. नागरिक समस्या (Civic Problem)—एहरी थोकों में प्रधिक जनसार से नागरिकों के प्रावास पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अमिन भी एक नागरिक है प्रौद्योगिक समस्या का समर्पण होना प्रावश्यक है।

खराब आवास व्यवस्था के दोष (Defects of Bad Housing)

प्रो. आर. सी. सक्सेना वे अनुमार, "मच्छे घरों का अर्थ दृट-जीवन की सम्भावना, सुख प्रोत्तर स्वास्थ्य है तथा दुरे घरों का अर्थ है गन्दी, शराबखोरी, बीमारी, व्यभिचार प्रोत्तर प्रपराध।"¹

1. खराब आवास व्यवस्था का स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव पड़ता है। आवास प्रोत्तर स्वास्थ्य एवं दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा वे दोनों औद्योगिक अभियानों की बार्य कुशलता पर बुरा प्रभाव डालते हैं। इससे कई प्रश्नार मी बीमारियाँ पैदा जाती हैं।

2. खराब गृह-व्यवस्था के कारण ही अभियोगी म प्रवास की प्रवृत्ति (Migratory Character of Labour) वा प्रोत्ताहन मिलता है। भारतीय अभियान चामोण क्षेत्रों से आकर औद्योगिक क्षेत्रों मे कार्य करते हैं। लेकिन चामोण और शहरी आवास मे रात दिन का अन्तर देखने वो मिलता है। सूखी हवा, प्रकाश, शुद्ध जल तथा अच्छी वातावरण आदि वा शहरी क्षेत्रों मे अभाव होन के कारण वे कुछ दिन कार्य करते हैं प्रोत्तर किर वापिस अपने गांव वो चले जाते हैं।

3. खराब आवास व्यवस्था के कारण कई सामाजिक बुराइयाँ (Social evils) उत्पन्न हो जाती हैं। उदाहरणार्थ—शराबखोरी, अनंतिकना, अपराध, जुआ मेलना प्राप्ति। औद्योगिक वस्तियों मे स्त्री-मुहर का अनुपात अपमान होने के कारण अनंतिकता वो बढ़ावा मिलता है। अभियान परिवार वे रहने के कारण जुआखोरी, शराबखोरी, अपराध आदि बुराइया का शिकार हो जाता है।

अपर्याप्त प्रोत्तर खराब आवास व्यवस्था के कारण ही औद्योगिक अस्थनि, अनुपस्थिति प्रोत्तर थम परिवर्तन आदि वो प्रोत्ताहन मिलता है। य सभी औद्योगिक उत्पादन वो बम करते हैं, जिसका राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

आवास व्यवस्था की इन अभाग्यशाली परिस्थितियों से विवश होकर डॉ राधाकृष्णन ने ठीक ही लिखा है कि "भारतीय औद्योगिक वस्तियों वो दशा इतनी भयकर है कि वहाँ मानवता वो निर्देशन वे साथ अनिश्चित विद्या जाता है। महिलाओं के सतोत्त्व का अपमान किया जाता है एवं देश के भावों आधारस्तम्भ शिशुओं वो प्रारम्भ से विप से सिंचित किया जाता है।"²

आवास की इन खराब दशाओं का चित्रण करते हुए श्री मीनू मसानी न कहा था कि, "भगवान ने विश्व को बनाया, मनुष्य ने शहरों वो प्रोत्तर राक्षसा न बन्दी वस्तियों वो बनाया।"

1952 मे राष्ट्रीय नेहरू ने बानपुर वो आवास व्यवस्था को देखकर गुस्से में कहा था, "इन गन्दी वस्तियों वो जला दिया जाए।"

1. Saxena R. C. : Labour Problems & Social Welfare, p. 246.

2. Dr. R. K. Mukerjee : The Indian Working Class, p. 230.

प्रावास किसका उत्तरदायित्व ? (Housing Whose Responsibility ?)

सराव प्रावास व्यवस्था के कारण अमिको की कायदुगलता पर प्रतिदृत प्रभाव पड़ता है। अमिको में प्रवासिता औद्योगिक प्रशासन, अमिक परिवर्तन, अनुपस्थिति प्रादि सभी तत्त्वों के लिए सारांश प्रावास व्यवस्था जिम्मेदार है। इसी सामाजिक चुराईयी उदाहरणांतरे, जुप्रालोरी, बेश्यागमन, प्रपटाप प्रादि लारव प्रावास व्यवस्था के ही परिणाम हैं।

इसी सभी बुरे प्रभावों को समाप्त करने हेतु एक अच्छी प्रावास व्यवस्था का होना आशयक है। इस मह चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक अच्छे मकान में सपरिवार गुस्सी और प्रसन्न रहे। एक अच्छी प्रावास व्यवस्था हेतु हिंगे जिम्मेदार बनाया जाए, वह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अमिको का बहुना है कि प्रावास व्यवस्था बरना मालिको का उत्तरदायित्व है। सरकार को इसके लिए प्रारणाना अधिकायम, 1948 में सामाजिक पर इसे ज्ञानित किया जाए। जहाँ मालिक यह नहीं कर सकता है वही अमिको को प्रावास भत्ता दिया जाना चाहिए।

मालिको का बहुन है कि प्रावास व्यवस्था राज्य और स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की जानी चाहिए यदोकि प्रावास व्यवस्था के लिए भूमि प्राप्त बरना और मकान बनाना एक महंगी व्यवस्था है जो कि मालिक द्वारा बहुत नहीं जी जा सकती है।

सरकार के कथनानुसार प्रावास व्यवस्था का उत्तरदायित्व मालिको का है यदोकि अच्छी प्रावास व्यवस्था से प्राप्त सामने मालिको हो ही प्राप्त होगी। अच्छी प्रावास व्यवस्था से अमिको ही प्रवासिता, अनुपस्थिति, अमिक परिवर्तन, गरावदोरी, जुप्रालोरी, बेश्यागमन प्रादि दोष बहुत हो जाएंगे। अमिको की कायदुगलता जुप्रालोरी, उत्पादन अधिक होगा और इससे मालिको के लाभ में बढ़ि होगी। वर्दि अमिकियों व साधोगों ने भी प्रावास का उत्तरदायित्व के बारे में घपने घनन प्रबन्ध विचार दिए हैं।

जाही भ्रम घाषोग के मनुगार प्रावास का उत्तरदायित्व सरकार और स्थानीय निकायों का है। राष्ट्रीय योजना मनिति ने यहा पा कि इसका उत्तरदायित्व प्रतिवाप रूप से मालिको पर होना जाना चाहिए। स्वाम्य मर्वेल एवं विकास समिति 1946 ने भी प्रावास का उत्तरदायित्व सरकार पर हो होना है। अमिक प्रमुग-पार समिति ने युभाव किया है कि प्रावास हेतु प्रावास मण्डलों (Housing Boards) की स्थापना की जानी चाहिए। प्रावास हेतु पूँडी वित वा प्रदाय राज्यों द्वारा किया जाना चाहिए और वियाधीन व्यय बहुत परने का उत्तरदायित्व मालिका और अमिको पर होगा चाहिए।

प्रावास व्यवस्था का उत्तरदायित्व इसी एक पा पर नहीं होना जा सकता

क्योंकि यह समस्या एक जटिल समस्या है तथा इसमें भूमि प्राप्त करना और मकान बनाने हेतु भाल तथा वित्त वा प्रबन्ध करना आदि चाहिए इयां आती हैं, जिन्हें इसी एक पक्ष द्वारा हेतु करना आसान नहीं है। अब आवास व्यवस्था हेतु न बेवल राज्य सरकारों द्वारा हेतु करना आसान नहीं है। अब आवास व्यवस्था हेतु न बेवल राज्य सरकारों द्वारा हेतु करना आसान नहीं है। अब आवास व्यवस्था हेतु न बेवल राज्य सरकारों द्वारा हेतु करना आसान नहीं है। अब आवास व्यवस्था हेतु न बेवल राज्य सरकारों द्वारा हेतु करना आसान नहीं है। अब आवास व्यवस्था हेतु न बेवल राज्य सरकारों द्वारा हेतु करना आसान नहीं है। अब आवास व्यवस्था हेतु न बेवल राज्य सरकारों द्वारा हेतु करना आसान नहीं है। अब आवास व्यवस्था हेतु न बेवल राज्य सरकारों द्वारा हेतु करना आसान नहीं है। अब आवास व्यवस्था हेतु न बेवल राज्य सरकारों द्वारा हेतु करना आसान नहीं है।

गन्दी वस्तियों की समस्या

(Problem of Slums)

भारतीय ग्रीष्मोगिक श्रमिकों की आवास व्यवस्था अच्छी नहीं है। वे गन्दी वस्तियों में रहते हैं। इन गन्दी वस्तियों को विभिन्न ग्रीष्मोगिक क्षेत्रों में अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है। बम्बई में चाल (Chawl), मद्रास में चेरी (Cherry), कलकत्ता में बस्ती (Basti) और बानपुर में अहाता (Abatas) के नाम से जानी जाती हैं। इन ग्रीष्मोगिक क्षेत्रों में गन्दी वस्तियों को प्रोत्साहन निर्माण नियमों में फिलाई, श्रमिकों की उदासीनता, भूमि का ऊँचा मूल्य आदि के बाराह मिला है। गन्दी वस्तियों हमारे देश का दरिद्रता की निशानी हैं। शिक्षा की व्यापारी, अधिक जनभार और योजना के प्रभाव के परिणामस्वरूप गन्दी वस्तियों का विकास हुआ है।

गन्दी वस्तियों एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है वयोंद्वारा आवास मरम्बव की एक प्रमुख आवश्यकता है जिसे पूरा बरना प्रत्येक वल्याएवारी सरकार का दायित्व हो जाता है। इन गन्दी वस्तियों के बारें बाय-न्यूशलता में बड़ी, अनेतिकर्ता, शराबखोरी, जुगाड़ोंरी, ग्रीष्मोगिक घणानित आदि रूपों में हमें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए गन्दी वस्तियों का उन्मूलन अत्यन्त आवश्यक है। 1952 में स्वर्गीय नेहरूजी ने बानपुर की गन्दी वस्तियों को समाप्त करने की घोषणा उन्हें जला देन के लिए कहा था। सदृ सदस्य धी वी शिवाराव ने भी इन गन्दी वस्तियों को समाप्त करने के लिए युद्ध स्तर पर वार्य करने को कहा था।

गन्दी वस्तियों की समस्या वा हल तीन दृष्टिकोणों द्वारा दिया जा सकता है। प्रथम, गन्दी वस्तियों की सफाई (Slum clearance) करना। यह एक दीर्घ-कालीन समस्या है। योजनाबद्ध तरीके से इस समस्या को हल करना होगा। दूसरा, गन्दी वस्तियों का सुधार (Slum improvement) करना। जहाँ गन्दी वस्तियों को साफ करना सम्भव नहीं है तथा सुधार सम्भव है, वहाँ यह वायं दिया जाना चाहिए। इसे बर्नेमान समय में ही शुरू करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक सुविधाएँ, उदाहरणार्थ सड़कें, चिकित्सा और शिक्षा आदि प्रदान करनी चाहिए। तीसरी, गन्दी वस्तियों को रोकन (Slum prevention) वा मरम्बव को बातून बनाना चाहिए जिसमें गन्दी वस्तियों को प्राप्तसाहन नहीं मिले। योजनाबद्ध तरीके

के प्रावास अवस्था की जानी चाहिए। यह निर्माण सम्बन्धी नियमों को प्रभाशूल्य हुए से लागू किया जाना चाहिए।

गन्दी बस्तियों की सफाई हेतु विभिन्न पचवर्दीय योजनाओं में निश्चिन वापंत्रम् रखे गए हैं और उन पर ध्यय किया गया है।

प्रथम पचवर्दीय योजना में गन्दी बस्तियों की सफाई को प्रावास सम्बन्धी नीति का प्रावधान अग माना गया। इसके लिए यृद्धि-निर्माण की राति 38.5 करोड़ रुपये में से योजना बनाकर ध्यय करने का प्रावधान रखा गया था। दूसरी योजना में गन्दी बस्तियों की सफाई हेतु 20 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था जिसे बाद में पटाकर 13 करोड़ रुपये कर दिया गया। सीतरी पचवर्दीय योजना में गन्दी बस्तियों के उन्मूलन प्रौद्योगिकीय सुधार हेतु 28.6 करोड़ रुपये रखे गए थे। चौथी पचवर्दीय योजना में इस बायं हेतु 60 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा था। पाँचवीं पचवर्दीय योजना में भी गन्दी बस्तियों के उन्मूलन तथा सुधार हेतु पर्याप्त धन दिया गया।

1958 में गन्दी बस्तियों की सफाई पर सपाहू़ार समिति (Advisory Committee on Slum Clearance) द्वारा दी गई रिपोर्ट में निम्न निष्कर्षों की गई थी—

- 1 गन्दी बस्तियों की सफाई समस्या को नागरिक विकास समस्या का एक प्रभिन्न प्रभ माना जाए।
- 2 सुगमतापूर्वक बायं खलान हेतु वेन्ड्रीय प्रभावात्मक को यह बायं-भार सौर दिया जाए।
- 3 बायं प्रारम्भ करने हेतु यम्पई कनवस्ता, मट्टास, दिल्ली, बामपुर प्रौद्योगिकीय बायं-भार सौर दिया जाए।
- 4 बतमान गन्दी बस्तियों में साधारभूत गुविपारे—सहक, प्रशासी, जल, विवितसालय, पाठ्याला प्रादि की अवस्था की जाए।
- 5 प्रधिक गन्दी बस्तियों को आयोगिक रेत में प्रधिक प्रभागि का उपयोग किया जाए।

भारत में अधिकों तथा अन्य घरों के प्रावास पर

भारत सरकार का विवरण 1985-86

भारत में मरानों की बमों के दो पहलू हैं—अम गम्या प्रौद्योगिकीय स्तर प्रावास की यह असम्भव बमों में नगातार जटिल होनी रही है। इसके सुधारन लोन भारत रहे हैं—(1) जनसम्भा में तेजी से दृष्टि, (2) सीउ गति से बढ़ावीकरण प्रौद्योगिकीय बमों में अपेक्षाकृत बम दृष्टि। गोवी प्रौद्योगिकीय बमों की प्रावास समस्या में भी बहुत बहा अवनर है। अहरी इमारों में भीड़-भाड़, तग बस्तियों प्रौद्योगिकीय प्रभिन्नों को गम्या है और प्रामोड़ देनी में पर्यावरण की दिपति रही रही है तथा प्रावधान सेक्यामों का अभाव है। भारत में

आवास समस्या का कोई भी व्यापक हरा ढूँढते समय इन बटिनाइयों की अवहेलना नहीं को जा सकती।

स्वाधीनता के पश्चात् भारत में काफी परिवर्तन आए हैं। स्वाधीनता के बाद लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य को बेहतर देखभाल की नीतियों अपनाई गईं। इनसे अधिकांश लोगों की आयु बढ़ गई। दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ लोगों की आसत आयु में भी बढ़ोत्तरी हुई। इन परिवर्तनों की स्पष्ट भनक इस बात ने मिलती है कि मकानों की मात्र करने वाले नए परिवारों की संख्या लगातार बढ़ रही है तथा वे बेहतर मकानों में रहने की इच्छा करने लगे हैं। अतः भारत में आवास नीति में जहाँ एक ओर मकानों की संख्या बढ़ाने पर बल दिया जाता है, वहाँ लोगों को अपने निजी मकान बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। हालांकि भारी संख्या में लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है लेकिन यह बात भी स्पष्ट है कि सामने आई है कि मूलभूत असमानताओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

आवास आवश्यकताएँ

संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के अनुमार भारत जैसे विद्यासशील देशों में आवास वो स्थिति जो और विडने से रोकने के लिए अगले दो-तीन दशकों में प्रतिवर्ष एक हजार की आवादी के लिए आठ से दस मकान बनाए जाने चाहिए। यह अनुमान लगाया गया है कि 1971 तक प्रति हजार जनसंख्या के लिए केवल दो से तीन मकानों की वृद्धि हुई, जबकि जनसंख्या की वृद्धि जो देखते हुए प्रति हजार आवादी के लिए पांच मकानों की आवश्यकता थी। 1971 से 1981 के दीच यह वृद्धि दर बढ़कर प्रतिवर्ष चार मकानों की प्रति हजार हो गई। मकानों के मोजूदा स्तर में सुधार तथा पुराने मकानों के स्थान पर नए मकानों के निर्माण की आवश्यकता के कारण मकानों की कमी की समस्या और गहरी हुई है।

संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने 1987 का वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय हृष से 'आवासहीनों के लिए आश्रय वर्ष' के रूप में मनाने वा निश्चय किया है। इसके मुख्य उद्देश्य है—(1) 1987 तक सभी पवर्ती स्थानों पर रहने वाले निधनों व सुविधाहीन लोगों की स्थिति में सुधार लाने वा प्रयास करना। (2) सन् 2000 तक निधनों व सुविधाहीन व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुविधा प्रदान करने वे सम्बलित विभिन्न साधनों और सासाधनों में सम्बन्धित उन्नत जानकारियों वा प्रदानन करना। अन्तर्राष्ट्रीय हृष से मनाए जा रहे 'आवासहीनों के लिए आश्रय वर्ष' के निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने हेतु सरकार बचनबद्ध है।

पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत आवास योजनाएँ

आवास-निर्माण एक ऐसी गतिविधि है जिसमें विशेषतया अत्यधिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है। अतः इससे उमी प्रकार का विकास होता है जिसकी परिकल्पना भारत की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में की गई है। साथ ही आवास-

निर्माण में प्रकृताल श्रमिकों को रोजगार मिलता है और भ्रष्टाचार निर्णय सोगा को आप होती है।

सरकारी कम्पनियों द्वारा बनाने के प्रतिरिक्ष आवास-निर्माण में चौथी पवधर्थीय योजना तक सावजनिक देश की भूमिका क्य रही है। उदाहरण के द्वारा चुने हुए आधिकरण से कमजार वर्गों को रियायती मकान दिए गए हैं। चौथी पवधर्थीय योजना के द्वारा उपर्युक्त वर्ग में जलाई जा रही योजनाओं के साथ-साथ ग्रामीण भूमिहीनों को भी आवास स्थल देने का प्रावधान किया गया।

चौथी योजना में यह स्पष्ट रहा यहा है कि आवास एक बुतियादी प्राकृत्यकृती है और इसे प्रयत्न ही तूरा किया जाना चाहिए। आवास के सन्दर्भ में योजना के लक्ष्य इस प्रकार ये—(1) ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों को आवास रथत प्रदान करता और निर्माण के लिए महायता देना, (2) सापनों वी प्रत्यक्षिक वासी को देखते हुए, सारंजनिक देश की सामाजिक आवास योजनाओं को इस प्रकार तंयार किया जाएगा कि इनसे अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित किया जा सके, विशेषकर आधिकरण से कमज़ोर वर्गों के सोगा के लिए जिसमें वे भूकर्तान करने में स्वयं को समर्थ पा रहे, और (3) स्तरों वी समीक्षा करते हुए सभी वैकल्पिक निर्माण भागी वा प्रयोग करके सार्वजनिक आवास योजनाओं में जागत को इस करने में विशेष प्रयास किए जाएंगे।

सामाजिक आवास योजनाएं

आवास समस्या केन्द्र तथा राज्य सरकारों के लिए चिन्ता का विषय रही है, व्योजित सोगों वी व्यतियत तथा सामाजिक भलाई के लिए इसका बहुत महत्व है। स्वाधीनता के पश्चात् सरकार न यह स्वीकार किया वि सोगों वी आवास मुख्यालय प्रदान करने के लिए राज्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। परिवासमत्वरूप, राज्य/केन्द्र सरकार की यह भूमिका उत्तरात्तर वडती रही है वि आवास के लिए सरकारी व्यष्टि में वरायर दृढ़ि की जाती रही है।

देश में चल रही सामाजिक आवास योजनाओं के सन्दर्भ में केन्द्र सरकार वी भूमिका, इस विषय में, औटे तोर पर सिद्धान्त निर्णायित करने, आवास की परामर्श देने, राज्य सरकारों तथा केन्द्र शामिल प्रदेशों वी आवास और प्रदुशन के रूप में विसीय सहायता प्रदान करने और इन योजनाओं वी प्रतिनि नर नजर रखने तक ही सीमित रही है। राज्य सरकार और केन्द्र अधिकारी देशों के लालालगों वी इन योजनाओं के अन्तर्गत परियोजनाएं तंयार करने, स्वीकृति देने और इहौं आवंशक देने तथा गम्भीरत निर्माण एनेंसियों को विसीय सहायता जारी करने के पूरे अधिकार दिए गए हैं। चतुर्थ पवधर्थीय योजना में प्रारम्भ से राज्य वी आवास सहित राज्य देश वी तभी योजनाओं के लिए 'एक मुक्त पनुशन' और 'एक मुक्त ज्ञान' के रूप में वरी केन्द्रीय सहायता दी जाती रही है। परन्तु इन

विषय में राज्यों के लिए ऐसी कोई भर्त नहीं लगाई जाती जिसे विकास के हिस्सी विशेष कार्यक्रम अथवा योजना पर कितना धन खर्च करें। आवास और निर्माण मन्त्रालय वीस सूनी कार्यक्रम के मन्तुर्गत चल रही योजनाओं की प्रगति पर भी नजर रखता है।

जून, 1982 तक देश में जो सामाजिक आवास योजनाएँ चल रही थीं उनका विवरण (योजना शुरू होने के बापू सहित) इस प्रकार है—

(1) ग्रोटोगिक थमिको और समाज वे आधिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए समन्वित रियायती आवास योजना (1952), (2) कम आयु वाले वर्ग के लिए आवास योजना (1954), (3) बागान मजदूरों के लिए रियायती आवास योजना (1956), (4) मध्यम आय वर्ग आवास योजना (1959), (5) राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए किराया आवास योजना (1959), (6) तग बहितरों की सफाई/सुधार योजना (1956), (7) ग्रामीण आवास परियोजना (1957); (8) भूमि भविष्यहरण तथा विकास योजना (1959) तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन थमिकों के लिए आवासीय स्थलों का प्रावधान (1971)।

बागान मजदूरों के लिए रियायती आवास योजना को छोड़कर, जो बेन्डीय क्षेत्र में ही है, जुलाई, 1982 से सामाजिक आवास योजनाओं और भूमिहीन मजदूरों के लिए आवासीय स्थलों के प्रावधान की योजना का आय वे आधार पर पुन वर्गीकरण करके इनकी चार श्रेणियाँ बना दी गई हैं। ये हैं—(1) आधिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आवास योजना, (2) कम आय वर्ग के लिए आवास योजना, (3) मध्यम आय वर्ग के लिए आवास योजना और (3) राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए किराया आवास योजना।

आवास स्थल तथा निर्माण सहायता योजना

गाँवों के भूमिहीन थमिकों के लिए आवास स्थल तथा निर्माण सहायता योजना 18 राज्यों और 6 केन्द्र शासित प्रदेशों में चलाई जा रही है। छठी योजना में इसके लिए लगभग 354 करोड़ रुपये रखे गए थे। इनमें से 170 करोड़ रुपये आवास स्थल प्रदान करने के लिए रखे गए थे और लगभग 184 करोड़ रुपये निर्माण सहायता के रूप में दैनंदिन का प्रावधान था। योजना के अनुसार विस्तित आवास स्थलों, सम्पर्क सड़कों और एक पक्का कुप्री बनाने पर प्रति परिवार 250 रुपये के हिसाब से खर्च किया गया। प्रत्येक परिवार को 500 रुपये निर्माण सहायता के रूप में दिए जाएंगे। मकानों के निर्माण का लंब योजना से लाभान्वित होने वाले परिवार स्वयं बर्चे।

अनुमान है कि मार्च, 1985 तक आवास सहायता पाने वोग्य परिवारों की संख्या लगभग 145 लाख होगी। 77 लाख परिवारों को छठी योजना वे घारम्भ होने से पहले ही आवासीय प्लाट प्राप्त हो गए हैं और 68 लाख परिवार ऐसे बचे हैं जिन्हें आवास स्थल दिए जाने हैं। छठी योजना में शेष सभी भूमिहीन

परिवारों को प्रावासीय एनाट प्रदान करने का प्रस्ताव है। मार्च, 1985 तक 130 72 साल परिवारों का प्रावास स्थल प्रदान कर दिये गए हैं। यद्दीयोजना में राहायता पाने योग्य 25 प्रतिशत परिवारों पर्याप्ति 36 साल परिवारों को निर्माण राहायता प्रदान करने का भी प्रस्ताव है। राज्य सरकारें और सोनों द्वारा प्राप्ते प्रदानों से मराने परवा खोरड़े का निर्माण किया जा रहा है। इन सभी प्रदानों से मार्च, 1985 तक 31 35 साल पर बनाए जा चुके हैं।

प्रावास वित्त

प्रावास तथा अन्य निर्माण गतिविधियों में प्रावास के लिए धन जुटाना गर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रावास के दोनों में सार्वजनिक दोष की मूलिका उत्तमाहनक होते हुए भी बहुत कम रही है। प्रावास के लिए प्रधिकरण पूँजी नियमी दोष में ही लगने की प्राप्ति है।

हानार्डि प्रावास वित्त के लिए देश में हान ही में धनव विशेषज्ञ एजेंसियों वा गई हैं, लेकिन ग्रब भी प्रधिकरण धन कुछ चुनी हुई वित्तीय संस्थाओं से ही प्राप्त होता है। इन संस्थाओं में सारतीय जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम, प्रावास और शहरों विकास निगम (हड्डो), इमंचारी भविष्य निधि सागठन, इत्यादि शामिन हैं। राज्य प्रावास बोर्ड, प्रावास तथा शहरी विकास प्रधिकरण, जीपै सहकारी प्रावास वित्त समितियों और राष्ट्रीयहन व्यावायिक बैंकों के जरिए भी धन प्राप्त होता है।

शहरी विकास

यद्दीयोजना में दोटे और मझोने शहरों तथा कस्बा के विकास पर धन दिया गया है। शहरी विकास को प्रामील विकास का पूरक माना गया है ताकि शहरीकरण की प्रतियोगी को प्रभावित करने वाली नीतियों से नगरों पर उनके प्रावास पाम में इसाओं के बीच सम्बन्ध सुदृढ़ हो सकें। यद्दीयोजना का उद्देश्य है कि दोटे और मझोने नगरों को इस प्रकार विवरित रिया जाए कि प्रावास, जन-प्रापूति, सचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरजन प्रादिपि पर अधिक धन लगाया जा सके। इन शहरों में नए उद्योग व्यापित करने तथा अन्य गतिविधियों के लिए रखनामह प्रोत्साहन दिए जाएंगे और बिजली की सप्लाई तथा दूर गवार गुडियाओं में सुधार दिया जाएगा। इन ज़द्यों को घान में रखते हुए एक सात से छप जनसत्त्वा वाले दोटे और मझोने नगरों के विकास के लिए दिसम्बर, 1979 से एक ऐम्प्रीय योजना लकाई जा रही है।

यद्दीयोजना परिपि के दोरान 231 दोटे और मझोने नगरों के तात्परिय विकास के लिए कंट्रीय दोष में 96 एकड़ रुपये रोपे गए हैं। दोइ सारसार पारम्परा, परिवहन तथा पर्याप्त गतिविधियों से सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए उनकी साधन का प्रवास प्रतिशत प्रदेश काल्पीन सांस स्पष्ट, जो भी कम हो देकी। पह राजि देते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि राज्य की एम्प्रीयों ने

परियोजना के लिए इतना ही धन दिया है। राज्य सरकारें अरनी और से भी इस समन्वय परियोजना के एक धन के रूप में जन आवृत्ति, सकारई, तग बत्तियों के सुधार तथा सामाजिक सुविधाओं पर धन खर्च करेगी। योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता से कम लागत में सफाई का प्रबन्ध करने का नद भी शामिल किया गया है। कम लागत पर सफाई की योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारे 40 लाख रुपये के अलावा 15 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता आप्न बरने की भी अधिकारी हैं, बशर्ते कि वे प्रपने कोष से कम से कम 12 लाख रुपये की धन राशि कम लागत की सफाई योजनाप्रयोग पर खर्च करें। नगर और ग्राम आयोजन संगठन द्वारा परियोजना भा मूल्यांकन किया जा चुका है। इस प्रकार 237 नगरों में से 235 नगरों जा चयन किया गया है और 31 मार्च, 1985 तक 63 44 करोड़ रुपये की केन्द्रीय उद्दण सहायता दी जा चुकी थी।

अम गन्वालय, वार्षिक रिपोर्ट 1985-86 का विवरण

खान और बीड़ी श्रमिकों को आवास सुविधाएँ प्रदान करने के लिए निम्न-लिखित योजनाएँ बनाई गई हैं—

(i) टाइप I आवास योजना—इस योजना के अन्तर्गत खान प्रबन्धों को मकान निर्माण हेतु प्रति मकान 7,500 रु या मकान की वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत जो भी कम हो, वी दर से प्रतिपूर्ति भी जाती है। इसके अतिरिक्त खान प्रबन्धकों को साधारण क्षेत्रों में 1,000 रु और काती मिट्टी तथा उभरी हूई मिट्टी वाले क्षेत्रों में 1,500 रु प्रति मकान की दर से विकास खर्च भी देय है ताकि खान स्थलों में मकानों को निर्मित किया जा सके और उन्हें पात्र कर्मचारियों को आवासित किया जा सके।

(ii) टाइप-II आवास योजना—इस योजना के अन्तर्गत खान स्थलों पर श्रमिकों के लिए मकान निर्माण हेतु प्रति मकान 15,000 रु या मकान की वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत, जो भी कम हो, अभक्त में शिष्य खान प्रबन्धतन्त्रों को प्रतिपूर्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त साधारण क्षेत्रों में 1,500 रु और काती मिट्टी तथा उभरी हूई मिट्टी वाले क्षेत्रों में 2,250 रु प्रति मकान की दर से विकास खर्च भी दिया जाता है।

(iii) अपना मकान स्वयं बनायो—इस योजना के अन्तर्गत खानों और बीड़ी उद्योग नियोजित श्रमिक अपनी भूमि या राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा दो गई भूमि पर अपना मकान स्वयं बनाने के लिए 1,000 रु. की दर से वित्तीय सहायता और 4,000 रु. का व्यय मुक्त ऊरु पाने के हवदार हैं।

(iv) आयिक रूप से कमजोर दर्गों के लिए आवास योजना—यह योजना बीड़ी उद्योग में वार्यरत प्रायिक रूप से कमजोर दर्गों पर लागू होती है। इस योजना के अन्तर्गत भूमि की व्यवस्था की जाती है और राज्य सरकार द्वारा मकान निर्मित किए जाते हैं ताकि उन्हें प्रायिक रूप से कमजोर बीड़ी श्रमिकों

की प्राप्ति किया जा सके। राष्ट्रीय सरकार की प्रति भवान के लिए 3000 वा या बाहाविक साप्तत का 50 प्रतिशत जो भी रम हो, की दर से प्रतिवृत्ति की जाती है।

(७) सोबास और यह शेष—यह योजना विधानसभा उन बाढ़ी थमियों को महायता देने के लिए साधारण की गई है जो दीदी भारतीया में निश्चिन्ता नहीं है और जिसे पारा बाम बरने की बाई जगह नहीं है। ऐसे बमहारों को महायारी थमियों के हाथ में गठित करने के उद्देश्य से उन्हें गाड़ाय/कर बढ़ की साप्तत का 75 प्रतिशत तर वित्तीय सहायता के हाथ में दिया जाता है बाने कि उसी सामाइटियों में गार्स्टो वी सह्या बम से बम 100 हो और उनकी धरनी जमीन हो।

आपास समस्या से हुल के लिए नियमण एजेन्सियों और सरकारी योजनाएं

प्राथमिक राज्य का विषय है। ऐसे गरकार की भूमिका इस दोष में राज्य सरकारों के विद्यार्थियों के गम वय प्रोटोकल करने और उनकी जीव पहलान करने पर्याप्तार को बढ़ान और बम साप्तत के महानों तथा परम्परागत गायदी जो गहरी और दुर्लभ हो गई है ऐस्या पर नई गायदी के प्रयोग का गम्य प्रयोग द्वारा विरलामा का प्रखार बरा और आवाह तथा गहरी विद्याग नियम विमिटड (हृदर्क), जीवन दीमा नियम (जैसे बाई सी) तथा गादाव दीमा नियम (जैसे पाई सी) के गम्यम से राज्य सरकारों तथा प्राय आवाह अधिकारणों द्वारा नियम गत्तों की अवश्या बरा तक सीमित रही है।

गरकार का यह प्रयास रहा है कि (1) भोजुआ आवाहों की गम्य को गुरुगिरा रता जाए और इस गम्य में दृढ़ भी जाए (2) भूमिहीन मजदूरों के लिए आवाह तथा थमों की अवश्या भी जाए (3) आपास तथा नगर विद्याग नियम और आवाह दोहो जगे गम्यागत अधिकारणों का सम्बन्ध लिया जाए ताकि ये नियम प्राय दोहो गम्यम आव वगों के लिए आवाह भी अवश्या बरा गम्य (4) गमाज के घासिय इटिंग से बमओर वगों के लिए आवाह नियमित हो प्रोत्ताहा द्वारा लिया जाए (5) गमाज के घासिय इटिंग से बमओर वगों के लिए गावेंगनि फिलिया के उपयोग पर बन लिया जाए और (6) गरी भवन नियमित गायदी का गहरा प्रगतिपात एवं विद्याग लिया जाए।

नियमण एजेन्सियों

राष्ट्रीय भवन नियम विमिटड—राष्ट्रीय भवन नियमित नियम विमिटड की व्याप्ति 1960 में एक विमिटड उद्देश्य से भी गई थी कि सर्वदा तरह के प्रति राग रा। विद्याग हो। नियमित साप्तत रो बम किया जाए और दुर्घम तथा इटिंग्सों में नियमित बाय आवाह लिया जा सके। राष्ट्रीय भवन नियमित नियम विसेन तथा इटिंग लियाएं रावों रा हाप में लेगा है और उन्हें पूरी तरह रंदार

परके देना है। निर्माण के साधन-साधन भवन की योजना और डिजाइन भी निगम ही बनाता है। निगम ने लोबिया तथा ईराक में विभिन्न कार्य हाथ में रखे हैं जिनमें हवाई घट्टे, रिहायशी मकान वरितयां एवं आवास, होटल, विश्वविद्यालय तथा जल-मल निकास प्रणालियों का निर्माण शामिल है।

आवास और शहरी विकास निगम—आवास और शहरी विकास निगम (हृष्टको) केन्द्र सरकार का एक उपक्रम है। इसे 1970 में निर्माण और आवास मन्त्रालय के अन्तर्गत स्थापित किया गया था। यह एक शीर्ष समठन है जिसका मुख्य काम देश में आवास-निर्माण तथा शहरी विकास कार्यक्रम के लिए ऋण प्रदान करना है। ऐसा करते हुए यह निगम निम्न साधन वर्ग और साधिक रूप में बमज़ोर वर्ग के सोगो के लिए आवास-निर्माण को प्रावधिकता देता है।

यह निगम मुख्य तौर पर सरकार के शोधरो के माध्यम से भारतीय जीवन वीमा नियम से ऋण लेकर और प्रत्यक्षालीन ऋण पन जारी करके अपने लिए धन जुटाना है। छठी योजना में हृष्टको द्वारा 600 बरोड रुपये के ऋण और 1,050 बरोड रुपये के सर्वे का प्रावधान था।

31 मई, 1985 तक कुल स्वीकृत ऋणों की राशि और वितरित राशि अपेक्षा 1,731 74 करोड रुपये तथा 1,002 24 करोड रुपये है। अब तक स्वीकृत कार्यक्रमों की योजना लागत 2,642 38 करोड रुपये है। इससे 2020 लाख मकानों के निर्माण में सहायता मिलेगी। इसके प्रतिरिक्त 'हृष्टको' से प्राप्त ऋण का उपयोग 178 लाख प्लाटों को विभिन्न करने के लिए दिया जा सकेगा। इनमें से लगभग 88 प्रतिशत प्लाट समाज के बमज़ोर वर्गों और कम साधन वर्ग के लोगों के लिए होगे।

हिन्दुस्तान प्रो-फैब लिमिटेड—हिन्दुस्तान प्रो-फैब लिमिटेड, नई दिल्ली (जो पहले हिन्दुस्तान हाऊसिंग फंडट्रालि के नाम से जानी जाती थी) सरकार वा एक उपक्रम है। यह कम्पनी पूर्व सरचित गृहों के निर्माण वे अतिरिक्त पूर्व सरचित प्रबलिन मीमेट कंट्रीट वे हिस्से, पूर्व प्रबलिन सोमेट कंट्रीट के विजली वे सम्में, फोम कंट्रीट के पेनल तथा विभाजन और विमवाहन खण्ड सादि विभिन्न प्रकार की निर्माण सामग्री बनाती है। इसमें लकड़ी की जुड़ाई का बाम होता है और पर्फॉ इमारती लकड़ी को पकाने की उत्तर भारत की सबसे बड़ी भट्टी है। इसमें व्यक्तिगत भवन निर्माणाधों और निर्माण एजेन्सियों के इस्तेमाल के लिए भवनों के कुछ पूर्वनिर्मित हिस्सों का मानकीकरण किया है। श्रीदोगिक ढाँचों के लिए जो पूर्व निर्मित हिस्से इस कारखाने ने बनाए हैं उनमें इस्तेमाल की बचत के साधन-साधन निर्माण लागत में कमी और निर्माण कार्यों के पूरा होने में तेज़ी आई है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग—केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) रेवेव, सचार, रक्षा सेवाओं, परमाणु उर्जा और साकाशवाली के निर्माण कार्यों को द्वाइवर, वेन्ड्र सरकार की सभी इमारतों के डिजाइन बनाने,

निर्माण रख रखाय तथा मरम्पत बरने का काम करता है। यह शहरी में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख रखाव का काम करता है, प्रीर केन्द्र शासित प्रदेशों के लोक निर्माण विभागों पर तकनीकी नियन्त्रण रखता है। सर्वजनिक क्षेत्र के जिन प्रतिष्ठानों के पास लोक निर्माण इजटीनियरी संगठन नहीं हैं वे प्रत्यनि निर्माण काय देशीय लोक निर्माण विभाग घबड़ा सर्वजनिक धोर के निर्माण भगठनों और समाजसार मण्डनों का ही सोचते हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग घर्थं मरकारी मण्डनों के निर्माण प्रीर कायं घनुवध घर्पने हाथ म लता है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में वास्तुवला, भोजन और वामवानों के साध-साध निर्माण कार्य तथा विभिन्न सेवाओं की व्यवस्था बरने में इत्येकनीय विगेपक्षना प्राप्त कर ली है। विभाग म सधम वास्तु शास्त्र, इजाइन तंत्रार बरने वे निए एक देशीय इजाइन-मण्डन, परियोजनाएं चावान क निए देशीय एकीक भीर विभिन्न सेवाओं की व्यवस्था बरने के निए एक विद्युत तथा योजिक शास्त्रा है।

श्रीदीगिक आवास से सम्बन्धित विधान

(Legislation Relating to Industrial Housing)

स्वतन्त्रता से पूर्व हमारे देश में श्रीदीगिक आवास से सम्बन्धित एक ही विधिनियम था। वह भूमि प्रधिदण्डा विधिनियम, 1933 (Land Acquisition Act of 1933) था। इसके प्रत्यंगत अधिको हेतु मकान बनाने के लिए मालिकों दो भूमि प्राप्त करने म महापदा भिलती थी। प्रभर खान थम कल्याण वोर विधिनियम, 1946 (Mica Mines Labour Welfare Fund Act of 1946), बोयला थम कल्याण विधिनियम, 1947 (Coal Mines Labour Welfare Fund Act of 1947) और खोदा थम कल्याण कोद विधिनियम, 1961 (Iron-ore Mines Labour Welfare Fund Act of 1961) शादि के प्रत्यंगत विभिन्न प्रकार के अधिकों वे निए शुह-निर्माण का प्रावधान रखा गया है। इसके अधिकार वही राज्यों द्वारा भी आवास व्यवस्था के निए विधिनियम पात दिए गए हैं। उदाहरणार्थ—यम्बई आवास मण्डन विधिनियम 1948, थम प्रदेश आवास मण्डन विधिनियम 1950, 1955 का नेपूर आवास मण्डन विधिनियम, 1952 का हैदराबाद थम आवास विधिनियम, 1956 का वजाद श्रीदीगिक आवास विधिनियम, 1955 का उत्तर प्रदेश श्रीदीगिक आवास विधिनियम, शादि। इन विधिनियमों के प्रत्यंगत विभिन्न अधिक वर्षों के लिए आवास व्यवस्था के प्रावधान रखे गए हैं।

आवास योजनाओं की घोमो प्रगति के कारण

(Causes of Slow Pace of Housing Scheme)

आवास व्यवस्था का विविव गरदार, यालिक, थम गंधो तथा धाय मण्डनों पर मनुक हर मे है। इसी मनुत उत्तरदाविक को ध्यान में रखते हुए देश की एक समुक्त हर मे है। इसी मनुत उत्तरदाविक को ध्यान में रखते हुए देश की एक समुक्त हर मे है। इसी मनुत उत्तरदाविक को ध्यान में रखते हुए देश की एक समुक्त हर मे है। इसी मनुत उत्तरदाविक को ध्यान में रखते हुए देश की एक समुक्त हर मे है। इसी मनुत उत्तरदाविक को ध्यान में रखते हुए देश की एक समुक्त हर मे है।

में पूर्ति कम हुई है। आवास योजनाएं धीमी गति से चली हैं। इसके कुछ प्रमुख वारण ये हैं—

1. सरकारी योजनाएं लाल-फीताशही का ज़िकार रही है। सरकारी कार्य धीरे-धीरे होने से आवास योजनाओं की प्रगति भी धीमी दर से हुई है।

2. मकान निर्माण हेतु कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा और समय पर मिलने में कठिनाई के बारण से भी धीमी प्रगति हुई है। सीमेण्ट, लोहा आदि माल पर्याप्त मात्रा में और समय पर नहीं मिल सका है।

3. कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक 10 अप्ये माहवार भी मकान किराया देने से असमर्थ होने से सरकार अधिक मकान बनाने में असमर्थ रही है।

4. मालिकों को सहायता तथा छूट के रूप में मिलने वाली राशि के अतिरिक्त राशि प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

5. भूमि अधिग्रहण करना, कच्चा माल प्राप्त करना आदि कठिनाइयों के बारण मालिकों द्वारा आवास योजना की प्रगति धीमी रही है।

6. अधिक अधिक्षित तथा अज्ञानी होने के बारण अम सहकारी समितियाँ बनाने में असमर्थ हैं और इनके अभाव में निर्माण की गति को बढ़ाया नहीं जा सकता।

7. अम सहकारी समितियों को भी मकानों के निर्माण हेतु भूमि प्राप्त करने तथा कच्चा माल—सीमेण्ट, लोहा आदि प्राप्त करने में कठिनाई प्राप्ति है। इससे अम सहकारी समितियों द्वारा बनाए जाने वाले मकानों की स्थाया अधिक नहीं बढ़ सकी है।

सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास को सफलता हेतु उपाय

(Measures for Successful Industrial Housing Scheme)

राज्य सरकारों, मालिकों और अम सहकारिताओं द्वारा सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना में अधिक रुचि नहीं दिखाई है। इसकी सहायता हेतु वी. वी. गिरि (V V Giri) ने जो मुझब दिए थे, वे अनुचरणीय हैं—

1. जो स्थान बांध करने के क्षेत्रों से दूर है और उनमें अधिकों की वस्तियाँ वस जाती हैं वहाँ से अधिकों के आने-जाने के लिए राज्य सरकारों और स्थानीय सम्बाधों को यातायात की सुविधाएं उपलब्ध करनी चाहिए।

2. अधिकों की वस्ती में सार्वजनिक सेवाएँ जैसा अन्य हूसरी सुविधाओं को उपलब्ध किया जाना चाहिए, उदाहरणार्थ बाजार, डाकघर और स्कूल वा प्रबन्ध।

3. जहाँ तक सम्भव हो सके प्रत्येक अधिक वो एक अलग भूमि का टुकड़ा दिया जाए, जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं हो। अधिकों को वहाँ प्रपने अम से मकानों का निर्माण करने के लिए प्रोत्तमाहित किया जाना चाहिए।

4. पञ्जदूरी मुग्धताम् परिवनियम, 1936 में इस प्रकार मर्गोपन हिंदा जाना चाहिए ति राज्य सरकारे सीधे अधिकों के बेतन से श्रृङ्खला की राशि प्राप्ति कर सके।

5. यह योजना उन धीर्घातिक अधिकों के लिए भी बाम में लाई जानी चाहिए जो राज्य सरकारों द्वारा वेन्ट्रीद गरकार के तोहर हैं।

6. जिन अधिकों के लिए मरान की व्यवस्था नहीं हो सकी है उनमें से वर्ष से वर्ष 20% के लिए भी यदि मालिक मरान बनवाना चाहें तो उन्हें यही ही दर वर 3 य 5 वाल तक के लिए वित्तीय सहायता द्वारा श्रृङ्खला देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

7. वंशानिक रूप से बाढ़ बरने की तीव्रता को बाम में लाया जाना चाहिए तथा राज्य सरकारों को चाहिए ति वे मालिकों को उचित दर पर भूमि देने की व्यवस्था बरे। विनीय महायता द्वारा श्रृङ्खला देने की दिल्ली से भी प्राप्त बदल बदला जाना चाहिए।

8. यदि कोई अन्य योजना बनाई जाती है तो उसके लिए भी वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था होनी चाहिए।

9. वित्तीय सहायता द्वारा श्रृङ्खला में एक दरके अधिकों की सहायतारी समितियों को प्रोत्ताहन दिया जा शकता है। राज्य गरकार इन समितियों को 'न साम न हासि' के माध्यार पर घबड़ी भूमि देने की व्यवस्था बर सकती है।

10. श्रृङ्खला वापस लेने की विस्तर में विधायक की जानी चाहिए, विंग का जे अधिकों की सहायतारी समितियों के लिए।

भ्रम कल्याण की परिभाषा और क्षेत्र

(Definition & Scope of Labour Welfare)

विभिन्न समितियाँ, सम्मेलनों, प्रायोगी द्वारा अम बल्याण की परिभाषा और क्षेत्र के विषय में विभ्रम भिन्न विचार दिए गए हैं।

गार्डी अम प्रायोग, 1931 (Royal Commission on Labour, 1931) ने मनुसार 'अम बल्याण एक सघीला शब्द है जिसके एक देश से दूसरे देश म अनुगमन करने वाले निवासने हैं। यह विभिन्न सामाजिक श्रीत-विवाह, धोयोगीहरण की साथ और अधिक वा शंखणिक विकास आदि के मनुसार बदलता रहता है।'

अम बल्याण वायं के क्षेत्र भी व्यास्था बरते हुए इसी जीव समिति (Agricultural Enquiry Committee) ने प्रणाले प्रतिवेदन में लिया है ति अम बल्याण विधायिकों के बोर्डिं, गार्डीरिं, नेतिक एवं वायिक विकास के वायों को जामिन दिया जाना चाहिए। ये वायं खाहे गरकार, नियोजा यर अन्य दरकारों द्वारा ही नयो न हिए जाएं। धनराज्यों अम सभ की एमियाई प्राविति गम्भीरता से दिनीय रिपोर्ट के मनुसार, 'अम बल्याण ग हेमी संवाधों द्वारा गुरियायों को समझा जाना चाहिए, जो गरकारों के प्रदर्श या निकटशर्ती स्थानों

में स्थापित की गई हो ताकि उनमें काम करने वाले अमिक स्वस्थ और शान्तिपूर्ण परिस्थितियों में अपना काम कर सकें तथा अपने स्वास्थ्य और नीतिक स्तर को ऊचा उठाने वाली सुविधाओं का लाभ उठा सकें।¹

जून, 1956 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन को 39वीं बैठक के अनुसार निम्नलिखित सेवाओं और सुविधाओं को श्रम कल्याण क्रियाओं के अन्तर्गत रखा गया है—

1 स्थान में अथवा पास में भोजन की व्यवस्था ।

2 आराम और मनोरजन की सुविधाएँ ।

3 जहाँ सार्वजनिक यातायात असमुचित अथवा व्यावहारिक है वहाँ अमिकों के ग्राने जाने के लिए यातायात की सुविधा ।

श्रम कल्याण क्रियाओं के क्षेत्र का सबसे पहला विवरण श्रम अनुसंधान समिति, 1946 (Labour Investigation Committee, 1946) द्वारा दिया गया है। इसके अनुसार, "श्रम कल्याण क्रियाओं में वे सभी क्रियाएँ शामिल की जाती हैं जो अमिकों की बोटिक, शारीरिक, नीतिक और आर्थिक उन्नति के लिए की जाती हैं। ये कार्य चाहे नियोक्ता मरकार या अन्य संस्थानों द्वारा किया जाए तथा साधारण अनुबन्ध या विधान के अन्तर्गत अमिकों को जो मिलना चाहिए उसके अलावा किए गए हों। इस परिभाषा के अन्तर्गत हम आवास, चिकित्सा और जिल्ड सुविधाएँ पोषणाहार (कैण्टीन की व्यवस्था), आराम और मनोरजन की सुविधाएँ, सहकारी समितियाँ, नसंरी और पालने, सफाई की सुविधाएँ, सबैतन छुट्टियाँ, सामाजिक बीमा, ऐच्छिक रूप से अकेले अथवा संयुक्त रूप से अमिकों के साथ में मालिक द्वारा बीमारी और मातृत्व लाभ योजनाएँ, प्रोविडेंट फाउंड एच्युटी और पेन्शन आदि का समावेश कर सकते हैं।"²

श्रम कल्याण के सिद्धान्त

(Principles of Labour Welfare)

श्रम कल्याण कार्य निम्नलिखित के आधार पर किया जाता है—

(1) उद्योग के सामाजिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त, (2) प्रजातात्त्विक मूल्य का सिद्धान्त, (3) उचित मजदूरी का सिद्धान्त, (4) कार्यकुशलता का सिद्धान्त, (5) व्यक्तिगत विकास का सिद्धान्त, (6) सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त, (7) समूर्ण कल्याण का सिद्धान्त।

इस सिद्धान्तों का सक्षित बल्लंग लव्ह प्रतिष्ठ विद्वान् डॉ. देवेन्द्र प्रतापनारायण मिह ने इस प्रकार किया है—

(1) उद्योग के सामाजिक उत्तरदायित्व—उद्योग में कार्य बरने वाले कर्मचारियों के बल्लाण वी व्यवस्था का उत्तरदायित्व उद्योगरतियों पर है। यह

1 Report II of the I. L. O. Asian Regional Conference, p. 3.

2 Report of Labour Investigation Committee, p. 345.

सामाजिक साधनों का एक धर्म है। समाज बल्यालु का आधार ही दो बातों पर निर्भर है—(1) दूसरों वे दुखा रा जाने की शक्ति और उनको मदद करने की शक्ति तथा (2) बालविकास की गोत्र बरने की शक्ति।

इही दो स्थग्नों पर सामाजिक नीति की नींव ढाली गई है। बर्मेंचारी वर्ग कमज़ोर है, सूक्ष्मा है, बीमार है और उसमें अपने परिवार एवं समाज को उठाने की क्षमता नहीं है। इसलिए उद्योग की नीति सामाजिक इलिकोण से दूसरों की मदद करने की शक्ति के हृष में होनी चाहिए। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए म माजिक एवं अधिकारीयों का गृहन हुआ। गरीबों को रक्षा बरना, नियोक्ताओं का सामाजिक गर्म है। अधिकारी का समर्पित होना, गपों का निर्माण करना एवं प्रालिकारा भावना की जागृति के परिणामस्वरूप ही सामाजिक नीति के लिए ऐसी वीं आवश्यकता पड़ी और उसमें शीघ्रता से सुपार होने लगा। राज्य, धर्म के आधार पर भी प्रोटोगिक धर्मिकों के विकास के लिए प्रावास, शिक्षा एवं शारीरिक पृथक प्राप्ति पर ध्यान देना सारबहार माना गया है। इस प्रवास के बावें अच्छे सम्बन्धों और शान्ति इषापना में सहायता मान जाते हैं।

(2) प्रजातान्त्रिक मूल्य—धर्मिकों ने बल्याल के लिए प्रजातान्त्रिक अवस्था होनी चाहिए जिसमें धर्मिकों का यह अधिकार हो जिसके अपने कार्यों को इवाभावित ढूप से पूरा करें। उन पर मनापास बन्धन न हो, जिसमेंदार अति के हृष में अपने कार्यों को करने की उन्ह स्वतन्त्रता हो। कठोर बन्धन उद्योग की प्रगति के हित में नहीं होता इसलिए प्रजातान्त्रिक मूल्यों के आधार पर ही धर्मिक बह्याल ही अवस्था हो सकती है।

(3) उचित मजदूरी का सिद्धान्त—यह प्रावदना है कि धर्मिकों को उनकी अनुवर्त्त्य प्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिए बेतन दिया जाए। यह तर्वं कि धर्मिकों को यनेक प्रवास की बल्यालकारी सुविधाएँ दी जानी हैं, इसलिए बेतन का दिया जाए, उचित नहीं है। उद्योगपतियों का यह अपना जि ये धर्मिकों को बेतन के ऊपर बोक्स, भक्ता, प्राभाविक शाफ्ट देते हैं इसलिए अधिक बेतन की ओर विशेष प्रावश्यकता नहीं, तर्कागत नहीं है। इसके विपरीत, प्रच्छे उद्योगों में, जहाँ मजदूरी प्रधिक है, यम बल्याल की अवस्था भी उनकी है। यह गिरावत धर्मिकों ने आवश्यक विश्वास को बढ़ावा देना है और प्रच्छे सम्बन्धों की दबाए रखने में सहायता होता है।

(4) कार्यसम्मति का सिद्धान्त—प्रध्ये धर्मिक बल्याल का प्रयोग ही है कि धर्मिकों की दावेशमता को उदाया जाए। धर्मवारी जिक्षा, पौर्विक भोजन एवं संदर्भ प्रावास कार्यसम्मति का बदल में सहायता होती है और रहेगा, उदाहरणार्थे ज्योति धर्मिकों के विकास के लिए मनाहकारी अवस्था उनके वर्षा के लिए रिट्रैट एवं उनकी देविक प्रावश्यकता की प्राप्ति प्राप्ति।

(5) अपत्तिवृत्त विकास का सिद्धान्त—धीरोग्यिक स्वयंसर्वों में धर्मिकों का महत्व एवं समाज अविकृत बावें से ही सम्बन्धित है। उद्योग में धर्मिकों के स्वत्तिवृत्त

विकास का प्रयास कैसे हो, क्या हो, यह वही उद्योगपति सोच सकता है जो मानव कल्याण के प्रति उदार हो। यह समझता है कि अच्छा कर्मचारी वही हो जो स्वयं सोचने समझने, कार्य करने और उद्योग की प्रगति में सहायक बनने की क्षमता रखता हो। ध्यात्तित्व के विकास के लिए श्रमिकों के रहन-सहन के स्तर को उच्चा करना और उसके सोचने और कार्य में रचि लन के लिए जितना भी प्रयास सम्भव हो करता आवश्यक हो जाता है।

(6) सहउत्तरदायित्व—थम कल्याण के लिए श्रमिकों एवं नियोक्ताओं का सहउत्तरदायित्व है। एकमात्र नियोक्ता अथवा धर्मिक ही समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकता। नियोक्ता श्रमिक-कल्याण के साधनों को प्रदान करा सकता है, पर उसका उपयोग करने वाले श्रमिकों का यह उत्तरदायित्व है कि वे उन कल्याण की सुधिधाओं का सटुपयोग कर सकें।

(7) सम्पूर्ण थम कल्याण—सम्पूर्ण कल्याण उसी समय पूर्ण माना जा सकता है जब उद्योग के प्रारम्भ से ही नियोक्ता एवं श्रमिक उसका लाभ उठाएँ। यदि यह खणिक दिखावा मात्र हो तो उसे थम कल्याण की सज्जा नहीं दी जा सकती। थम कल्याण अधिकारी मात्र ही थम कल्याण नहीं कर सकता। इसके लिए सभी विभागों में सभी स्तर पर सभी अधिकारियों द्वारा पूर्णरूपेण प्रयास किया जाना चाहिए। इन्हीं आधार-विन्दुओं पर तक्षणों को पूरा करने की परिकल्पना बनाई जाती है जिससे देश का कल्याण हो, श्रमिक एवं नियोक्ताओं में सौहार्द हो (अच्छे सम्बन्ध हो) और वे परिवर्तन की दिशा की ओर ग्रन्थमर हों।

थम कल्याण कार्य का वर्गीकरण

(Classification of Labour Welfare Work)

थम कल्याण शब्द वा एक व्यापक ग्रन्थ में प्रयोग किया जाता है। थम कल्याण कार्यों को तीन वर्गों में रखा जा सकता है—

1. वैधानिक कल्याण कार्य (Statutory Welfare Work)—वे कल्याण कार्य हैं जो मालिकों द्वारा श्रमिकों को कानूनी तौर पर प्रदान किए जाते हैं। विधान में श्रमिकों के कल्याण हेतु न्यूनतम स्तर निश्चित कर दिए जाते हैं और इनका उल्लंघन करने वाले मालिकों को दण्डित किया जा सकता है। इनमें कार्य की दशाएँ कार्य घटे प्रकाश, सकाई और स्वास्थ्य में मध्यनित विषय शामिल हैं।

2. ऐच्छिक कल्याण कार्य (Voluntary Welfare Work)—ये वे कल्याण कार्य हैं जो मालिकों द्वारा स्वेच्छा से किए जाते हैं। ये उदारवादी हृषिकोण पर आधारित हैं। यदि हम इन्हें गहराई से देखें तो इस प्रवार के कार्यों में न जेवन श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि होनी है बल्कि मालिक व श्रमिकों के बीच मध्यर सम्बन्ध स्थापित होने से श्रीद्योगिक भागड़ों में कमी आती है। इस प्रकार के कार्य ऐच्छिक सम्बाधों जैसे वाई एम सी ए. (Y. M C A) द्वारा भी प्रदान किए जाते हैं।

3. पारस्परिक अवया समूह वर्त्याल कार्य (Mutual Welfare Work)—
ये अव्याप्ति कार्य समूक रूप में मानिकों प्रीत अधिका द्वारा किए जाते हैं। इसमें
अप सम्प्रा द्वारा अम वर्त्याल हुए किए गए कार्य शामिल होते जाते हैं।
अम कल्याण कार्य का दूसरा वर्त्याल भी दो दोषों में विभाजित किया जा
सकता है—

(I) वारताने के अन्दर प्रदान किए जाने याते वर्त्याल कार्य (Intra-mural Activities)—इनमें प्रत्यक्ष सम्बलित किए जाते हैं जैसे शीने का पानी,
बड़ीन दानन, विविता सुविधा प्रीत विधामान आदि।

(II) वारताने के बाहर के वर्त्याल कार्य (Extra mural Activities)—
ये कारताने के बाहर प्रदान किए जाते हैं प्रीत इन्द्र अन्तर्गत शीकायिक प्रीत
मनोरजन की सुविधाएं, तेज़बूद प्रीत विविता सुविधाप्रा आदि का समावय किया
जाता है। धीमारी, बेरोजगारी, युद्धावस्था आदि के समय दी जाते थारी वित्तीय
सुविधाएं भी इनमें प्रत्यक्ष आती हैं।

अम कल्याण कार्य के उद्देश्य

(Aims of Labour Welfare Work)

वर्त्यालरारी विधाप्रा का उद्देश्य मानवीय प्राचिर प्रीत नामित्र आधार
माना गया है।

1. मानवीय आधार (Humanitarian)—अम एक उत्पादन का मानवीय
आधार है। अमिर कुछ सुविधाएं प्रपत्ते प्राप्त आनन्द नहीं पर पता है यदोहि उम्मी
नियन्त्रण है। यह नियन्त्रण है कि इन सुविधाओं को मानवीय आधार पर प्रदान
किया जाता है।

2. आर्थिक आधार (Economic Basis)—अम कल्याण विधाप्रा में
अधिकों की हायकुमता में दृढ़ होती है। इससे उत्पादन में वृद्धि होती है तथा
अप और दूजी के बीच मधुर सम्बन्ध होते से शोधोगिक विद्यार भी अम हो जाता
है। अधिक उत्पादन से न बहल मानिक भी ही साम्र आनन्द होता है वल्कि मधुर
होता ही प्रत्येक समाज के बोनों को भी होता है।

3. नागरिक आधार (Civic Basis)—अम कल्याण कार्यों में अधिकों के
उत्तरदायिक प्रीत इनमें से दृढ़ होती है। यह प्रपत्ते प्राप्तों एक एक्षया नामित्र
प्रमान लगता है।

भारत में कल्याण कार्य की आवश्यकता

(Necessity of Welfare Work In India)

भारतीय अधिक इन दशाओं में कार्य करते हैं प्रीत उनमें कीनमी
विधाप्रार्थी पाई जाती है—इन बातों पर विचार करते हुए एकाग्रा कार्य की
प्रावश्यकता का अप्रतित प्राप्तार पर प्रत्येक विधा का गठन है—

1. मार्केट अमिक्स की कार्य दशाएँ सराब हैं। यहाँ अमिक्सों द्वारा कार्य वे अधिक घट्टे, अस्वस्थ बातावरण आदि के अन्तर्गत काय चरना पड़ता है। इन दशाओं में काय करने के पश्चात् अमिक्स अपनी यत्तान को दूर नहीं कर सकता। वह वही सामाजिक बुराइयों का शिकार बन जाता है। उदाहरणार्थ शराबखोरी, जुगाड़खोरी, देशदण्डन, अन्य अपराध आदि। अत इन दुरात्यों को समाप्त करने का एक मात्र साधन अम बल्याएँ त्रियाएँ प्रदान करना है।

2. अम कल्याण कार्य वे अन्तर्गत जिसा चिकित्सा, येलवद मनोरजन, आदि सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। इससे अमिक्स व मानिकों की बीच मधुर सम्बन्धों को प्रोत्साहन मिल सकेगा। परिणामस्वरूप औद्योगिक शान्ति की स्थापना की जा सकेगी।

3. विभिन्न प्रकार की बल्याएँ कारी त्रियाओं से अमिक्स विभिन्न कारखानों की आर आवधित होगी। व इच्छा लेकर कार्य करेगे और इसके परिणामस्वरूप एक स्थायी एवं स्थिर अम जन्ति (Permanent & Stable Labour Force) का उदय होगा।

4. मच्छी प्रावास व्यवस्था, बेटीन, बीमारी और अन्य लाभों के रूप में बल्याएँ कार्य करने के फलस्वरूप अमिक्सों की मानसिक उत्तम परिवर्तन होगा। वे कारखाने में अपना योगदान ममक सकेंगे। इससे अमिक्सों की अनुपस्थिति, अमिक्स पोरबनेन आदि में कमी होगी और अमिक्सों की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी।

5. बेटीन, मनोरजन, चिकित्सा, मातृत्व और दाल कल्याण सुविधाएँ और शैक्षणिक सुविधाओं से समाज को वही लाभ प्राप्त होंगे। बेटीन से अमिक्सों को सहता और मच्छा भोजन, मनोरजन से रिश्वनखोरी, शराबखोरी, जुगाड़खोरी आदि की नमाप्ति, बीमारियों की समाप्ति और मानसिक दक्षता तथा आधिक उत्पादकता आदि रूपों से सामाजिक लाभ (Social Advantages) प्राप्त होते हैं।

6. हमारे देश ने तीव्र आधिक विकास हेतु आविष्क नियोजन का मार्ग अपनाया है। अन विभिन्न पचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु एक सन्तुष्ट अम जन्ति (Contented Labour Force) का होना आवश्यक है और इसके लिए अम कल्याण कार्य की आवश्यकता है।

भारत मे कल्याण कार्य (Welfare Works in India)

हमारे देश में बल्याएँ कायों पर दितीय महायुद्ध के पश्चात् ही ध्यान दिया जाने लगा। निर्मित वस्तुओं की माँग में वृद्धि, बीमतों में निरन्तर वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्रों में आवास समस्या, औद्योगिक अशानि आदि लक्ष्यों ने सरकार मानिक्स, अमिक्सों और अन्य सामाजिक कायकर्ताओं तथा सम्पाद्यों का ध्यान आवधित किया। अम बल्याएँ कार्य करने का ऐय मुख्य निम्नलिखित अस्याओं द्वारा है—

- (1) बेन्द्रीय सरकार,
- (2) राज्य सरकार,
- (3) उद्योगपति या मानिक्स,
- (4) अमिक्स मण,
- (5) नमाज सेवी सम्पाद्य तथा
- (6) नगरपालिकाएँ।

१ केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोजित कार्यालय कार्य (Welfare Activities of the Central Govt.)

हूपरे महायुद तथा थम कल्याण शेष म भारत सरकार द्वारा बहुत कम दायें दिया गया। यन् 1922 म प्रथित भारतीय कल्याण सम्मेलन (All India Welfare Conference, 1922) में कल्याण भवानाओं पर विचार दिया गया तथा देश में कल्याण कार्य के सम्बन्ध पर प्रथित गोरे दिया गया। प्रस्तरगढ़ी एवं थम सम्मेलन के प्रस्ताव के द्वारा यन् 1926 में कल्याण दायें से यथानु मध्यिका गवर्नर वर्क्स हेटू प्रानीय सरकारी को धारें दिए गए। द्वितीय महायुद तथा इतनाना प्राप्ति के पश्चात् थम कल्याण दायें की ओर सरकार ने प्रथित ध्यान देता थुक दिया। कायदा पोर प्रभार यानी में थम कल्याण कोरों की स्थापना तथा प्रमुख उदारों में प्रोविटेंट पराइ पाइ ने गुरु बरते में इस शेष में कल्याण दायों को प्रोत्साहन दिया। भारत सरकार ने विभिन्न दोनों में भ्रमिता की कार्यालयों के नियमन द्वारा प्रदान बरते ने दिए रहे प्रथितियम दायें दिए। यन् 1944 द्वारा यन् 1946 में यथा कायदा पोर प्रभार यानी में थम कल्याण कोरों की स्थापना की गई तितके समर्थन परिवर्तन, गिरा पोर विहिता पाइ गुरियां प्रदान की जाती है। काइसाना प्रथितियम, 1948, यानि प्रथितियम, 1952, यानि थम प्रथितियम, 1952, पांटर परिवहन यानि प्रथितियम, 1961, लोग यानि थम कल्याण प्रथितियम, 1961, पाइ ने यथानु वेष्टीन, यानी, विभ्रामाय, यानी की गुरियां विहिता गुरिया पोर थम कल्याण प्रथितारी तियुग बरता, कार्य की दणाओं का नियमन पाइ प्रायद्या है। इनमें अधिकारी के कल्याण में गुड़ि ही है तथा उनकी रायें हुगरना यही है। उपरोक्त यमी कल्याण दायें बानूदा है तितरों अधिकों को प्रदान बरता प्रायेर गाविर द्वारा दियत्व है।

कल्याण दायों के साथस्थ पर्यावरण प्रावर्तनों के अधिकार थम कल्याण कोरों में नियमांत म भी एक महत्वपूर्ण योजना का यारं प्रगति दिया गया है। इन दोनों में प्रगतान विविध प्रायार एवं अधिकारी, सरकारी अनुदान, पर्यटक की प्राप्तियों, एवं दारों में घूट, वेष्टीन के याम, नितेमायों में प्राय प्राय पाइ ने ग्राम प्रस्तावों में स्थानित बर दिए गए हैं। इन प्रदार ए बोग रही गायकारी होता है। यह पारता यन् 1946 में बताई गई है। इनमें यानिरित पोर यानी नेप, पुस्तकालय प्रस्तावों में स्थानित बर दिए गए हैं। इनमें यानिरित पोर यानी नेप, पुस्तकालय प्रस्तावों में स्थानित बर दिए गए हैं। इनमें यानिरित पोर यानी नेप, पुस्तकालय प्रस्तावों में स्थानित बर दिए गए हैं। इनमें यानिरित पोर यानी नेप, पुस्तकालय प्रस्तावों में स्थानित बर दिए गए हैं।

भारत सरकार ने थम कल्याणकारी दायों पोर स्थानाओं तथा बाय की जाती रा गुरुदर विकास बारिर सम्म दरव 'आरा 1985' में थम प्राय दिया गया है—

बल्याएं तिथि प्रधिनियम, 1946 और बीड़ी कर्मचारी बल्याएं डाक्टर (संगोष्ठी) अधिनियम, 1981 ।

बागान मजदूर—बागान मजदूर प्रधिनियम, 1951 में बागान मजदूरों के कल्याण तथा बागानों में कार्य करने की शर्तों परों नियमित करने का प्रावधान है। अधिनियम राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है। यद्यपि अधिनियम को 1951 में पारित किया गया था परन्तु यह 1 अप्रैल, 1954 से लागू किया गया। इस दिन से भी देवत यही प्राच्छ्रद्ध लागू किए गए जो बर्गेर किसी नियम निधारण के लागू किए जा सकते थे। सम्बन्धित राज्य सरकारों ने अपने मन्त्रालय के निवेशों का अनुमतिरण करते हुए उन्हें कानूनों का निर्माण तिनेव्वर, 1955 से अप्रैल, 1959 तक की अवधि के दौरान किया।

बागान मजदूर प्रधिनियम, 1951 के कार्यान्वयन के दौरान पनुष्पव की गई कुछ कठिनाइयों को दूर करने के लिए तथा प्रधिनियम का देश बढ़ाने के लिए बागान मजदूर (संगोष्ठी) विधेयक, 1981 सन्दर्भ द्वारा पारित किया गया था और 26 जनवरी, 1982 से लागू कर दिया गया।

यह प्रधिनियम जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है तथा इनमें अन्तर्गत ऐसे समस्त चाष, काली, रबड़, सिन्होता, इतायची बागान आते हैं जो 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के हैं और जिनमें 15 या अधिक अधिक नियोजित हैं। प्रधिनियम के अन्तर्गत ऐसे अधिक जिनका मामिक वेतन 750 रुपये प्रतियाह तक है, प्राप्त है। प्रधिनियम में अब बागानों के घनियांवं पर्जीहरण का प्रावधान है।

अधिनियम के अन्तर्गत, समस्त बागानों में आवासीय, मजदूरी और उनके परिवारों तथा ऐसे समस्त व्यक्तियों के लिए, जो नि बाहर निवास करते हैं परन्तु बागान में रहने की सम्भावी इच्छा लिलित या प्रवट कर दूके हैं बगते तो वह 6 महीने की नीदरी कर दूके हाँ, निवास स्थान की व्यवस्था करने का प्रावधान है। बागानों में मजदूरों के लिए अस्पताल और प्रोग्राम्य की भी व्यवस्था प्रदान जाहीर है। कुछ बागानों में मजदूरी के बच्चों की विधान के लिए प्रायोगिक स्थानों की भी व्यवस्था है। चाष बोड़ की सहायता में कुछ बागानों में सामग्रीक हस्ताना जैसा—मिलाई, युआई और टोइरी बनाने का भी प्रशिक्षण किया जाता है। यहीं पर गतोरबत की सुविधाएँ भी प्रदान की जाती हैं।

धर्म गुरुस्थान—पंजाबी प्रधिनियम, 1948 अधिनियम की गुरुस्थानी और स्वास्थ्य सुधार और समाज बल्याण की व्यवस्था का प्रावधान रखता है। यह उन कंस्टिट्यूशंसे है, जिनमें 1000 या इससे अधिक इमंचारी चाष रहते हैं और गारीरिंग छोड़, जहर या राज्य सरकारी द्वारा गुरुस्थानी दीपालियों से जैसियों में सम्बन्ध रखते बाली कंस्टिट्यूशंसे में गुरुस्थान प्रधिराटियों की नियुक्ति का प्रावधान भी रखता है। उनके अधीनी तीव्र अधिनियम और रानुनों को राज्य सरकार उनके पंजाबी निरीशणात्मक के द्वारा प्रदानित करती है।

गोदी मजदूर (रोजगार का नियमन) अधिनियम, 1948 के अधीन गोदी मजदूरों के स्वास्थ्य और कल्याण के उपाय मूलिकता करने तथा जो कर्मचारी गोदी मजदूर विनियम, 1948 की परिधि के अन्तर्गत नहीं आते, उनकी सुरक्षा करने के लिए गोदी मजदूर (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) योजना 1961 तंदार की गई थी।

पंकटरी सलाह सेवा महानिदेशालय और थम सम्पादन, वर्षाई औदौषिक कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से सम्बन्धित मामलों पर सरकार, उद्योग और अन्य संस्थाओं को सलाह देने का सम्पूर्ण निवाय है।

जोगिम पर निष्ठन्तरण और व्यावसायिक स्वास्थ्य के बचाव तथा खतरनाक उत्पादन प्रतिक्रियाओं से बायं करने वाले थमिकों की सुरक्षा के लिए सरकार ने ममन्वित कारंवाई योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया है। इस कारंवाई योजना में काम के बातावरण में सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के लिए सरकार, प्रबन्ध तथा थमिक संगठनों वीजिमेदारियों निश्चित की जाती है।

वार्षिक रिपोर्ट 1985-86 का विवरण

अभ्रक, लोहा अयस्क, मैग्नीज अयस्क और ओम अयस्क, चूना पत्थर तथा डोलोमाइट खानों और बीड़ी उद्योग में नियोजित थमिकों को कल्याण सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से नियोजकों और राज्य सरकारों के प्रयासों को अनुप्रुद्धित करने के लिए इस सम्बन्ध में निम्नलिखित से सम्बन्धित कानूनों के अन्तर्गत कल्याण निधियों स्थापित की गई हैं—

- (क) अभ्रक खान थम कल्याण निधि अधिनियम, 1946,
- (ख) चूना पत्थर और डोलोमाइट खान थम कल्याण निधि अधिनियम, 1972,
- (ग) लोह अयस्क/मैग्नीज अयस्क और ओम अयस्क खान थम कल्याण निधि अधिनियम, 1976,
- (घ) बीड़ी कर्मचार कल्याण निधि अधिनियम, 1976।

इन निधियों की स्थापना खनिज प्रदायन के उत्पादन या व्यवस्था नियंत्रित पर और बीड़ी के मामले में नियमित बीड़ियों पर उपकरण लगा कर की गई है। इन निधियों से चलाए जा रहे कल्याण उपाय चिकित्सा सुविधाओं के विकास, आवास, पेयजल की आपूर्ति, आश्रितों को शिक्षा देने वे लिए सहायता, मनोरोग गार्दि से सम्बन्धित है। हार्नांडि अधिकारींग कार्यकलापों का भवालन कल्याण संगठन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, लेकिन राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों, नियोजकों को अनुमोदित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ऋण और आर्थिक सहायता भी दी जाती है।

विभिन्न कल्याण निधियों के अन्तर्गत अनेक योजनाओं को सामूहिक करने के लिए देश में नी क्षेत्र बनाए गए हैं, अर्यात् इलाहाबाद, बगलौर, मुवनेश्वर,

भीसवाडा गोवा, जबलपुर, नामपुर, बरमा और हैदराबाद। प्रत्येक देश का गमन प्रसारी क्षत्याका दावुदाह होता है और उसकी सहायता बरने के लिए सहायक इंटाफ़ की भी व्यवस्था की गई है।

विभिन्न निधियों के प्रत्यक्ष आवंकम और नीति तंयार करने के प्रयोगन हतु त्रिपालीय केन्द्रीय और राज्य गोलाहलाल निधियों के गठन के लिए भी व्यवस्था भी गई है। विभिन्न कल्पाण निधियों के घन्तगत सभी समितियों का गठन हो चुरा है और इन समितियों की नियमित बैठकें आयोजित हो जा रही हैं।

इत्याण उपायों के लिए सर्वे म निम्नलिखित शामिल हैं—

(i) जन स्वास्थ्य और सफाई म सुधार राज्यों की रोड्यास और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था तथा उनमें सुधार

(ii) शैक्षणिक सुविधाओं की व्यवस्था तथा उनमें सुधार

(iii) जन पालन की व्यवस्था तथा उसमें सुधार और सुनाई की सुविधाएं,

(iv) रहन रहन के स्तर में सापार विसमें आवास और पोषण, तानालिक दण्डणों म सुधार तथा ग्रनोरजन सुविधाओं की व्यवस्था शामिल है,

(v) ऐसी प्रथा इत्याण सुविधाओं तथा उपायों की जो नियांरित इए जाएं व्यवस्था तथा उनमें सुधार और

(vi) राज्य सरकारों स्थानीय प्राधिकरणों पा नियोजनों को केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदूसोदित इसी योजना को मद्द व लिए ग्रनुदार या धार्यक गढ़ायता देना।

निमित्सा एवं देशरेय

दिभिन्न इत्याण निधियों के घन्तगत चिकित्सा एवं देशरेय की व्यवस्था करने और उपम सुधार करने के लिए विभिन्न स्थानों पर ग्रनपानल, और प्राप्तय (एमोर्पिंग और प्रायुदेंदिक) ग्रनानुसार रूपायित इए गए हैं—

(क) ग्रन्यतात—ग्रन्डर सान अम इत्याण निधि के घन्तगत सान ग्रन्यतात दो बरमा मे (50 पत्तों वाला एक तरफ़िद ग्रन्यतात और 100 पत्तों वाला एक ताता य ग्रन्यतात), तितरी बगानुर और रालिचेट (30 पत्तों के) म एक एक और तातपुर तथा साइडेप्यरम म (10 पत्तों के) दो शानीय ग्रन्यतात रूपायित इए गए हैं। तीद ग्रन्यत, मैरीनीज ग्रन्यत और त्रोम ग्रन्यता तात अम इत्याण निधि के घन्तगत चार बेन्ड्रीय ग्रन्यतात जोड़ा, टितरा, बाराजमदा (50 पत्तों के) और बरोगानुर मे (60 पत्तों का) एक एक रूपायित इए गए हैं। छोटी व्यग्र इत्याण निधि के घन्तगत बेन्मूर (कर्टिक) मे 10 पत्तों वाला एक ग्रन्यतात और नियता (परिवर्षी बगान) म एक चैस्ट बनीनिर वापे कर रहे हैं। तीद ग्रन्यत, मैरीनीज ग्रन्यत ताम ग्रन्यत व्यग्र इत्याण निधि के घन्तगत 50 पत्तों वाले तीन ग्रन्यतातों—बेन्मूर (कर्टिक), ग्रन्यिना, (परिवर्षी बगान) और मुरराजा (ग्रन्यिना) म एक-एक ही रूपायता के लिए प्राप्तविनिय

अनुमति जारी कर दी गई है। बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि के अन्तर्गत मुरदगज (उत्तर प्रदेश) में 50 पलगो वाला एक अस्पताल और गुरजागर (उत्तर प्रदेश) में 10 पलगो वाला एक अस्पताल स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार दिया जा रहा है।

श्रीपदालय—प्रब तक विभिन्न वर्गों के कुल 211 चिकित्सा संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। इनमें बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि एवं चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि के अन्तर्गत 1985-86 के दौरान मजूर किए गए उनमें 12 प्रीर 2 श्रीपदालयों की सह्या भी शामिल है।

(म) स्वास्थ्य सम्बन्धी कायदकार्यों के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाओं में साधन किया गया है—

(1) दूसरे के मरीज (खान श्रमिकों) का इनाज करने के लिए अस्पतालों में पलगों को आरक्षित करने की योजना यह योजना बीड़ी श्रमिकों पर भी लागू कर दी गई है। अस्पतालों में पलगों को आरक्षित करने की घेऋा, केसर से पीड़ित खान और बीड़ी कमंडारी का इलाज करने पर खर्च हुई वास्तविक लागत की प्रतिशूर्ति करने की गई है।

(2) तपेदिक से पीड़ित लोह / मैग्नीज / क्रोम अवस्था और अभ्रक सान श्रमिकों के शृंहोपचार सम्बन्धी योजना : तपेदिक से पीड़ित सान और बीड़ी श्रमिकों के शृंहोपचार सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत उपलब्ध फायदों का चूना पत्थर और डोलोमाइट खान और बीड़ी श्रमिकों को भी देन की व्यवस्था की गई है।

(3) खान और बीड़ी श्रमिकों के लिए तपेदिक अस्पतालों में दलग आरक्षित करने की योजना इस योजना में निम्नलिखित उपबन्ध दिए गए हैं—

(i) प्रारम्भ प्रभार 3,600 रु प्रति वर्ष से बढ़ाकर 10,000 रु प्रति वर्ष तक दिए गए हैं।

(ii) पहले 9 महीनों की अवधि के लिए 50 रु प्रति माह की दर से दिए जाने वाले निर्दाह भत्ते की दर को बढ़ा वर प्रब उसे 12 महीनों की अवधि तक 150 रु प्रतिमाह कर दिया गया है।

(iii) वहिंग और अनरण मरीजों के लिए खाने के खर्च भी प्रति दिन 2 रु. से बढ़ाकर प्रति मरीज के लिए 7 रु. प्रति दिन कर दिया गया है।

(iv) पात्रता : पात्रता के लिए मजदूरी की अधिकतम सोमा को 500 रु प्रतिमाह से बढ़ाकर 1250 रु प्रतिमाह कर दिया गया है।

(4) खान प्रबन्धकों को एम्बुलेंस बाहन की पूर्ति सम्बन्धी योजना : इस योजना के अन्तर्गत चूना पत्थर और डोलोमाइट खान प्रबन्धकों के सम्बन्ध में एम्बुलेंस बाहन की सरीद के लिए विद्यमान व्यवस्था के अनुसार निर्धारित अनुदान सहायता भी 30,000 रु भी राशि को बढ़ाकर 55,000 रु कर दिया गया है।

शिक्षा—पात्र और वीड़ी अधिकों के बच्चों को आश्रयितियों प्राप्ति करने के लिए 1975-76 से एक योजना चल रही है। यह योजना उन अधिकों के बच्चों पर लागू होती है जिनकी मासिक आय 1250 रु. से अधिक नहीं है। आश्रयितियों की दर 15 रु. रु. 125 रु. प्रतिमाह तक है। पात्राओं की मीमांसा का 1250 रु. संवादावर 1600 रु. करने के प्रस्ताव पर यह मंत्रालय सरिये हा रा रिकार बर रहा है। यद्यपि 1981-85 के दोगां 22,789 विद्यार्थियों की 65,60,879 रु. की राशि आश्रयितियों के हृषि मंत्रितरित की गई। प्रा. भ्र. प्रदेश में अभ्यर्थी योजना गमठन द्वारा उल्लास में सूखा में बच्चों को दोषहर द्वा भोजन व स्टीलरों प्रदान की जाती है। निधि गमठन का आवास / आश्रयित भी स्पष्टता की राशि विवरण के लिए है। जूना पर्यटक और होमोसाइट योजना तथा लोह प्रदान / मैग्नोज अवस्था / प्राप्ति प्रदान अधिकों के सूखा जान वाले बच्चों को परिवर्तन युविधा प्रदान करने के लिए ग्रन्थ घटाव को बता की वास्तविक साधन का ग्रन्थियों प्रदान करने के लिए ग्रन्थ घटाव को बता की वास्तविक साधन का ग्रन्थियों प्रदान करने के लिए 50 ग्रन्थियों का सामाजिक बस के लिए ग्रन्थ घटाव को बता की वास्तविक साधन की गई 50,000 रु. जो भी बहुत ही की सहायता देने हुते एक योजना आरम्भ की गई है। इसके परिवर्तक जिन वीड़ी अधिकों की मासिक परित्ययों 600 रु. से अधिक नहीं हैं उनके बच्चों का एक जोड़ा इस देन की योजना भी सामूहिक नहीं है।

जलपूति—पात्र प्रब्रह्म नों का प्रभर्य पात्र अम निधि का आवास जलपूति योजनाप्रयोगी के लिए प्राप्ति निधि या वासविक साधन का 75 ग्रन्थियों को भी बहुत ही और प्राप्ति निधियों का सम्बन्ध में 50 ग्रन्थियों की दर से राशि की जाती है।

मनोरजन—अधिकों को मनोरजन सुविधाओं प्राप्ति करने के लिए अवधारणा योजना प्रयोग के द्वारा उप हृष्याला देंद्र व पुस्तकालय स्थापित किया गया है। इसके प्रतिरिक्त तास्तृतिक और मनोरजन तामारोह, हूमायूं भी नियमित रूप से योजना पर आयोजित किया जा रहा है। राहिया समारोह, हूमायूं भी लीटी रुप से नियमित रूप से योजना पर आयोजित किया जा रहा है। पात्र अधिकों के लिए ग्रन्थालय एवं प्रधान दोरे वी भी योजना बनाई गई है जो उह गढ़वाल राज्यिक व धार्य व्यवसायों को देना वा योजना बनाई गई है जो उह गढ़वाल राज्यिक व धार्य व्यवसायों को देना वा योजना बनाई गई है। प्रति दोरे के लिए 10,000 रु. की वित्तीय महायोजना दी जाती है। योड़ी अधिकों के लिए (जिनमें पर योजना वीड़ी अधिक भी आवास दी जाती है) तेज़ रुप सामाजिक और गोपनीय वायरलार आयोजित करने के लिए एक योजना आरम्भ की गई है। प्रभर्य / सौह प्रदान / जूना पापर और हालोमाइट योजना में नियोजित हमकारों के लिए भवन एवं प्रधान दोरे का एक अवयव योजना बनाया बर दी गई है।

योड़ी अधिकों को सहायता देने में सहायता करना—परीक्षा योड़ी अधिकों

को (जिनकी सरया प्रनुमानन् 35 लाख है) मुनाफाखोरों के चगुन से प्रौर उनकी शेषगात्रक नियाप्रो से वचाने के उद्देश्य से सरकार उन्हे सहकारी सघों में संगठित करने पर विचार कर रही है। बीड़ी श्रमिकों को महाराजे सपा को संगठित करने के लिए एक अवैतनिक सलाहकार की नियुक्ति की गई, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और थम मन्त्रालय सम्बन्धित राज्य सरकारों से परामर्श करके इस पर विचार कर रहा है। इस बीच, अन्तर्राष्ट्रीय थम संगठन से “बीड़ी श्रमिकों में औद्योगिक सहकारिता को बढ़ावा देगा” नामक परियोजना सम्बन्धी एक विचार प्राप्त हुआ है भन्नालय जिसकी जांच कर रहा है।

परिवार कल्याण—थम मन्त्रालय अपने कल्याण प्रभाग में स्थापित जनसंख्या सेत के तहत परिवार कल्याण कार्यक्रमों को समन्वित कर रहा है। यह कार्यक्रम जनसंख्या जिक्षा और परिवार कल्याण के बारे में यू एन डी पी / आई एल ओ से सहायता प्राप्त परियोजनाओं की तहत चलाया जाता है।

अब तक नो परियोजनाएँ पूरी की जा चुकी हैं। चल रही परियोजनाओं की सूची निम्न प्रकार से है—

(i) संगठित क्षेत्र में परिवार कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय सहयोग टंकसटाइल लेग्र एसोसिएशन, दलाहालाद।

(ii) औद्योगिक बागानों में परिवार कल्याण शिक्षा-भारतीय चाय एसोसिएशन।

(iii) व्यापक परिवार कल्याण शिक्षा कार्यक्रम यान्ध्र प्रदेश सरकार।

(iv) संगठित क्षेत्र के कर्मचारों के लिए परिवार कल्याण शिक्षा महाराष्ट्र सरकार।

(v) भारतीय चाय एसोसिएशन परिवार कल्याण परियोजना की असम शाखा (ए बी आई. टी. ए)।

(vi) कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिवार कल्याण परियोजना।

(vii) ए आई पी ई परिवार कल्याण परियोजना (फेज-II) आल इडिया आर्गनाइजेशन आँफ एम्पलायर्स।

(viii) ई एक आई परिवार कल्याण परियोजना (फेज-II) भारतीय नियोजक मण।

इस तरह की निम्नतिवित परियोजनाओं पर विचार दिया जा रहा है—

(i) ग्रामीण श्रमिकों की परिवार कल्याण शिक्षा के लिए केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड की परियोजना केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड।

(ii) बीड़ी श्रमिकों के लिए परिवार कल्याण शिक्षा परियोजना—थम मन्त्रालय।

आदिवासी (प्रोटोटाइप) योजना—सौविधिक कल्याण निधि अधिनियमों

वे सदृश्यों को प्राप्त राजने वे उद्देश्य में प्रभारी/गीरी भवित्वों और उनके परिवार के गदाधारों के लिए चिह्निता मुख्यधारों की व्यवस्था करने वे उद्देश्य में विस्तृतिवित्त प्रादिव्यहीन (प्रोटोटाइप) योजनाएँ प्राप्त हुई हैं—

१. तपेदिक के प्रस्तुताओं में पवित्रों को प्रारंभित करना।
 २. जनते किरते पितिरमा यूनिट।
 ३. हृत्रिम प्रभो की सल्लाह।
 ४. कैमर के इवाज के लिए पवित्रों को प्रारंभित करना।
 ५. मानसिर धीमारियों से वीहित थमिकों का इवाज।
 ६. मरहारी प्रस्तुताओं में पत्नीयों को प्रारंभित करना।
 ७. सामकों के लिए जग्मा वी घ्यवस्था।
 ८. सात प्रवर्षयों के लिए एम्बुर्चें माडियों वी घ्यवस्था।
 ९. प्रोपथात्रय का रक्त-रक्ताय करने के लिए प्रवर्षयत्रों को गहाया।
मनुदान।
 १०. श्रौपथात्रय मेशाएं उपराष्य पराने के लिए वितीय महापत्र।
 ११. पात्रा प्रोट गम्भीर दुर्घटना लाभ योजना।
 १२. दुष्ट रोग वी दशा म गहायना।
 १३. तपेदिक में मरीजों का शुद्धोपचार।

राज्य सरकारों द्वारा किए गए अम फल्याए कार्य (Welfare Activities of the State Governments)

ने द्वीप मरवार के प्रतिरक्षित विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी इन्हांगामी बाबंदे दिए गए हैं। महाराष्ट्र, गुजरात व राजस्थान में अम बल्याल केंट्रो (Labour Welfare Centres) बनाए जाते हैं। इन अम बल्याल केंट्रो पर महिला विभाग और युवा विभाग हैं। महिला विभाग में महिला दर्जी तथा महिला युवरवादीर होती है। महिला दर्जी अधिकारी की विधयों को नियाई मध्य-प्री बाबंदे नियाई है जबकि महिला युवरवादीर प्लॉट-प्लॉट बच्चों तथा महिलाओं को पढ़ाने वा कार्य करती है। ये अधिकारी के परिवारों में जाती हैं और इन प्रापार की विधयों के दिनपर मेजानारी देती है। युवा विभाग में गेला युवरवादीर मनीन शिल्प वंश या इन्साउण्डर होते हैं। घासतरिं व शाल खेल्हूद, बाखतारन युवरवान्य, विनिराम गुरिया, रेहियो, इन्स्प्रिटिव दिलाना पाइ युविधार्न युवा विमल द्वारा प्रदान की जाती है। इनके ऊपर अम बल्याल नियोग देता है जिनका इस एवं सम्बन्धित बहुआण केंट्रो की विभिन्न गतिविधियों को देता है। उनमें सम्बन्धित व्यापार केंट्रो की विभिन्न गतिविधियों को देता है। इन केंट्रों पर मनीन शिल्प द्वारा ने भी अम बल्याल केंट्रो की स्वाक्षरी की है। इन केंट्रों पर मनीन शिल्प द्वारा गतीय की विश्वा भी दी जाती है। इन केंट्रों की मस्त्रा गोपेन्द्र अदिकारी की सहयोगी भी विभिन्न गतिविधियों को युवार हा में सहयोगी की विभिन्न गतिविधियों को युवार हा में

चलाने के लिए पर्याप्त वित्त व्यवस्था होनी चाहिए। महिला विभाग के अन्तर्गत महिला दर्जी द्वारा चलाए जाने वाले कार्य में वृद्धि करने हेतु अधिक सिलाई मशीनें स्तरीयनी चाहिए तथा उनकी समय समय पर मरम्मत भी की जानी चाहिए। श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा हेतु भी अधिक सुविधा प्रदान करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त इन कल्याण केन्द्रों की प्रबन्ध व्यवस्था में श्रमिकों को भी हिस्सा दिया जाना चाहिए। प्रतिक्षित व्यक्तियों द्वारा केन्द्रों को चलाया जाना चाहिए। सरकार को कोई ऐसा विधान बनाना चाहिए जिससे मालिक भी कल्याण कार्यों में अपना योगदान दे सके।

नियोजकों या मालिकों द्वारा कल्याण कार्य (Welfare Work by Employers)

नियोजकों द्वारा कल्याण कार्य स्वच्छा संन करके विधान के अन्तर्गत प्रदान किए गए हैं। केष्टीन, पालने, विधामालय, स्नान घर, धोने की सुविधाएँ, चिकित्सा सुविधाएँ आदि विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत दी जाती हैं। कल्याण कार्य पर किए गए व्यय को मालिकों ने 'अपव्यय' (Waastage) माना है जबकि अब अध्ययन से पता चला है कि इससे श्रमिकों को कार्यकुशलता में वृद्धि होती है और इसे अपव्यय न मानकर विनियोग (Investment) माना जाता है। अधिकांश उद्योगपति कल्याण कार्यों के प्रति अनुदार भावना रखते हैं। फिर भी अब प्रगतिशील तथा उदारवादी विचारधारा वाले मालिकों ने विभिन्न प्रकार के उद्योगों में श्रम कल्याण कार्य किए हैं, जो मुख्यतः निम्न प्रकार हैं—

(1) सूती वस्त्र उद्योग—बम्बई की सूती वस्त्र मिलों में चिकित्सालय, पालने, केष्टीन, शनाज की दूकानों की सुविधाएँ आदि प्रदान की जाती हैं।

नागपुर की एम्प्रेस मिल्स ने इस क्षेत्र में प्रशसनीय कार्य किया है। चिकित्सा सुविधाएँ सन्तोषप्रद हैं। एक पत्रिका वा भी प्रकाशन किया जाता है। बीमारी लाभ कोष की भी स्थापना की गई है।

देहली क्लोथ एवं जनरल मिल्स ने कम्बचारी लाभ कोष ट्रस्ट बना रखा है। यह श्रमिकों और प्रबन्धकों के चुने व्यक्तियों द्वारा चलाया जाता है। सम्वी बीमारी, शादी, दाह स्स्कार और अच्छे विशेषज्ञों के इलाज आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हायर सेकेंडरी, मिहिल तथा तकनीकी पाठ्यालाई चलाई जाती है। एक साधाहिक डी.सी.एम गजट भी प्रकाशित किया जाता है।

मद्रास की वकिलम एव कर्नाटक मिल्स द्वारा अच्छा चिकित्सालय चलाया जाता है। महिलाओं को सफाई, बच्चों के पालन-पोषण, रोगों को रोकने आदि का ज्ञान देने हेतु विशेष कक्षाएँ चलाई जाती हैं।

वगलौर मे ऊनी, सूती और रेखम मिल्स द्वारा भी कल्याण कार्यों का अच्छा समन्वय किया गया है। चिकित्सालय, प्रमूलि घोर वाल कल्याण केन्द्र आदि की सन्तोषप्रद सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

प्रम प्रधिकारी गृही परम मिसो मे धम बहाल रायं सामोरपद है। फिर भी इन रायों मे विभिन्न देशों द्वारा समाजों गही पाई जाती है।

(ii) जूट उद्योग (Jute Mill Industry)—इस उद्योग मे धम बहाल रायं करते वाली एक मात्र समया भारतीय जूट मिल्स असोसिएशन (Indian Jute Mills Association) है। यह मानितों की संघर्ष है। इसे द्वारा विभिन्न देशों मे बहाल के द्वारा खलाए जाते हैं। इसे द्वारा प्राप्तिरिक व बाह्य गेत, गोदान सुविधाओं, पुस्तकालय, वाचनालय प्राप्तिरिक गान्धीजी, भवित्वों के वर्षी को धारा द्वारा देना साहि बहालतारी रायं दिए जाते हैं।

(iii) इंजीनियरिंग उद्योग (Engineering Industry)—एस विलों मे विभिन्नालय, ऐप्टीन, शैक्षणिक और गोदान गुवियाल् प्रश्न की जाती है। दारा प्राप्तिरन एड टील द्वारा द्वारा 8 विभिन्नताओं और धारा गान्धी गान्धी गान्धी वाने यस्तात्त्व की व्यवस्था की गई है। प्रगूति घोर वाय द्वारा देश की बनाता जाते हैं।

बागब, गीली गीलेट, लम्फ़ा, राजापतिर, गराये तेव पारि उद्योगी की बहालताल, विभिन्नालय, विद्या और गोदान गुवियाल् प्राप्ति मानिता द्वारा प्राप्त की जाती है।

(iv) बागान (Plantations)—इस उद्योग मे धम बहाल कानी हेतु बागान अम प्रधिनियम, 1951 (Plantations Labour Act of 1951) के प्राप्तिरान रोगे गए हैं। गम्भीर धीमारी हेतु बागानी मे बहालताल् की व्यापारा है। अमम म 19 प्रस्तावत और 6 विभिन्नालय गाने गा है जहाँ द्वारा बागान विद्या जाता है। बहालताल् रायो हेतु अगम बागान अग्नि। हेतु अगम बाय बागान बर्मसारी बहालताल् वाय प्रधिनियम, 1959 (Assam Ten Plantations Employee's Welfare Fund Act of 1959) गान दिया गया है। इस काए का विविध रागद या ऐप्टीन गुरुदारा के पूर्णांग, गान्धीजी के प्राप्त वाय राजिया, ऐप्टीन दान तथा धाय उपार वाय मे दिया गया है।

बोयला, सोहा घोर बम्भ भी गानों मे धम बहाल बाय व्यापिया। ने इयाल दे निए धम बहाल बोयों की व्यापारा की गई है। इस बोयों की बहालता ने विभिन्न गुवियाल्, प्राप्तिरिक व बाह्य गेत, गोदान, बाय गान्धी, गुग्गालय प्राप्ति की गुवियाल् प्रदान की जाती है।

धम तथों द्वारा बहाल बायं (Labour Welfare by Trade Unions)

भारतीय धम गानों का रायं धम गरादा व बनाना उनकी रायं गानों मे गुप्तार हेतु मानितों ने गर्वं बहालता की लीखित रहा है। भवित्वों के 11 रचनालय रायं गान म उत्तर दोनों बहाल व व रहा है। वर्तव गर भवित्व हान से इस देश म धम गानों दोनों देश मे गर्वं नहीं रहा। STC भी दुष्प्रभु

थम सधों ने अपने सीमित कोरों से थम कल्याण कार्यों के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

अहमदाबाद मूरी वस्त्र थम मण्ड (Ahmedabad Textile Labour Association) ने कल्याण कार्य के क्षेत्र में प्रगतिशील कार्य किया है। यह नव ग्रामी श्राव्य का ७५% कर्तयाण कार्यों पर व्यय करता है। इसके अन्तर्गत २५ केन्द्र खलते हैं जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाचनालय, पुस्तकालय, आन्तरिक व बाह्य खेत्रफल, मनोरजन, चिकित्सा आदि सुविधाएँ उपलब्ध हैं। मण्ड द्वारा ९ शिट्टा मस्त्याणे चलाई जाती है, जिनमें ६ स्कूल, २ अध्ययन भवन तथा १ वालिङ्ग घात्रावास है। नव द्वारा थमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्तिर्दायी भी दी जाती है। इस मण्ड द्वारा 'मजूर सन्देश' (Majur Sandesh) नाम का पत्र भी निकाला जाता है।

बानपुर की मजदूर सभा (Mazdoor Sabha) द्वारा भी थमिकों के कल्याण के लिए वाचनालय, पुस्तकालय और चिकित्सालय की सुविधाएँ प्रदान की रही हैं।

इंदौर की मिल मजदूर यूनियन (Mill Mazdoor Union, Indore) द्वारा एक थम कल्याण केन्द्र चलाया जाता है। यह केन्द्र तीन विभागों के अन्तर्गत चलाया जाता है—वाल मन्दिर, पुस्प केन्द्र और महिला मन्दिर। इन केन्द्रों पर शिक्षा, स्वस्थ्य, सिलाई, शरीरिक प्रशिक्षण आदि की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।

अधिकांश थमिकों के मगठन ने थम कल्याण कार्य में अधिक हाँच नहीं ली है। इसका मरम्मत प्रमुख कारण वित्तीय कटिनाई वा शोषण है।

समाजसेवी संस्थाओं द्वारा कल्याण कार्य (Welfare Work by Social Service Agencies)

कुछ समाज सेवी संस्थाओं द्वारा भी थम कल्याण कार्य क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। इन संस्थाओं में बम्बई समाज सेवी लीग, 'सदा मदन समिति', 'बम्बई प्रेसीडेन्सी महिला मण्डल', 'वाई. एम. सी. ए' आदि प्रमुख हैं। बम्बई की समाज सेवा लीग द्वारा राजिकालीन शिक्षण संस्थाएँ चलाई जाती हैं। इसमें थमिकों में शिक्षा का प्रसार हांगा। पुस्तकालय, वाचनालय, स्काउटिंग, मनोरजन व सेनेकूद की व्यवस्था, सट्कारी समितियों की स्थापना आदि सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। पूना और बम्बई की सेवा सदन समितियों द्वारा वान व महिलाओं को सामाजिक, शैक्षणिक और चिकित्सा सम्बन्धी तुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। ये सामाजिक कार्य क्षमियों को हेत्यार बरने का कार्य भी करती है। पश्चिम बंगाल में महिला समितियों द्वारा गाँव-गाँव न जातर शिक्षा प्रसार और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के कार्य किए जाते हैं। इस प्रकार थम कल्याण कार्यों के क्षेत्र में इन सामाजिक

सेवा संस्थाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण और सराहीप रहा है। इनके प्रचार, प्रगति और प्रात्माहकी का दारणा हमारे देश में अमिर कल्याण कार्य के द्वेष में एवं कानून व्यवास जा सके हैं।

नगरपालिकाओं द्वारा अम कल्याण कार्य (Labour Welfare Work by Municipalities)

नगर पिलामो और नगरपालिकाओं द्वारा भी अम कल्याण कार्य के द्वेष में दबना योगदान दिया गया है। बम्बई, बलदासा, टिलवी, बानपुर, मदाग और भर्पुर जैसे नगर पिलामो द्वारा गहराई गाल समितियों की उत्थापन की गई है; बम्बई नगर निगम द्वारा एक भलग में कल्याण विभाग (Welfare Department) चलाया जाता है। बानपुर ये भ्रमसर में नगर निगमों द्वारा शाखियाँ बनाई जाती हैं। बलदासा नगर निगम द्वारा रात्रि शाराही, गिरु नदन तथा देशीन मार्दि चलाने की योजना है। दिल्ली और तमिलनाडु में श्रीड़ निधि की गुरियाएँ प्रशान्त हो जाती हैं। यह नगरपालिकाओं में श्राविंडे फाफ़ योजना भी चलाई जाती है। बम्बई की ग्रोटोगिक विभिन्न जिल्ह 'पाल' कहा जाता है वहाँ नमिको हेतु प्राप्तिरिक तथा बाह्य सेवा, वायनानयों तथा मनोरक्षण गुरियाएँ द्वारा प्रश्न दिया जाता है।

अम कल्याण कार्य के विभिन्न पहलू

(Various Aspects of Labour Welfare Work)

अम कल्याण कार्य के पहलू उद्योग की प्रकृति, उमड़ी रिपोर्ट काम में प्रयोगी एवं गणठन के द्वारा और उसके विभिन्न पर नियंत्रण करते हैं। मुख्य महत्वपूर्ण अम कल्याण कार्य के पहलू में इन पर हैं—

1. केंटीन (Canteens)—इनी भी ग्रोटोगिक ग्राम्यों में केंटीन के पहलू की स्वीकार दिया गया है। इमारा सर्वानन्द के शवास्थ, बुगराना और कल्याण पर प्रभाव पड़ता है। इनका उद्देश्य मस्ता और चापाहार बहुत भी बहुत तुलना दराना है। इसमें अमिर एक द्वयों के अधिक निष्ठ भांति है और प्रशंसनात्मक मनुष्य करते हैं।

विनी भी यस्तान में केंटीन की सफलता के लिए यह प्राप्त रहा है कि इनके परिवर्तन दरकूट हो, सार-मुद्री जगह हो ग्रोट वस्त्रे वातावरण में दारताने में दर्ते रखाते रहा जाए। यह न साम न हारी (No Profit No Loss) के प्राप्ति पर जमाया जाना चाहिए। प्रवासियों द्वारा इसे प्रत्युत्थान दिया जाना चाहिए। टाटा घायरन एवं इंटीन कम्पनी, श्री शी. एम., निवार बादगं यादि द्वारा बहुती गुरुदर्शक गुरियाते प्रदान की गई है। दरराजन अधिनियम 1948 तात्त्व अधिनियम, 1952 के प्रभावेन 250 वां इगत अधिक अमिर होने पर कारब्लाने वृत्ति जानी में मार्तिर द्वारा देशीन की व्यवस्था करनी पड़ती है। बातान अम परिविन न, 1951 के वर्ताने 150 वां इगत अधिक अमिर होने पर केंटीन की अवधारणा दरराजावादी है।

2. पालने (Cretches)—छोटे बच्चों के लिए पालनों की व्यवस्था करना आवश्यक है यदोंकि महिला अभिक कार्य करती रहती है तथा बच्चों को मिट्टी प्रादि सान, गन्डे होन आदि से बचान के लिए इसकी व्यवस्था आवश्यक है। भारत सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को कानून द्वारा पालनों की व्यवस्था हेतु कानून बनाने का निर्देश दिया है। कारखानों में जहाँ 50 या इससे अधिक महिला अभिक कार्य करती हैं वहाँ पर पालनों की व्यवस्था को जानो चाहिए। खान अधिनियम व बागान अधिनियम में भी पालने की व्यवस्था करने का प्रावधान है।

अम अनुसधान समिति, 1946 ने यहाँ आ कि अधिकांश कारखानों में पालनों की स्थिति असन्तोषजनक है। कार्य के स्थान से यह व्यवस्था दूसरे कोने पर की जाती है जहाँ पर उनकी देखभाल के लिए कुछ भी प्रबन्ध नहीं बिधा जाता है और न ही बच्चों को लेतने के लिए खिलौन आदि की व्यवस्था की जाती है।

पालने की प्रचलित व्यवस्था होने पर बच्चे की मां अपन बच्चे की सुरक्षा और आराम से रुचि लेकर कार्य करती है जिससे उसकी कार्य कुशलता बढ़ती है। मदुरा मिल्स, वर्किंग और कर्नाटक मिल्स तथा डी सी एम में पालनों की व्यवस्था सन्तोषजनक है।

3. मनोरजन सुविधाएँ (Recreational Facilities)—अम अनुसधान समिति (Labour Investigation Committee) ने मनोरजन सुविधाओं पर जोर दिया है। सारे दिन का यका हुआ अभिक कार्य की ध्वावट, नीरसता आदि को स्वय के साधनों से दूर नहीं कर सकता। इस ध्वावट, नीरसता आदि को दूर करने हेतु नाटक, वाइ-विवाद, सिनेमा, रेडियो, सर्गीत, बाचतालय, पुस्तकालय व पांक आदि की सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए। मनोरजन की सुविधाओं के प्रभाव में अभिक कई सामाजिक बुराइयों (Social Vices) उदाहरणार्थ—प्रारब्धोरी, जुगाड़ोरी, वेश्यागमन आदि का शिकार बन जाना है। मनोरजन सुविधाओं की ग्राम मालिकों व सरकारों द्वारा कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। अम अनुसधान समिति ने सुभाव दिया है कि मनोरजन की सुविधाएँ प्रदान करना मालिकों का ऐच्छिक उत्तरदायित्व होना चाहिए। उन पर किसी प्रकार का विधानिक दायित्व नहीं होना चाहिए।

4. चिकित्सा सुविधाएँ (Medical Facilities)—अभिकों की कार्यकुशलता पर उनके स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। अच्छे स्वास्थ्य हेतु चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए। बीमारी और खराद स्वास्थ्य के कारण अभिकों में अनुस्थिति, अभिक परिवर्तन, अम प्रवासिता तथा ग्रीवोगिक ग्रुशलता तथा ग्राहनि वा प्रोत्साहन मिलता है।

समूचे देश में ही चिकित्सा सुविधाएँ प्रसमुचित तथा अपयोग्य हैं। मालिकों द्वारा प्रदान की गई ये सुविधाएँ भी असन्तोषजनक हैं। अम अनुसधान समिति ने यहाँ है कि चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करने का प्रमुख दायित्व सरकार का है किर भी इन सुविधाओं हेतु मालिकों और अभिकों का सहयोग भी अपेक्षित है।

भारत ना अधिनियम, 1946 के प्रलंबित कुट राज्य में विभिन्न सुविधाओं की इन रेत हेतु विभिन्न नियमों की नियुक्ति की गई है।

5 घोरे और नहाने की सुविधाएँ (Washing & Bathing Facilities) — भारताता अधिनियम 1948 के प्रलंबित कर्षणे घोरे तथा गन्दे हाथ पर्दापान तथा नहाने वा पूर्ण व्यवस्था की प्रदर्शन है। अधिकारों की घोर गन्दे हाथ कर्षण तथा टौडन की व्यवस्था भी की गई है। भारताता अधिनियम के विभिन्न गान्धी अधिनियम, माटर यानायात कर्मचारी अधिनियम, धारान धम अधिनियम, धादि के प्रभागत धोंग घोर नहाने की सुविधाओं के सम्बन्ध में आवधान दिए गए हैं।

6 शिक्षण सुविधाएँ (Educational Facilities) — अधिकारों में शिक्षण कई वृत्तालयों की जननी है। धम अधिकारों में शिक्षा का प्रशासन करना घोर इनकी सुविधाएँ प्रदर्शन करता। प्रश्नक एवं उपराज्यकारी राज्य पा उत्तराधिकार हो जाता है। शिक्षा वा अधिकारों की मानसिक दक्षता घोर शाविक उत्तराधिकार से कठिन होती है। धीमागिक विद्युम वा कारण तीव्र यति से उत्तराधिकार के विभिन्न तरीकों से दरिकर्तन हो रहा है। इसमें बड़ी समिक्ष अधिकार समाज हो गया है जिसमें कुण्डला प्राप्त हुए, की धमता है। धम अनुसारान समिति (Labour Investigation Committee) ने शिक्षा के सम्बन्ध में राज्यों पर विद्येशारी हानी है। धमी कारण है वि ता 1958 में अधिकारों की शिक्षा हेतु एक नेत्रोंय पाठ्य (Central Board for Workers Education) की स्थापना की गई। इस बोर्ड के सामूहिक से अधिकारों की शिक्षा की दिक्षा पर एक महत्वपूर्ण काम किया गया है। इस बोर्ड के प्रभागी गारकार टारा निया अधिकारिया (Education Officers) की नियुक्ति की जाती है। ये शिक्षा अधिकारों प्रादेशिक नारीनयों में चुने हुए अधिकारों को धम कानून तथा धम विधों पर शिक्षा देते हैं। उन्हें अधिकारों के धम्यायर (Workers' Teachers) होता जाता है। ये शारे धमों सम्बन्धों में वापर जारी रखते अधिकारों में शिक्षा के प्रशासन का बाधा करते हैं।

उपरोक्त धम कल्याण बाधा के विभिन्न पहलुओं का धम्यायन वरा पर हम पह विकारे न-कालते हैं कि इन विभिन्न पहलुओं को प्रभावपूर्ण इन ग सामूहिक धरने पर अधिकारों की शाखे-कुण्डला पर अनुसूत प्रभाव पहता है। इन पर जा धम शिक्षा नामा है वर धार्यक न होकर विनियोग सामा जाता है इसीकि इसी अधिकारे रकार्य बाधा कुण्डला तथा जीवन स्तर पर अनुसूत प्रभाव पहता है। राष्ट्रीय उत्पादन पहला है, प्रति ध्यक्ति पाय बढ़ती है घोर सामों का जीवन स्तर बढ़ता होता है। दो धम तामों की धमता में रसने हुए गरकार, पालिका, धम सर्पों तथा समाज सभी सम्पादों का यह उत्पादन हो जाता है कि वे समृद्ध ज्ञ ते निराकर इन विभिन्न पहलुओं का प्राप्ताधिक होते हैं। गरकार को धूतनम स्तर विधायित होने उन्होंने प्रभावपूर्ण विद्यान्वयन हेतु गमीनहीं की सुधृ धरना कहिए। मारिकों को इन

वैधानिक दायित्व को पूरी तरह निभाना चाहिए। मालिकों को इस दिशा में एक उदारवादी और प्रगतिशील विचारधारा को अपनाना होया। उन्हे इस व्यय को अपव्यय न समझकर विवेकपूर्ण विनियोग (Rationale Investment) समझना चाहिए योकि इससे श्रमिकों वी कार्य-कुशलता बढ़ती है और इसके परिणामस्वरूप उसके लाभों में बढ़ि होती है।

अम कल्याण कार्य को सरकार, मालिक और श्रम संघों द्वारा एक समृद्ध उत्तरदायित्व (Joint Responsibility) समझना चाहिए। कोई भी ग्रकेला पक्ष इस कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर सकता है योकि इस पर वित्तीय लागत अधिक आती है, जिसे ग्रकेला पक्ष बहन नहीं कर सकता है।

हमारे देश में अम कल्याण कार्य के क्षेत्र म अच्छी शुद्धिमत कर दी गई है। फिर भी इस कार्य के मार्ग में कई बाधाएं आती हैं जैसे श्रमिकों की प्रवासिता की विशेषता, अम संघों में प्रभावपूर्ण संगठन वी कमी, अम संघों के पास कोई की कमी, श्रमिकों की अविभात तथा अन्य सामाजिक और मार्गिक दशाएं जो वर्तमान समय में हमारे देश में हैं, लेकिन इन बाधाओं के बावजूद भी सभी पक्षों—सरकार, श्रम संघों और मालिकों को समृद्ध रूप से मिलकर यह करना चाहिए। इसे एक सुनियोजित योजना बनाकर तेजी से लागू किया जाना चाहिए, सफलता अवश्य मिलेगी।

Appendix—1

अम मन्त्रालय का ढाँचा ओर कार्य^१

अम मन्त्रालय का सम्बन्ध मुख्यतः प्रोटोकिक सम्बन्ध, घटदूरी, रेक्ट्रार, कर्मचारी के बन्धाण तथा सामाजिक सुरक्षा। आदि विषयों से है जिनका उल्लेख भारत के विधान की 7वीं अनुसूची की संघीय और समवतीं गृहियों में दिया गया है और यह मन्त्रालय इन सामनों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीतियाँ निर्धारित करता है। ऐसे, व्यापों, तत् थोपो, मुख्य पत्तनों, वैदा, बीमा कार्यालयों (जिनकी शाखाएँ एक से भिन्न राज्यों में हैं) तथा ऐसे प्रत्येक उपक्रमों जिनका उल्लेख संघीय गृहीय में दिया गया है और जिनके अम सम्बन्धों के लिए देशीय सरकार सीधे जिम्मेदार है, वो थोड़कर धम नीति के कार्यालयों के लिए राष्ट्र सरकार सामान्यतः जिम्मेदार हैं, परन्तु देशीय सरकार सम्बन्ध काय बरती है। यह मन्त्रालय कर्मचारी राज्य बीमा धर्यालय, 1948; कर्मचारी भविष्य नियि तथा प्रकीर्ण उपक्रम धर्यालय, 1952 के कार्यालयों और व्यापों तथा बीही उद्योग में अभियों के सम्बन्ध में कल्याण नियि की व्यवस्था के लिए भी उत्तरदायी है। यह मन्त्रालय धर्यालयों के बीच वो बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिदासा मुदियार्णे प्रदान करता है, ताकि उनकी नियोजनता बेहतर हो सके। अमराष्ट्रीय अम संगठन तथा अन्तर्राष्ट्रीय रामाज सुरक्षा संघ से सम्बन्धित सभी कार्यालयों के लिए यह मन्त्रालय नोडल संगठन के रूप में काय बरता है। यह मन्त्रालय इन संगठनों की बैठकों और सम्मेलनों पर प्रतिनिधियों के भाग लेने सम्बन्धी सम्बन्धयन काय तथा अमराष्ट्रीय धम मानदों द्वारा इन निकायों की एव्य विफालियों के कार्यालयन का काय करता है। अम मन्त्रालय की हात ही में बनाए गए उत्प्रवास धर्यालय, 1983 से पार्षीन भारतीय अभियों को विदेशों में सौकरी एवं जाने काय उनकी धमसों सम्बन्धी काय भी सौंग गया है। इस नए काय को सम्भालने के लिए उत्प्रवास प्रोट्रेक्टर वे भाग कार्यालयों सहित एवं पूर्ण उत्प्रवासी प्रभाग जिम्मेदार है।

१ अम मन्त्रालय विभिन्न विभागीय सम्मेलनों और समितियों, अम नाइटों तथा संविकों के सम्मेलनों के लिए मिविशालय की भी सम्बन्ध बरता है। धम मन्त्रालय का एक संगठनारम्भ थाट परिशिष्ट—। पर दिया गया है।

१ धम व्यवाय, वाचिक रिपोर्ट, 1985-86.

इस मन्त्रालय के चार सम्बद्ध कार्यालय, 21 अधीनस्थ कार्यालय और 6 स्वायत्त मण्डल हैं।

सम्बद्ध कार्यालयों के महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार है—

(1) रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय सार देश में नीतियाँ, प्रतियापों तथा मानक निर्धारित बरने और रोजगार सेवा प्रनियायों एव स्वादसाधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समग्र समन्वय के लिए उत्तरदायी है।

(2) मुख्य अमायुक्त (वैन्द्रीय) कार्यालय ऐसे उद्योगों और प्रतिष्ठानों में अम जानकी के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं जिनके सम्बन्ध म वैन्द्रीय सरकार समूचित प्राधिकरण है। यह कार्यालय वैन्द्रीय अधिक सुगठनों स सम्बद्ध यूनियनों की सदस्यता के सत्यापन के लिए भी जिम्मदार है।

(3) बारखाना सबाह सेवा और अम विज्ञान वैन्द्र महानिदेशालय कार्यालय और गादियों में अधिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से सम्बन्धित है। यह महानिदेशालय राज्य सरकार द्वारा कारखाना प्रधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन का समन्वय करने तथा इस अधिनियम के अधीन आदर्श नियम बनाने के लिए जिम्मेदार है। यह भारतीय गोदी अधिक प्रधिनियम, 1934 और उसके अधीन बनाए गए विनियमों तथा गोदी कर्मचार (सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा बल्याण) योजना, 1961 को भी लागू करता है। यह श्रीयोगिक स्वादसाधिक दीपारिया, श्रीयोगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और श्रीयोगिक फिजियालोजी में अनुसंधान बरता है। यह उत्पादिता, श्रीयोगिक इंजीनियरिंग, तकनीकी और प्रबन्धनों सेवाओं में प्रशिक्षण भी देता है और श्रीयोगिक सुरक्षा में एक पर्यं की अवधि का डिप्नोमा पाठ्यक्रम भी आयोजित बरता है।

(4) अम ब्यूरो निदेशालय रोजगार, मजदूरी दरों, आय, श्रीयोगिक विवाद, बासवाज की दशाओं आदि के दार में सीखियकीय तथा अन्य सूचना एवं और प्रकारित करने के लिए जिम्मेदार है। यह श्रीयोगिक तथा कृषि अधिकों के सम्बन्ध में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सकलित और प्रकाशित भी करता है।

अधीनस्थ कार्यालयों म से अधिक महत्वपूर्ण कार्यालय और उनके कार्य इस प्रकार हैं—

(1) सान-सुरक्षा महानिदेशालय जो खान अधिनियम, 1952 के उपबन्धों तथा उसके अधीन चलाए गए नियमों और विनियमों को जागू बरने का काम संपादया है। इसके प्रतिरिक्त यह निदेशालय रेंट-रोयला खानों सम्बन्धी प्रसूति प्रसुदिधा अधिनियम, 1961 के अधीन बनाए गए सान प्रसूति प्रसुदिधा नियमों को लागू करता है। यह निदेशालय खानों और तेल क्षेत्रों को लागू भारतीय विज्ञी अधिनियम, 1910 के उपबन्धों का प्रवर्तन भी करता है।

(2) बल्याण निधि सुगठन जौह अवस्थ, मैगनीज और ज्वोम अपर्क, अभ्रक, चूना पत्थर तथा जोनोमाइट खानों और यींदी उद्योग में विद्यमान है जो सम्बन्धित उद्योग म नियुक्त अधिकों के बल्याण को बढ़ावा देते हैं।

थम मन्त्रालय के द्वायत्त गणठनों हारा इए जाने वाले बायं निम्नलिखित हैं—

(i) कमंचारी राज्य वीमा निगम कमंचारी राज्य वीमा अधिनियम, 1948 में कार्यान्वयन के सिए उत्तरदायी है जिसमें वीमारी, प्रमूलि प्रोर रोकगार के दोरान सभी चोट के मामलों में विशिष्ट गुणिधा प्रोर गण ताम भी व्यवस्था है।

(ii) कमंचारी भविष्य निधि प्रोर प्रश्न-प्रधिनियम, 1952 का अधीन स्वापित कमंचारी भविष्य निधि गणठन, भविष्य निधि, परिवार पर्यान तथा जमा सम्बद्ध वीमा पोजनाओं का कार्यान्वयन के सिए विभमदार है।

(iii) राष्ट्रीय धान सुरक्षा परियद एक पर्जीहृत संस्था है। इस परियद का उद्देश्य प्रत्येक लनिज को धान सुरक्षा संबंध देना और उसे गर्भी प्रसार के सुरक्षा कायों के दाय सहयोजित कराना है।

(iv) राष्ट्रीय सुरक्षा परियद एक पर्जीहृत संस्था है, जो प्रसार और प्रसार के विभिन्न माध्यों प्रमुखत अध्यन्वय साधनों का धान समिक्षों में सुरक्षा जागहना को यढ़ा देती है।

(v) केन्द्रीय अमिक निक्षा घोड़ प्र एक पर्जीहृत संस्था है, जो अमिकों को द्रेह गवावाद के तरनीकों में प्रगिकाण देने समझदी घोजना गचाना इत्ता है। अमिकों को उनह अधिकारी और कर्त्त्यों का योष कराना भी इम बाहें का बायं है। घोड़ न ग्रामीण अमिक निक्षा तथा क्रियामक प्रौद्ध निक्षा सम्बन्धी इापकम भी युह विए है।

(vi) राष्ट्रीय थम सम्बान्न एक पर्जीहृत संस्था है, जो कायों-मुक्त अनुसन्धान करती है और ग्रामीण तथा शहरी धानों ऐवो में द्रेह यूनियन ग्रामोसन में मूलभूत अमिकों को और योगोगिक सम्बन्धों, कामिक प्रव-ध, अमिक इत्याल ग्रादि से सम्बन्धित अधिकारियों को भी प्रगिकाण प्रदान करती है।

Appendix—2

अन्तर्राष्ट्रीय अम संगठन¹

प्रथम विश्व-युद्ध की समाप्ति के पश्चात् सन् 1919 में राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई जिसका एक लक्ष्य महान् उद्योगों में श्रमिकों की दिशा में सुधार करना भी था। इसी उद्देश्य के लिए प्रन्तराष्ट्रीय अम संगठन की स्थापना हुई और यह विश्व के विशाल जनसमूह के कल्याण का प्रतीक माना जाने लगा।

श्रमिक कल्याण के लिए सुझाव

श्रमिक कल्याण के लिए इसमें निम्नलिखित सुझाव दिए गए जिनका उल्लेख श्रमिक चाटंर में है—

(1) श्रमिकों को मात्र वाणिज्य की वस्तु न समझा जाए, उनका व्यविकल्प न किया जाए, उन्हें उतना ही महस्त्र दिया जाए जितना देश के इसी वरिष्ठ नागरिक को दिया जाता है।

(2) नियोत्ता एवं श्रमिकों को संगठन बनाने के पूर्ण अधिकार दिए जाएं जिससे वे अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का सुचारू रूप से पालन कर सकें। इस संघ का उद्देश्य वैध लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होना है।

(3) श्रमिकों को देश एवं काल के अनुरूप उचित मजदूरी अपवा वेतन प्रदान किया जाए जिससे राष्ट्रीय जीवन-स्तर में गिरावट न आने पाए।

(4) भाठ घण्टे से अधिक किसी श्रमिक से कार्य न लिया जाए और कार्य की अवधि सप्ताह में 48 घण्टे से अधिक न हो।

(5) प्रत्येक श्रमिक को 48 घण्टे साप्ताहिक कार्य के बाद 24 घण्टे का अवकाश साप्ताहिक भी मिलना चाहिए। इसमें साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था भी हो।

(6) दच्छों के मानसिक एवं शारीरिक विकास में अवरोध उत्पन्न न हो, इसके लिए वच्चों से अम लेने पर रोक लगाने की व्यवस्था नी जाए।

(7) स्त्री और पुरुष श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान मजदूरी वी व्यवस्था की जाए।

1 डॉ देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह : श्रोतोमित्र सम्बन्ध एवं अम समस्याएं, पृष्ठ 440-48
वा 441-48।

(8) देशी धर्मवा विदेशी अधिकारों के प्रादिव विषय-कायाओं में नोट घन्तर न दिया जाए।

(9) प्रत्येक देश अपने अधिकों के लिए ऐसी व्यवस्था बने जिसमें उनको प्राप्तने कायाओं के सम्पादन में विसी प्रदाता का धर्वरोध महसूस न हो। दूसरे शब्दों में, सामाजिक गुणों व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए तिसमें अधिक अपने कायाओं को उचित होने से यांगे बड़ा सर्वे।

अन्तर्राष्ट्रीय थम कार्यालय

अन्तर्राष्ट्रीय थम कार्यालय जेनेवा में स्थित है। इसकी शास्त्रार्थ धर्म ने देशों में भी है। इसका प्रमुख कार्य विषय-सामग्री इन्टर्नी बरता रखा अनुसंधान वे कायाओं को राजनीति बरते में सहायता प्रदान बरता है। यह अन्तर्राष्ट्रीय थम गोष्ठी के कार्य राजनीतन में भी महत्वपूर्ण भूमिका बदा बरता है। सामाजिक एवं श्रीदातिक व्यवस्था भी इसके कार्य-दोष में याती है। यहाँ से कई महस्वपूर्ण विभार्ता भी प्रकाशित होती हैं, जैसे—(1) अन्तर्राष्ट्रीय अधिक समीक्षा (मातिक), (2) उद्योग एवं थम (पालिक)। अन्तर्राष्ट्रीय कार्यालय गे विभिन्न देशों के विवेक कार्यरत हैं जो अपने देश के यौवन-कायाओं के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण प्राप्ति देते हैं। कार्यालय का मुख्य विधिवाली महाविदेश बहनाता है। इस कार्यालय की एक शाखा मन् 1928 ते ही भारत में कार्यरत है। भारत में यह सामाजिक एवं आधिक विकाग विषया मूलता प्रमारित बरता है।

भारत और अन्तर्राष्ट्रीय थम सगठन

भारत पर इस सगठन का उत्तरदायित्व इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि भारत इस सगठन के साथ एहयोग बरते अपने देश में सामाजिक व्याय के विद्वानों की कार्यालय बरा रहा है। विद्वें 56 व्यों से इस संगठन ने देश में जाति स्थापना में एवं उद्योगों में यापनी तनाव बो दूर बरदे में सहायता प्रदान की है। भारतीय सविधान ने भी इस तथ्य पर जोर दिया है इस वह अपने नागरिकों के लिए सामाजिक, आधिक एवं राजनीतिक व्याय की व्यवस्था बरेगा। सविधान का यह ब्रह्मुप उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय सगठन का प्रमुख ध्येय है और यह तभी सम्भव है जब देश में जन-व्यवास्था द्वारा व्यतिगत स्थैतिक्य पौर सामाजिक व्याय की स्थापना की जा सके।

नागरिकों के मोनिक प्रधिकारों की मुरशदा वरम आवश्यक है। मोनिक प्रधिकारों की मुरशदा के लिए सविधान में यांदेशर तिदानों की परिवर्तन की गई जो गमी गमुदायों को स्वतंत्रता देती है।

कार्यालय

अन्तर्राष्ट्रीय थम सगठन के कार्यवायाओं पर विचार ध्याक बरते हए थम धायोग ने यह मुझाय दिया है कि यदि भारत अन्तर्राष्ट्रीय थम कार्यालयों में राहयोग बरता है तो उसे तिए यह प्रादायक हो जाता है कि वह उन कार्यकारों

द्वारा अपने यहाँ की थम व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करे। अन्तर्राष्ट्रीय थम सगठन ने सन् 1950 वे बाद ऐसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया है जिनके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में सहायता मिल सके। भारतवर्ष में इससे अनेक रूपों में लाभान्वित हुआ है, उदाहरणस्वरूप, सन् 1951 म थम सगठन से हुए समझौते के अन्तर्गत तकनीकी सहायता, विशेषत विशेषज्ञों के रूप में तथा प्रशिक्षण द्वारा वृत्ति के रूप में मिली है। इन विशेषज्ञों न निम्नलिखित द्वेषों म कार्य किए हैं—(1) सामाजिक सुरक्षा, (2) उदाहरण, (3) औद्योगिक प्रशिक्षण, (4) रोजगार सूचना, (5) सलाह, (6) दस्तबारी प्रशिक्षण, (7) लघु उद्योगों सम्बन्धी प्रशिक्षण, (8) औद्योगिक सम्बन्ध प्रशिक्षण, (9) अभिक शिक्षा, (10) औद्योगिक स्वास्थ्य, (11) खदानों को सुरक्षा, (12) प्रवन्ध में विकास, (13) औद्योगिक मतोविज्ञान तथा (14) औद्योगिक तकनीक आदि। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय थम सगठन ने नी विशेष वित्त कोष कार्यक्रम भी दिए हैं। इन सभी कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य भारत वे औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करना है।

अन्तर्राष्ट्रीय थम सगठन वा अभिक आन्दोलन से सम्बन्ध

भारतवर्ष के अभिक आन्दोलन को गति देने में अन्तर्राष्ट्रीय थम सगठन ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सगठन के उद्देश्य इस बात का स्पष्टीकरण करते हैं कि अभिक उन लक्ष्यों के आधार पर अपने और अपनी सत्याग्रहों को आगे बढ़ाएं और अपने अधिकारों एवं कायों के प्रति जागरूक हों। अभिको द्वी ज्ञानवृद्धि के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अभिक सगठन ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। समय-समय पर भारतीय प्रतिनिधि अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सम्मिलित होते रहे हैं और अन्य राष्ट्रों के अभिकों से सम्बद्ध विचारों का आदान प्रदान करते हैं जिससे जागरण की नव-भावनाओं का उदय होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय थम सगठन का थम अधिनियम पर प्रभाव

अन्तर्राष्ट्रीय थम सगठन ने भारतीय अधिनियम के विकास में भी सहायता प्रशन की है। अब तक भारत में अनेक महत्वपूर्ण थम अधिनियम बनाए जा चुके हैं। इन अधिनियमों के निर्माण में अन्तर्राष्ट्रीय थम सगठन वा भी महत्वपूर्ण योगदान, रहा है। टिल्होनो, डा. यहू पत. है कि अन्तर्राष्ट्रीय थम, यात्रा, यात्रियों की समस्याओं में जनता द्वी रवि को बढ़ाने का कार्य करता है। इसने ऐसे कदम भी उठाए हैं जिनसे अभिकों को प्रोत्साहन मिला है। ऐसे समय में यदि अभिक सगठन न रहा होता तो भारतीय थम के कार्यों में उतना सुधार भी नहीं हो पाता जितना हुआ है। प्रत्यक्ष रूप में भारतीय थम सुधार कायों में जो भी प्रगति हुई है वह अन्तर्राष्ट्रीय थम सगठन के सहयोग से ही हो सकी है। इस तथ्य को रायल थम आवोग (1929-31) तथा राष्ट्रीय थम आयोग (1969) ने भी स्वीकारा है।

अन्तर्राष्ट्रीय धर्म संगठन का भारतीय ग्रीष्मोगिक सम्बन्ध पर प्रभाव

अन्तर्राष्ट्रीय धर्म संगठन ने अमिक, नियोक्ता एवं सरकार इन तीनों को एक साथ कार्य परने के लिए प्रेरित किया है। भारत में भी विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् से प्रबन्ध एवं अमिक आपसी विवादों के निवारण के लिए विदलीय समझौता का सहारा लेने लगे हैं। संगठन के प्रमुख उद्देश्यों में ग्रीष्मोगिक शान्ति और व्यवस्थित प्रबन्ध विशेष उल्लेखनीय है। इसने भारत की धर्म व्यवस्था को सुधारने में वापी सहायता प्रदान की है। सामाजिक इटिकोए से भी समर्पण मिटाने में और राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने में अमिक संगठनों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस संगठन के भावी कार्यश्रमों के ग्राहार पर भारत के ग्रीष्मोगिक सम्बन्ध प्रगतिशील हैं।

Appendix—3

वर्तमान अम कानूनों में संशोधन (अमन भन्दालय की रिपोर्ट 1985-86)

बोनस सदाय (सशोधन) अधिनियम, 1985

मई, 1985 में बोनस प्रधिनियम, 1965 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन द्वारा इस प्रधिनियम की धारा 12 का लोप कर दिया गया था जिसके अनुसार 1,600 रुपये प्रतिमाह मजदूरी/वेतन पाने वाले कर्मचारी बोनस की गणना के लिए पहले से विद्यमान सीमा के बिसी प्रतिवर्ष के बिना अपनी वास्तविक मजदूरी/वेतन पर आधारित बोनस के पात्र होंगे।

सितम्बर, 1985 को एक अध्यादेश जारी किया गया था और 1984 के दौरान किसी भी दिन शुरू होने वाले लेखा वर्ष और उसके बाद के प्रत्येक लेखा वर्ष के लिए बोनस के नुगतान के सम्बन्ध में इस संशोधन को पूर्वप्रभावी कर दिया गया।

7 नवम्बर, 1985 को दूसरा अध्यादेश जारी किया गया जिसके द्वारा बोनस की पात्रता सीमा 1,600 रुपये प्रतिमाह से बढ़ावर 2,500 रुपये कर दी गई थी। तथापि वे कर्मचारी जो 1,600 रुपये से 2,500 रुपये प्रतिमाह तक मजदूरी/वेतन पा रहे हैं उनके बोनस का निर्धारण उसी प्रकार होगा मानो उनकी मजदूरी/वेतन 1,600 रुपये प्रतिमाह है। इस संशोधन को भी 1984 में इसी दिन से शुरू होने वाले लेखा वर्ष से लागू किया गया। इन दो अध्यादेशों को बदलने के लिए सरद के शीतकालीन अधिकारियत में एक विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया और 19 दिसम्बर, 1985 को राष्ट्रपति जी द्वारा मंजूरी दिए जाने के पश्चात् यह एक प्रधिनियम बन गया (1985 का 67वाँ अधिनियम)।

बालक नियोजन अधिनियम, 1938

वर्ष 1985 के दौरान बालक नियोजन प्रधिनियम, 1938 में संशोधन किया गया। इस संशोधन के अनुसार कुछ नियोजनों में 14/15 वर्ष स वर्ग आयु के बालकों के नियोजन के सम्बन्ध में इस प्रधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों का पहली बार और उसके बाद उल्लंघन करने के अपराधों के लिए निर्धारित दण्ड बड़ा दिया गया है। इस संशोधित प्रधिनियम को शोध ही लाग कर दिया जाएगा।

यथित अग पदति (सेवा की शर्त) सशोधन अधिनियम, 1985

यथित अग पदति (उत्तादा) सशोधन विषेषक, 1984 तंत्रे दोनों सदों द्वारा पारित विषय गण का और इसे 24 दिसंबर, 1985 को राज्यपति की मंजूरी दिल गई थी। इस सशोधन से ठेका धर्म और उत्तराञ्जित प्रवाती धर्मियों को भी यथित अग पदति (उत्तादा) अधिनियम, 1976 में परिभाषित अधुमा धर्मिया के एमांड ही माना जाएगा।

ठेका धर्म (विनियमन और उत्तादन) अधिनियम, 1970

राज्यपति और ने 28-1-86 को ठेका धर्म (विनियमन और उत्तादन) अधिनियम 1970 का सशोधन बरते हुए एक अध्यादेश जारी किया जिसमें प्रमुखार इस अधिनियम में उपमुक्त गरण्डार की परिभासा को इस प्रकार बदला गया है कि किसी भी प्रतिष्ठान ने तिए श्रोतोंगत विद्याव अधिनियम, 1947 और ठेका धर्म (विनियमन और उत्तादन) अधिनियम, 1970 से अधीन उपमुक्त गरण्डार एवं ही होगी। इस अध्यादेश को बहसों ने तिए तंत्रे से बहुत अधिक विवेशन में एक विषेषक प्रस्तुत किया जाएगा।

SELECT BIBLIOGRAPHY

- 1 A M Carter : Theory of Wages and Employment
2. V B Singh (Ed) Industrial Labour in India
- 3 Bloom and Northrup Economics of Labour Relations
- 4 C K Jharia (Ed) Issues in Indian Labour Policy
- 5 I L O . Minimum Wage Fixing and Economic Development
- 6 I L O : Introduction to Social Security
- 7 HMSO : British An Official Hand Book
- 8 J H Richardson • Economic and Financial Aspects of Social Security
- 9 B Gilbert The Evolution of National Insurance in Great Britain
- 10 The American System of Social Insurance
- 11 M R Sinha (Ed) The Economics of Man Power Planning
12. J N Sinha & P K Sashtry Wages and Productivity in Selected Indian Industries
- 13 V B Singh (Ed) Labour Research in India
- 14 Government of India • Report of the National Commission on Labour

Journals and Reports :

- 1 India Journal of 'Labour Economics', Lucknow
- 2 Indian Labour Journal Simla
- 3 Indian Labour Year Book
- 4 International Labour Review, Geneva
- 5 British Journal of Industrial Relations
- 6 Economic and Political Weekly.
- 7 भारत 1985-86
- 8 अम मन्त्रालय रिपोर्ट 1985-86 एवं 1986-87
- 9 प्रोजेक्ट ।